

सामाजिक विज्ञान

(सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक)

कक्षा—10

सत्र 2022–23



DIKSHA एप कैसे डाउनलोड करें?

- विकल्प 1 : अपने मोबाइल ब्राउज़र पर diksha.gov.in/app टाइप करें।
विकल्प 2 : Google Play Store में DIKSHA NCTE ढूँढ़ें एवं डाउनलोड बटन पर tap करें।



मोबाइल पर QR कोड का उपयोग कर डिजिटल विषय वस्तु कैसे प्राप्त करें ?

DIKSHA App को लॉच करें → App की समस्त अनुमति को स्वीकार करें → उपयोगकर्ता Profile का चयन करें।



पाठ्यपुस्तक में QR Code को Scan करने के लिए मोबाइल में QR Code tap करें।



मोबाइल को QR Code पर केन्द्रित करें।



सफल Scan के पश्चात् QR Code से लिंक की गई सूची उपलब्ध होगी।

डेस्कटॉप पर QR Code का उपयोग कर डिजिटल विषय-वस्तु तक कैसे पहुँचे ?



1 QR Code के नीचे 6 अंक का Alpha Numeric Code दिया गया है।



2 ब्राउज़र में diksha.gov.in/cg टाईप करें।



3 सर्च बार पर 6 डिजिट का QR CODE टाईप करें।



4 प्राप्त विषय-वस्तु की सूची से चाही गई विषय-वस्तु पर क्लिक करें।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

निःशुल्क वितरण हेतु

प्रकाशन वर्ष

: 2022



मार्गदर्शन

: एकलव्य, अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन

संपादन/सहयोग

: सी. एन. सुब्रमण्यम, अरविन्द सरदाना, डॉ. वाय. जी. जोशी,
डॉ. एम.वी. श्रीनिवासन, डॉ. अरुण कुमार सिन्हा,
डॉ. के. के. अग्रवाल, डॉ. एल. के. तिवारी, राममूर्ति शर्मा

कार्यक्रम समन्वयन

: डॉ. विद्यावती चन्द्राकर

विषय-समन्वयन

: सुश्री ख्रीस्टीना बखला, एस. के. वर्मा

लेखन समूह

: लालजी मिश्रा, शैल चन्द्राकर, कृष्णानन्द पाण्डेय, विजया दयाल,
डॉ. नरेन्द्र पर्वत, आर. आर.साहू, डॉ. खिलेश्वरी साव,
श्री कमलनारायण कोसरिया, अनुराग ओझा, अमृतलाल साहू,
मुरलीधर चक्रधारी, बी.पी.सिंह, राजेश शर्मा, नवीन जायसवाल,
सुनील शाह, संजय तिवारी, रश्मि पालिवाल, अमित सिंह, विपिन
पांडे, रवि पाठक, मुकेश, नितिन कुमार, सुकन्या बोस

आवरण एवं ले-आउट

: राकेश खत्री, रेखराज चौरागड़े, ब्रजेश सिंह, कमलेश यादव

टंकण

: सत्य प्रकाश साहू

चित्रांकन

: संजय तिवारी, राकेश खत्री

प्रकाशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

मुद्रक

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर (छ.ग.)

मुद्रणालय

मुद्रित पुस्तकों की संख्या –

आमुख

विकास के इस दौर में शिक्षा, ज्ञान और कौशल हमारी आवश्यकता है। हमें अपने मानव समाज, देश और प्रदेश के शिक्षा विकास में सहयोगी बनने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना और उसे समझना जरूरी होगा। शिक्षा के माध्यमों में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका सर्वोपरि है। यह व्यक्ति को सीखने-सिखाने, जानने, अनुभव लेने, ज्ञानार्जन और दक्षता हासिल करने का अवसर देती है। इसी परिपेक्ष्य में कक्षा दसवीं के पाठ्यक्रम को परिमार्जित कर यह पुस्तक लिखी गई है।

पाठ में परियोजना कार्य के माध्यम परिवेशीय आयामों को सम्मिलित किया गया है ताकि विद्यार्थी मौजूदा परिवेश के प्रति संवेदनशील बनें। पाठ्यपुस्तक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के चार शैक्षिक स्तंभों की प्रमुख अवधारणाओं को रेखांकित किया गया है जो विद्यार्थियों में रचनात्मक, ज्ञान एवं कौशल को बढ़ावा देते हैं।

सामाजिक विज्ञान से हमें मानवीय मूल्यों और विश्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और पूर्व में घटित घटनाओं को न दोहराते हुए उससे सीख लेने की शिक्षा मिलती है। देश की अर्थ व्यवस्था में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने का व्यापक दृष्टिकोण तथा सुशासन व्यवस्था की समझ विकसित करने का कार्य सामाजिक विज्ञान करता है। साथ ही हम जिस परिवेश में रहते हैं उसके प्रति जागरूकता लाता है। इसका अध्ययन इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसी अलग-अलग इकाइयों के रूप में न होकर समग्र सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पाठ्यपुस्तक को तैयार करने में परिषद् के सुधि-विशेषज्ञों, राज्य के लेखक समूह, एकलव्य और अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन का विषयवस्तु के सम्पादन तथा चित्र-मानचित्र उपलब्ध कराने में भरपूर अकादमिक सहयोग प्राप्त हुआ। स्थानीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने भी विषयगत अवधारणाओं को स्पष्ट करने में लेखन समूह का उन्मुखीकरण किया।

स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में दक्षता संवर्धन हेतु अतिरिक्त पाठ्य संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से Energized Text Books एक अभिनव प्रयास है, जिसे ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन (डाउनलोड करने के उपरांत) उपयोग किया जा सकता है। ETBs का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त ऑडियो-वीडियो, एनीमेशन फॉरमेट में अधिगम सामग्री, संबंधित अभ्यास, प्रश्न एवं शिक्षकों के लिए संदर्भ सामग्री प्रदान करना है।

पुस्तक लेखन एवं प्रकाशन से जुड़े समस्त सहयोगियों की कर्तव्यनिष्ठा व कठोर परिश्रम की मैं प्रशंसा करता हूँ और उन्हें साधुवाद भी देता हूँ। मुझे विश्वास है कि पाठकगण को यह पुस्तक अपने समाज को समझने में दिशा प्रदान करेगी और विद्यार्थियों के लिए रुचिकर भी होगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं के अनुरूप पाठ्यपुस्तक लिखने का यथासंभव प्रयास किया गया है। फिर भी विद्वद्जनों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को विषयवस्तु में यदि कोई खामी नजर आए तो वे तत्काल अपने विचारों/सुझावों से परिषद् को अवगत कराएँ। आपके सुझाव हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे।

संचालक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
छत्तीसगढ़, रायपुर

शिक्षकों के लिए

इस पुस्तक के माध्यम से ज्यादा प्रभावी एवं सार्थक शिक्षण संभव हो इसलिए शिक्षकों से हमारा आग्रह है कि वे विभिन्न प्रश्नों पर कक्षा में सार्थक चर्चा कराएँ। प्रत्येक छात्र-छात्रा को अपने-अपने अनुभव व विचारों को प्रस्तुत करने का मौका दें। उन्हें किताब में लिखी बातों पर विमर्श करने तथा उनपर प्रश्न उठाने तथा उनसे भिन्न विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। उनके अनुभव, विचारों और प्रश्नों से जुड़कर ही यह पुस्तक पूर्ण होगी अन्यथा अधूरी रह जाएगी।

विद्यार्थियों को पुस्तक से इतर जानकारी खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। इन्टरनेट, पुस्तकालयों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों, शिक्षकों, पालकों और प्रबुद्धजनों के माध्यम से सतत् नई जानकारी जुटाना, नए सवाल उठाना, अपने अनुभवों के आधार पर उनके उत्तरों को खोजना और परखना सामाजिक विज्ञान अध्ययन के लिए आवश्यक है।

इसी उद्देश्य से कक्षा दसवीं के पाठ्यक्रम में बदलाव कर सामाजिक विज्ञान की यह पाठ्यपुस्तक लिखी गई है। इसे सरल, सुबोध और रोचक बनाने की कोशिश की गई है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सीखने और सिखाने के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माता होता है अतः यह जरूरी है कि वह विद्यार्थियों के लिए योग्य पथप्रदर्शक का कार्य करें।

पाठ में प्रयोगात्मक और परिवेशीय आयामों को सम्मिलित किया गया है ताकि विद्यार्थी मौजूदा परिवेश के प्रति संवेदनशील बनें। पाठ्यपुस्तक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के चार शैक्षिक स्तंभों की प्रमुख अवधारणाओं को रेखांकित किया गया है जो कि विद्यार्थियों के रचनात्मक ज्ञान एवं कौशल को बढ़ावा देते हैं। समाज का शैक्षिक स्तर तभी ऊपर उठ पाएगा जब शिक्षक स्वयं उच्च प्रशिक्षित एवं अध्यापन कला में दक्ष होंगे। अतः शिक्षकों को नवीन ज्ञान, शैक्षिक संकल्पना और परिवेशीय घटनाओं के अन्तर्संबंधों को समझना होगा क्योंकि स्वयं के सीखने से न केवल बौद्धिक क्षमता का विकास होता है वरन् विद्यार्थियों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। सामाजिक विज्ञान समाज में लैंगिक समानता, विविधता, सामाजिक और मानवीय मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करता है। इसका अध्ययन इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसी अलग-अलग इकाईयों के रूप में न होकर समग्र सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

विद्यार्थियों के अंतर्निहित ज्ञान और कौशल को प्रकट करने के लिए सोद्देश्य विचारात्मक प्रश्न, परियोजना कार्य, शैक्षिक भ्रमण, प्रादर्श-निर्माण जैसे- अभ्यासों को पाठ्यपुस्तक में पर्याप्त स्थान दिया गया है जो विद्यार्थियों के ज्ञान को सहज ही नहीं व्यवहारिक भी बना देते हैं। दृश्य-श्रव्य उपकरणों का उपयोग, चार्ट, सर्वेक्षण, छायाचित्रों का संयोजन आज की आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में भी प्रभावी सिद्ध हो रहा है। प्रौद्योगिकी के इस युग में भी शिक्षा के लिए शिक्षक जैसे जीवंत माध्यम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अतः पाठ्यपुस्तक की सार्थकता शिक्षक द्वारा अध्यापन में स्वकौशलों और पाठ्यसामग्रियों के समुचित उपयोग से ही संभव है।

संचालक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पेज क्र
	भूगोल	(01-79)
01.	संसाधन और विकास	02-12
02.	भूमि संसाधन	13-23
03.	कृषि	24-35
04.	खनिज संसाधन और औद्योगीकरण	36-59
05.	मानव संसाधन	60-71
06.	मानव अधिवास	72-79
	इतिहास	(80-157)
07.	प्रथम विश्व युद्ध	82-98
08.	दो विश्वयुद्धों के बीच- रूसी क्रांति और महामंदी	99-111
09.	दो विश्वयुद्धों के बीच- जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध	112-125
10.	उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध	126-141
11.	20वीं सदी में संचार माध्यम	142-153
	राजनीति विज्ञान	(154-234)
12.	भारत के संविधान का निर्माण	155-168
13.	संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार	169-188
14.	स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली	189-208
15.	लोकतंत्र में जनसहभागिता	209-224
16.	लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन	225-234
	अर्थशास्त्र	(235-302)
17.	विकास की समझ	236-247
18.	मुद्रा एवं साख	248-259
19.	सरकारी बजट और कर निर्धारण	260-274
20.	खाद्य सुरक्षा	275-289
21.	वैश्वीकरण	290-302



सामाजिक विज्ञान – इकाईवार विभाजन

क्र.	इकाई	पाठ्यवस्तु	आबंटित अंक	आबंटित कालखंड
1.	1.	1. संसाधन और विकास 2. विकास की समझ 3. भूमि संसाधन	3 3 3	8 7 7
2.	2.	1. प्रथम विश्वयुद्ध	4	12
3.	3.	1. भारत के संविधान का निर्माण 2. संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार	3 3	12 13
4.	4.	1. कृषि 2. दो विश्वयुद्धों के बीच— रूसी क्रांति और महामंदी 3. मुद्रा एवं साख	3 4 3	5 13 7
5.	5.	1. खनिज और औद्योगीकरण 2. दो विश्वयुद्धों के बीच— जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध 3. सरकारी बजट और कर निर्धारण	4 4 3	7 12 5
6.	6.	1. मानव संसाधन 2. स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली	3 4	8 13
7.	7.	1. खाद्य सुरक्षा 2. उपनिवेशों का खात्मा और शीतयुद्ध	3 4	10 15
8.	8.	1. 20वीं सदी में संचार माध्यम 2. लोकतंत्र में जनसहभागिता	4 4	12 8
9.	9.	1. लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन 2. अधिवास 3. वैश्वीकरण	4 4 4	12 6 8
	योग		75	200
		परियोजना कार्य — भूगोल इतिहास राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र	7 6 6 6	वार्षिक गतिविधि
		योग	25	
		कुल योग	100	

भूगोल





संसाधन एवं विकास

प्राकृतिक सम्पदा के साथ रिश्ता

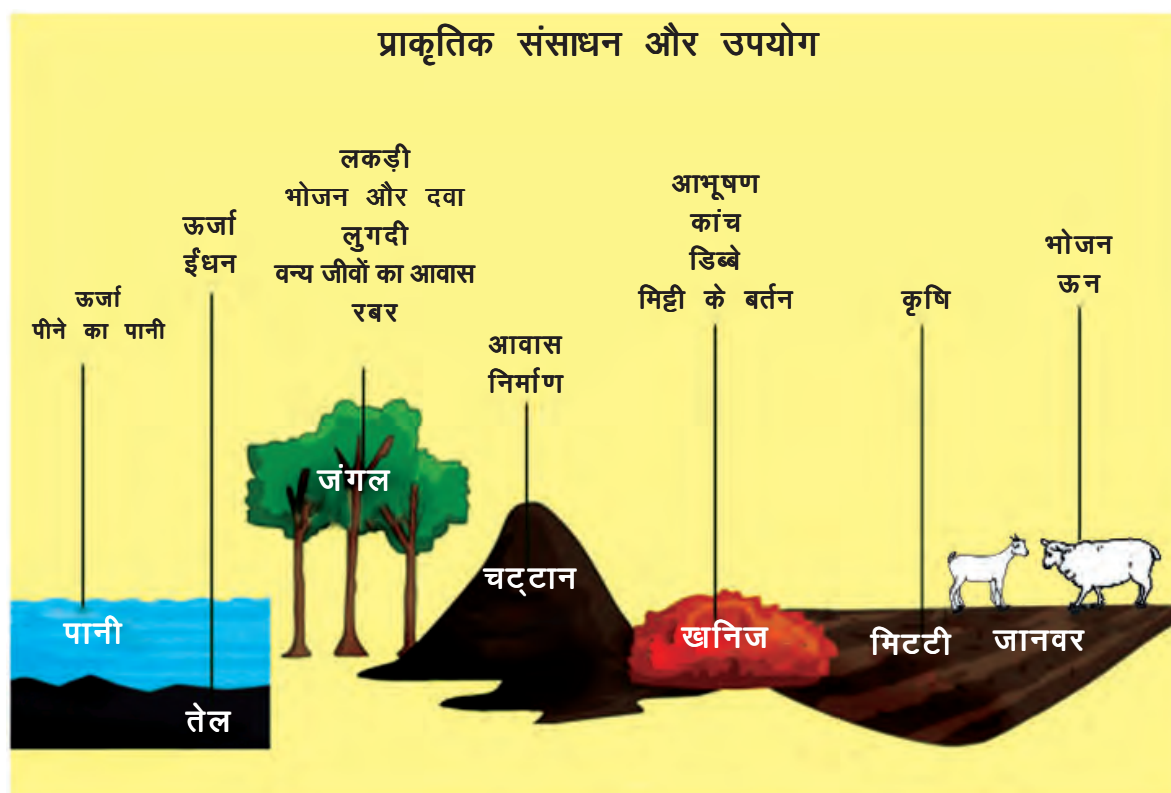
मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीजों (जैसे, हवा, पानी, फल-फूल तथा अन्य जीव आदि) का उपभोग करता आया है। लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी ज़रूरत के अनुरूप बदलता भी रहा है। वह प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग करके अपने लिए औज़ार बनाता है और औज़ारों को अन्य प्राकृतिक चीजों पर प्रयोग करके अपनी पसंद की चीजों का निर्माण या उत्पादन करता है। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीजों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था और उन्हें औज़ार के रूप में उपयोग करता था। पत्थर के औज़ारों की मदद से वह शिकार करता, ज़मीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता था यानी तब पत्थर, बांस, जानवरों के खाल आदि प्राकृतिक संसाधन बने।

समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात् निर्जीव वस्तुओं के साथ-साथ पेड़-पौधे, जानवर आदि सजीवों को भी बदलने लगा। उसने औज़ारों की मदद से पेड़ों को काटकर ज़मीन को समतल बनाया और उनमें चयनित बीजों को बोया। बीज से पौधे बड़े हुए और उनमें फूल व फल आए जो आगे चलकर अनाज में बदले। अब इन पके फसलों को काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर और बस्तियाँ बनाकर रहने लगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की सूची बढ़ती गई और प्रकृति को बदलने की उसकी क्षमता बढ़ती गई। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को 'नवपाषाण क्रांति' कहते हैं। यह आज से लगभग दस हजार साल पहले शुरू हुई थी। इसके साथ ही मनुष्य नई-नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह-तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा जैसे- मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, रेशों से कपड़ा बुनना, तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं से तरह-तरह की वस्तुओं का निर्माण करना आदि।

कृषक-कारिगर समाज में मनुष्य के लिए क्या-क्या प्राकृतिक संसाधन रहे होंगे – एक विस्तृत सूची बनाएँ।

संसाधन किसका ?

जैसे-जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उनपर नियंत्रण किसका हो, उनका उपयोग कैसे हो और किसकी भलाई के लिए हो? इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज ने अलग-अलग तरीकों से निकाला। कई समाजों में संसाधनों पर अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से रहा और उनके उचित उपयोग के लिए



चित्र 1.1 : प्राकृतिक संसाधन और उपयोग

सामुदायिक नियम कानून बने। ज़मीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई। अक्सर ये समाज अपनी प्राकृतिक संसाधन को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिया और मानने लगे कि ज़मीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी-देवता हैं जो हमें आजीविका देते हैं। इस कारण समाज का कोई सदस्य संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और सबकी उन तक पहुँच बनी रही।

कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहा। इनमें कुछ भूस्वामियों का ज़मीन पर स्वामित्व बना और वे सामान्य लोगों से उनपर काम करवाकर ज़मीन का लाभ उठाते रहे। कुछ समाजों में कृषिभूमि और सिंचाई का प्रबंधन करने तथा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राजा बने जो किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा करों के माध्यम से ले लेते थे। इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादक क्षमता बहुत बढ़ी। विशाल भवन, कलाकृति, नगर, व्यापार आदि इनके पहचान बने और उनका क्षेत्र विस्तार लगातार बढ़ते गया और वे विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए। लेकिन साथ-साथ इन समाजों में आंतरिक असमानताएँ बढ़ती गई और ऊँच-नीच, वर्गभेद, जातिभेद, गुलामी, औरतों को दोगुना दर्जा आदि स्थापित हुए।

मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज से लगभग 250 वर्ष पहले शुरू हुई जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। कारखानों के लिए कच्चा माल एवं ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया। कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने-कोने से कच्चा माल मंगाया जाने लगा। जो देश उन्नीसवीं सदी में औद्योगीकरण कर रहे थे वे विश्व के कोने-कोने में अपने वैज्ञानिक और भूगोल के विशेषज्ञों को भेजकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके दोहन के लिए मार्ग तैयार किया। इनकी यात्राएँ 'खोजी यात्रा' के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों में यह विचार बना कि प्राकृतिक सम्पदा उद्योगों के लिए संसाधन हैं जिनका

भरपूर उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का अधिक-से-अधिक उपयोग हमें भरपूर मात्रा में वस्तुएँ प्रदान करेगा और उनसे हमारा जीवन स्तर भी बढ़ सकता है। इससे हम नई-नई तकनीक के विकास से संसाधन की कमी को दूर कर पाएँगे। इस उपयोग को सुगम बनाने के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण किया गया।

समस्या यह थी कि वहाँ के निवासी कबीलाई या कृषक समाज के थे और अपनी ज़मीन व जंगल का गैर-औद्योगिक और गैर-व्यापारिक उपयोग करते थे। वे प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं मानते थे। कई जगह उसे देवी देवता भी मानते थे यानी जो एक समाज के लिए संसाधन था वह दूसरे समाज के लिए संसाधन नहीं था। ऐसे में दोनों के विचारों के बीच टकराव स्वाभाविक था। उद्योगपति जंगल काटकर व्यापारिक फसल उगाना चाहते थे या जंगलों व खेतों की जगह खदान स्थापित करना चाहते थे या फिर नदियों पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाना चाहते थे लेकिन पारंपरिक लोग अपने पुराने तरीकों से उनका उपयोग करते रहना चाहते थे। यह टकराव आज भी जारी है।

बीसवीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री व वैज्ञानिक यही मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम हैं, उनका जितना दोहन करो उतना ही अच्छा है क्योंकि इससे समाज की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। समस्या केवल यह थी कि उनका पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है – कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल नहीं है। अतः व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

पर्यावरण विज्ञान की नज़र से

पिछले पचास वर्षों में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस विचार पर प्रश्न उठाए हैं। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में अमेरिका के कई क्षेत्र के लोगों ने पाया कि उनके इलाके में पक्षियों की चहचहाहट नहीं सुनाई दे रही है न ही वे कीट पतंगों व मधुमखियों की भुनभुनाहट सुन पा रहे हैं। पता चला कि वे लगातार रासायनिक दवाओं के छिड़काव के कारण खत्म हो गए हैं। 1962 में रैचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक 'निस्तब्ध वसंत' ('साइलेंट स्प्रिंग') में लिखा है कि पक्षियों व कीटपतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले डी.डी.टी. का ज़हर झीलों में रहने वाली मछलियों के शरीर में पहुँच जाता है। ज़हर की इस छोटी सी मात्रा से कुछ मछलियाँ मर जाती हैं और कुछ ज़िंदा रह जाती हैं। किंतु जब उन्हीं मछलियों को इंसान और पक्षी खाते हैं तो उनके भीतर घुली रसायन की मात्रा उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए पर्याप्त होती है। रैचेल के खोज इस बात के स्पष्ट उदाहरण हैं कि किस प्रकार मनुष्य की क्रियाओं का विपरीत प्रभाव स्वयं मनुष्य और प्रकृति पर पड़ता है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक विकास का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करने लगे।



चित्र 1.2 : रैचेल कार्सन की पुस्तक का मुखपृष्ठ

पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक सम्पदा एक विशाल ताना-बाना है जिसके किसी छोटे से अंश को हानि पहुँचाने से पूरे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का हर हिस्सा चाहे वह निर्जीव जल, हवा, चट्टान या मिट्टी हो या कीट-पतंग, पक्षी, मानव या फसल जैसे सजीव हों सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और एक पर हो रहे क्रिया से सभी देर सबेर प्रभावित होंगे। अगर हम कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वह न केवल कीड़ों को मारते हैं मगर अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और उन फसलों के भूसे खाने वाले जानवरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर में वे धीरे-धीरे संचयित होते रहते हैं और कैंसर जैसे लंबे समय की बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। अगर



चित्र 1.3 : झील के किनारे मरी पड़ी मछलियाँ

हम रसायनयुक्त औद्योगिक अपशिष्टों को नदी नालों में प्रवाहित करते हैं तो उस पानी में रहने वाली मछलियाँ व अन्य जीव या उस पानी को पीने वाले जानवर प्रभावित होते हैं और उन्हें खानेवाले मानव प्रभावित होते हैं। इसी तरह हवा में प्रदूषण बढ़ने से या जंगलों के कटने से या खदानों से पर्यावरण प्रभावित होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती के हर तत्व आपस में गुंथे हुए हैं।

अपशिष्ट : उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है। उदाहरण के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की खोई को फेंक देते हैं या फिर जब हम बिस्कुट खरीदकर खाते हैं तो प्लास्टिक रेपर को बेकार मानकर फेंक देते हैं। कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में उपयोग किए रसायनयुक्त पानी या धुआँ जिन्हें बाहर निकाला जाता है। बहुत से अपशिष्टों का अन्य उपयोग किया जा सकता है जैसे गन्ने की खोई से कागज़ बनाना या उसे ईंधन के रूप में उपयोग करना। इसी प्रकार विशेष संयंत्रों से गंदे पानी या धुएँ से हानिकारक रसायनों को अलग किया जा सकता है।

औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया ने इस ताने-बाने को बुरी तरह प्रभावित किया है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा असीम नहीं हैं। इनके अंधाधुंध उपयोग से यह संपदा हमेशा के लिए खत्म होते जा रहे हैं। आज हम जिस मात्रा और तरीकों से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वह इस संपदा को नष्ट कर देगी। नदियाँ नालों में बदल रही हैं, भूमि और वायु प्रदूषित हो रहे हैं। आनेवाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम इस पाठ में प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे और इन द्वंद्वों पर विचार करेंगे।

पिछले 10 हजार वर्षों में मानव समाज का प्राकृतिक संसाधन के साथ रिश्ता कैसे-कैसे बदला है?

प्राकृतिक संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है? उदाहरण देकर समझाइए।

प्राकृतिक संपदा के बारे में कबीलाई समुदायों में क्या सोच थी और वे उनका उपयोग किस तरह करते थे?

औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है? क्या वे भी इस संपदा का उपयोग आदिवासी समाज की तरह ही करते हैं?

आज हमारे सामने प्राकृतिक सम्पदा के उपयोग के लिए किस-किस तरह के विचार हैं? परियोजना कार्य:-

इन्टरनेट पर 'साईलेंट स्प्रिंग' नामक पुस्तक का सारांश पता करें और उसकी एक संक्षेपिका कक्षा में प्रस्तुत करें।

पता करें कि अपने क्षेत्र में आज भी डी.डी.टी. कीटनाशक का उपयोग होता है या नहीं।

अगर हाँ तो कहाँ और किस तरह? उसका उपयोग कौन करवाता है?



प्राकृतिक संसाधन

प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में उन्हीं चीजों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। वह केवल उन्हें अपने प्राकृतिक संदर्भ से अलग करता है। उदाहरण के लिए जंगल से काटकर लाए गए लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं मगर कपास जिसे मानव उगाता है, को नहीं। इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे मगर उसी अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस्पात को नहीं।

आप इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन मानेंगे – कारण सहित चर्चा करें:-

नदी का पानी, बोतल में बंद मिनरल वाटर, डीज़ल, सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन, खनिज तेल, संगमरमर, मुर्गा, गन्ना

प्राकृतिक संसाधन को अलग-अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। जो संसाधन जीवों पर आधारित हैं उन्हें 'जैविक संसाधन' कहते हैं, जैसे – लकड़ी, मछली, आदि। कोयला और खनिज तेल को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि वे मृत जीवों से बनते हैं।

दूसरी ओर जो निर्जीव भौतिक संसाधन हैं जैसे, भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज, आदि को 'अजैविक संसाधन' कहते हैं।

संसाधनों को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जाता है: यह देखकर कि ये संसाधन प्रकृति में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते रहते हैं उन्हें 'नवीकरणीय संसाधन' कहते हैं और जो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और आसानी से नहीं बनते उन्हें 'अनवीकरणीय संसाधन' कहते हैं।

नवीकरणीय संसाधन

नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक



प्रक्रियाओं से नवीकृत होते रहते हैं। ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान हैं जैसे, वायु, जल, वन, पशु

इत्यादि। यदि मनुष्य इनकी नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अन्दर उपयोग करे तो वे सतत उपलब्ध रहेंगे। इनके उपयोग की एक सीमा है। इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से

संसाधनों का अवनयन (बिगड़ना) होता है और उनके नवीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जल पृथ्वी पर सतत विद्यमान है। सागरों से जल वाष्पीकृत होकर जलवाष्प बनता है जो संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। वर्षाजल का कुछ भाग भूमि में रिस कर भूजल बनता है और शेष भाग नदियों से बहकर पुनः सागर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जल नवीकृत होते रहता है। हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा कर देते हैं या गलत उपयोग करके उन्हें प्रभावित करते हैं। इससे नवीकरणीय प्रक्रियाएँ प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाएँ, पेड़-पौधों का आवरण कम हो तो वर्षा के जल को भूमि में रिसने का मौका नहीं मिलेगा। भूजल का स्तर (रिचार्ज) प्रभावित होता है। धीरे-धीरे कुएँ व नलकूप सूखने लगेंगे।



चित्र 1.4 : पानी के स्रोतों पर प्रदूषण

नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है। यदि यह कम मात्रा में हो तो बहता हुआ जल और उसमें मौजूद जीव इसे साफ करने की क्षमता रखते हैं परन्तु आज अत्यधिक मात्रा में कचरा डाला जाता है और बाँध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव भी कम होता जा रहा है। इस कारण नदियाँ अपने आप को साफ नहीं कर पा रही हैं। देखते-देखते नदियाँ गंदे नालों में बदल जाती हैं। यदि हमें इस प्रदूषण को रोकना है, तो हमें कचरे का अन्य उपयोग करना पड़ेगा। जैसे खाद बनाने के लिए या पानी को साफ करके बगीचों में उपयोग करने के लिए इत्यादि। इसके साथ-साथ उद्योगों द्वारा निकाले जाने वाले कचरे को पुनः उपयोग (रिसाईकिल या पुनःचक्रित) करना होगा। नदी में पानी की मात्रा बढ़ायी जाए ताकि वे जीवित रह पाएँ और उनकी प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया चलती रहे।

अतः यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का प्रयोग उसके नवीकरण के चक्र को ध्यान में रखकर करें तो बेहतर होगा। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम जितने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वे उतने नवीकृत हो पाएँ। इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन या उपयोग उसके रिचार्ज से ज्यादा है तो भूमिगत जल का स्तर कम होगा।

अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके नवीकरण चक्र से कैसे मेल बिठाएँगे?

भूजल का नवीकरण चक्र किस तरह काम करता है? हमें भूजल का उपयोग किस तरह करना चाहिए?

तालाबों में मछलियों का नवीकरण किस तरह होता है? हमें उनका उपयोग किस तरह करना चाहिए?

रासायनिक खाद एवं कीटनाशक मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं?

अनवीकरणीय संसाधन

अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। उनका उपयोग करने के बाद उनका भण्डार कम हो जाता है। वे अपने-आप नवीकृत नहीं होते हैं। जैसे – लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। उदाहरण के लिए धात्विक खनिजों से एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएँगे। यदि हमें नए खनिज भण्डार नहीं मिले, तो ये खत्म हो जाएँगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भण्डार समाप्त हो जाएँगे। आज भी कई खदानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि उन खदानों के खनिज समाप्त हो चुके हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का दल्ली राजहरा का लौह अयस्क खदान।



तालिका 1.1 – खनिज तेल का भण्डार

क्षेत्र / देश	भण्डार 2013 हज़ार मिलियन बैरल	भण्डार के चलने की अवधि वर्षों में
मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया	809	78
संयुक्त राज्य अमेरिका	44	12
विश्व	1688	53

Source:-BP Statistical Review of world energy zone 2014

यह तालिका कच्चे तेल के भण्डारों के अनुमान को दर्शाती है। यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर जारी रहे तो यह भण्डार कितने वर्ष चलेंगे? विश्वभर में ये भण्डार अगले 53 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत खनिज तेल के आयात पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ तेल के पर्याप्त भण्डार नहीं हैं। जैसे-जैसे भण्डार कम होंगे और इसके भाव बढ़ेंगे तो भारत पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। यदि यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पर भार बढ़ेगा। अतः बुद्धिमानों इसी में है कि हम इन अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कम करें यथासंभव उन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही उपयोग करें और इनके विकल्पों की तलाश जारी रखें। उदाहरण के लिए खनिज तेल आधारित उर्जा की जगह हम सौर उर्जा या पवन उर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं। दुनिया के बड़े देश दूसरे देशों की चिंता नहीं करते। वे यही सोचते हैं कि इन संसाधनों के स्रोतों पर कब्ज़ा जमा लें ताकि उन्हें संसाधनों की कमी न हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास तेल भण्डार तो कम हैं लेकिन वे सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर दूसरे देशों के संसाधन भण्डार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। इस नीति का परिणाम युद्ध और लोगों की तबाही के रूप में सामने आ रहा है।

कुछ अनवीकरणीय संसाधन के लिए उनका पुनर्चक्रण (Recycle) किया जा सकता है जैसे – बॉक्साइट से एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम से बर्तन तैयार किया जाता है। इसमें बॉक्साइट तो पुनः बनाया नहीं जा सकता है किन्तु एल्युमिनियम को गलाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है।

पता करें कि देश में सौर उर्जा का उपयोग कहाँ-कहाँ हो रहा है?

क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना चाहिए? इसके विकल्प क्या हो सकते हैं?

धातु के अलावा और क्या चीज़ें हैं जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है?

संसाधन और विकास

प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार हैं क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण तथा उर्जा क्षेत्र में उत्पादन बढ़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होते हैं। इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को “पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य” (Environment’s Source Function) कहा जाता है। ये कार्य उस समय शिथिल हो जाते हैं जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो जाता है या प्रदूषण संसाधनों को बिगाड़ देता है। अगर हम अनवीकरणीय संसाधनों का नियंत्रित उपयोग न करें या नदी नालों व हवा का प्रदूषण न रोकें तो जल्द ही विकास के लिए ज़रूरी संसाधन नहीं मिलेगा और विकास में रुकावट आ जाएगी। हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों को



चित्र 1.5 शहरों के गन्दे नाले



चित्र 1.6 धुआँ उगलते कारखाने

लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में उपलब्ध रखे विकास और खुशहाली को लंबे समय के लिए अर्थात् टिकाऊ बनाए रख पाए। इसी को 'टिकाऊ विकास' या 'टिकाऊ खुशहाली' कहते हैं।

इसका मतलब यह है कि विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच विरोधाभास हो यह ज़रूरी नहीं है। न ही विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नष्ट किए जाएँ। अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर

समझें तो हम विकास के लिए टिकाऊ प्रबंधन भी कर सकते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की 'शुद्धीकरण क्षमता' या 'सिंक कैपेसिटी' की अवधारणा विकसित की है। पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण किया जाए तो वह उसे समाहित करके हानिरहित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर हम बहती नदियों में घरेलू कचरा बहाते हैं तो नदी के जीव जन्तु उन्हें अपना भोजन बनाकर पचा लेते हैं और फिर से पानी उपयोग करने लायक बना रहता है अगर हम अत्यधिक मात्रा में नदी की क्षमता से अधिक गंदगी प्रवाहित करें तो साफ पानी वाली नदी गंदा नाला बन जाएगी। आज हमारे प्रमुख शहरों के पास बहने वाली नदियों का यही हाल हो रहा है। यही नहीं आज हम नदियों में कई ऐसे तत्व डालते हैं जिन्हें पचाने की क्षमता नदी में नहीं है। उदाहरण के लिए साबुन के अपशिष्ट। ये पानी में बने रहते हैं और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते हैं और धीरे-धीरे समुद्री जल को प्रदूषित करते हैं।

गाँवों में लकड़ी से जलने वाले चूल्हे और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ की तुलना करें तो चूल्हे से निकलने वाला धुआँ की मात्रा नवीकृत होने की सीमा से कम होती है। किन्तु फैक्ट्री से अधिक एवं निरंतर धुआँ निकलता रहता है, जो नवीकृत होने की मात्रा से अधिक हो तो वायु प्रदूषित हो जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि फैक्ट्री हमेशा वायु को प्रदूषित करेगी ही। यदि फैक्ट्री से नवीकृत सीमा तक ही धुआँ निकले तो वायु प्रदूषित नहीं होगी।

पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करने की इस क्षमता को "सिंक क्षमता" कहा जाता है। जब अपशिष्ट निर्धारित सिंक कार्यों की सीमा से अधिक हो जाते हैं तो पर्यावरण को दीर्घकालीन हानि पहुँचती है।

उदाहरण-1 भारत में भूजल की स्थिति पर वर्तमान आँकड़े हमें सुझाते हैं कि देश के अनेक भागों में इसके उपयोग की अधिकता से इसके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुनर्भरण से जितना जल वापस भूमि में जाता है उससे कहीं अधिक भूजल का उपयोग किया जा रहा है जिसके कारण लगभग 300 ज़िलों में पिछले 20 वर्षों में जल-स्तर में 4 मीटर तक की कमी आई है। यह स्थिति खतरे का संकेत है। भू-जल के उपयोग की अधिकता विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि समृद्ध क्षेत्रों, केंद्रीय और दक्षिणी भारत के कठोर चट्टानी पठारी क्षेत्रों तथा कुछ तटीय क्षेत्रों और तेज़ी से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्रों में भू-जल का अत्यधिक उपयोग होता है। जल के उपयोग की इस अधिकता से भू-जल का संग्रह कम हो जाएगा और बहुत ही तीव्रता से इसके स्तर में भी कमी होती जाएगी।

उदाहरण-2 भारत में कीटनाशकों का कुप्रभाव, एंडोसल्फान कीटनाशक में देखा गया है। 1976 में काजू की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए सरकार ने 15,000 एकड़ भूमि पर, हैलीकॉप्टर द्वारा एंडोसल्फान कीटनाशक का छिड़काव किया। यह कार्य केरल के उत्तरी भाग के कासरगोड़ में किया गया। इस उपचार कार्य के 25 वर्षों तक जारी रहने के कारण वायु, जल और संपूर्ण पर्यावरण इस कीटनाशक से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके परिणामस्वरूप 11 ग्राम पंचायतों के लोगों में मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों में, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हुईं। वे विभिन्न तरह की बीमारियाँ जैसे मानसिक व शारीरिक विकलांगता, दिल और तंत्रिका तंत्र की बीमारियों आदि से ग्रस्त हो गये। यही नहीं, उस पूरे इलाके में मछलियाँ, कौए व अन्य पक्षियाँ, कीट पतंगे आदि में भारी कमी आई। कुछ वर्षों से, न्यायालय के आदेश द्वारा इसके छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से मुआवज़ा दी जा रही है।

भूजल के लिए पुनर्भरण और दोहन के बीच संतुलन बनाना क्यों ज़रूरी है?

एंडोसल्फान के उपयोग को रोकने के लिए न्यायालय तक जाना क्यों आवश्यक समझा गया?

पता करें कि आपके क्षेत्र में एंडोसल्फान का उपयोग होता है या नहीं।

संसाधन प्रबंधन



हमें अपने प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य के लिए संरक्षित भी किया जा सके और पारिस्थितिकीय (Ecology) संतुलन बना रहे। इसके लिए निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं।

1. वैकल्पिक संसाधनों पर जोर : जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे, जहाँ-जहाँ संभव हो कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। लंबे समय के लिए उर्जा के स्रोत हेतु सौर ऊर्जा एवं पवन शक्ति का अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहन और व्यवस्था बनाए जाने की ज़रूरत है।

2. संसाधनों का नवीकरण करना : इसे करने के लिए पर्यावरण सम्बंधित कई नियम और मापदंड बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना एवं करवाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए—

- कचरे को अलग-अलग करके पुनर्चक्रण करना।
- उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने पर सख्ती।
- अलग-अलग क्षेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना।
- विशेष प्रदूषक पदार्थों की जाँच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना जैसे— मरकरी (पारा), लेड (सीसा), क्रोमियम आदि।

3. संसाधनों का समुचित उपयोग : आज जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ मची हुई है इससे संसाधन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जिस प्रकार कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग अपने जीवनयापन के लिए करते हैं उसी प्रकार सभी मनुष्य करने लगे तो पृथ्वी की इस जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चार पृथ्वी की ज़रूरत पड़ेगी। इस विषय पर गाँधी जी ने कहा था कि “हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है।”

हमारे घर में प्रतिदिन कचरा निकलता है। इसमें से कुछ दुबारा उपयोग में लाया जा सकता है। उसकी सूची तैयार करें और उसके उपयोग के बारे में लिखें।

आपके क्षेत्र के नवीकरण संसाधनों के कुछ उदाहरणों के बारे में लिखें।

संसाधनों के समुचित उपयोग के बारे में मिलकर एक पोस्टर तैयार करें।

क्या तीस वर्ष बाद भारत के लिए सौर उर्जा एक प्रमुख स्रोत बन सकता है? चर्चा करें।

संसाधन प्रबंधन के नये मौके और चुनौतियाँ

केस अध्ययन : इंदिरा गाँधी नहर कमान क्षेत्र

पंजाब में हरिके बांध से यह नहर निकाली गई है। यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। इसके मुख्य नहरों की लंबाई लगभग 650 कि.मी. है जबकि सभी उपनहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 9060 कि.मी. है। इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इसे इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है।

यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जानेवाले रेत के टीले पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियाँ नगण्य हैं अतः हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है। गर्मी में यहाँ का तापमान 50 अंश सेल्सियस तक हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 10 मि.मी. से भी कम होती है।

विकास कार्य : चरण एक के कमान क्षेत्र में सिंचाई 1960 से प्रारंभ हुई जबकि चरण दो की शुरुआत 1980 से हुई है। नहर से मरुक्षेत्र हरा-भरा और नम हो गया है जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया है। वनीकरण और चरागाहों का विकास हुआ है। सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में कभी



चित्र 1.7 राजस्थान नहर

चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी वहाँ अब गेहूँ, कपास और मूंगफली की खेती होने लगी है। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगे हैं। सघन सिंचाई के कारण और जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

अभ्यास

निम्नांकित प्रश्नों में एक कथन एवं कारण से संबंधित चार विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करें।

- कथन** : पाषाण काल में लौह अयस्क संसाधन नहीं था।
कारण : पाषाण काल में लौह अयस्क के उपयोग के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं।

(क) केवल कथन सही है। (ग) कथन और कारण दोनों सही हैं।
 (ख) केवल कारण सही है (घ) कथन और कारण दोनों गलत हैं।
- कथन** : जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।
कारण : वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण (रिचार्ज) होता है।

(क) केवल कथन सही है। (ग) कथन और कारण दोनों सही हैं।
 (ख) केवल कारण सही है (घ) कथन और कारण दोनों गलत हैं।
- कथन** : वन नवीकरणीय संसाधन है
कारण : जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है।

(क) केवल कथन सही है। (ग) कथन और कारण दोनों सही हैं।
 (ख) केवल कारण सही है (घ) कथन और कारण दोनों गलत हैं।

इन प्रश्नों के उत्तर दें :

- ‘संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं’ इस कथन को समझाइए।
- नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है?
- संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है?
- जल संसाधन पर कौन-कौन से संसाधन निर्भर हैं?

स्तम्भ 1 और स्तम्भ 2 में मिलान करें और दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कीजिए।

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. कोयला | अ. चक्रीय अनवीकरणीय |
| 2. लौह अयस्क | ब. नवीकरणीय |
| 3. जंतु | स. सतत नवीकरणीय |
| 4. वायु | द. अनवीकरणीय |

(क) 1-अ, 2-ब, 3-स, 4-द

(ख) 1-द, 2-ब, 3-स, 4-अ

(ग) 1-द, 2-ब, 3-अ, 4-स

(घ) 1-द, 2-अ, 3-ब, 4-स



2

भूमि संसाधन



हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसका हम कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसाहट, आदि के लिए उपयोग करते हैं। भूमि किसकी है, उसका उपयोग उचित, न्यायसंगत और टिकाऊ कैसे हो, उसको हम हानि और ह्रास से कैसे बचाएँ – इस पर गहरे चिन्तन और समझ बनाने की ज़रूरत है।

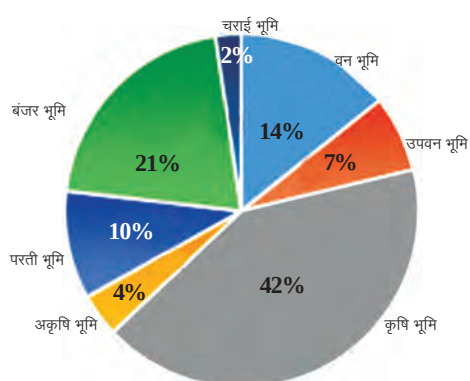
2.1 भूमि उपयोग

किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है किसी भाग पर खेती की जाती है तो अन्य भाग पर शहर बसे हैं या कारखाने लगे हैं, या फिर वनों से ढके हैं। किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का जो उपयोग करते हैं, उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता है और समय के साथ बदलता रहता है।

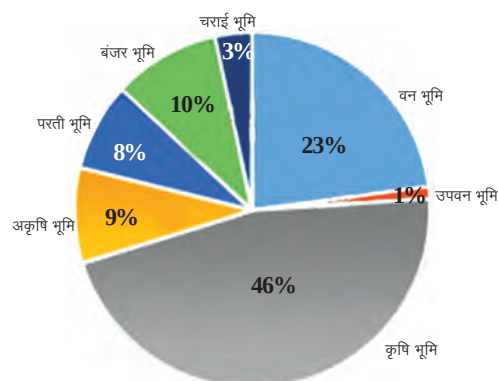


भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है परंतु इसके 93 प्रतिशत भाग पर ही भू-उपयोग का सर्वेक्षण किया गया है। नीचे दी गई तालिका में हम भारत के कुल भूमि का उपयोग किस तरह किया जाता है और यह देश की स्वतंत्रता के बाद किस तरह बदला है, यह देख सकते हैं।

भूमि उपयोग



भूमि उपयोग भारत 1950-51



भूमि उपयोग भारत 2010-11

आरेख : 2.1 भारत में भूमि उपयोग

वन भूमि : इस भूमि में वनस्पतियों की प्रचुरता वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं जिसे वन कहा जाता है। इस वन का उपयोग लकड़ी, कंदमूल, जंगली फल, औषधियाँ, पशुचारण इत्यादि में किया जाता है। भारत में विगत साठ वर्षों में वन भूमि 14 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया। वन भूमि में यह वृद्धि 1970-71 तक हुई है। इसके बाद से वन भूमि लगभग स्थिर है।

हमें याद रखना होगा कि वन भूमि से आशय है वह भूमि जिसका उपयोग वनों के रूप में होना है — यह ज़रूरी नहीं है कि इस पूरी भूमि पर वन हों। उदाहरण के लिए 2010 में देश के केवल 19.05 प्रतिशत ज़मीन वनों से ढकी थी जबकि वनभूमि 23 प्रतिशत थी। जिस भूमि पर वन नहीं है सरकार के द्वारा वनरोपण कराया जाता है।

वनों से हमें लकड़ी आदि तो मिलती हैं मगर इनका महत्व इनके उत्पादन से कहीं अधिक है। वनों की एक विशेषता है कि ये वायुमंडल से कार्बन डाई ऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती है एवं ऑक्सीजन का नवीकरण होता है। ऑक्सीजन मानव एवं जंतुओं के श्वसन के लिए आवश्यक है। कार्बन डाई ऑक्साइड की स्थिरता वायुमण्डल के तापमान को स्थिर रखने में सहायक है। इस प्रकार वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही नहीं वनों के होने से हमारे जलस्रोत बने रहते हैं। वन हमारे वन्य जीवों का निवास है और वनों के नष्ट होने पर जंगली जानवर और वनस्पति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएँगे।

पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टिकोण से देश के कम से कम 33 प्रतिशत भू-भाग पर वन होना चाहिए किंतु भारत में इस समय मात्र 23 प्रतिशत भू-भाग पर वन आवरण है। विभिन्न राज्यों के बीच वनावरण में भिन्नता पाई जाती है। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे अधिक वनाच्छादित प्रदेशों में से है और इसकी लगभग 41.75 प्रतिशत ज़मीन पर वनों का आवरण है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में केवल 5.7 प्रतिशत और ओडिशा के 31.36 प्रतिशत ज़मीन पर वनावरण है। उत्तर पूर्व के राज्य जैसे नागालैण्ड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय आदि में सबसे अधिक वनावरण है — लगभग 70 से 83 प्रतिशत।

सीमा का कहना है कि वनों की कटाई का मुख्य प्रभाव यह होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इमारती लकड़ी और लकड़ी का फर्नीचर नहीं मिलेगा। जूलिया का कहना है कि सबसे बड़ा प्रभाव तो पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ेगा। आपके विचार में इन दोनों में अधिक सही कौन है? अपना कारण बताएँ।

वनावरण के संदर्भ में छत्तीसगढ़ भारत के लिए क्या महत्व रखता है?

आपने उत्तर के मैदान के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल 5.7 प्रतिशत वन होने के क्या कारण और परिणाम हो सकते हैं?

उपवन भूमि: इस वर्ग में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर बाग-बगीचे लगे होते हैं अथवा यह अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ों वाली भूमि है जिनसे फल आदि प्राप्त होते हैं। भारत में पिछले 60 वर्षों में बगीचों के पेड़ों को काटकर इस भूमि को कृषि एवं अन्य उपयोग में लिया गया है। इस कारण विगत साठ वर्षों में यह 7 प्रतिशत से कम होकर मात्र 1 प्रतिशत रह गई है।

कृषि भूमि: हमारे देश के विशाल भाग पर खेती होती है और यह हमारे अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि भूमि से ही हमें अनाज प्राप्त होता है और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। भारत में 1950-51 में 42 प्रतिशत भाग पर कृषि भूमि थी जो आज के समय में 46 प्रतिशत है। कृषि भूमि का विस्तार 1970 से लगभग स्थिर है। सिंचाई के विस्तार के कारण उसी ज़मीन पर दो या तीन फसलें ली जा रही हैं लेकिन भारत के केवल 38.75 प्रतिशत कृषिभूमि सिंचित है और उसी पर एक से अधिक फसल ली जा सकती है।

अकृषि भूमि : इसके अंतर्गत वो सारी ज़मीन गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं की जा सकती है तथा जिसे गैर-कृषि उपयोग में लिया जाता है जैसे — हिम आच्छादित पर्वत, रेत के टीले, मकान, दुकान, उद्योग, सड़क, रेलमार्ग, बाज़ार, खेल का मैदान, तालाब, नदियाँ, बाँध इत्यादि की भूमि। विगत वर्षों में औद्योगीकरण,

नगरीकरण एवं यातायात में वृद्धि के कारण अकृषि भूमि का तेजी से विस्तार हुआ है और राष्ट्रीय भूमि उपयोग में 1950 और 2010 के बीच इसका अनुपात 4 प्रतिशत से 9 प्रतिशत हो गया है। आज अकृषि कार्यों में जैसे औद्योगीकरण, नगरीकरण इत्यादि में कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की माँग की जा रही है। किस तरह की कृषि भूमि का उपयोग इस प्रकार बदला जाए और किसानों को इसके लिए उचित मुआवजा कितना मिले इस पर आज गहन विवाद चल रहा है। अगर उपजाऊ बहु-फसली भूमि पर उद्योग लगे तो अनाज उत्पादन और देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः केवल कम उपजाऊ ज़मीन को इस तरह के काम में लिया जाना उचित है। इसी तरह किसानों को उनकी ज़मीन के बदले किस तरीके से मुआवज़ा दिया जाना चाहिए— इस पर भी विवाद चल रहा है। अगर किसी ज़मीन के उपयोग को बदला जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन किसानों का मुआवज़ा कृषि भूमि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इससे किसान को अपने ज़मीन के बढ़े हुए मूल्य का फायदा नहीं मिल पाता।

परती भूमि: अक्सर किसान कमज़ोर ज़मीन को परती छोड़ देते हैं ताकि ज़मीन की उर्वरता पुनर्स्थापित हो। परती भूमि के दो भाग हो सकते हैं— वर्तमान परती भूमि और पुरानी परती भूमि। वर्तमान परती भूमि जो केवल एक वर्ष के लिए परती है। भूमि को एक वर्ष के लिए परती छोड़ने पर उसमें ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। पुरानी परती भूमि जो एक से अधिक वर्षों से परती है। पुरानी परती पर कृषि का विस्तार नहीं होने पर यह बंजर में परिवर्तित हो जाएगी। भारत में आज लगभग 8 प्रतिशत ज़मीन परती है।

बंजर भूमि: इसमें दो प्रकार की भूमि सम्मिलित है, एक जिसमें कृषि की संभावना अत्यंत कम है जैसे बंजर पहाड़ी भू-भाग, खड्ड इत्यादि। दूसरी जिसमें भू-संरक्षण की विधियों से उसे वानिकी एवं कृषियोग्य बनाया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसी भूमि भी है जिसमें पहले कृषि की जाती थी किंतु अब बंजर हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए इसका विकास किया जा सकता है। बंजर भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग, वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किए जाने एवं उन्नत तकनीक से कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किए जाने के कारण विगत साठ वर्षों में यह भूमि 21 प्रतिशत से कम होकर 10 प्रतिशत रह गई है।

परती और बंजर भूमि में क्या अन्तर है और विकास योजना बनाने में इनका क्या महत्व है?

चराई भूमि : इसके अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित की जाती है जो स्थाई चरागाह क्षेत्र तथा किसी भी प्रकार की चराई भूमि होती है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए है। यहाँ पशुओं को चराया जाता है एवं जलावन के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है। भारत में 1950-51 से 1970-71 में इसमें वृद्धि हुई किंतु विगत चालीस वर्षों में इसमें कमी आ रही है। इस भूमि के कम होने का प्रतिकूल असर सबसे गरीब परिवारों पर पड़ता है, जिनके लिए पशुपालन एवं कृषि जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। चराई भूमि के कम होने का एक प्रमुख कारण अतिक्रमण कर दूसरे कार्यों में उपयोग करना है।

आप के आस-पास भी क्या चराई भूमि कम हुई है? इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका प्रभाव क्या गाँव व शहर के सभी लोगों पर समान रूप से पड़ता है?

गतिविधि

आप अपने गाँव का एक रेखाचित्र बनाएं एवं उसमें भूमि उपयोग को प्रदर्शित करें।

2.2 सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण

सरकार का यह अधिकार है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या गाँव की ज़मीन की आवश्यकता है तो सरकार उन्हें उचित मुआवज़ा देकर अधिग्रहित कर सकती है। इस कानून की मदद

से सरकार विभिन्न उपयोगों जैसे सड़क, रेलमार्ग, हवाई अड्डे, खदान, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, दफ्तर, बाँध आदि के लिए ज़मीन की व्यवस्था करती है। अक्सर इस काम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि कई गाँव के लोग इससे विस्थापित हो सकते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसे में उचित मुआवज़ा कैसे तय किया जाये इसको लेकर विवाद रहा है। 2013 में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून बना जिसका नाम है 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013'। इसके प्रमुख बिन्दुओं के बारे में बॉक्स में पढ़ें। शिक्षक के साथ चर्चा करें।

भू अधिग्रहण अधिनियम 2013

- इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का भी प्रावधान है।
- निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक-निजी-भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80 प्रतिशत विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है।
- विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ वे सभी लोग भी सम्मिलित होंगे जो उस ज़मीन से अपनी आजीविका पाते थे जैसे मज़दूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी आदि
- केवल अतिविशेष परिस्थितियों में ही बहुफसलीय व सिंचित कृषिभूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकेगा।
- अधिग्रहण से पूर्व उस ज़मीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा।
- भूस्वामियों व अन्य को उचित मात्रा में मुआवज़ा दिया जायेगा।
- जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है उससे अलग काम भूमि पर नहीं किया जा सकता है और पाँच वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होता तो उसे पुराने भूस्वामियों को लौटा दिया जाएगा।
- सरकार की पूर्व-अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होना है।

कई उद्योगपति व सरकारी अफसर जो नए उद्योग लगाने के लिए ज़मीन चाहते हैं यह शिकायत कर रहे हैं कि इस कानून के कारण उन्हें ज़मीन मिलना बहुत कठिन और महँगा हो गया है।

निम्नांकित समस्या पर विचार करें।

एक गाँव है नीमगंज जहाँ की ज़मीन सिंचित है और साल में वहाँ के किसान तीन फसल लेते हैं। वहाँ पर एक औद्योगिक केन्द्र और उपनगर बसाने की योजना है और उस गाँव की ज़मीन को अधिग्रहित करने की योजना है। उस गाँव में ज़मीन वाले किसान हैं और अनेक भूमिहीन मज़दूर और छोटे व्यापारी भी इस परियोजना के कारण उन सबकी आजीविका खतरे में है। उनमें से कुछ इस परियोजना का विरोध करना चाहते हैं। कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि नये भू अधिग्रहण कानून का वे सहारा ले सकते हैं। कानून की

मुख्य बातों पर विचार करके बताओ कि नीमगंजवालों को क्या करना चाहिए और उनके साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

2.3 मृदा

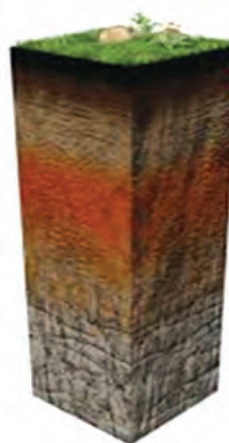
जब हम भू-संसाधन की बात करते हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे होते हैं। यह भू-संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है, मृदा कहलाती है। मृदा चट्टानों के विघटन से बनती है और इसमें जलवायु, वनस्पति, आदि की प्रमुख भूमिका है। चट्टानें गर्मी-सर्दी और पानी से प्रभावित होकर टूटती फूटती या घिसती हैं, जिससे बारीक कण अलग हो जाते हैं। इनमें वनस्पति व जानवरों के अवशेष मिल जाते हैं और लंबे समय के बाद ये मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। मृदा से वनस्पतियाँ पोषण प्राप्त करती हैं और अन्य जीव व जानवर वनस्पतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृदा न केवल जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है बल्कि इसका उपयोग ईंट, बर्तन, खिलौने, मूर्ती, खपरा आदि निर्माण में भी किया जाता है। ग्रामीण भारत में मकानों की दीवारें, दीवारों एवं फर्श की लिपाई पुताई मिट्टी से किया जाता है।



अगर आप कभी मकान के नींव या कुआँ खुदते हुये देखें तो पाएँगे कि मिट्टी ज़मीन पर कई परतों में बिछी हुई है। मृदा की इन क्षैतिज परतों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा की परतों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है— जैविक परत, खनिज परत एवं आधार परत। नीचे दिये गए चित्र को देखें। उसमें सबसे नीचे आधार चट्टान की परत दिख रहा है जिसे R परत कहा गया है। इसी आधार चट्टान के विघटन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है।

इसके ऊपर क्रमशः C, B, A और O परत हैं।

जैविक परत : यह सबसे ऊपरी परत है जिसमें O और A सम्मिलित हैं। O परत में पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अपघटित अंश मिला होता है, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। इसके नीचे A परत होती है जो खनिज परत होती है किंतु यह O परत से अधिक प्रभावित होता है। जिस कारण इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। जैविक परत की मोटाई भिन्न-भिन्न होती है, नदी घाटी के निचले भागों में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है। जैविक परत पर कृषि कार्य होता है एवं वनस्पतियाँ उगती हैं। इस कारण यह परत बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु अपरदन का प्रभाव सबसे पहले इसी परत पर पड़ता है। फसलों के लिए कीटनाशकों का प्रयोग हो या कचरों का निस्तारण सभी इसी परत को प्रभावित करते हैं।



- O जैविक परत
- A
- B खनिज परत
- C
- R आधारी परत

खनिज परत : यह बीच की परत होती है जिसमें B परत सम्मिलित है। यह खनिज परत होती है, जिसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जैविक परत की तुलना में इसके कण मोटे होते हैं। इस परत तक उन पौधों की जड़ें पहुँचती हैं जिनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं। उदाहरण स्वरूप टमाटर के पौधे की जड़ जैविक परत तक सीमित रहती है जबकि आम के पेड़ की जड़ खनिज परत तक जाती है।

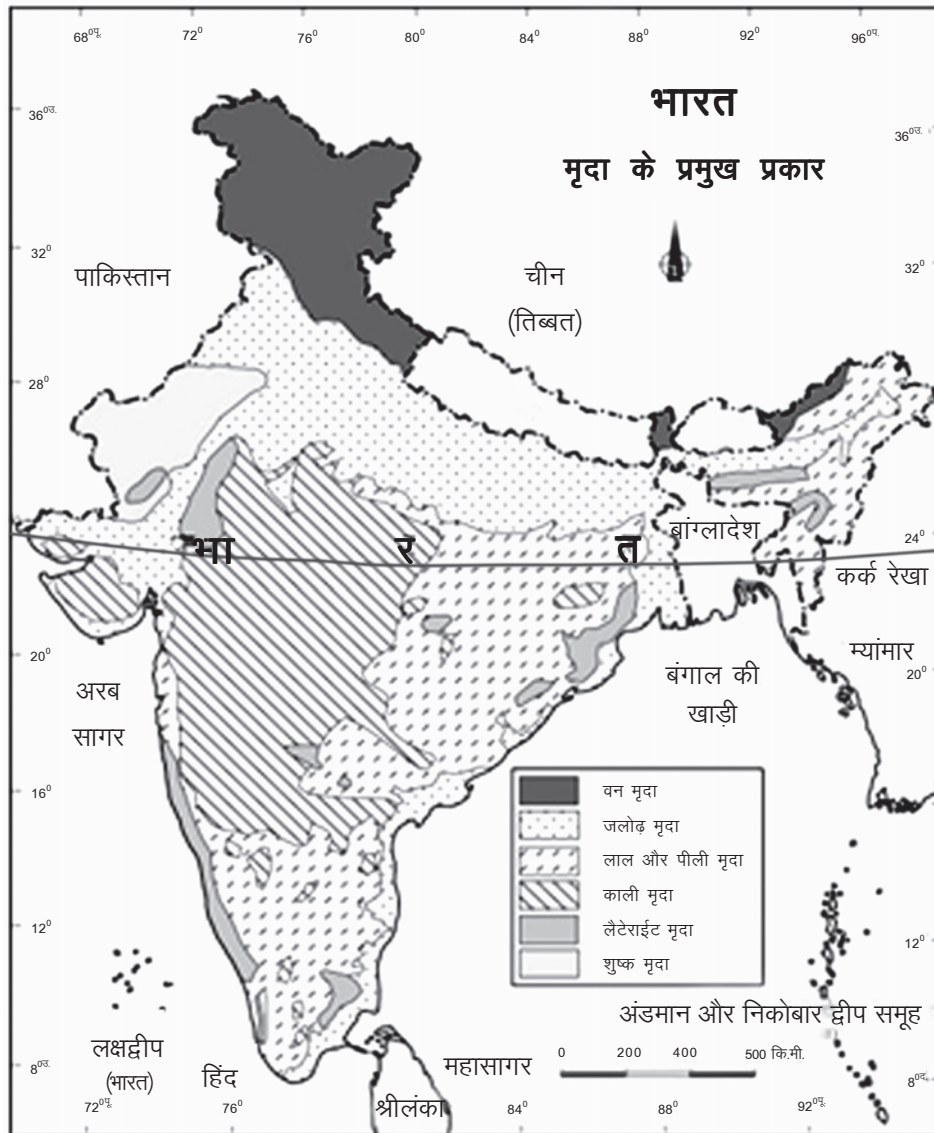
आधारी परत : यह सबसे निचली परत है इसमें C और R परत सम्मिलित हैं। जिसमें R आधारी चट्टान होती है जिसके विखंडन से C परत का निर्माण होता है।

भारत में मृदा का वितरण

अपने देश में मुख्य रूप से छह तरह की मृदाओं का फैलाव है। इनमें प्रमुख हैं जलोढ़ मृदा जो नदियों के मैदानों में बिछी हुई है। यह अत्यंत उर्वर मृदा है और खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। भारत के पश्चिमी प्रांतों में काली मृदा पाई जाती है जो कि कपास, गेहूँ आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है।

भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से इसका उर्वर तत्व बह जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए अधिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा थार मरुस्थल में शुष्क मृदा और हिमालय पर पर्वतीय वन मृदा पाई जाती है।

मानचित्र 2.1 भारत में विभिन्न प्रकार के मृदा का वितरण दिखाया गया है। इस मानचित्र का अध्ययन करें और निम्नांकित प्रश्नों पर विचार करें :



मानचित्र 2.1

1. भारत में मुख्यतः कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है?
2. भारत में वन मृदा किन-किन राज्यों में पाई जाती है? वन मृदा वाले प्रदेशों की भौगोलिक बनावट कैसी है?
3. भारत में शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है? शुष्क मृदा को और किस नाम से जानते हैं?
4. छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है?
5. सबसे कम क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा का विस्तार है?



2.4 भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय

हमें भूमि अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है और इसे हमें सही हालत में आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। मानव अपने क्रियाकलापों के माध्यम से भूमि को संवर्धित कर सकता है या फिर उसे क्षति पहुँचा सकता है। किसी भूमि की गुणवत्ता को हम किस तरह से आँक सकते हैं? भूमि किस हद तक जीव जन्तुओं को पनपने में मदद करती है और कितने टिकाऊपन के साथ मदद कर सकती है, उससे उसकी गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। यह क्षमता धरती के अलग-अलग जगहों पर अलग अलग होगी। मरुस्थल और सदाबहार वन के क्षेत्र में भूमि की यह क्षमता एक जैसी तो नहीं होगी लेकिन जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है तो हम उसे भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बाढ़ के कारण किसी खेत पर रेत बिछ जाए और वह कृषि या चराई योग्य नहीं रहे तो हम उसे निम्नीकृत ज़मीन कहेंगे। उस ज़मीन पर पौधे व अन्य जीव जन्तु व मनुष्य को पोषण अब पहले जैसे नहीं मिल पाएगा।

मानव कार्यकलापों के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। मानव विभिन्न प्रकार से भूमि के निम्नीकरण का कारण बनता है। अक्सर सूखे या ढलुआ प्रदेश की भूमि पर जब हल चलाकर खेती की जाती है तो वहाँ की महीन मिट्टी हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है और केवल मोटे कण और कंकड़ रह जाते हैं। ऐसी भूमि में कोई घास या फसल नहीं हो सकती है।

आपने राजस्थान नहर का उदाहरण पढ़ा था। रेगिस्तानी प्रदेश में नहर से सिंचाई करने से नीचे के लवण पदार्थ पानी के साथ ऊपर उठकर मिट्टी की सतह पर जम जाते हैं, जिससे उस मिट्टी पर पौधे नहीं उग पाते हैं। यह भी भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि के कारण भूमि दलदल बन रहा है और मिट्टी का लवणीकरण हो रहा है।

गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सूखे इलाकों में अत्यधिक चराई, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि की क्षमता से अधिक पशुओं की चराई से न केवल घास का आवरण और पौधे नष्ट हो जाते हैं, बल्कि ऊपरी परत की मिट्टी भी हवा के साथ उड़ जाती है।

ओपन कास्ट उत्खनन से भूमि की ऊपरी परत को हटाकर नीचे बड़े गड्ढे खोदकर खनिज निकाला जाता है। उसके बाद वहाँ की ज़मीन किसी उपयोग लायक नहीं रह जाती है। यह भी भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है। खनन के बाद खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडीशा जैसे राज्यों में खनन वन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है।

सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में खड़िया मिट्टी और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल घुल जाती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा

की जल सोखने की प्रक्रिया रुक जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है।

विभिन्न गणनाओं के अनुसार इस समय भारत में लगभग 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28 प्रतिशत भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है 56 प्रतिशत क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। छत्तीसगढ़ में लगभग 47,84,000 हेक्टेयर भूमि, राज्य की कुल भूमि का 35 प्रतिशत निम्नीकरण से प्रभावित है। यह मुख्य रूप से पानी द्वारा क्षरण और भूमि की अम्लीयता के कारण है। अम्लीयता भूमि क्षरण के कारण होता है और यह फसलों को प्रभावित करता है। अम्लीयता को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जा सकता है। दुर्ग, जांजगीर, कोरबा और रायपुर जिलों में उत्खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है।

भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चरागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। जो भूमि कृषि योग्य नहीं है, वहाँ जंगल लगाना या चरागाह विकसित करना उचित होगा। इसी तरह सिंचाई को भूमि की क्षमता के अनुरूप रखकर दलदलीकरण और लवणीकरण जैसी समस्याओं से बचा सकता है।

2.4.1 भूमि निम्नीकरण और गरीबी

देश के सबसे गरीब समुदाय निम्नीकृत भूमि पर आश्रित हैं। वे या तो गरीब पशुपालक हैं या फिर निम्न गुणवत्ता वाली भूमि पर खेती करने वाले गरीब व सीमान्त किसान व आदिवासी हैं। अन्य किसी आजीविका के संसाधन के अभाव में वे इस निम्न भूमि का और दोहन करने पर मजबूर हो जाते हैं जिसके कारण निम्नीकरण और तेज़ हो जाता है। अक्सर गरीबी के कारण ये समुदाय ज़मीन के संवर्धन के लिए उचित उपाय भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह गरीबी और भूमि निम्नीकरण एक दूसरे के कारण बनकर एक कुचक्र स्थापित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इन प्रदेशों में भूमि संवर्धन का जिम्मा सरकार उठाए और गरीबों की आजीविका और भूमि की गुणवत्ता की रक्षा करे।

गरीब लोग भूमि निम्नीकरण के शिकार हैं या वे उसके कारण हैं?

गरीबी दूर करने के लिए भूमि संवर्धन किस हद तक कारगर हो सकता है?

2.4.2 भूमि प्रबंधन



भूमि एक स्थिर संसाधन है किंतु जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। हमारी आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं। हमारी जीवन शैली बदल रही है। नगरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। इन सबका असर भूमि पर स्पष्ट रूप से पड़ता दिख रहा है। लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं जिस कारण नगरों का बेतरतीब विस्तार हो रहा है। कल तक जो खेत फसल से लहलहाते थे आज उनमें इमारतें निर्मित हो चुकी हैं। जिस भूमि में वनों का विस्तार था उस पर कृषि, उत्खनन आदि हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हम भूमि का प्रबंधन कर उचित तरीके से उपयोग करें। भूमि के प्रबंधन के लिए निम्नांकित तरीके अपनाए जा सकते हैं।



चित्र: 2.2 मिट्टी का कटाव

- 1. नगर एवं गाँव का नियोजित विकास:** नगरों एवं गाँवों का विस्तार बेतरतीब ढंग से कृषि भूमि का अतिक्रमण कर रहा है। जबकि नगरों के बीच में भी खाली ज़मीन उपलब्ध होती है। यदि नगरों एवं गाँवों का नियोजित विकास हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।
- 2. बंजर भूमि का उपयोग:** बंजर भूमि का उपयोग दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो इस पर अकृषि कार्य किया जा सकता है जैसे उद्योग, आवासीय उद्योग और दूसरा इसका विकास कर इसे चराई अथवा कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे एक तो कृषि भूमि का विस्तार होगा एवं दूसरा बेकार भूमि का उपयोग हो सकेगा।
- 3. परती भूमि का उपयोग:** परती भूमि खास करके जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए छोड़ी जाती है उसका उपयोग कृषि या बागवानी के लिए किया जा सकता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- 4. वन संरक्षण एवं वन रोपण:** वन एक ऐसा संसाधन है जिसका दीर्घकाल में नवीकरण किया जा सकता है। अतः इसका व्यवस्थित उपयोग किया जाना बेहतर होगा। वनों से पुरानी वृक्षों का उतनी ही मात्रा में काटा जाए जितना लगाना संभव हो सके। भारत के 23 प्रतिशत भू-भाग पर वन हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए इसमें विस्तार किया जाना चाहिए।
- 5. मृदा क्षरण का रोकथाम:** अपरदन या कटाव, कचरा जमाव, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के उपयोग इत्यादि के कारणों से मृदा का क्षरण हो रहा है जिससे मृदा की उत्पादकता एवं कृषि भूमि में कमी होती है। मृदा क्षरण की रोकथाम कर इसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।
- 6. घर के आस पास की भूमि का उपयोग:** गाँव या मुहल्ले में घरों के आस पास काफी खाली ज़मीन होती है। इस भूमि पर मौसमी फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं। लोग घर के आस पास की भूमि का भी उपयोग इस प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए कर सकते हैं।

अभ्यास

निम्नांकित प्रश्नों के चार विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर को चुनिए।

1. आप प्रतिदिन भोजन करते हैं। इस भोजन का अधिकांश भाग किस भूमि से प्राप्त होता है?
(क) कृषि भूमि (ख) वन भूमि (ग) बंजर भूमि (घ) परती भूमि
2. मृदा की कौनसी परत कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है?
(क) C और R (ख) C और B (ग) O और A (घ) A और B
3. अपरदन एवं कीटनाशक के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुकसान होता है?
(क) जैविक परत (ख) खनिज परत (ग) आधारी परत (घ) उपर्युक्त सभी परत
4. किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना ठीक है?
(क) वन भूमि (ख) कृषि भूमि (ग) उपवन भूमि (घ) बंजर भूमि
5. भूमि का प्रबंधन करना....
(क) आवश्यक है। (ख) आवश्यक नहीं है।
(ग) कभी-कभी आवश्यक है। (घ) इसमें से कोई नहीं।

निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

6. मिट्टी नहीं होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
7. कृषि भूमि के कम होने से क्या होगा?
8. वर्तमान और पुरानी परती भूमि में क्या अंतर है?
9. भूमि के निम्नीकरण के क्या मानवीय कारक हैं?
10. निम्नांकित तालिका में कुछ नाम दिए गए हैं। उनके द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है इसे तालिका में भरें।

क्र.	व्यक्ति	मिट्टी का उपयोग
1	कुम्हार	
2	किसान	
3	मूर्तिकार	
4	उद्योगपति	
5	गाँव की महिला	

11. निम्नांकित आँकड़ों का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें –

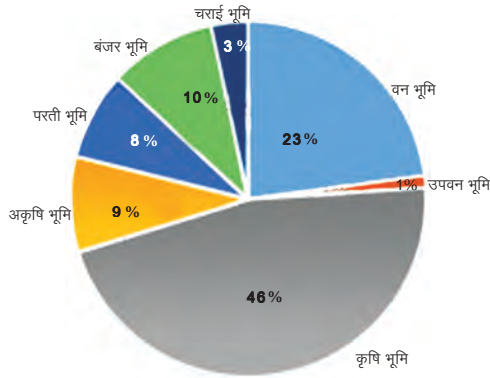
भारत में भूमि उपयोग

भूमि उपयोग	1950-51		1970-71		1990-91		2010-11	
	लाख हेक्टेयर में	प्रतिशत में	लाख हेक्टेयर में	प्रतिशत में	लाख हेक्टेयर में	प्रतिशत में	लाख हेक्टेयर में	प्रतिशत में
वन भूमि	405	14	639	22	678	22	700	23
उपवन भूमि	199	7	43	1	38	1	33	1
कृषि भूमि	1187	42	1403	48	1430	47	1416	46
अकृषि भूमि	112	4	165	6	211	7	265	9
परती भूमि	281	10	199	7	234	8	246	8
बंजर भूमि	592	21	357	12	344	11	297	10
चराई भूमि	67	2	133	5	114	4	103	3
कुल उपयोग	2843	100	2938	100	3049	100	3060	100
आँकड़े नहीं	444		349		238		227	
कुल क्षेत्रफल	3287		3287		3287		3287	

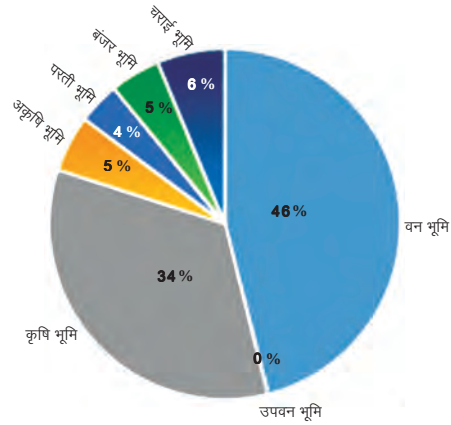
क. किस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल दिए गए सभी वर्षों में कम हो रहा है?

ख. किस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल दिए गए सभी वर्षों में अधिक हो रहा है?

- ग. अकृषि भूमि का क्षेत्रफल क्यों बढ़ रहा है?
- घ. क्या भारत की कुल भूमि के आँकड़े उपलब्ध हैं? इसमें 1950-51 से 2010-11 में क्या अंतर आया है?
12. निम्नांकित वृत्त चार्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ के भूमि उपयोग (2011) प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और संलग्न प्रश्नों का उत्तर दें।



भूमि उपयोग भारत 2010-11



भूमि उपयोग: छत्तीसगढ़

- क. संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है और किस का कम है?
- ख. किस प्रकार की भूमि संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में आधी है?
- ग. किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दुगुनी है?
- घ. छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है?





कृषि

हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों वर्ष पहले चयन की गई फसलों का उत्पादन आज भी हम कर रहे हैं। प्रारम्भ में फसल उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जा रहा था। कालांतर में मनुष्य कपास, जूट आदि फसलों की भी खेती करने लगा। समय बीतने के साथ कृषि न केवल जीवन निर्वहन बल्कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी की जाने लगी। आज फसल उत्पादन लगभग एक व्यवसाय बन चुका है। इस कारण किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिसमें अधिक लाभ मिल सके। फसल उत्पादन के इस व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं मानव की बढ़ती आवश्यकता ने फसल उत्पादन के प्रतिरूप में काफी बदलाव किया है। यह बदलाव फसल उत्पादन के स्थान एवं समय दोनों स्तरों पर देखा जाता है।



चित्र : 3.1 आधुनिक कृषि



भारत में फसल ऋतु

कृषि की विशेषता ऐसी है कि कहीं पूरे साल खेती की जा सकती है तो कहीं केवल वर्षा ऋतु में। हमें पता है कि भारत में सालभर एक जैसी जलवायु नहीं होती। इस कारण यहाँ सालभर एक जैसी फसल नहीं उगाई जाती। इसके उदाहरण भारत के विभिन्न भागों में उपलब्ध हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के सिंचित क्षेत्रों में बारिश में धान, ठंड में गेहूँ या सब्जियाँ तथा गर्मी के मौसम में सब्जियों की खेती की जाती है। वर्ष के विभिन्न मौसम में फसल की किस्में बदल जाती हैं। भारत में वर्ष को फसलों के उत्पादन की दृष्टि से तीन ऋतुओं में विभाजित किया गया है। इन तीनों ऋतुओं में भारत में उगाए जाने वाली फसलों में भिन्नता है। इस कारण तीनों ऋतुओं में भारत में अलग फसल देखने को मिलती हैं, जो अग्रांकित हैं।

1. खरीफ : इस ऋतु का आरम्भ मानसून के आगमन के साथ ही हो जाता है। मानसूनी वर्षा लगभग पूरे भारत में होती है। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में देश के लगभग पूरे कृषि भूमि पर खेती की जाती है। इस ऋतु में मुख्यतः अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वाली फसलें उपजाई जाती हैं। इस मौसम की मुख्य फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, महुआ, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन आदि हैं।

2. रबी : खरीफ समाप्त होते ही रबी की खेती शुरू हो जाती है जो पूरे शीत ऋतु तक चलती है। इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के कम हो जाने के कारण कृषि सिंचित अथवा नमी वाले प्रदेशों में ही की जाती है। इस ऋतु में बोई गई भूमि का रकबा खरीफ की तुलना में बहुत कम हो जाता है। इस ऋतु में शीत बर्दाश्त करने वाली फसलें बोई जाती हैं। रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, तोरिया, सरसों, अलसी, मसूर, चना आदि हैं। शीतकाल में जहाँ कुछ वर्षा होती है या सिंचाई द्वारा पानी की उपलब्धता अधिक है वहाँ धान की फसल भी ली जाती है। उदाहरण के लिए इस काल में पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती है।

3. जायद : शीत ऋतु के बाद इस ऋतु का आगमन होता है। इसे गरमा कृषि भी कहते हैं। इस मौसम में वर्षा नहीं होती है। इसलिए इस समय केवल उन्हीं भागों में खेती की जाती है जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इस मौसम में बोया गया क्षेत्र और भी संकुचित हो जाता है। आमतौर पर इस मौसम में नदियों के किनारे, झील के निकट निम्न मैदानों के सिंचाई सुविधायुक्त भागों तक ही फसल का क्षेत्र सीमित हो जाता है। अधिकांश भूमि पड़ती पड़ी रहती है। यह मौसम ग्रीष्म काल की फसलों का है। इसमें उच्च तापमान सहने वाली फसलों का उत्पादन होता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियाँ आदि हैं। इस मौसम में सिंचाई आधारित धान की भी खेती की जाती है जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में देखी जा सकती है।

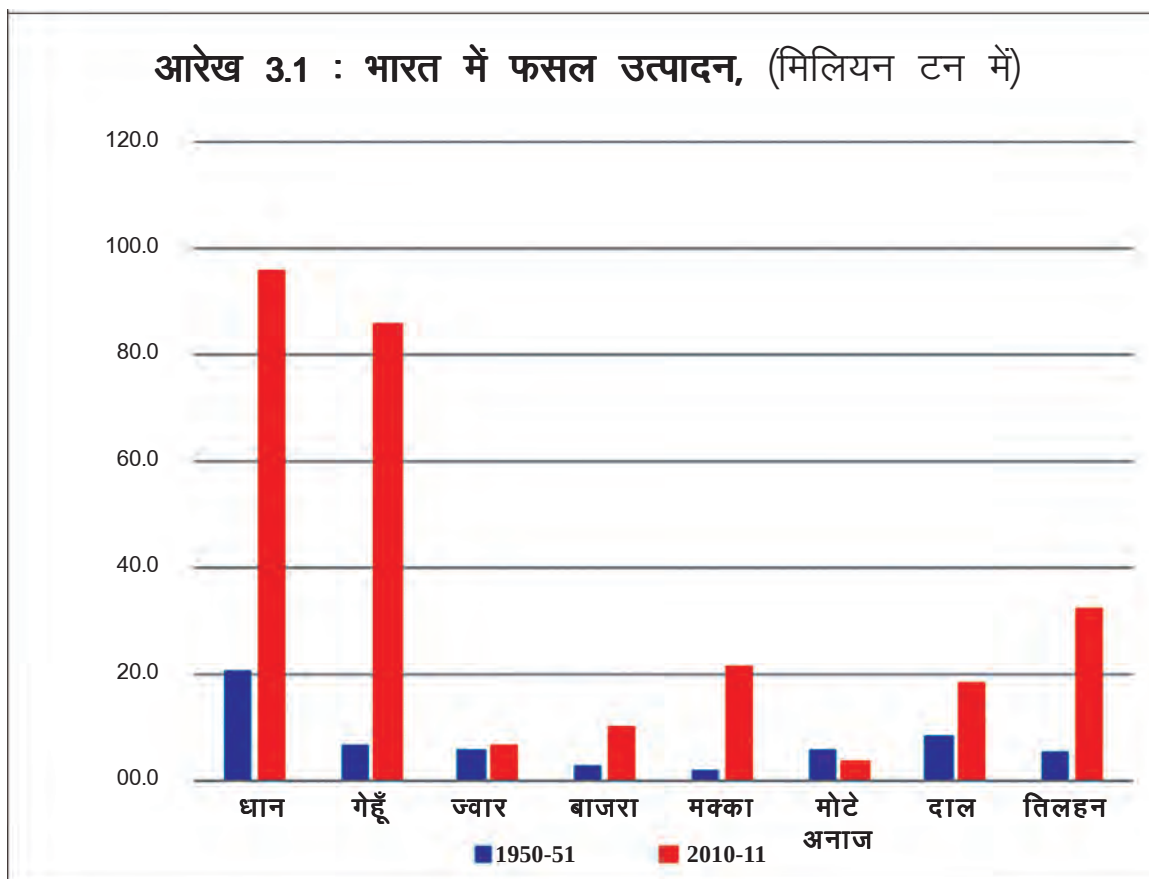
आपके आस-पास फसल उत्पादन में ऋतुवार भिन्नता किस प्रकार होती है? तालिका बनाकर प्रस्तुत करें।

आपके आस-पास कौन-कौन सी फसलें एक से अधिक मौसम में उपजाई जाती है?

आपके आस-पास सिंचाई के क्या-क्या साधन उपलब्ध हैं? एक रिपोर्ट बनाइए।

भारत में फसल उत्पादन

फसल उत्पादन का अर्थ कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा से है। विगत साठ वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में अनाज का कुल उत्पादन 1950-51 में 51 मिलियन टन था जो 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन टन हो गया है। अनाज के उत्पादन में विगत 60 वर्षों में पाँच गुना वृद्धि हुई है। इसी काल में जनसंख्या में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई है। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। देश में 1950-51 में दाल का उत्पादन 8 मिलियन टन था जो 2010-11 में 18 मिलियन टन हो गया। इस काल में दाल के उत्पादन में लगभग दो गुना वृद्धि हुई। देश में 1950-51 में तिलहन का उत्पादन 5 मिलियन टन था जो 2010-11 में 32 मिलियन टन हो गया। यह पहले से छः गुना अधिक है। इस प्रकार देश में दाल के उत्पादन में कम वृद्धि हुई।



Source: Agricultural Statistics at a glance, Directorate of Economics & Statistics

सभी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि एक समान नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इस बात को समझ सकते हैं।

अनाज में सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि गेहूँ में दर्ज की गई है। देश में 1950-51 में गेहूँ का उत्पादन..... मिलियन टन था तथा 2010-11 में मिलियन टन हो गया। विगत साठ वर्षों में इसके उत्पादन में गुना से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार मक्का के उत्पादन में 2 मिलियन टन से मिलियन टन हो गया। अर्थात् विगत साठ वर्ष में इसमें गुना से अधिक वृद्धि हुई। धान के उत्पादन में गुना वृद्धि हुई। इसके विपरीत मोटे अनाजों के उत्पादन में आ गई। 1950-51 में देश में 6 मिलियन टन मोटे अनाजों

तालिका 3.1 : भारत में अनाज उत्पादन

फसल	1950-51 उत्पादन मिलियन टन	2010-11 उत्पादन मिलियन टन
धान	21	96
गेहूँ	6	86
ज्वार	6	7
बाजरा	3	10
मक्का	2	21
मोटे अनाज	6	3
दाल	8	18
तिलहन	5	32

का उत्पादन हुआ जो वर्ष में कम होकर मिलियन टन हो गया है।

इस प्रकार जहाँ धान, गेहूँ, मक्का के उत्पादन में वृद्धि हुई किन्तु में कम वृद्धि हुई है और मोटे के उत्पादन में कमी दर्ज की गई।

किन फसलों के उत्पादन में तीन गुना से अधिक एवं किन फसलों के उत्पादन में तीन गुना से कम वृद्धि हुई है? तालिका देखकर सूची बनाएँ।

उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है?

मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं? कक्षा में चर्चा करें।

विगत साठ वर्षों में भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण होते हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. निरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि
2. सिंचित भूमि में वृद्धि
3. उत्पादकता में वृद्धि

निरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि : बोए गए क्षेत्र का आशय उस भूमि से है जिस पर फसल बोई जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है। इस निश्चित भूमि के अलग-अलग उपयोग हैं। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि कृषि भूमि का विस्तार करना हो तो जंगलों को साफ करना होगा। साठ वर्ष के आंकड़ों में हम कृषि भूमि में विस्तार देखते हैं। कृषि भूमि में यह विस्तार 1950 के दशक में ही हुआ है। इसके बाद विगत लम्बे समय से यह स्थिर अवस्था में है। थोड़ा बहुत फर्क परती भूमि के कारण एवं कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण आता है।

तालिका 3.2 भारत में निरा बोया गया क्षेत्र

वर्ष	निरा बोया गया क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)
1950—51	119
1990—91	143
2000—01	141
2010—11	142

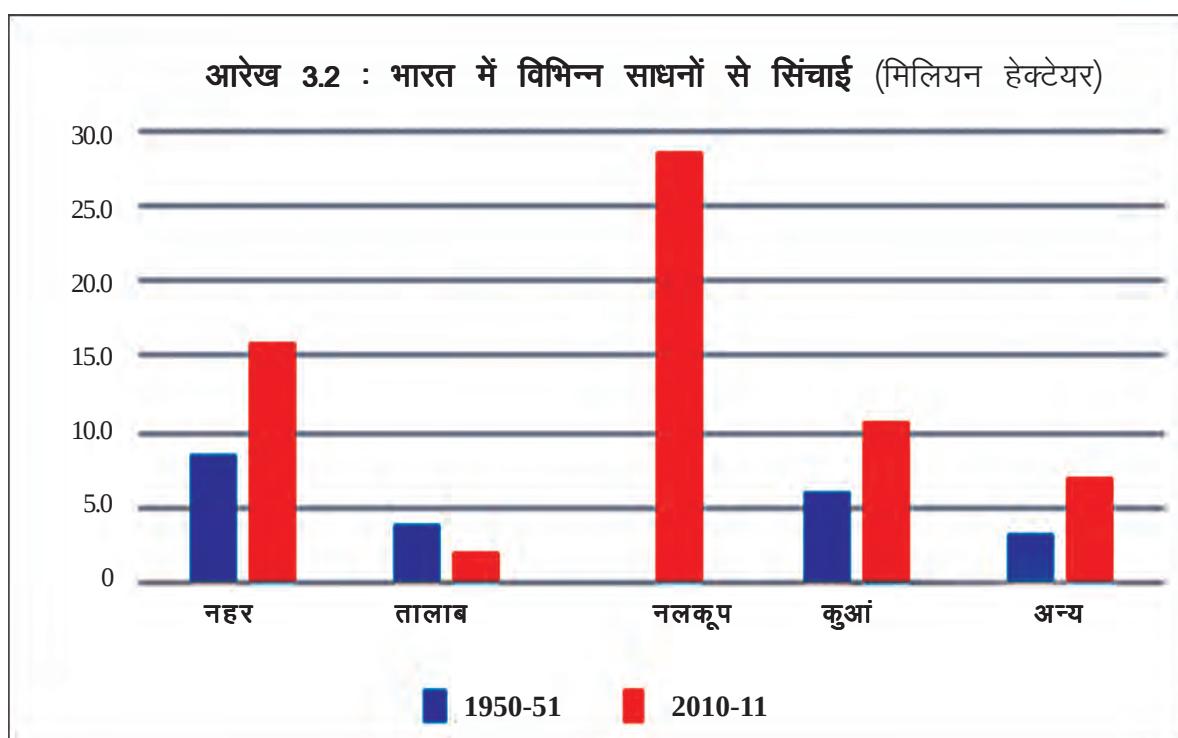
(निरा बोया गया क्षेत्र का अर्थ है = उस वर्ष के दौरान सभी फसलों के लिए बोया गया क्षेत्र — वह क्षेत्र जो उस वर्ष के दौरान एक से अधिक बार बोया गया हो।)

निरा बोया हुआ क्षेत्र एक उदाहरण देकर समझाएँ।

क्या भारत में कुल बोया गया क्षेत्र का विस्तार संभव है?

क्या वन भूमि को नष्ट कर कृषि भूमि का विस्तार किया जाना सही है? शिक्षक बच्चों से चर्चा करें।

सिंचित भूमि में वृद्धि : जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कृषि हेतु भूमि का विस्तार नहीं कर सकते। किन्तु इसके उपयोग की बारम्बारता में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई की सुविधाएँ यही करती हैं। कृषि के लिए एक प्रमुख आवश्यक कारक पानी है, वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है जिससे अधिकांश भागों में कृषि की जाती है लेकिन बारिश के मौसम के बाद पानी के अभाव में अधिकांश भूमि परती पड़ी रहती है। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया। इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कृषि सम्भव हो पाई। 1950-51 में देश में कुल 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। 2010-11 में इसमें तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई और यह 64 मिलियन हेक्टेयर हो गई। इसमें से कुछ भूमि ऐसी भी है जिस पर दो बार सिंचाई की सुविधा सम्भव है। यदि इस कुल कृषि भूमि को प्रतिशत में देखें तो 1950-51 में देश में 16 प्रतिशत भूमि सिंचित थी, 2010-11 में इसमें लगभग तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई और यह 45 प्रतिशत हो गई।



Source: Pocket Book on Agricultural Statistics, Directorate of Economics & Statistics

आलेख के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें :-

1950-51 में किन साधनों की सहायता से भूमि पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी?

2010-11 में किन साधनों की सहायता से सर्वाधिक सिंचाई की जा रही है?

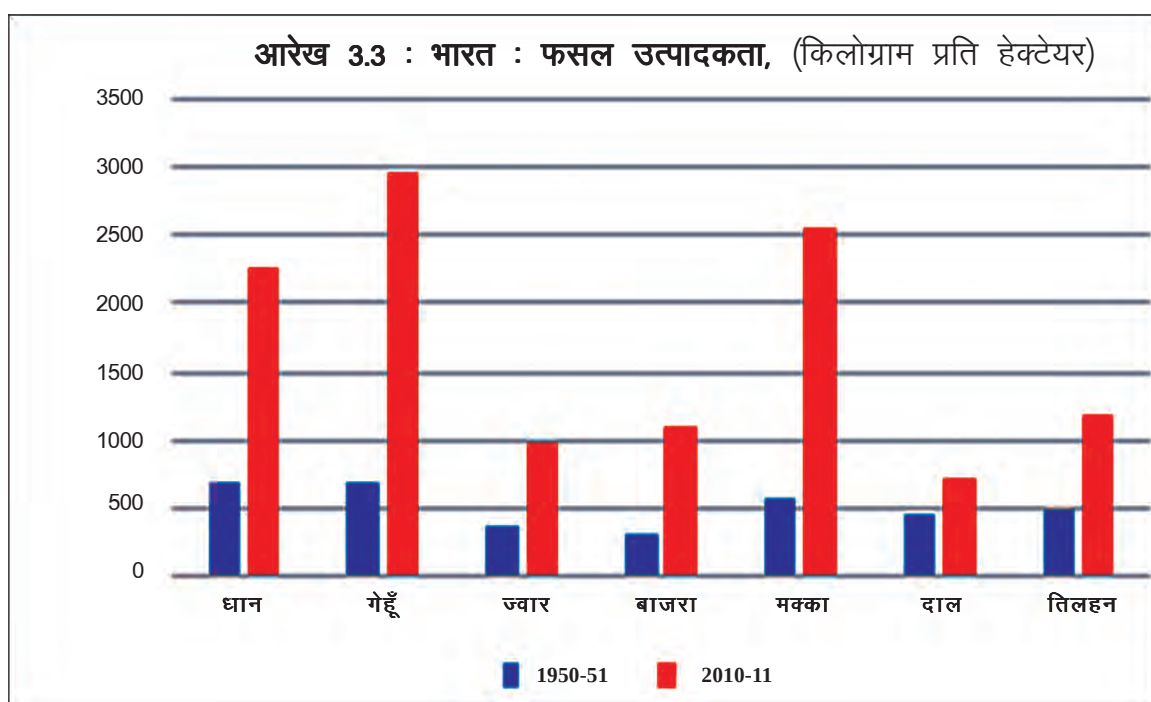
अपने गाँव के पटवारी से पता करें कि आपके गाँव की कितनी प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है?

सिंचाई की सुविधा के विस्तार से उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा तथा एक ही खेत में रबी एवं जायद मौसमों में उत्पादनों का विस्तार किया गया। इसके लिए पानी की आवश्यकता थी।

पानी की यह आवश्यकता बाँध एवं भूमिगत जल से पूरी की जा रही है। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से इसका स्तर नीचे जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा में भूमिगत जल स्तर 4 से 6 मीटर नीचे चला गया।

इससे कई नलकूप सूख गए। इस प्रकार भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे नलकूप सूख जाएँगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उतने ही जल का उपयोग करें जितने का रिचार्ज सम्भव हो सके।

उत्पादकता में वृद्धि : उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से है। ऊपर हमने देखा कि भूमि की मात्रा निश्चित है। इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। इस कारण मानव ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया और उसमें एक सीमा तक सफल भी रहा। उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूँ एवं मक्का की फसल में दर्ज की गई। देश में 1950-51 में गेहूँ की उत्पादकता 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी जो 2010-11 में बढ़कर 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसी काल में मक्का की उत्पादकता 547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2540 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसके विपरीत दाल की उत्पादकता में गेहूँ और मक्का की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई। देश में 1950-51 में दाल की उत्पादकता 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी जो 2010-11 में बढ़कर 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई।



Source: Directorate of Economics and Statistics

उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपाय अपनाए गए। इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग किया गया। पहले पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। इन बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज तैयार किए गए। पारंपरिक बीजों की तुलना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों और उर्वरकों को माना जाता है। रासायनिक उर्वरक उत्पादकता में तात्कालिक वृद्धि का माध्यम है। 1965-66 में भारत में मात्र 7.6 लाख टन उर्वरकों का उपयोग किया गया था जो 2001-02 में बढ़कर 174 लाख टन हो गया।

उत्पादन में वृद्धि के चलते रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के दीर्घकालिक दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप भूमि की उत्पादक क्षमता में कमी

आ रही है और खेत बंजर बनते जा रहे हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग पंजाब में किया गया इसलिए सर्वाधिक दुष्परिणाम भी वहीं नजर आ रहे हैं। हमारे खान-पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं जिनसे कई बीमारियाँ फैल रही हैं। इस अँधेरे रास्ते से निकलने के लिए उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के विकल्प ढूँढ़ने की ज़रूरत है।

उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक काफी महँगे होते हैं। इन कारणों से उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई। भारत में अधिकांश सीमांत किसान हैं जो कि महँगी उत्पादन लागत वहन करने में अक्षम हैं। यदि किसान महँगी उत्पादन लागत के द्वारा भी फसल उत्पादन में निवेश करते हैं और किसी प्राकृतिक प्रकोप, कीट आदि से फसल नष्ट हो जाए तो किसान के पास कुछ नहीं बचता है। यदि फसल का उत्पादन हो भी जाए और फसल का उचित मूल्य बाज़ार से प्राप्त न हो तो भी किसान को नुकसान उठाना पड़ता है।

उत्पादकता में वृद्धि का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

किस फसल की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई और किस फसल की उत्पादकता में सबसे कम वृद्धि हुई?

आधुनिक खेती के क्या-क्या दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं?

क्या जैविक खेती के तरीकों को अपनाए जाने से आधुनिक खेती के विकल्प प्राप्त किए जा सकते हैं? चर्चा करें।

किसान को फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सके इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, चर्चा करें।



फसल प्रतिरूप में बदलाव : सांकरा गाँव की कहानी

किसी भी क्षेत्र में फसल प्रतिरूप में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं इसे समझने के लिए हम सांकरा गाँव की कहानी को पढ़ते हैं — यँ तो छत्तीसगढ़ में कई सांकरा नाम के स्थान हैं किन्तु यह सांकरा धमतरी ज़िले के नगरी तहसील का एक प्रमुख गाँव है। धमतरी ज़िले का यह एक बड़ा गाँव है। गाँव के लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं किन्तु अधिकांश लोगों का जुड़ाव कृषि से है। यहाँ की प्रमुख फसल धान है। पहले किसान धान की खेती खरीफ मौसम में करते थे जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती थी। खरीफ के बाद रबी में चना, खेसारी (लाखड़ी), गेहूँ, अलसी आदि फसल उपजाते थे। रबी की फसल अपेक्षाकृत कम क्षेत्र पर बोई जाती थी। किन्तु लगभग 25 वर्ष पहले सौंदुर जलाशय से नहर द्वारा किसानों के खेत तक पानी दिया गया। इससे किसानों को

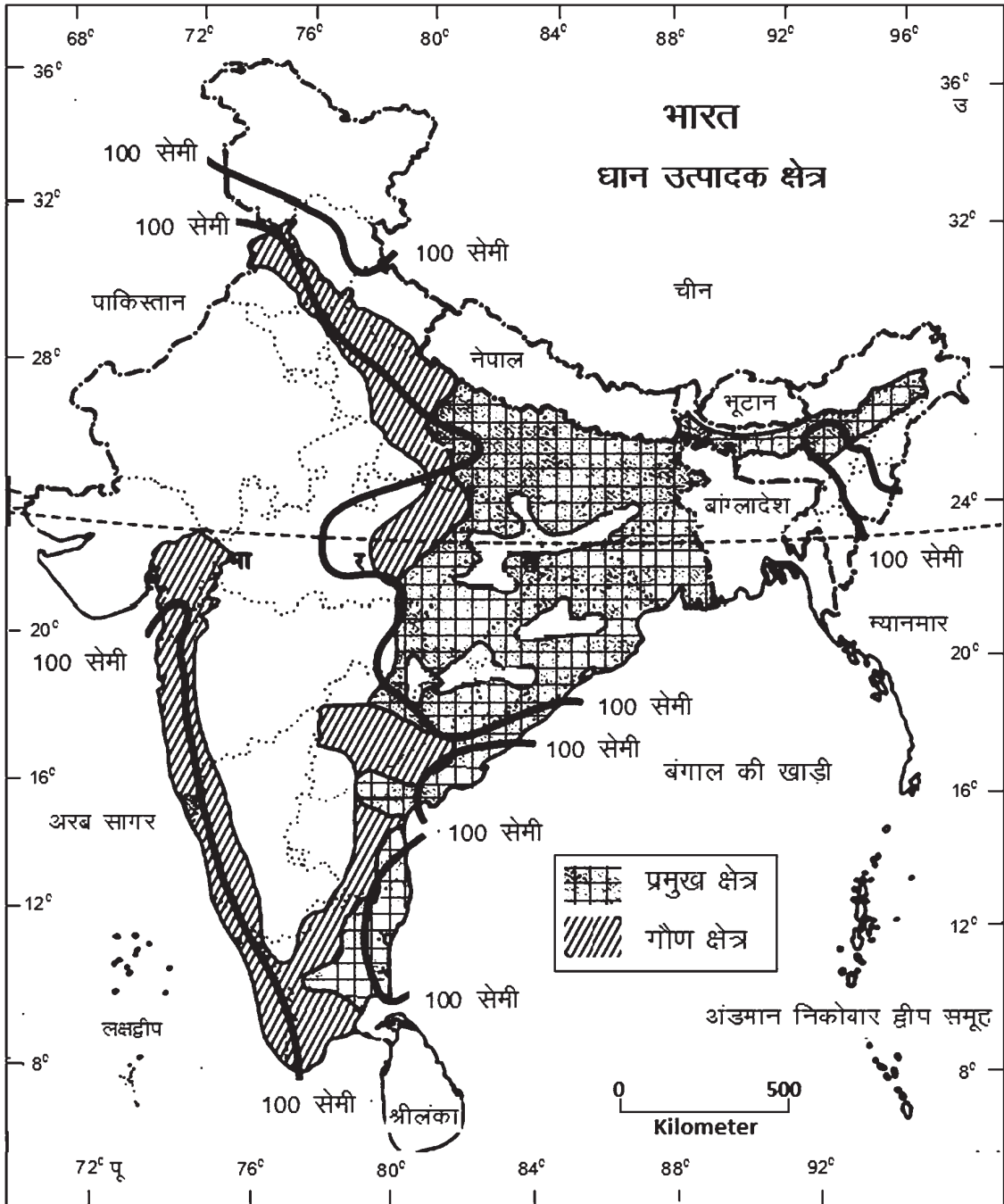


चित्र : 3.2 रबी मौसम की एक फसल

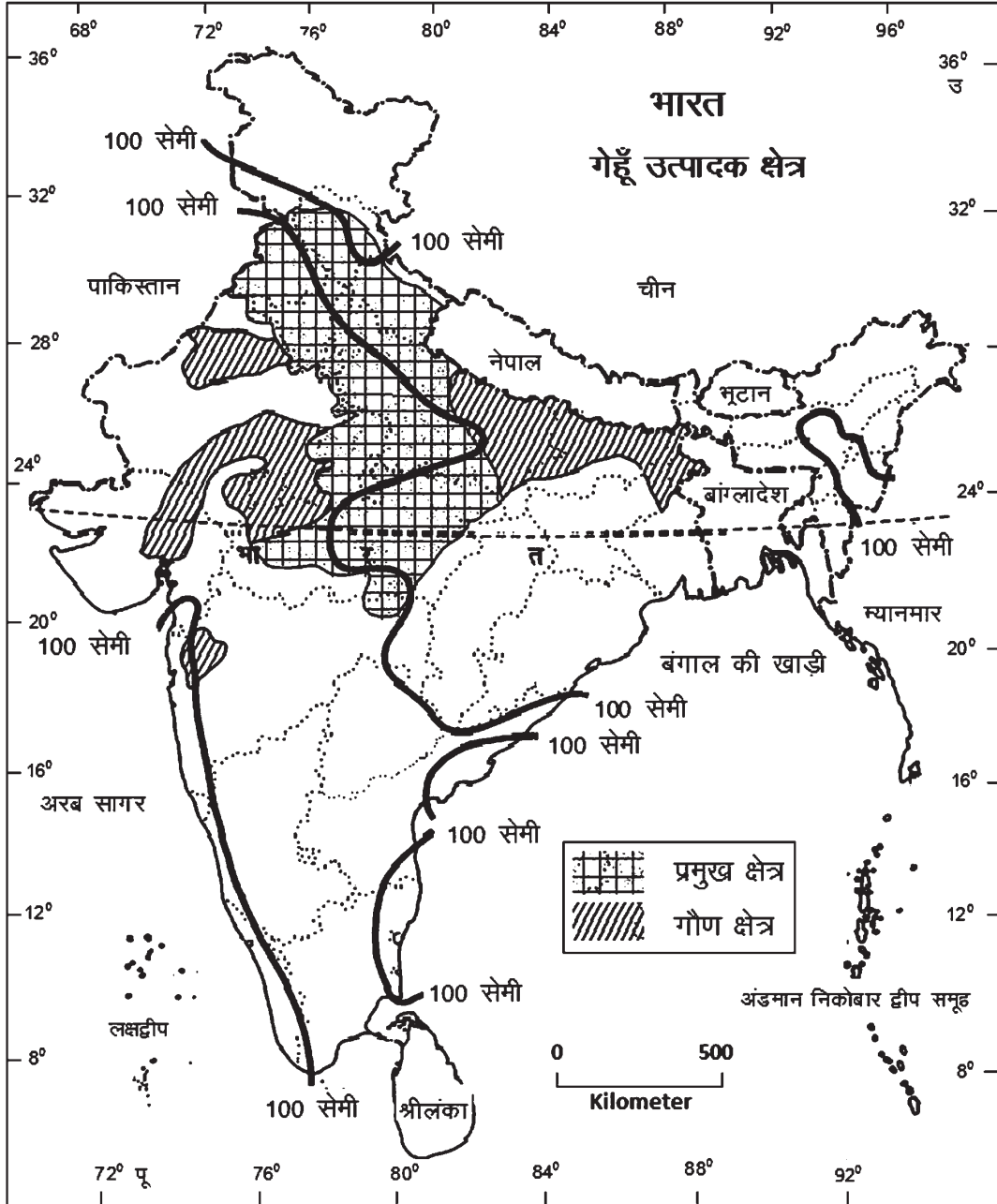
फसल प्रतिरूप के कुछ उदाहरण

आगे मानचित्रों 1-2 में भारत में धान एवं गेहूँ उत्पादक क्षेत्र प्रदर्शित हैं इन दोनों मानचित्र के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों को हल करें।

1. धान का उत्पादन किन-किन प्रदेशों में प्रमुख रूप से होता है?
2. गेहूँ का उत्पादन किन-किन प्रदेशों में होता है?



3. राजस्थान में धान एवं तमिलनाडु में गेहूँ का उत्पादन क्यों नहीं होता है? शिक्षक से चर्चा करें।
4. क्या धान और गेहूँ उत्पादन के प्रदेशों में आपको भिन्नता दिखाई दे रही है? इसके कारणों को जानने के लिए शिक्षक से चर्चा करें।



अब खरीफ मौसम में भी वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता है। नहर के पानी से सिंचाई कर धान का उत्पादन करते हैं। खरीफ के अलावा रबी मौसम में भी किसानों को खेतों में भरपूर पानी दिया गया। यह पानी एक साथ दिया जाता है जिससे सभी खेतों में पानी की इतनी मात्रा हो जाती है कि वहाँ आसानी से धान की उपज हो सकती है। किन्तु कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चना, खेसारी (लाखड़ी),



गेहूँ, अलसी आदि नहीं हो सकती है। शासन के द्वारा किसानों को न केवल पानी उपलब्ध कराया गया बल्कि धान की खरीदी की व्यवस्था भी की गई। इससे किसान धान की खेती की ओर प्रोत्साहित हुए और रबी फसलों में भी कई किसानों ने गेहूँ, चना, अलसी, खेसारी आदि की खेती छोड़ दी। इससे प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ा और चना, अलसी, लाखड़ी आदि फसलों का उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार शासन के द्वारा उठाए गए कदम से गाँव के फसल प्रतिरूप में बदलाव आया है।

किन्तु आज यहाँ के किसान भी कुछ समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनका कहना है कि अब वे रबी मौसम में चना, खेसारी (लाखड़ी), गेहूँ, अलसी आदि की खेती चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खेतों में एक साथ पानी बहा दिया जाता है जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही सम्भव है। किसान अब खेतों में एक ही प्रकार की फसल धान बार-बार लगा रहे हैं। इससे खेतों की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। पहले वे एक धान की फसल बोते थे और दूसरी चना, लाखड़ी अलसी आदि की फसल बोते थे जिससे भूमि की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। चना, खेसारी आदि दलहन वर्ग की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को संवर्द्धित करने में सहायक होती हैं। आज खरीफ और रबी मौसम में धान बो रहे हैं जिससे उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है। पहले खेतों में मछलियाँ होती थी जो उनके भोजन का हिस्सा हुआ करती थी। लोग खेतों से मछलियाँ पकड़कर उसे सुखाकर उसका सेवन लम्बे समय तक करते थे। लेकिन आज खेतों से मछलियाँ तो क्या, केंचुए भी गायब हो गए हैं। गाँव के लोगों का मानना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों ने सभी मछलियों को नष्ट कर दिया। अब उन्हें बाजार से बड़ी मछलियाँ खरीद कर खाना पड़ता है जो सबकी पहुँच में नहीं है। किसानों का यह अनुभव है कि अब वे खेत पर बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के खेती नहीं कर सकते हैं किन्तु पहले ऐसा नहीं था। वे गोबर की खाद की सहायता से खेती करते थे और उसमें कीटाणु नहीं लगते थे। अर्थात् अब किसानों की दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ गई है। उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि दुकानों से ही खरीदना पड़ता है।

आपके आस-पास वह कौन सी फसल है जो 15-20 वर्ष पहले बोई जाती थी किन्तु अब नहीं बोई जाती है? इसके क्या कारण हैं? तालिका बनाकर प्रस्तुत करें।

सांकरा गाँव में चना, खेसारी (लाखड़ी), गेहूँ, अलसी आदि रबी फसलों के उत्पादन क्यों बन्द हो गई?

सांकरा गाँव में फसल प्रतिरूप के बदलाव से क्या प्रभाव पड़े – आय, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि उर्वरक क्षमता इन बातों को ध्यान में रखते हुए समझाएँ।

भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि



भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। इसका मुख्य उद्देश्य है, व्यापार अवरोधकों को कम करना जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान-प्रदान या व्यापार हो सके। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जो अग्रांकित हैं।

विकसित देशों की सरकारों द्वारा अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जाता है। उदाहरण के लिए चावल उत्पादन में अमेरिका 47 प्रतिशत, यूरोपीय समुदाय 48 प्रतिशत एवं जापान 89 प्रतिशत सहायता देता है। इसी प्रकार गेहूँ उत्पादन में अमेरिका 47 प्रतिशत, यूरोपीय समुदाय 32 प्रतिशत एवं जापान 99 प्रतिशत सहायता देता है। विकसित देशों के द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहाँ के किसानों की फसल लागत कम या नहीं के बराबर हो जाती है। फसल लागत कम होने से विकसित देशों के कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी माँग अधिक होती है। विकासशील देश ये अनुदान नहीं दे पाते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17 प्रतिशत एवं गेहूँ उत्पादन पर 3.83 प्रतिशत कर (टैक्स) लिया जाता है। इससे इनके कृषि उत्पाद महँगे होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पिछड़ जाते हैं। विकासशील देश विकसित देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का हमेशा विरोध करते रहे हैं किन्तु विकसित देशों ने अनुदान देना बन्द नहीं किया है।

जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेरफेर कर दी जाती है ताकि उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। यह कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को जन्म दे रही है। अब अनाज एवं सब्जियों की किस्मों, उर्वरकों, कीटनाशकों, पौध पोषकों आदि द्वारा कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। अब यह उत्पादन प्रयोगशालाओं में सीमित न रहकर विशाल व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। इसमें लगभग पाँच बिलियन डालर राशि का निवेश हो गया है। इस उत्पाद में लगे फर्म चार-पाँच करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अनुसंधान पर ही खर्च कर देते हैं। पश्चिमी देशों में ऐसी तीन सौ विज्ञान आधारित फर्म इस कार्य में लगी हुई थीं, जिनको दुनिया की बहुराष्ट्रीय फर्मों, जैसे— एलाइड, साइनामिड, शेबरोन, डूपोट, सीबा—गीगी आदि ने खरीद कर एकपक्षीय एकीकरण कर लिया है। परिणाम यह हुआ है कि एक ही कंपनी यदि बीज बेचती है तो उसके लिए विशिष्ट उर्वरक एवं कीटनाशक भी बेचती है जिसके अभाव में बीज कामयाब नहीं होता। अर्थात् किसानों को बीज खरीदते समय हमेशा उसी कम्पनी से उर्वरक और कीटनाशक खरीदना पड़ता है। इस प्रकार एक देश का किसान उस विदेशी कम्पनी पर आश्रित हो जाता है। इससे विकासशील देशों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

अभ्यास :

वैकल्पिक प्रश्न

1. भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती हैं?

(क) खरीफ

(ख) रबी

(ग) जायद

(घ) सभी ऋतु में एकसमान

2. खरीफ ऋतु का आगमन होता है :-
 (क) मानसून की वापसी के साथ (ख) मानसून के आगमन के साथ
 (ग) मकर संक्रांति के बाद (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
3. लम्बे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता –
 (क) बढ़ती है। (ख) स्थिर रहती है।
 (ग) कम होती है। (घ) कभी बढ़ती है तो कभी स्थिर रहती है।
4. विगत साठ वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है?
 (क) धान (ख) ज्वार
 (ग) बाजरा (घ) गेहूँ
5. भारत में धान की खेती की जा सकती है :
 (क) केवल खरीफ में (ख) केवल रबी में
 (ग) केवल जायद में (घ) सभी मौसम में।

निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें :

1. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या-क्या किए जा सकते हैं?
2. क्या औद्योगिक व्यवस्था पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है?
3. विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव है?
4. नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं?
5. भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है?
6. कृषि नहीं होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा करें।

परियोजना कार्य

1. अपने आस पास के कृषि क्षेत्र का भ्रमण करें और निम्नांकित तालिका को भरें।

मौसम	बोई गई फसल	बोया गया क्षेत्रफल
खरीफ		
रबी		
जायद		

2. अपने पास के किसानों से मिलकर पारम्परिक बीज एवं संवर्द्धित बीज पर निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा करें :-
 बीज की प्राप्ति बीज का मूल्य
 उर्वरक की आवश्यकता कीटनाशक की आवश्यकता
 जल की आवश्यकता कृषि लागत
 उत्पादकता



खनिज संसाधन एवं औद्योगीकरण

खनिज यानी क्या?

खनिज (Mineral) की कई परिभाषाएँ हो सकती हैं। विज्ञान में हम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अजैविक ठोस खनिज यौगिक या तत्व को खनिज मानते हैं। इस तरह की परिभाषा आपने अपने विज्ञान के पाठों में पढ़ी होगी। लेकिन भूगोल और भारतीय कानून में हम खनिज को बहुत व्यापक रूप में परिभाषित करते हैं। प्रायः वे सभी चीज़ें जो प्राकृतिक हों और हमें खनन (खुदाई, ड्रिल, तालाब आदि के तल से खोदना, पत्थर काटना आदि) द्वारा प्राप्त हों, उन्हें हम खनिज मानते हैं। इनमें पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ, रेत, कोयला, धातु अयस्क, अन्य अयस्क, हीरा जैसे कीमती पत्थर, खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों शामिल हैं।

(संदर्भ: माइन्स एक्ट, 1952)

अगर हम अपने चारों ओर नज़र डालें तो पाएँगे कि हमारे दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएँ खनिजों से ही बनी हैं — हमारे घर मिट्टी, चूना, सीमेंट, लोहे की छड़ आदि से बनते हैं जो खनिज से ही बने हैं। अधिकांश धातु की चीज़ें खनिज अयस्क से बनी होती हैं। सोना, चाँदी, माणिक आदि से बने आभूषण भी खनिजों से ही बने हैं। हम ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल (केरोसिन) उपयोग करते हैं, ये सभी खनिज तेल या पेट्रोलियम के परिष्करण से बने हैं। दूसरे प्रकार के ईंधन, जैसे कोयला और गैस भी खनिज के रूप हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भूगोल की दृष्टि से जो वस्तुएँ प्राकृतिक रूप में ज़मीन के अन्दर से खनन द्वारा प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं।

खनिज संपदा भूगर्भीय प्रक्रियाओं से निर्मित होती है और पृथ्वी पर इसकी मात्रा सीमित है, इसका नवीकरण नहीं हो सकता है। हर प्रकार का खनिज कभी न कभी समाप्त हो सकता है। अतः इनका उपयोग इस तरह किया जाना है ताकि वह टिकाऊ बना रहे और हमारी अगली पीढ़ियों को भी उचित मात्रा में उपलब्ध रहे।

ज़रा विचार करें :

क्या भूजल खनिज है?

क्या नदी तट की रेत खनिज है?

क्या किसी जगह ज़मीन में गड़ा मिला आभूषणों का ज़खीरा खनिज है?

अगर धरती पर ताँबा खनिज समाप्त हो जाए तो इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका समाधान आप कैसे करेंगे?

अगर धरती पर कोयला खनिज समाप्त हो जाए तो इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस समस्या का समाधान आप किस प्रकार करेंगे।

खनिज किसके हैं?

मान लें किसी गाँव के नीचे गहराई में चूना-पत्थर का भंडार पता चला तो वह चूना-पत्थर किसका होगा, ज़मीन के मालिक का, पूरे गाँववालों का या पूरे राज्य या देश का? अलग-अलग देशों में इसके संबंध में अलग-अलग कानून हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में वह ज़मीन के मालिक का होगा जबकि जर्मनी जैसे देशों में वह केन्द्र सरकार का होगा। भारत में इस संबंध में माना गया है कि ज़मीन की गहराई में जो भी खनिज मिले वह पूरे देश का होगा और उसके उपयोग संबंधी नियम केन्द्र सरकार बनाएगी। लेकिन भारतीय कानून में कई लघु खनिज भी हैं जिनके उपयोग संबंधित नियम कानून राज्य सरकार को बनाना होता है। जो कोई खनन करता है वह सरकार से अनुमति प्राप्त करके ही करेगा और प्राप्त खनिज के लिए सरकार को रॉयल्टी शुल्क चुकाएगा और उस ज़मीन का किराया भी चुकाएगा।

संक्षेप में हर प्रकार का खनिज सार्वजनिक संपत्ति यानी सभी भारतीयों की साझी संपत्ति है जिसका उपयोग सबके हित के लिए किया जाना है। सभी लोगों की ओर से केन्द्रीय और राज्य सरकारें इनके उपयोग का संचालन करेंगी और उनसे मिलने वाली आय का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए करेंगी।

सुखासिंह की ज़मीन में धान होता था जिसे वह बेचकर पैसे कमाता था। अब उसकी ज़मीन के नीचे कोयले के भण्डार का पता चला। सुखासिंह ने सोचा कि वह उस कोयले को निकालकर बाज़ार में बेचकर पैसे कमाएगा जिस तरह वह धान के साथ करता था। क्या वह ऐसा कर सकता है, क्यों?

खनिज नीति

भारत में खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीतियाँ हमारे विकास और औद्योगिकीकरण नीति के विकास के साथ-साथ बदलती रही हैं। खनन नीति निर्माण के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करना होता है। पहला पक्ष है, राष्ट्रीय विकास और औद्योगिकीकरण में खनिजों की भूमिका। यह किसी दौर में औद्योगिक विकास की नीति से संबंधित है।

1990 से पहले विश्व भर के देश चाह रहे थे कि उसके देश के खनिज का उत्खनन और उपयोग उसी देश के लोग और वहाँ की ही कंपनियाँ करें। वे दूसरे देशों को उत्खनन में आने नहीं देना चाहते थे। लेकिन यह 1990 के बाद तेज़ी से बदलने लगा। आपको याद होगा कि वैश्वीकरण का नया दौर 1990 के दशक में शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन जैसे खनिज प्रचुर देश अपनी नीतियों को बदलने लगे ताकि खनन में निजी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा मिले, वे नई तकनीकी और पूँजी लेकर आएँ और औद्योगिक उत्पादन की बढ़ती माँग के लिए खनिज संपदा का दोहन करें। इसके साथ ही खनिजों का अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार और व्यापार अभूतपूर्व ढंग से बढ़ा और कोई भी उद्योगपति अपनी ज़रूरत के खनिज वहाँ से खरीद सकता था। वर्तमान में सरकारें अपने आपको खनन कार्य तथा खनिज भण्डार खोज से हटा रही हैं और उसे पूरी तरह निजी कंपनियों को दे रही हैं। अब सरकारें मुख्य रूप से तीन कार्य करती हैं। पहला, खनिज संपदा के बारे में वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करना और बाँटना। सरकारें अपने देश में कहाँ क्या खनिज संसाधन उपलब्ध हैं इसकी वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करती हैं और उसे सार्वजनिक करती हैं ताकि विभिन्न कंपनियाँ उनके उत्खनन के लिए आगे आएँ। दूसरा, खनन उद्योग को विनियमित या रेगुलेट करना। सरकारों का दायित्व है कि खनन कायदे कानून के तहत हों और पर्यावरण व मज़दूरों की सुरक्षा को अनदेखा न किया जाए। सरकार कंपनियों को खनिज भण्डार खोजने और उत्खनन की अनुमति देती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंपनियाँ उन शर्तों का पालन

करें। तीसरा, खनन से शुल्क या कर वसूल करना। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि खनिजों से प्राप्त आय का उचित हिस्सा सरकार को शुल्क या टैक्स के रूप में मिले जिसे वह देश के विकास कार्य में लगा सके। इसी तारतम्य में भारत में भी खनिज नीति में बदलाव होने लगा।

भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। 1993 में सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की जिसमें कहा गया कि सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित खनिज को भी अब निजी क्षेत्रों को देगी। सरकार का कहना था कि उसके पास इतनी पूँजी नहीं है कि वह पर्याप्त मात्रा में निवेश कर पाए और न ही उसके पास इस काम के लिए तकनीकी विशेषज्ञता है। इस कारण से देश खनिज उत्पादन में पिछड़ रहा है और खनिज की बढ़ती अन्तर्राष्ट्रीय माँग का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस वजह से सरकार ने निजी व विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। 1994, 1999 और 2008 में खनिज कानूनों में संशोधन किए गए ताकि निजी निवेशक और विदेशी कंपनियाँ आसानी से भारतीय खनन उद्योग में निवेश करें।

खनन के निजीकरण के कई प्रभाव पिछले 20 वर्षों में देखे गए हैं जिनका प्रभाव चिन्ताजनक है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में खनन का हिस्सा 2000 में 3 प्रतिशत था जो कि 2014 में घटकर 2.3 रह गया। इसमें जितने लोगों को रोज़गार मिला वह इन 14 वर्षों में स्थिर रहा है, यानि न आय बढ़ी है और न ही रोज़गार। दूसरी ओर यह देखा गया है कि खनन द्वारा उत्पादन बढ़ा है मगर इससे राज्य को आय कम मिल रही है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि निजी कंपनियों को बहुत कम शुल्क में उत्खनन के ठेके दिए गए।

तीसरी समस्या यह रही है कि निजी कंपनियाँ खनन के बाद खदानों को बिना किसी भरपाई के छोड़ देती हैं। कहा जाता है कि भारत में सैकड़ों बड़ी खदानें हैं जो अभी बन्द हैं और पर्यावरण के विनाश की कहानी को बयाँ कर रही हैं। खनन के साथ-साथ पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो? निजी कंपनियाँ जो केवल मुनाफा कमाने में रुचि रखती हैं पर्यावरण संरक्षण में पैसे क्यों खर्च करेंगी, उन्हें इसके लिए कैसे बाध्य किया जाए? इन बातों पर अभी चर्चा चल रही है।

भारत में खनिज उन्हीं इलाकों में पाई जाती है जहाँ जंगल अधिक हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं और जहाँ अधिकांशतः हमारे जनजाति समूह रहते हैं। खनन के कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं। एक आकलन के अनुसार 1981 से अब तक 186000 हेक्टेयर जंगल खनन के लिए कटे हैं। इसके अलावा खनन और खनिजों की धुलाई के लिए स्थानीय जल स्रोतों का भयंकर प्रदूषण होता है। पर्यावरण के इस तरह से खराब होने से वहाँ रहने वाले लोगों की आजीविका खतरे में है। कानून के अनुसार वहाँ रहने वाले जनजाति समुदाय की सहमति से ही खनन किया जा सकता है मगर अक्सर इस प्रावधान को सही तरीके से अमल नहीं किया जाता है। फलस्वरूप जनजाति समुदाय संसाधनयुक्त होने के बावजूद सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इस संबंध में आपने नियमगिरि का उदाहरण राजनीतिशास्त्र के अध्याय में पढ़ा होगा।

खदानों का दोहन खदान क्षेत्र के बंद होने के पश्चात् के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसके तहत खदान भूमि को दोहन पूर्व की स्थिति में लाना अथवा उसे अन्य उत्पादक कार्य के लिए उपयोगी बनाना (उदाहरणतः खेती इत्यादि) प्रमुख लक्ष्य हैं। सर्वप्रथम खदानी क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी (Topsoil) की परत जो खनन के पश्चात् पुनः वनीकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक है वहाँ वृक्षारोपण करना होगा। साथ ही क्षेत्र के जैव ईंधन (Biomass) को बनाए रखते हुए छोटे-छोटे क्षेत्रों में वन लगाए जाएँ जो कि खदानी क्षेत्र की पारिस्थितिकी के पुनर्वास के लिए उपयोगी हैं। खदानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को हरी घास के सुरक्षात्मक कवच द्वारा बचाया जा सकता है।

कुल मिलाकर खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीति से बढ़ते उत्पादन, स्थानीय लोगों की ज़रूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब बातों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

क्या निजी कंपनियों को उत्खनन करने देना उचित है? उससे समाज को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है? अपने विचार दें।

क्या विदेशी कंपनियों को अपने राज्य में उत्खनन करने और खनिज को निर्यात करने दिया जाए? इससे समाज को क्या लाभ और हानि हो सकती है? अपने विचार दें।

खुली खदानों से पर्यावरण को कम नुकसान हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

खनन क्षेत्र में कंपनियाँ खनन करके मुनाफा कमाकर चली जाती हैं। इसका वहाँ सदियों से रहने वाले जनजाति समुदायों पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा? इस समस्या का निदान किस तरह किया जा सकता है?

खनन प्रक्रिया क्या है?

किन-किन जगहों पर किस तरह के खनिज का कितना जमाव (निक्षेप) है। भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा उस देश/राज्य का खनन विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का काम करते हैं। केन्द्रीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्टों के माध्यम से सरकार ऐसे खनिज निक्षेपित भूमियों की नीलामी करती है। नीलामी की प्रक्रिया में कई कंपनियाँ हिस्सा लेती हैं। प्रक्रिया के अनुसार जिसे भी ठेका (लीज) मिलता है उसे उस भूमि पर संबंधित खनिज के उत्खनन का अधिकार होता है।

कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके प्रयोग

विश्व में तीन हज़ार से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। ये सभी खनिज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में खान एवं खनिज विकास विनियमन एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को चार वर्गों में रखा गया है —

1. परमाणु खनिज — यूरेनियम, थोरियम।
2. ऊर्जा खनिज — कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस।
3. धात्विक खनिज — लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज़, ताँबा, सोना, चाँदी, इत्यादि।
4. गौण या अधात्विक खनिज — भवन निर्माण कार्य में आने वाले खनिज, जैसे ग्रेनाइट, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, कंकड़, बालू, इमारती पत्थर।

खनिजों के गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर खनिजों को दो वर्गों में बाँटा जाता है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी दो उपवर्गों में बाँटा जाता है। ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश होता है, जैसे—लौह अयस्क, मैंगनीज़, क्रोमाइट, पाइराइट, टंग्स्टन, निकिल और कोबाल्ट। दूसरा, ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश नहीं होता, जैसे— सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा, बॉक्साइट, टिन, मैंगनीशियम। अधात्विक खनिज में धातुएँ नहीं होती हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि।

खनिजों का वितरण

भारत के प्रमुख खनिज संसाधन हैं — लौह अयस्क, कोयला, क्रोमाइट, मैंगनीज़, टंग्स्टन, बॉक्साइट, ताँबा, सीसा, पेट्रोलियम, यूरेनियम इत्यादि।

लौह अयस्क

लौह अयस्क से कच्चा लोहा तथा कई प्रकार के इस्पात तैयार किए जाते हैं। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक विकास का आधार लोहा है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक जीवन, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण और यातायात में लोहा और इस्पात का कहाँ-कहाँ और कितनी मात्रा में उपयोग होता है। इसी कारण कच्चे लोहे का उत्पादन अन्य धातुओं के उत्पादन से भी अधिक होता है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें अन्य धातुओं को मिलाकर इसकी मजबूती और कड़ेपन को घटाया-बढ़ाया जा सकता है। लौह अयस्क शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। चट्टान में लोहे के अतिरिक्त अन्य खनिज भी मिले होते हैं, जैसे—गंधक, फास्फोरस, ऐल्युमिना, चूना, मैंगनीशियम, सिलिका, टिटेनियम आदि। इसे लौह अयस्क कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे को इनसे अलग किया जाता है।



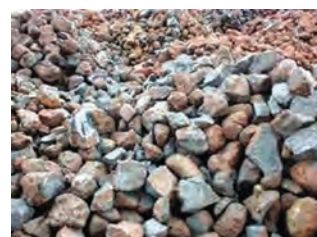
चित्र 4.1 : खुली खदान

धातु की मात्रा के अनुसार लौह अयस्क को चार प्रकार में बाँटा जाता है: हेमेटाइट (इसमें 70% लोहा होता है), मेग्नेटाइट (70.4%), लाइमोनाइट (59.63%) तथा सिडेराइट (48.2%)। भारत में अधिकांश भंडार हेमेटाइट और मेग्नेटाइट का है। भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार (1 अप्रैल 2010 में) 1788 करोड़ टन है।

हेमेटाइट अयस्क प्रमुखतः प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। उच्च कोटि के हेमेटाइट अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ का बैलाडीला क्षेत्र, कर्नाटक का बेल्लारी-होस्पेट क्षेत्र तथा झारखण्ड-ओडिशा का सिंहभूमि-सुन्दरवन क्षेत्र प्रमुख है। मेग्नेटाइट किस्म का अयस्क कर्नाटक, गोवा, केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखण्ड में है। झारखण्ड और ओडिशा के लौह अयस्क के भंडार आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा देश में लोहा व इस्पात कारखानों की स्थिति निर्धारण पर इनका निर्णायक प्रभाव पड़ा है।

छत्तीसगढ़ में 26476 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं जो देश का लगभग 18.67% है। देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। राज्य का उच्च कोटि का लौह अयस्क भंडार बैलाडीला को माना जाता है। दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकर तथा राजनांदगाँव में लौह अयस्क संचित हैं।

मैंगनीज़ (Manganese) – मैंगनीज़ का प्रमुख उपयोग लोहा-इस्पात उद्योग में किया जाता है जहाँ उसे लोहे के साथ मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। इस्पात में 12 से 14 प्रतिशत मैंगनीज़ होता है। लगभग सारे मैंगनीज़ का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में ही किया जाता है। मैंगनीज़ युक्त इस्पात अधिक मजबूत, कठोर और घर्षण सहने की क्षमता



चित्र 4.2 : मैंगनीज़ अयस्क

वाला होता है। मैंगनीज़ इस्पात का उपयोग क्रशर जैसी मशीन बनाने में होता है। क्रशर से चट्टान पीसकर अलग-अलग आकार में गिट्टी बनाया जाता है। इसके अलावा मैंगनीज़ का प्रमुख उपयोग काँच तथा मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक, फर्श के टाइल्स, ग्लास, वार्निश तथा शुष्क बैटरी सेल बनाने में किया जाता है।

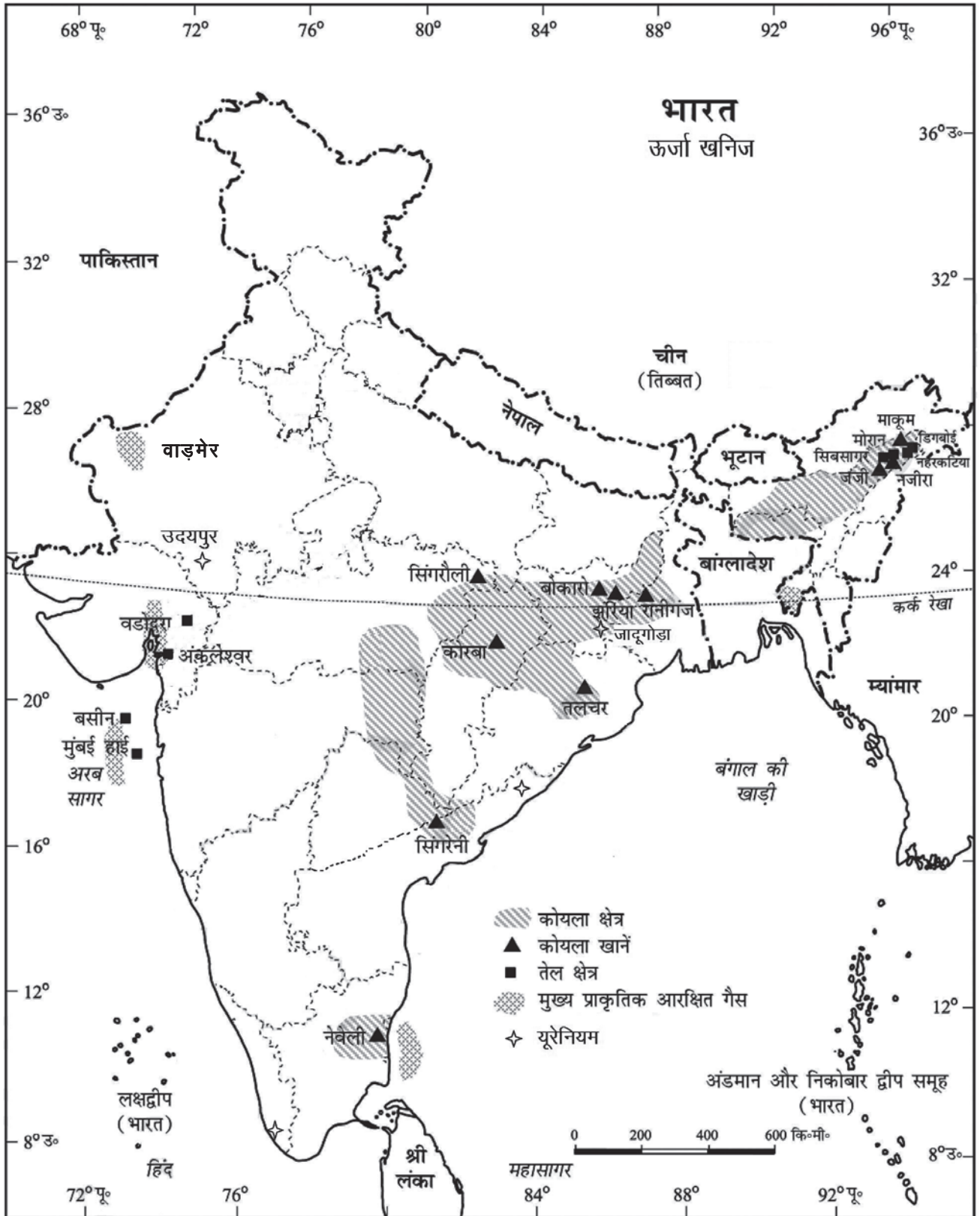
भारत में मैंगनीज़ अयस्क का कुल अनुमानित भंडार (1 अप्रैल 2010 में) 43 करोड़ टन है। सर्वाधिक मैंगनीज़ भण्डार ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में 516.66 मिलियन टन उच्च कोटि के मैंगनीज़ अयस्क के भंडार हैं। इसके अलावा मुलमुला, सेमरा, कोलिहाटोला में मैंगनीज़ अयस्क के जमाव हैं।

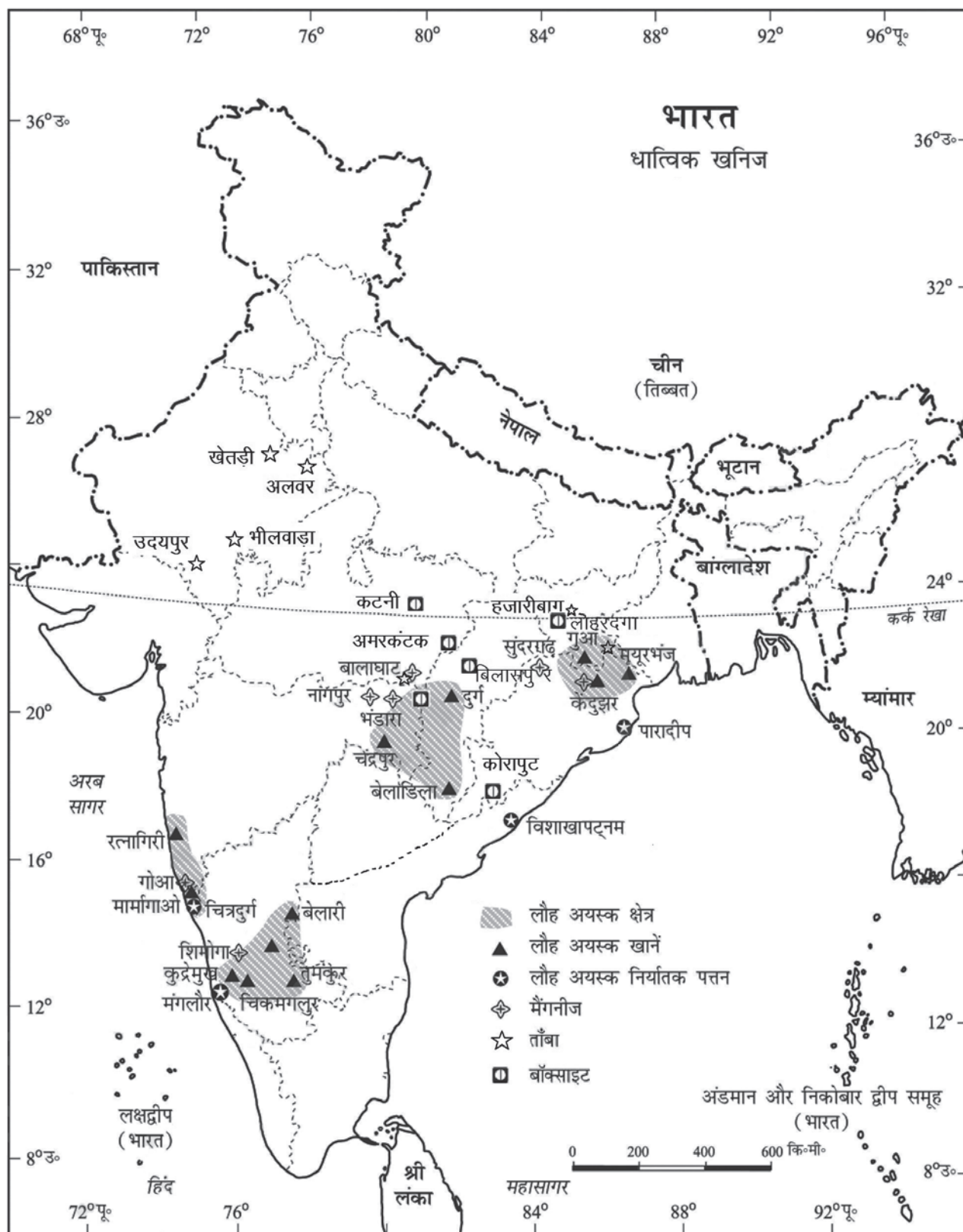
क्रोमाइट अयस्क (Chromite ore) – क्रोमियम का एक मात्र अयस्क क्रोमाइट है। मैंगनीज़ की तरह क्रोमियम का भी उपयोग लोह इस्पात में मिश्रण के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से उच्च ताप सहने वाला इस्पात बनता है। इस्पात में क्रोमियम की थोड़ी मात्रा (3%) मिलाने पर रेती (आरी), कुल्हाड़ी, और हथौड़े आदि बनाने के लिए कठोर इस्पात बनता है। इससे थोड़ी अधिक मात्रा (12 से 15%) मिलाने पर उष्मा सह घर्षण और संक्षारण सह इस्पात बनता है जिसका उपयोग रसोई घर के बर्तन – छुरी-काँटा, मशीन की बेयरिंग आदि बनाने में किया जाता है। क्रोमियम के साथ निकिल मिलाने पर इस्पात में भाप, जल, आर्द्र

उत्खनन से उत्पन्न समस्याएँ –

1. खदानों के इर्द-गिर्द हवा में धूल के गुब्बार उड़ते देखे जा सकते हैं जिसके कारण काम करने वाले लोगों को फेफड़े की बीमारी होने का खतरा बना रहता है।
2. देखा गया है कि ठेकाधारक खनिजों के उत्खनन के बाद खदान भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ जाते हैं जिससे जन-धन व पशु धन की हानि होती है। खदान के कई सौ फुट गड्ढों में मवेशियों सहित खेलते बच्चे, दिनचर्या में व्यस्त लोग गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कई लोगों की जान तक चली जाती है।
3. खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होता है। इसलिए खनन न केवल वहाँ की भूमि और वन को प्रभावित करता है, बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है। खनन से खनिज निकालने के बाद बचे हुए मलवे नदी की घाटियों में जमा (dump) कर दिए जाते हैं जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, नदी की घाटी में बाढ़ आती है, साथ-साथ वन भी समाप्त होते हैं।
गोवा व कर्नाटक में लौह अयस्क, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में बॉक्साइट, मध्य प्रदेश में कोयला, उत्तराखण्ड में चूना पत्थर की खुली खदानें पहाड़ी ढलानों और पानी के स्रोत पर हैं। कई खनिज नदी बेसिन में पाए जाते हैं। 80% कोयला झारखण्ड, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है जो दामोदर नदी घाटी में स्थित है। महानदी व ब्राह्मणी नदी घाटी में कोयला खनिज दबे पड़े हैं। अन्नक राजस्थान के सांभर, लूनी व चम्बल नदी बेसिन में पाया जाता है।
4. तेज़ी से बढ़ते नगरीकरण के कारण पिछले कुछ सालों में बालू तथा पत्थर की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। नदी से रेत के दोहन होने से नदी की धारा (Sedimentation) में बदलाव तथा तटों पर कटाव ज़्यादा होने लगता है। कर्नाटक की भद्रा नदी तथा छत्तीसगढ़ की शंखिनी नदी से रेत के दोहन होने से अवसादीकरण अधिक हो रहा है।



मानचित्र 4.1 – भारत की ऊर्जा खनिज



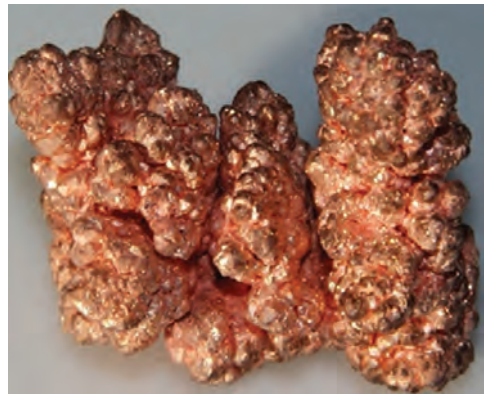
मानचित्र 4.2 : भारत की धात्विक खनिज

वायु तथा अम्ल द्वारा होने वाले क्षरण को सहने की क्षमता आती है। क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट और मालिब्डेनम मिलाने से बहुत ही मज़बूत इस्पात तैयार होता है जिसे स्टेलाइट कहते हैं जिससे उच्च वेग वाली मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं। क्रोमाइट का उपयोग उच्च ताप वाली भट्टियों में किया जाता है। इसका उपयोग रंग, चमड़ा और वस्त्र उद्योगों में भी किया जाता है।

भारत में क्रोमियम का कुल अनुमानित भंडार (1 अप्रैल 2010 में) 20.3 करोड़ टन आँका गया है। ओडिशा में भारत का क्रोमियम का सर्वाधिक भंडार है, ये विशेषकर सुकिन्दा घाटी, कटक एवं जाजपुर जिलों में पाया जाता है।

टंगस्टन (Tungsten) – आधुनिक धात्विक उद्योगों में मिश्रित इस्पात (एलॉय स्टील) बनाने में टंगस्टन का विशेष महत्व है। इसके उपयोग से इस्पात में मज़बूती, कठोरता, घर्षण तथा धक्का सहने की क्षमता बढ़ जाती है। टंगस्टन-मिश्रित स्टील का उपयोग उच्च श्रेणी के काटने वाले उपकरण और पत्थर छिद्रक उपकरण बनाने में किया जाता है। टंगस्टन, कोबाल्ट और क्रोमियम मिश्रित स्टेलाइट का प्रयोग कवचपट्ट, बन्दूकें, कवच अंतर्वेधक आदि बनाने में किया जाता है। विद्युत उपकरण जैसे – बल्ब तथा ट्यूब के फिलामेंट में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाह को सहने की क्षमता अधिक होता है। विद्युत को प्रकाश में बदलने की इसकी क्षमता इतनी अधिक होती है कि फिलामेंट के लिए इसका विकल्प नहीं ढूँढा जा सका है। यह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है।

ताँबा (Copper) – ताँबे का उपयोग मानव प्राचीन काल से कर रहा है। ताँबे के साथ टिन मिश्रित करके काँस्य का निर्माण किया गया था। ताँबे के मिश्रण से पीतल भी बनाया जाता है जिसका उपयोग उपकरण, सिक्के आदि बनाने में किया जाता है। उन्नीसवीं सदी में विद्युत के आविष्कार के बाद ताँबे का महत्व बहुत बढ़ गया क्योंकि यह ताप तथा बिजली का सुचालक है तथा रासायनिक क्षरण का अवरोधक है। इसी कारण आधे-से-अधिक ताँबे का प्रयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। ताँबा-मिश्र धातुओं का उपयोग टेलीफोन, रेडियो, रेल उपकरण, हवाई जहाज़, जल जहाज़, रेफ्रिज़रेटर, घरेलू उपयोग की अन्य चीज़ें तथा युद्ध सामग्री बनाने में किया जाता है।



चित्र 4.3 : ताँबा अयस्क

देश के कई भागों में ताँबे की खोज की जा रही है। भारत में ताँबा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार (1 अप्रैल 2010 में) 155 करोड़ टन आँका गया है। फिर भी भारत में ताँबा उत्पादन अपेक्षाकृत कम है और माँग की अधिकता के कारण इसका आयात होता है।

ताँबे का अधिकांश जमाव झारखण्ड, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में है। साथ ही इसके छोटे संचय गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी पाए गए हैं। देश का 37 प्रतिशत से अधिक भंडार झारखण्ड राज्य में है। मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में स्थित मलाजखण्ड ताँबा की खान देश में प्रसिद्ध है।

सीसा (Lead) – सीसे का उपयोग वर्तमान समय में परिहवन, संचार और बिजली के उत्पादन में होता है। यह भारी, नरम और लचीला होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योग में संचालक बैटरी (storage battery) तथा तार गढ़ने के लिए किया जाता है। रसायन उद्योग इसका दूसरा उपभोक्ता है जहाँ टेट्राएथिल, सीसा, रंग, प्लास्टिक और कीटानाशक बनाए जाते हैं।

भारत में सीसा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार (1 अप्रैल 2010 में) एक करोड़ टन आँका गया है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक भंडार है।

बॉक्साइट (Bauxite) – बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का प्रमुख स्रोत है। भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार हैं। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 2010 में कुल भंडार 348 करोड़ टन था।

देश के कुल अनुमानित भंडार का लगभग आधा ओडिशा राज्य में है। इसके अलावा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बॉक्साइट के भंडार हैं। ओडिशा के कालाहांडी, कोरापुट, सम्बलपुर, बलांगिर, और कयोंझर जिले, आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले, मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला, और बालाघाट जिले तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और कोरबा जिले में बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं।

कोयला – ऊर्जा के स्रोतों में कोयला प्रमुख संसाधन है। प्रारम्भ में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। कोयला अठारहवीं सदी के औद्योगिकीकरण का महत्वपूर्ण आधार बना। इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा है। अठारहवीं सदी में इसका उपयोग लौह अयस्क को गलाने तथा लोहा इस्पात उद्योग में किया जाने लगा। भाप संचालित इंजन, जिसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने, जहाज़ चलाने व कारखाने की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था, कोयले के बिना संभव नहीं हो पाता। वर्तमान में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है।



चित्र 4.4 : कोयला

भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने 2006 में अनुमान लगाया है कि 1200 मीटर की गहराई तक कोयले की तहों में लगभग 253 अरब टन कोयला संचित है। यह विश्व के कुल अनुमानित भंडार का केवल एक प्रतिशत है। यह मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है जो उत्तम प्रकार का नहीं है। इसमें वाष्पीय पदार्थों तथा राख की मात्रा अधिक है और कार्बन की मात्रा 55 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अधिकांश भंडार पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों की घाटियों में संचित हैं। इस कारण भारत को प्रति वर्ष 15 से 20 करोड़ टन कोयले का आयात करना पड़ता है।

भारत में कोयला क्षेत्रों का वितरण – भारत में कोयला क्षेत्र निम्नलिखित चार नदी घाटियों में स्थित है।

1. दामोदर घाटी – झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र।
2. सोन घाटी – मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र।
3. महानदी घाटी – छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कोयला क्षेत्र।
4. गोदावरी घाटी – दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्र।

पेट्रोलियम

आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम है लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में भी इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया जो कि हमारे कुल उपयोग के एक-चौथाई से कम है। इस कारण भारी मात्रा में

पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएँ आयात करनी पड़ती हैं। 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएँ आयात की गईं। हमारे सकल घरेलू उत्पादन का लगभग पाँच प्रतिशत इस आयात में लगता है जो कि बहुत अधिक है।

1866 में भारत में ऊपरी असम घाटी में तेल खोजने के लिए कुएँ खोदे गए, परन्तु इसका पता 1890 में डिगबोई में लगा। 1893 में यहीं पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेलशोधक कारखाना खोला गया। 1899 में असम आयात कम्पनी की स्थापना की गई। अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया और 1953 में नहरकटिया क्षेत्र की खोज हुई।



चित्र 4.5 – डिगबोई भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम कुआँ और तेल संशोधक संयंत्र

1960 में गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र (वसुधारा) से उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1961 के बाद पेट्रोलियम खोजने का काम काफी तेज़ किया गया और गुजरात के विभिन्न पेट्रोलियम क्षेत्रों का पता लगा। साथ ही असम में भी कई क्षेत्र ढूँढ़े गए। परिणामतः उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। यह 1961 के 513 हजार टन से बढ़कर 1975 में 6311 हजार टन हो गया। तट के निकट (अपतटीय) समुद्र में खुदाई 1970 में गुजरात के अलियाबेत में आरंभ की गई। 1975 में मुम्बई हाई का पता लगा और अगले वर्ष से उत्पादन आरंभ हुआ। लगातार प्रयत्न के परिणामस्वरूप पूर्वी तटीय क्षेत्र कावेरी तथा कृष्णा-गोदावरी बेसिनों में भी पेट्रोलियम का पता चला और उत्पादन शुरू हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया है।

भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है। यह स्थलीय तथा अपतटीय क्षेत्र में संचित है। कुल भंडार चार क्षेत्रों में वितरित है। 1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र (ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड) 2. गुजरात प्रदेश (खंभात बेसिन और गुजरात के मैदान) 3. मुम्बई हाई अपतट प्रदेश तथा 4. पूर्वी तटीय प्रदेश (गोदावरी-कृष्णा और कावेरी बेसिन)।

यूरेनियम और थोरियम – ये दोनों नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भण्डार खोजे गए हैं। इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया गया है। भारत प्रयास कर रहा है कि उसके परमाणु संयंत्रों में थोरियम का उपयोग बढ़े क्योंकि भारत में यह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा के स्रोतों पर केन्द्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण है और इसका खनन केवल केन्द्र सरकार के उपक्रम कर सकते हैं।

औद्योगीकरण



लगभग दो सौ साल पहले ज्यादातर लोग खेती का काम करते थे और ज्यादातर उत्पादन भी खेतों से ही आता था। लेकिन आज दुनिया के विकसित देशों के ज्यादातर लोग उद्योगों में तथा उससे जुड़ी सेवाओं में काम करते हैं और बहुत कम लोग खेतों में काम करते हैं। भारत में भी हालाँकि 60 प्रतिशत से अधिक लोग खेतों में काम करते हैं, इसके बाद भी राष्ट्रीय उत्पादन (जी.डी.पी. या सकल घरेलू उत्पादन) को देखें तो

पाएँगे कि केवल 18 प्रतिशत खेतों से आता है और 26 प्रतिशत उद्योगों व 56 प्रतिशत सेवाओं के क्षेत्र में हो रहा है।

18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और उसके बाद धीरे-धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन के तरीके बदल गए जिसे औद्योगीकरण के नाम से जाना जाने लगा। इस औद्योगीकरण के बाद से उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है।

उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक



आधुनिक उद्योगों की एक विशेषता यह है कि वे अत्यंत अस्थिर हैं और सतत अपनी जगह परिवर्तित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जिन क्षेत्रों में औद्योगीकरण शुरू हुआ था जहाँ सैकड़ों कारखाने लगे थे और लाखों मजदूर बसे थे, आज वे वीरान हैं क्योंकि उद्योग वहाँ से पलायन कर गए। 1970 के दशक में भारत के प्रमुख शहरों, जैसे—मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इन्दौर आदि में विशाल कपड़ा मिलें थीं। 1980 के दशक में ये सब मिलें बंद हो गईं और बिलकुल नए इलाकों में छोटे-छोटे पावर लूम संयंत्र स्थापित हुए जो पहले से अधिक मात्रा में कपड़ा उत्पादन करने लगे। इसी तरह अमेरिका में जिन क्षेत्रों में विशाल मोटरगाड़ी के उद्योग लगे थे अब वहाँ सारे उद्योग बंद हो गए हैं। आज यह उद्योग कई छोटी इकाइयों में बँटकर दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। तो यह निर्णय किस तरह होता है कि कोई उद्योग कहाँ पर लगाया जाए? इसके कई कारक हैं मगर सबसे निर्णायक सरोकार है मुनाफा। पूँजीपतियों को किसी समय जहाँ कारखाने लगाने से सबसे अधिक मुनाफा की अपेक्षा होगी वहीं वे कारखाने लगाएँगे और उसी समय तक जब तक किसी दूसरी जगह से अधिक मुनाफा न मिल जाए। कहाँ कारखाना लगाने से मुनाफा अधिक मिल सकता है, यह कई कारकों पर निर्भर होता है — उत्पादन की तकनीक, कच्चे माल के स्रोत, बाज़ार, यातायात के साधन, राज्य की औद्योगिक व कर नीति और सबसे महत्वपूर्ण कुशल मगर कम वेतन पर काम करने वाले कामगारों की उपलब्धता।

18वीं और 19वीं सदी में यातायात के साधन कम विकसित थे। अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क और कोयला जैसे कच्चे माल के उपयोग के बाद कम मात्रा में लोहा या इस्पात बनता था — इस कारण खदानों के पास ही लोहा गलाने के उद्योग लगे ताकि कच्चा माल को दूर तक नहीं ले जाना पड़े। लेकिन समय के साथ इन खदानों में उच्च कोटि का कच्चा माल मिलना बंद होने लगा और दूर-दराज़ के क्षेत्रों से मँगाना पड़ा। ऐसे में पुराने इलाकों से लोहा उद्योग हटने लगे और अन्य सुविधाजनक जगहों में लगाए जाने लगे। जब यातायात और कच्चा माल पहुँचाने के सस्ते साधन बने तो ये उद्योग ऐसी जगह पर लगने लगे जहाँ कुशल मजदूर मिले और जहाँ कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार थे। उद्योगपतियों ने पाया कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों ने संगठित होकर अपने वेतन और अन्य सुविधाओं को बढ़ा लिया था। मजदूरों के दबाव के कारण उन देशों में मजदूरों के हित में कई कानून भी बने थे, जैसे किसी मजदूर को बिना मुआवज़ा काम से नहीं निकाला जा सकता था या मजदूरों के काम के घण्टे व न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होता था। अब उद्योगपति उपनिवेश और अन्य देशों में अपना उद्योग लगाने लगे जहाँ गरीबी के कारण लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, जहाँ सरकारों ने मजदूरों के हित में कानून नहीं बनाए थे या उन्हें लागू नहीं कर रहे थे और जहाँ मजदूर संगठित नहीं थे। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेज़ होने के साथ-साथ बहुत सस्ता भी हो गया है। उदाहरण के लिए दंतेवाड़ा से खोदा गया लौह अयस्क पानी के साथ घोलकर पाइप लाइन के माध्यम से बहाकर 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक ले जाया जा सकता है। वहाँ उसे लौह कंकड़ के रूप में परिवर्तित करके निर्यात किया जाता है। इसे किरन्दुल विशाखापट्टनम स्लर्री लाइन कहते हैं। इसी तरह की एक पाइप लाइन ओडिशा में भी बनी हुई है।



चित्र 4.6 : दंतेवाड़ा-विशाखापट्टनम स्लरी लाइन का अंश – यहाँ लोहे का घोल बनाया जाता है।

कच्चा माल : सामान्य तौर पर उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्थानों पर की जाती है जिससे परिवहन लागत कम होती है। अगर हम 100 रुपए का लोहा और उतने ही कीमत का कपास खरीदेंगे तो कौन-सा अधिक वजनदार होगा – आप स्वयं सोच सकते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर आदि भारी अयस्क हैं। इससे इन उत्पादन क्षेत्रों से दूर औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर यातायात का खर्च उत्पादन के मूल्य को अधिक बढ़ा देगा। इसलिए इस तरह के उद्योगों की स्थापना इनके समीप की जाती है। कोरबा में एल्युमिनियम का कारखाना, भिलाई में लोहा इस्पात कारखाना और दुर्ग के जामुल में सीमेंट कारखाना खदानों के पास लगाया गया है। इसके विपरीत कपास का भार बहुत ही कम होने के कारण कपास के परिवहन या उससे बने धागे के परिवहन में होने वाला खर्च अपेक्षतया कम होता है। इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग बाज़ार के समीप लगाया जा सकता है।

क्या आप बता सकते हैं कि गन्ने से गुड़ बनाने का काम गन्ने के खेतों के पास करने में क्या फायदे हो सकते हैं?

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में किसान गन्ने कहाँ पर और किसे बेचते हैं और वे इसका क्या करते हैं?

परिवहन : अब उत्पादन कई टुकड़ों में हो रहा है। उत्पाद के कई हिस्से या कलपुर्जे आसपास के कारखानों या विभिन्न देशों के छोटे कारखानों में तैयार होकर आते हैं और किसी एक देश में इन्हें जोड़कर पूरा किया जाता है और कंपनी द्वारा बाज़ार में बेच दिया जाता है। इसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। कच्चे माल या इनपुट को उद्योग तक लाने एवं तैयार माल को बाज़ार तक पहुँचाने का कार्य परिवहन की सहायता से ही संभव होता है। इस कारण उद्योगों के स्थान निर्धारण में परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिवहन के रूप में जल, सड़क, रेल और हवाई यातायात के साधनों का उपयोग किया जाता है और इनके माध्यम से कच्चे माल को उद्योग तक लाने और उत्पादित वस्तुओं को बाज़ार तक ले जाने का काम किया जाता है।

शक्ति या ऊर्जा : किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। ये शक्ति ताप बिजली (कोयले से), जल विद्युत (बाँधों से), पवन बिजली, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि से प्राप्त होती है। कोयला वज़न में काफी भारी होता है। साथ ही कोयले से बनने वाले बिजली गृह के आसपास के क्षेत्रों में कोयले से निकलने वाली राख (ऐश) से काफी प्रदूषण होता है। कोयले का विकल्प है डीज़ल। लेकिन ये दोनों पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषणकारी हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये प्रकृति में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और समय के साथ इनके खत्म हो जाने का डर है। इसलिए आजकल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी तलाशे जाने लगे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पन बिजली, वायु ऊर्जा, कचरे से बिजली बनाना आदि। इनमें से सबसे किफायती बिजली बाँधों से बनने वाली जल विद्युत ऊर्जा, लेकिन बड़े बाँधों से बहुमूल्य वन और खेतिहर ज़मीन डूब जाती है और कई गाँव उजड़ जाते हैं। छोटे और मध्यम बाँध और पहाड़ी ढलानों पर बने बिजली संयंत्र इसके उचित विकल्प हो सकते हैं। जिन राज्यों व देश में विद्युत सतत व सस्ती मिलती है वहाँ औद्योगिकीकरण की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। यहाँ सतत का तात्पर्य किसी भी कारखाने में मशीन चलाने के लिए विद्युत 24 घंटे निर्बाध रूप से मिलते रहने से है।

बाज़ार : किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाज़ार में खपत होती है। अतः सभी उत्पादों को बाज़ार तक ले जाना होता है। साथ ही लगातार बदलते हुए बाज़ार के स्वरूप भी उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाज़ार से तात्पर्य केवल परिवहन खर्च कम करने से ही नहीं है, बल्कि बाज़ार में नए-नए उत्पादों की खपत के साथ-साथ लोगों का उत्पादों के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए वस्तुओं का आकर्षक होना एवं गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो गई है साथ ही मानक बाज़ार की भी ज़रूरत होती है जिससे दुनिया भर में ज़्यादा-से-ज़्यादा लोग एक तरह के उत्पाद की माँग करें अर्थात् लोगों की सोच, रुचि व खपत में समरूपता हो। पिछले 25 सालों के दौरान मोबाइल के उदाहरण से उसे समझा जा सकता है कि शुरुआती दौर में 1990-91 में, बहुत ही कम कंपनियाँ मोबाइल बनाती थीं तथा मोबाइल भी कम लोगों के पास होता था क्योंकि लोगों की पहुँच कम थी। आज बहुतेरी कंपनियाँ मोबाइल बनाती हैं। बाज़ारों की प्रतिस्पर्द्धा में अपने आपको बनाए रखने के लिए कंपनियाँ अपने नए फीचर के साथ अलग-अलग आकार, डिज़ाइन, सस्ते मूल्य पर मोबाइल को बाज़ार में लाती हैं जिससे वे ग्राहकों का आकर्षण अपनी ओर कर सकें तथा बाज़ार में अपने को पुनः स्थापित कर सकें।

श्रम : उद्योगों में काम करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित मज़दूरों की आवश्यकता होती है साथ ही कुछ

ई-कॉमर्स

आप पहले कभी सिर्फ कल्पना करते रहे होंगे कि काश अपने घर बैठे मेरे पास मोबाइल, घड़ी, कपड़े, किताब, खिलौना, घरेलू सामान आ जाए? अब यह कल्पना नहीं वास्तविकता है। आप अपने मोबाइल या कम्प्यूटर के माध्यम से ऑर्डर करें, अपने ए.टी.एम. से भुगतान (पेमेंट) करें या अपना सामान आने के बाद पेमेंट कीजिएगा – कुछ ही दिन में आपका सामान आपके हाथ में होगा, यही है ई-कॉमर्स। भारत में इंटरनेट और मोबाइल यूजर्स की बढ़ती संख्या ई-कॉमर्स के बढ़ने की वजह है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार सालाना 50 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। वहीं चीन का ई-कॉमर्स बाज़ार 18 फीसदी और जापान का 11 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रहा है। देश में ऑनलाइन खरीददारी करने वाले लोगों में 75% की उम्र 15 से 34 वर्ष की है।

कुशल मैनेजर, वैज्ञानिक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर आदि की ज़रूरत होती है। औद्योगीकरण की यह भी ज़रूरत है कि कुछ लोग लीक से हटकर सोचें, नई-नई चीज़ों की खोज करें, समस्याओं के नए हल खोजते रहें — अर्थात् लोग सृजनशील और भीड़ से हटकर सोचने वाले बनें।

विकासशील देशों में मज़दूरों की समस्या बहुत भिन्न रूप में है। सघन जनसंख्या वाले देशों में बेकारी की समस्या गंभीर है। अतः वे सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन उनमें कुशलता की कमी होती है। वे अधिकांशतः अशिक्षित होते हैं और आधुनिक उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। देश के कई कारीगरों को कुशलता हासिल करने के लिए विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ा है।

रोज़गार के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि कंपनियों ने अब स्थाई मज़दूर व कर्मचारी रखना कम कर दिए हैं और वे अस्थायी या ठेके पर मज़दूर रखने लगी हैं या काम का आउटसोर्सिंग करने लगी हैं। इससे कंपनी की श्रम लागतों में काफी बचत हो रही है। यह परिस्थिति यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों की परिस्थितियों से बहुत भिन्न है।

आपके क्षेत्र में संगठित मज़दूर हैं तो उनके बारे में पता करें।

आपके क्षेत्र में मज़दूरों की कुशलता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया जाता है?

पूँजी : औद्योगीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है पूँजी की। पूँजी उपलब्ध कराने के लिए कई संस्थाओं का स्थापित होना आवश्यक है जैसे — शेयर बाज़ार, बैंक और बीमा कंपनियाँ। इनके होने से किसी भी उद्योगपति को कारखाने लगाने के लिए ज़रूरी पूँजी उपलब्ध होती है। लोग अपना धन खाली और अनुपयोगी न रखें और उसे लाभ कमाने के लिए निवेश करें — इसके लिए बैंक जैसी संस्थाएँ ज़रूरी हैं।

उद्योगों में व्यक्तिगत पूँजी केवल व्यापारिक तथा लाभ की दृष्टि से लगाई जाती है और इस प्रकार की पूँजी से उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित होते हैं, जहाँ लाभ की संभावना लगभग निश्चित हो। जैसे मुंबई के कपड़ा उद्योगों में व्यक्तिगत पूँजी का आकर्षण इसी दृष्टिकोण से हुआ था। विदेशी व्यक्तिगत पूँजी भी इसी लक्ष्य से उद्योगों में लगाई जाती है। इसके विपरीत सरकारी पूँजी निवेश केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास तथा प्राकृतिक संपत्ति के उपयोग, संतुलित विकास को ध्यान में रखकर सरकारी पूँजी निवेश किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र इसका एक उदाहरण है।

अगर बैंक नहीं होते तो पूँजी किस तरह उपलब्ध हो पाती?

विदेशी पूँजी की क्या आवश्यकता है? उससे क्या लाभ और हानि हो सकती है?

शेयर बाज़ार के बारे में आप अपने विचार बताएँ।

प्रौद्योगिकी : प्रौद्योगिकी जितनी आधुनिक होगी उतना ही सहज एवं निम्न लागत पर ज़्यादा उत्पादन संभव हो सकेगा। विकसित देशों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी होने के कारण वहाँ औद्योगीकरण अधिक संभव हुआ है जबकि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के कम विकास से उद्योगों का कम विकास हुआ। इसके लिए नए-नए अनुसंधान, नई तकनीकी का विकास आवश्यक है जिससे ज़्यादा उत्पादन हो सके। जरा सोचें कि उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क से तो उच्च गुणवत्तायुक्त लोहा इस्पात का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क से उच्च गुणवत्ता के लौह इस्पात का उत्पादन किस प्रकार संभव होगा, यह नए अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो सकता है। नई-नई स्वचालित मशीनों के उपयोग से सर्वाधिक व गुणवत्तायुक्त उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी विकास व उसकी संभावनाओं को तलाशना महत्वपूर्ण हो गया है।

दुनिया के अन्य देशों के बारे में सूचना के माध्यम से पता करना औद्योगिकीकरण में मददगार साबित होता है। आज कंपनियों में काफी प्रतिस्पर्धा है इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि अत्यधिक व गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए आधुनिक व नई तकनीक का उपयोग करें। इसके लिए कई कंपनियाँ नई तकनीक वाली कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन का काम करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत की हीरो कंपनी ने जापान की कंपनी होंडा के साथ मिलकर हीरो होंडा मोटर साइकिल का उत्पादन शुरू किया।

आप पता करें कि देश की कौन-कौन सी कंपनियाँ ने दूसरे देशों के साथ मिलकर उत्पादन शुरू किया?

औद्योगिक नीति : उद्योग की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करती है। यदि सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योगों की स्थापना के लिए उदारता नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा। उद्योगपति ऐसे देशों में अपनी पूँजी निवेश करते हैं जहाँ शासकीय नीतियाँ लचीली होती हैं, जहाँ शासन अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम-से-कम करे और कर कम-से-कम हो, जहाँ बुनियादी सुविधाएँ जैसे सड़क, बिजली व यातायात व्यवस्थित हो।

नई औद्योगिक नीति का प्रभाव : तीन प्रमुख नीतियाँ बनाई गई हैं, जो निम्नलिखित हैं —

उदारीकरण : उदारीकरण का अर्थ है 'नियमों व प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस परमिट राज को कम करना' जिससे विदेशी कंपनियाँ अपनी प्रौद्योगिकी व तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सकें। यह औद्योगिक विकास के लिए किया गया उपाय है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में अपनाया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे और अधिक प्रोत्साहित किया गया।

निजीकरण : सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जाना उन उपक्रमों का निजीकरण करना कहलाता है। विगत सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, घाटे में चल रहे बीमार उपक्रमों को बंद करने की माँग तेज़ी से बढ़ने लगी। सार्वजनिक उपक्रमों में लगातार बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौर में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की नीति अपनाई और इन सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का मार्ग खोल दिया। इस प्रक्रिया में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों को बेचना आरंभ किया। इससे इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी एवं अतिरिक्त संसाधनों का एकत्रीकरण भी हुआ।

वैश्वीकरण/भूमण्डलीकरण : 1980 व 1990 के दशकों में शुरू हुई वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत पूँजी के साथ-साथ वस्तुएँ और सेवाएँ, श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकते हैं। वैश्वीकरण का मुख्य ज़ोर घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर है। वैश्वीकरण को हम दो तरह से समझ सकते हैं :

1. एक आर्थिक व राजनैतिक प्रक्रिया जिसके तहत उत्पादन और वितरण का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। अर्थात् देशों के बीच उत्पादन, पूँजी, श्रम, विचारों व संस्कृति के आवागमन या लेन-देन में जो बाधाएँ थीं या हैं, उनका खात्मा। ताकि पूरे विश्व में इन सब बातों का बे-रोकटोक लेन-देन हो सके।
2. वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सुझाई गई नीतियाँ जिन्हें हम उदारीकरण की नीतियाँ भी कहते हैं।



भारत के वृहत् औद्योगिक प्रदेश

औद्योगिक विकास की विशेषता होती है कि यदि एक स्थान पर कुछ उद्योग विकसित हो जाते हैं तो कई अन्य उद्योग भी वहीं आकर्षित होते हैं। वहाँ आवश्यक सुविधाएँ जैसे कुशल श्रमिक, परिवहन के साधन, मशीन के पुर्जे, व्यापार का प्रबंध आदि उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि औद्योगिक केन्द्र विशाल नगरों एवं उसके आसपास के इलाकों में फैलता जाता है। उसके आसपास के नगरों में भी कई उद्योग पनपने लगते हैं। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश विकसित होता है। साथ ही सरकार की नीति भी इसे विकसित करने में सहयोग देने लगती है।

जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखकर किसी खास क्षेत्र में तेजी से किया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। भारत में निम्नांकित औद्योगिक प्रदेश हैं —

1. मुंबई-पुणे प्रदेश,
2. हुगली प्रदेश
3. बंगलुरु-कोयम्बटूर प्रदेश
4. गुजरात प्रदेश
5. छोटा नागपुर प्रदेश
6. विशाखापट्टनम-गुंटूर प्रदेश
7. गुड़गाँव-दिल्ली-मेरठ प्रदेश
8. कोल्लम-तिरुवनंतपुरम प्रदेश

1 मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश : इस औद्योगिक प्रदेश में नासिक से शोलापुर के मध्य मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, शोलापुर, कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगाँव ज़िले आते हैं। यहाँ औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। हमें मालूम है कि मुंबई भारत की व्यावसायिक राजधानी है तथा देश का बड़ा बंदरगाह भी है। इसे एशिया के सबसे बड़े वस्त्र उद्योग प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है।

इस प्रदेश का विकास 1774 में आरंभ हुआ जब अंग्रेजों ने 'जल पोताश्रय' के रूप में इसका चयन किया था। इसके विकास के दूसरे चरण 1854 में, कवास जी डाबर के द्वारा पहला आधुनिक सूती वस्त्र बनाने वाला कारखाना लगाया गया, ऐसा माना जाता है। शीघ्र ही मुंबई देश का महत्वपूर्ण सूती कपड़ा उत्पादन केन्द्र बन गया। मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन बिछी और इसके कारण भी मुंबई तेजी से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बना।

1955 में भारत का पहला आणविक ऊर्जा केन्द्र मुंबई के निकट ट्रान्बे में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था विद्युत शक्ति उपलब्ध कराना। 1961-66, अर्थात् तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में तारापुर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर स्थापित किया गया। रसायन उद्योग का विकास 1967 से शुरू हो गया। मुंबई हाई में 1976 से पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ। उपर्युक्त उल्लेखित इन उद्योगों के लगने से धीरे-धीरे दूसरे कई सारे उद्योग भी स्थापित होने लगे। अब यहाँ इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोलियम परिष्करण, पेट्रोरसायन, चमड़ा, प्लास्टिक, दवाइयाँ, उर्वरक, बिजली के सामान, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक्स, साबुन, वनस्पति तेल, मोटरगाड़ी, गारमेंट (वस्त्र), टेलीविज़न, रेफ्रीजरेटर, साइकिल एवं सॉफ्टवेयर आदि के अनेक उद्योग स्थापित हो गए हैं। फिल्म उद्योग के रूप में मुंबई को बॉलीवुड कहा जाने लगा है और इसके लिए यह विश्व प्रसिद्ध है।

2 हुगली औद्योगिक प्रदेश : इस औद्योगिक प्रदेश का विकास यद्यपि मुंबई औद्योगिक प्रदेश जैसा नहीं हो पाया लेकिन यह भारत का सर्वप्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश है। हुगली नदी के दोनों ओर इस प्रदेश का विकास हुआ है। कोलकाता एवं हावड़ा को इस प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। इस संदर्भ में हुगली को इस प्रदेश की रीढ़ के रूप में चिन्हित किया गया है।

इस प्रदेश में औद्योगिक विकास का आरंभ 1662 से 1694 के बीच हुआ जब हुगली नदी को पत्तन के रूप में विकसित किया गया। इस नदीय पत्तन के विकास के साथ ही कोलकाता देश का अग्रणी केंद्र बन गया।

इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हल्दिया, सिरामपुर, रिसरा, हावड़ा, कोलकाता, शिवपुर, नेहाटी, टीटागढ़, सादपुर, बजबज, बिरलापुर, बंसबेरिया आदि हैं। इन केंद्रों में अनेक प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। यहाँ सबसे अधिक जूट उद्योगों का विकास हुआ है। भारत के 70 प्रतिशत जूट के सामान इसी प्रदेश में बनाए जाते हैं। ज्ञात हो कि भारत विभाजन के बाद पटसन उत्पादक क्षेत्रों का अधिकांश बांग्लादेश में चला गया है जो तब पूर्वी पाकिस्तान था। इस समस्या का निराकरण अधिक पटसन पैदा कर किया गया। जूट उद्योग के साथ और भी कई उद्योग हैं। कोलकाता एवं टीटागढ़ में कागज तैयार किया जाता है जबकि महीन सूती वस्त्र के 25 कारखाने इस प्रदेश में हैं। देश में इंजीनियरिंग उद्योगों का यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ डीज़ल एवं विद्युत इंजन, डीज़ल पंपसेट, बिजली की मोटरें, पंखे, मोटरगाड़ियाँ, पेट्रोलसायन, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर बनाए जाते हैं। देश का सबसे बड़ा मोटरगाड़ियाँ बनाने का कारखाना 'हिंद मोटर्स' उत्तरपाड़ा में स्थित है। कोलकाता की गार्डन रीच फैक्ट्री नौसैनिक, मछली पकड़ने एवं सामान ढोने तथा अन्य प्रकार के जलयान बनाने में विख्यात है। हल्दिया को देश के सबसे बड़े तेल शोधन केंद्र एवं पेट्रोलसायन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुंबई-पुणे प्रदेश और हुगली प्रदेशों की तुलना करके बताएँ कि उनमें क्या समानताएँ व अन्तर हैं?

3 बंगलुरु-कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश : बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कोयम्बटूर पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। दोनों शहरों के बीच एक लंबी पट्टी में उद्योगों का विकास हुआ है। यह प्रदेश कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। अतः यहाँ के आसपास के गाँवों व शहरों में छोटे-छोटे वस्त्र निर्माण केंद्र चलते रहते हैं। पूरे देश का 20 प्रतिशत धागा तमिलनाडु में बनता है और सिर्फ कोयम्बटूर में ही सूती वस्त्र की 91 मिलें हैं। इस प्रकार इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। बंगलुरु कई कंपनियों के नाम से जाना जाता है — हिन्दुस्तान वायुयान कंपनी (HAL), हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (HMT), भारतीय दूरभाष लिमिटेड (HTL), भारतीय विद्युत उपकरण, इन्फोसिस तथा विप्रो लिमिटेड। पिछले दो दशकों में बंगलुरु भारत के प्रमुख कम्प्यूटर और सूचना उद्योग के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। इसके अलावा यहाँ बस की बॉडी, काँच के सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन, सूती वस्त्र, रेल के डिब्बे बनाने के उद्योग हैं। इस औद्योगिक प्रदेश के चेन्नई क्षेत्र में पेट्रोलियम संयंत्र सेलम में लोहा इस्पात व उर्वरक का कारखाना है।

सूचना प्रौद्योगिकी : सूचना तकनीक आज बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। आज की वास्तविकता है कि कंपनी के काम चौबीस घंटे संचालित हो रहे हैं। यह कैसे? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयार्क और भारत की बंगलुरु की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने समझौता किया है कि वे न्यूयार्क में दिन के समय ऑफिस में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर काम करेंगी तब भारत में रात होगी और अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वे अपने काम के परिणाम बंगलुरु भेजेंगी। जब न्यूयार्क में रात होगी तो भारत के बंगलुरु में दिन होगा और उसी सॉफ्टवेयर पर भारत में आगे का काम हो रहा होगा। पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। इस प्रकार वे संवाद और कार्य साथ-साथ करते हैं। यह इस प्रकार से है, मानो दोनों

आजू-बाजू के कार्यालयों में बैठे हुए हों। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं, वे संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना हैं।

4 गुजरात औद्योगिक प्रदेश : इस प्रदेश में दो प्रमुख शहर अहमदाबाद और बड़ोदरा स्थित हैं। इसलिए इसे अहमदाबाद और बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। इसके प्रमुख औद्योगिक केन्द्र जामनगर, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, खेड़ा, आणंद, भरुच और गोधरा हैं। अहमदाबाद में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें हैं। सूरत में हीरे की कटिंग, सोना-चाँदी के जेवर और वस्त्र के उद्योग विकसित हैं। आणंद में डेयरी उद्योग प्रमुख है। अहमदाबाद में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ आदि के कारखाने हैं।

5 छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश : इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पश्चिम बंगाल से लेकर दामोदर घाटी, सिंहभूम एवं ओडिशा तक है। इसलिए इसे राउरकेला-जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सिंहभूम का क्षेत्र लौह अयस्क, ताँबा, यूरेनियम, मँगनीज आदि के लिए, तो दामोदर घाटी कोयला के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर में हुआ है। इस क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग उद्योग (रांची में), उर्वरक उद्योग (सिंदरी में), सीमेंट कारखाना (डालमिया नगर व जपला में) स्थित हैं।

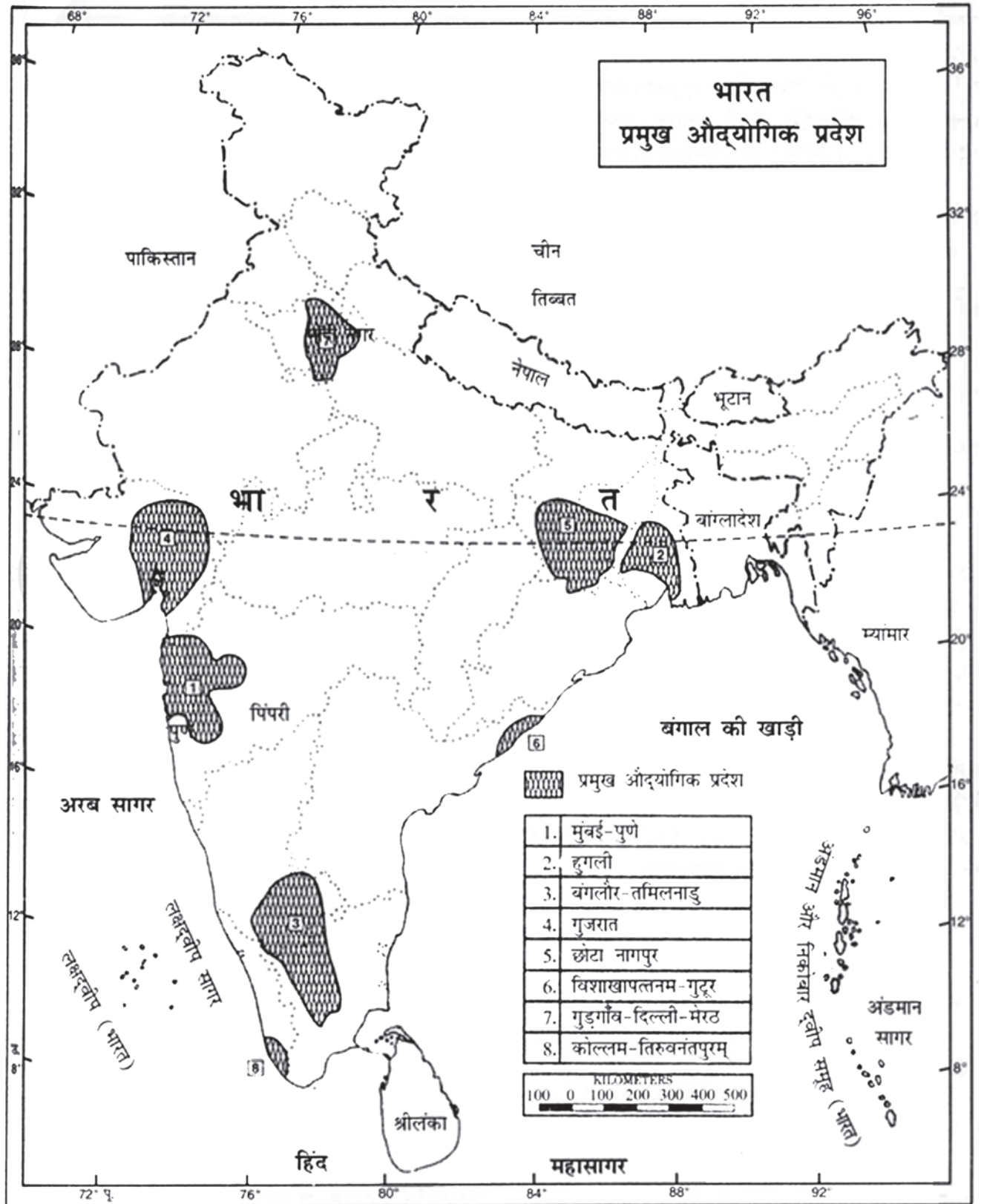
6 विशाखापट्टनम-गुंटूर औद्योगिक प्रदेश : यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम ज़िले से लेकर प्रकाशम ज़िले तक स्थित है। इस प्रदेश के विकसित होने का कारण विशाखापट्टनम तथा मछलीपट्टनम के बंदरगाह हैं। गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ व कोयला मिलते हैं और इस कारण यहाँ लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम में हिन्दुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई है जहाँ पोत बनते हैं। इस प्रदेश में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग विकसित हुए हैं। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंदरी, गुंटूर, एलुरु आदि औद्योगिक केन्द्र हैं।

7 गुडगाँव-दिल्ली-मेरठ औद्योगिक प्रदेश : दिल्ली के आसपास के शहरों – गुडगाँव, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, अंबाला, मथुरा, सहारनपुर, नोएडा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत आदि – तक इस प्रदेश का विस्तार है। यह प्रदेश खनिज स्रोतों से काफी दूर है। अतः इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, खेल के सामान, बिजली के सामान, होज़ियरी, ट्रेक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, आगरा औद्योगिक क्षेत्र में काँच और चमड़े के उद्योग, मथुरा में तेल परिष्करण उद्योग, फरीदाबाद में इंजीनियरिंग उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग का विकास हुआ है। गुडगाँव में प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल, वस्त्र निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बी.पी.ओ. (Business Process Outsourcing) के हैं।

8 कोल्लम-तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश : यह औद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर स्थित है। इसका विस्तार तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुजा, एर्णाकुलम तथा त्रिचुर ज़िलों में है। यह प्रदेश देश के खनिज प्रदेशों से काफी दूर स्थित है, अतः इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है।

इन उद्योगों के अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, कागज उद्योग, मछली आधारित उद्योग, नारियल रेशे के उत्पादों से संबंधित उद्योग, सीमेंट उद्योग और तेल परिष्करण उद्योग इन प्रदेशों में हैं।

दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक क्षेत्र : छत्तीसगढ़ में स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र मूलतः स्थानीय खनिजों पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के तकनीकी सहयोग से की गई। यह संयंत्र कोलकाता-मुंबई मार्ग पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले के भिलाई



मानचित्र 4.3 : भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश

नगर में स्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क 97 किमी. दक्षिण में स्थित दल्ली-राजहरा पहाड़ियों से आता है। कोयला कोरबा एवं झारखण्ड की झरिया खानों से आता है। अन्य खनिज समीप ही पाए जाते हैं। इस उद्योग से सम्बद्ध कई इकाइयाँ भिलाई इस्पात संयंत्र को कलपुर्जे तथा उपकरण की आपूर्ति करने लगी हैं। भिलाई संयंत्र से कच्चे माल की सुविधा के कारण इस भाग में इस्पात की रोलिंग मिल्स तथा रायपुर में रेल वैगन सुधारने का कारखाना है। कृषि आधारित राईस (चावल) मिल का भी विकास हुआ है। इनके अलावा इलेक्ट्रिकल्स, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक उद्योग भी काफी विकसित हो रहे हैं।

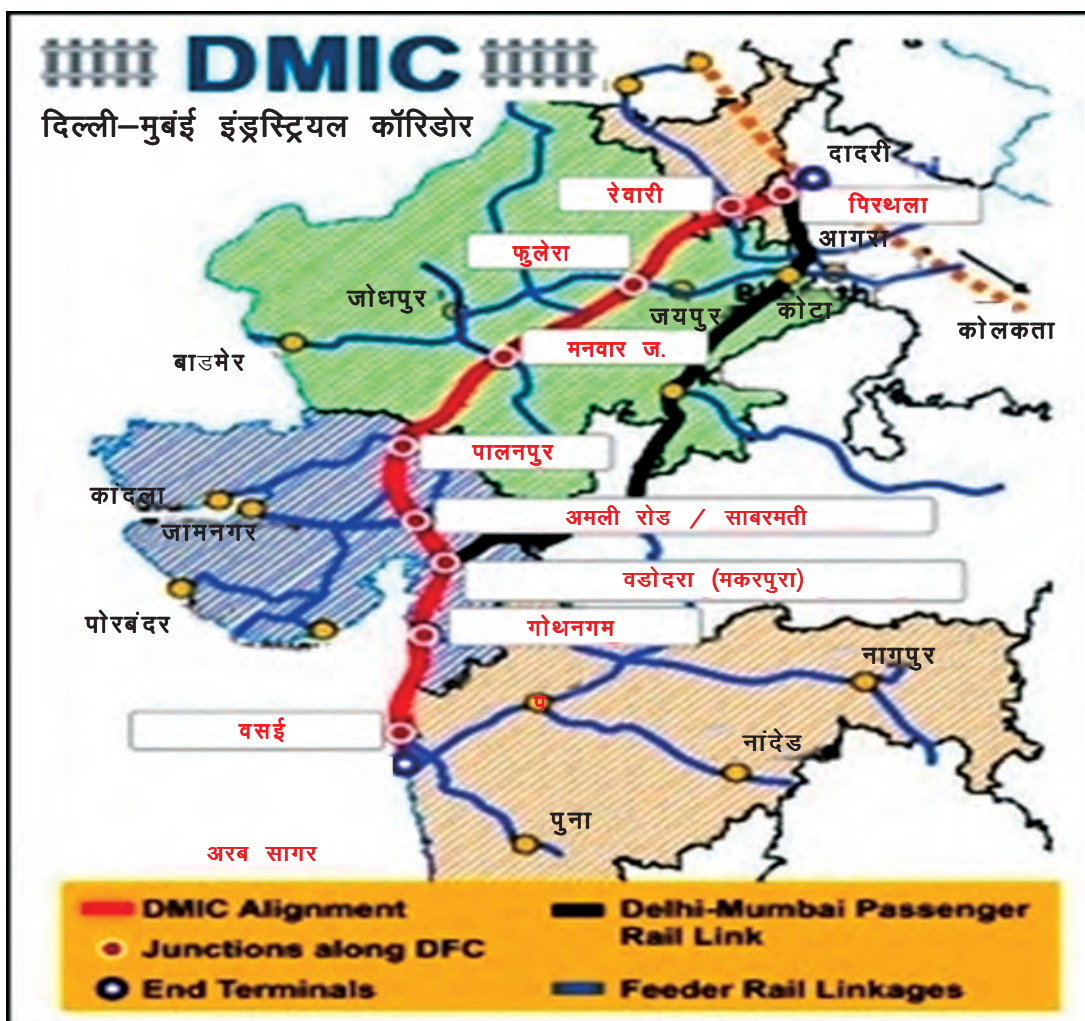
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 'बाल्को' की आधारशिला 27 नवम्बर 1965 को रखी गई थी जिसमें उत्पादन 7 मई 1975 से आरंभ हुआ। कोरबा के अतिरिक्त सरगुजा के मैनपाट, अमरकंटक व आसपास के अन्य जगहों पर बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। बॉक्साइट के नए स्रोतों के रूप में बाल्को की सरगुजा जिले की मैनपाट खदान से तथा साथ ही 'फुटका पहाड़' स्थित बाल्को की निजी खानों से बॉक्साइट प्राप्त किया जा रहा है। कोरबा में आज 671 औद्योगिक उपक्रम (यूनिट) – मध्यम और बड़ी यूनिटें – स्थापित हैं।

कोरबा के बीचों-बीच से गुजरने वाली हसदो नदी कारखाना को पानी की आवश्यकता पूरी करेगी। आज इस संस्था में 6000 कर्मचारी कार्यरत हैं। हम जानते हैं कि यहाँ बॉक्साइट के अतिरिक्त कोयला का विशाल भण्डार था। कोयले का विशाल भण्डार होने से यहाँ थर्मल पावर की स्थापना हुई है जिससे इस संयंत्र को व राज्य को बिजली की आपूर्ति होती है। इस तरह यह ऊर्जा के केन्द्र के रूप में उभरा है। इसके साथ ही यहाँ सीमेंट, कागज तथा लुगदी, इलेक्ट्रिकल्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन तथा कोसा (टसर) के हथकरघा उद्योग का विकास हुआ है। रायगढ़ में ज़िंदल ग्रुप का लौह इस्पात का कारखाना कार्यरत है। इस क्षेत्र के मुख्य औद्योगिक केन्द्र भिलाई, दुर्ग, रायपुर कुम्हाररी, जामुल, मांडर, महासमुंद, उरला, धरसीवां, बिलासपुर, कोरबा, चांपा, अकलतरा, रायगढ़, गोपालपुर, सिरगिट्टी हैं।

2007 में सरकार ने देश में औद्योगिक विकास, आय में बढ़ोत्तरी, रोजगार के प्रोत्साहन तथा औद्योगिक/आर्थिक गलियारों के विकास के लिए नीतिगत पहल की है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (Delhi Mumbai Industrial Corridor) के रूप में आठ निवेश क्षेत्रों की घोषणा की गई है। इनकी विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है :

1. अहमदाबाद – धौलेरा निवेश क्षेत्र, गुजरात
2. शेंद्रा – बिदकिन औद्योगिक पार्क सिटी, औरंगाबाद के निकट, महाराष्ट्र
3. मनेसर – बावल निवेश क्षेत्र, हरियाणा
4. खुशखेड़ा – भिवाड़ी – नीमराणा निवेश क्षेत्र, राजस्थान
5. पीथमपुर – धार – महू निवेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश
6. दादरी – नोएडा – गाज़ियाबाद निवेश क्षेत्र, महाराष्ट्र और
7. जोधपुर – पाली – मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान

इसके अलावा चेन्नई बंगलुरु औद्योगिक गलियारा, बंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा हैं।



मानचित्र 4.4



औद्योगिकीकरण के प्रभाव

औद्योगिकीकरण के कई फायदे हैं –

- उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफी सस्ती दरों पर उपभोक्ता के लिए सामान उपलब्ध होता है।
- औद्योगिकीकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफी वृद्धि होती है।
- उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध हैं। ग्राहकों को विकल्पों की व्यापक विविधता मिलती है।
- औद्योगिकीकरण नए रोजगार के अवसर पैदा करता है।
- औद्योगिकीकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन का नए तरीके से विकास होता है।
- संसाधनों का उपयोग किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा की कमाई होती है।

औद्योगिकीकरण से केवल लाभ ही नहीं होता बल्कि कई तरह से पर्यावरणीय समस्याएँ पैदा होती हैं। उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल तथा शक्ति के साधन की ज़रूरत पड़ती है। कच्चे माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ भूमि क्षरण तथा संसाधनों के समाप्त होने का भय बना रहता है। कारखानों के अपद्रव पदार्थ से जल, थल व वायु प्रदूषण की गंभीर समस्याएँ पैदा होती हैं। सभी छोटे-बड़े औद्योगिक नगर इससे ग्रसित हैं। इस तरह तेज़ गति से होने वाला औद्योगिकीकरण पर्यावरणीय समस्याओं की जननी भी है।

एक सीमा के बाद जब भूमि, परिवहन, मज़दूर, बिजली, पानी आदि महँगे होने लगते हैं, मज़दूरों की हड़ताल आदि की भी समस्याएँ होने लगती हैं तो उद्योगों का हस्तांतरण होने लगता है। कई बार सरकार भी किसी खास नगर में उद्योग लगाने से मना कर देती है जिससे वहाँ उद्योग नहीं लग पाते हैं।

अभ्यास

रिक्त स्थान को पूरा करें :

- क. भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश में और औद्योगिक प्रदेश हैं जबकि पश्चिमी तटीय प्रदेश में और औद्योगिक प्रदेश हैं।
- ख. छत्तीसगढ़ में स्लरी पाइप लाइन खदानों से लौह अयस्क को पहुँचाने के लिए बनी है।
- ग. मोटरगाड़ी उद्योग भारत के और औद्योगिक प्रदेशों में स्थित है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :

1. कौन-कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं?
2. भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज क्या है?
3. स्वतंत्रता के बाद पहला खनिज संबंधित कानून किस उद्देश्य से बना था?
4. कब विदेशी कंपनियों को उत्खनन के लिए अनुमति मिली?
5. किस तरह के उद्योग कच्चा माल के स्रोतों के पास लगाए जाते हैं और किस तरह के उद्योग बाज़ार के पास लगाए जाते हैं?
6. उद्योग स्थापित करने में बैंकों की क्या भूमिका है?
7. पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए सरकार को ही क्यों पूँजी लगानी पड़ती है?
8. पन बिजली और ताप बिजली में क्या अन्तर है?
9. उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उनका क्या निदान है?
10. उत्खनन से स्थानीय समुदायों को कम-से-कम हानि हो और उनको इसका लाभ भी मिले, इसके लिए क्या किया जा सकता है?
11. उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है?

12. उत्खनन के लिए ज़रूरी तकनीक और पूँजी उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें राष्ट्रीय हितों को क्या खतरा हो सकता है?
13. विदेशी कंपनियों को खनन उद्योग में प्रवेश करने देने से क्या लाभ और हानि हो सकती है?
14. भारत में जिन ज़िलों में खनिज संपदा सर्वाधिक है वहीं हमारे देश के सबसे गरीब लोग रहते हैं और वे सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं, आपके विचार में ऐसा क्यों है?
15. पिछले पचास वर्षों में उद्योग विकसित देशों से विकासशील देशों में क्यों पलायन कर गए? उदाहरण सहित उत्तर दें।
16. औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं? एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहाँ से उद्योग क्यों हट जाते हैं?
17. मज़दूरी और बाज़ार निर्माण में क्या संबंध है?

परियोजना कार्य

छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की सूची बनाइए। वहाँ किन उद्योगों की प्रमुखता है और वे वहाँ क्यों स्थित हैं? इस पर एक विस्तृत विवरण तैयार करके प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता पर एक पोस्टर तैयार करें।

छत्तीसगढ़ में संगठित और असंगठित मज़दूर तथा कुशल और अकुशल मज़दूरों की दशा की तुलना करके एक नाटक तैयार करें।





मानव संसाधन

किसी जगह कितने लोग रहते हैं इससे वहाँ की 'आबादी' की गणना की जाती है। आबादी का संबंध किसी स्थान विशेष से होता है। आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं जैसे हमारे गाँव की जनसंख्या 675 है अथवा रायपुर ज़िले की आबादी बस्तर ज़िले से अधिक है आदि-आदि। अगर हम इन वाक्यों पर गौर करें तो पाएँगे कि इनमें किसी-न-किसी क्षेत्रीय इकाई का ज़रूर ज़िक्र किया जा रहा है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई, जैसे-गाँव, शहर, देश, आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहाँ की 'जनसंख्या' या 'आबादी' कहते हैं। जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसकी कार्य-कुशलता से कोई न कोई उत्पादक कार्य पूर्ण होता हो।

किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे देश की कुल आबादी कितनी है? वह हर साल किस दर में बढ़ या घट रही है? लोग वहाँ औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं? उसमें महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है? बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात क्या है? उनमें उत्पादकों (काम करने वाले लोगों) का अनुपात क्या है? उनमें नगरों में निवास करने वाले और गाँव में रहने वालों का अनुपात क्या है? उनमें साक्षर कितने हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कितने हैं? उनमें गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं?

यह सब जानकारी हमें कहाँ और कैसे मिलती है? आजकल दुनिया के लगभग हर देश में जनगणना की जाती है यानी लोगों की गिनती। हमारे देश में हर दस साल में जनगणना की जाती है जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कब होगी?

1. आप जिस ज़िले में रहते हैं उसके प्रत्येक गाँव में प्रति 1000 की आबादी पर एक ऑगनवाड़ी केंद्र खोलने की योजना है आप कैसे पता करेंगे कि आपको कितने केंद्र खोलने होंगे?
2. छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य में कृषक परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना बनाना चाहती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पर पाँच हजार रुपये का खर्च होगा। अब सरकार कैसे तय करेगी कि कितने रुपयों की आवश्यकता है?
3. राज्य में वरिष्ठ नागरिकों (वृद्धों) के लिए वृद्धाश्रम खोलना है। तो ऐसे कितने आश्रमों की ज़रूरत है यह कैसे पता करेंगे?

कक्षा में चर्चा करें कि हमारे देश में पिछली जनगणना कब हुई थी और अगली जनगणना कब होगी, इस कार्य में कौन लोग मदद करते हैं, आँकड़ों को संग्रहित करने की प्रक्रिया क्या है? चर्चा करें।



चित्र : 5.1

जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आँकड़े

भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, पढ़े-लिखे लोगों की संख्या, अलग-अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह अलग-अलग कारणों से प्रवास करते हैं? इत्यादि ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हम जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्य में लगे लोगों की संख्या तथा आबादी के घटने एवं बढ़ने की दर का विश्लेषण करते हैं। इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे।

देश की आबादी की क्षमता और ज़रूरतों को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक-दूसरे से भिन्न होते हैं ऐसे में लोगों की इन विशेषताओं को समझना ज़रूरी हो जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आँकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं।

कुल जनसंख्या और वृद्धि दर

जनगणना की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश, राज्य, ज़िले, गाँव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। घर-घर जाकर पता करने के कारण जनगणना का यह आँकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी जिसके अनुसार भारत में कुल 1,210,193,422 यानी 121 करोड़ और दो लाख लोग थे। 2001 में भारत में 102 करोड़ और 87 लाख लोग थे। इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले दस वर्षों में 17.64 प्रतिशत बढ़ी है। इसे हम जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं।



2001 और 2011 के बीच कितने करोड़ लोग भारत की जनसंख्या में जुड़े?

एक साल में हमारी आबादी लगभग कितनी बढ़ जाती है?

पृथ्वी की कुल आबादी का 17.5 प्रतिशत भारत में रहता है। भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल चीन है जहाँ विश्व की आबादी का 20 प्रतिशत रहता है।

2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी 2,55,40,196 यानी दो करोड़ पचपन लाख से अधिक थी जो कि देश की कुल जनसंख्या का केवल 2 प्रतिशत है लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दस सालाना वृद्धि दर लगभग 22.6 प्रतिशत है।

भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहरों में और गाँवों में रहते हैं, यह भी जनगणना से पता चलता है। भारत आज भी ग्रामीणों का देश है, जहाँ लगभग 69 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं और केवल 31 प्रतिशत

जनगणना इतिहास

आधुनिक काल में प्रथम जनगणना का उल्लेख स्वीडन (1749 ईस्वी) में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित रूप से जनगणना 1790 से शुरू की गई और उसके 80 वर्ष बाद हमारे देश भारत में 1872 में। इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे देश हमसे करीबन 71 वर्ष पहले ही नियमित जनगणना का काम शुरू कर चुके थे।

भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में 1865 में जनगणना की स्वीकृति दी। उसी वर्ष जनगणना प्रश्नावली तैयार की गई। 1872 में पहली बार जनगणना की गई पर इसे पूर्णता के साथ लागू नहीं किया जा सका था। उसके 9 साल बाद 1881 में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को पूर्णता के साथ लागू किया गया।

भारत में सबसे नवीन जनगणना 2011 में की गई है जिसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 1210.19 लाख थी।

लोग शहरों में रहते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश के केवल 17 प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे। इससे हम अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 60 सालों में भारत में शहरीकरण कितना बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की आबादी का कितना हिस्सा शहरों में रहता है? हमारे राज्य के लगभग 23 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं जबकि 2001 में 20 प्रतिशत लोग ही शहरों में रहते थे।

आप अपने ज़िले की जनसंख्या पता करें। उसमें कितने महिला और पुरुष रहते हैं और उसमें शहरी आबादी का प्रतिशत भी पता करें इसका एक विस्तृत पोस्टर बनाकर कक्षा में टाँगें।

क्या आपको लगता है कि किसी देश या राज्य की शहरी आबादी का प्रतिशत बढ़ना उसके विकास का सूचक है? कारण सहित चर्चा करें।

लिंग अनुपात

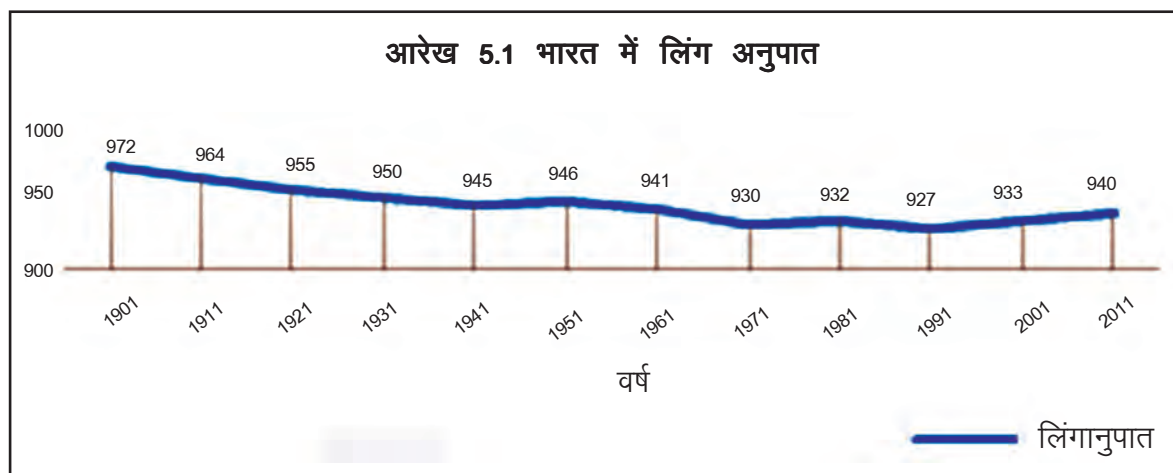
लिंग अनुपात का अर्थ होता है प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात 1006 है, जापान में 1057 है और नेपाल में 1073 है जबकि भारत में यह 940 है। सामान्य रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है जिसके कारण वे कम जीवित रह पाती हैं।

आपने विभिन्न अस्पतालों में बोर्ड पर सूचना लिखी हुई देखी होगी जिसमें लोगों को बताया जाता है कि "यहाँ प्रसव पूर्व लिंग जाँच नहीं की जाती"। क्या आपने सोचा कि ऐसी सूचनाएँ अस्पतालों में क्यों लिखी जाती होंगी?

2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है इसका अर्थ है कि प्रति एक हजार पुरुषों पर 940 ही स्त्रियाँ हैं। इस लिंगानुपात में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा लिंगानुपात है, जैसे, केरल (1084), तमिलनाडु (995), आंध्रप्रदेश (991) और छत्तीसगढ़ (991)। वहीं हरियाणा (877), गुजरात (912) और राजस्थान (926) में राष्ट्रीय औसत से भी कम लिंगानुपात

है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमजोर है और इसे सुधारने के लिए हम योजना बना सकते हैं।

लिंगानुपात के आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :



सबसे अधिक व सबसे कम लिंगानुपात किस दशक में रहा है?

किस दशक के बाद लिंगानुपात निरन्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है? बढ़ने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं?

2011 का लिंगानुपात लगभग किस दशक के बराबर हो गया है?

आँकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है जो समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते भेदभाव की तरफ इशारा करती है। शिक्षा एवं विकास के मामले में स्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनगणना के आँकड़ों से पता चलता है कि इस भेदभाव का प्रभाव सबसे अधिक छोटी उम्र की बालिकाओं पर पड़ रहा है। 0 से 6 वर्ष के आयुवर्ग में बालक, बालिका का अनुपात 1000/914 है।

हमने देखा कि देश के विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं। केरल, तमिलनाडु आदि को देखें तो वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन आदि ऐसे कारक हैं जिन्होंने इन राज्यों में लिंगानुपात को उच्च बना रखा है। इसके विपरीत देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ यह अनुपात चिंतनीय दशा में पहुँच गया है। उत्तर एवं पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों मसलन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में पितृ प्रधान समाज, महिलाओं के लिए उपलब्ध कम आर्थिक अवसर, ऐतिहासिक काल से चली आ रही असमानता आदि कारकों के चलते लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है, यहाँ लिंगानुपात 991 है। बस्तर जैसे प्रायः जनजाति बहुल जिलों में लिंग अनुपात 1000 या उससे भी अधिक है जबकि बिलासपुर जैसे मैदानी ज़िलों में अपेक्षाकृत कम है। लेकिन यहाँ भी शून्य से छह आयुवर्ग में लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है। 1991 में 984, 2001 में 975 एवं 2011 में 964 लिंगानुपात रहा।

इस प्रकार हमारे प्रांत के लिंगानुपात के आँकड़े एक तरफ जहाँ महिलाओं की अच्छी स्थिति का बयां करती है, तो दूसरी तरफ 0-6 आयु वर्ग के आँकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ भी पिछले तीन

दशकों में बालिका शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और इस आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी आती जा रही है।

इन आँकड़ों से एक ओर लग रहा है कि महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही है, मगर साथ-साथ आधुनिक तकनीकों के गलत उपयोग से बालिकाओं को पैदा होने से ही वंचित किया जा रहा है।

1901 की तुलना में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद आबादी में महिलाओं का अनुपात लगातार क्यों घटता रहा? आप कक्षा में चर्चा करें।

परियोजना कार्य : अपने आसपास पांच परिवारों का सर्वेक्षण करके सूची बनाएँ कि उनमें कुल कितने पुरुष और महिलाएँ हैं और छः साल तक के कुल कितने बालक और बालिकाएँ हैं। इसके आधार पर प्रति दस पुरुष, महिला व बालिकाओं का अनुपात निकालिए।

आयु संघटन (बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात)

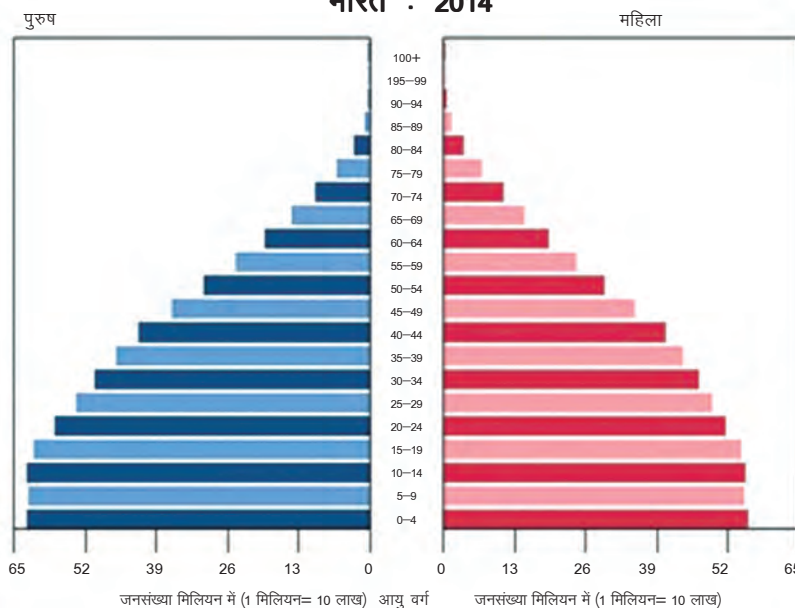


चित्र : 5.2

विश्लेषण के लिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या को तीन विस्तृत आयु वर्ग में बाँटा जाता है बालक वर्ग, युवा वर्ग एवं वृद्ध वर्ग। किसी भी समाज में अधिकतम उत्पादक क्षमता युवा वर्ग में होता है जो घरों, खेतों, कारखानों व दफ्तरों में काम कर सकता है। बच्चे और बूढ़े प्रायः उनपर आश्रित होते हैं। बच्चे भविष्य के उत्पादक बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार करना होगा। दूसरी ओर वृद्धजनों के लिए सहायता के विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता होगी। इस तरह की नीति निर्माण के लिए यह जानना जरूरी है कि देश व प्रदेश में आबादी की आयु वर्गों का वितरण कैसा है?

आरेख 5.2

भारत : 2014



बालक-बालिका वर्ग : इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र को शामिल किया जाता है, सामान्य रूप से इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं और इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति आदि की व्यवस्था दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों को क्रियाशील नहीं माना जाता, हालाँकि बहुत सारे क्षेत्रों में बाल श्रमिक की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता।

युवा वर्ग : इस वर्ग में 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग आते

हैं। गौर करेंगे तो पाएँगे कि यह आयु वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होता है और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही अन्य दोनों आयु वर्ग के लोग (बालक और वृद्ध) आश्रित रहते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है। रोज़गार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज़्यादा प्रवास इसी वर्ग से होता है।

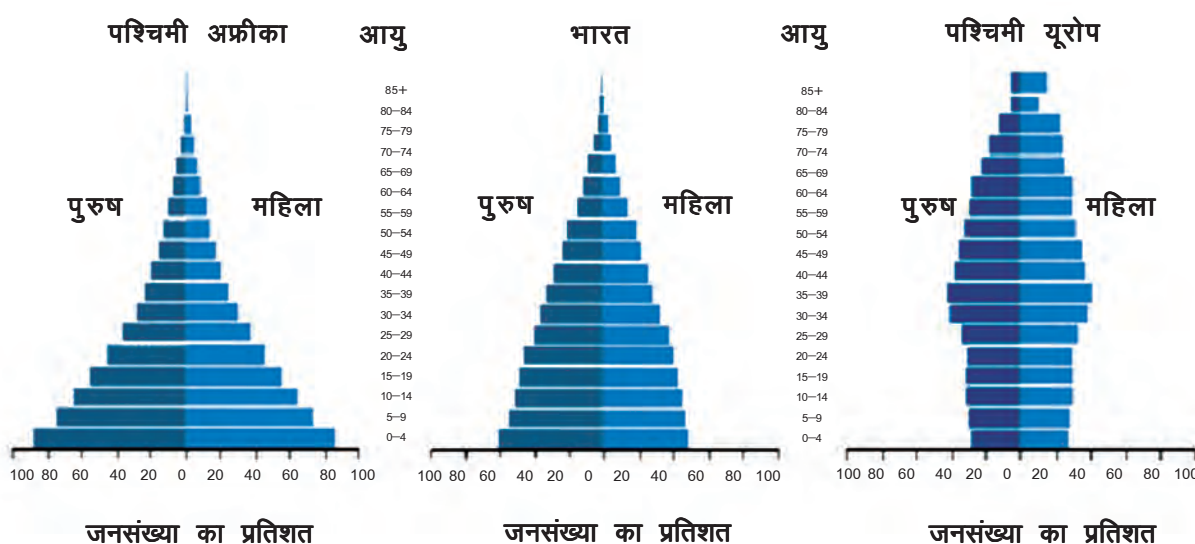
वृद्ध वर्ग : 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। इस उम्र के बाद लोगों की क्रियाशीलता में कमी आने लगती है और इस वर्ग के अधिकांश लोग (जो नौकरी पेशा नहीं हैं और जिनका कोई मज़बूत आर्थिक आधार नहीं है) अपनी ज़रूरतों के लिए युवा वर्ग पर आश्रित रहते हैं।

किसी देश में अगर बालक-बालिका वर्ग के लोग बहुत कम हों तो उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा हैं तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी?

किसी भी देश के आयु विन्यास को दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। भारत के आयु पिरामिड को आरेख भारत 2014 में देखें। इसमें प्रत्येक चार वर्ष के अन्तराल में महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। आप देख सकते हैं कि भारत में 2014 में बच्चों और युवाओं का अनुपात वृद्धों की तुलना में अधिक है। उसमें भी 20 वर्ष की आयु से कम लोगों का अनुपात अन्य किसी आयु वर्ग से अधिक है। इसका मतलब है कि अगले 20 वर्ष तक भारत में उत्पादक कार्य करने वाले उम्र में लोगों की कमी नहीं आएगी। साथ ही वृद्धों की संख्या कम होने के कारण अर्थव्यवस्था पर कम भार होगा। लेकिन अगर हम महिला और पुरुष वाले स्तंभों की तुलना करें तो पता चलेगा कि आने वाली युवा पीढ़ी में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम होने वाली है क्योंकि 8 साल से कम उम्र के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात बहुत कम है। अब हम भारत के इस आरेख की तुलना पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेखों से करेंगे।

आरेख 5.3



पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेखों की भारत की आरेख से तुलना करके बताएँ कि क्या वहाँ भी 10 साल से कम उम्र के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात कम दिखाई दे रहा है?

पश्चिमी अफ्रीका के आरेख से पता चलता है कि वहाँ की आधे-से-अधिक आबादी की उम्र 20 वर्ष से कम है। वहाँ 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग 12 प्रतिशत से भी कम हैं। यह एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है जहाँ अधिकतर लोग पचास वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। इसकी तुलना पश्चिमी यूरोप से करें तो एक और चिन्ताजनक बात उभरती है। यूरोप में आप देख सकते हैं कि लगभग 35 प्रतिशत लोग पचास वर्ष से अधिक उम्र के हैं। लेकिन अगर हम वहाँ बच्चों की दशा देखें तो पाते हैं कि वहाँ लगातार बच्चों का अनुपात कम होते जा रहा है। अर्थात् पश्चिमी यूरोप में अधिक लोग लंबी उम्र तक जीते हैं मगर वहाँ इतने कम बच्चे पैदा हो रहे हैं कि आने वाले दशकों में वहाँ की आबादी कम होती जाएगी और धीरे-धीरे वहाँ वृद्धजन अधिक हो जाएंगे।

पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के बीच इस अन्तर के कई कारण हो सकते हैं। पहला यह कि यूरोप में आय और स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है कि ज्यादातर लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं जबकि अफ्रीका में गरीबी और कमजोर स्वास्थ्य सेवा के चलते लोग कम उम्र में ही मर रहे हैं। बाल मृत्यु दर वहाँ काफी अधिक है। दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप में आर्थिक समृद्धि के चलते लोग बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए कई यूरोपीय देशों में बच्चे पालने के लिए विशेष प्रोत्साहन और राजकीय मदद दी जाती है।

पश्चिमी यूरोप का आरेख या पिरामिड लगभग बेलनाकार है — 0 से 40 वर्ष की आयु तक किसी वर्ग का प्रतिशत कम नहीं हो रहा है जबकि भारत का आरेख तिकोनाकार है हर आयुवर्ग का प्रतिशत नीचे की तुलना में कम है। इसका भारत में बच्चों की स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा से क्या संबंध हो सकता है? कक्षा में चर्चा करें।

भारत, यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका, तीनों में कहाँ बच्चों व युवाओं (40 वर्ष से कम) का अनुपात सबसे अधिक है?

कहाँ पर युवाओं (15 से 40 वर्ष) का अनुपात सर्वाधिक है?

कहाँ पर वृद्धों का (60 वर्ष से अधिक) का अनुपात सर्वाधिक है?

काम और कार्यशील जनसंख्या

हमारे देश की जनगणना में किसे श्रमिक या उत्पादक (काम करने वाला) मानें ये बहुत उलझाने वाले सवाल हैं। ज्यादातर लोगों के पास कोई नियमित काम नहीं होता उनके काम का स्वरूप बदलते रहता है। लोगों के पास कभी रोजगार होता है और कभी वे खाली बैठे होते हैं। ऐसे में उन्हें किस श्रेणी में गिना जाए? इसका ठीक-ठीक हल तो नहीं निकल सकता है मगर जनगणना आयोग उसके लिए एक कामचलाऊ परिभाषा का उपयोग करता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक काम को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी के साथ जोड़कर देखा गया है। यह भागीदारी शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में हो सकती है। काम के अंतर्गत न केवल वास्तविक काम शामिल हैं बल्कि सुपरवाइज़री और निर्देशन भी इस श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से खेत, पारिवारिक उद्यम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधियों में मदद या अवैतनिक काम भी शामिल हैं। इस तरह उपर्युक्त कार्यों में लगे सभी लोग श्रमिक हैं। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए भी पूरी तरह से खेती या दूध के उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको भी श्रमिक के रूप में माना जाता है लेकिन दैनिक घरेलू काम करना जैसे-खाना पकाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल, घर की साफ-सफाई आदि को उत्पादक श्रम नहीं माना गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश के 30 प्रतिशत लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 10 प्रतिशत लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 60 प्रतिशत लोग उत्पादक काम में नहीं

लगे हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा फर्क है :— यहाँ 32 प्रतिशत लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 16 प्रतिशत लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 52 प्रतिशत लोग उत्पादक काम में नहीं लगे हैं।

साक्षरता

2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी अर्थात् हर चार में से तीन व्यक्ति पढ़े-लिखे थे। अगर आप पहले की जनगणना के आँकड़ों पर नज़र डालेंगे तो पाएँगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की है। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में जहाँ साक्षरता महज़ 18 प्रतिशत थी अर्थात् 100 में से 82 लोग निरक्षर थे वहीं 2001 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 64.84 हो गई।

हालाँकि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर 74 प्रतिशत से ऊपर हो गई। पर इसमें स्थान और लिंग के हिसाब से भिन्नता पाई जाती है। जहाँ पुरुषों की साक्षरता 82.14 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता 65.46 प्रतिशत है। इसी प्रकार साक्षरता की दरों में स्थानिक भिन्नता भी दिखाई देती है, जैसे कि एक तरफ जहाँ केरल (93.93%), मिज़ोरम (91.58%), त्रिपुरा (87.75%) राष्ट्रीय औसत से उच्च साक्षरता दर वाले राज्य हैं, वहीं बिहार (63.82%), राजस्थान (67.06%), झारखण्ड (67.65%) आदि ऐसे राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

छत्तीसगढ़ की साक्षरता कितनी है? आप अपने ज़िले की साक्षरता की स्थिति का पता करें और चर्चा करें कि इसका आपके ज़िले के विकास के साथ क्या संबंध है?

क्या छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में महिलाओं की साक्षरता दर समान है अगर ऐसा नहीं है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?

जनसंख्या और विकास

विकास का मतलब क्या है? क्या विकास का मतलब केवल उत्पादन में सतत वृद्धि है? किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या नहीं यह कैसे पता करें? इन बातों पर आपने अर्थशास्त्र के पहले पाठ में पढ़ा होगा।



हम किस तरह के मानवीय जीवन को विकसित जीवन कह सकते हैं? इन सवालों के



चित्र 5.3 : महबूब उल हक



चित्र 5.4 : अमर्त्य सेन

जवाब खोजने में दो अर्थशास्त्रियों का महान योगदान रहा है — वे हैं पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास को मापने के कुछ सुझाव रखे। हक और सेन का मानना था कि किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उनके पास अपने इच्छानुसार जीवन जीने के मौके हैं या नहीं और क्या उनके पास वो ज़रूरी क्षमताएँ हैं जिनकी मदद से वे

अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें? हक के अनुसार: विकास का उद्देश्य मानव द्वारा विभिन्न जीवन विकल्पों में से चुनने के अवसरों को बढ़ाना है, केवल आय वृद्धि मात्र नहीं है। मानव विकास का उद्देश्य मानव क्षमताओं की वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग है। उन्होंने माना कि इसके लिए ज़रूरी है

Human Development
Report 2015
Work For Human Development



चित्र 5.3 : मानव विकास रिपोर्ट 2015:
मानव विकास के लिए काम

लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, आय व संसाधनों का अधिक समान वितरण विशेषकर महिलाओं का सशक्तीकरण और आर्थिक विकास।

इस विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने कुछ मूलभूत मापदण्ड तय किए। पहला मापदण्ड स्वास्थ्य से संबंधित है – किसी देश में लोग औसतन कितनी आयु तक जीवित रहते हैं? इसे जन्म पर सम्भावित आयु भी कहते हैं। यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति प्रायः अधिक उम्र तक जीवित रहता है। दूसरा मापदण्ड है शिक्षा। लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुज़ारे हैं और उनकी कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। तीसरा मापदण्ड है आर्थिक विकास। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इस पक्ष का आकलन किया जाता है। इन तीनों पक्षों को जोड़कर किसी देश के

मानव विकास को आंका जाता है। इसके अनुसार भारत का स्थान विश्व में 130वाँ है और उसे 609 अंक प्राप्त हैं। सर्वाधिक अंक 944 नार्वे को मिले हैं जो मानव विकास में अग्रणी है। भारत में जन्म पर सम्भावित आयु 68 वर्ष है जबकि नार्वे में यह 81.6 वर्ष है। भारत में औसतन वयस्क व्यक्ति 5.4 वर्ष तक स्कूल में पढ़ा है जबकि नार्वे के औसतन वयस्क 12.6 वर्ष शिक्षा प्राप्त हैं। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 5497 अमेरिकी डॉलर है जबकि नार्वे की प्रति व्यक्ति आय 64,992 अमेरिकी डॉलर है। (ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, पृ. 212-214)

वैसे किसी देश के मानवीय विकास को आंकने के लिए कई और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं जैसे— साक्षरता दर, कुपोषित बच्चों व वयस्कों की दर, शिशु व बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, आदि। इनके बारे में आप इस पुस्तक के अन्य अध्यायों में पढ़ेंगे।

रीमा कहती है कि अगर किसी महिला को स्वस्थ और शिक्षित होने पर भी नौकरी करने और अपने मनमुताबिक जीवन जीने नहीं देते तो यह विकास नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कक्षा में चर्चा करें।

अगर किसी देश में आय का स्तर अधिक हो मगर शिक्षा का स्तर कम हो तो क्या समस्या होगी?

अगर किसी देश में शिक्षित लोग ऊँची आय के हों मगर स्वास्थ्य कमज़ोर हो तो क्या समस्या होगी?

जनसंख्या एवं गरीबी

क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? इस मुद्दे पर लंबे समय से वाद-विवाद चलता रहा है। कई लोगों का मानना है कि संसाधन और उत्पादन सीमित हैं। यदि इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का लाभ कम मिलेगा जबकि उपयोग करने वाले लोग कम हो तो सबके लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होगा लेकिन मामला इतना सरल और सीधा नहीं है।

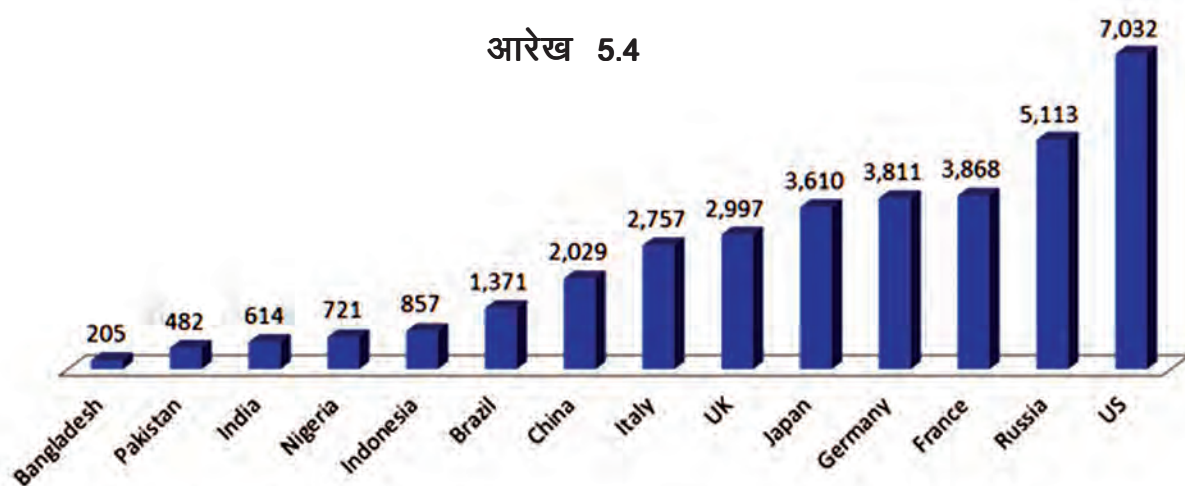
पहली बात यह है कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होते, वे तकनीक पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते थे तो उनकी ऊर्जा का स्रोत जंगलों पर निर्भर था जो सीमित थे। लेकिन जब खनिज कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा तो ऊर्जा के नए और विशाल भंडार सामने आए और उनके उपयोग से उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। अतः तकनीकी बदलाव

से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और बढ़ती आबादी में बाँटने के लिए पर्याप्त सम्पन्नता हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने के लिए कितने लोग हैं और उनकी कार्य कुशलता कैसी है। समाज में अधिक कार्य कुशल (स्वस्थ और शिक्षित) लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी रूस में कई दशकों से आबादी कम होती जा रही है और वहाँ की सरकार इससे खुश न होकर आबादी को स्थिर करने व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यह इसलिए क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर ही कारखानों, दफ्तरों व खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

तीसरी बात यह है कि गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि उनके असमान वितरण के कारण होती है। अगर समाज के कुल उत्पादन को सभी लोगों में समान बाँटते हैं तो न कोई गरीब होगा और न कोई अमीर। कम आबादी होते हुए भी अगर समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा और कुछ लोग गरीब बने रहेंगे। इसी का परिणाम है कि विकसित माने-जाने वाले देशों में भी गरीब आबादी है।

आरेख 5.4



स्तंभालेख प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग (किलो खनिज तेल में)

स्रोत: "Energy Use Per Capita". World Development Indicators. World Bank.

अगर हम विश्व स्तर पर इसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में अधिक आबादी वाले गरीब देश जैसे—बांग्लादेश, भारत, आदि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। उपर्युक्त तालिका से इस बात की पुष्टि होती है।

इसमें आप देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश के औसत निवासी जहाँ एक हजार किलो तेल से भी कम खपत करते हैं वहीं विकसित देश के निवासी दो हजार से सात हजार किलो प्रति व्यक्ति उपभोग करते हैं। यदि हम (भारत की पूरी आबादी) जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी की खपत से करें तो पाते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत केवल एक तिहाई ऊर्जा का उपयोग करता है। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र एक चौथाई है, फिर भी वह भारत से तीन गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। यह अलग बात है कि भारत में भी सब लोग समान रूप से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। शहर के लोग विशेषकर अमीर लोग एक तरफ और सुदूर अंचलों के जनजाति दूसरी ओर कितने संसाधनों की खपत करते हैं यह गणना करना बहुत कठिन है।

अगर हम यह मान लें कि अमेरिका के सामान्य मध्यम वर्ग का जीवनस्तर दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो तो क्या हमारी दुनिया के संसाधन पर्याप्त हैं? शायद नहीं। गाँधी जी ने कभी कहा था कि धरती पर हर इन्सान की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं मगर किसी के लालच के लिए नहीं।

इस तर्क के साथ-साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि गरीबी और ऊँची जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कुछ संबंध ज़रूर है। 1974 में बुखारेस्ट में हुए जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने एक विचार विश्व जनमत के सामने रखा कि विकास ही सर्वोत्तम गर्भनिरोधक है अर्थात् विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। यह देखा गया है कि विकसित देशों में जहाँ लोगों की शिक्षा और कार्यकुशलता अधिक है और जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ कारगर हैं वहाँ बाल मृत्यु दर बहुत कम है और औसत उम्र भी अधिक है। उन देशों में प्रायः यह भी देखा गया है कि महिलाओं को स्वतंत्रता और अपने जीवन और व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने के अधिकार हैं। इन सब बातों का एक प्रभाव यह भी है कि वहाँ लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। जिन देशों में बच्चों में मृत्यु दर अधिक है माता-पिता को पता नहीं रहता है कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं। अतः वे दो से अधिक बच्चों को पैदा करते हैं ताकि कोई तो बचेगा। इसी तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना होता है तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाल मजदूरों का उपयोग किया जाता है यह भी अधिक बच्चे पैदा करने का एक कारण है। माता-पिता यही सोचते हैं कि अधिक बच्चे हों तो घर पर अधिक आमदनी होगी। जिन समाजों में महिलाएँ शिक्षित हैं और अपना जीवन अपनी रुचि से संचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं, वहाँ कम बच्चे पैदा करते हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी उचित देखभाल भी हो पाती है। कुल मिलाकर यह देखा गया है कि उपर्युक्त मायनों में विकसित समाजों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षतया कम होती है। भारत में भी केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहाँ शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता अधिक है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम है।

इसका अर्थ यह है कि अगर सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुँचते हैं, संसाधनों के वितरण की असमानता दूर होती है, गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएँ एवं रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो जनसंख्या और विकास के बीच की खाई कम होगी और आबादी का प्रश्न हल होगा। इस दिशा में हमें अनेक बाधाएँ और नीतिगत विसंगतियाँ दूर करनी होंगी तथा ईमानदारी से काहिरा सम्मेलन के बुनियादी विचार को व्यवहार में लागू करना होगा।

जरा सोचें -

एक औसत बांग्लादेशी की तुलना में एक औसत भारतीय व्यक्ति कितना अधिक ऊर्जा स्रोत का खपत करता है?

एक औसत भारतीय की तुलना में एक औसत चीनी कितना अधिक ऊर्जा स्रोत का खपत करता है?

दीनू का कहना है कि अगर किसी देश में आबादी अधिक होगी तो वहाँ सबको कम आय मिलेगी। क्या यह तर्क आपको ठीक लगता है?

मीनू का कहना है कि अगर किसी देश में आबादी कम हो तो उसमें उत्पादन करने वालों की कमी होगी और वे उत्पादन कम करेंगे। पूरा देश गरीब बना रहेगा। क्या यह तर्क आपको ठीक लगता है?

टीनू का कहना है कि अगर किसी देश में ऊँच-नीच अधिक है तो वहाँ गरीबी होगी क्योंकि गरीबी का संबंध न कम आबादी से है न अधिक आबादी से बल्कि लोगों के बीच असमानता से है। क्या यह तर्क आपको ठीक लगता है?

अभ्यास

वैकल्पिक प्रश्न

- जनगणना नहीं होने पर क्या होगा?
(क) साक्षरता में वृद्धि नहीं होगी। (ख) रोजगार के साधन कम हो जाएँगे।
(ग) कृषि नहीं होगी।
(घ) लोगों के विभिन्न प्रकार के आँकड़ों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी।
- 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है, इसका आशय है कि :-
(क) लिंगानुपात कम है। (ख) लिंगानुपात अधिक है।
(ग) लिंगानुपात संतुलित है। (घ) कुछ कहा नहीं जा सकता है।
- सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग है :-
(क) बालक वर्ग (ख) युवा वर्ग
(ग) वृद्ध वर्ग (घ) इनमें से कोई नहीं
- साक्षरता दर में वृद्धि होना किसी देश के लिए :-
(क) अच्छा है। (ख) अच्छा नहीं है।
(ग) न तो अच्छा है और न ही बुरा है। (घ) कभी अच्छा तो कभी बुरा है।
- एक भारतीय की तुलना में एक अमेरिकी संसाधनों का उपभोग करता है :-
(क) बराबर (ख) कम
(ग) दोगुना (घ) 300 गुना

निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें -

- जनगणना से कौन-कौन से आँकड़े प्राप्त होते हैं?
- जनगणना के आँकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं?
- किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा?
- 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है किंतु 0-6 आयुवर्ग में यह 914 है। इसके क्या कारण हो सकते हैं?
- भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है इसके क्या कारण हैं?
- 'बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण दें।
- 2011 में रायपुर शहर में पुरुषों की संख्या 518611 एवं महिलाओं की संख्या 491822 है। रायपुर शहर का लिंगानुपात क्या होगा?

परियोजना कार्य

- जनगणना करने के लिए शिक्षक के साथ मिलकर प्रश्नावली तैयार करें और अपने मुहल्ले अथवा टोले की जनगणना कर निम्नांकित आँकड़ा प्राप्त करें।
कुल जनसंख्या, लिंगानुपात, 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात, साक्षरता दर, बाल, युवा, वृद्ध जनसंख्या
- प्राप्त आँकड़ों के आधार पर अपने मुहल्ले के आयु पिरामिड की रचना करें।





मानव अधिवास

अधिवास निर्माण की पहली कड़ी मकान है। जिसके कार्य व संख्या के आधार पर मानव अधिवास गाँव, पुरवा, नगर, कस्बा और महानगर का रूप ग्रहण करता है।

चर्चा करें – आवास किन-किन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं?

मकानों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक

मकानों के निर्माण एवं प्रकार पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जहाँ वर्षा अधिक होती है, वहीं लोग मचानों पर बने झोपड़ों में रहते हैं। शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के मकान, घास के मैदानों में तम्बुओं तथा टुण्ड्रा जैसे शीत प्रदेश में बर्फ के बने मकानों में निवास करते हैं।

तापमान, वायु की गति एवं दिशा वर्षा की मात्रा, आर्द्रता आदि जलवायु के प्रमुख कारक हैं। प्रायः शीत एवं शीतोष्ण प्रदेशों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से लाभान्वित होने के लिए मकान का मुख्य द्वार पूर्व की ओर रखा जाता है। उष्ण प्रदेशों में कड़ी धूप से बचाने के लिए मुख्यद्वार पर छप्पर डालते हैं तथा दीवार की मोटाई अधिक रखी जाती है। ब्रिटेन में तीव्र गति से चलने वाली पछुआ हवाओं के कारण मकानों का रुख पूर्व या दक्षिण पूर्व रखा जाता है।



चित्र 6.1 : अमेजान बेसिन के मकान



चित्र 6.2 : तम्बू



चित्र 6.3 : इग्लू (टुण्ड्रा)

जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ मकान की छत चौरस और अधिक वर्षा वाले भागों में ढलवां छत बनाई जाती है। दरवाजों और खिड़कियों पर छज्जे बनाये जाते हैं।

मकानों के निर्माण में जहाँ जो संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं, प्रायः उसी का उपयोग किया जाता है। पर्वतीय भागों में पत्थर का उपयोग, वनाच्छादित भागों में बांस, तख्ते व लट्टे का उपयोग करते हैं। जापान जैसे भूकम्प प्रभावित देश में लकड़ी या हल्की वस्तुओं से मकान बनाते हैं। यातायात के साधनों के विकास एवं वर्तमान युग में उपलब्ध नए साधनों द्वारा अब मकानों के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान से प्राप्त संगमरमर का उपयोग देश के कोने-कोने में हो रहा है। टिन के चद्दर का उपयोग अधिक वर्षा वाले इलाकों में अधिक होता है।

मकानों के निर्माण में धरातलीय उच्चावच का ध्यान रखा जाता है। पर्वतीय ढालों में कई स्तर पर मकान बनाये जाते हैं। निचले ढाल की दीवार अधिक ऊँची व पीछे की ऊँचाई कम होती है। जबकि मैदानी भाग में समान ऊँचाई की दीवारें होती हैं। दलदली क्षेत्र में नींव गहरी व पक्की होती है।

सुरक्षा, गोपनीयता, एकान्तता मकानों के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं जैसे मसाई अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर क़ाल का निर्माण करते हैं। वर्तमान में भूमिगत कमरे भी बनने लगे हैं जो बहुमूल्य वस्तुओं को रखने और गोपनीयता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

आवास का आकार, प्रकार व सजावट निर्माणकर्ता की संपन्नता का प्रतीक है। आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति स्थानीय निर्माण सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री बाहर से मंगा लेते हैं।

सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आवास निर्माण में एक भाग पुरुषों के लिए, दूसरा भाग महिलाओं के लिए होता है। जहाँ परम्पराएँ व मान्यताएँ पुरानी हैं। इसी प्रकार भारत में वास्तुकला के अनुसार मकान निर्माण की परम्परा है।

ग्रामीण अधिवास

इस अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं। इनका प्रमुख कार्य कृषि से संबंधित होता है किन्तु स्थानीय कारीगर जैसे बढई, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, जुलाहे आदि सार्वजनिक कार्य करते हैं। कृषि प्रधान अधिवास में मुख्य बसाहट से हटकर कुछ घरों के समूह होते हैं, उन्हें पुरवा, टोला, पारा, आदि नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पारा, डीह, मजरा के नामों का प्रचलन है। इन गाँवों में अनेक सामाजिक सुविधाएँ सुलभ रहती हैं जैसे सार्वजनिक कुआँ, तालाब, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पंचायत, डाक घर, चिकित्सालय, क्रय-विक्रय केन्द्र, पुलिस थाना आदि।

भारत में ग्रामीण अधिवासों के निम्न प्रकार मिलते हैं :-

1. सघन अधिवास
2. विखंडित अधिवास
3. पल्ली-पुरवा अधिवास
4. प्रकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास

1. सघन अधिवास — इन अधिवासों में मकान पास-पास व सटकर बने होते हैं। इसलिए ऐसे अधिवासों में सारे अधिवास किसी एक केन्द्रीय स्थल पर संकेन्द्रित हो जाते हैं। यह आवासीय क्षेत्र खेतों व चरागाहों से दूर होते हैं। इन आवासों का वितरण उत्तर गंगा, सिन्धु का मैदान, ओडिशा तट, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र, असम, त्रिपुरा के निचले क्षेत्र तथा शिवालिक घाटी में मिलते हैं। राजस्थान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु इस प्रकार के अधिवास होते हैं।

2. बिखरित अधिवास — ऐसे अधिवास में केन्द्र में सघन बसाहट होती है। इसके चारों ओर पल्ली, पुरवा बिखरे हुए बसे होते हैं। सघन आवास की तुलना में यह अधिवास अधिक स्थान घेरते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के सहारे, म.प्र. के मण्डला, बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलते हैं।

3. पल्ली पुरवा अधिवास — इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाईयों में बिखरे रूप में बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास का अन्य अधिवासों पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। इन आवासों के बीच खेत होते हैं। सामान्यतः सामाजिक व जातीय कारकों द्वारा ऐसे आवास प्रभावित होते हैं। स्थानीय तौर पर इन्हें पल्ली, पारा, पुरवा, मोहल्ला, घानी आदि कहते हैं। इस प्रकार के अधिवास पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय मैदानों में पाये जाते हैं।

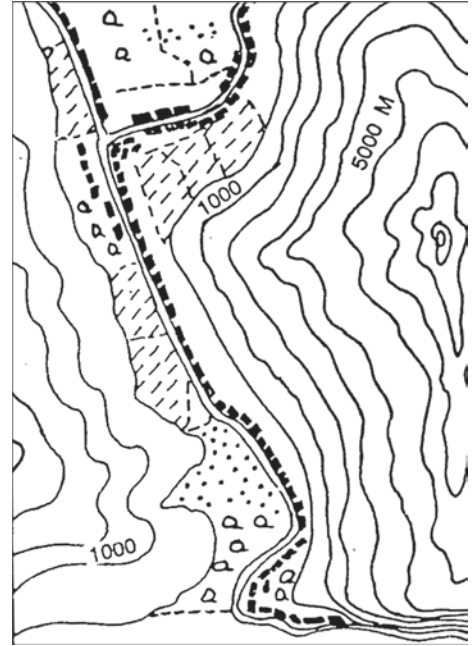
4. प्रकीर्ण या बिखरे अधिवास — इन अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। इन अधिवासों की इकाईयाँ छोटी-छोटी व घरों का समूह छोटा होता है। इनकी संख्या 2 से 60 हो सकती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं। छोटा नागपुर का पठार, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि में ऐसे अधिवास मिलते हैं जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं। उपर्युक्त सभी आवासों में निम्नलिखित प्रतिरूप पाये जाते हैं।

1. रेखीय प्रतिरूप — इस प्रकार के प्रतिरूप बहुधा मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, नदियों के किनारे मिलते हैं।

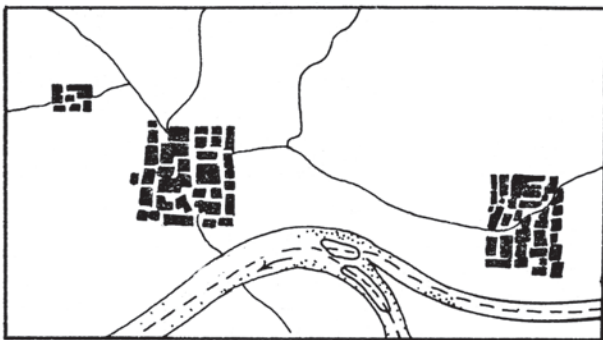
2. आयताकार प्रतिरूप — कृषि जोतों के चारों ओर ऐसे प्रतिरूप विकसित होते हैं। सड़कें आयताकार होती हैं, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे अधिवास मिलते हैं।

3. वर्गाकार प्रतिरूप — ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों व सड़कों के मिलन स्थल से संबद्ध होते हैं। ऐसे अधिवासों का संबंध का विस्तार कभी-कभी गाँवों में उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में ही करने की बाध्यता से होता है।

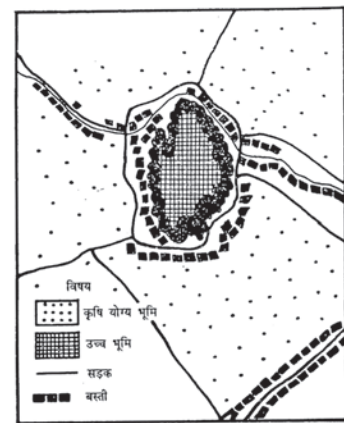
4. वृत्ताकार प्रतिरूप — ऐसे प्रतिरूप के अधिवास में सघन आबादी के कारण आवासीय इकाईयाँ बहुत अधिक सटकर बसी रहती है। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह एक शृंखलाबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है। यमुना के ऊपरी भाग, मालवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात राज्य में ऐसे अधिवासों के प्रतिरूप मिलते हैं।



चित्र 6.4 : रेखीय प्रतिरूप



चित्र 6.5 : आयताकार प्रतिरूप



चित्र 6.6 : वृत्ताकार प्रतिरूप

5. अरीय त्रिज्या प्रतिरूप — इस प्रकार के प्रतिरूप में सड़कें या गलियाँ किसी केन्द्रीय स्थान जैसे जल स्रोत, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक उन्मुख होती हैं। गुरु शिखर के पास माउण्ट आबू (राजस्थान) विंध्याचल मंदिर (उत्तर प्रदेश) उसके मुख्य उदाहरण हैं।

ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक —

1. प्राकृतिक कारक — भूमि की बनावट जलवायु, ढाल की दिशा, मृदा की उर्वरता, अपवाह तंत्र, भूजल स्तर आदि कारकों का प्रभाव आवास के बीच की दूरियों व प्रकार इत्यादि पर पड़ता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पानी



चित्र 6.7 : अरीय त्रिज्या प्रतिरूप

की उपलब्धता निर्णायक कारक है इसलिए वहाँ मकान किसी तालाब या कुएं के आस-पास संकेन्द्रित हैं।

2. जाति व सांस्कृतिक कारक — जातीयता, समुदाय, अधिवासों के प्रकार को प्रभावित करते हैं। भारत में सामान्य रूप से पाया जाता है कि प्रमुख भू-स्वामी जातियाँ गाँव के केन्द्र में बसती हैं और अन्य सेवाएँ प्रदान करने वाली जातियाँ ग्राम की परिधि में बसती हैं। इसका परिणाम सामाजिक पृथक्ता तथा अधिवासों का छोटी-छोटी इकाइयों में टूटना है।

सन् 1988 में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की गई जिसका दीर्घकालीन उद्देश्य आवासों की कमी की समस्या को दूर करना एवं अपर्याप्त आवास व्यवस्था को सुधारना तथा सब के लिए बुनियादी सेवाओं एवं सुविधाओं का एक न्यूनतम स्तर मुहैया कराना था। इसी क्रम में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना लागू की गई। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त सेना और अर्ध सैनिक बल के मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को शामिल किया गया। 3 प्रतिशत मकान शारीरिक और मानसिक विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। यह कार्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला परिषद इंदिरा आवास योजना के तहत किया जाता है।

ग्रामीण विकास योजना के तहत इंदिरा आवास के अतिरिक्त अटल आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना आदि भी क्रियान्वित हैं।

नगरीय अधिवास

किसी भी नगर का विकास एक छोटे से अधिवास के रूप में होता है। धीरे-धीरे वह बढ़ता हुआ कस्बा, बाजार, नगर, महानगर एवं विशालकाय नगर का रूप धारण कर लेता है। किसी नगर का विकास निम्नांकित अवस्थाओं में होता है —

1. पूर्व बचपन — इस अवस्था में कुछ दुकान व मकान एक ही स्थान पर होते हैं। एक-दो सड़कें होती हैं। सामान्य रूप से परिवेश ग्रामीण लगता है।

2. शैशवावस्था — इस दशा में केन्द्रीय भाग की तरफ, व्यापारिक क्षेत्र बन जाता है। रहने योग्य मकान में दुकानें बन जाती हैं।

3. किशोरावस्था — इसमें नगर की सड़कें, गलियाँ अधिक विकसित होने लगती हैं। आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्र व्यवस्थित होने लगता है। जनसंख्या का प्रसार बाहर की ओर होने लगता है।

4. प्रौढ़ावस्था — इस अवस्था में नगर के आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र, अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। आवासीय क्षेत्र अनेक भागों में बंट जाते हैं। आबादी बढ़ने से बहुमंजिला मकान बनने लग जाते हैं।

5. अधेड़ावस्था — यह नगर के विकास व वैभव की चरमावस्था होती है। व्यापारिक, औद्योगिक आवासीय व प्रशासनिक क्षेत्र अलग हो जाते हैं।

6. वृद्धावस्था — यह नगर विकास की अंतिम दशा है जिसमें उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। समरकंद, कुस्तुन्तुनिया, मुल्तान, बुखारा आदि इसी प्रकार के नगर हैं।

जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासों के प्रकार —

1. पुरवा या नगला — लगभग 50 से 100 तक की जनसंख्या
2. नगरीय गाँव — 100 से 5,000
3. कस्बा — 5,000 से 10,000
4. नगर — 1 लाख से अधिक जनसंख्या।
5. महानगर — 10 लाख से 50 लाख तक जनसंख्या।
6. वृहद् नगर — 50 लाख से अधिक।

मानव सभ्यता के साथ नगर का विकासक्रम भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में नगरों का विकास व्यापार केन्द्रों के रूप में हुआ। सभी नगर गाँव के सदृश विकसित होते हैं। तत्पश्चात् वृहद् आकार लेते हैं। गाँव और नगर के बीच की इकाई को कस्बा कहा जाता है। जहाँ नगरों के समान सुविधाएँ मिलती हैं। यही कस्बा नगरों में परिवर्तित होता है।

वह अधिवास जिसमें अप्राकृतिक उत्पादन संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है, वहाँ विनिर्माण, परिवहन, व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन एवं शासन-प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है, नगरीय अधिवास कहलाता है।

नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक —



1. जलवायु — अनुकूल और स्वास्थ्य वर्धक जलवायु में लोग निवास करना पसंद करते हैं। शीतप्रधान जलवायु की तुलना में उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेश अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। वर्तमान में विश्वप्रसिद्ध समृद्ध नगर, उपोष्ण और शीतोष्ण हिस्से में हैं। टोकियो, न्यूयार्क, संघाई, लास एंजिल्स, बीजिंग आदि ऐसे ही नगर हैं।

2. धरातलीय स्वरूप — समतल तथा उपजाऊ धरातलीय भागों में अधिवासों का विकास अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आवासों, उद्योग धन्धों, कारखानों, सड़कों आदि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है।

3. खनिज एवं शक्ति संसाधन — खनिजों के मिलने के स्थान पर धीरे-धीरे नगरों का विकास होने लगता है। जब खनिज समाप्त हो जाते हैं तब नगर भी उजड़ने लगता है। जिन्हें 'प्रेत नगर' कहा जाता है। यही स्थिति किसी कल कारखाने वाले नगर की भी होती है।

4. जलापूर्ति के स्रोत — प्राचीन समय में नगरों का विकास जलापूर्ति स्रोतों के समीप हुआ करता था। औद्योगिक कार्य, परिवहन तथा यातायात के जरूरतों की पूर्ति इनसे होती है। लंदन— टेम्स नदी, न्यूयार्क—हडसन, शिकागो—मिशिगन, मास्को—मस्कवा, दिल्ली—यमुना, इलाहाबाद, हावड़ा, कानपुर— गंगा नदी के किनारे बसे हैं।

5. परिवहन एवं यातायात — आवागमन एवं परिवहन के स्रोत का नगरों से व्यावसायिक संबंध हैं। जैसा मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का होता है। जहाँ दो या दो से अधिक मार्ग मिलते हैं वहाँ नगरीय अधिवास बनने लगता है। नगर के विकास में परिवहन व यातायात का मुख्य योगदान रहता है।

6. औद्योगीकरण — उद्योगों का विकास क्रमिक गति से होता है। जो उद्योग प्रधान हो जाता है वह नगर क्रमशः महानगर का स्वरूप ले लेता है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, लीवरपुल, भारत में टाटानगर, राऊरकेला, भिलाई इसी प्रकार के नगर हैं।

7. पूँजी तथा प्रौद्योगिकी — नगरों के विकास में पूँजी मुख्य है। ईमारतों, सड़कों, जलापूर्ति, प्रकाश आदि की व्यवस्था में पूँजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुशल मजदूर, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकीय क्षमता के द्वारा संसाधनों का दोहन होता है।

8. व्यापार व वाणिज्य — परिवहन व यातायात की सुविधा के आधार पर वाणिज्य का सूत्रपात होता है। जिसके आधार पर व्यापारिक नगर विकसित होता है। जैसे— ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व रेलमार्ग के निकट मैदान, पर्वत, वनों व मैदानों के मिलन स्तर पर, मार्गों के मिलन बिन्दुओं पर।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व रेलमार्ग के निकट
2. मैदान, पर्वत, वनों व मैदानों के मिलन स्थल पर।
3. मार्गों के मिलन बिन्दुओं पर।

भारत में नगरीकरण और समस्याएँ

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के बहुमुखी विकास के साथ नगरीय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई। जनसंख्या का यह स्थानांतरण रोजगार का अभाव, कृषि भूमि पर अधिक दबाव, उत्पादकता में गिरावट, निम्न रहन-सहन इत्यादि के कारण हो रहा है।

नगरों में रोजगार के अधिक अवसर, मजदूरी की अधिक दरें, शहरों के चकाचौंधपूर्ण जीवन से ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित होती है। प्रवास की इस प्रवृत्ति के कारण नगरों में कई समस्याएँ जन्म ले चुकी हैं —

1. पर्यावरणीय समस्या — नगरों में जनाधिक्य के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा मिश्रित विषैले रसायन है जिसमें सल्फर डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सीसा एवं नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक हैं।

इसी तरह बढ़ती नगरीकरण की प्रवृत्ति ने जल को भी प्रभावित किया है। आवासों की बढ़ती संख्या के कारण वर्षा का जल रिसकर अंदर नहीं जा पाता, फलस्वरूप धरातलीय जल स्तर में कमी हो रही है।

महानगरों में स्थित कल कारखानों का जल नदी-नालों में बहा दिया जाता है। जिसके कारण नदियों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। दिल्ली के पास यमुना मात्र एक नाला बनकर रह गई है। कानपुर स्थित चमड़े के कारखानों के कारण गंगा नदी का जल उपयोगी नहीं रह गया।

इसी प्रकार अधिकांश महानगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर 70 से 80 डेसिबल पहुँच गया है जो श्रवण के लिए बाधक है।

2. आवास की समस्या — भारत के विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा भाग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करता है। इन झोपड़ियों में निवास करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानान्तरित निर्धन तबके

के लोग होते हैं जो अर्थाभाव के कारण उच्च वर्ग के लोगों की बस्तियों के किनारे झुग्गी बनाकर रहने लगते हैं। इनका शैक्षिक स्तर निम्न होता है तथा नगरों की साफ-सफाई व्यवस्था का बोध न होने के कारण शहरी वातावरण संकटमय हो जाता है। यद्यपि इन्हीं बस्तियों से सस्ती दर पर अमीर घरों में काम करने वाले श्रमिक सुलभ होते हैं। अमीरी-गरीबी की बढ़ती हुई इस खाई के कारण गरीबों में अपराधिक भावना भी पनपती है जिससे मानव जीवन तनावग्रस्त हो जाता है।

3. रोजगार की समस्या — जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है गाँवों से शहरों की ओर अधिक स्थानान्तरण होने के कारण शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती जाती है।

इस तरह भारत में बढ़ते नगरीकरण के कारण कई समस्याएँ पैदा हो गई हैं। इन्हें रोकने हेतु जनसंख्या वृद्धि पर काबू करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर जैसे— महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो।

इस समस्या का समाधान करने के लिए नगरों के समान ही गाँव में समस्त सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गाँवों में नगरीय सुविधाओं की घोषणा की जिसे पुरा (PURA—PROVIDING URBAN AMENITIES IN RURAL AREAS) योजना कहा जाता है। इस योजना में ग्राम पंचायत और पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के सहयोग से गाँव में नगरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित आरंग विकास खण्ड के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के समीप बकतरा गाँव को इसी योजना के तहत गोद लिया गया है।



स्मार्ट सिटी की अवधारणा

नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रथम चरण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की घोषणा की है।

स्मार्ट सिटी का अर्थ है — “इन शहरों में रहने वाले लोगों को आधारभूत निर्माण संबंधी सेवाएँ शीघ्र एवं कुशलतापूर्वक उपलब्ध करवाई जाएँगी साथ ही बचाव व सुरक्षा का प्रबंध होगा। यह शहर अन्य शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे।”

अभ्यास

सही उत्तर चुनकर लिखें —

1. जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का कारण है —

- | | |
|----------|--------------------|
| अ. वर्षा | ब. भूकम्प |
| स. पवन | द. सामाजिक मान्यता |

2. सड़क के किनारे स्थित नगर का प्रतिरूप होता है —
 अ. तारा प्रतिरूप ब. सरीप प्रतिरूप
 स. रेखीय प्रतिरूप द. वृत्ताकार प्रतिरूप
3. पाँच से दस लाख तक की जनसंख्या वाले बसाहट को कहते हैं —
 अ. कस्बा ब. महानगर
 स. नगर द. वृहद् नगर
4. लंदन किस नदी के किनारे स्थित है —
 अ. टेम्स नदी ब. हडसन नदी
 स. मिशिगन नदी द. मस्कवा नदी

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें —

1. मानव के लिए आवास क्यों आवश्यक है?
2. क़ाल क्या है?
3. राजस्थान के मकानों की विशेषताएँ लिखिए।
4. बकतरा गाँव किस योजना में शामिल है?
5. क्या कारण है कि ब्रिटेन के मकानों में मुख्य द्वार पूर्व या दक्षिण-पूर्व में रखा जाता है?
6. जलवायु के विभिन्न घटक किस प्रकार मकानों के निर्माण को प्रभावित करते हैं?
7. नगरीयकरण से कौन-कौन सी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं? उदाहरण देकर समझाइए।
8. ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए।
9. नगर की विकास अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।

प्रोजेक्ट कार्य —

आपके क्षेत्र में किस-किस प्रकार के ग्रामीण/नगरीय प्रतिरूप पाए जाते हैं? सूची बनाइए तथा उसके कारण लिखिए।



इतिहास



Imaging in Kuma

पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था

कक्षा 9वीं में हमने बीसवीं सदी की शुरुआत तक का इतिहास पढ़ा था। हमने देखा कि किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और किस प्रकार वहाँ लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक राजतंत्र शासन प्रणालियाँ स्थापित हुई थीं। हमने यह भी पढ़ा था कि यूरोप के राज्यों ने विश्व के अन्य महाद्वीपों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए और उसका उन महाद्वीप के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में ही यूरोप के प्रमुख राज्यों तथा जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगीकरण हुआ और इन देशों ने अपने उद्योगों के लिये कच्चा माल और औद्योगिक उत्पादों के लिये बाज़ार की तलाश में उपनिवेशों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार ढालने का प्रयास किया। इस तरह विश्व भर में जो व्यवस्था बनी उसमें असमानता और शोषण अभूतपूर्व ढंग से बढ़ गया लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विचार ने पूरे विश्व के लोगों को नए मूल्य दिए। विश्व भर में असमानता, शोषण और औपनिवेशीकरण के विरुद्ध लोगों के आंदोलन जोर पकड़ने लगे।

अपनी याद ताज़ा करने के लिये सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरें –

1. 1688 में इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई जबकि 1776 में
..... क्रांति हुई और 1789 में क्रांति हुई। (फ्राँसीसी, रूसी, अमेरिकी)
2. पुरुष और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र क्रांति के दौरान प्रकाशित हुआ। (अमेरिकी, फ्राँसीसी)
3. में 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और का औद्योगीकरण 1850 के बाद हुआ। (जापान, भारत, जर्मनी, अफ्रीका, इंग्लैंड)
4. 1850 के बाद और का एकीकरण हुआ और वे शक्तिशाली राष्ट्र-राज्य बन गये। (जापान, इटली, भारत, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड)
5. में मैजी क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और वहाँ सामन्ती व्यवस्था को बदलकर औद्योगीकरण प्रारंभ हुआ। (जापान, भारत, जर्मनी, अफ्रीका, इंग्लैंड)
6. उन्नीसवीं सदी के अन्त में यूरोप के नए औद्योगिक राष्ट्रों के बीच महाद्वीप में अपने उपनिवेश बनाने का होड़ लगा। (दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया)
7. बीसवीं सदी की शुरुआत में सबसे बड़ी औपनिवेशिक ताकत बन गया था। (जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन)



प्रथम विश्व युद्ध

आपने पिछली कक्षा में औद्योगीकरण और लोकतंत्र के विकास के बारे में पढ़ा था। उन्नीसवीं सदी में यूरोप के लोग उद्योगों और लोकतंत्र के विकास तथा उपनिवेशों पर नियंत्रण आदि से लाभान्वित हो रहे थे। पर बीसवीं सदी के शुरू होते ही उनकी सरकारों ने उन्हें भयंकर युद्ध में झोंक दिया। इस पाठ में हम इन युद्धों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे।

आपने युद्धों के बारे में सुना होगा और फिल्मों एवं समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा व पढ़ा भी होगा। पुराने समय में देशों के बीच युद्ध में दो सेनाएँ होती थीं जिनमें ज्यादातर पुरुष ही होते थे जो घोड़ों पर सवार होकर तीर, धनुष, तलवार, भाला आदि से ज़मीन पर एक-दूसरे से लड़ते थे। विजयी सेना के लोग पराजित राज्य के गाँवों व शहरों को लूटते और महिलाओं व बच्चों को अपनी सेवा के लिए उठाकर ले जाते थे। मुगलों के समय में नए तरह के हथियार जुड़ गए, जैसे— बन्दूक, तोप व बारूद। यह सब यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति के बाद बदल गया। बीस-तीस किलोमीटर दूर तक घातक बम बरसाने वाली तोप, स्वचालित मशीनगन, मोटरगाड़ियों व रेलों का सैनिक यातायात में उपयोग, समुद्र में पानी के नीचे चलने वाले पनडुब्बी युद्धपोत, इन सबने देशों के बीच लड़ाई के स्वरूप को ही बदल दिया। यही नहीं, पहले जहाँ दो छोटे राज्यों के बीच युद्ध किसी रणभूमि में लड़ा जाता था, वहीं बीसवीं सदी में विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग मारे जाने लगे और अनगिनत लोग अपाहिज हो गए।

युद्ध लोगों के जीवन को किस तरह अस्त-व्यस्त कर सकता है — इस पर कक्षा में चर्चा करें।

अखबारों से पता करें कि आज कहाँ-कहाँ युद्ध लड़े जा रहे हैं और उसका वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव है?

कुछ बुनियादी तथ्य

प्रथम विश्व युद्ध किन-किन देशों के बीच हुआ? एक तरफ जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य थे तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका।

कब-से-कब तक? अगस्त 1914 से नवंबर 1918 तक।

कितने लोग हताहत हुए ? आगे दी गई तालिका को देखें।

तालिका 7.1 प्रथम विश्व युद्ध में मानवीय क्षति

देश	सैनिकों की संख्या	मरने वालों की संख्या	घायलों की संख्या	बंदी बनाए गए या लापता लोगों की संख्या
ऑस्ट्रिया	78,00,000	12,00,000	36,20,000	22,00,000
ब्रिटेन (उपनिवेश सहित)	89,04,467	9,08,371	20,90,212	1,91,652
फ्रांस	84,10,000	13,57,800	42,66,000	5,37,000
जर्मनी	110,00,000	17,37,000	42,16,058	11,52,800
इटली	56,15,000	6,50,000	9,47,000	6,00,000
रूस	120,00,000	17,00,000	49,50,000	25,00,000
तुर्की	28,50,000	3,25,000	4,00,000	2,50,000
सं.रा. अमेरिका	43,55,000	1,26,000	2,34,300	4,500

सबसे अधिक किस देश के लोग मारे गए?

सबसे कम क्षति किस देश के लोगों को हुई?

भारत के भी हजारों सैनिक इस युद्ध में मारे गए। उनकी गिनती किस देश के आँकड़ों में छुपी हुई है?

युद्ध में जो सैनिक बंदी बनाये जाते हैं उनके साथ क्या होता होगा? जो लोग युद्ध में अपाहिज हो जाते हैं उनकी जिन्दगी कैसे कटती होगी?

जिन परिवारों के युवा पुरुष मारे जाते हैं उनका गुज़ारा कैसे होता होगा?

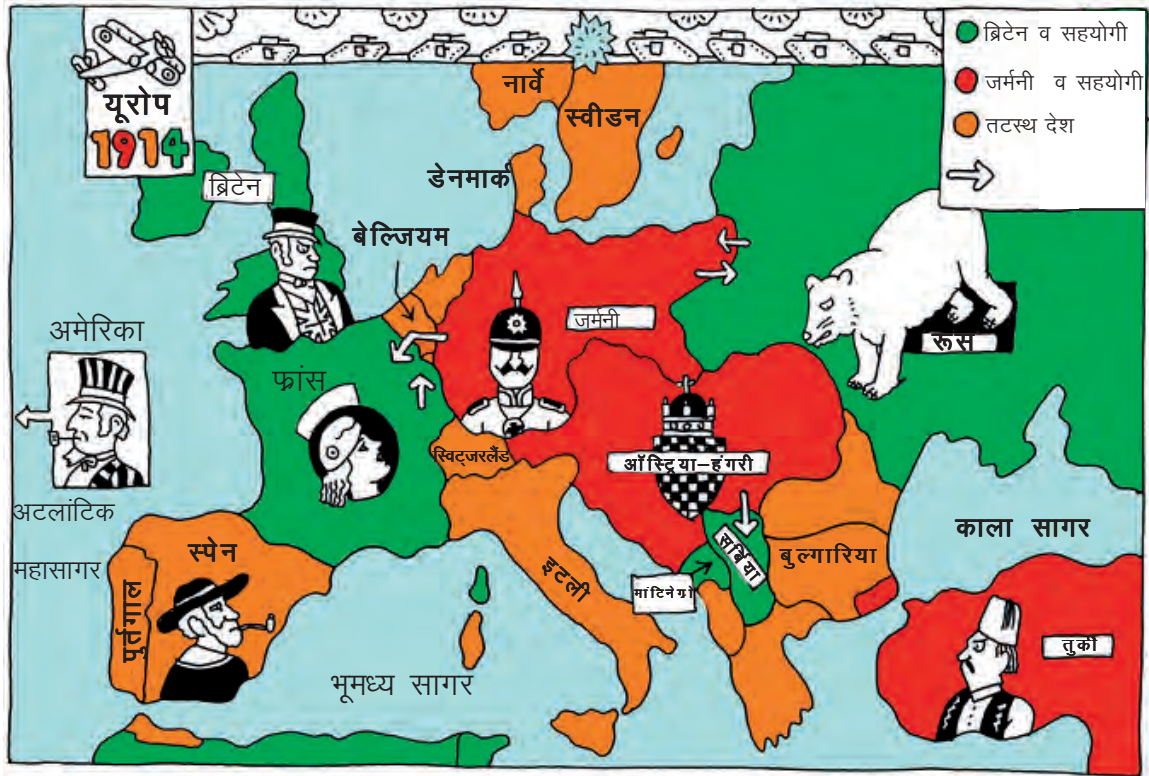
इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं?

इसमें स्विट्ज़रलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर यूरोप के सभी देश शामिल थे। सन् 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें सम्मिलित हो गया। इस प्रकार दो महाद्वीपों पर तो इसका सीधा प्रभाव था। सन् 1914 तक विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर इन यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। जहाँ भी लड़ाइयाँ हुईं वहाँ के संसाधन और लोगों को सैनिक काम में लिया गया। भारत से भी लाखों सैनिकों ने ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया था। इस कारण इस युद्ध का सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा।

यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देशों को पहचानें। आज ये सारे देश औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं और उनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है। यानी वहाँ किसी-न-किसी रूप में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाई जाती है।

अब अग्रांकित नक्शे में सन् 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के पहले के राज्यों की स्थिति को पहचानें। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया-हंगेरियन साम्राज्य, इटली, रूसी साम्राज्य, तुर्की के ओटोमान साम्राज्य आदि को पहचानें। अनुमान लगाएँ कि इनमें से कौन-कौन से राज्यों में हर वयस्क को मताधिकार प्राप्त था और लोकतांत्रिक सरकारें रही होंगी।

मानचित्र 7.1 : सन् 1914 में यूरोप



प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई?



YEN9BN

एक बहुत छोटी-सी घटना से इस युद्ध की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे-से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग नाराज़ थे। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उन पर हमला न करे। एक ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून सन् 1914 के दिन सारजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध में उतरे। देखते-देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि भी इस युद्ध में खिंचते चले गए। अब सवाल यह है कि ये सारे देश इस युद्ध में क्यों पड़े?

जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों पर विचार करना होता है। कुछ बातें तो इन राज्यों की बदलती ज़रूरतों से संबंधित हैं। ये सारे राज्य तेज़ी से औद्योगीकरण कर रहे थे और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, औद्योगीकरण पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था और उन्नीसवीं सदी के अन्त तक जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था। इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। औद्योगीकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक बाज़ार और उपनिवेशों की ज़रूरत थी। हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोत उनके कब्जे में आए। ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देशों के कब्जे में ये पहले से ही थे लेकिन जो नये देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन या अन्य किसी कमज़ोर देश से इलाके छीनना चाहते थे। उदाहरण के लिए, जर्मनी ने सन् 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर अलसास-लारेन नामक खनिज प्रधान क्षेत्र को हथिया लिया था। उसने पोलैंड की ज़मीन पर भी अधिकार

जमा रखा था। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था। लगभग यही हाल फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली आदि देशों का था। वे किसी-न-किसी तरीके से अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब वे पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसी प्रभावशाली देशों को चुनौती दें।

उन दिनों ब्रिटेन का समुद्रों पर एकाधिकार था जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेशों पर बे-रोकटोक नियंत्रण चलता था। जर्मनी ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहता था और अपने जहाजों को बे-रोकटोक समुद्रों पर आने-जाने की स्वतंत्रता चाहता था। वैसे जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बन्दरगाह उपलब्ध थे। अब वह अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, और हिन्द महासागर पर भी अपनी पहुँच बनाना चाहता था। अतः स्वाभाविक था कि उसका टकराव ब्रिटेन से हो। इसलिए जर्मनी एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को चुनौती दे सके।

किसी देश के औद्योगीकरण के लिए नौसेना का क्या महत्व रहा होगा – कक्षा में चर्चा करें।

अगर खनिज सम्पन्न क्षेत्र पर कोई पड़ोसी देश नियंत्रण करना चाहे तो उसके क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? उनमें से कौन-सा तरीका दोनों देशों को स्वीकार्य होगा?

क्या आपको लगता है कि हर नया देश जो औद्योगीकरण करना चाहता है उसे दूसरे देशों से टक्कर लेना ज़रूरी है? क्या इसके और तरीके हो सकते हैं?

जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ

उन्नीसवीं सदी के अन्त से ही यूरोप के देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और सारे महत्वपूर्ण देश यह मानकर चल रहे थे कि देर-सबेर युद्ध होने ही वाला है लेकिन युद्ध में वे अकेले न पड़ जाएँ, यह सोचकर लगभग सारे देशों ने अन्य कुछ देशों से गुप्त संधियाँ कर रखी थीं। उनमें ऐसी शर्तें थीं कि यदि एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता है तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। उदाहरण के लिए पहले विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाली कुछ संधियाँ इस प्रकार थीं –



त्रिदेशीय संधि – सन् 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी जिसके अनुसार अगर इनमें से किसी देश पर फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी दो देश युद्ध में उतरकर उसकी सहायता करेंगे।

त्रिदेशीय समझौता – जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की संधि के द्वारा रूस और फ्रांस को अलग-थलग पड़ने का खतरा था। वे दोनों जर्मनी की बढ़ती ताकत और आक्रामकता से चिन्तित थे। ब्रिटेन भी जर्मनी के नौसैनिक ताकत से चिन्तित था। अतः ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता 1907 में इस शर्त पर किया कि यदि उनमें से किसी एक पर कोई अन्य देश आक्रमण करे तो वे एक-दूसरे की मदद करेंगे। इनके अलावा जर्मनी ने तुर्की साम्राज्य से एक समझौता किया कि अगर जर्मनी या ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस युद्ध में उतरेगा तो तुर्की जर्मनी का साथ देगा। दूसरी ओर रूस ने सर्बिया से समझौता कर रखा था कि अगर ऑस्ट्रिया उस पर हमला करे तो रूस सर्बिया की सहायता करेगा।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सारे देश समझौतों के जटिल जाल बुनकर बैठे थे। पूरा यूरोप दो बड़े गुटों में बँटा हुआ था। एक तरफ जर्मनी और दूसरी ओर ब्रिटेन के नेतृत्व वाले देश थे। दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच सर्बिया में राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार व राजवधु की हत्या कर दी। अब ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने का मौका मिल गया। रूस, सर्बिया की मदद के लिए युद्ध में उतरा तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया की मदद के लिए तैयार हो गया।



चित्र 7.1 : सन् 1914 में प्रकाशित एक कार्टून। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह सारे देश युद्ध में खिंचे।

अतिराष्ट्रवादी भावनाएँ और सैन्यवाद

उन्नीसवीं सदी के अन्त में जैसे-जैसे यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे उन देशों की सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए उकसाया। सारे राष्ट्र यही मानने लगे कि जिसके पास सबसे अधिक भूमि होगी, सबसे अधिक उपनिवेश होंगे वही सर्वशक्तिमान होगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल देंगे। दूसरी ओर कई नए समुदाय जिनकी अपनी भाषा या धर्म था, अपने आपको राष्ट्र मानकर अपने लिए स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। इनमें प्रमुख थे – पोलिश, चेक, हंगरी, स्लाव तथा यहूदी। इनमें से किसी का अपना स्वतंत्र राज्य नहीं था। मध्य यूरोप में ऐसे अनगिनत समूह राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर वर्तमान साम्राज्यों को तोड़कर अपने-अपने स्वतंत्र देश के निर्माण के लिए प्रयास करने लगे। इसका सीधा प्रभाव जर्मन, ऑस्ट्रियाई, रूसी तथा तुर्की साम्राज्यों पर पड़ा लेकिन समस्या यह थी कि एक ही भाषा बोलने वाले कई दूर-दूर के इलाकों में बँटे हुए थे। हर राष्ट्र के लोग यह चाहने लगे कि इन सारे इलाकों को एक राष्ट्र के तहत लाया जाए। ऐसा करने में समस्या यह थी कि उन्हीं इलाकों में दूसरी भाषाएँ बोलने वाले भी रहते थे। इन सब बातों के कारण यूरोप की राजनीति में उथल-पुथल मचा रहा। देशों के अन्दर और एक-दूसरे के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। सभी लोग यही मानने लगे कि इन सब समस्याओं का समाधान युद्ध के माध्यम से ही हो सकता है।

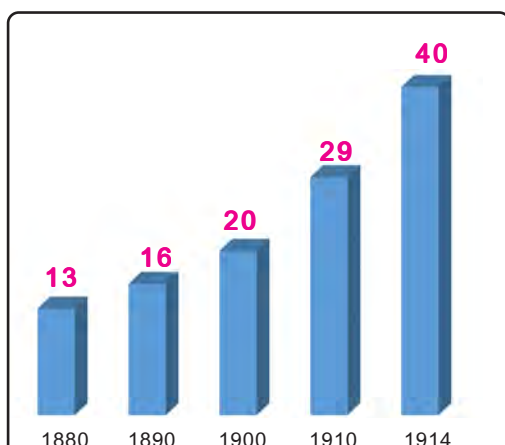
राष्ट्रीयता की संकुचित भावना, स्वार्थ, आर्थिक हित और कूटनीति इतनी बढ़ गई थी कि शान्ति की बात करना बेमानी हो गई थी। शान्ति और सद्भावना के स्थान पर आशंका, भय और द्वेष की भावना बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में शान्त चित्त से सोचना किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यन्त कठिन था। इस समय कई लोग डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे और वे सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते थे अर्थात् वे सोचते थे कि

योग्यतम राष्ट्र ही बचेगा और उन्नति करेगा। अतः यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। विभिन्न राष्ट्र के लोग अपनी-अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और कमजोर राष्ट्रों पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे। इसी बहाने अन्य जातियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने की चाहत से मानवता की भावना कमजोर पड़ने लगी और नरसंहार से लोगों की नैतिक भावना को अधिक ठेस नहीं पहुँचती थी। अपने लाभ के लिए सैनिक बल के प्रयोग में कोई अनौचित्य नज़र नहीं आता था। जब सब लोग यही मानने को तैयार बैठे हों कि संसार हमारे लिए है, हमें सारी दुनिया पर राज करना है, विश्व में अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना है तो एक-दूसरे से टकराए बिना यह कैसे हो सकता है? युद्ध से कैसे बचा जा सकता है?

डार्विन के सिद्धांत को राजनयिकों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं?

समाचार पत्रों का जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय सभी देशों के समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे जनता में उत्तेजना बढ़ी और शान्ति समझौता करना कठिन हो गया। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में कैसर विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई तो जर्मनी की जनता ने इंग्लैण्ड को अपना शत्रु समझ लिया। इसी प्रकार जर्मनी की जनता ने इंग्लैण्ड की जनता को उकसाया। फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण बिगड़े। आस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के पश्चात् सर्बिया और ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों में एक-दूसरे के खिलाफ कटुतापूर्ण लेख लिखे गए। इससे दोनों देशों की जनता में द्वेष उत्पन्न हो रहा था।

सैन्यवाद भी अतिराष्ट्रवादी भावनाओं का परिणाम था। हर देश इस समय अपने सैनिक बल को बढ़ाने तथा अपनी सेना को अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस करने में जुट गए। देशों के बीच होड़-सी लग गई थी कि किसके पास सबसे बड़ी सेना है? किसके पास सबसे अधिक युद्धपोत हैं? किसके पास सबसे अधिक तोप आदि हैं? सैन्यवादी भावना न केवल शस्त्रभण्डार निर्मित कराती है, बल्कि आम लोगों में एक सैनिक मनोदशा भी विकसित करती है। एक खास तरह के अनुशासन की भावना विकसित करती है, जैसे शासन व अधिकारियों की किसी नीति पर प्रश्न न करना और उनकी सब बातों को स्वीकार कर लेना और जो आदेश दिया जाता



तालिका 7.2 : कुछ बड़े देशों का सैन्य खर्च सन् 1880 से सन् 1914 (करोड़ पौंड में) – जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, ब्रिटेन, रूस, इटली और फ्रांस

है उसे पालन करना। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है किन्तु सैन्य शासकों के लिए बहुत उपयोगी होता है। सैन्यवाद एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर करके अधिनायकवाद को सुदृढ़ करता है। इस प्रकार सैन्यवाद के दो विशेष पक्ष होते हैं – एक ओर सैनिक शक्ति और शस्त्रों के अंबार को बढ़ाना और दूसरी ओर लोगों में राज्य की नीतियों को बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए तैयार करना।

तालिका 2 में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सभी बड़े देश युद्ध की तैयारी कर रहे थे और सेना व शस्त्रों पर खर्च लगातार बढ़ा रहे थे। केवल 14 वर्षों में सन् 1900 से 1914 के बीच सैनिक खर्च 20 करोड़ पौंड से दुगुना हो गया। इन देशों में बहुत से कारखाने केवल शस्त्र उद्योग पर आधारित थे और बहुत से पूँजीपति उनमें यही सोचकर

निवेश कर रहे थे कि युद्ध होगा तो इनकी माँग और बढ़ेगी और वे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

क्या उद्योगों के निवेशों में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है? अपनी राय दें।

ऐसा नहीं था कि यूरोप के सारे लोग अपनी सरकारों के दावों को मानकर युद्ध करने के पक्ष में हो गए। यूरोप के देशों में युद्ध विरोधी धारा धीरे-धीरे विकसित हो रही थी जिसमें मुख्य रूप में मज़दूर आंदोलन और महिला

अधिकार आंदोलन के लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने यह कहकर युद्ध का विरोध किया कि यह लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि शासकों के हित में था। महिला आंदोलनों ने कहा — हालांकि युद्ध करने का निर्णय पुरुष अपनी शान के लिए करते हैं पर इसका वास्तविक बोझ महिलाओं को ही ढोना पड़ता है। सन् 1914 में युद्ध के खिलाफ बोलने वालों में जर्मनी के कार्ल लाइबेन्कट, पोलैंड की रोज़ा लक्ज़म्बर्ग, रूस के लेनिन और ब्रिटेन की सिल्विया पैक्सवर्थ प्रमुख थीं। लेकिन सन् 1914 में युद्ध विरोधियों की आवाज़ें दबकर रह गईं। जब युद्ध में हज़ारों लोग मारे गए या अपाहिज होकर घर लौटने लगे तो युद्ध की वास्तविकता सामने आने लगी और लोगों में विरोधी भावना प्रबल होने लगी।

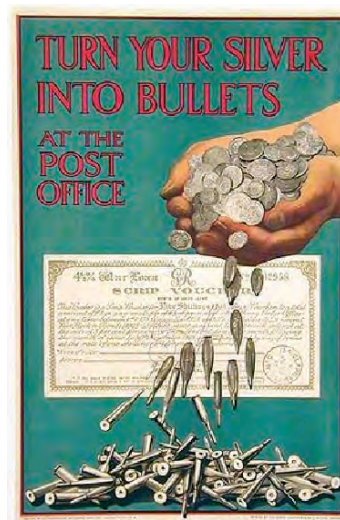
ब्रिटेन में छपे पोस्टर का अवलोकन करें। चित्र 7.3 इसमें चाँदी को गोलियों में बदलने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? चर्चा करें।

प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ?

संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि उन्नीसवीं सदी में ऐसे राष्ट्र-राज्यों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे और सत्ता अभी भी पुराने अभिजात्य वर्ग के हाथों में थी। उसी समय इन देशों का औद्योगीकरण भी हो रहा था जिसके कारण उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा उभरने लगी थी। एक ओर नए उभर रहे देश अपने लिए जगह बनाना चाहते थे। इस कारण देशों के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। दूसरी ओर कई ऐसे राष्ट्र थे जो अब स्वतंत्र होना चाहते थे और वे पुराने साम्राज्यों का विघटन चाहते थे। इससे भी अन्तर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने लगा। युद्ध होगा ही यह मानकर विभिन्न देशों ने आपस में गुप्त संधियाँ कर रखी थीं जिसके चलते दो देशों के बीच का झगड़ा देखते-ही-देखते विश्व युद्ध में बदल गया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन देशों में अतिराष्ट्रवादी भावना तथा सैन्यवाद जड़ जमा चुका था। इनके चलते आम लोगों में भी युद्ध के प्रति एक उत्साह बन गया लेकिन शीघ्र ही युद्ध के परिणाम आने से युद्ध के प्रति यह उत्साह अपने शासकों के प्रति आक्रोश में बदलने लगा।



चित्र 7.2 : एक जर्मन तोप कारखाने का दृश्य (सन् 1916)



चित्र 7.3 : अपनी चाँदी को गोली में बदलिए

प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएँ



अपने राजकुमार के मारे जाने पर ऑस्ट्रिया-हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया। सर्बिया की मदद से रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया। फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोषणा की। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त और फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के मार्ग से अपनी सेना भेजना शुरू किया तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार यूरोप के सारे प्रमुख देश तथा उनके विश्वव्यापी उपनिवेश युद्ध में शामिल हो गए। 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा की और अक्टूबर में तुर्की रूस के विरुद्ध बमबारी करके युद्ध में सम्मिलित हो गया। इटली पहले तो जर्मनी के खेमे में था मगर अप्रैल 1915 में एक गुप्त संधि के द्वारा वह ब्रिटेन के साथ हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तटस्थ था। उसके ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ट व्यापारिक संबंध थे। उसकी कंपनियाँ इन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थीं। इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी। जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे ताकि उनका व्यापार बंद हो और उन्हें कोई सहायता न मिले। इस कारण वह ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाजों पर हमला करने लगा। यहाँ तक कि जर्मनी की पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज को सारे यात्री सहित डुबो दिया। इससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही विश्व का हर महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया।

इस युद्ध में शुरू में जर्मनी को सफलता मिली। वह फ्रांस की ओर बढ़ने में सफल रहा और रूस के आक्रमण को पराजित कर पाया किन्तु शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी की बढ़त पर रोक लगा दी। एक लंबे समय तक दोनों सेनाएँ एक-दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती रहीं। पूर्व में रूस को हार का सामना करना पड़ा और अन्त में वहाँ सन् 1917 में क्रांति हुई जिसका एक मुख्य ध्येय लोकतंत्र और युद्ध समाप्ति था। रूस की क्रांतिकारी सरकार जर्मनी से समझौता करके युद्ध से अलग हो गई।

उसी समय सन् 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से उसके असीम संसाधन जर्मनी के खिलाफ उपयोग में आये। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से निर्णायक मोड़ आ गया और जर्मनी में सम्राट कैसर विलियम के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुई। क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध समाप्ति के लिए कदम उठाया और अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम की घोषणा हुई। इस प्रकार सवा चार वर्ष तक चलने वाला यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए या युद्ध के कष्ट सहने के कारण मर गए। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाँड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा था और अस्त-व्यस्त सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास करना पड़ा।



चित्र 7.4 : ट्रेंच में जीवन का आदर्श चित्र



चित्र 7.5 : ट्रेंच में जीवन का एक वास्तविक फोटो

युद्ध में सैनिक

युद्ध की घोषणा होते ही हर देश की सरकार व्यापक पैमाने में सैनिकों की भर्ती में जुट गई। ज्यादातर देशों में युवाओं को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। इनमें ज्यादातर अत्यन्त गरीब किसान और मज़दूर परिवारों के युवा शामिल थे। आम तौर पर सेना के अफसर उच्च व अभिजात्य वर्ग के होते थे जो गरीब किसान व मज़दूरों को महज़ भेड़ों की तरह देखते थे। उन्हें बिना सोचे समझे मौत के मुँह में ढकेलने से नहीं कतराते थे। उदाहरण के लिए, फ्रांस के वरदून शहर पर जो हमला हुआ था वह लगभग दस महीने तक चला। उस युद्ध में कम-से-कम 2,80,000 जर्मन सैनिक और 3,15,000 फ्रेंच सैनिक मारे गए। सोम्म नाम की जगह पर हुई लड़ाई में एक दिन में ब्रिटेन के करीब 20,000 सैनिक मारे गए और 35,000 बुरी तरह घायल हो गए। साल भर चली सोम्म की लड़ाई में ब्रिटेन के लगभग चार लाख, फ्रांस के दो लाख और जर्मनी के छह लाख सैनिक मारे गए।

विरोधी सेना को बढ़ने से रोकने और छुपकर युद्ध करने के लिए हर देश अपने कब्जे की ज़मीन पर लम्बी खाई (ट्रेंच) खोदकर उसमें सैनिकों को ठहराते थे ताकि वे बंदूक का निशाना न बन पाएँ और सुरक्षित स्थान से गोली चलाएँ। सैनिकों को कई महीने ठंड और बरसात में इन ट्रेंचों में अत्यन्त दयनीय हालातों में रहना पड़ता था। खाइयों में सैनिकों का जीवन बहुत कठिन था। सैनिक गड़बड़ों के अंदर कीचड़ में रहते, वहीं गश्त करते, खाते और सोते थे। मरे हुए सैनिकों की लाशों के ढेर, लाशों को खाते चूहे, सड़ती हुई लाशें और चारों ओर फैले मल की बदबू जुएँ और खुजली ने इन गड़बड़ों में रह रहे सैनिकों के जीवन को अमानवीय बना दिया था।

उन दिनों एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था जिसके कारण मामूली चोट लगने पर भी अस्वच्छ खाइयों में रहने वाले सैनिक संक्रमण के शिकार हो जाते थे। पहली बार सैनिकों को भारी मात्रा में तोप-गोलों का सामना करना पड़ा। ये गोले भारी होने के साथ-साथ बहुत बड़े विस्फोट करते थे जिससे ज़मीन पर गहरे गढ़बे हो जाते थे। इनका ऐसा प्राभाव होता था कि सैनिक अपना दिमागी संतुलन खोकर इधर-उधर भागने लगते थे। तब या तो वे विरोधियों से मारे जाते या अपने ही सेना द्वारा मारे जाते थे। काफी समय बाद में सैनिक चिकित्सक यह समझने लगे कि यह एक तरह की दिमागी बीमारी है जिसे उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। फिर भी युद्ध से लौटे सैनिक कई वर्षों तक मानसिक तनाव और बीमारियों से ग्रसित रहे।

ऐसी हालत थी उन सैनिकों की जो युद्ध में लड़ रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को विरोधी सेना द्वारा बंदी भी बना लिया जाता था। जर्मनी जो कि एक साथ कई देशों से लड़ रहा था, ने सबसे अधिक युद्ध बंदी बनाए। उनके युद्ध कैदी शिविरों में विभिन्न देशों के लगभग 25 लाख कैदी थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी लगभग तीन-तीन लाख कैदी अपने कैपों में रखे थे। युद्ध बंदियों को बहुत ही दयनीय हालातों में और अपमानजनक परिस्थितियों में रखा जाता था। बंदी बनाने वाले युद्ध कैदियों को घृणा से देखते थे और उन पर होने वाले खर्च को फिज़ूल खर्च मानते थे। हालाँकि कई अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ थीं जिनमें युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आग्रह था पर ज्यादातर देश इनका पालन नहीं करते थे।

प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए जिन्हें अफ्रीका, ईराक और फ्रांस में लड़ने के लिए भेजा गया था। इनमें से लगभग 74000 सैनिक मारे गए।

प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकें

मशीन गन — ट्रेंचों के जाल के पीछे आम तौर पर मशीन गनों का उपयोग किया जाता था। इनका उपयोग पहली बार इसी युद्ध में किया गया। एक मशीन गन के माध्यम से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियाँ दागी जा सकती थीं। रायफल जिसे एक बार चलाने के बाद दुबारा गोली भरना पड़ता था, की तुलना में मशीन गन की मारक क्षमता करीबन सौ गुना बढ़ गई।

तोप — इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का उपयोग किया गया। सबसे भारी तोपों से 50 से 60 गोले प्रति मिनट दागे जा सकते थे। निश्चित दूरी पर लगातार मार करने वाली तोपें ट्रेंचों से हो रहे गतिरोध को तोड़ने में सक्षम थीं। तोपों से प्रतिद्वन्द्वी सैनिकों, उनके हथियारों, उपकरणों और ट्रेंचों को एक साथ नुकसान पहुँचाया जा सकता था।

टैंक — सन् 1899 में ब्रिटेन में मशीन गन एवं बुलेट प्रूफ स्टील के आवरण से ढके युद्धक मोटर-कार का विकास हुआ। पहियों की जगह इसमें चैन ट्रेक लगाकर इसे कीचड़ और ऊबड़-खाबड़ खाइयों पर भी चलने लायक बनाया गया था। इस तरह टैंक का आविष्कार हुआ।



चित्र 7.6 : प्रारंभिक टैंक



चित्र 7.7 : एक जर्मन पनडुब्बी

पनडुब्बी — जर्मनी ने समुद्र सतह के नीचे छुपकर चलने वाली और विरोधी जहाजों पर गोले दागने वाली यू-बोट (पनडुब्बी) का निर्माण किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के 50 प्रतिशत व्यापारिक जहाज जर्मन यू-बोट के द्वारा नष्ट कर दिए गए।

विषैली गैस — जर्मनी, जिसके औद्योगीकरण में रसायन उद्योग महत्वपूर्ण था, ने युद्ध में विषैली गैसों का प्रयोग किया जिनके प्रभाव से लोगों की मौत हुई या वे अंधे हो गए। इसके

चलते विरोधी देशों के सैनिकों को गैस नकाब पहनकर लड़ना पड़ा। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए युद्ध के कुछ समय बाद ही सारे देशों ने मिलकर निर्णय लिया कि आने वाले समय में इस तरह के रासायनिक हथियारों का उपयोग युद्ध में नहीं किया जाएगा। इसे जेनेवा कन्वेंशन कहते हैं जिसमें युद्ध लड़ने के नियमों को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम स्वीकृत किए गए।

रेलगाड़ी — प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों, शस्त्रों, रेल मार्ग से चलने वाली तोपों व रसद को दूर के ठिकानों तक पहुँचाने का काम रेलगाड़ियों ने किया और इस प्रकार इस नए यातायात साधन ने युद्ध में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया।

विमान — दिसंबर 1903 में राईट बंधुओं के प्रथम विमान बनाने के बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक विमानों का निर्माण और तकनीकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इस दौरान विमानों का प्रयोग मुख्यतः हवाई गश्त के माध्यम से शत्रु सेना की टोह लेने के लिए किया जाता था। जल्द ही सरकारें विमानों के सामरिक महत्व को समझ गईं। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विमान निर्माण की तकनीकी का तीव्रता से विकास हुआ। युद्ध के प्रारंभ



चित्र 7.8 : युद्धभूमि पर उड़ता एक विमान, नीचे ज़मीन पर ट्रेंच देखा जा सकता है

और अंत के बीच दोनों गुटों में विमानों की संख्या लगभग 850 से बढ़कर 10,000 तक हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक हवा में अधिक देर टिकने वाले, तेज़, शक्तिशाली, मज़बूत और अधिक विकसित विमानों का निर्माण शुरू हो गया।

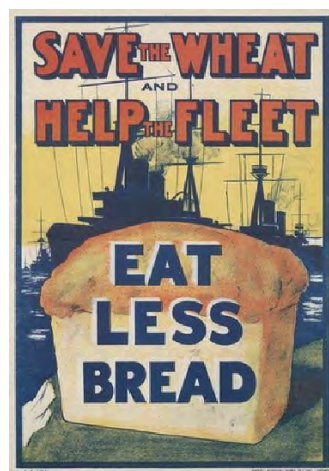
युद्ध का जनसामान्य पर प्रभाव

यह पहला ऐसा युद्ध था जिसने किसी देश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया – इस तरह के युद्ध को 'पूर्ण युद्ध' (Total War) कहा जाने लगा। जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा, उनके घर, खेत आदि ध्वस्त किए गए। उन्हें आए दिन विरोधी सेना की लूटपाट, बलात्कार जैसे जुल्म का सामना करना पड़ा। बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, रूस आदि देशों में यह सर्वाधिक रहा।

सभी सरकारें अपनी जनता का समर्थन पाने के लिए युद्ध उन्माद पैदा करने लगीं जिसमें देशभक्ति के साथ-साथ विरोधी देश के प्रति आक्रोश और घृणा पैदा की जाती थी। स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों से लेकर पोस्टर, नाटक जैसे सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग इसके लिए किया गया। युद्ध के शुरू के वर्षों में आम जनता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और वह बड़े उत्साह के साथ युद्ध के प्रयासों में जुट गई। अक्सर लोगों का प्रकोप अपने देश में ही रह रहे भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ा। कई देशों में इन अल्पसंख्यकों को अलग शिविरों में पुलिस की निगरानी में रहना पड़ा। शुरुआती समय में युद्ध उन्माद के चलते लाखों युवक सेना में भर्ती हुए और देश के लिए मरने-मारने के लिए निकल पड़े।

धीरे-धीरे जब युद्ध की वास्तविक सच्चाई उभरने लगी तो हर देश में युद्ध समाप्ति और शान्ति बहाली की माँग उठने लगी। युद्ध में लगभग हर परिवार का कोई-न-कोई सदस्य सेना में भर्ती हुआ था जो या तो लौटा ही नहीं या अपाहिज होकर लौटा। वहीं उन परिवारों को कई अन्य रूपों में युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होने लगी। इसका एक कारण यह था कि सरकारें अपनी सेनाओं के लिए खाद्य पदार्थ भारी मात्रा में खरीद रही थीं जिससे सामान्य बाज़ार में उनका अभाव होने लगा। दूसरा कारण यह था कि हर देश के भोजन में कई ऐसी वस्तुएँ थीं जिनकी आपूर्ति दूसरे देशों से आयात से होती थीं जो अब युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हो गया। कई देशों की सरकारों ने आम लोगों को न्यूनतम खाद्य पदार्थ मिले इसके लिए राशन दुकानों के द्वारा वितरण शुरू कर दिया।

इसी तरह कारखानों को अब युद्ध सामग्री के निर्माण के लिए परिवर्तित किया गया जिसके कारण दैनिक उपयोग की चीज़ों के उत्पादन में कमी आई। इन सब बातों के चलते खाद्य पदार्थ और अन्य ज़रूरी सामग्री की कीमतें दुगनी या तिगुनी हो गईं मगर मज़दूरों के वेतन में अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी नहीं हुई। मज़दूर यह देख रहे थे कि कारखानों के मालिक युद्ध की बढ़ती माँग और बढ़ती कीमतों के चलते अधिक मुनाफा कमाकर मालामाल हो रहे थे मगर कामगारों की मज़दूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अस्पताल, चिकित्सा जैसी सार्वजनिक सुविधाएँ भी अब युद्ध के लिए उपयोग की जाने लगीं जिस कारण सामान्य नागरिकों को कष्ट उठाना पड़ा। साथ ही जब युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई और घर-घर में वयस्कों की मौत की खबर आने लगीं तो लोगों का आक्रोश उन लोगों की तरफ बढ़ा जो युद्ध उन्माद पैदा करके पूरे विश्व को अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में झोंक रहे थे। युद्ध शुरू होने के तीन साल बाद सन् 1917 से लगभग हर देश में युद्ध के खिलाफ जनमानस बनने लगा। जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया आदि देशों में आम लोगों ने अपनी ही सरकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए।



चित्र 7.9 : प्रथम विश्व युद्ध का एक पोस्टर – रोटी कम खाओ

मज़दूर वेतन वृद्धि की माँग को लेकर हड़ताल करने लगे। हर देश में लोग यह विश्वास करने लगे कि उनके देश में लोकतंत्र न होने के कारण ही सरकारें इतनी आसानी से ऐसे घोर युद्ध में उतर गईं। यदि लोकतंत्र स्थापित होता तो सरकारों को लोगों की सुननी होती और उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे युद्ध नहीं होते।

युद्ध समाप्त होते ही पुराने और विशाल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गए और उन देशों में लोकतांत्रिक क्रांतियों की लहर फैली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, तुर्की, रूस इन सभी देशों में जो साम्राज्य स्थापित थे उन्हें खत्म करके वहाँ लोकतांत्रिक सरकारें बहाल हुईं।

भारत में भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा। एक ओर युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा गया। दूसरी ओर युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में भारी वृद्धि की। इसके अलावा खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री का युद्ध में उपयोग के कारण उनकी कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हुई जिससे जनसामान्य को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इस कारण पूरे देश में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र होते गए। साथ ही भारतीय उद्योगपतियों के लिए यह एक सुनहरा मौका मिला। वे अपना उत्पादन अधिक कीमत पर बेचकर मालामाल हुए।

क्या युद्ध का दुष्प्रभाव अमीर व गरीब पर एक सा रहा और युद्ध के प्रति प्रतिक्रिया भी एक सी रही होगी?

युद्ध के बाद लोकतंत्र का विस्तार क्यों हुआ?

युद्ध और महिलाएँ

जैसे कि हमने पहले देखा था कि विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव हुए। ज्यादातर नौजवान पुरुषों के सेना में भर्ती होने के कारण अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आगे आना पड़ा। घर में कमाने वाले पुरुष के न होने से महिलाओं को घर संभालने के साथ-साथ मज़दूरी के लिए बाहर काम करना पड़ा। इसका महिलाओं पर गहरा असर पड़ा। वे अपने आपको अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार महसूस करने लगीं और अपने हितों व अधिकारों की रक्षा को लेकर सचेत हुईं। युद्ध खत्म करने व शान्ति बहाल करने की माँग को लेकर महिलाओं ने कई देशों में आंदोलन किया क्योंकि युद्ध की विभीषिका से सबसे अधिक महिलाएँ ही प्रभावित थीं। जगह-जगह महिलाओं के संगठन यह माँग करने लगे कि महिलाओं की बदलती भूमिका को देखते हुए उन्हें संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले ब्रिटेन की संसद में सन् 1918



चित्र 7.10 : लंदन में 1914 में वोट के अधिकार को लेकर प्रदर्शन कर रही एक महिला को पुलिस गिरफ्तार करते हुए



चित्र 7.11 : ब्रिटेन के बम्ब कारखाने में महिला कामगार

में 30 वर्ष से अधिक उम्र की सम्पत्तिवान महिलाओं को वोट देने का निर्णय हुआ। जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने सभी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया।

जब महिलाएँ कारखानों व दफ्तरों में काम करने लगीं तो परिवार और राजनीति में उनकी भूमिका में क्या-क्या बदलाव आए होंगे?

शान्ति समझौते



सन् 1919-20 में विजयी राष्ट्र, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, ने पराजित देश के प्रतिनिधियों के साथ समझौते किए। जर्मनी के साथ वरसाई संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि, हंगरी के साथ ट्रियानैन संधि, तुर्की के साथ सेब्रे की संधि और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संधि जर्मनी के साथ की गई वरसाई की संधि थी।

युद्ध के बाद किस तरह की व्यवस्था हो इस पर शुरू से ही चर्चा चल रही थी। रूस की क्रांतिकारी सरकार ने नवंबर सन् 1917 में पहला कदम उठाते हुए ऐलान किया कि वह बिना कोई शर्त युद्ध से हट रही है और उसने अन्य युद्धरत देशों से अपील की कि वे न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक शान्ति के लिए तत्काल कदम उठाएँ। इससे उसका आशय था कि किसी देश या राष्ट्र को (यूरोप में या उपनिवेशों में) उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्य में बलात् मिलाया न जाए, किसी देश पर युद्ध हर्जाना न लगाया जाए और सरकारों के बीच गुप्त संधियों की जगह प्रकाशित संधियाँ हों जिनकी स्वीकृति उन देशों में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए संसदों द्वारा हो। ये सिद्धांत ज्यादातर यूरोपीय सरकारों को पसंद नहीं आए, मगर युद्ध से थके-हारे सैनिकों व मजदूरों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। पूरे यूरोप में इनके समर्थन में जुलूस निकलने लगे और चर्चा होने लगी। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति वूड्रो विल्सन ने शान्ति के लिए '14 बिन्दुओं' की घोषणा की। इन पर रूसी ऐलान का प्रभाव देखा जा सकता है।

विल्सन ने भी गुप्त संधियों का विरोध किया। हर राष्ट्रीय समूह ने आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया और सारे युद्धरत देशों में लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया। साथ ही विल्सन ने सभी देशों के बीच खुले और बे-रोकटोक व्यापार, हर देश के लिए समुद्री यातायात पूरे रूप में खुला हो, निरस्त्रीकरण और एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो देशों के बीच के विवादों का निपटारा करे और उनके बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दे, की वकालत की। विल्सन के 14 बिन्दुओं में शर्त भी थी कि जर्मनी ने सन् 1870 से जो भी क्षेत्र दूसरे देशों से हथियाये थे उनकी वापसी होगी और पोलैंड एक स्वतंत्र राज्य बनेगा। रूस के संदर्भ में विल्सन का मानना था कि वहाँ ज़ार की तानाशाही की जगह लोकतंत्र की स्थापना का स्वागत किया जाना चाहिए और रूस के लोगों की अपने पसंद की सरकार गठित करने की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। विल्सन ने युद्ध के लिए किसी एक देश को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया और इस कारण किसी देश पर इसके लिए जुर्माना लगाने की बात नहीं की। जर्मनी के नये शासकों ने विल्सन के सिद्धांतों को मानते हुए युद्धविराम को स्वीकार किया।

हर विजयी देश की अपनी कल्पना और कूटनीतिक ज़रूरतें थीं। फ्रांस, जिसे युद्ध से सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा, चाहता था कि जर्मनी को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया जाए और वह हर मुल्क को हर्जाना दे और जर्मनी को इस तरह तबाह किया जाए कि वह फिर से कभी हमला करने की स्थिति में न हो। सन्



चित्र 7.12 : वूड्रॉ विल्सन

1871 में फ्रांस से जो इलाके जर्मनी ने छीने थे उन्हें वापस फ्रांस को दिया जाए — ये वे इलाके थे जो जर्मन उद्योगों के लिए अति महत्वपूर्ण थे जहाँ से उन्हें कोयला और लौह अयस्क मिलता था। इस तरह फ्रांस जर्मनी को दोहरी क्षति पहुँचाना चाहता था — ताकि वह कभी फिर से सर न उठा पाये। ब्रिटेन भी जर्मनी को सामरिक तौर पर कमजोर करना चाहता था। मगर आर्थिक रूप से नहीं क्योंकि वह चाहता था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो ताकि ब्रिटेन उससे व्यापार कर सके। लेकिन ब्रिटेन को उपनिवेशों व यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना और राष्ट्रों के खुद के भविष्य के अधिकार तय करने या फिर समुद्री यातायात को खुला करने को लेकर गहरी असहमति थी।

फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये तीनों चाहते थे कि रूस में जो क्रांति हुई उसे विफल करें ताकि उसका प्रभाव उनके अपने अपने देश के गरीब मजदूरों व सैनिकों पर न पड़े। इसलिए वे न केवल रूस को शान्तिवार्ता में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे बल्कि चाहते थे कि सभी देश क्रांतिकारी सरकार के विरुद्ध लड़ रहे ताकतों का समर्थन करें। वे रूस और अपने बीच रूस-विरोधी राज्यों की एक कतार खड़ी करना चाहते थे।

जर्मनी के साथ कैसा व्यवहार हो इस पर रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के विचारों में क्या फर्क थे?

उपनिवेशों के संदर्भ में इन देशों के बीच क्या असहमतियाँ थीं?

ब्रिटेन समुद्री यातायात को सभी देशों के लिए खुला करने के पक्ष में क्यों नहीं रहा होगा?

वरसाई संधि जून 1919

प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए संधियों में वरसाई की संधि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने यह शान्ति समझौता किया। वैसे इस समझौते को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था। इसकी कई शर्तें ऐसी थीं जो जर्मनी को मान्य नहीं थीं लेकिन जर्मनी को यह धमकी दी गई कि अगर वह इन्हें न माने तो उस पर तीनों मिलकर आक्रमण कर देंगे। विवश होकर जर्मनी को इस संधि को स्वीकार करना पड़ा। आइए, इसकी प्रमुख शर्तों पर नजर डालें :

1. इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। विशेषकर जर्मन सेना ने जिन रिहायशी इलाकों, कारखानों तथा खदानों को नष्ट किया उनकी भरपाई की जाएगी। यह तय किया गया कि जर्मनी 66,000 लाख पाउंड राशि किश्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यह राशि जर्मनी की क्षमता से अधिक है जिसके कारण उसका आर्थिक पुनर्निर्धारण नहीं हो पाएगा और यह पूरे यूरोप के लिए अहितकारी है। विजयी देश के द्वारा यह नहीं माना गया क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज़ लेकर युद्ध लड़े थे और जर्मनी से मिले हर्जाने से उस कर्ज़ को पटाने की मंशा रखते थे। जब कई वर्षों बाद यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा तो इसे कम करके 20,000 लाख पाउंड किया गया।
2. जर्मनी ने युद्ध में जितनी ज़मीन पर अपना अधिकार जमाया था उन्हें उन देशों को वापस देना तय हुआ जैसे बेल्जियम व फ्रांस। पूर्व में रूस से हुई संधि में जो ज़मीन जर्मनी को मिली हुई थी उस पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई।
3. सन् 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया अल्सास और लारेन क्षेत्र फिर से फ्रांस को लौटाया



मानचित्र 7.2 : सन् 1919 के बाद यूरोप

- गया। इसके अलावा फ्रांस की खदानों को पहुँचे नुकसान की भरपाई के लिए सार क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौंपे गए। उस क्षेत्र पर राष्ट्र संघ का प्रशासन स्थापित हुआ। वह हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा, 15 साल बाद जनमत संग्रहण करके तय होना था।
4. पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश में मिला दिया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग-थलग पड़ गया – दोनों हिस्सों के बीच की डैन्जिंग पट्टी पोलैंड को दे दी गई ताकि उसकी समुद्र तक पहुँच बनी रहे।
 5. इस तरह युद्ध पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमि से लगभग 65,000 वर्ग किमी ज़मीन काटकर विभिन्न देशों को दे दी गई। (मानचित्र क्रमांक 7.2 देखें)

इस नक्शे में उन हिस्सों को पहचानें जिन्हें जर्मनी ने सन् 1871 में फ्रांस से छीना था और अब फ्रांस को लौटाया।

यह पता करें कि सार कोयला खदान क्षेत्र कहाँ पर हैं?

पोलैंड को समुद्र तक पहुँच देने के लिए जर्मनी के किस भाग को अलग किया गया? नक्शे में पहचानें।

रूस और जर्मनी के बीच कौन-कौन से नए राज्य स्थापित हुए?

क्या युद्ध शुरू करने का सारा दोष जर्मनी पर डालना उचित था?

रूस और अमेरिका दोनों ने नहीं चाहा था कि किसी देश से कोई हज़ाना लिया जाए। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा? इस बात की वरसाई संधि में क्यों अवहेलना की गई होगी?

6. अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे उन्हें राष्ट्र संघ के संरक्षण में ले लिया गया और राष्ट्र संघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस व पुर्तगाल के हवाले कर दिया। चीन में जो जर्मन नियंत्रित क्षेत्र थे उन्हें वापस चीन को न देकर जापान को दे दिया गया (क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाफ भाग लिया था)। इस प्रकार 19वीं सदी में जर्मनी ने जो उपनिवेश हासिल किए थे वे अब जर्मनी के हाथ से निकल गए।
7. संधि की कई शर्तों के अन्तर्गत जर्मनी का निरस्त्रीकरण किया गया। उसकी सेना को एक लाख सैनिकों तक सीमित किया गया। उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्धपोत तथा हवाई जहाजों को नष्ट कर दिया गया। फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी, राईनलैंड में जर्मन सेना का प्रवेश वर्जित किया गया। कुल मिलाकर यह प्रयास था कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमणकारी सेना कभी न बने।
8. एक शर्त के द्वारा यह तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग किया गया और इनके अधीन रहे कई प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया गया। इस तरह सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा जिसके पास केवल कृषि प्रधान प्रदेश रह गए और आर्थिक विकास के संसाधन नहीं रहे। ऑस्ट्रिया की काफी बड़ी आबादी जर्मन भाषा बोलती थी और यह स्वाभाविक था कि दोनों का विलय हो। लेकिन विजयी देशों ने उस पर रोक लगा दी।

वरसाई संधि के परिणाम

यह संधि आधुनिक विश्व की संधियों में सबसे चर्चित संधि रही है। राजनयिक और अर्थशास्त्रियों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। पहली बात तो यह है कि यह लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित न होकर विजयी राज्यों द्वारा हारे हुए राज्यों पर थोपी गई अपमानजनक संधि थी। जर्मनी को कभी भी चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया और उसकी आपत्तियों को दर-किनारा करके उसे उस पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया गया। जर्मनी के नए शासकों का कहना था कि युद्ध के लिए जर्मनी की नवगठित लोकतांत्रिक सरकार ज़िम्मेदार नहीं थी। यह पुराने सम्राट और अलोकतांत्रिक राज्य का काम था। अतः उसके किए का दण्ड नए लोकतांत्रिक राज्य को देना न्यायपूर्ण नहीं है। उल्टा इसका असर जर्मनी में लोकतंत्र को कमजोर कर देगा क्योंकि जर्मनी के लोग ऐसी सरकार का साथ नहीं देंगे जो इतनी अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करे।

इसके विपरीत विजयी देशों की सरकारों ने अपने देशों में जर्मनी के विरुद्ध जनमानस में युद्ध उन्माद पैदा किया और बाद में इसी कथन पर चुनकर आये थे कि वे जर्मनी को नीबू की तरह निचोड़कर छोड़ेंगे ताकि वह कभी सर नहीं उठा सके। इस कारण वे जर्मनी के साथ न्यायसंगत व्यवहार नहीं कर सके। उनका मानना था कि जर्मनी ने सेना वापसी के दौरान जानबूझकर अपने कब्जे के इलाकों को तबाह किया था। उसने खुद रूस की क्रान्तिकारी सरकार से जब समझौता किया तब उसने रूस पर अत्यधिक कठोर शर्त लगाकर उसके बहुत बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था।

इस संधि के बाद सभी को स्पष्ट हो गया कि इन शर्तों के रहते हुए जर्मनी के लोग इस व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इससे फिर से एक अन्य युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। उनका यह भी मानना था कि एक लोकतांत्रिक सरकार को ऐसी कठोर शर्तों को मानने पर मजबूर करना जर्मन लोगों के समक्ष उसे कमजोर करना है। इसका परिणाम यही होगा कि जर्मन लोग आगे ऐसे लोगों को चुनेंगे जो यह दावा करें कि वे जर्मनी के अपमान का बदला लेंगे और वरसाई की संधि को टुकरा देंगे।

वरसाई की संधि विल्सन के सिद्धांतों से कितनी प्रेरित थी और किस हद तक उससे हटकर थी? इस पर कक्षा में चर्चा करें।

इसका जर्मनी के आर्थिक पुनःनिर्माण पर क्या प्रभाव पड़ा और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना को किस तरह प्रभावित किया?

राष्ट्र संघ की स्थापना

उन्नीसवीं सदी के अन्त से कई राजनेताओं ने एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की जो देशों के बीच की समस्याओं का समरसता से समाधान करे। युद्ध के दौरान विल्सन के सिद्धांतों में भी यह बात कही गई। विल्सन ने इसके लिए विशेष प्रयास किया। उस समय की कल्पना में उपनिवेशों को स्वतंत्र देश नहीं माना गया। उन्हें इस संगठन में स्थान देने की बात नहीं की गई। सन् 1920 में जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड की राजधानी) में राष्ट्र संघ (League of Nation) की स्थापना की गई जिससे अपेक्षा थी कि वह देशों के बीच के झगड़ों का शान्तिपूर्ण तरीकों से निपटारा करेगी और उनमें स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों में विकास के लिए मदद करेगी। इसका प्रमुख काम था विश्व युद्ध के बाद किए गए अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का क्रियान्वयन। उदाहरण के लिए, वरसाई समझौते के अन्तर्गत सार क्षेत्र (जिसे फ्रांस के उपयोग के लिए दिया गया था) और डैन्जिंग पट्टी जिसे पोलैंड को समुद्र तक पहुँच के लिए दिया गया था का प्रशासन राष्ट्र संघ को देखना था।

राष्ट्र संघ के गठन में ही कई समस्याएँ थीं। पहली बात तो यह थी कि इसमें विल्सन की अहम भूमिका के बावजूद अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। सोवियत रूस जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की पैरवी कर रहा था को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया।

अभ्यास

1. इन प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दें:-

क. प्रथम विश्व युद्ध के दोनो पक्षों के दो दो प्रमुख देशों के नाम बताएँ।

ख. आस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला क्यों किया और सर्बिया की मदद के लिए कौन आया?

ग. जर्मनी ने बेल्जियम पर क्यों हमला किया?

घ. फ्रांस को जर्मनी से क्या शिकायत थी?

च. जर्मनी की नौसेना ताकत से ब्रिटेन को क्या खतरा था?

छ. गुप्त संधि क्या है?

ज. संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ?

2. सैन्यवाद का लोगों के जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

3. औद्योगीकरण और विश्वयुद्ध में क्या-क्या संबंध आप देखते हैं? विस्तार से चर्चा कर लिखें।

4. सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते थे?

5. युद्ध का कारखानों के मालिकों व मजदूरों पर क्या असर पड़ा?

6. चित्र 11 में जो महिलाएँ दिख रही हैं युद्ध के दौर में उनके जीवन के बारे में लिखें।

7. युद्ध के अन्त तक आते विभिन्न देशों में क्रांतियाँ क्यों हुईं?

8. रूसी शान्ति धोषणा और विल्सन के 14 बिन्दुओं के बीच समानताएँ व अन्तर क्या थीं?

9. वरसाई संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?



8

दो विश्व युद्धों के बीच — रूसी क्रांति और महामंदी



जैसे-जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने लगा, वैसे-वैसे पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर उठी जिसने पुराने राजघरानों और तानाशाही राज व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका। इसकी शुरुआत मार्च 1917 में रूस की क्रांति से हुई जब वहाँ के सम्राट ज़ार निकोलस को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। धीरे-धीरे यह लहर जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि के राजघरानों को धराशायी कर गई। रूस में अक्टूबर 1917 को एक और क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी। अन्य देशों में साम्यवादी या समाजवादी सरकारें तो नहीं बनीं मगर वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी में वॉइमर संविधान (वॉइमर नामक जगह पर इस संविधान की रूपरेखा बनी थी) लागू हुआ जिसके तहत हर वयस्क, महिला व पुरुष, अमीर और गरीब सबको चुनाव लड़ने व वोट डालने का अधिकार मिला लेकिन वॉइमर गणतंत्र लगातार तनाव से ग्रसित था क्योंकि एक तरफ उस पर विजयी देशों का दबाव था कि वह वरसाई संधि की शर्तों

को पूरा करे और वहीं दूसरी ओर जर्मन लोगों में इसके खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा उफन रहा था।



चित्र 8.1 : मुस्तफा कमाल अतातुर्क (1881-1938) आधुनिक तुर्की का राष्ट्रपिता। उनके पाश्चात्य कपड़ों व तुर्की टोपी पर ध्यान दें।

तुर्की में पुराने ओटोमान सुल्तानों (जो अपने आपको मुसलमानों के खलीफा मानते थे) के राज्य की जगह मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित हुआ और औद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इस्लामी धार्मिक कानून की जगह लोकतांत्रिक कानून लागू किया गया और धार्मिक मदरसों की जगह सभी बालक-बालिकाओं के लिए आधुनिक स्कूल व्यवस्था स्थापित की गई। इस प्रकार तुर्की एक इस्लामी साम्राज्य न रहा और एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने लगा।

सन् 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ी। जर्मनी में इस मंदी और वरसाई संधि के तहत हो रही हानि के कारण आर्थिक संकट गहराया। लोगों में अपनी सरकार के प्रति आक्रोश पैदा होने लगा। इसका फायदा उठाकर

हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी सत्ता में आई और तेज़ी से विपक्षी दलों व मज़दूर संगठनों का क्रूरता के साथ दमन किया और साथ ही यहूदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेड़ा। धीरे-धीरे हिटलर वरसाई संधि की शर्तों का उल्लंघन करता गया और युद्ध के माध्यम से विश्व पर आधिपत्य जमाने की तैयारियाँ शुरू कर दी।

उन्हीं दिनों ब्रिटेन और अमेरिका में एक नए तरह के राज्य की अवधारणा विकसित हुई जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। इसमें माना गया कि राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो और साथ में राज्य लोक कल्याण को अपनी प्रमुख ज़िम्मेदारी माने। इसके तहत सार्वभौमिक मताधिकार, राज्य से स्वतंत्र संचार माध्यम, बहुदलीय राजनीति आदि के साथ-साथ, नागरिकों को समान अवसर दिलवाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोज़गार, निराश्रितों, बीमारों व वृद्धों की देखभाल आदि राज्य ने अपने ज़िम्मे में ले लिया। इस तरह के राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य के द्वारा ब्रिटेन व अमेरिका जैसे देश सन् 1929 की मंदी से उभर पाए।

युद्ध का पुराने साम्राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या उनमें लोकतांत्रिक क्रांतियाँ सफल हुईं?

लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का क्या महत्व है?

भारत में राजा-महाराजाओं का शासन कब और कैसे समाप्त हुआ?

2.1 रूसी क्रांति

युद्ध के पूर्व में रूस : सन् 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच फैला हुआ था। इसमें अनगिनत भाषा, धर्म और जातीयता के लोग अलग-अलग भागों में रहते थे जिन पर रूसी शासकों की हुकूमत थी। इस साम्राज्य में सत्ता अभिजात्य भूस्वामियों के हाथ में थी जिनका नेतृत्व वहाँ का निरंकुश शासक ज़ार निकोलस द्वितीय (ज़ार यानी सम्राट) करता था। वह रोमानोव वंश का था। साम्राज्य के अधिकांश अधिकारी भूस्वामी ही थे।

सन् 1861 तक रूस में कृषकों को अर्द्धदास (सर्फ) के रूप में रखा गया था — किसान ज़मीन से बँधे थे और वे बिना भूस्वामियों की आज्ञा के दूसरे काम-धंधे नहीं कर सकते थे या गाँव छोड़कर नहीं जा सकते थे। जब भूस्वामी अपनी ज़मीन किसी को बेचता था या देता था, तब ज़मीन के साथ किसानों को भी हस्तांतरित करता था। 1861 में ज़ार की एक घोषणा के द्वारा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति तो



चित्र 8.2 : रूसी किसान परिवार 1900 के आसपास



चित्र 8.3 : रूस के एक पुराने कारखाने के अन्दर का दृश्य

मिली मगर अब भी ज़मीन भूस्वामियों के पास ही थी और किसानों को यह ज़मीन ऊँचे किराए पर मिलती थी। ज़ार की पहल पर भूस्वामियों ने कुछ ज़मीन (जो आम तौर पर घटिया किस्म की थी) किसानों को दी मगर उसके लिए किसानों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को चुकायी गई और किसानों को इसे किश्तों में पटाना था। जब तक वे इसे पटा नहीं देते उन्हें गाँव छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। सन् 1917 तक कई पीढ़ियाँ बीतने पर भी किसान यह ऋण चुकाते रहे। कुल मिलाकर 1861 के सुधारों से भूस्वामी ही लाभान्वित हुए और किसान कानूनी रूप से आज़ाद तो हुए मगर आर्थिक

रूप से और बुरे हालातों में फँस गए। लेकिन रूस में किसी प्रकार के लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आज़ादी के न होने के कारण किसानों के पास अपनी बात कहने या मनवाने के लिए कोई साधन नहीं थे। अभिजात्य भूस्वामी व ज़ार मिलकर निरंकुश शासन चलाते थे जो एक बहुत सीमित वर्ग को ही लाभ पहुँचाता था। इस तरह आम किसानों की हालात सुधरने की जगह लगातार बिगड़ती गई।

आजीविका की खोज में कई किसान शहरों में बन रहे कारखानों में मज़दूरी करने गए और कई किसान ज़ार की सेना में भर्ती हुए। इस तरह रूस में किसानों, मज़दूरों व सैनिकों के बीच एक गहरा संबंध बना।

गुलामों और अर्द्धदासों की दशा में क्या समानता और अन्तर थे? कक्षा में चर्चा करें।

सन् 1861 में अर्द्धदासता समाप्त करने पर वास्तव में किसे लाभ पहुँचा होगा?

उद्योग और मज़दूर : 1880 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार व रेलमार्ग चाहते थे जो बड़े कारखानों में ही बनते थे। अतः ज़ारशाही राज्य ने रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की। ब्रिटेन या फ्रांस में जहाँ मध्यम वर्ग के धनी व्यापारी आदि छोटे उद्योग लगाते थे, रूस में राज्य ने विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें कई रियायतें दीं। इस कारण रूस का औद्योगीकरण भी अभिजात्य राज्य के नियंत्रण में ही रहा और वहाँ एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग या शक्तिशाली पूँजीपति वर्ग का विकास नहीं हो सका। लेकिन बढ़ते औद्योगीकरण के साथ-साथ शहरीकरण भी हुआ। वहाँ बड़ी संख्या में औद्योगिक मज़दूर रहने लगे जिन्हें बहुत ही कम वेतन पर दयनीय हालातों पर काम करना पड़ता था। रूस में जो कारखाने बने वे बहुत बड़े थे जिनमें हजारों मज़दूर एक साथ काम करते थे। इस कारण मज़दूरों में आपस में संगठन बनाने और अपनी माँगों के लिए एक साथ लड़ने की क्षमता बनी। ज़्यादातर मज़दूर गाँव के किसान परिवारों से थे और इस कारण गाँव की समस्याओं से गहरे रूप में जुड़े हुए थे।

जर्मनी के औद्योगीकरण और रूस के औद्योगीकरण में क्या समानताएँ व अन्तर थे?

अगर किसी देश का मध्यम वर्ग कमज़ोर रहता तो वहाँ की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता? कक्षा में चर्चा करें।

किस तरह के कारखानों में मज़दूरों के संगठन अधिक प्रभावशाली होंगे – छोटे कारखानों में या बड़े कारखानों में? कारण सहित चर्चा करें।

गाँव और किसानों से संबंध होने से मज़दूरों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? क्या आप इसके उदाहरण अपने आसपास देख सकते हैं?

सन् 1905 की घटनाएँ— ज़ारशासित रूस में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे और लोगों को सरकार की खुलकर आलोचना करने या अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के अधिकार नहीं थे। चूँकि राज्य का विरोध खुलकर नहीं हो सकता था, जगह-जगह गुप्त संगठन बने जो गुप्त रूप से लोगों को संगठित करते थे और गुप्त आंदोलन चलाते थे। समय-समय पर यह आतंकी हमलों का रूप लेता था। गुप्त संगठनों में रूस की समाजवादी व साम्यवादी पार्टी, किसानों की क्रांतिकारी पार्टी और उदारवादियों की पार्टियाँ प्रमुख थीं। सन् 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ जिसमें रूस इस छोटे एशियाई देश से हार गया। इस कारण ज़ार का दबदबा कमज़ोर हुआ। उसी समय रूस के विभिन्न शहरों में मज़दूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध और लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे। जब पीटर्सबर्ग शहर (राजधानी) में मज़दूर शान्तिपूर्वक जुलूस निकालकर ज़ार के महल के सामने अपनी गुहार सुनाने के लिए इकट्ठा हुए तो उन पर गोली चलाई गई और हजारों से अधिक लोग मारे गए। इससे क्रुद्ध होकर पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन हुए। इनको देखते हुए ज़ार ने कई राजनैतिक सुधारों की घोषणा की। रूस में भी चुनी हुई संसद (जिसे डूमा कहा गया) की स्थापना हुई। लेकिन चुनाव एक जटिल अप्रत्यक्ष तरीके से होता था ताकि डूमा में अधिकतर संपत्तिवाले ही पहुँचे। ज़ार डूमा के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था। उसका अधिवेशन भी ज़ार अपनी सुविधानुसार बुलाता था। इस घोषणा के साथ ही बहुत क्रूर तरीकों से आंदोलन को दबाया गया जिसके चलते दस हजारों से अधिक लोग मारे गए और 75,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया या घोर ठंडी जगह साइबेरिया में कालापानी की सज़ा दी गई।

1905 के डूमा को क्या आप वास्तविक लोकतांत्रिक संसद मानेंगे? कारण सहित चर्चा करें।

युद्ध और सन् 1917 की क्रांतियाँ

दमनचक्र और सीमित सुधार के चलते कुछ वर्ष शान्ति बनी रही मगर सन् 1912 के बाद फिर से मज़दूरों की हड़ताल और किसानों के विद्रोह शुरू हो गए। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस सम्मिलित हुआ। इसके तुरन्त बाद रूस में भी देशभक्ति की लहर उठी और लोग ज़ार का समर्थन करने लगे। लेकिन दो वर्षों के अन्दर लगातार हार और युद्ध की विभीषिका सहते हुए रूस के सैनिक, मज़दूर और किसान थक गए। चारों ओर 'ज़मीन, रोटी और शान्ति' की माँग उठने लगी। 23 फरवरी 1917 (रूस में प्रचलित कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर के बीच 13 दिनों का अन्तर था। वास्तव में यह घटना हमारे कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को घटी थी।) को महिला दिवस पर पेट्रोग्राड (राजधानी पीटर्सबर्ग का नया नाम) शहर की महिला मज़दूरों ने शान्ति और रोटी की माँग करते हुए एक जुलूस निकाला।

इसके तुरन्त बाद पूरे शहर में इन माँगों के समर्थन में मज़दूरों व सैनिकों के जुलूस निकलने लगे और सैनिकों व पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही से मना कर दिया। हर कारखाने में मज़दूरों की सभाएँ हुईं जिनमें उन्होंने रूस के हालातों पर चर्चा की और अपने प्रतिनिधि चुनकर शहर में मज़दूर सभा गठित करने के लिए भेज दिया। इन सभाओं को सोवियत (पंचायत जैसा एक रूसी शब्द) कहा जाता था। कारखानों के सोवियतों ने



चित्र 8.4 : फरवरी 1917 में रूस की महिलाओं का एक प्रदर्शन। ये महिलाएँ खुश दिख रही हैं। वे किस बात से खुश हो रही होंगी?



चित्र 8.5 : 1917 में एक कारखाने में सोवियत की बैठक

कारखानों का संचालन मालिकों से अपने हाथ में ले लिया। वे खुद निर्णय लेते और उनका क्रियान्वयन करते।

उनके प्रतिनिधियों से अपेक्षा थी कि वे सोवियत सदस्यों के विचारों के अनुरूप शहर सोवियत के कारखाने में काम करें, अन्यथा उन्हें बदलकर किसी और को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था। इस तरह पेट्रोग्राड शहर का सोवियत बना। इसी तरह सैनिकों ने अपनी-अपनी टुकड़ी के सोवियत बनाए और अपने अफसरों को कैद कर दिया या उन्हें सैनिकों के कहे

अनुसार चलने पर मजबूर किया। गाँवों में किसान भी किसानों के सोवियत बनाने लगे और भूस्वामियों के महलों तथा दुकानों को लूटने लगे। इस प्रकार चन्द दिनों में ज़ारशाही की सत्ता समाप्त हो गई और हर जगह लोग खुद की मर्जी से चलने लगे। देखते-देखते पूरे देश में दो-चार दिनों में ही पुराने शासन तंत्र का अंत हो गया और लोगों ने अपने-अपने तरीके से सत्ता अपने हाथों में ले ली।

चित्र 5 और 6 को ध्यान से देखें और बताएँ कि क्या इन बैठकों में मज़दूर गंभीरता से भाग ले रहे हैं या उदासीन दिख रहे हैं? इसका वहाँ की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता?

क्या आप इन दो चित्रों में किसी महिला को पहचान पा रहे हैं? अगर इनमें अधिक महिलाएँ होतीं तो घटनाक्रम में क्या अन्तर आता?

सोवियत और संसद में आप क्या अन्तर कर सकते हैं?



चित्र 8.6 : मार्च 1917 में पेट्रोग्राड सोवियत की बैठक

ज़ार का गद्दी छोड़ना — पेट्रोग्राड सोवियत और वहाँ के जनसामान्य के आक्रोश को देखते हुए डूमा ने ज़ार से आग्रह किया कि वह गद्दी छोड़ दे और डूमा को नया मंत्रीमंडल गठित करने की अनुमति दे। ज़ार की सेना में भी विद्रोह फैल गया जिसे देखते हुए ज़ार ने 2 मार्च 1917 (वर्तमान कैलेंडर के अनुसार 15 मार्च) को गद्दी त्याग दी। इस घटनाक्रम को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है।

डूमा के मध्यमवर्गीय सदस्यों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया जिसे अस्थायी सरकार कहा गया। यह अस्थायी इसलिए था क्योंकि सभी चाहते थे कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा गठित हो जिसके नियमानुसार स्थायी सरकार बनेगी। लेकिन यह अस्थायी सरकार सोवियत पर पूरी तरह निर्भर थी क्योंकि सोवियत ही वास्तव में हर क्षेत्र पर नियंत्रण कर रहे थे। उन दिनों पेट्रोग्राड सोवियत का नेतृत्व तीन-चार समाजवादी दलों के प्रतिनिधि कर रहे थे। वे यह मानते थे इस क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग को निभाना है जिसे देश में लोकतंत्र, भूमिसुधार और शान्ति लाना है। वे मानते थे कि सोवियतों की भूमिका मध्यम वर्ग के लोगों को पीछे हटने से या पुराने शासकों की वापसी को रोकना है।

लेनिन और अक्टूबर क्रांति

इस बीच यह स्पष्ट हो रहा था कि अस्थायी सरकार युद्ध जारी रखना चाहती है और वह ज़मीन के वितरण को लेकर गंभीर नहीं है। न ही वह कालाबाज़ारी पर रोक लगा पायी और न ही सबको रोटी उपलब्ध करा पा रही थी। विभिन्न बहाने बनाकर वह संविधान सभा का गठन भी नहीं कर रही थी। इस बीच



चित्र 8.7 : 1917 में एक सभा को संबोधित करते हुए वी आई लेनिन

साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने मज़दूरों व सैनिकों के बीच अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार किया और उन्हें उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। लेनिन का मानना था कि मध्यम वर्ग रूस में कमज़ोर होने के कारण वह लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाएगा और न ही वह किसानों को ज़मीन दिलवाएगा। इसलिए सोवियत जिनके पास वास्तविक शक्ति थी, को सत्ता हथिया लेना चाहिए और इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी को करना चाहिए। शुरु में मज़दूर व सैनिक उनके पक्ष में नहीं थे मगर जैसे-जैसे समय बीतता गया और अस्थायी सरकार की कमज़ोरियाँ उजागर हुईं तथा युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा था तो वे बोल्शेविकों के विचारों को अपनाने लगे।

हमने पहले देखा था कि किस प्रकार रूस के किसान, मज़दूर और सैनिक आपस में जुड़े हुए थे और एक-दूसरे की समस्याओं के प्रति सचेत थे। इस कारण उनके बीच एक साझा समझ बनना और उसके लिए लड़ना स्वाभाविक था।

अक्टूबर 1917 (7 नवंबर 1917) को बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रोग्राड सोवियत ने अस्थायी सरकार को हटाकर क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। अगले दिन पूरे रूस के सोवियतों की सभा में लेनिन ने नई सरकार की घोषणा की और दो महत्वपूर्ण ऐलान किए — पहला, 'शान्ति संबंधित ऐलान' जिसमें युद्ध विराम और लोकतांत्रिक शान्ति की अपील की गई और दूसरा, 'ज़मीन संबंधित ऐलान' जिसमें भूस्वामियों की ज़मीन का राष्ट्रीयकरण और किसानों को ज़मीन वितरण का निर्णय था। हर गाँव के गरीब किसानों की समितियों

को वहाँ के भूस्वामियों की ज़मीन को आपस में बाँटने का अधिकार दिया गया। दूसरी ओर कारखानों में मज़दूरों की समितियों को कारखानों के संचालन में भागीदारी दी गई। चन्द ही दिनों में हर जगह पुरानी प्रशासन व्यवस्था, नौकरशाह और पुलिस की जगह सोवियतों ने शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। सोवियत शासन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सभी शहरवासियों को खाने के लिए रोटी और रहने के लिए आवास मिले।

इसके साथ ही रूस ने ऐलान किया कि ज़ारशाही के तहत जो भी राष्ट्र रूसी साम्राज्य द्वारा दबाए गए थे वे अब स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं कि वे रूस के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं। फिनलैंड, लटविया, एस्टोनिया, यूक्रेन जैसे देश इस प्रकार स्वतंत्र हुए।

जहाँ तक विश्व युद्ध को समाप्त करने की बात थी, रूस की अपील के बावजूद कोई देश शान्ति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में रूस ने जर्मनी से मार्च 1918 में एक समझौता करके युद्ध समाप्त किया। लेकिन इस संधि के द्वारा रूस को बहुत अधिक ज़मीन जर्मनी को देनी पड़ी।

रूसी क्रांति तीन प्रमुख माँगों को लेकर शुरू हुई थी। क्या आपको लगता है कि सन् 1918 तक ये पूरी हो पाई? अगर हाँ, तो किस हद तक?

सन् 1918 से 1922 के बीच रूस के पुराने भूस्वामी और सेनापतियों ने नई सरकार के विरुद्ध गृहयुद्ध छेड़ा और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका आदि देशों का समर्थन भी मिला। इन देशों की सरकारें यूरोप में साम्यवादी विचारों के फैलने से घबरायी हुई थीं। लेकिन 1922 तक रूस की सरकार इन्हें हरा पाई। इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे अब रूस के साथ हो लिए और यू एस एस आर (सोवियत समाजवादी देशों का संघ) की स्थापना हुई।

स्तालिन : 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्तालिन ने नेतृत्व संभाली और कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान नेता बना। नेतृत्व सम्भालते ही उसकी नीतियों का विरोध करने वाले कई नेताओं को मार डाला गया। स्तालिन 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत साम्यवादी पार्टी और सोवियत संघ का तानाशाह बना रहा।

औद्योगीकरण : क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों व खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया और निजी संपत्ति खत्म की गई थी। अब उनका संचालन राज्य द्वारा किया जाने लगा। 1924 के बाद



चित्र 8.8 : रूस के औद्योगीकरण का एक दृश्य — मैग्निटागार्स्क नामक जगह पर इस्पात कारखाना लगभग 1936

सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और औद्योगीकरण की चुनौती थी। युद्ध, क्रांति और गृहयुद्ध से ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई जिसमें औद्योगीकरण पर विशेष ज़ोर था। लेकिन इसके लिए धन और तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव था। ऐसे में पहले विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए गए और उनकी मदद से उद्योग निर्मित किए जाने लगे। जहाँ तक धन और पूँजी का सवाल

था, यह किसी विदेशी स्रोत से उपलब्ध नहीं था और रूस को अपने स्रोतों से व्यवस्था करनी पड़ी। इसके लिए जितनी भी बचत उपलब्ध थी उसे उद्योगों में झोंका गया, मजदूरों का वेतन कम रखा गया और किसानों पर कर लगाकर अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था की गई। यह माना गया कि उद्योगों के विकास से बाद में मजदूरों व किसानों को फायदा मिलेगा। 1928 के बाद रूस में औद्योगीकरण तेज़ हुआ और इसमें भारी उद्योगों (लोहा-इस्पात, बिजली, मशीन उत्पादन आदि) पर विशेष जोर था। 1940 तक सोवियत संघ एक ताकतवर औद्योगिक देश बन गया।

कृषि का सामूहीकरण : 1917 के बाद भूस्वामियों की ज़मीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े किसान भी थे लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। इस बात को देखते हुए स्तालिन ने कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तहत किसानों से कहा गया कि वे अपने-अपने खेतों को मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म बनाएँ ताकि बड़े पैमाने में खेती की जा सके और खेतों में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सके। अधिकांश छोटे और मध्यम किसान इसके लिए तैयार हुए मगर ज़्यादातर बड़े किसान और कुछ मध्यम किसानों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों पर ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई और वे लाखों की संख्या में गिरफ्तार किए गए, कालापानी भेजे गए या मार डाले गए। इस ज़ोर-ज़बरदस्ती के कारण कुछ वर्ष रूस की कृषि संकटग्रस्त रही। फलस्वरूप 1932-34 के बीच भीषण अकाल पड़ा और लाखों लोग भुखमरी के कारण मरे लेकिन 1936 तक कृषि सामूहीकरण पूरा हुआ और रूस में निजी खेती लगभग समाप्त हो गई। 1937 के बाद कृषि का तेज़ी से विकास हुआ और वह औद्योगीकरण का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेज़ी से बढ़ा सका।

ब्रिटेन में औद्योगीकरण के लिए धन कहाँ से मिला था? क्या औद्योगीकरण के लिए अन्य किसी स्रोत से पूँजी मिल सकती थी?

कृषि के विकास के लिए क्या बड़े जोतों की आवश्यकता है? अगर छोटे जोत हों तो उनमें मशीनीकरण में क्या समस्याएँ आतीं?

रूस के बड़े किसानों ने सामूहिक फार्म का विरोध क्यों किया होगा?

क्या सामूहीकरण किसानों की सहमति से धीरे-धीरे किया जा सकता था?

क्रांति के बाद सोवियत रूस के विकास को लेकर काफी विवाद रहा है और उसके विरोधाभासों पर कई इतिहासकारों ने ध्यान आकृष्ट किया है। एक ओर पहली बार इतिहास में अभिजात्य भूस्वामियों, पूँजीपतियों, व्यापारियों व शाही दरबारियों के बिना गरीब मजदूरों व किसानों ने एक नए समाज की रचना की। इस समाज में सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि ज़रूरी सुविधाओं की पहुँच समान रूप से बनी। बेरोज़गारी लगभग समाप्त हो गई और सबको काम मिला। 1929-32 के बीच पूँजीवादी देशों में जो भीषण आर्थिक मंदी आई, उसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त हुआ। निरक्षरता में भारी कमी आई और सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई जिसमें विषयों की पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक श्रम द्वारा उत्पादक कार्य पर भी जोर दिया गया।

रूस के अधिकांश पड़ोसी देश जो पूँजीवादी थे, लगातार इसी प्रयास में रहे कि वह सफल न हो और रूस के विकास में तरह-तरह की बाधाएँ डालते रहे। लेकिन इसके बावजूद सोवियत रूस अपने आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर सका और 1940 तक एक आधुनिक शक्ति के रूप में उभरा।

लेकिन जो राजनैतिक व्यवस्था सोवियत रूस में बनी उसमें बहु-दलीय प्रणाली की जगह एक साम्यवादी दल को ही मान्यता प्राप्त थी। इस कारण लोगों के सामने राजनैतिक विकल्प मौजूद नहीं थे। इसके अलावा

वहाँ शासन की आलोचना करने तथा वैकल्पिक सोच प्रस्तुत करने पर भारी रोक लगी थी और अक्सर शासन की नीतियों के विरोध करने वाले चाहे वे साम्यवादी दल के क्यों न हों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता था और मार डाला जाता था। इस तरह जहाँ एक ओर गरीबों को राजनीति में भाग लेने का मौका मिला वहीं उनके पास विकल्प न होने के कारण लोकतंत्र का पूरा विकास नहीं हो पाया।

सोवियत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा। दूर-दराज के देशों में और खासकर उपनिवेशों में स्वतंत्रता और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वालों को इससे प्रेरणा मिली और वे भी रूस की राह पर चलने का प्रयास करने लगे। रूस की साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन बनाया गया और हर देश में उस तरह की पार्टियों का निर्माण हुआ। इनके आंदोलनों के दबाव से हर देश में मजदूरों के कल्याण व किसानों को ज़मीन पर अधिकार देने के लिए कानून बने और ठोस व्यवस्थाएँ बनीं।

अगर आपके अपने गाँव या शहर के गरीबों के हितों की व्यवस्था करनी है तो क्या-क्या करना होगा?

आपने लोकतंत्र में दलों की भूमिका के बारे में पढ़ा है। क्या आपको लगता है बहु-दलीय प्रणाली लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है? कारण सहित चर्चा करें।

क्या स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अपने विचार रखने का अधिकार न हो तो किसी भी लोकतंत्र पर उसका क्या असर होगा?

क्या शासन की नीतियों की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार करना या मार डालना ज़रूरी या उचित हो सकता है?

2.2 भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार

पिछले खण्ड में हमने देखा कि रूस ने पूँजीवादी औद्योगीकरण की जगह राज्य नियंत्रित औद्योगीकरण को अपनाया और संसदीय लोकतंत्र की जगह सोवियत शैली का लोकतंत्र स्वीकारा। वहाँ बहुदलीय चुनाव और वैयक्तिक लोकतांत्रिक अधिकारों को भी नहीं माना गया। उसी समय ब्रिटेन व अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव और वैयक्तिक लोकतांत्रिक अधिकारों पर अधिक जोर था। यह व्यवस्था बाज़ार आधारित पूँजीवादी औद्योगीकरण पर खड़ी थी और उसमें यह मान्यता थी कि लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बाज़ार पर छोड़ देना चाहिए। इस विचार को बहुत बड़ा धक्का सन् 1929 की भीषण मंदी से लगा और अपने आपको बदलने पर विवश हुआ।

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा की गई थी कि सभी देशों में तेज़ी से आर्थिक विकास होगा और 1919 के बाद ऐसा हुआ भी। लेकिन यह विकास 1923 के बाद कुछ थम-सा गया और 1929 में पूरी



चित्र 8.9 : मुफ्त कॉफी और सूप के लिए हजारों बेरोज़गार कतार में खड़े हैं।

पूँजीवादी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आई जो 1933 तक यानी चार साल तक बनी रही। हालाँकि उसके बाद फिर विकास का दौर शुरू हुआ लेकिन 1939 तक मंदी का असर बना रहा।

‘आर्थिक मंदी’ यानी क्या? पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसा विकास नहीं होता है। उसमें लगातार तेज़ी और मंदी के दौर एक के बाद एक आते रहते हैं।



तेज़ी के समय पूँजी का निवेश बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, मज़दूरों को काम और वेतन भी अधिक मिलता है। इस कारण वे अधिक चीज़ें खरीद पाते हैं और चीज़ों की माँग और कीमतें बढ़ती हैं। इस कारण और अधिक पूँजी निवेश होता है... इस तरह तेज़ी का चक्र चलते रहता है। इस खुशनुमा दौर के अंत में अकसर चीज़ों का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है और वे बिक नहीं पाती हैं और माल की कीमत कम होने लगती है। जब ऐसी परिस्थिति में कोई अप्रत्याशित आर्थिक घटना घटती है तो लोगों का विश्वास डगमगा जाता है और मंदी का खतरा बढ़ जाता है। पूँजीपति उत्पादन कम कर देते हैं जिससे मज़दूरों को काम कम मिलता है और वे बेरोज़गारी का शिकार हो जाते हैं। अब वे और कम सामान खरीद पाते हैं। इसके चलते मंदी और गहरा जाती है। आम तौर पर आर्थिक मंदी का असर कम समय के लिए रहता है और फिर से तेज़ी की आशा रहती है। लेकिन 1929 की मंदी का असर कई साल तक रहा और पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया।



चित्र 8.10 : एक दीवालिया बैंक के सामने अपना जमा पैसे निकालने के लिये खड़ी भीड़

सन् 1925 से ही अमेरिका में मंदी के आसार उभरने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब यूरोप में कृषि प्रभावित रही अमेरिका के किसान ने उत्पादन खूब बढ़ाया जिसके लिए वे बैंकों से बहुत उधार भी ले रखे थे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में कृषि फिर से स्थापित हुई और उसने अमेरिका से अनाज खरीदना कम कर दिया। इस कारण अमेरिका में कृषि उपज की कीमतें घटने लगीं और किसान परेशान होने लगे। वे बैंकों की किश्त नहीं चुका पा रहे थे।

‘भीषण मंदी’ की शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 के अमेरिकी शेयर बाज़ार में भारी गिरावट से हुई। शेयर बाज़ार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी या ‘शेयर’ खरीदे-बेचे जाते हैं। अगर कंपनी मुनाफा कमा रही हो तो अधिक लोग उसके हिस्से खरीदेंगे और उनका दाम बढ़ जायेगा। अगर घाटा हो रहा हो तो जिनके पास उसके हिस्से हैं वे भी बेचने लगेंगे और खरीदने वाले नहीं होंगे। ऐसे में उस कंपनी के शेयर की कीमत कम होने लगेगी। अक्टूबर 1929 में अमेरिका के निवेशकों ने पाया कि कोई कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही थी और सभी घाटे में चल रहे थे। अचानक 29 अक्टूबर को सभी कंपनियों के हिस्सों की कीमत तेज़ी से घटती गई। जिनके पास शेयर थे वे बेचने के लिए आतुर थे मगर खरीददार नहीं थे। बैंकों ने जो उधार दे रखे थे वे वापस नहीं हो रहे थे और बैंकों के पास नगद की कमी पड़ गई। ऐसे में जिन लोगों ने बैंकों में पैसे रखे थे वे अपना पैसा निकालने लगे, मगर बैंकों के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। बैंकों का दीवालिया निकल गया और जिन्होंने उनमें पैसे डाल रखे थे उनकी जमा पूँजी गायब हो गई।

इसका कारण यह था कि अमेरिका में 1925 से 1929 तक जो तेज़ी हुई थी उस दौर में किसानों के उपज की कीमत या मज़दूरों का वेतन नहीं बढ़ा पर पूँजीपतियों का मुनाफा अत्यधिक मात्रा में बढ़ा। इस कारण जन सामान्य की खरीदने की क्षमता कम थी मगर उत्पादन बढ़ता गया। नतीजा यह हुआ कि माल की माँग कम होती गई और माल गोदामों में बन्द रहे। माल न बिकने के कारण कीमतों में लगभग 32 प्रतिशत गिरावट आई। इसको देखते हुए उद्योगपति उत्पादन कम करने लगे जिस कारण मज़दूरों की छटनी होने लगी। लगभग 27 प्रतिशत मज़दूर बेरोज़गार हो गए। कारखानों में कच्चे माल की माँग कम होने और मज़दूरों की बेरोज़गारी के कारण कृषि उपज की माँग और कीमतें गिरने लगी। किसानों को लागत से भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ी और वे बरबाद हो गए और साथ में वे कंपनियाँ भी जो उन पर निर्भर थीं। औद्योगिक और कृषि संकट के चलते राष्ट्रीय आय कम हो गई।



चित्र 8.11 : एक बेरोज़गार परिवार और चिन्ताकुल माँ। बेरोज़गारों की दशा को चित्रित करने वाला एक बहुत प्रसिद्ध फोटो।



चित्र 8.12 : एक किसान के फार्म पर सूचना: 'खाली करने के लिए बेचना है, घर के फर्नीचर भी'

अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया? उन दिनों अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश था और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था। वह युद्ध से उभर रहे यूरोप का सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक था। फलस्वरूप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ताना-बाना अमेरिका पर निर्भर था।

अपने आर्थिक संकट के कारण अमेरिका ने जर्मनी, ब्रिटेन आदि को उधार देना कम कर दिया। अपने कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात कम कर दिया। 1930 से देखते-देखते अमेरिका का संकट पूरे विश्व पर छा गया, विशेषकर उन सभी देशों पर जो आपस में व्यापार और निवेश से बँधे हुए थे। 1929 से 1933 के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 60 प्रतिशत कम हो गया। दुनिया भर के किसान जो व्यापारिक फसल उगाते थे बर्बाद हो गए क्योंकि उनकी उपज के लिए कोई खरीददार नहीं रहे। अमेरिका और अन्य कई देशों के किसान अपनी ज़मीन बेचकर शहरों की तरफ कूच कर गए। लेकिन शहरों में भी कोई काम नहीं था। ब्रिटेन में 23 प्रतिशत लोग बेरोज़गार थे जबकि जर्मनी में 44 प्रतिशत लोगों के पास काम नहीं था।

किसी देश में आम जनता की माल खरीदने की क्षमता किस बात से निर्धारित होती है?

मज़दूरों के वेतन बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा? फिर भी कारखानों के मालिक उन्हें कम वेतन क्यों देना चाहते होंगे?

मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा?

अमेरिका में आया संकट पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया?

इस भीषण मंदी का प्रभाव जर्मनी पर इतना अधिक क्यों पड़ा? क्या आप कोई कारण सोच सकते हैं?

भीषण मंदी का प्रभाव सोवियत रूस पर सबसे कम पड़ा और वहाँ उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत तेज़ी से औद्योगिक विकास हो रहा था। इसके दो प्रमुख कारण थे — पहला यह कि रूस उन दिनों विश्व आर्थिक व्यवस्था से बहुत कम जुड़ा था और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था। इस कारण विश्व बाज़ार की मंदी का उस पर प्रभाव नहीं था। दूसरा कारण यह था कि रूस में समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार सरकार की केन्द्रीय योजना के अनुरूप आर्थिक विकास किया जा रहा था जिसमें बाज़ार के उतार-चढ़ाव का कोई दूरगामी असर नहीं था।

आर्थिक विकास और लाभ कमाने के लिए विश्व बाज़ार में जुड़कर अन्य देशों से व्यापार करना आवश्यक है। लेकिन ऐसा करने पर वह देश दूसरे देशों के बाज़ार के उतार-चढ़ाव से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। क्या विकास का कोई और रास्ता हो सकता है?

लोगों के आंदोलन और शासन की पहल

1929 की भीषण मंदी के कारण जगह-जगह त्रस्त लोगों के आंदोलन



हुए और बहुत तेज़ी से लोगों का पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से मोहभंग हुआ। भारत जैसे उपनिवेशों में भी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन तेज़ हो गए। इसी समय महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था।

ऐसे आंदोलनों के दबाव के कारण सरकारों व अर्थशास्त्रियों ने पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांत विकसित किए। पहले यह माना जाता था कि सरकारों को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए और उसे अनियंत्रित बाज़ार पर छोड़ देना चाहिए। अब सभी यह स्वीकार करने लगे कि सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर किसानों को अनुदान और मज़दूरों को रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए। जॉन कीन्स नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए और सबके लिए रोज़गार उपलब्ध कराना चाहिए। इससे लोगों की बाज़ार में चीज़ें खरीदने की क्षमता बनेगी और माँग फिर से मज़बूत होगी। इस प्रकार राज्य द्वारा उत्पन्न माँग से आर्थिक स्थिति को सुधारने के अवसर प्राप्त होंगे।

फ्रांक्लिन रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना। उसने “न्यू डील” की घोषणा की जिसमें आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया। इसका वास्तविक असर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ 1939 के बाद आया जब सरकार पर युद्ध के हथियार बनाने तथा सेना की ज़िम्मेदारी आई। इससे कारखानों में उत्पादन बढ़ा और कृषि सामग्रियों की माँग भी बढ़ गई। इस दौरान अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई जिसके अंतर्गत सभी सेवानिवृत्त वृद्धों के लिए एक पेंशन योजना बनाई गई। बेरोज़गारी बीमा तथा विकलांगों और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए (जिनके पिता न हों) कल्याणकारी योजनाएँ बनाई गईं।

असल में मंदी के दौर से भी पहले ही जर्मनी और ब्रिटेन ने इस दिशा में कदम उठाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और शिशु सुरक्षा संबंधी योजनाएँ भी बनाईं। यह एक



चित्र 8.13 : ‘काम या वेतन’ अश्वेत और गोरे मज़दूरों का मिलकर बेरोज़गारी के विरुद्ध जुलूस। क्या इस जुलूस में कोई महिलाएँ भी दिख रही हैं?



चित्र 8.14 : फ्रांक्लिन रूजवेल्ट – संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 1933–1945

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। जिसमें राज्य सभी नागरिकों को एक अच्छे जीवन का आश्वासन दे और उनकी सभी मौलिक आवश्यकताओं, जैसे— अन्न, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्धों की देखभाल तथा शिक्षा का ख्याल रखे। राज्य ने योग्य नागरिकों को रोज़गार दिलाने का भार भी अपने ऊपर लिया। इस प्रकार राज्य ने पूँजीवादी बाज़ार में हो रहे उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया। सरकारों के इन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन ऊँचे करों से प्राप्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत-सी सरकारों ने इस नीति को अपनाया।

वास्तव में भीषण मंदी 1939 में समाप्त हुई जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। सभी देश की सरकारों ने युद्ध सामग्री की माँग की और उसके लिए पूँजी की व्यवस्था भी की। इन उद्योगों में बहुत लोगों को रोज़गार मिला। साथ ही लाखों को सेना में भर्ती किया गया। इस प्रकार ये देश मंदी के असर से उबर पाए।

सरकारी खर्च से बाज़ार में सामानों के लिए माँग किस तरह बढ़ सकती थी?

अपने आसपास क्या आपने इस तरह की कोई लोककल्याणकारी योजना देखी है? अगर हाँ, तो कक्षा में उसके बारे में बताएँ।

कई अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि सरकारी मदद के कारण लोग सरकार पर निर्भर हो जाएँगे और स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, अतः सरकार को लोक कल्याण के कामों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या आपको यह ठीक लगता है?

क्या आपको लगता है युद्ध करना एक आर्थिक ज़रूरत थी?

अभ्यास

1. इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें :

क. तुर्की में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शासन किसने स्थापित किया?

ख. रूस में किसानों की दासता कब और किसने समाप्त किया?

ग. रूस में औद्योगीकरण की पहल किसने की?

घ. 1905 में स्थापित डूमा में किन लोगों का बोलबाला था?

च. 1917 में रूस के किसानों, मजदूरों व सैनिकों की क्या प्रमुख मांगें थीं?

ज. लेनिन का 'जमीन संबंधित ऐलान' में क्या कहा गया?

2. रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या-क्या परिवर्तन आए?

3. डूमा एक सफल लोकतांत्रिक संसद क्यों नहीं बन पायी — इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए।

4. रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम क्या-क्या थे?

5. रूस में औद्योगीकरण के लिए किस प्रकार धन जुटाया गया?

6. रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए।

7. आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमतें क्यों घटीं? इसका उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा?

8. क्या मंदी का किसानों व मजदूरों पर एक जैसा प्रभाव पड़ा?

9. अमेरिकी आर्थिक मंदी का पूरे विश्व पर प्रभाव क्यों पड़ा?

10. ब्रिटेन और अमेरिका में कल्याणकारी राज्य की क्या भूमिका बनी?



दो विश्व युद्धों के बीच – जर्मनी में नाज़ीवाद और दूसरा विश्व युद्ध

3.1 प्रथम विश्व युद्ध के बाद

पिछले दो अध्यायों में आपने प्रथम विश्व युद्ध, वरसाई संधि, रूसी क्रांति और महान आर्थिक मंदी आदि के बारे में पढ़ा। 1919 से 1945 तक के विश्व इतिहास को समझने के लिए हमें बार बार इन्हें याद करना होगा।

प्रथम विश्व युद्ध ने अधिकांश यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था जिससे उबरने के प्रयास महान आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए। रूसी क्रांति और बढ़ते समाजवादी व साम्यवादी मज़दूर आंदोलनों के कारण हर देश के समाज में आंतरिक तनाव बढ़ गए। हर देश के सामने यह विडम्बना थी कि वह किस तरह का रास्ता चुने, उस देश पर किस विचारधारा और सामाजिक तबके का वर्चस्व रहे? उन दिनों तीन प्रमुख विचारधाराएँ लोगों के बीच अपना प्रभाव बना रही थीं। ये थीं उदारवादी लोकतंत्र, समाजवाद-साम्यवाद और दक्षिणपंथ की विचारधाराएँ। उदारवादी लोकतंत्र तानाशाही के खिलाफ था और संवैधानिक सरकार के पक्ष में था जिसमें चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन होता था और सरकारें चुने गए जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी थीं। नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से सुरक्षित थी और सारा सरकारी कामकाज कानून के अनुरूप होता था। सामाजिक उठापटक की जगह तर्क पर आधारित सार्वजनिक बहस के आधार पर नीति निर्धारण को महत्व दिया जाता था ताकि समाज में सहमति के आधार पर निरन्तर विकास हो। 1919 के बाद कई देशों में उदारवादी संविधान बने और उनके अनुरूप सरकारें बनीं लेकिन व्यवहार में यह देखा गया कि उनमें भ्रष्टाचार के माध्यम से धनी वर्ग हावी रहते हैं और चुनाव में जीते जनप्रतिनिधि वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। उदारवादी व्यवस्था उन देशों में अधिक सफल थी जहाँ सम्पन्नता थी और जहाँ सामाजिक तबकों के बीच टकराव कम थी, जैसे ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका।

क्या आप भारतीय राजनैतिक व्यवस्था को एक उदारवादी व्यवस्था मानेंगे – अपना कारण भी स्पष्ट करें।

भ्रष्टाचार उदारवादी व्यवस्था को किस प्रकार कमजोर करता है?



3.2 दक्षिणपंथी आंदोलन और फॉसीवाद

इस माहौल में यूरोप के कई देशों में उदारवाद विरोधी आंदोलन प्रभावी होने लगे। इन देशों में एक बड़ा तबका मध्यम वर्ग का था जिसमें छोटे व मध्यम किसान, दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योगपति तथा व्यवसायी शामिल थे। यह वर्ग एक ओर बड़े पूँजीपतियों के विरुद्ध था क्योंकि उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग के व्यवसाय घाटे का सामना

कर रहे थे। 1929 की महामंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित यही वर्ग था— किसानों की ज़मीन नीलाम हो रही थी, छोटी दुकानें व कारोबार बंद हो रहे थे और बेरोज़गारी बढ़ रही थी। दूसरी ओर यह निम्न मध्यम वर्ग समाजवाद और साम्यवादी मजदूर आंदोलन का भी विरोध करता था क्योंकि वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे जबकि मध्यम वर्ग अपनी छोटी संपत्ति को बचाने में लगा हुआ था। ऐसे में यह छोटी संपत्तिवाला मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद दोनों के खिलाफ हुआ। 1925 के बाद और विशेषकर 1929 की महामंदी के बाद यह मध्यम वर्ग राजनैतिक रूप से सक्रिय होने लगा। यह आंदोलन चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समाजवाद जैसी सब बातों के विरुद्ध था और साथ ही दूसरे देशों के विरुद्ध अतिराष्ट्रवादी भी था। इस तरह के विचार फासीवादी विचार कहे जाने लगे। इन आंदोलनों का फायदा उठाते हुए इटली व जर्मनी में नई फासीवादी पार्टियाँ उभरने लगीं। फासीवाद कई प्रकार के थे, मगर उनमें कुछ बातें समान थी।

1. वे अतिराष्ट्रवादी थे। वे यह जताते थे कि राष्ट्रहित ही एकमात्र सर्वोपरि हित है और राष्ट्र को आमतौर पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था। वे विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध-उन्माद पर जोर देते थे।
2. वे राष्ट्र के अन्दर किसी प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष जैसे— वर्ग संघर्ष, राजनैतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म करना चाहते थे। वे राज्य के हाथ असीमित शक्ति देना चाहते थे ताकि वह ऐसे संघर्षों का हल अपनी ओर से तय करके सब पर थोपे।
3. वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनैतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते थे।
4. वे लोकतंत्र विरोधी थे। फासीवादी यह मानते थे कि लोकतंत्र, चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्याओं के हल में बाधा है और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन और तानाशाही राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है।
5. वे प्रायः पारंपरिक पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते थे जैसे, महिलाओं को बच्चे पैदा करके घर संभालना है या समाज में अपने से ऊँची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए आदि। समानता, सबके लिए बराबर अवसर, विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता आदि मूल्यों में वे विश्वास नहीं करते।
6. वे पार्टी के सर्वोच्च नेता के आह्वान पर जनता को निरन्तर उद्वेलित करके आंदोलन का निर्माण करते हैं। फासीवाद लगातार जनता को आंदोलन की अवस्था में रखता है और वह नियंत्रित जन आंदोलन पर निर्भर होता है। लोगों तक संदेश पहुँचाने तथा उनकी भावनाओं को



चित्र 9.1 : नाज़ी पार्टी के कार्यकर्ता एक समाजवादी नेता को अपमानित करके कचरे की गाड़ी पर घुमा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के विशेष गणवेश पर ध्यान दें। ये सरकारी कर्मचारी नहीं थे।



चित्र 9.2 : हिटलर के समर्थन में न्यूरम्बर्ग की विशाल रैली।
ऐसी रैलियाँ हर साल होती थीं जो हिटलर की
शक्ति का प्रदर्शन था।

भड़काने के लिए राज्य के मीडिया का ज़बरदस्त उपयोग किया जाता है।

7. जर्मनी जैसे देशों में फासीवाद नस्लवाद का रूप धारण करता है और किसी बहुसंख्यक नस्ल की श्रेष्ठता और वर्चस्व को स्थापित करना उसका कथित उद्देश्य होता है। इसके तहत यहूदी जैसे अल्पसंख्यक नस्ल या धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार को सही ठहराया गया।

फासीवादी विचार को इनमें से किन तबकों ने समर्थन दिया होगा – मध्यम और छोटे किसान, संगठित मज़दूर वर्ग, दुकानदार, बेरोज़गार युवा?

संगठित मज़दूर आंदोलन के प्रति फासीवादियों का क्या रवैया था?

राष्ट्रवाद और अतिराष्ट्रवाद में आप क्या फर्क देख पाते हैं?

फासीवादी लोग देश के अन्दर किस प्रकार एक मत विकसित करना चाहते थे – बातचीत और सबकी जरूरतों के लिए जगह बनाकर या अन्य तरीकों से?

फासीवादी दल लोकतंत्र की जगह क्या लाना चाहते थे?

महिलाओं के प्रति फासीवादियों के क्या विचार थे?

इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवादी पार्टी 1919 से सक्रिय थी जो मुख्य रूप से मज़दूरों के संगठनों को हत्या, मारपीट आदि तरीकों से तोड़ने में लगी थी। यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी जो लोकतांत्रिक तरीकों जैसे याचिका देना, न्यायालय में केस करना आदि की जगह सीधी भीड़ के द्वारा कार्यवाही की पैरवी करती थी। 1921-22 के चुनावों में उसे कम ही सफलता



चित्र 9.3 : मुसोलिनी एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए

मिली जबकि समाजवादियों व साम्यवादियों को बहुमत मिला था। फिर भी 1922 में मुसोलिनी ने एक विशाल यात्रा प्रारंभ की जिसका उद्देश्य राजधानी रोम पर कब्ज़ा जमाना था। इटली के राजा और अन्य परंपरावादियों ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सत्ता में आने के बाद अन्य राजनैतिक दलों व मज़दूर संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। जीवन के हर क्षेत्र और सरकार के हर काम को फासीवादी पार्टी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पार्टी में भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जगह एक नेता, मुसोलिनी, सर्वेसर्वा बन गया। इस प्रकार इटली में

लोकतंत्र की जगह फासीवादी पार्टी और एक नेता मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई।

एक लोकतंत्र में और फासीवादी तानाशाही में आप क्या-क्या फर्क देख पा रहे हैं?

मुसोलिनी और हिटलर की रैलियों के चित्रों में क्या समानता व अन्तर दिख रहे हैं?

3.3 जर्मनी में नाज़ीवाद

जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली 'नेशनल सोशियलिस्ट वर्कर्स पार्टी' (संक्षेप में 'नाज़ी' पार्टी) 1934 में सत्ता में आई। 1924 से 1934 के बीच जर्मन निम्न मध्यम वर्ग में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। इसके कई कारण थे। पहला जर्मनी के लोग वरसाई संधि की जर्मन विरोधी शर्तों से नाराज़ और आहत थे और जब उन्हें हर साल उसका हरज़ाना विजयी देशों को देना पड़ा तो उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँची। वे एक ऐसे नेता की तलाश करने लगे जो जर्मनी को इस शर्मिन्दगी से उबारे। जर्मनी का मध्यम वर्ग 1929 और 1933 के बीच महामंदी से अत्यधिक प्रभावित था। जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन आधे से भी कम रह गया था। ऐसे में बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ी जिसके कारण मध्यम वर्ग में असन्तुष्टि भी बढ़ी। उग्र राष्ट्रवादी नाज़ी पार्टी ने इसके लिए यहूदियों व दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराया। 1929 के पश्चात् नाज़ी पार्टी की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई। 1932 के चुनावों में नाज़ी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। दूसरी ओर समाजवादी और साम्यवादी पार्टियाँ भी लगातार लोकप्रिय हो रही थीं और वे रूस की तर्ज़ पर समाज में मूलभूत परिवर्तन की वकालत कर रही थीं। लेकिन उनके आपसी विरोध के कारण वे एक होकर हिटलर का विरोध नहीं कर पाए।



चित्र 9.4 : हिटलर एक प्रभावी वक्ता था जो विशाल भीड़ को उत्तेजित कर सकता था।

पिछले पाठ के आधार पर याद करें कि वरसाई संधि में ऐसी क्या बातें थीं जो जर्मनी के लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती होंगी?

हिटलर ने उद्योगपतियों, भूमिस्वामियों आदि के साथ गठबंधन स्थापित किया। साम्यवादी क्रांति के भय तथा वामपंथियों की बढ़ती ताकत से चिन्तित होकर 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। नाज़ी पार्टी की सत्ता प्राप्ति में प्रचार-प्रसार (प्रोपेगेंडा) ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। हिटलर अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वरसाई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसने बेरोज़गारी की समस्या का समाधान एवं जर्मनी को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने का आश्वासन दिया। अपने भाषणों में हिटलर जर्मन आर्य नस्ल को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताता था और उसकी वर्तमान समस्याओं के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराता था। उसका कहना था कि यहूदी लोग ही प्रमुख उद्योगों व बैंकों के मालिक हैं, वे ही साम्यवाद जैसे विचार फैला रहे हैं और वे ही जर्मन लोगों की बेरोज़गारी के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच बड़ी संख्या में यहूदियों व विरोधी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को मार डाला गया या उनपर भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया।

सत्ता प्राप्ति के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी 1933 में संसद में लगी आग के लिए साम्यवादियों को दोषी ठहराया गया तथा सभी साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1933 को संसद में पारित अग्नि अध्यादेश (फायर डिक्ट्री) के ज़रिए सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया जो कि नाज़ी शासन के अंत तक बना रहा। मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट संसद में पारित किया गया। इस कानून के द्वारा हिटलर ने संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर केवल अध्यादेशों के ज़रिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया। नाज़ी पार्टी एवं उससे संबंधित संगठनों के अलावा सभी राजनैतिक पार्टियों एवं ट्रेड यूनियनों पर पाबंदियाँ लगा दी गईं। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना तथा न्यायपालिका पर नाज़ी पार्टी अथवा राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया।

संपूर्ण जर्मनी को नाज़ी विचारधारा के अनुरूप व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने हेतु विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया। एस. एस. (अपराध नियंत्रण पुलिस) गेस्तापो (गुप्तचर राज्य पुलिस) एवं एस. डी. (सुरक्षा सेवा) जैसी नाज़ी संस्थाओं को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। संपूर्ण जर्मन समाज का नाज़ीकरण किया गया तथा नाज़ी पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले सभी समूहों को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया।

1933 में यातना शिविर स्थापित किए गए जिनमें हज़ारों की संख्या में नाज़ियों के राजनैतिक विरोधियों को बंदी बनाकर रखा गया, लगातार अपमानित किया गया और अक्सर मार डाला गया। इनके अलावा 1939 तक कम से कम 30,000 से अधिक लोगों को देशद्रोह के नाम पर मृत्युदण्ड दिया गया।

हिटलर और नाज़ी पार्टी ने जर्मनी पर अपनी तानाशाही किस प्रकार स्थापित की होगी?

3.3.1 नाज़ी शासन के अधीन समाज एवं राज्य

नाज़ी शासन के अंतर्गत संपूर्ण लोक प्रशासनिक सेवा तथा सेना की निष्ठा जर्मन राज्य के प्रति न होकर हिटलर के प्रति होती थी। इसके लिए लोग एक प्रतिज्ञा लेते थे। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नाज़ी पार्टी द्वारा स्थापित संस्थाओं का सदस्य बनना अनिवार्य था। न्यायिक व्यवस्था का दमन कर दिया गया। सभी न्यायकर्ताओं को भी नाज़ी संगठन का सदस्य बनना अनिवार्य था। सभी राजनैतिक अपराध संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से हटाकर नाज़ी नियंत्रित जन न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिए गए जिसके फलस्वरूप नाज़ी शासन ने अपने राजनैतिक विरोधियों का तथाकथित विधिसम्मत रूप से सफाया कर दिया।

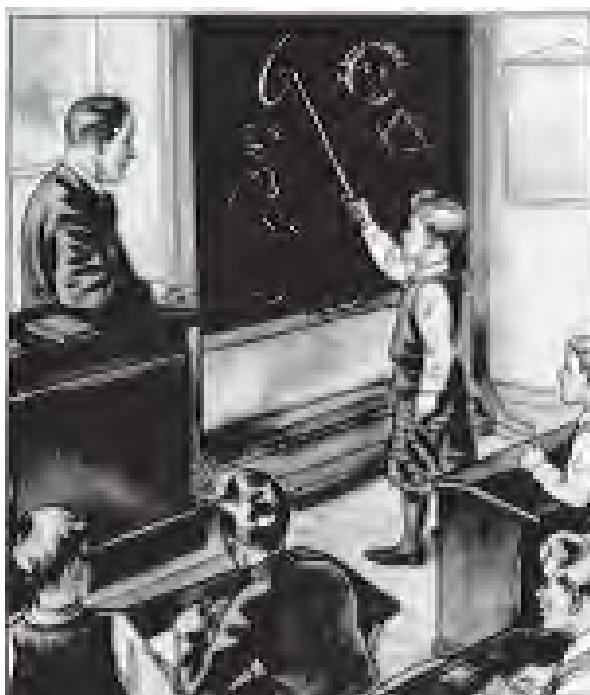


चित्र 9.5 : महिलाओं के लिए एक नाज़ी पत्रिका का मुखपृष्ठ।

चित्र 9.5 में महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या आदर्श दिखाया गया है?

नाज़ी शासन ने संकीर्ण पितृसत्तात्मक विचारों को बढ़ावा दिया और महिलाओं को घर में ही रहने तथा नस्लीय तौर पर शुद्ध बच्चों को जन्म देने के लिए महिमामंडित किया। नाज़ी शासन ने कानून बनाकर विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या को दस प्रतिशत कर दिया जो नाज़ी शासन से पहले 37 प्रतिशत थी। नाज़ी शासन ने सभी कला एवं साहित्य के काम को जो उनके विचारों से प्रतिकूल थे, तत्काल प्रतिबंधित कर दिया। नाज़ी शासन में पत्रकारिता पूर्ण रूप से नाज़ी सरकार द्वारा नियंत्रित थी।

शिक्षा के क्षेत्र में नाज़ियों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जर्मन इतिहास का महिमामंडन किया गया तथा विज्ञान में नस्लीय विज्ञान को प्रमुखता से पढ़ाया जाने लगा। साथ ही सभी यहूदियों को अध्यापन कार्य से मुक्त कर दिया गया।



चित्र 9.6 : 'यहूदी की नाक अंक 6 जैसी मुड़ी होती है' एक कक्षा जिसमें नस्लवाद पढ़ाया जा रहा है। जर्मन नस्ल के बच्चों को यहूदियों को उनकी नाक की बनावट से पहचानना सिखाया जा रहा है।

3.3.2 यहूदियों व अन्य का नरसंहार

मध्यकाल से ही यूरोप के कई देशों में यहूदी विरोधी मानसिकता पायी जाती थी। लेकिन हिटलर

ने इस मानसिकता का उपयोग जर्मन लोगों को उनके खिलाफ एक होकर खड़े करने के लिए किया। यह प्रचार किया गया कि यहूदी नस्ल ही खराब है और जर्मनी की सभी समस्याओं का कारण है। यहूदी विरोधी विचारों ने नाज़ी शासन के दौरान वीभत्स रूप धारण कर लिया। सितंबर 1935 में यहूदियों की नागरिकता समाप्त कर दी गई। यहूदियों एवं जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगी एवं इसे अपराध घोषित कर दिया



चित्र 9.7 : पोलैंड की यहूदी महिलाओं व बच्चों को रेल डिब्बों में भरकर यातना शिविर पर ले जाया जा रहा है।

पूरे जर्मन इलाकों में लगभग 42,500 यातना शिविर बनाए गए। हिटलर ने घोषणा की कि यूरोप के सभी यहूदियों को अन्ततः मार डाला जाएगा। घटो बस्तियों के बाद यहूदियों को यातनागृहों में भेज दिया गया जहाँ उन्हें गुलामों जैसे काम करना पड़ा और 1941 और 1945 के बीच उन्हें सुनियोजित तरीके से गैस चेम्बरों में मार डाला गया। हज़ारों यहूदियों को नंगा करके कमरों में बंद कर दिया गया और कमरों में विषैली गैस छोड़ी गई जिससे सारे

कैदी कुछ ही मिनटों में मारे गए। इस प्रकार 15 लाख बच्चों सहित 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जहाँ भी जर्मन सेनाओं ने कब्जा किया वहाँ 0161 के यहूदियों को अलग यातना शिविरों में भेज दिया गया और अन्त में उन्हें विषैली गैसों के माध्यम से मार डाला गया।

यहूदियों के अतिरिक्त 50 लाख पोलिश, रूसियों, खानाबदोश जिप्सियों, शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग लोगों को नाज़ी शासन ने यह कहके मार डाला कि उनके कारण जर्मन नस्ल ही खराब हो जाएगी।

इस पूरे नरसंहार कार्यक्रम को 'होलोकॉस्ट' नाम से जाना जाता है। नस्लवाद के माध्यम से विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति घृणा उत्पन्न करने का यह परिणाम था।

1933 से लेकर 1945 तक यूरोप के यहूदी बच्चों पर क्या बीती होगी, वे क्या महसूस कर रहे होंगे? इस पर कक्षा में चर्चा करें। आगे दी गई 'हाना का सूटकेस' भी पढ़ें।

नस्लवाद के विचार में ऐसा क्या था कि उसने जर्मन लोगों में दूसरे लोगों के प्रति इस कदर अमानवीय व्यवहार को उकसाया?

गया तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए यहूदियों की संपत्ति की ज़ब्ती एवं बिक्री, सरकारी सेवा से निकालना, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, 9-10 नवंबर 1938 में एक भयानक सुनियोजित कार्यक्रम में पूरी जर्मनी के यहूदियों की संपत्ति, घरों एवं प्रार्थनाघरों को तहस-नहस कर दिया गया। इस घटना को 'नाईट ऑफ ब्रोक्न ग्लास' के नाम से जाना जाता है। 1939 के पश्चात् सभी यहूदियों को विशिष्ट पहचान हेतु चिन्हित किया जाने लगा तथा उन्हें ज़बरदस्ती घटो बस्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई।



चित्र 9.8 : हज़ारों लोगों को मारकर विशाल कब्र में फेंक दिया गया है।

3.4 विदेश नीति और द्वितीय विश्वयुद्ध

1933 की शुरुआत में हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया तथा उसका मुख्य लक्ष्य वरसाई संधि की अपमानजनक शर्तों को खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1919 में खोये क्षेत्रों को वापस मिला ले। 1933 में हिटलर की जर्मनी ने पुनःसशस्त्रीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाजों, टैंकों व पनडुब्बियों से लैस सशक्त सेना का निर्माण किया। 1935 में हिटलर ने वायु सेना एवं सेनाओं में अनिवार्य भर्ती जैसी घोषणा की जो सीधे तौर पर वरसाई संधि की अवहेलना थी। 1935 में सार घाटी को जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में मिला लिया गया। मार्च 1936 में जर्मन सैनिकों ने राइनलैण्ड पर पुनः अधिकार कर लिया। 1936 में ही हिटलर ने इटली



चित्र 9.9 : प्रसिद्ध कार्टून चित्रकार डेविड लो का 1936 में बना व्यंग्यात्मक चित्र। 'बिना रीढ़ की हड्डी के लोकतंत्र के नेताओं' की पीठ पर चढ़कर हिटलर अपनी मंज़िल की ओर बढ़ रहा है।

के फासीवादी शासक मुसोलिनी और जापान के साथ सोवियत रूस विरोधी समझौता किया। उसी वर्ष उसने अपनी सेना को स्पेन के फासीवादी सैनिक तानाशाह की मदद में भेज दिया और अपने नए हथियारों व सैन्य व्यवस्था का परीक्षण किया। इस बीच हिटलर ने भांप लिया कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से अभी युद्ध नहीं करना चाहते थे और अपने और रूस के बीच हिटलर को खड़ा करना चाहते थे। ब्रिटेन की इस नीति को हिटलर-तुष्टीकरण नीति कहते हैं। इसका फायदा उठाते हुए हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्ज़ा कर लिया।

1939 के अन्त में उसने सोवियत रूस के साथ अनाक्रमण समझौता किया जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण न करने पर सहमत हुए। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण करके उसे अपने कब्ज़े में कर लिया। पोलैण्ड के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ उससे विश्व स्तब्ध रह गया। पोलैण्ड के समर्पण के बाद वहाँ के अधिकांश यहूदी, बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग के लोग, शिक्षक आदि को चुनचुनकर मार डाला गया ताकि पोलैण्ड को कोई नेतृत्व न दे, फिर किसानों को उनके गाँव से निकालकर शिविरों में रखा गया जहाँ उन्हें दासों की तरह बेच दिया गया। उनके गाँवों में जर्मन लोगों को बसाया गया।

हिटलर ने यह कहा कि जर्मन लोगों को सांस लेने व पनपने के लिए जगह की ज़रूरत है जिसे हासिल करने के लिए पूर्वी यूरोप के लोगों का सफाया करके उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना होगा। उसका कहना था कि ये गैर जर्मन लोग कमतर मनुष्य हैं जो गुलाम बनने के ही लायक हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर वह अन्ततः पूरे विश्व पर कब्ज़ा करना चाहता था। हिटलर ने जर्मन लोगों को आश्वासन दिया कि जब वे दूसरे देशों पर कब्ज़ा करेंगे तो उन देशों की संपदा का दोहन कर पाएँगे और इससे हर जर्मन का जीवन स्तर बेहतर होगा। जर्मन सैनिकों को यह बताया गया कि दूसरे देश के लोग कमतर मनुष्य हैं जो जर्मन नस्ल के आगे टिक नहीं पाएँगे और जल्दी ही हार जाएँगे।

पोलैण्ड के समर्थन में ब्रिटेन एवं फ्रांस ने 1939 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी कदम ने विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया। जर्मनी ने तेज़ युद्ध की रणनीति अपनाकर उत्तरी यूरोप और फ्रांस पर 1940 के मध्य तक कब्ज़ा कर लिया। जर्मन सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका में प्रवेश करके ब्रिटेन के उपनिवेशों

पर हमला किया। इस बीच इटली और जापान भी जर्मनी के समर्थन में युद्ध में कूद गए। तीनों मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। 1941 में जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला बोला और जर्मनी ने रूस पर। इन दोनों देशों का युद्ध में प्रवेश निर्णायक रहा। अब ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर जर्मनी, इटली और जापान से लड़ने लगे। ब्रिटेन, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य जर्मन विरोधी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र या मित्र राष्ट्र कहलाए और आगे जाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जिसका पहला मुख्य उद्देश्य धुरी राष्ट्रों को हराना था।



चित्र 9.10 : स्तालिनग्राद युद्ध का एक दृश्य

प्रारंभ में सोवियत रूस जर्मनी के हमले के लिए तैयार नहीं था और उसे लगातार पीछे हटना पड़ा। लेकिन 1942-43 में स्तालिनग्राद नामक शहर में हिटलर की विश्व विजयी सेना ने पहली बार हार का मुँह देखा। उसके बाद सोवियत सेनाएँ आगे बढ़ती गईं और 1945 में जर्मन राजधानी बर्लिन को कब्जे में ले लिया। इससे पहले हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 1942 से ही दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर फ्रांस को आजाद करने में लगे थे और वे भी धीरे-धीरे बर्लिन की ओर बढ़े। इस बीच इटली की भी हार हुई और मुसोलिनी ने आत्महत्या कर ली। बर्लिन पर जीत के बाद अमेरिका ने अगस्त 1945 में बचे हुए धुरी देश जापान को मजबूर करने के लिए उसके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया और उसके तुरन्त बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अन्त हुआ।

मानव ने अब तक इतना भयावह, विनाशकारी और क्रूर युद्ध नहीं देखा था। एक ओर हिटलर और जापानी सेनाओं ने अमानवीयता और क्रूरता की मिसालें स्थापित कीं तो दूसरी ओर निहत्थे नागरिकों पर गिराए गए एटम बम के प्रभाव ने विश्व मानस को हिला दिया। इस युद्ध में 225 लाख सैनिक मारे गए और लगभग उससे दुगुने यानी लगभग 500 लाख सामान्य नागरिक मारे गए। इसमें होलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख



चित्र 9.11 :
एटम बम के
बाद ध्वस्त
नागासाकी शहर



चित्र 9.12 : हाना और उसकी पेटी

हाना का सूटकेस

जापान में एक होलोकॉस्ट संग्रहालय बनाया गया ताकि वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता हो। इसमें प्रदर्शित करने के लिए ऑश्विट्ज़ यातना शिविर से कुछ सामग्री आयी थी जिसमें से एक सूटकेस सबको आकर्षित कर रही थी। यह उन सूटकेसों में से था जिनमें विषैले गैस कमरों में मारे गए लोगों के सामान थे। सूटकेस पर लिखा था – “हाना ब्रेडी, जन्म 1931, अनाथ”। यानी इस अनाथ बच्ची को उसके तेरहवें साल में मारा गया था। इस पर जापानी बच्चों के बहुत सारे सवाल थे – वह कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, वह क्यों अनाथ हुई, उसे क्यों मारा गया? आदि। पर संग्रहालय की निदेशिका के पास उनके उत्तर नहीं थे तो उन्होंने हाना के बारे में पता करने की कोशिश की। कई वर्षों के बाद आखिर में पता चला कि हाना का एक बड़ा भाई कनाडा देश में जीवित है। उसने एक पत्र में हाना की कहानी बताई। हाना का परिवार चेक रिपब्लिक के नोवे मेस्टो शहर में रहता था। वे यहूदी थे। जब 1939 में नाज़ियों का कब्ज़ा हुआ तो यहूदियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नाज़ियों ने यहूदियों पर स्कूल, सिनेमा, पार्क आदि में जाने पर रोक लगा दी। घर से बाहर निकलते समय यहूदियों को एक पहचान निशान पहनना पड़ता था। धीरे-धीरे उन्हें नाज़ी यातना शिविरों में ले जाने लगे। एक दिन हाना की माँ को ले जाया गया, और दूसरे दिन पिता को। तब हाना 11 साल की नहीं हुई थी। उसके जन्मदिन पर माँ ने शिविर से उसे एक तोहफा भेजा था जो उनसे मिली आखिरी खबर थी। भाई और बहन अब अकेले थे। 14 मई 1942 को उन दोनों को एक यातना शिविर भेजा गया जहाँ वे दो साल रहे। 23 अक्टूबर 1944 को हाना को ऑश्विट्ज़ भेज दिया गया जहाँ उसे गैस से मार दिया गया। भाई गुलामी कर रहा था। इस बीच नाज़ियों का राज खत्म हुआ। उसे अपनी बुआ के माध्यम से पता चला कि उसके माता-पिता और बहन मार दिए गए हैं। भाई ने लिखा, “मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। मैं आज भी हाना के नन्हें हाथों को महसूस करता हूँ। मैं उसे बचा नहीं सका, मुझे इस बात का बहुत दुख है।”

Karen Levine: 'Hana's Suitcase' सन् 2002 में प्रकाशित

यहूदी और हिरोशिमा और नागासाकी में मरे 2,50,000 लोग भी शामिल हैं। सर्वाधिक मानवीय क्षति सोवियत रूस को हुई। कहा जाता है कि वहाँ 200 से 400 लाख लोग मारे गए जो कि वहाँ की जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत थी।

इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी युद्ध में सामान्य नागरिक सैनिकों की तुलना में अधिक मरे। पहली बार ऐसा युद्ध हुआ जिसमें प्रत्येक नागरिक (स्त्री और पुरुष) युद्ध में शामिल हुए। ऐसा युद्ध जिसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए पुनर्गठित करना पड़ा ताकि असीम मात्रा में हथियार तैयार हों। यह एक तरह से 19वीं सदी के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परिणाम था जैसे – राष्ट्र राज्यों की स्थापना जो दूसरे राष्ट्रों को अपना जानी दुश्मन समझने लगे, औद्योगीकरण जिससे इस मात्रा में युद्ध सामग्री का उत्पादन संभव बना और श्रमिकों को कई वर्षों तक युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सका, लोकतंत्र जिसमें लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें उन्मादपूर्ण युद्ध में झोंका जा सका। वैज्ञानिक विकास जिसने भयावह टैंक, मशीनगन, विषैले गैसगृह, हवाई जहाज से बमवर्षा और परमाणु बम जैसे व्यापक नरसंहार के तरीके तैयार हो सके।

बीसवीं सदी के पहले पचास वर्ष इतने भयावह रहे क्योंकि मानव समाज ने जिन चीजों को अपने हित के लिए बनाया उन्हीं को काबू में नहीं रख सका। उल्टा मनुष्य अपनी इन्सानियत ही खो बैठा और हैवानियत की हदों को पार कर गया।

पहले और दूसरे विश्व युद्धों की तुलना करें और बताएँ दोनों में जो हथियार उपयोग किए उनमें क्या अन्तर था और दोनों से जो जान माल की हानि हुई उसमें क्या अन्तर था?

3.5 भारत और द्वितीय विश्वयुद्ध

एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से सलाह किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सेना को जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर तथा जर्मनी व इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा गया। सेना के उपयोग के लिए भारी मात्रा में अनाज, कपड़े आदि सामान खरीदा गया। इस कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई और आम लोगों को अभाव का सामना करना पड़ा। इसका सबसे भयानक प्रभाव 1943 में बंगाल के अकाल के रूप में सामने आया जिसमें 30 लाख से अधिक लोग भुखमरी और महामारी के कारण मरे। यह अनाज उत्पादन की कमी के कारण नहीं हुआ मगर सेना के लिए सरकार द्वारा खरीदी के कारण अभाव से उत्पन्न हुआ। व्यापारी मौके का फायदा उठाकर अनाज की जमाखोरी करके मालामाल हो रहे थे। अगर सरकार प्रयास करती तो पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुँचाकर लोगों को बचाया जा सकता था, मगर उपनिवेशी शासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया लेकिन उसी समय भारतीय व्यापारियों व उद्योगपतियों ने युद्ध की वजह से बढ़ी मांग के कारण खूब मुनाफा कमाया और धनी हो गए।

विश्व युद्ध में हमारी नीति क्या हो इसको लेकर राष्ट्रवादी आंदोलन में गहरे मतभेद उभरे। कुछ लोगों को लगा कि हमें मौके का लाभ उठाना चाहिए और जर्मनी और जापान से मदद लेकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास करना चाहिए। इनमें से प्रमुख थे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जिन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से सिंगापुर में 'आज़ाद हिन्द फौज' को स्थापित किया और वहाँ से नागालैंड और मणिपुर की ओर बढ़ने लगे। गाँधीजी, नेहरू और पटेल जैसे नेता इसके विरुद्ध थे वे मानते थे कि जर्मनी और जापान की अलोकतांत्रिक और अमानवीय नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि भारतीयों को जर्मनी का समर्थन किए बिना अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। 1942 में गाँधीजी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो' आंदोलन शुरू किया गया लेकिन साम्यवादी मानते थे कि हिटलर को हराना विश्व में लोकतंत्र और

समाजवाद बचाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहिए।

लेकिन युद्ध समाप्त होते ही तीनों धाराएँ फिर से साथ हुई और नेहरू सहित अन्य काँग्रेस नेता आज़ाद हिन्द फौज के सिपाहियों की रक्षा में जुट गए और साम्यवादी दल भी फिर से राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर हो गया और अब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस सबसे शक्तिशाली ताकतों के रूप में उभरे। इस कारण भारत को स्वतंत्रता मिलने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनीं।

क्या आपने अकाल के बारे में सुना है? अकाल में लोग किस तरह जीते हैं, अपने बुजुर्गों से पता करके कक्षा में चर्चा करें।

युद्ध का किसानों और व्यापारियों पर अलग प्रभाव पड़ा – और इसके क्या कारण हैं?

3.6 विश्व युद्ध के बाद

विश्व युद्ध में जीत का श्रेय मुख्य रूप से सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को जाता है। इन तीन देशों ने तय किया कि सर्वप्रथम नाज़ी शासन व्यवस्था को विघटित करना है और नाज़ी अधिकारियों को पहचानकर उन्हें नरसंहार के लिए दण्ड देना है। विभिन्न अमानवीय कृत्यों के लिए नाज़ी अधिकारियों को दण्ड दिया गया। लेकिन केवल 11 को मृत्यु दण्ड दिया गया। बाकी को कारावास और आजीवन कारावास मिला जो कि उनके अपराधों की तुलना में बहुत कम था। यह इसलिए क्योंकि विजयी राज्य जर्मनी के प्रति अधिक कठोर नहीं बनना चाहते थे।

फिर एक बार यूरोप का नया नक्शा बनाया गया। यूरोप का वह हिस्सा जिसे सोवियत रूस ने आज़ाद किया वह अब रूस का प्रभाव क्षेत्र बना और जापान सहित बाकी हिस्सों पर अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र बना। जर्मनी का विभाजन हुआ और उसका पूर्वी भाग रूस के और पश्चिमी भाग अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में गया। पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया रूसी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्रराज्य के रूप में स्थापित हुए। इसी तरह पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, हॉलैण्ड, इटली, ग्रीस, आदि देश अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्रराज्य बने। जापान में वहाँ के राजा का शासन जारी रहा मगर अमेरिकी तत्वाधान में चुनाव के द्वारा नई सरकार बनी और उसने एक नए लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। अमेरिका और रूस दोनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र के देशों के आर्थिक पुनः उद्धार की योजना बनाई ताकि युद्ध से जिन देशों का विध्वंस हुआ था वे फिर से विकास करें।



चित्र 9.13 : विजयी नेता स्तालिन (सोवियत रूस), रूज़वेल्ट (अमेरिका) और चर्चिल (ब्रिटेन) 1943 तेहरान में

इस बीच यह प्रस्ताव आया कि यहूदियों के लिए उनके पौराणिक शहर येरूशेलम के आसपास एक अलग देश बने। यह वास्तव में अरब लोगों के क्षेत्र में था और अरब लोग वहाँ रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों ने इसका विरोध किया, फिर भी अमेरिकी सरकार की मदद से 1948 में यहूदियों का देश इज़राइल बना।

1945 में जर्मनी विभाजित हुआ। पता करें कि क्या वह आज भी विभाजित है?

3.7 संयुक्त राष्ट्रसंघ



जैसे ही युद्ध में जर्मनी की हार की शुरुआत हुई एक नए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लिए प्रयास शुरू हुआ। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के नेताओं ने कई बार मिलकर भावी विश्व व्यवस्था और इस प्रस्तावित संगठन की रूपरेखा पर विचार प्रारंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद अक्टूबर 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना और देशों के बीच विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना था। हर देश की आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान, अन्तर्राष्ट्रीय रिश्तों में न्याय, और देशों के अन्दर मानव अधिकारों व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसके प्रमुख सिद्धांत रहे हैं।

इसके बनाने में राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) की विफलता के कारणों को ध्यान में रखा गया। राष्ट्रसंघ मुख्य सदस्य देशों की सहमति के आधार पर ही काम करता था और उसके पास अपने निर्णयों को लागू करवाने की ताकत नहीं थी। संयुक्त राष्ट्रसंघ में यह ध्यान रखा गया कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर अगर प्रमुख देशों की सहमति हो तो उसे उन देशों के सैनिक बल के आधार पर लागू करवा सके। उस समय पांच प्रमुख देशों को संयुक्त राष्ट्रसंघ में विशेष स्थान दिया गया – ये थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन। इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य बनाया गया और प्रत्येक को यह अधिकार था कि वह किसी भी निर्णय पर अपत्ति होने पर उसे रोक सकता था। इसे वीटो अधिकार कहते हैं। जब इन पांच सदस्यों के बीच में किसी मुद्दे पर सहमति बन जाती तो वे मिलकर उसे लागू करवा सकते थे। सुरक्षा परिषद के अलावा संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों की आमसभा भी होती है जिसमें कई मसलों पर विचार विमर्श और निर्णय होता है। इनके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थापित हुआ जिसमें देशों के बीच के विवादों का सुलझाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियाँ ठीक से लागू हों। देशों के बीच सहयोग और विकास के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ बनाई गईं, जैसे—यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विभिन्न समस्याओं के बावजूद पिछले 70 वर्षों से विश्व में शान्ति, विकास और सहयोग के लिए काम कर रहा है और जो तृतीय विश्व युद्ध के खतरे को टालने में सफल रहा है।

अभ्यास



1. इनमें से गलत वाक्यों को छांटें और उन्हें सुधारकर लिखें :
 क. द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ।
 ख. 1945 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई।
 ग. फासीवादी बहुदलीय व्यवस्था के विरोधी थे।

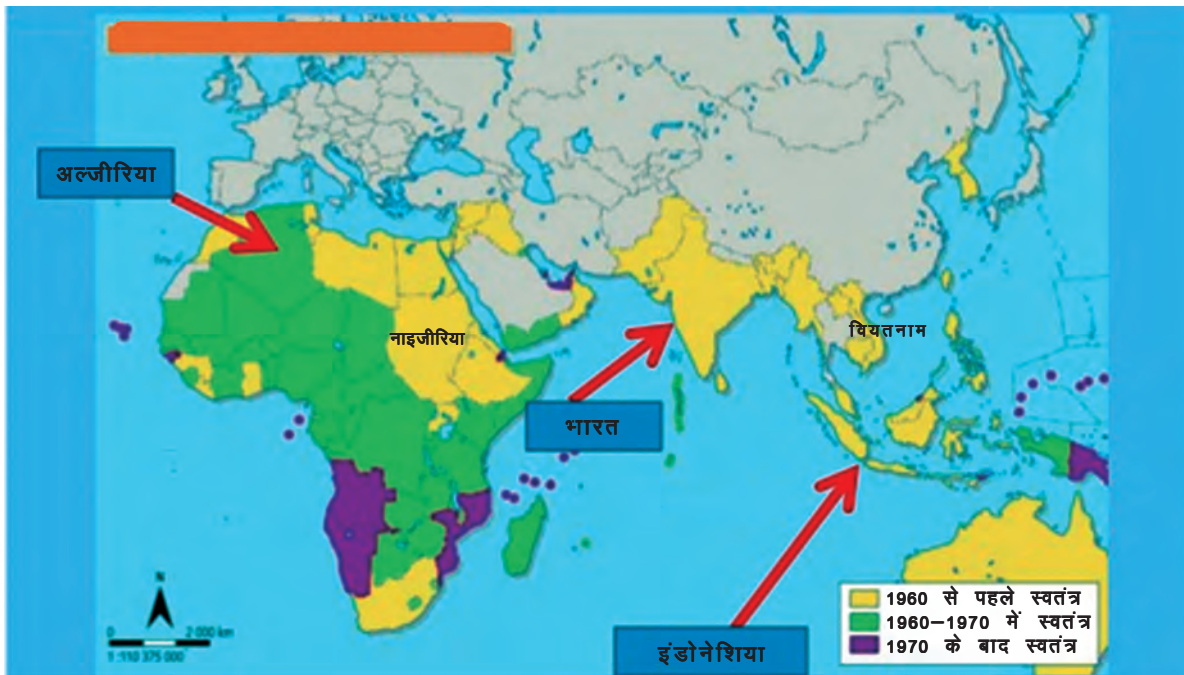
- घ. संगठित मजदूर फासीवादी आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक थे।
 ड. द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन का समर्थन किया।

2. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरें :
 - क. इटली का फासीवादी तानाशाह था। (हिटलर, स्तालिन, मुसोलिनी)
 - ख. हिटलर ने 1933 में कानून द्वारा सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया।
(अग्नि अध्यादेश, यहूदी अध्यादेश, अधिकार अध्यादेश)
 - ग. जर्मनी की सेना को पहली बार में हार का सामना करना पड़ा।
(बर्लिन, स्तालिनग्राद, सिंगापुर)
 - घ. जर्मनी, इटली और मिलकर धुरी देश कहलाए। (जापान, फ्रांस, रूस)
 - ङ. यहूदियों के लिए 1948 में देश की स्थापना हुई। (जापान, फ्रांस, इस्राईल)
3. इन प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें :
 - क. यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोटी संपत्तिवाले लोगों की क्या दशा थी?
 - ख. हिटलर ने जर्मन लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए?
 - ग. जर्मनी ने पोलैण्ड के लोगों से विजय के बाद कैसा व्यवहार किया?
 - घ. 1943 में बंगाल के अकाल का क्या कारण था?
 - ङ. जापान ने किस परिस्थिति में आत्म समर्पण किया?
4. फासीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या-क्या अन्तर हैं — विस्तार से समझाएँ।
5. हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार क्यों चाहता था?
6. राष्ट्रवाद और अति-राष्ट्रवाद में क्या अन्तर है?
7. आपके अनुसार जर्मनी के हारने के क्या कारण रहे होंगे?
8. अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता?
9. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पांच देशों को विशेष अधिकार दिए गए। ऐसा क्यों किया गया? क्या यह उचित था — अपने विचार लिखें।



उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध

आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में उपनिवेशी शासन अगस्त 1947 में समाप्त हुआ और ये दोनों देश स्वतंत्र राष्ट्रराज्य के रूप में स्थापित हुए। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 से 1975 के बीच तीस वर्षों में अफ्रीका और एशिया के अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए। 1945 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, 1947 में भारत और पाकिस्तान, 1948 में बर्मा और श्रीलंका आदि देश स्वतंत्र हुए, 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति द्वारा स्वतंत्र गणराज्य स्थापित हुआ। उसी समय कोरिया, फिलिपाईंस आदि पूर्वी देश भी स्वतंत्र हुए। 1950 के दशक में अफ्रीका के देश स्वतंत्र होने लगे। 1960 और 1970 के दशकों में वियतनाम, कम्पूचिया जैसे देश लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुए। इस प्रकार 1980 में दुनिया का नक्शा 1940 के नक्शे की तुलना में बहुत बदल गया। उपनिवेशी शासन की समाप्ति और उन देशों में स्वतंत्र सरकारों के बनने को हम 'विउपनिवेशीकरण' कहते हैं।



मानचित्र 10.1 : एशिया और अफ्रीका का विउपनिवेशीकरण

कक्षा 9 में हमने उपनिवेशों के बनने के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि उपनिवेशीकरण के कई पक्ष थे—पहला — राजनैतिक सत्ता ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों के हाथ में थी। दूसरा — उपनिवेशों का आर्थिक शोषण होता था। उनसे सस्ते में कच्चा माल प्राप्त करके यूरोप के कारखानों में नई वस्तुएँ बनाकर

बेचा जाता था और उपनिवेशों से बड़े पैमाने पर लगान वसूल किया जाता था। तीसरा — उपनिवेश के लोगों को यह कहा जाता था कि वे असभ्य हैं और यूरोप के देश उन्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं और उनकी भलाई इसी में है कि वे यूरोप की संस्कृति व विचार अपनाएँ। उपनिवेशों का खात्मा तभी हो सकता था जब उन्हें राजनैतिक, आर्थिक आज़ादी और वैचारिक व सांस्कृतिक आत्मसम्मान मिल पाता।

जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ब्रिटेन, फ्रांस, हालैंड, पुर्तगाल और जापान प्रमुख साम्राज्यवादी देश थे जिन्होंने अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। हमने यह भी पढ़ा था कि अठारहवीं सदी के अन्त और उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में उत्तर व दक्षिण अमेरिका के अधिकांश उपनिवेशों ने इन साम्राज्यवादी देशों से युद्ध करके स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। इस अध्याय में हम 1945 के बाद हुए विउपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ेंगे।

एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या-क्या अन्तर होंगे — कक्षा में चर्चा करें।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति :-

द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त तक आते-आते पुराने साम्राज्यवादी यूरोपीय देश बहुत कमज़ोर हो गए थे। जापान, फ्रांस, हालैंड और ब्रिटेन तीनों युद्धों के प्रभाव से आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक सहायता पर निर्भर थे। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़े शक्तिशाली देशों के रूप में उभरे थे। दोनों देश उपनिवेशवाद का विरोध करते थे और चाहते थे कि उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिले। वे अब ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों पर दबाव डालने लगे कि वे अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता दे दें।

आर्थिक क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था। युद्ध से पहले भारत जैसे उपनिवेश ब्रिटेन से कर्ज़ लेते थे। लेकिन युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने उपनिवेशी भारत सरकार से बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज़ ले रखा था। अतः भारत से उसे संसाधन मिलने की जगह ब्रिटेन को कर्ज़ चुकाना पड़ रहा था इस दौर में उपनिवेश बनाए रखना ब्रिटेन को बहुत महंगा पड़ रहा था।

ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्र ने युद्ध इस आधार पर लड़ा था कि वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए जर्मनी से लड़ रहे हैं। वे अब जीतने के बाद अपने ही उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने से कैसे इन्कार कर सकते थे? युद्ध के दौरान अधिकांश उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तीव्र हो गए थे। इन देशों ने देखा कि किस प्रकार यूरोप के साम्राज्यवादी देश जर्मनी से हार रहे थे और कमज़ोर पड़ रहे थे। वे इस मौके का फायदा उठाकर स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। बहुत से देशों में यह सशस्त्र आंदोलन बन गया था। भारत जैसे देश में भी उपनिवेशी सेना और पुलिस अपने देश की स्वतंत्रता के पक्ष में हो रहे थे। इन सब बातों का यही मतलब था कि अब पुराने तरीकों से इन उपनिवेशों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता था और अगर नियंत्रण में रखना हो तो वह उपनिवेशों से मिल रहे आर्थिक लाभ से अधिक खर्चीला होगा। यूरोप के देश पहले से ही युद्ध के कारण आर्थिक संकट में थे और वे उपनिवेशों के बचाव के लिए और वित्तीय भार नहीं उठा सकते थे।

अब इन साम्राज्यवादी देशों के समक्ष यह समस्या उठी कि उपनिवेशों में सत्ता किसे सौंपें? क्या वे उन देशों में एकता और स्थिरता को बनाए रख सकते हैं? वे ऐसे लोगों के हाथ सत्ता सौंपना चाहते थे जो साम्राज्यवादी देशों के आर्थिक और कूटनीतिक हितों की रक्षा करें। ये वही लोग थे जो औपनिवेशी शासन के कारण बने थे और उससे लाभान्वित हुए थे जैसे राजा-महाराजा, ज़मींदार, बड़े व्यापारी और शिक्षित मध्यम वर्ग।

इस बीच सोवियत संघ उपनिवेशों में उन दलों को समर्थन दे रहा था जो वहाँ क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता और सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे। इन दलों का झुकाव साम्यवाद और समाजवाद की ओर था और वे चाहते थे कि उपनिवेशों में उपस्थित उच्च वर्गों जैसे राजा व नवाब, ज़मींदार और पूँजीपतियों को हटाकर किसानों व मज़दूरों का वर्चस्व बनाया जाए। उन दिनों विश्व के देश दो खेमों में बंट रहे थे, एक ओर सोवियत संघ के खेमे के देश और दूसरी ओर अमेरिका के खेमे के देश। सोवियत संघ की मंशा थी कि जो देश उसकी मदद से स्वतंत्र होंगे वे उसके खेमे में रहेंगे और अमेरिका का विरोध करेंगे। चीन, वियतनाम, कोरिया आदि देशों में सोवियत संघ समर्थित दलों के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे और भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में साम्यवादी दल महत्वपूर्ण हो रहे थे।

अमेरिका भी इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि सभी उपनिवेश जल्द-से-जल्द स्वतंत्र हो जाएँ ताकि सोवियत संघ समर्थित दल सत्ता में न आ पाएँ। साथ ही उसका यह प्रयास था कि उन देशों के उच्च वर्गों को सत्ता सौंपी जाए ताकि वे साम्यवादी विचार व देशों का प्रतिरोध कर पाएँ। दूसरी ओर अमेरिका की सामरिक ज़रूरत थी कि वह सोवियत संघ को घेरते हुए पूरी दुनिया में सैनिक अड्डे बनाए ताकि भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में वे काम आएँ। यह यूरोपीय देशों के पुराने उपनिवेशों में ही संभव था। इस तरह अमेरिका एक ओर उपनिवेशों की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध था और दूसरी ओर उपनिवेशों का फायदा भी उठाना चाहता था।

सोवियत संघ और अमेरिका के बीच की प्रतिस्पर्धा ने विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पर गहरा असर डाला। दोनों देश चाहते थे कि उपनिवेशी व्यवस्था समाप्त हो और सभी देश स्वतंत्र हों। साथ-साथ दोनों देश यह चाहते थे कि इन नए स्वतंत्र देशों पर उनका वर्चस्व हो। कई उपनिवेशों के स्वतंत्रता आंदोलन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच के संघर्ष में उलझ गए, जैसे — कोरिया, वियतनाम और अफ्रीका के नामीबिया व अंगोला।

नए स्वतंत्र देशों पर अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से अमेरिका और सोवियत संघ ने उन्हें भारी मात्रा में ऋण दिया और उन्हें अपना कर्जदार बनाया। इन देशों की नीति के चलते यह लगने लगा कि पुराने उपनिवेश की जगह एक नए उपनिवेशवाद उभर रहा है जो कर्ज के माध्यम से और सैनिक अड्डों की मदद से देशों पर नियंत्रण कर रहा है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह स्थिति बनी कि पुराने साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने पर मजबूर हुए और उसी समय दो महाशक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण नए स्वतंत्र देश किसी-न-किसी रूप में उनके प्रभाव में आए।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति में क्या समानता और अन्तर थे?

ब्रिटेन और फ्रांस के अर्थशास्त्री गणना करके कहने लगे कि उपनिवेशों के होने से उनके देश को घाटा ही हो रहा है। आपके विचार में इसके क्या कारण रहे होंगे? क्या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी यही परिस्थिति रही होगी?

उपनिवेशों के प्रति सोवियत संघ और अमेरिका की नीतियों में क्या अन्तर और समानताएँ थीं?

राजनीतिशास्त्र के अध्याय में आपने 'गुटनिरपेक्षता' के बारे में पढ़ा होगा। 1945 के बाद के विउपनिवेशीकरण में इसका क्या महत्व रहा होगा?

उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन

1945 से 1975 के बीच अगर उपनिवेशवाद समाप्त हुआ तो उसका मुख्य श्रेय उन देशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध हो रहे जन आंदोलनों को ही जाता है। पूरे उपनिवेशकाल में लगभग हर उपनिवेश में कहीं न कहीं प्रभावित समूहों द्वारा विद्रोह होता रहा। उदाहरण के लिए, भारत में जगह-जगह जनजातियों व किसानों का विद्रोह 1750 से लेकर 1950 तक चलता रहा (जैसे — 1856 संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1910 में



बस्तर का भूमकाल विद्रोह, 1946 से 1950 तक तेलंगाना किसान विद्रोह आदि)। ये विद्रोह दो कारणों से महत्वपूर्ण थे — पहला, उन्होंने उपनिवेशी राजनैतिक सत्ता को चुनौती दी। दूसरा, उन्होंने वैचारिक उपनिवेशवाद जिसके माध्यम से शासकों ने उपनिवेश के लोगों की सोच पर हावी होने की चाहत को भी टुकरा दिया। हालाँकि ये विद्रोह काफी प्रभावशाली थे, परन्तु वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उपनिवेशी सत्ता को हरा पाएँ। इन सशस्त्र विद्रोहों के अलावा किसान, मज़दूर, व्यापारी व शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग भी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे। ये आंदोलन किसी वर्ग विशेष की मांगों को लेकर ज़रूर थे मगर उनका सम्मिलित असर औपनिवेशी शासन पर भी पड़ा। इनके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन भी तीव्रता के साथ उभरने लगे। भारत में 1885 से ही इस दिशा में विचार प्रारंभ हो चुका था और 1905 के बाद काफी तीव्र होता गया। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बीच 1942 में अपने चरम पर पहुँचा और सबको यह स्पष्ट हो चला कि देर सबेर भारत को आज़ादी मिलना तय है। चीन में भी राष्ट्रवादी क्रांति 1911 में शुरू हुई लेकिन उसे पूर्ण रूपेण सफल होने के लिए 1949 की साम्यवादी क्रांति तक इन्तज़ार करना पड़ा। ज़्यादातर एशियाई और अफ्रीकी देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई।

आपने कक्षा 9 में विभिन्न उपनिवेशों में हुए विद्रोहों के बारे में पढ़ा होगा। चीन और इथियोपिया के विद्रोहों को याद करके उनकी प्रमुख बातों को कक्षा में प्रस्तुत करें।

1905 से 1945 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण क्या-क्या थे? याद करके उनके बारे में कक्षा में चर्चा करें।

इन राष्ट्रवादी आंदोलनों के समक्ष कई चुनौतियाँ थीं। ज़्यादातर देशों में लोग जातीयता, भाषा, प्रांतीयता और धर्म के आधार पर छोटे समूहों में बंटे थे और उनमें एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। इन विविधताओं को समेटते हुए एक राष्ट्र का गठन करना और उसके साझे हित को सबके लिए सर्वोपरि बनाना एक कठिन काम था। सभी लोगों को साथ लाने वाला तत्व अक्सर केवल विदेशी शासकों का विरोध करना ही था। अक्सर इसके लिए उन्हें उपनिवेशी शासकों द्वारा बनाए गए उपायों का ही उपयोग करना पड़ा जैसे भारत में अंग्रेज़ी भाषा और पत्रिकाओं का उपयोग देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए किया गया उसी तरह अन्य देशों में भी अंग्रेज़ी, फ्रेंच, डच आदि भाषाओं का उपयोग हुआ।

आमतौर पर राष्ट्रवादी नेता आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे जो लोकतंत्र, उदारवाद या साम्यवादी विचारों से प्रभावित थे लेकिन उनके देश के अधिकांश लोग अपने पुराने विचारों को ही लेकर चल रहे थे जो प्रायः पुरुष प्रधान, सामन्ती, धार्मिकता या कबीलाई सोच पर आधारित थे। ऐसे में दो तरह की धाराएँ राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभावित करने लगीं। एक धारा ऐसी थी जो आधुनिक शिक्षा और संस्थाओं की मदद से नए विचारों को लोगों में फैलाते हुए राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करना चाहती थी। दूसरी ओर ऐसी धारा थी जो पुरानी परंपराओं व धर्मों के आधार पर लोगों में साझी भावना विकसित करने का प्रयास कर रही थी। इस तरह राष्ट्रवादी आंदोलनों में सामाजिक बदलाव और पुराने पहचानों को बनाए रखने की बात साथ-साथ चलती रही।

राष्ट्रवादियों के समक्ष दूसरी चुनौती यह थी कि वे प्रायः धनी और संभ्रान्त सामाजिक तबकों में से थे और समाज के गरीब और शोषित लोगों के बीच उनका प्रभाव कम था। इस कारण उनके राष्ट्रवादी आंदोलन में गरीबों की भागीदारी और उनकी सुनवाई निश्चित करना आसान नहीं था। आपको याद होगा कि भारत में गाँधी जी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेस के नेता संभ्रांत वर्ग के होते हुए भी गरीब किसानों, मजदूरों व जनजातियों के आंदोलनों में सम्मिलित हुए थे और उनके हितों को राष्ट्रवादी आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। इन्हीं प्रयासों के कारण इन समूहों के लोग राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन कई अन्य देशों में ऐसा नहीं हो पाया और गरीब तबकों के लोग कटे रहे।

राष्ट्रवादियों के समक्ष तीसरी चुनौती यह थी कि अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित ही नहीं हुई थी, न ही वहाँ व्यापक जन भागीदारी के आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलन बने पर भारत इन मामलों में अपवाद ही रहा क्योंकि 1880 से ही भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का आभास लोगों को होने लगा था। अंग्रेज़ सरकार ने भारत में मतदान तथा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नगर पालिकाओं के कामकाज की परंपरा शुरू कर दी थी। 1919 और 1935 में व्यापक चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन भी हुआ था। इनके अलावा भारत में प्राथमिक शिक्षा अन्य देशों की तुलना में अधिक व्यापक थी और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय भी स्थापित थे। इनमें शिक्षा प्राप्त करके एक सचेत मध्यम वर्ग उभर चुका था जो देश के लगभग हर वर्ग, जाति, धर्म और प्रांत का प्रतिनिधित्व करता था। राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक लोकतांत्रिक संगठन कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थी। इसके अलावा भी देश में अन्य कई दल थे जो विभिन्न विचारधाराओं, समुदायों, वर्गों और प्रांतों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन कारणों से भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली काफी सुदृढ़ थी लेकिन श्रीलंका को छोड़कर अन्य देशों में इस तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं और अनुभवों का अभाव था। इस कारण इन देशों में उपनिवेश के विकल्प में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही या सैनिक शासन विकसित हुआ।

उपनिवेश को समाप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की भावना होने की ज़रूरत है?

विविध भाषा और धर्म के मानने वाले लोग क्या एक राष्ट्र बना सकते हैं? अगर उसमें किसी एक धर्म या भाषा हावी हो तो क्या होगा?

राष्ट्रहित क्या किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, ज़मींदार, पुरुष, महिला आदि के हितों के आपसी सामंजस्य से बनता है या इन सबके हितों से हटकर होता है? उदाहरण सहित चर्चा करें।

उपनिवेशों में मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं के न होने से उसके विउपनिवेशीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विउपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण

1 भारत



1935 के बाद भारत में अंग्रेज़ शासन के विरुद्ध लगातार आंदोलन चल रहे थे। हर तरफ किसान, मजदूर, आदिवासी, युवा आदि उपनिवेशी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने लगे थे। इस बीच गाँधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। जैसे-जैसे यह साफ होते गया कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच आपसी तनाव भी उभरने लगे। डॉ. अम्बेडकर जैसे दलित नेता यह चिन्ता करने लगे कि स्वतंत्र भारत में दलितों का क्या स्थान होगा। इसी तरह मुसलमान भी चिन्ता करने लगे। तमिलनाडु जैसे राज्य के नेता भी यह सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में उनके लिए क्या जगह

बनेगी। कांग्रेस पार्टी यह कहती रही कि वह पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और वह निष्पक्षता के साथ सबके साथ न्याय कर सकेगी लेकिन इसको लेकर सभी आश्वस्त नहीं थे। अंग्रेजों ने इन आशंकाओं का लाभ उठाया और यह जताने लगे कि कांग्रेस भारत के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है और उन्होंने अलग-अलग धर्म और जाति के लोगों को आगे आकर अपना दावा रखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की इसी समय ज़मीनी स्तर पर जन आंदोलन तीव्र होते गए। कई राज्यों में किसान विद्रोह की राह पर थे। शहरों में मजदूर भी संगठित होकर हड़ताल आदि आंदोलन कर रहे थे। सेना और नौसेना भी विद्रोह की कगार पर थे और 1946 में तो अरब सागर पर तैनात नौसेना के जवान विद्रोह कर गए और उन्हें भारी जन समर्थन मिला। स्थिति को देखते हुए लगा कि अगर स्वतंत्रता और टली तो देश में अराजकता का माहौल बन जाएगा और अंग्रेज़ सरकार ने फैसला किया कि भारत का विभाजन किया जाएगा तथा पूर्व और पश्चिम के मुसलमान बहुल इलाकों को अलग देश बनाया जाएगा। यही नहीं उन्होंने 500 से अधिक अधीनस्थ राजाओं को यह तय करने की स्वतंत्रता दी कि क्या वे भारत या पाकिस्तान के साथ विलय चाहते हैं या स्वतंत्र बने रहना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश राजा भारत में विलय के लिए तैयार हो गए थे मगर कुछ बड़े राज्य जैसे — जम्मू कश्मीर, हैदराबाद आदि के शासकों ने स्वतंत्र बने रहने का प्रयास किया। लेकिन उन्हें भी अन्ततः जनभावनाओं के सामने झुकना पड़ा और वे भारत के साथ विलय के लिए राजी हो गए। स्वतंत्र भारत का लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किस प्रकार संसद का चुनाव हुआ? यह कहानी आपने राजनीतिशास्त्र के अध्याय में पढ़ी होगी।

2 इंडोनेशिया

द्वीपों का देश इंडोनेशिया भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि किस तरह यह देश हॉलैंड (नीदरलैंड) का उपनिवेश बना। यहाँ हम इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की कहानी पढ़ेंगे।



चित्र 10.1 : 1945 में इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सुकर्णो

जबरदस्ती काम करवाने लगा लेकिन उन्होंने कुछ हॉलैंड विरोधी इंडोनेशियाई राष्ट्रवादियों को खुलकर राजनैतिक काम करने दिया। इनमें सुकर्णो भी सम्मिलित थे जिन्हें डच सरकार ने दस साल से जेल में बंद रखा था। जापानी सरकार ने डच भाषा की जगह स्थानीय भाषा के उपयोग को प्रोत्साहन दिया लेकिन कई राष्ट्रवादियों ने जापान का विरोध भी किया और कहा कि जापान हॉलैंड से भी बुरा व्यवहार कर रहा है। कुल मिलाकर 1939 से 1945 के बीच इंडोनेशिया में राजनैतिक अस्थिरता के चलते राष्ट्रवादी गतिविधियाँ तेज हो गईं।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने हॉलैंड को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और इंडोनेशिया पर जर्मनी के सहयोगी जापान का कब्ज़ा हो गया था। जापान ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की बात तो की मगर वास्तव में इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहा। जापान की सेना ने बर्बरता से इंडोनेशिया के जंगलों को काटने, खनिज संपदा पर कब्ज़ा करने और व्यापारिक फसलों को जापान भेजने का काम प्रारंभ कर दिया और स्थानीय लोगों से



चित्र 10.2 : बांडुंग सम्मेलन में अफ्रीका, एशिया और पूर्वी यूरोप के स्वतंत्रता संग्राम के नेता – भारत के नेहरू, घाना के नक्रूमाह, मिस्र के नासर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और यूगोस्लाविया के टीटो।

पक्ष में थे। अतः ब्रिटेन हॉलैंड को सत्ता सौंपकर हटना चाहता था। हॉलैंड चाहता था कि इंडोनेशिया पर उसका शासन बना रहे और सेना के बल पर उसने इंडोनेशिया पर अधिकार करने का प्रयास किया। जब यह संभव नहीं लगा तो उसका प्रयास था कि इंडोनेशिया के कई स्वतंत्र हिस्से हों और उनमें से एक सुकर्णो शासित देश हो। अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में आकर सुकर्णो ने यह व्यवस्था स्वीकार कर ली। लेकिन उसके विरुद्ध साम्यवादियों के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ जिसे बहुत खून-खराबे के बाद कुचला गया। इस बीच डच सेना ने देश पर कब्जा करके सुकर्णो को बंदी बना लिया। पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया। अंततः एक गोलमेज सम्मेलन किया गया जिसमें भावी इंडोनेशिया की शासन प्रणाली पर सहमति बनी। 27 दिसंबर 1949 को औपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और इंडोनेशिया पर हॉलैंड का औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र में उसके पक्ष में आवाज़ उठाई। अपनी स्वतंत्रता के बाद इंडोनेशिया भी भारत के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सक्रिय सदस्य बना। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एशिया और अफ्रीका के 29 नव स्वतंत्र देशों का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसमें हर प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोध किया गया और देशों के बीच मैत्री स्थापित करने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत स्थापित किए गए।

इंडोनेशिया में संसदीय लोकतंत्र स्थापित होना था। पहला आम चुनाव 1955 में हुआ जिसमें कई क्षेत्रीय दलों को समर्थन मिला लेकिन ये दल मिलकर एक राष्ट्रीय सरकार नहीं चला पाए। इस दौर में इंडोनेशिया की साम्यवादी दल का तेज़ी से फैलाव हुआ और उसने सुकर्णो सरकार को अपना समर्थन दिया। साम्यवादियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह डच और ब्रिटिश कंपनियों को अपने हाथ में ले ले। उनके दबाव के कारण भूमि सुधार कानून भी पारित हुए जिनके तहत गरीब किसानों को ज़मीन वितरित की गई। अमेरिका का मानना था कि यह साम्यवादी झुकाव अन्ततः सोवियत संघ के पक्ष में जाएगा। उसने कई प्रांतों में इस्लामी कट्टरपंथियों को उकसाया

जैसे ही जापान का हारना तय हो गया, 17 अगस्त 1945 को सुकर्णो ने जापान की सहमति से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस बीच ब्रिटेन की सेना ने इंडोनेशिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और पुराने डच अधिकारियों को वापस लाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया के लोगों ने ब्रिटेन का कड़ा विरोध किया और जगह-जगह घोर युद्ध भी हुए। ब्रिटिश सेना के अधिकतर सैनिक भारतीय थे जो भारत और इंडोनेशिया दोनों की स्वतंत्रता के



चित्र 10.3 : बांडुंग सम्मेलन के उपलक्ष्य में इंडोनेशिया द्वारा जारी किया गया डाक टिकिट। इस चित्र में क्या कहा जा रहा है?

जिसके कारण कई विद्रोह हुए। ऐसे में राष्ट्रपति सुकर्णो ने संसदीय व्यवस्था समाप्त करके साम्यवादी दल की मदद से राष्ट्रपति प्रणाली लागू की। धीरे-धीरे कई विपक्षी राजनैतिक दलों को प्रतिबंधित किया गया। इस बीच साम्यवादी दल की बढ़ती ताकत से यह लगने लगा कि देर-सबेर वह सत्ता हथिया लेगी। इसे रोकने के लिए 1965 में सेना की एक भाग ने योजना बनाकर बड़े पैमाने पर साम्यवादियों का कत्ल कर डाला और देश भर में धार्मिक कट्टरवादियों ने साम्यवादियों को मारने का कार्य किया। कहा जाता है कि इस दौर में पांच लाख से अधिक लोग मारे गए। तेज़ी से बदलते घटनाक्रम में सुकर्णो को अपदस्थ किया गया और सेना के समर्थन से सुहार्तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। इस सत्ता परिवर्तन को अमेरिका का भरपूर समर्थन प्राप्त था। सुहार्तो का शासन 1998 तक चलता रहा और उसके बाद इंडोनेशिया में लोकतंत्र स्थापित हो पाया।

इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में जापान की क्या भूमिका थी?

उपनिवेशी शासकों का प्रयास था कि इंडोनेशिया कई छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट जाए जबकि वहाँ के राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। दोनों की नीतियों में यह अन्तर क्यों रहा होगा?

इंडोनेशिया में 1998 तक लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पाया?

डच और ब्रिटिश कंपनियों का राष्ट्रीयकरण इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार ज़रूरी रहा होगा?

3 वियतनाम

वियतनाम का स्वतंत्रता संघर्ष 20वीं सदी की महान गाथाओं में से एक है। वियतनाम के लोगों ने जो मुख्यतः गरीब किसान थे, विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों से अत्यन्त भयावह युद्ध लड़कर स्वतंत्रता हासिल की थी। वियतनाम और उसके पड़ोसी देश लाओस और कंबोडिया तीनों फ्रांस के उपनिवेश थे। फ्रांस ने उन्हें अनाज और अन्य कच्चा माल स्रोत के रूप में देखा और किसानों पर दबाव डाला कि वे बाज़ार के लिए अनाज उगाएं। 1929 की महामंदी के कारण अनाज की कीमत कम होती गई और किसान अपनी ज़मीन



चित्र 10.4 : वियतनाम के राष्ट्रपति हो चि मिन्ह, भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू

साहूकारों व ज़मींदारों को बेचने लगे और अपनी ही ज़मीन पर बंटाईदार बनते गए। उपनिवेशी शासक वहाँ एक शिक्षित मध्यम वर्ग को पनपने नहीं देना चाहता था और वहाँ किसी प्रकार का विश्वविद्यालय खुलने नहीं दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस जाना पड़ता था। फिर भी अपने प्रयास से कई लोग शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में पढ़कर स्वदेश लौट रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्ज़ा किया। लेकिन इस बीच वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने सोवियत संघ की मदद से वियतमिन्ह आंदोलन को प्रारंभ किया था और 1945 में जापान को हारते देखकर

उन्होंने अपनी सेना बनाकर उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई पर अधिकार कर लिया। उनके नेता थे साम्यवादी विचार के हो चि मिन्ह और सेनापति थे वो न्यूयेन जियप। 1945 में हो चि मिन्ह ने स्वतंत्र वियतनामी गणतंत्र की घोषणा की लेकिन युद्ध के बाद फ्रांस फिर से अपनी हुकूमत जमाना चाहता था और उसने प्रयास किया कि वियतनाम में उनकी इच्छानुसार चलने वाले शासक हों। उन्होंने हो चि मिन्ह को खदेड़कर पहाड़ों व जंगलों में जाने पर विवश किया। लेकिन मई 1954 को वियतनामी सेनापति जियप ने बहुत ही चतुर रणनीति अपनाकर विशाल फ्रांसीसी सेना को हराकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। इस करारी हार के कारण फ्रांस ने वियतनाम और पड़ोसी देशों से हटने का निर्णय लिया। लेकिन इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को देखकर निर्णय लिया कि वह फ्रांस की जगह लेगा और वियतनाम में उसके एक कठपुतली शासक को स्थापित करेगा। वियतनाम का विभाजन किया गया और उत्तर वियतनाम पर साम्यवादियों का अधिकार हुआ और दक्षिण पर अमेरिकी प्रभाव वाले इलाके में एक पुराने राजा को शासक बनाया गया। अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को बचाने के बहाने वहाँ अपनी सेना तैनात की।

उत्तर वियतनाम में जहाँ साम्यवादी वियतमिन्ह का नियंत्रण था विस्तृत भूमिसुधार कार्यक्रम अपनाया गया। इसके तहत वहाँ ज़मींदारी प्रथा समाप्त करके जोतने वाले किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया गया और हर किसान कितनी ज़मीन रख सकता है इसकी सीमा बांध दी गई। इस कानून का क्रियान्वयन करते समय हजारों ज़मींदार मारे गए और उनकी संपत्ति जब्त की गई। इसका कुल नतीजा यह हुआ कि सदियों बाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमिहीन मज़दूर जमीन के मालिक हो गए। ये किसान अब वियतमिन्ह के सबसे मज़बूत समर्थक बन गए।



चित्र 10.5 : वियतनाम के एक गाँव में ज़मीन वितरण कानून समझाने के लिए बैठक

अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की स्पर्धा में वियतनाम एक मोहरा बनने लगा। अमेरिका चाहता था कि वियतमिन्ह को हराकर उसके अधीनस्थ सरकार स्थापित करे दूसरी ओर सोवियत संघ ने वियतमिन्ह सरकार को सैनिक सहायता दी ताकि वह युद्ध में अमेरिका का सामना कर पाए। अमेरिका ने बर्बरता के साथ उत्तर वियतनाम पर बमवर्षा की यहाँ तक कि उसने एजेन्ट ऑरेंज नामक ऐसे घातक रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जिससे बहुत बड़े क्षेत्र पर दशकों तक घास भी नहीं उग पाई। लोगों को क्रूरता से मारने वाली बमवर्षा की तस्वीरों को देखकर दुनिया दहल गई। वियतनाम के लोग भी बहुत दृढ़ता और बहादुरी के साथ लड़े। दोनों ओर हजारों लोग मारे गए। धीरे-धीरे अमेरिका के लोगों में इस युद्ध के प्रति विरोध बनने लगा। लाखों की तादात में अमेरिका के लोग वियतनाम युद्ध रोकने के लिए प्रदर्शन करने लगे। इनमें वे लोग शामिल थे जो वियतनाम में लड़े थे और उसकी क्रूरता से दुखी थे। अमेरिका को भी समझ में आने लगा कि वियतनाम युद्ध जीता नहीं जा सकता है। 1974 में अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन

ने घोषणा की कि अमेरिका अपनी सेना वियतनाम से वापस बुला लेगा। अमेरिका की सहायता के बिना दक्षिण वियतनाम की सरकार टिक नहीं पाई और 30 अप्रैल 1975 में देश के दोनों भागों का विलय हुआ। वियतनाम में संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ मगर वहाँ पर केवल साम्यवादी दल और उसके सहयोगियों की मान्यता है अर्थात् वहाँ बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। राज्य के हर अंग पर साम्यवादी दल का वर्चस्व है और नागरिकों का अधिकार भी सीमित है अर्थात् वियतनाम एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया।

भारत और वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलनों में आप क्या समानता व अन्तर देख पाते हैं?

अमेरिका और सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा?

वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व था?

4 अफ्रीका

अफ्रीका के अधिकांश भाग पर ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे। 1945 के बाद जहां ब्रिटेन एशिया के देशों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में था वहीं अफ्रीका पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता था। फ्रांस भी अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को खोना नहीं चाहता था। वे अपने उपनिवेशों को बनाए रखना चाहते थे या फिर उनकी स्वतंत्रता के बाद अपने हितों की अधिकतम रक्षा करना चाहते थे।

अफ्रीका में उपनिवेशों का सीधा नियंत्रण केवल तटीय इलाकों के बंदरगाहों पर था और अन्दरूनी भागों पर स्थानीय व कबीलाई मुखियाओं का नियंत्रण था। इन मुखियाओं की नियुक्ति उपनिवेशी शासन करता था। भारत की तरह वहाँ विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बनी। उपनिवेशी सरकारों की अफ्रीका में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बहुत कम प्राथमिक या उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की थी। इस कारण अफ्रीका में आधुनिक नौकरशाही या शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास नहीं हो पाया। आपको याद होगा कि इसी वर्ग ने भारत में समाज सुधार, राष्ट्रीय व स्वतंत्रता आंदोलनों का सूत्रपात किया था। लेकिन अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ। यह वर्ग मुख्य रूप से रेल्वे, खदान और बंदरगाहों में कार्यरत था। 1945 के बाद मजदूर वर्ग अपने अधिकारों तथा अफ्रीकी व गोरे मजदूरों के बीच समानता की माँगों को लेकर संघर्ष करने लगे। यह वर्ग पूरे अफ्रीका में फैला था जो प्रारंभ में किसी देश विशेष का आंदोलन न होकर संपूर्ण अफ्रीका के आंदोलन का स्वरूप ले रहा था। इसके चलते पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लोगों में एकता और आपसी भाईचारे और साम्राज्यवाद विरोध की भावना उत्पन्न हुई।

अफ्रीका में मध्यम वर्ग के कमजोर होने तथा कबीलाई मुखिया के प्रशासन से वहाँ के राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?

अफ्रीका में मजदूरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? उससे राष्ट्रवादी भावना कैसे बनी होगी?

1956 तक फ्रेंच आधिपत्य वाले उपनिवेशों में कोई स्थानीय स्वशासन स्थापित नहीं था लेकिन अफ्रीकी लोगों को फ्रांस के संसद के चुनाव में भाग लेने का सीमित अधिकार था। अफ्रीका से कई प्रतिनिधि चुनकर फ्रांस के संसद में पहुँचे और मंत्री भी बने मगर अफ्रीका में स्वशासन नहीं था। 1954 में वियतनाम में फ्रांस की पराजय का प्रभाव अफ्रीका पर भी पड़ा और उसी वर्ष अल्जीरिया में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ जो 1958 तक चलता रहा और अन्ततः फ्रांस को अल्जीरिया को स्वतंत्रता देनी पड़ी। दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर 1956 में ही मिस्र पर आक्रमण किया क्योंकि एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग पर मिस्र ने अपना

अधिकार स्थापित किया था लेकिन इसमें उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा। दोनों देशों को यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें अफ्रीकी देशों को भी स्वतंत्रता देनी होगी।

1958 में फ्रांस ने ऐलान किया कि हर उपनिवेश में जनमत संग्रह किया जाएगा और जो भी देश स्वतंत्र होना चाहते हैं वे स्वतंत्र हो सकते हैं। कई बड़े देशों ने फ्रांस से अलग होने के पक्ष में मतदान किया मगर कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने फ्रांस के साथ रहने का निर्णय लिया। 1960 तक कई देशों ने फ्रांस के साथ संधि की जिसके तहत फ्रांस अभी भी रक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इन देशों में प्रबल नेतृत्व का अभाव था और उन्हें लगा कि उन्हें स्थिर होने के लिए फ्रांस की सहायता ज़रूरी होगी। कई राजनैतिक आलोचकों का मानना था कि यह नव उपनिवेशवाद ही है जहाँ उपनिवेशों को सीमित आज़ादी दी गई और वे अभी भी फ्रांस पर निर्भर हैं और फ्रांस का उनकी अर्थव्यवस्था और शिक्षा पर नियंत्रण बना रहा।

1960 में ब्रिटेन कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुज़र रहा था और वह उपनिवेशों में अपने खर्च कम करना चाहता था। अतः उसने भी इसी तरह का प्रस्ताव रखा कि जो देश स्वतंत्र होना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी। नाइजीरिया और घाना जैसे कुछ बड़े देशों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्वतंत्रता प्राप्त कर ली लेकिन कई देश जहाँ गोरे लोगों की बसाहट थी वे इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि स्वतंत्रता मिलने पर उनके विशेषाधिकार समाप्त हो जाने का खतरा था। इन गोरे लोगों के विरोध के कारण दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में स्वतंत्रता का मामला काफी उलझ गया। दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया (वर्तमान ज़िम्बाब्वे) तथा मोज़ाम्बीक (जो पोर्तुगाल का उपनिवेश था) जैसे देशों में नस्लीय रंगभेद की नीति को अपनाने वाले गोरे लोगों का शासन बना। ये राज्य कहने के लिए स्वतंत्र तो थे मगर इनमें अल्पसंख्यक यूरोपीय गोरे लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था और काले अफ्रीकी लोगों को किसी प्रकार के राजनैतिक अधिकार नहीं मिले थे। ब्रिटेन जैसा देश इन राज्यों का कारगर विरोध नहीं कर सका क्योंकि वह गोरे लोगों की सरकारों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अफ्रीकी लोगों को नस्लवादी राज्यों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में छापामार युद्ध से लेकर शान्तिपूर्वक असहयोग आंदोलन तक सभी तरीके अपनाए गए। अन्ततः 1990 से 1994 के बीच ये सभी देश पूरी तरह स्वतंत्र हुए।



चित्र 10.6 : तंजानिया की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अपने समर्थकों के कंधे पर प्रधानमंत्री जूलियस नैरेरी।

अफ्रीका के अन्य देशों में स्वतंत्रता का इतिहास कठिन ही रहा। अधिकांश देशों में पारंपरिक शासकों को उपनिवेशी शासकों ने कमजोर कर रखा था। इन देशों में लोगों में अपने-अपने कबीले के प्रति निष्ठा तो थी मगर किसी वृहद राष्ट्र के प्रति उनकी आस्था नहीं बनी थी। अक्सर इन देशों का गठन उपनिवेशी प्रशासन की ज़रूरतों के आधार पर हुआ था, लोगों की भावनाओं के आधार पर नहीं। इस कारण इन देशों में लोगों के बीच आपसी तनाव और प्रतिस्पर्धा बनी रही। यही नहीं इन देशों में सबल मध्यम वर्ग या व्यापारी-उद्योगपति वर्ग नहीं पनप पाया क्योंकि अधिकांश व्यापार और प्राकृतिक खनिज संसाधनों पर विदेशी कंपनियों का अधिकार था। उनके पास न कारगर सेना थी, न प्रशासनिक व्यवस्था, न उच्च शिक्षा संस्थान। इन समस्याओं के बीच ये देश किस प्रकार उभरे इसे समझने के लिए हम नाइजीरिया का उदाहरण पढ़ेंगे।

नाइजीरिया

आबादी की दृष्टि से नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जहाँ आज लगभग 17 करोड़ लोग रहते हैं। अंग्रेज़ों के आने से पहले नाइजीरिया नाम का कोई देश नहीं था। अंग्रेज़ों ने नाइजर नदी के आसपास के इलाकों को मिलाकर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया जिसे उन्होंने नाइजीरिया नाम दिया। उन्होंने केवल तटीय इलाकों पर अपना सीधा शासन रखा और अन्दरूनी इलाकों पर वहाँ के स्थानीय मुखियाओं को शासन करने दिया। नाइजीरिया के उत्तरी भागों में हौसा-फूलानी लोगों का प्रभाव था जो मुसलमान थे।

दक्षिण-पूर्वी भाग ईबो जनजाति के अधिकार में था जबकि दक्षिण पश्चिम भाग योरुबा जनजाति के प्रभाव में था। इन कबीलों के आय का प्रमुख साधन था पाम तेल, कपास आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन। तटीय क्षेत्र में खनिज तेल की खोज हुई और यह नाइजीरिया के आय का प्रमुख स्रोत है।

नाइजीरिया में राष्ट्रवाद तटीय इलाकों के शिक्षित लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया जो तीनों जनजातीय प्रदेशों के एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण, वृहद अफ्रीकी राष्ट्रवाद, के पक्ष में थे। हर्बर्ट मैकॉले ने 1923 में नाइजीरिया राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी की नींव रखी। यह नाइजीरिया की प्रथम राजनैतिक पार्टी थी। 1923, 1928 और 1933 के चुनावों में इस दल ने सभी सीटें जीतीं। 1930 के समय मैकॉले ने ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार पर उग्रवादी हमलों का भी समर्थन किया। नमादी आजीकिवे ने 1936 में नाइजीरिया युवा आंदोलन की नींव रखी। वे चाहते थे कि एक समग्र नाइजीरिया की पहचान बने और सभी जनजातियाँ उसमें भाग लें। नाइजीरियन राष्ट्रवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् प्रभावशाली बना। इस आंदोलन के आधार स्तम्भ थे मज़दूर संगठन और वे सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में लड़े थे और युद्ध के बाद लौट आए

थे। 1945 में मज़दूर संगठनों ने राष्ट्रीय सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया।

नाइजीरियन राष्ट्रवादियों के समक्ष दो काम थे – एक उपनिवेशी शासकों से लड़ाई और दूसरा विविध और विरोधी जातीय दलों को जोड़ना। राष्ट्रीय आंदोलन उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में ज़्यादा शक्तिशाली था और इससे उत्तर-दक्षिण भागों के बीच एक दूरी बनी। दक्षिण में भी योरुबा और ईबो के बीच तनाव और टकराव बना रहा। 1950 तक इन तीनों क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्टियों के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे। ये क्षेत्रीय पार्टियाँ

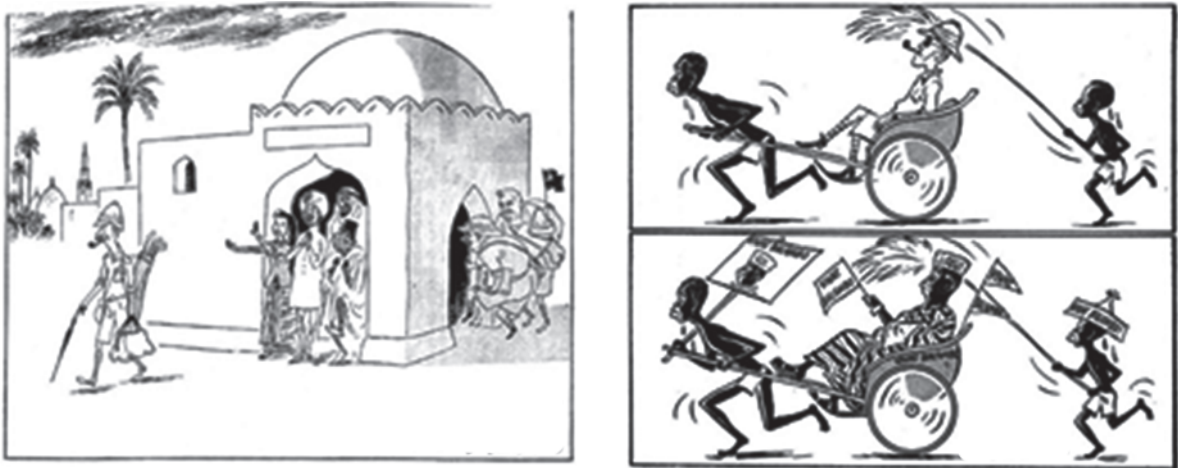


चित्र 10.7 : राष्ट्रपति नमादी आजीकिवे

थीं उत्तर में रूढ़ीवादी नार्थन पीपुल्स कांग्रेस, पूर्व में द नेशनल कॉउंसिल फॉर नाइजीरिया एंड कैमरून और पश्चिम में द एक्शन ग्रुप।

स्वतंत्रता और निर्बल प्रजातंत्र : राष्ट्रवाद की लहर को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने नाइजीरिया को स्वतंत्रता देने का निश्चय किया और तीनों क्षेत्रों को स्वायत्ता प्रदान की। 1 अक्टूबर 1963 को नाइजीरिया स्वतंत्र हो गया और नमादी आजीकिवे राष्ट्रपति बने। दुर्भाग्य से नई व्यवस्था में न्यायसंगत और प्रजातांत्रिक संतुलन नहीं बन सका और शीघ्र ही नाइजीरिया गृहयुद्ध और सैन्य शासन में फंस गया। 1966 में सैनिक शासन स्थापित हुआ और आजीकिवे और उनके कई सहयोगियों को मार डाला गया। सैनिक शासन के दौर में नाइजीरिया की राजनीति में उत्तर का वर्चस्व स्थापित हुआ। नागरिक और प्रजातांत्रिक सरकारों को स्थापित करने के कई प्रयास किए गए लेकिन यह बार-बार असफल हुआ। सैन्य शासन व्यवस्था और बहुराष्ट्रीय तेल कॉर्पोरेशन (जो भ्रष्ट शासकों को वित्तीय सहायता देते थे) ने साथ मिलकर काम किया। उन्होंने नाइजीरिया में भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के दमन को बढ़ावा दिया।

सैन्य तानाशाही के लंबे अन्तराल के पश्चात् नाइजीरिया ने 1999 में प्रजातांत्रिक सरकार का चयन किया। लेकिन अभी भी वहाँ के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, खनिज तेल के उत्खनन पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बना हुआ है और वहाँ के लोगों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। उल्टा उन्हें अपने देश के पर्यावरण जैसे-जंगल, पानी के स्रोत और समुद्र तट पर भयंकर प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है।



चित्र 10.8 : उपनिवेशीकरण के बारे में दो कार्टून - इनमें क्या कहा जा रहा है?



‘शीत युद्ध’ और सोवियत संघ का विघटन 1945 से 1992

1945 में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने मिलकर जर्मनी और जापान को हराया था। लेकिन यह एकता कायम नहीं रह पाई और सोवियत संघ और अमेरिका एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी और विरोधी के रूप में उभरे। सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवाद के पक्ष में था और विश्व में समाजवाद को फैलाने में विश्वास रखता था। किसी देश के संसाधन (कारखाने, बैंक, खदान आदि) सरकार के नियंत्रण में हों और उनका उपयोग समाज के सभी तबकों के हित में हो और सरकार समाज में असमानता को कम करने का प्रयास करे - ये साम्यवादी नीतियाँ थीं। इसके विपरीत अमेरिका निजी उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहता था जिसमें संसाधन निजी हाथों में हों और बाज़ार बेरोकटोक चले। नीति के स्तर पर अमेरिका लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव आदि को बढ़ावा देना चाहता था, ये तो थे दोनों के बीच

सैद्धांतिक अन्तर। व्यावहारिक स्तर पर दोनों देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार चाहते थे ताकि युद्ध और व्यापार में मदद मिले। एक ओर सोवियत संघ समाजवाद का प्रतीक बना तो दूसरी ओर अमेरिका पूँजीवाद और लोकतंत्र का प्रतीक बना। लेकिन व्यवहार में उनकी वास्तविक नीतियाँ अक्सर दूसरे देशों व उनके संसाधनों पर नियंत्रण जमाने की थी।

1945 में जो वार्ताएँ और संधियाँ हुईं उनके तहत एक तरह से दोनों देशों ने विश्व में अपने प्रभाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर ली थी। सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में पूर्वी यूरोप था और बाद में चीन, कोरिया आदि देश जुड़ गए। बाकी विश्व पर अमेरिका और उसके सहयोगियों का प्रभाव क्षेत्र बना। दोनों देशों ने इस सीमा को स्वीकार तो किया मगर एक-दूसरे पर शक करते रहे। प्रारंभ में अमेरिका का स्थान सामरिक रूप से ऊँचा था क्योंकि विश्व में केवल उसी के पास परमाणु हथियार थे लेकिन 1950 के दशक में सोवियत संघ के पास भी ये हथियार उपलब्ध हो गए।

1945 से 1970 तक विश्व अर्थव्यवस्था लगातार विकास कर रही थी और दोनों देशों के बीच तनाव तो था मगर युद्ध की नौबत नहीं आई लेकिन 1970 के बाद विश्व आर्थिक व्यवस्था में मंदी छा गई और दोनों देशों के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया। दोनों देशों के पास पूरे विश्व को ध्वस्त करने लायक परमाणु हथियार थे और दोनों को यह पता था कि अगर परमाणु युद्ध होता तो निश्चित ही दोनों देश एक-दूसरे को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को तबाह कर देंगे। अब वे सीधे एक-दूसरे से युद्ध न करके उपनिवेशी देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ने लगे। जब किसी बात पर दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव होता तो दोनों महाशक्ति देश सैन्य और अन्य सहायता देकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते। उदाहरण के लिए 1950 में कोरिया और 1954 में वियतनाम का बंटवारा हुआ। उत्तर और दक्षिण कोरिया तथा वियतनाम के बीच लगातार युद्ध



चित्र 10.9 : जर्मनी में 1980 के दशक में हुए शान्ति आंदोलन का एक दृश्य

और संघर्ष की परिस्थिति बनी और सोवियत संघ एक पक्ष की तो अमेरिका दूसरे पक्ष की सहायता करता। इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में सोवियत संघ भारत को और अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन देते रहे। पश्चिम एशिया में अरब देश और इजरायल के बीच इसी तरह संघर्ष की स्थिति बनी। दक्षिण अफ्रीका में अंगोला, नामीबिया और मोजांबीक के स्वतंत्रता

संघर्ष भी इसी तरह सोवियत संघ और अमेरिका के अपरोक्ष युद्ध के शिकार हुए।

सबसे अधिक खतरनाक तो दोनों देशों के बीच की शस्त्र प्रतिस्पर्धा थी। यह जानते हुए भी कि परमाणु युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो सकती है, सोवियत संघ और अमेरिका यही प्रयास करते रहे कि दूसरे देश को परास्त करने के लिए और घातक व अधिक मात्रा में हथियार बने। इन्हें उन्होंने विश्व भर के अपने सैन्य ठिकानों में तैनात कर रखा था। पूरी दुनिया के देश इस प्रकार परमाणु हथियारों के निशाने पर थे। यही नहीं दोनों देश लगातार यह धमकी देते रहे कि वे किसी तनाव की स्थिति में इन हथियारों का उपयोग कर

सकते हैं। एक और बड़ी समस्या थी कि अगर किसी तकनीकी गलती से न चाहते हुए भी अगर किसी परमाणु अस्त्र का उपयोग किया जाए तो भी दुनिया का विनाश हो सकता है। इस तरह 1975 से 1989 तक पूरी दुनिया परमाणविक विनाश के कगार पर खड़ी रही।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे विश्व में खासकर अमेरिका और यूरोप में (जहाँ सबसे अधिक परमाणु हथियार तैनात थे) आम लोगों के विरोध प्रदर्शन और शान्ति आंदोलन होने लगे। लाखों की तादाद में महिला, पुरुष और बच्चों ने इन आंदोलनों में भाग लिया और अपने ही देश की सरकारों से मांग की कि वे बिना कोई शर्त अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करें और किसी दूसरे देश को अपनी भूमि में उन्हें रखने की अनुमति न दें। सोवियत संघ में लोकतांत्रिक अधिकार सीमित होने के कारण वहाँ बड़े पैमाने में यह आंदोलन नहीं हो पाया मगर वहाँ के बुद्धिजीवियों ने इन आंदोलनों का भरपूर समर्थन किया। इन आंदोलनों के दबाव के चलते सोवियत संघ और अमेरिका के नेताओं में भी यह विचार आया कि परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व बनाना है। दोनों देशों के बीच परमाणु अस्त्रों को कम या खत्म करने के संबंध में लगातार वार्ताएँ चलीं जो कई विफलताओं के बाद अंत में 1998 में आइसलैंड की राजधानी रैकजेविक में और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पूरी हुई। निरस्त्रीकरण की इस अत्यंत महत्वपूर्ण संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ के राष्ट्रपति – रोनाल्ड रीगन और मिखैल गोर्बचोव ने हस्ताक्षर किए जिसके तहत दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियार कम करने और उनके प्रयोग की संभावना को नगण्य बनाने का निर्णय लिया। इन संधियों के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हुआ।

लेकिन शीत युद्ध ने गहरे घाव और प्रभाव विश्व पर छोड़े। पहला तो इसके चलते सोवियत संघ और अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश देशों को विकास और लोकहित पर धन खर्च न करके शस्त्रों और सेनाओं पर खर्च करने पर मजबूर किया। कुछ देशों ने जो शस्त्रों के व्यापार और शस्त्र उद्योगों पर निर्भर थे जिन्होंने तो मुनाफा कमाया मगर अधिकांश देश आर्थिक रूप से कमजोर ही हुए। इनमें स्वयं सोवियत संघ सम्मिलित था।

सोवियत संघ की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई पूर्वी यूरोपीय देश जो सोवियत संघ के नियंत्रण के कारण छटपटा रहे थे, तेज़ी से स्वतंत्र हुए। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जर्मनी के दो भागों का विलय हुआ और उसकी राजधानी बर्लिन को बांटने वाली दीवार को नाटकीय तरीके से आम लोगों की हुजूम ने ध्वस्त कर दिया। सोवियत संघ इन सब के प्रभाव से उभर नहीं पाया और 1992 में अप्रत्याशित तरीके से खुद ढह गया। अब साम्यवादी सोवियत संगठन की जगह अनेक छोटे गणतंत्र स्थापित हुए जिन्होंने पूँजीवाद और चुनावी लोकतंत्र को अपनाया। इसके साथ ही आधुनिक विश्व में समानता और समाजवाद लाने का एक महान प्रयास विफल हुआ। शीत युद्ध के एक और प्रभाव को आज विश्व झेल रहा है। जब



चित्र 10.10 : रैकजेविक वार्ता में रीगन और गोर्बचोव

सोवियत संघ ने अरब देशों पर अपना प्रभाव डाला और अमेरिका व इज़रायल के विरुद्ध उनको तैयार किया तो अमेरिका ने उन देशों में यह भावना फैलाई कि साम्यवादी सोवियत संघ से इस्लाम धर्म को खतरा है। इसी तरह जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उस पर नियंत्रण जमाया तो अमेरिका ने इस्लामी धार्मिक समूहों को उकसाकर उन्हें सोवियत संघ से लड़ने के लिए घातक शस्त्र दिए। इसी तरह प्रायः विश्व के अन्य भागों में भी छापामार युद्ध करने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका ने गुटों को तैयार किया। वर्तमान युग की आतंकवाद समस्या का आरंभ शीत युद्ध से ही होता है।

अभ्यास

1. रिक्त स्थान भरें :

क. इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति थे।

ख. वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति थे।

ग. नाइजीरिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति थे।

घ. इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का संघर्ष देश के विरुद्ध था।

च. वियतनाम की स्वतंत्रता का संघर्ष और देशों के विरुद्ध था।

2. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं और अन्तर हैं?

3. एशिया के तीनों देशों — भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हुए। इन तीनों की आपस में तुलना करें।

4. इंडोनेशिया और नाइजीरिया में लोकतंत्र स्थापित होने में क्या समस्याएँ थीं? भारत में इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला गया?

5. शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी?

6. परमाणु निरस्त्रीकरण कैसे सम्भव हुआ?

7. वर्तमान में आप शीत युद्ध का क्या प्रभाव देखते हैं?



परियोजना कार्य

इंटरनेट और पुस्तकालय से किसी देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में पता करें और उस पर एक दीवार पोस्टर तैयार करें। अन्त में कक्षा में इसकी एक प्रदर्शनी का आयोजन करें।

वर्तमान समय में आपके व आपके परिवार के पास ऐसे अनेक तरीके व उपकरण हैं जिनके माध्यम से दूर स्थित देश—दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुँचती रहती हैं। दूसरी ओर आप भी विभिन्न तरीकों व उपकरणों के माध्यम से दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुँचाते रहते हैं। जो चीज़ें हमारे विचारों और संदेशों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाने का काम करती हैं या दूसरों से हम तक खबरें लाती हैं उन्हें संचार के उपकरण या माध्यम कहा जाता है।

इन संचार उपकरणों के अलावा भी हम अपने दैनिक जीवन में सूचनाओं व विचारों के आदान-प्रदान के लिए कई तरीके अपनाते हैं जिसमें मौखिक, लिखित और ध्वन्यात्मक संप्रेषण के अलग-अलग तरीके शामिल हैं। जैसे बोलना, चिल्लाना, चित्र बनाना, इशारे करना, ढोल बजाना, लिखना आदि। यह संप्रेषण के मूलभूत तरीके हैं। आधुनिक संचार उपकरणों के विकास के पूर्व से ही मानव समाज में संदेशों व विचारों के आदान-प्रदान के उपर्युक्त विविध तरीके प्रचलित रहे हैं।

आपने नवजागरण के समय छपाई प्रेस के आविष्कार और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा था। औद्योगिक क्रांति के बाद कई ऐसी मशीनों का आविष्कार हुआ जिससे सूचना व विचारों का आदान-प्रदान तीव्र और आसान

हो गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस टेलीग्राफ, टाईपराइटर, चलचित्र, कैमरा जैसे उपकरणों व मशीनों का विकास हुआ। इन आविष्कारों से कम समय में और दूर-दूर रहने वाले अधिकाधिक लोगों तक किसी संदेश या विचार को पहुँचाना आसान हो गया। सम्भवतः इस दौरान विकसित उपकरणों व मशीनों ने 20वीं सदी के समाज को गहन रूप से प्रभावित किया।

पिछले 150 वर्षों में संचार माध्यमों की भूमिका इस कदर बढ़ी है कि आज एक ही घटना को विश्व भर के लोग एक साथ देख व अनुभव कर सकते हैं, एक तरह के विचारों के बारे में सोच सकते हैं और एक ही तरह की चीजों के लिए चाहत रख सकते हैं। संचार माध्यम विशाल पैमाने पर लाखों लोगों को जो अलग-अलग देश, भाषा व संस्कृति के हैं, सबको एक सी सूचना, एक से विचार और एक से उत्पादनों के विज्ञापन एक ही समय पर उपलब्ध कराता है। अतः संचार माध्यम केवल सूचना पहुँचाने का माध्यम न रहकर बहुजन माध्यम या मॉस मीडिया बन गया है जो विशाल जन समुदाय के सोच-विचार और जीवनशैली को प्रभावित और नियंत्रित करने लगा है। इस पाठ में हम इसके विभिन्न पक्षों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे।

मुद्रित माध्यम (Print Media)

छपाई के प्रभाव से पूरे यूरोप में साक्षर व्यक्तियों की संख्या और मुद्रित सामग्रियों की मात्रा लगातार बढ़ती गई। 19वीं सदी तक मुद्रित सामग्री के आधार पर समाज में नए संस्थान उभरने लगे, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक मेला आदि। 1814 तक यूरोप में भाषा की शक्ति से चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस और 1837 के बाद रंगीन प्रिंटिंग प्रेस निर्मित हुए। बीसवीं सदी के प्रारंभ से ही विद्युत छपाई मशीनों का उपयोग होने लगा। इससे और कम कीमत पर अधिक मात्रा में पुस्तकें व पत्रिकाएँ छप सकती थीं।

अखबार :- 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में अमेरिका और ब्रिटेन में दो तरह के अखबार छपते थे। पहले व्यापारियों के लिए व्यावसायिक खबरें और दूसरे राजनैतिक पार्टियों के विचारों को फैलाने वाले अखबार। अखबारों का एक तीसरा रूप भी प्रचलन में था जो कम पैसे में कई तरह की खबरें कामगार लोगों तक पहुँचाता था। इसे पेन्नी प्रेस या दमड़ी पत्रिका कहते थे। इसमें अपराध, अफवाह व मानवीय अभिरुचि के अन्य विषय छापे जाते थे। अखबारों में विज्ञापन के माध्यम अधिक-से-अधिक लोगों तक अपने उत्पाद की जानकारी पहुँचाई जा सकती थी। अखबारों के माध्यम से विज्ञापनों के प्रसार ने उपभोग और उत्पादन की प्रक्रियाओं को व्यापक बनाया। 19वीं सदी के अखबार विज्ञापनों से होने वाली आय का उपयोग तो करते थे पर वे उस पर निर्भर नहीं थे लेकिन 20वीं सदी के अखबार विज्ञापनों की आय पर ज़्यादा निर्भर हो गए। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में फोटोग्राफ युक्त अखबारों की माँग बढ़ गई। इसके कारण अखबारों के विज्ञापन ज़्यादा प्रभावशाली हुए।

संचार माध्यम क्या हैं?

संचार का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना या ले जाना। लेकिन जब संप्रेषण के संबंध में संचार का उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है किसी बात या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना। अखबार और चिट्ठी दो भिन्न प्रकृति के संचार माध्यम हैं। चिट्ठी किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए लिखी जाती है जो उसके प्राप्तकर्ता और पाठक दोनों होते हैं जबकि अखबार व पत्रिका एक विस्तृत पाठक समूह के लिए लिखे जाते हैं। इस प्रकार के संचार माध्यम जो लोगों के बड़े समूह तक संदेशों व विचारों को पहुँचाते हैं उसे हम बहुजन संचार माध्यम (Mass Media या Medium of Mass Communication) कहते हैं।



19वीं सदी में जब ब्रिटेन में अखबारों की शुरुआत हुई तब वह राजनैतिक उथल-पुथल का समय था। लोकतांत्रिक चुनावों में केवल उच्च वर्ग भाग लेते थे और निम्न तबके इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। इसे देखते हुए वहाँ की सरकार ने अखबारों पर कड़ी पाबंदियाँ लगाई ताकि शासन-विरोधी विचार लोगों में न फैले। अखबारों की खबर व विचारों का सेंसरशिप होता और अप्रिय खबरों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं थी। अखबार आम जनता की पहुँच के बाहर रहे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन पर कर लगाती थी जिसे स्टाम्प कहा जाता था। मगर इसका असर उल्टा हुआ, छोटे-छोटे छापाखानों में अवैध पत्रिकाएँ छपने लगीं और वे लोगों में बहुत लोकप्रिय हुई। सरकार द्वारा पत्रिकाओं पर कर लगाने का भी विरोध हुआ क्योंकि इसे ज्ञान फैलाने पर कर के रूप में देखा गया। अन्ततोगत्वा 1858 में यह कर समाप्त किया गया और माना जाता है कि इसके बाद पत्रिकाओं का स्वर्णिम युग शुरू हुआ। लेकिन इस युग में पत्रिकाओं पर नियंत्रण सरकार के हाथों से निकलकर बड़े पूँजीपति घरानों के हाथ में चला गया। पत्रिका चलाना बहुत खर्चीला काम था और इसके लिए बहुत अधिक पूँजी का निवेश लगाने लगा। यही नहीं इसे चलाने के लिए विज्ञापनों की ज़रूरत थी जो केवल बड़ी कंपनियाँ ही दे सकती थीं। वे न केवल अपने उत्पादों का विज्ञापन करते थे बल्कि अखबारों में किस तरह की खबरें छपेंगी और किस तरह के विचार रखे जाएँगे इन पर भी नियंत्रण करने लगे। जो बड़े पत्रिका घराने थे वे ही इतनी तादात पर पत्रिकाएँ छापकर हर क्षेत्र और प्रदेश में पहुँचा सकते थे छोटे प्रकाशक नहीं कर सकते थे। 1930 तक ब्रिटेन में चार घरानों के हाथ में लगभग आधे पत्र-पत्रिकाओं का संचालन था जिन्हें प्रेस बैरन या छपाई जागीरदार कहा जाता था।



चित्र 11.2

20वीं सदी में अखबार प्रकाशकों में हुए परिवर्तन के कारण अखबारों की भूमिकाओं में परिवर्तन हुआ। अब उनका काम सिर्फ खबरें व विज्ञापन मुहैया कराना नहीं रह गया बल्कि उनके माध्यम से जन समूह को किसी खास दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता था। इसके कुछ उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखे जा सकते हैं जब जर्मनी और ब्रिटेन के अखबार एक-दूसरे के प्रति कटुता पैदा करने वाली खबरें छाप रहे थे। इस दौरान दोनों गुट के देशों के अखबारों में अतिराष्ट्रवादी भावनाएँ फैलाने व सेना में भर्ती को प्रोत्साहित करने वाली खबरें प्रमुखता से छपती रहीं। जो भी हो 1980 के दशक तक अखबार ही लोगों तक विचार और खबरें व विज्ञापन पहुँचाने के प्रमुख साधन रहे। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे साक्षर देशों में अधिकांश पुरुष और महिलाएँ अखबार पढ़ते थे। ब्रिटेन में उदाहरण के लिए 1980 में लगभग 76 प्रतिशत पुरुष और 62 प्रतिशत महिलाएँ अखबार पढ़ती थीं। 1980 के अन्त तक टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का विकास हुआ जो छपी पत्रिकाओं का स्थान तेज़ी से लेने लगीं। इस कारण से छपी पत्रिकाएँ गहरे संकट में पड़ गईं।

भारत में अँग्रेज़ों की हुकूमत की स्थापना के साथ ही अँग्रेज़ी पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। 1780 से 1792 के बीच कलकत्ता, मद्रास और बंबई (वर्तमान में कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई) से ये पत्रिकाएँ छपने लगीं। भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुआत 1818 में मार्शमान द्वारा बंगाल के सीरामपुर में बंगाली भाषा में 'दिग्दर्शिका' नामक पत्रिका से हुई। राजा राममोहन राय प्रथम फारसी साप्ताहिक पत्रिका 'मिरात उल अखबार' 1822 में प्रकाशित करने लगे। भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थानीय भाषाओं में पत्रिकाएँ प्रकाशित

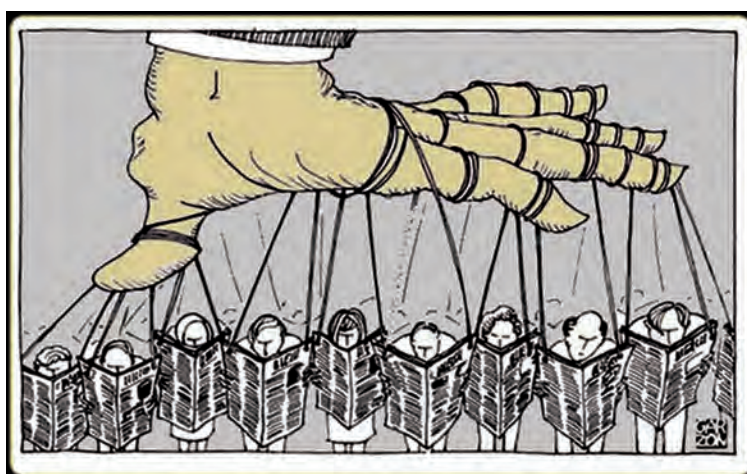


चित्र 11.3 भारत में पत्रिका और टीवी मीडिया

होने लगीं। 1860 और 1890 के बीच कई महत्वपूर्ण अंग्रेजी दैनिक अखबार छपने लगे जो आज तक चल रहे हैं। इनमें टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, द हिन्दू प्रमुख हैं। 1881 में 'लोकमान्य तिलक' ने मराठी में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रिका केसरी प्रारंभ की।

भारत में प्रकाशन प्रारंभ होते ही औपनिवेशिक राज्य ने उस पर नियंत्रण करने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन इनका लगातार कड़ा विरोध होता रहा और अक्सर राज्य को इन नियंत्रणों को कम करना पड़ा। 1799 में ही पहला कानून बना जिसके अनुसार प्रकाशक को अपना नाम और पता प्रकाशित करना पड़ता था ताकि सरकार जरूरत पड़ने पर पूछताछ कर सके और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने से पहले सरकारी सेंसर को दिखाकर अनुमति लेनी होती थी। 1878 में भारतीय भाषा पत्रिकाओं पर विशेष नियंत्रण के लिए कानून बनाया गया जिसके अनुसार प्रकाशकों को आश्वासन देना पड़ता था कि वे ऐसा कुछ नहीं प्रकाशित करेंगे जिससे शान्ति भंग हो या सरकार के विरुद्ध हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक बड़ी रकम सुरक्षा राशि के रूप में जिला मजिस्ट्रेट के पास रखनी पड़ती थी जिसे अप्रिय सामग्री प्रकाशित करने पर वह ज़ब्त कर सकता था। भारतीय प्रकाशकों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1881 में इसे हटाया गया। लेकिन इस तरह का कानून 1910 में फिर से लागू हुआ और 1922 में हटाया गया और 1931 में फिर से लागू किया गया। प्रेस कानून के इस इतिहास से स्पष्ट होगा कि भारतीय मध्यम वर्ग ने इन कानूनों का कड़ा विरोध किया और लगातार उसे हटाने पर जोर डाला।

भारत में भी 'प्रेस बैरन' या बड़े पत्रिका घराने हैं। इनमें से प्रमुख रहे हैं — द हिन्दू के कस्तूरी अय्यंगार परिवार, टाइम्स ऑफ इंडिया नवभारत टाइम्स के साहू जैन परिवार, इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता के गोयनका परिवार और इंडिया टुडे समूह के आदित्य बिड़ला परिवार। इनमें से पहले तीन स्वतंत्रता से पहले ही स्थापित हुए थे। इन चार परिवारों



चित्र 11.4 अलफ्रेडो गारज़न का कार्टून — इसमें क्या कहा जा रहा है?

के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी कई प्रेस घराने हुए हैं जो हिन्दी व अन्य भारतीय भाषा पत्रिकाओं को चलाते हैं।

क्या आपके स्कूल में कोई पत्र-पत्रिका आती है? आपके घर या आसपास में कौन-सी पत्रिकाएँ लोग पढ़ते हैं? उनके प्रकाशक कौन हैं?

कुछ बड़े परिवारों का नियंत्रण पत्रिकाओं पर क्यों हो जाता है? इसका समाज और देश की राजनीति पर क्या प्रभाव हो सकता है?

क्या विज्ञापन देने वाले भी पत्रिकाओं पर प्रभाव डाल सकते हैं, कैसे?

भारत जैसे देशों में सरकारें ही पत्रिकाओं को सबसे अधिक विज्ञापन देती हैं। इसका पत्रिकाओं पर क्या प्रभाव होगा?

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम



टेलीग्राफ :- 1837 में सैमुएल मोर्स ने टेलीग्राफ की खोज किया जिससे सूचना को विद्युत तारों के माध्यम से त्वरित भेजा जा सकता था। टेलीग्राफ मशीन के कारण अब अखबारों के प्रकाशकों के पास पहले की तुलना में अधिक खबरें आने लगीं। अखबारों के लिए खबर इकट्ठी करने की प्रक्रिया में समय बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। उदाहरण के लिए किसी अखबार को कोई राजनैतिक घटना या कपास के दाम में कमी या वृद्धि की सूचना का जल्दी मिलना उसकी बिक्री को बढ़ा सकता था। टेलीग्राफ के माध्यम से सूचनाओं के तीव्र प्रवाह के कारण वस्तुओं की कीमतों में समानता आने लगती है। अब सूचनाएँ उद्योगपतियों व व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन गईं।

कक्षा में चर्चा करें कि किस तरह की सूचनाएँ संसाधन का रूप ले लेती हैं? इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं?

आपके दैनिक जीवन में जो सूचनाएँ आपको खुशी देती हैं क्या उन्हें भी एक संसाधन माना जा सकता है। पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दें।

अपने बुजुर्गों से पता करें कि उनके समय में टेलीग्राम या तार का क्या उपयोग था? अब यह उपयोग क्यों खत्म हो गया?

टेलीफोन :- टेलीफोन के ज़रिए तारों के माध्यम से आवाज़ पहुँचाई जा सकती थी और दो लोग सैंकड़ों किलोमीटर दूरी से एक-दूसरे से बातचीत कर सकते थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876-77 में टेलीफोन का आविष्कार किया था और कुछ ही वर्षों में यह भारत सहित विश्व भर में उपयोग किया जाने लगा। बड़ी कंपनियाँ इसके तार बिछाने और मशीन उपलब्ध कराने के काम में लग गईं।

रेडियो :- बिना तार के आसमान में मौजूद रेडियो तरंगों के माध्यम से संदेश और आवाज़ पहुँचाने का काम तारविहीन रेडियो करता है। 1901 में इटली के मार्कोनी ने सर्वप्रथम अटलांटिक महासागर के पार प्रसारण करके इतिहास रचा था। इसके पूर्व विद्युत तारों के माध्यम से ही दूर संचार संभव था। समुद्रों में और जहाँ विद्युत तार न बिछे हों वहाँ सूचनाओं का संचारण बाधित हो जाता था। प्रारंभ में यह केवल सैनिकों और जहाज़ों के लिए उपयोग किया जाता था लेकिन 1920 के बाद यह मॉस मीडिया की शक्ल लेने लगा।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका में रेडियो प्रसारण स्टेशनों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी जिसमें बड़ी संख्या में गैर-सरकारी और बिना लाइसेंस वाले रेडियो स्टेशन खुले। 1930 तक 40 फीसदी अमेरिकी घरों में रेडियो पहुँच गया। शुरुआती रेडियो स्टेशनों से अधिकांशतः संगीत कार्यक्रमों के प्रसारण

किए जाते थे। बाद में नाटक, कॉमेडी, वार्ता और शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडियो चैनल युद्ध की खबरों के प्रसारण के साथ-साथ देशभक्ति को उभारने वाले विविध कार्यक्रमों का प्रसारण करने लगे। इस दौर में राजनैतिक अपील और चुनाव प्रचार के लिए रेडियो महत्वपूर्ण उपकरण बन गए।

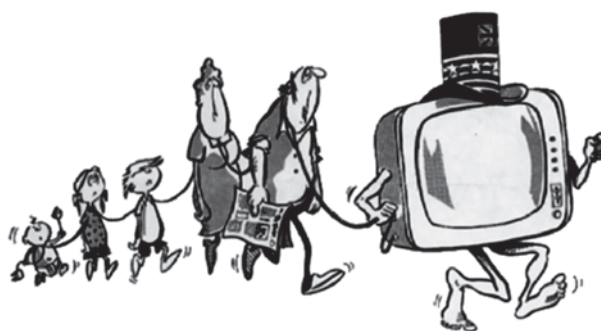
1920 के मध्य से दूसरे औद्योगिक देशों, जैसे—फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, रूस, इटली में भी सामुदायिक उपयोग वाले रेडियो स्टेशन शुरू हुए। 1930 में भारत में सार्वजनिक प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) की शुरुआत हुई। प्रसारण के माध्यम से लोगों को सूचनाएँ मुहैया कराना, शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना इसके प्राथमिक कर्तव्य माने जाते हैं।

फिल्म या चलचित्र :- 19वीं सदी के अन्त में 1895 में पेरिस नगर में लूमिए बंधुओं ने पहली बार एक चलचित्र तैयार करके प्रदर्शित किया था। उन दिनों फिल्मों में केवल दृश्य देखे जा सकते थे, आवाज़ नहीं सुन सकते थे। इस कारण वार्तालाप चित्र पर टाईप द्वारा दिखाया जाता था। यह माध्यम इतना प्रभावी और लोकप्रिय हुआ कि दुनिया के अनेक देशों में फिल्में व उन्हें दर्शाने के लिए थियेटर बनने लगे। भारत की पहली फिल्म दादा साहब फालके ने 1913 में बनाई जिसका नाम 'राजा हरिश्चन्द्र' था। फिल्म बनाने में अत्यधिक खर्च होता था और वह लोकप्रिय होकर मुनाफा देगी कि नहीं यह निश्चित नहीं था। इस कारण फिल्मों के निर्माण में भी बड़े पूँजीपतियों का महत्व बढ़ने लगा जो पैसे लगाते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि उनमें खास तरह के सामाजिक और राजनैतिक विचारों का प्रसार हो। यही नहीं फिल्म, उत्पादनों व जीवनशैलियों के विज्ञापन का माध्यम भी बनी। अधिक पूँजी लगने के कारण फिल्मों का निर्माण गिने चुने केन्द्रों में होने लगा, जैसे भारत में बंबई और मद्रास (वर्तमान मुंबई और चेन्नई)। ब्रिटेन तथा अमेरिका में और समय के साथ पूरी दुनिया में दिखाई जाने वाली अधिकांश फिल्में अमेरिका के हॉलीवुड में बनने लगीं। इससे संस्कृति का अत्यधिक केन्द्रीकरण और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का खतरा उत्पन्न हो गया।

इन फिल्मों को अपने दौर के प्रतिबिंब की तरह भी देखा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलीवुड में देशभक्ति से भरे और अपने राष्ट्र को बेहतर दिखाने वाली फिल्मों का निर्माण हुआ। इस युद्ध के बाद पहली बार रंगभेद, यहूदी विरोध जैसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में बनने लगीं। शीत युद्ध के दौरान बनी फिल्मों में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इन फिल्मों में पात्रों के माध्यम से राष्ट्रों व समुदायों के बीच संबंधों के पूर्वाग्रह को उभारा जाता है। अधिकांशतः शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में बनने वाली जेम्सबॉण्ड श्रृंखला की फिल्मों में नस्लीय पूर्वाग्रह व अंतर्राष्ट्रीय तनावों को आसानी से देखा जा सकता है। भारत में भी विभिन्न दौर में बनी फिल्मों में उस दौर के सामाजिक और राजनैतिक जीवन का असर देखा जा सकता है।

फिल्मों के आने से पहले लोगों का मनोरंजन कैसे होता था? फिल्म और उन साधनों के बीच आप किस तरह के अन्तर और समानता देख सकते हैं?

टेलीविजन :- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संचार की एक नई तकनीक रेडियो का स्थान लेने लगी। यह थी टेलीविजन या टीवी। 1920 के दशक में एक स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लेगी बेयर्ड ने बोलने वाले चित्रों के संचार की विधि खोजी जिसे बाद में टेलीविजन का नाम दिया गया। दूर संचार के क्षेत्र में यह एक बड़ी खोज थी। यह फिल्म की तरह एक साथ लाखों लोगों तक पहुँच सकती थी। लेकिन टीवी फिल्मों से



चित्र 11.5 मीडिया के गुलाम

फर्क भी थी। रेडियो की तरह इसे घर बैठे और दैनिक काम करते हुए देखा जा सकता था। रेडियो और टीवी लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए। लगातार खबर और विमर्श और बिंबों के माध्यम से टीवी लोगों पर हावी होती गई। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ब्रिटेन व अमेरिका जैसे विकसित देशों के लोग अपने खाली समय में निष्क्रिय होकर टीवी देखते हैं।

औसतन प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह 4 साल का बच्चा हो या सेवानिवृत्त वृद्ध, रोज़ कम से कम तीन से चार घण्टे टीवी देखता है। जहाँ पहले वे अपने मित्रों से मिलने जाते थे या सैर करने जाते थे या घर पर ही अपनी रुचि की कोई गतिविधि में समय लगाते थे वहाँ लोग अपने सोफे पर लेटकर टीवी देखते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम बताए जाते हैं। पहला, यह कि लोग विषयों व घटनाओं के बारे में विचार विमर्श करने की जगह उन्हें मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। यह कहा जाता है कि पत्रिका पढ़ने वाले अधिक



चित्र 11.6 अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में टीवी

टीवी और चुनाव

सितंबर 1960 को राष्ट्रपति पद के दावेदारों (रिचर्ड निक्सन एवं जॉन एफ. कैनेडी) की बहस को पहली बार अमेरिकी टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया। इस दौरान हुई बहस को करीबन 7 करोड़ लोगों ने देखा। 1960 के चुनाव में कैनेडी की विजय हुई। इस चुनाव के बाद किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि जो लोग “इस बहस” को रेडियो के माध्यम से सुन रहे थे उनका अंदाज़ा था कि निक्सन जीतेंगे, वहीं जो लोग टेलीविजन देख रहे थे उनके विचार इससे उलट थे। इस चुनाव में



चित्र 11.7 अपने घर की टीवी पर निक्सन-कैनेडी चर्चा को देख रहा मध्यम वर्गीय परिवार

टेलीविजन प्रसारण के दौरान युवा, जोशीले और तैयार दिखने वाले कैनेडी को थके, पसीने से लथपथ और बुजुर्ग दिखने वाले (पर अधिक अनुभवी) निक्सन की तुलना में अधिक वोट मिले। इस चुनाव का परिणाम राजनीति में टेलीविजन के प्रभाव के एक नई पहलू को उजागर करता है। 20वीं सदी में टेलीविजन किसी व्यक्ति की सामाजिक और राजनैतिक छवि को बनाने वाला असरदार माध्यम बन गया। टेलीविजन के इस प्रभाव के कारण बेहतर होने के साथ-साथ, बेहतर व सक्षम दिखने की धारणा सामाजिक और राजनैतिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू बन गई।

सोच-विचार और चर्चा करते हैं बनिस्बत कि वे लोग जो उसी विषय को टीवी में देखते हैं। दूसरा यह पाया गया है कि टीवी के कारण लोग एक-दूसरे के साथ कम समय बिताते हैं जिसके कारण सामाजिक रिश्ते शिथिल होते जा रहे हैं।

क्या आप अपने अनुभव से टेलीविजन के उपर्युक्त प्रभाव के कुछ उदाहरण दे सकते हैं?

जहाँ अमेरिका जैसे देशों में रेडियो और टीवी प्रसारण निजी कंपनियों द्वारा होता था वहीं यूरोप, भारत आदि में प्रारंभ से ही प्रसारण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) की स्थापना सरकार द्वारा 1926 में की गई। इसका खर्च रेडियो व टीवी उपभोक्ताओं से लिए गए कर से निकाला जाता था। 1950 के बाद ही ब्रिटेन में निजी कंपनियों को प्रसारण की अनुमति मिली। भारत में भी लगभग 1990 तक राज्य नियंत्रित दूरदर्शन और आकाशवाणी ही एकमात्र प्रसारक रहे। उसके बाद ही निजी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई।

टेलीविजन उपकरणों की संख्या बढ़ने के साथ ही फिल्म दिखाने वाले केन्द्र कम होने लगे। 1960 के दशक तक 5 करोड़ 20 लाख अमेरिकी घरों में टेलीविजन पहुँची थी जो 2006 तक लगभग 28 करोड़ 50 लाख हो गई। वहीं सन् 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत की गई। सन् 2007 तक भारत के करीबन 12 करोड़ घरों में टेलीविजन पहुँच गई। इस दौरान टेलीविजन प्रसारण की तकनीकी (एंटिना, केबल, सेटेलाइट बॉक्स आदि) में भी निरंतर सुधार होते रहे।

1975 तक भारत के 7 शहरों में ही टेलीविजन मौजूद थी। जिसमें रोज़ कुछ घण्टों तक न्यूज़ बुलेटिन और अन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। 1982 में उस समय के एक मात्र टेलीविजन चैनल दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय एकता, कृषि, साक्षरता, शिक्षा, और स्वास्थ्य कल्याण के कार्यक्रमों के प्रसारण के माध्यम से सामाजिक बदलाव का कारक बनना दूरदर्शन का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अंतर्गत राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले सीरियल जैसे—‘हम लोग’ व ‘बुनियाद’ प्रसारित किए गए। इसी दौर में दूरदर्शन के द्वारा हिन्दु पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिक ‘रामायण’ एवं ‘महाभारत’ प्रसारित किए गए। जिन भारतीय घरों में टेलीविजन मौजूद थी वहाँ अधिक से अधिक संख्या में दर्शक इन धारावाहिक कार्यक्रमों को देखने इकट्ठे होते थे। दर्शकों की विशाल संख्या के कारण इन धारावाहिक कार्यक्रमों ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया।

1980 के दशक के आखिरी वर्षों से भारत में अधिक से अधिक लोग टेलीविजन सेट खरीदने लगे। इसी अवधि में दूरदर्शन के माध्यम से प्रादेशिक खबरों का प्रसारण भी शुरू हुआ। नब्बे के दशक की आरंभ में भारत में व्यावसायिक या निजी टेलीविजन चैनलों (स्टार टीवी, जी टीवी, सन टीवी, सी.एन.एन.) की शुरुआत हुई। दूरदर्शन से अलग नए टेलीविजन चैनलों की रणनीति अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित थी। यह व्यावसायिक टेलीविजन चैनल अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुँचने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। टेलीविजन के माध्यम से दर्शकों की बड़ी संख्या तक किसी उत्पाद की जानकारी पहुँचाई जा सकती है, साथ ही दर्शकों को उन उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। अधिक-से-अधिक दर्शकों तक पहुँचने और लाभ की प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक टेलीविजन चैनलों को लगातार नए-नए विषयों (थीम) की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। परिणामस्वरूप व्यावसायिक चैनलों के आने के बाद मनोरंजक कार्यक्रमों और टेलीविजन में विज्ञापनों की संख्या बढ़ने लगी। परंपरागत पितृसत्तात्मक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले किसी एक भारतीय परिवार के सदस्यों के आपसी विवाद व महिला पात्रों की बहुलता वाली कहानियाँ बहुत से व्यावसायिक चैनलों की मुख्य थीम बन गई। व्यावसायिक कंपनियाँ अपने उत्पादों और सेवाओं के विक्रय को बढ़ाने और उसे अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उनके विज्ञापनों में

फिल्म के अभिनेताओं, अभिनेत्रियों व जाने-माने लोगों का उपयोग करती हैं। भारत में 20वीं सदी के आखिरी दशक तक मनोरंजन एक प्रौद्योगिकी का रूप ग्रहण कर लिया।

आपके घर या पड़ोस में कौन-कौन से चैनल देखे जाते हैं? उनमें से निजी चैनल कौन से हैं और सरकारी कौन से?

अगर समाचार केवल सरकारी चैनल से ही मिले तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

किसी घटना के बारे में समाचार जानने के लिए आप किस चैनल को विश्वसनीय मानते हैं?

किस चैनल में समाज की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है?

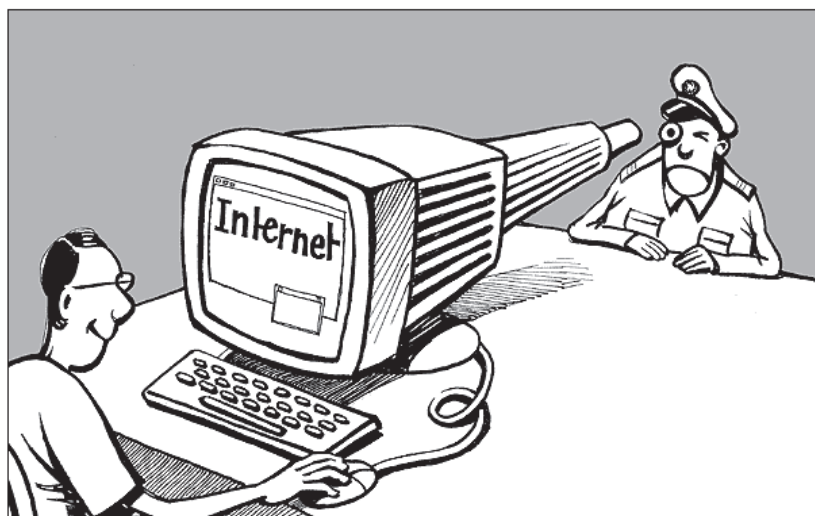
किस चैनल में आपको अपराध, सेक्स, हिंसा आदि अधिक दिखता है?

किस चैनल में आपका अधिक मनोरंजन होता है?

विज्ञापनों के माध्यम से जीवनशैली संबंधी नई-नई आकांक्षाओं की ओर दर्शकों को प्रेरित करने का कार्य किया जाता है। कक्षा में चर्चा करें कि विज्ञापनों के दावे किस हद तक सही होते हैं?

5.3 इंटरनेट और डिजिटल मीडिया – नये युग की मीडिया

कम्प्यूटर का एक प्रभाव यह रहा कि उससे किसी भी सूचना चाहे वह शब्द हो या आवाज़ या चित्र या चलचित्र, सभी को डिजिट या अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे हर प्रकार की जानकारी को संचित करना और एक जगह से दूसरी जगह भेजना अत्यंत सरल और त्वरित हो गया है। सूचना प्रसारण को और तेज़ और विश्वव्यापी बनाने में उपग्रहों का काफी महत्व रहा है। कृत्रिम उपग्रह जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं इस प्रसारण के आधार हैं। यह वास्तव में मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव है। लोग न केवल चीज़ों को देख या सुन या पढ़ सकते हैं बल्कि उन्हें बदल भी सकते हैं जिस कारण संक्रियात्मक मीडिया (जैसे वीडियो गेम) का विकास हुआ। डिजिटल क्रांति का एक प्रभाव यह हुआ कि कम्प्यूटर, फोन और टीवी का एकीकरण हुआ जैसे कि मोबाइल फोन में। इसका एक प्रभाव यह भी है कि व्यक्ति की भूमिका अब बढ़ने लगी है। जहाँ व्यक्ति एक मूक ग्राहक रहा वहीं वह सक्रिय भागीदार बन सकता है। वह क्या देखना चाहता है या पढ़ना चाहता है क्या जानकारी पाना चाहता है उसे वह अपने द्वारा निर्मित समय में देख सकता है। वह अपने विचार और चित्रों को भी प्रसारित कर सकता है। यह संभव हुआ इंटरनेट के द्वारा जो कि इस डिजिटल क्रांति का ही एक पक्ष है। इंटरनेट वास्तव में विश्व के सभी कम्प्यूटरों व फोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह कार्य 1990 के बाद तीव्र गति से हुआ।



चित्र 11.8 इस कार्टून में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इंटरनेट के खतरों के बारे में क्या कहा जा रहा है?

इंटरनेट और डिजिटल क्रांति के चलते आज हर व्यक्ति पूरे विश्व से जुड़ सकता है और दुनिया भर की जानकारी, मनोरंजन के साधन और लोगों से संपर्क पा सकता है। ये केवल मनोरंजन और जानकारी के स्रोत न होकर खरीद-फरोख्त जैसे आर्थिक क्रियाकलाप, बैंकिंग का प्रमुख साधन बन गए हैं। आज कंपनियाँ त्वरित ही करोड़ों रुपए विश्व के किसी भी देश में निवेश कर सकती हैं या बाहर निकाल सकती हैं। इसी तरह ये साधन विश्व में लोगों को जोड़ने व आपसी संवाद और कार्यवाही के माध्यम बन गए हैं। लोग जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं, उनसे संवाद और विवाद तथा उनसे मिलकर कार्ययोजना बना सकते हैं। ये आजकल जन आंदोलनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। साथ ही हर व्यक्ति के विभिन्न क्रियाकलापों पर निजी कंपनियाँ व सरकारें नज़र रख सकती हैं और इस जानकारी का उपयोग और दुरुपयोग भी कर सकती हैं। इंटरनेट का इतना गहरा प्रभाव रहा है कि समाजशास्त्री अभी भी उसके असर का अध्ययन कर रहे हैं और उसके विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास कर रहे हैं।

क्या आपने इंटरनेट का उपयोग किया है? उसके अनुभव के बारे में कक्षा में सभी को बताएँ।

क्या आप ने इंटरनेट के माध्यम से किसी अपरिचित व्यक्ति से दोस्ती या चर्चा की है – उसके बारे में भी कक्षा में बताएँ।

आपने वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ा होगा। वैश्वीकरण और संचार व मीडिया में हुए बदलाव के बीच आपको क्या संबंध दिखता है?

मॉस मीडिया, समालोचनात्मक चिन्तन और मनोरंजन

किसी देश में लोकतंत्र वहाँ होने वाले सार्वजनिक बहस व चर्चा पर निर्भर है। किस हद तक वहाँ के लोग विमर्शों व चर्चाओं में भाग लेते हैं और उनके बारे में विचार करते हैं उससे वहाँ के लोकतंत्र का स्वास्थ्य निर्धारित होता है लेकिन यह देखा जा रहा है कि वर्तमान युग के मॉस मीडिया सार्वजनिक चर्चाओं को केन्द्रीकृत करता है और विमर्श की जगह मनोरंजन पर जोर देता है। पहले छोटे समूहों में चर्चाएँ होती थीं और उनमें लोगों की भागीदारी अधिक थी और विचारों की विविधता भी अधिक थी लेकिन मॉस मीडिया द्वारा संचालित बहस बहुत कम लोगों में होता है और लाखों लोग उसे देखते हैं जिन्हें बोलने व अपने विचार रखने के मौके नहीं हैं। अतः लोग सोचने की जगह कार्यक्रमों से मनोरंजन की ही अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार टीवी चैनल का यह प्रभाव होता है कि लोग एक विशेष तरीके से सोचने के लिए प्रेरित होते हैं जैसे कि चैनल के मालिक चाहते हैं। उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का दावा था कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन विनाशकारी जैविक अस्त्र तैयार कर रहे हैं और अगर उन्हें जबरन न रोका जाए तो पूरे विश्व को खतरा है। इस बात को जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था उसे अमेरिकी मीडिया द्वारा खूब प्रचारित किया गया। जब इस प्रचार के आधार पर अमेरिका ने ईराक पर 2003 में हमला किया और सद्दाम हुसैन की हत्या की तो मीडिया ने इस युद्ध में विशेष भागीदारी निभाई। युद्ध की हर घटना और हर पहलू का सीधा प्रसारण हुआ। यहाँ तक कि कहा गया कि अमेरिकी और ईराकी राष्ट्रपतियों ने युद्ध की ताजा स्थिति पता करने के लिए टीवी चैनलों का उपयोग किया। यही नहीं इस युद्ध में जो नये हथियारों का उपयोग किया गया उनका पूरे विश्व में प्रदर्शन किया गया और उनका विज्ञापन हुआ जिससे अमेरिकी शस्त्र कंपनियों को बहुत फायदा हुआ। अन्त में हकीकत तो यही था कि ईराक में लाख खोजने पर भी अमेरिकी सेना को कोई विनाशकारी जैविक शस्त्रों का भण्डार नहीं मिला। इस युद्ध में कम-से-कम

क. युद्ध की घोषणा,

ख. युद्ध भूमि बगदाद में संवाददाता

ग. अमेरिका के युद्ध विरोधियों को
चैनल द्वारा चेतावनी दी, वे
चुप हो जाएँ।



चित्र 11.9 इराक युद्ध के दौरान एक अमेरिकी समाचार चैनल के तीन दृश्य

150,000 से 600,000 लोग तक मारे गए और एक पूरा देश अस्त-व्यस्त हुआ लेकिन इस घोर विनाशकारी युद्ध को मनोरंजन और विज्ञापन का साधन बनाकर मीडिया कंपनी और शस्त्र कंपनियाँ मालामाल हो गई।

अभ्यास

1. इन वाक्यों में से गलत वाक्यों को छोटकर उन्हें सुधारकर लिखें :

क. फिल्म एक मॉस मीडिया है।

ख. रेलगाड़ी एक मॉस मीडिया है।

ग. रेडियो का उपयोग प्रारंभ में सैनिक उपयोग के लिए था।

घ. अमेरिका में सरकार ही रेडियो और टेलिविजन के प्रसारण कर सकती थी।

ड. इंटरनेट का उपयोग करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत है।

2. इन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें।

क. सामान्य संचार माध्यम जैसे पत्र और मास मीडिया में क्या अन्तर है?

ख. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चार प्रमुख उदाहरण दें।

ग. अपने प्रदेश में बिकने वाले चार प्रमुख समाचार पत्र और चार पत्रिकाओं के नाम लिखें।

घ. छपाई माध्यम और डिजिटल माध्यम के बीच प्रमुख फर्क क्या है?

ड. मोबाईल फोन का लोकतांत्रिक आंदोलनों में क्या उपयोग हुआ – कुछ उदाहरण देकर बताएँ।

3. मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में आप क्या समानता और अन्तर देखते हैं? किसमें सोच विचार और चिन्तन के लिए अधिक संभावना है और आपको कौन सा माध्यम अधिक प्रभावी लगता है?

4. आधुनिक संचार माध्यम के विभिन्न पहलुओं – सूचना देना, संवाद का माध्यम बनना, मनोरंजन और लोगों की सोच और अभिरूचियों को प्रभावित करना, उनपर सरकार की निगरानी रखना इत्यादि दृष्टि से मोबाईल फोन की समीक्षा करें।



5. लोकतांत्रिक संविधान नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। ऐसे में सरकारों द्वारा संचार माध्यमों पर नियंत्रण या फिर सेंसरशिप कितना उचित है?
6. मॉस मीडिया बड़े कंपनियों या घरानों के नियंत्रण में क्यों आ जाते हैं? किस तरह की मीडिया इनके नियंत्रण से मुक्त हो सकते हैं?
7. क्या यह कहना सही है कि हमें वही सूचनाएँ मिलती हैं जो बड़ी कंपनियाँ और सरकारें चाहती हैं और हमें अपने हित की बातें जानने और समझने से रोका जाता है?
8. आधुनिक मॉस मीडिया में विज्ञापनों की क्या भूमिका है?
9. किस तरह के संचार माध्यम आज गायब हो रहे हैं? उनकी जगह किसने ली? कुछ उदाहरण दें।
10. चुनाव में किस-किस तरह के संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है? क्या आपको लगता है कि इससे पैसे और चमक-धमक वालों के जीतने की संभावना अधिक बढ़ जाती है?

परियोजना कार्य

1. आप कौन-सी पत्रिका पढ़ते हैं? उसके विचारों को समझने के लिए लगातार एक सप्ताह उसके संपादकीय लेखों को पढ़ें। विभिन्न सामयिक मुद्दों पर आपके अखबार का क्या विचार है कक्षा में चर्चा करें।
2. आपकी मनपसंद टीवी कार्यक्रम में कितने मिनट विज्ञापन दिखाये जाते हैं और कितने मिनट कार्यक्रम चला — इसकी गणना करके एक पोस्टर तैयार करें। सभी विद्यार्थी मिलकर शाला में एक पोस्टर प्रदर्शनी तैयार करें।
3. आपके गाँव या शहर में पारंपरिक सूचना और मनोरंजन के क्या तरीके थे — आज उनकी क्या स्थिति है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

राजनीति विज्ञान



12

भारत के संविधान का निर्माण



पिछली कक्षा में हमने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों व मूल्यों तथा उसकी शुरुआत और विस्तार के विषय में पढ़ा था। जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना आधार बनाया। सन् 1947 में आज़ादी मिली तो हमने इन्हीं मूल्यों के अन्तर्गत देश का ढाँचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं।

प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह होता है। हर देश अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करता है। संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं है, वरन् उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों व प्राथमिकताओं का खाका एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज़ है जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है।

कक्षा 8वीं से भारतीय संविधान के विषय में स्मरण कीजिए और निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

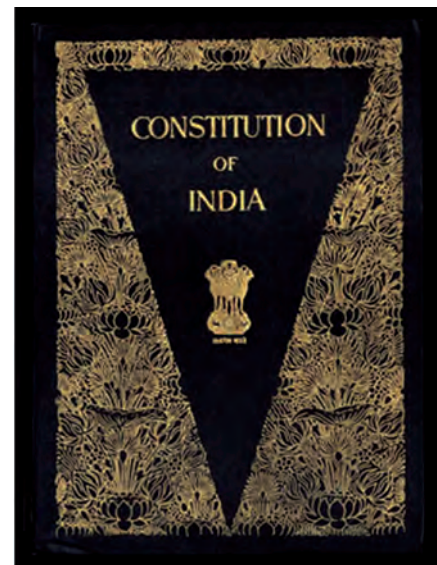
भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया।
(संसद/विधान सभा/संविधान सभा)

भारत का संविधान दिनांक से लागू हुआ। (15 अगस्त 1947/
26 जनवरी 1950/30 जनवरी 1948)

हमारे संविधान के अनुसार भारत एक देश है।
(लोकतांत्रिक/राजशाही/सैन्यशासित)

1.1 संविधान की आवश्यकता क्यों है?

अपने सीमित अर्थ में, संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं और वे अपने जीवन को संचालित करने के कुछ अधिकारों



चित्र 12.1 भारत के संविधान का मुखपृष्ठ



राज्य

राजनीति विज्ञान में राज्य किसे कहते हैं?

वह इकाई जिसके पास एक निश्चित भू-भाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता (स्वतंत्र) हो, उसे राज्य कहते हैं। जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य हैं? अपने उत्तर की पुष्टि तर्क के साथ कीजिए।

को राज्य को सौंप देते हैं ताकि सामूहिक जीवन सुचारु रूप से चल सके। राज्य को गठित करते समय वे उसे कुछ नियमों में बाँधते हैं ताकि वह लोगों के अधिकारों का हनन न करे और उनके हितों में काम करे। इन्हीं नियमों को हम संविधान कहते हैं। संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे गठित हो? उसका स्वरूप कैसा हो? संविधान का कार्य है सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों या कानूनों की सीमा निश्चित करना।

ये सीमाएँ ऐसी होती हैं कि सरकार भी उनका उल्लंघन न करे, जैसे मौलिक अधिकार। संविधान परिवर्तनशील है जिसे बदलते परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है किन्तु संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है। वह शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियाँ, वातावरण आदि का विकास कर सके।

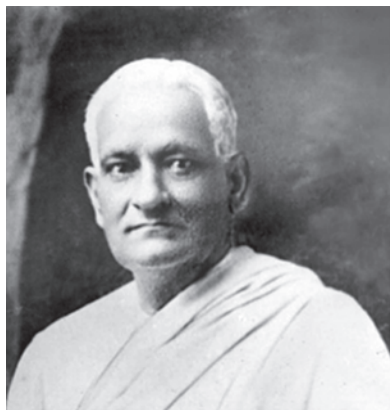
व्यापक अर्थ में संविधान किसी राष्ट्र के उद्देश्यों व आधारभूत मूल्यों को निरूपित करता है। समाज के लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं, वे क्यों एक साथ रहना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए राज्य को किन मूल्यों को लेकर चलना है— यह सब संविधान में अंकित होता है। उदाहरण के लिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा लक्ष्य सबके लिए समता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा सुनिश्चित करना है — इसके लिए हमने ऐसे राज्य का गठन किया है जो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हो और किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर न हो।

जब द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद जापान में नया संविधान बना तो उसमें कहा गया कि जापान विश्व शान्ति के लिए और संपूर्ण विश्व में हर प्रकार की गुलामी, अत्याचार, असहिष्णुता, डर, अभाव आदि मिटाने के लिए प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों को जापान का मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया। इसी तरह मई 2008 में नेपाल में जब राजाओं का शासन समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित हुआ तो वहाँ भी नया संविधान बनाने की कवायद प्रारंभ हुई और संविधान सभा का गठन किया गया। नया संविधान कैसा हो इसे लेकर नेपाल की विभिन्न पार्टियों, समुदायों व क्षेत्रीय समुदायों के बीच गहन वाद-विवाद और विचार-विमर्श के बाद 2015 में एक संविधान प्रस्तावित किया गया। नेपाल के सभी लोग यह चाहते थे कि देश में सामन्तवादी राजशाही का अत्याचार और एक केन्द्रीय शासन प्रणाली जो स्थानीय समूहों की आकांक्षाओं की अनदेखी करे, हमेशा के लिए खत्म हो। संविधान निर्माण के दौरान नेपाल में रहने वाले अनेकानेक छोटे समुदाय के लोगों ने यह संदेह जताया कि उनके हितों की रक्षा नए नेपाल में होगी या नहीं। इस कारण नए संविधान में हर प्रकार की विभिन्नता के संरक्षण, सबके बीच समरसता व सहनशीलता विकसित करने, सभी प्रकार के अत्याचार व भेदभाव को मिटाने और एकीकृत केन्द्रीय राज्य की जगह स्थानीय व क्षेत्रीय स्वशासन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

**अगर आपको अपनी शाला के लिए एक संविधान बनाना हो तो किस प्रक्रिया से बनाएँगे?
अपने स्कूल के लिए क्या उद्देश्य रखेंगे?**

1.1.2 भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ

भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास बहुत लंबा है। संविधान की मूल भावना है कानून आधारित शासन जो किसी की मनमर्जी से नहीं वरन् नियम-कानूनों के आधार पर चले। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून 1772-73 में ब्रिटेन के संसद ने पारित किया जिसे रेग्युलेटिंग एक्ट कहते हैं। तब भारत के कई प्रांतों पर इंग्लिश ईस्ट



चित्र 12.2 : मोतीलाल नेहरू

इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन कैसे करेगी और ब्रिटिश संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी रहेगी? आदि बातों का विवरण था। उन्नीसवीं सदी के अंत में भारतीयों को नगरनिगम आदि में चुनाव के द्वारा सीमित भूमिका दी गई। सन् 1885 से स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार यह माँग उठाई गई कि शासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाई जाए। इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ती गई। भारतीय आबादी के बहुत सीमित अंश को प्रतिनिधि चुनने के अधिकार भी मिले। फिर भी सभी अंतिम शक्ति व अधिकार अंग्रेज वायसराय व प्रांतीय गवर्नरों के हाथों में ही रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में उठी लोकतांत्रिक लहर के प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक

मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की माँग की।

सन् 1928 में भारत के सभी राजनैतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसे भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की। इस प्रारूप के मुख्य प्रावधान थे— (1) पूर्ण ज़िम्मेदार सरकार यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार (2) अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण (3) नागरिक अधिकार, जैसे— अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता व पंथ निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सभा, सम्मेलन तथा संगठन व संघ बनाने का अधिकार (4) भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन। सन् 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र होता गया। उसके दबाव को देखते हुए सन् 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी समाविष्ट हुए। उदाहरण के लिए — केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का बँटवारा, विधायिका में बहुमत दल द्वारा मंत्रिमंडल का गठन और सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार, दलितों के लिए सीटों का आरक्षण आदि। लेकिन कुछ बातों में सन् 1935 के अधिनियम से स्वतंत्र भारत के संविधान में बहुत फर्क था। सन् 1935 में मताधिकार भारत की एक बहुत सीमित आबादी केवल दस प्रतिशत को ही प्राप्त था। कुछ सीट केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित था जहाँ केवल उस धर्म के लोग जैसे— मुसलमान, सिख या ईसाई ही वोट डाल सकते थे। सन् 1935 में भारत को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वायसराय या गवर्नर के पास कई महत्वपूर्ण अधिकार थे और वे चुनी गई विधायिका व सरकारों को भंग कर सकते थे या उनके द्वारा पारित कानूनों को अमान्य कर सकते थे। सन् 1935 के संविधान के आधार पर सन् 1937 में प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस दल की सरकारें बनीं लेकिन ये केवल 1939 तक चल पाई। सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तेज़ हुआ और जनसामान्य के आक्रोश से स्पष्ट हो गया कि अँग्रेजी राज अधिक दिन नहीं चल सकता है।

स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियमों में किस तरह के अन्तर थे? ये अन्तर क्यों थे?

संविधान सभा का गठन और काम के तरीके



द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने लार्ड पेट्रिक लारेंस की अध्यक्षता में एक समिति यह पता करने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी और नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी? एक प्रबल सुझाव यह था कि सभी वयस्कों के मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन हो लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि इसमें समय अधिक लगेगा और संविधान सभा के गठन को टाला नहीं जा सकता है। समिति ने व्यापक विचार-विमर्श करके सुझाया कि 1935 के नियमों के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मण्डल (प्रतिनिधि चुनने वाले निकाय) के रूप में किया जाए। यानी सीधे नए चुनाव न कराकर पहले से चुनी गई प्रांतीय सभाओं ने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया।

क्या आपको लगता है कि सार्वभौमिक मताधिकार व प्रत्यक्ष रूप से न चुना गया एक सदन भारत के विविध प्रकार के लोगों की ज़रूरतों व आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता था?

सभी तरह के लोगों की राय लेने के लिए ऐसे सदन को फिर किस तरह के प्रयास करने पड़ते?



चित्र 12.3 : संविधान सभा की बैठक।

प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। इसमें 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधि थे। रजवाड़ों ने 93 तथा दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कूर्ग व बलूचिस्तान के संभाग से एक-एक प्रतिनिधि सहित सभा के लिए कुल 389 सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जुलाई 1946 तक चुन लिए गए। इसी बीच देश के बँटवारे से संबंधित बातचीत भी चल रही थी और बहुत से क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े व

तनाव बना था। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई तब यह स्पष्ट नहीं था कि भारत एक रहेगा या बँट जाएगा। क्या भारत के अनेक राजा-रजवाड़े भारत में सम्मिलित होंगे या स्वतंत्र राज्य बन जाएँगे? ऐसे माहौल में भारत की संविधान सभा की बैठकें शुरू हुईं लेकिन इस पूरे दौर में संविधान निर्माण कार्य चलता रहा। 11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए समितियों को गठित किया गया जैसे – संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मूलाधिकार समिति, झंडा समिति आदि। इनके प्रतिवेदनों पर पूरे संविधान सभा में चर्चा की जाती थी। फरवरी 1947 में जाकर यह तय हुआ कि भारत का बँटवारा होगा और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे।

इसे जानें –

विभाजन पश्चात् भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 324 रह गई थी जिसमें 235 प्रांतों के व 89 रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे।

15 अगस्त 1947 से भारतीय संविधान सभा एक सार्वभौमिक सम्प्रभुत्व सम्पन्न संस्था बन गई और नए राज्य की विधायिका बन गई अर्थात् संविधान निर्माण, विधि निर्माण और शासन का संचालन कार्य, एक साथ इस सभा के सदस्यों का उत्तरदायित्व बन गया।

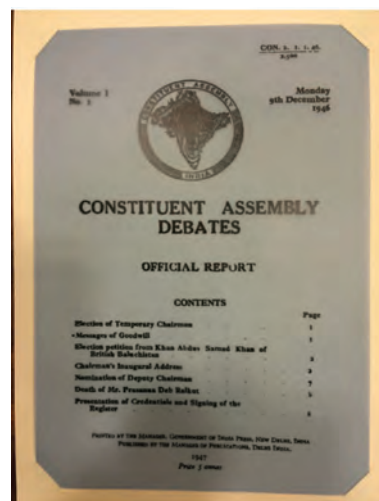
17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में “प्रश्नावली” सभी प्रांतीय विधान सभा, विधान मंडल और केन्द्रीय विधान मंडल के सदस्यों को उनकी राय लेने के लिए भेजी गई। अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली पारदर्शिता के साथ समाचार पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए संचारित होती थी। समाचार पत्रों तथा आम सभाओं में इन प्रश्नों व विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा और विचार-विमर्श होता था और पत्रों के माध्यम से समितियों तक पहुँचता था। इस तरह संविधान सभा के कार्य जनचर्चा के विषय बनते थे। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद-विवाद हुआ और अक्सर बहुत विरोधाभासी विचार रखे गए लेकिन प्रत्येक सुझाव पर सभी ने गंभीरता से विचार किया और अपनी सहमति या असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया। इसकी मदद से संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार और बहस हो पाई। इस तरह विवाद केवल व्यक्तिगत मतभेदों का रूप लेने से बचे। इन सारी बहसों का विस्तृत विवरण प्रकाशित है और आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। संविधान का निर्माण कितनी गहन प्रक्रिया थी और किस गंभीरता के साथ उस पर वाद-विवाद करके सहमति बनाई गई, अग्रांकित तथ्यों से आप समझ सकेंगे।



चित्र 12.4 : डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का कामकाज

अप्रैल 1947 के बाद धीरे-धीरे राजा महाराजा अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजने लगे। 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ और संविधान सभा ने स्वयं को सम्प्रभुत्व सम्पन्न मानकर कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाई गई। तब तक राजा-रजवाड़े को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की कार्यवाहियाँ भी शुरू हो गईं। दूसरी ओर पाकिस्तान से कश्मीर पर अधिकार के प्रश्न पर युद्ध भी हो रहा था। दोनों देशों में सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी। भारत-पाकिस्तान विभाजन के लिए सीमा-रेखा का निर्धारण भी हो रहा था।

संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान के विषय विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया। उनके निष्कर्षों पर स्वयं तो विचार किया और प्रांत की विधान सभाओं व जनसामान्य से भी साझा किया ताकि वे भी इन पर अपनी राय दे सकें। गहन विचार के बाद संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसे मुद्रित कर प्रकाशित कराया गया और टिप्पणियाँ, सुझाव व आलोचनाएँ आमंत्रित की गईं। इन आलोचनाओं पर विशेष समिति विचार करती थी तथा समस्त निष्कर्ष प्रतिवेदनों के रूप में पुनः प्रकाशित कराए जाते थे।



चित्र 12.5 : संविधान सभा चर्चाओं की रिपोर्ट

संविधान सभा : वाद-विवाद

मौलिक अधिकार समिति के प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा

मंगलवार 29 अप्रैल 1947

भारत की संविधान सभा की बैठक साढ़े आठ बजे नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई। माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की।

वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार परामर्श समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा — समिति में दो विचारधाराएँ थीं। ...एक विचार यह मानता था कि जितने संभव हों उतने अधिकार शामिल करना चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सकें। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत यह था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधाराओं में काफी बहस हुई और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसे बहुत अच्छा मध्यम मार्ग माना गया।

दोनों विचारधारा के लोगों ने सिर्फ एक देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक संभव हो उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। उस पर इस सदन में मतभेद हो सकता है और इस सदन को हर अनुच्छेद पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुझाने, संशोधन और निरस्त करने का सुझाव देने का अधिकार है।

श्री रंजन सिंह ठाकुर — महोदय..... मैं जिस बिन्दु का उल्लेख करना चाहता हूँ उसका संबंध धारा 6 से है जो अस्पृश्यता से संबंधित है। मैं नहीं समझता कि जाति प्रथा को खत्म किए बिना आप

अस्पृश्यता का उन्मूलन कर सकते हैं। ...अस्पृश्यता जाति प्रथा नामक रोग का प्रतीक होने के सिवाय कुछ नहीं है। जब तक हम जाति प्रथा को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे तब तक सही तौर से अस्पृश्यता की समस्या पर रोक लगाने का कोई उपयोग नहीं है।

एस.सी. बैनर्जी — अध्यक्ष महोदय असल में अस्पृश्यता को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। इस शब्द से हम पिछले 25 सालों से परिचित हैं, फिर भी अभी तक इसके अर्थ को लेकर बहुत भ्रम है। कभी इसका मतलब एक गिलास पानी लेना भर है तो कभी हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश देने के अर्थ में दिया गया है। कभी इसका मतलब अन्तर्जातीय भोजन व अन्तर्जातीय विवाह से लिया गया। ...इसलिए जब हम अस्पृश्यता शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में यह बात साफ होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है? इस शब्द से वास्तव में क्या अर्थ निकलता है?

मेरा ख्याल है कि हमें अस्पृश्यता और जाति भेद के बीच फर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा कि श्री ठाकुर ने कहा, अस्पृश्यता सिर्फ एक लक्षण है, मूल कारण जाति भेद है और जब तक इसके मूल कारण जाति भेद को नहीं हटाया जाता अस्पृश्यता किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगी। जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमें इस बात की अपेक्षा करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को समान सामाजिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हो सकें।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी — अस्पृश्यता की परिभाषा के लिए यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि अस्पृश्यता का मतलब है धर्म, जाति या जीवनयापन के लिए कानून द्वारा स्वीकार किए गए धंधों को लेकर भेदभाव प्रकट करने वाला कोई काम।

श्री के.एम. मुंशी — महोदय मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। परिभाषा को इस तरह के शब्दों में लिखा गया है कि यदि इसे मंजूर कर लिया गया तो वह जन्म स्थान या जाति, यहाँ तक कि लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव को अस्पृश्यता बना देगा।

श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त — महोदय मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई परिभाषा तो होनी चाहिए। यहाँ यह कहा जा रहा है कि अस्पृश्यता किसी भी रूप में अपराध है। अस्पृश्यता के मामलों की सुनवाई करने वाले दंड अधिकारियों या न्यायाधीशों को परिभाषा देखनी होगी। एक दंड अधिकारी किसी खास बात को अस्पृश्यता मानेगा जबकि दूसरा न्यायाधीश किसी और बात को अस्पृश्यता मानेगा। इसका परिणाम यह होगा कि अपराधों का फैसला करने में दंड अधिकारियों की कार्यवाही में समानता नहीं होगी। तब न्यायाधीशों के लिए मामलों का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अस्पृश्यता का मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। बंगाल में अस्पृश्यता का मतलब कुछ और है जबकि दूसरे प्रांतों में उसका मतलब एकदम अलग होता है।

वल्लभ भाई पटेल — अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान धारा 24 की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है कि संघीय विधायिका इस खंड के उन हिस्सों के बारे में कानून बनाएगी जिनके लिए ऐसे कानून की ज़रूरत है, इसलिए मैं यह मानता हूँ कि संघीय विधायिका अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा बनाएगी जिससे अदालतें उचित दंड दे सकें।

(इस प्रकार अस्पृश्यता की परिभाषा बनाने का काम भविष्य की विधायिकाओं पर छोड़ दिया गया।)

26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रारूप समस्त सदस्यों को पुनः वितरित किया गया। इनमें संशोधनों के सुझाव, मूल अनुच्छेद एवं धाराओं को सामने के ही पन्ने में मुद्रित किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थीं। 4 नवम्बर 1948 को डॉ. अम्बेडकर ने संविधान का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत किया और स्पष्ट किया कि 1935 अधिनियम का अधिकांश भाग क्यों लिया गया है तथा भारत में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए? 15 नवम्बर 1948 को प्रारूप पर खंडवार व धारावार विचार-विमर्श

प्रारंभ हुआ। इसके लिए 11 माह तक लगातार अधिवेशन हुए। 17 सितम्बर 1949 तक 2500 संशोधन प्रस्तावों पर विधिवत तर्क होते रहे। 8 जनवरी 1949 तक 67 अनुच्छेदों पर निर्णय हुआ। इसे प्रथम वाचन कहा गया। इसी प्रकार 16 नवम्बर 1949 तक कुल 386 अनुच्छेदों पर विचार-विमर्श कर सहमति बन पाई। इसे द्वितीय वाचन कहा गया। इसके पहले 17 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि “संविधान का हिन्दी और भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं में अनुवाद कराया जाए।” तब तक मात्र 315 अनुच्छेदों पर विचार कर प्रस्तावना को 6 से 17 अक्टूबर के मध्य अंतिम रूप दिया गया।



चित्र 12.6 संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सौंपते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर

17 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने प्रारूप का तीसरा वाचन प्रारंभ किया और प्रारूप के कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची व 22 भागों पर चर्चाएँ की गईं और 26 नवम्बर 1949 को इसे स्वीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की दो पाँडुलिपियाँ संविधान सभा में रखी गईं। ये अँग्रेजी व हिन्दी में थीं। अँग्रेजी में एक मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान और वंदेमातरम गायन के साथ संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ। संविधान निर्माण में कुल 02 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।

भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों की ओर से किया गया था लेकिन भारत के लोगों ने संविधान सभा का चुनाव नहीं किया फिर भी इस संविधान को भारत के अधिकांश लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। यह कैसे संभव हुआ होगा?

संविधान निर्माण की चर्चा समाचार पत्र-पत्रिकाओं में तथा आमसभाओं में होती रही और लोग संविधान सभा को ज्ञापन देते रहे लेकिन उन दिनों भारत में केवल 27 प्रतिशत पुरुष और 9 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर थीं। निरक्षर महिलाओं व पुरुषों के विचार संविधान निर्माताओं तक कैसे और किस हद तक पहुँचे होंगे?



चित्र 12.7. भारतीय संविधान की प्रस्तावना – मूल प्रति का चित्र

1.2 भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श

हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देशिका से शुरू होता है। संक्षिप्त होने पर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में 13 दिसम्बर 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन किया गया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार जोड़े गए।

संविधान की उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखण्डता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

इस उद्देशिका के महत्व पर टिप्पणी करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से बहुत अधिक है। यह एक घोषणा पत्र है, यह एक दृढ़ निश्चय है, यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व है और हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है। यह प्रस्ताव कुछ शब्दों में विश्व को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों किस बात की अभिलाषा रखी? हमारा स्वप्न क्या था?” यानी कि इन शब्दों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य, हमारे देश के लोग आगे क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तथा हम किस तरह का राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं — यह सब इसमें कहा गया है।

मूल्य एवं आदर्श — उद्देशिका के समस्त शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों और जनता की वे अभिलाषाएँ हैं जो भारतीय पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, जाति प्रथा उन्मूलन आंदोलन, मज़दूरों व किसानों के आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन और आज़ाद हिन्द फौज की सरकार सहित भारत के विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक आंदोलनों की भावनाएँ थीं। इसमें रूसी क्रांति से आर्थिक समानता व न्याय, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा अमेरिकी क्रांति से राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता व व्यक्तित्व स्वतंत्रता के साथ मानव

गरिमा का भाव लिया गया है। आईए उद्देशिका के मूल्य व आदर्श को विस्तार से समझें —

“हम भारत के लोग... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।” यह वाक्यांश We the people of India समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। हमें यह संविधान किसी राजा, सरकार या विदेशी शासक ने नहीं दिया है वरन् समस्त भारत की जनता ने मिलकर अपने आप के लिए बनाया है। अतः जनता ही इस देश की सर्वोच्च शक्ति है। यह वाक्य तीन अर्थ स्पष्ट करता है —

1. संविधान के द्वारा हम भारत के लोगों के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।
2. संविधान के रचनाकार जनता और जनता के प्रतिनिधि हैं और यह संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है।
3. लोकतंत्र और संविधान की अंतिम सम्प्रभुत्व शक्ति भारत की जनता में निहित है।

अंगीकृत — मान्यता देना

अधिनियमित — कानून का स्वरूप देना

आत्मार्पित — अपने आप को देना

डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में — ‘प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है। इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुत्व सब जनता से प्राप्त हुए हैं। जनता ही इसे अधिनियमित, अंगीकृत व आत्मार्पित करती है।’

संविधान सभा का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था और उसे आबादी के केवल दस प्रतिशत लोगों द्वारा चुनी गई विधायिकाओं ने चुना था। तो क्या आपको यह कथन कि ‘हम भारत के लोग’ इस संविधान को बना रहे हैं उचित लगता है? संविधान सभा ने किन तरीकों से यह सुनिश्चित किया कि भारत के सभी लोग संविधान निर्माण में सम्मिलित हों?

प्रभुत्व सम्पन्न — यह किसी बाह्य शक्ति (जैसे कोई दूसरा देश) से स्वतंत्र व सर्वोच्च शक्ति है। देश के अन्दर भी संप्रभुत्व युक्त राज्य के निर्णय सर्वोपरि होते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि उसके पीछे देश के सभी निवासियों की सहमति है। विदेश नीति हो या आंतरिक नीति, जनता का राज्य ‘स्वनियंत्रित एवं स्वतंत्र’ है। उनके ऊपर अन्य कोई शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य है। यह कथन महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत अँग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हो रहा था।

इनमें से किसके पास संप्रभुता है, कारण सहित बताएँ —

संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग, छत्तीसगढ़ की विधान सभा, मुख्यमंत्री।

समाजवादी — यह अवधारणा 1977 में जोड़ी गई थी। इसका आशय है कि भारत अपने समस्त नागरिकों के बीच सभी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और सभी संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा न कि किसी के निजी हित में।

इनमें से समाजवाद के निकट क्या है और क्या नहीं —

भारतीय रेल, कल्लूलाल एंड चम्पालाल उत्खनन कंपनी, मनरेगा, सरकारी अस्पताल, ग्लोब इंटरनेशनल स्कूल, रेशम उत्पादक सहकारी समिति, महिला व पुरुष को समान वेतन।

पंथनिरपेक्ष — भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा न ही उसका झुकाव किसी धर्म या पंथ के प्रति होगा और न ही वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा। भारत के लोग विभिन्न धर्म व पंथों में आस्था रखते हैं व कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं या नास्तिक होते हैं। राज्य इन सभी के साथ एक सा व्यवहार करेगा और सभी को अपना धर्म मानने या न मानने की स्वतंत्रता रहेगी। राज्य सामान्यतया किसी धर्म के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा मगर जहाँ सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था या नैतिकता या स्वास्थ्य प्रभावित होता है वहाँ राज्य हस्तक्षेप भी कर सकती है। उदाहरण के लिए— सतीप्रथा, नरबलि प्रथा या विवाह की उम्र आदि में सरकार कानून बना सकती है।

भारतीय समाज के संदर्भ में पंथनिरपेक्षता का यह भी अर्थ निकाला जाता है कि एक बहुधर्मी व बहुपंथी देश के नागरिक होने के नाते वे सभी धर्मों व आस्थाओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का व्यवहार करेंगे। अपने धर्म का प्रचार करते समय या किसी भी धर्म की विवेचना करते समय दूसरे धर्म के प्रति आदर का भाव रखेंगे और किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं रखेंगे।

आप इनमें से किसको पंथनिरपेक्ष नहीं मानेंगे —

सरकारी दफ्तर में पूजापाठ का आयोजन, सती प्रथा व अस्पृश्यता उन्मूलन कानून बनाना, राष्ट्रपति किसी धर्मविशेष का ही हो ऐसा कानून बनाना, शहर में धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी लगाना, सरकारी नौकरियों में सभी धर्म के लोगों को समान अवसर देना, सरकारी दफ्तरों में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, सभी धर्मों का अध्ययन करना, किसी धर्मविशेष के लोगों को अपना घर किराए पर न देना, यह मानना कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, अपने धर्म का विधिवत पालन करना, विभिन्न धर्म के लोगों से दोस्ती करना।

लोकतंत्रात्मक — वह शासन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियाँ जनता से उत्पन्न होती हैं। निश्चित अवधि में चुनाव के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करते हैं। बहुदलीय प्रणाली, विधि या कानून का शासन, स्वतंत्र—निष्पक्ष न्यायपालिका और निष्पक्ष जनमत निर्माण के साधन, जैसे— स्वतंत्र समाचार पत्र और टीवी चैनल लोकतंत्र के घटक हैं। वह व्यवस्था जहाँ शासन—प्रशासन के हर क्षेत्र में जनभागीदारी हो, लोकतंत्र कहलाती है।

गणराज्य — वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख, जैसे कि राष्ट्रपति, वंशानुगत न होकर किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता है, वह गणराज्य कहलाता है। भारत व पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे अनेक देशों में शासन प्रमुख “वंशानुगत राजपरिवार का मुखिया” होता है। अतः वहाँ लोकतंत्र और संविधान है मगर गणराज्य नहीं। वे संवैधानिक राजशाही हैं। गणराज्य में जन प्रतिनिधि, प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होता है जबकि राजशाही में राजा का स्थान विशेष होता है।

म्यांमार में एक लंबे समय तक सेना प्रमुख ही राष्ट्रपति बनते थे। क्या वह लोकतांत्रिक था? क्या वह गणराज्य था?

हमारे संविधान में सर्वप्रथम यह कहा गया है कि हम किस तरह का राज्य स्थापित करना चाहते हैं — जो पूरी तरह स्वतंत्र हो (सम्पूर्ण प्रभुत्व—सम्पन्न), जिसमें संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में हो और असमानता न हो (समाजवादी), जो किसी धर्म पर आधारित न हो (पंथ निरपेक्ष), जिसमें शासन लोगों की इच्छानुसार चले (लोकतंत्रात्मक) जिसका शासन प्रमुख वंशानुगत न हो (गणराज्य)। इसके बाद यह बताया गया है कि यह राज्य हमने किसलिए बनाया — उसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता दिलाने तथा उनके बीच बंधुत्व या भाईचारा मज़बूत करने के लिए।

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय — न्याय से तात्पर्य है कि जिसका जो हक या अधिकार है, वह उसे मिले और अगर कोई व्यक्ति या शासन उसका उल्लंघन करता है तो वह दण्डित हो। अगर किसी को उसकी गरीबी, राजनैतिक विचार, जाति, धर्म या लिंग के कारण अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, तो गणराज्य का दायित्व है कि उसके अधिकार उसे दिलवाए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करे ताकि इन कारणों से कोई अपना अधिकार न खो पाए। न्याय गहरे रूप में समानता और समान अवसर की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। अतः यहाँ केवल न्यायालय में मिलने वाले कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है। वास्तव में न्याय एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे परिभाषित करना कठिन है। किसी का अधिकार क्या हो, यह किस आधार पर निर्धारित करें? इन पर कई मत हो सकते हैं और नए विचार उभर सकते हैं। इस कारण समय-समय पर न्याय की अवधारणा पर पुनर्विचार करके नीति बनाना भी गणराज्य से अपेक्षित है।

मुन्ना एक आदिवासी लड़का है जो पायलट बनना चाहता है लेकिन उसके क्षेत्र में इसके लिए ज़रूरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उसे दूर किसी महानगर में जाकर इसकी शिक्षा हासिल करनी होगी। मगर मुन्ना के पास इसके लिए आवश्यक धन नहीं है। क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है?

प्रमिला और उसके पति दोनों एक कम्प्यूटर कंपनी में बड़े पद पर काम करते हैं। जब उनकी बच्ची हुई तो परिवारवालों ने प्रमिला पर दबाव डाला कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे ताकि बच्ची की देखभाल ठीक से हो सके। क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है?

हनीफ का विचार है कि लोगों को विदेशी सामान उपयोग नहीं करना चाहिए और केवल स्वदेशी चीज़ों को खरीदना चाहिए और वह इस विचार को लेखों व भाषणों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है। लेकिन जब भी वह नौकरी के लिए आवेदन करता है उसे यह कहकर लौटा दिया जाता है कि आपके विचार अतिवादी हैं। क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है?

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता — स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेना और अपने जीवन को संचालित करना, किसी और का कहा मानने या उसके अनुसार चलने पर बाध्य न होना।

भारत के हर नागरिक को खुद सोचकर अपने विचार बनाने, उनके अनुरूप जीने तथा उन्हें खुलकर दूसरों को बताने की स्वतंत्रता है। उन्हें किसी की बात मानने या न मानने, किसी भी धर्म को मानने या न मानने तथा किसी भी तरीके से उपासना करने या न करने का अधिकार होगा। नागरिक कैसे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और सोचें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। इसकी केवल एक शर्त है कि इससे दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन न हो यानी किसी अन्य व्यक्ति को बाध्य करने का प्रयास न करें।

न्याय की तरह स्वतंत्रता भी एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे कानूनी रूप में परिभाषित करना पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि हर व्यक्ति स्वयं के निर्णय लेने के लिए सक्षम बने। उसे अपने परिवार, समाज, बड़े-बुजुर्ग, पति या पत्नी या शासन के प्रभाव से मुक्त होकर सोचने व निर्णय लेने के अवसर मिलें और उसमें यह सामर्थ्य भी हो। इसी के माध्यम से हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उभार सकता है और अपने आपको विकसित कर सकता है। क्या इस स्वतंत्रता की कोई सीमा हो सकती है? यदि हाँ, तो वह क्या हो, किस प्रकार लागू हो — इन बातों पर भी कई विचार हैं। इस बारे में आम समझ भी समय के साथ विकसित होती रही है।

छत्तीसगढ़ की 40 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं। इससे उनकी स्वतंत्रता किस तरह प्रभावित होगी?

लोक रक्षा पार्टी के लोग रात को शहर में एक आमसभा करना चाहते हैं और वे यह भी चाहते हैं कि सारे सड़कों पर लाउडस्पीकर लगाएँ। शहर के थानेदार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। क्या यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है?

प्रतिष्ठा और अवसर की समता — यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संविधान दो तरह की समता की बात कर रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा की समानता भारत में कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। सदियों से हमारे समाज में पितृसत्ता, जातिवाद और सामन्तवाद के चलते हैसियत या प्रतिष्ठा में बहुत असमानता थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों को अस्पृश्य भी माना गया और इस कारण वे अनेक अधिकारों से वंचित रहे। दूसरी ओर, समाज में कई श्रेणियाँ बनी हुई थीं जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। उदाहरण के लिए, राज परिवार और उनसे जुड़े लोगों एवं ऊँची जाति के लोगों को आम लोगों से अलग माना जाता था। इनके अलावा कई लोग जो अँग्रेजी शासन के वफादार थे, उन्हें शासन की ओर से विशिष्ट दर्जा प्राप्त था। इन असमानताओं को खत्म करने की बात की गई ताकि हर व्यक्ति अपना मनचाहा जीवन जी सके और अपने मनचाहे काम कर पाए। इसके लिए दो तरह के कदम उठाए गए —

पहला, कानून की दृष्टि में सबको समान दर्जा दिया गया। यानी राजा हो या भिखारी, दलित हो या सवर्ण, महिला हो या पुरुष, सब के लिए एक ही कानून होगा।

दूसरा, सार्वजनिक जीवन में लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म किया गया। यानी कोई भी नागरिक भारत के किसी भी सार्वजनिक पद को हासिल कर सकता है एवं सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।

संविधान सबको अवसर की समानता दिए जाने की बात कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में किसी भी अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबको न केवल समान अधिकार रहेगा बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए समान अवसर भी मिलेंगे। यानी उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी अर्हताओं को हासिल करने में भी समानता लाई जाएगी। उदाहरण के लिए अगर न्यायाधीश पद के लिए कुछ अर्हताएं तय हैं (जैसे एल.एल.बी. डिग्री व वकालत का अनुभव) तो जो कोई इन्हें प्राप्त करता है, वह न्यायाधीश पद के लिए आवेदन दे सकता है साथ ही यह शिक्षा और वकालत का अनुभव भारत के हर नागरिक के लिए खुला है। लिंग, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी पर पाबंदी नहीं है।

न्याय और स्वतंत्रता की तरह समता भी एक दार्शनिक अवधारणा है। हर इन्सान को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, शारीरिक रूप से पूर्ण हो या सक्षम, बच्चा हो या वृद्ध, किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो, उसे एक व्यक्ति के रूप में समान आदर और सम्मान मिले और अपने मर्जी अनुसार जीवन जीने के अवसर मिले। उल्लेखनीय है कि संविधान में हर तरह की समता (खासकर आर्थिक समानता) की बात नहीं की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है।

क्या यह संवैधानिक मूल्य के विरुद्ध है? विचार कीजिए।

मीना गाँव की सबसे अधिक पढ़ी-लिखी महिला है और इस कारण गाँव में उसकी सबसे ऊँची प्रतिष्ठा है।

गाँववालों ने तय किया कि महेशजी गाँव के गौटिया परिवार के हैं और इस कारण वे ही शाला समिति के अध्यक्ष बनेंगे।

सानिया देख नहीं सकती है मगर बहुत प्रयास करके बी.एड. उत्तीर्ण हो गई। लेकिन कोई स्कूल उसे शिक्षिका की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह दृष्टि बाधित है।

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता — इससे पहले कही गई बातें जैसे स्वतंत्रता या समानता व्यक्तियों के लिए थीं। ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में न खड़े हों, एक साथ रहें और अपनी सामूहिकता को बनाए रखें— इसके लिए बन्धुता की बात कही गई है। हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते हैं जहाँ केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे और केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाए। हम यह भी चाहते हैं कि वे आपस में भाईचारा रखें, सहयोग करें और एक साझे राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान न हो या जिसमें केवल राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए। यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा।

संविधान की उद्देशिका में हमारे संवैधानिक मूल्य अंकित हैं जिनके आधार पर न केवल हमारे शासन को संचालित करना है बल्कि जिन्हें देश के हर नागरिक को भी अपने जीवन में निभाना है।

अभ्यास

1. संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है?
2. किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा और कैसे, इसे संविधान में दर्ज करना क्यों ज़रूरी है?
3. भारत और नेपाल के संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या अन्तर और समानता है?
4. संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था?
5. संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए?
6. संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है?
7. आपको संविधान के मूल सिद्धांतों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लगा? कारण सहित समझाएँ।



13

Ifo/kku] 'kk lu 0;oLFkk vkj Ikekftd Ijkdj



fiNy v/;k; e geu Hkkjrh; Ifo/kku d fuek.k dh ifØ;k vkj Ifo/kku fuek.k d ,frgfl d lNhk d ckj e i<k l kFk gh Ifo/kku l Hkk e g, okn&fookn vkj Hkkjrh; Ifo/kku dh mnnf'kd e fn, x, eY; o vkn'kk dk le>u dh dkf'k'k dhA bl v/;k; e ge Ifo/kku d vrxr jktufrd lLFkkvk dh ljpuk] Ifo/kku l gku oky Ikekftd cnyko d volj rFkk Ifo/kku d fodflr gkr g, Lo: i dk v/;u djxA

13-1 Ifo/kku e jktufrd lLFkkvk dh ljpuk

'kfDr dk fodUnhdj.k % tc lRrk dk dUnhdj.k gkrk g rk og vke ykxk dh igp l nj gk tkrk g vkj mudh t : jrk o vdk{kkvk dk ikFkedrk ugh fey ikrh gA okLro e ykdr= dk etcr dju d fy, t : jh g fd lRrk dk fodUnhdj.k gk vkj ekgYyk] xke@'kgj] tuin] ftyk vkj jkT; Lrj ij ykxk }kjk pu x, <kp vkj mud ikl fu.k; yu d vf/kdkj gA xk/kh th d Lojkt dh dYiuk e vf/kdre vf/kdkj xke ipk;rk dk fn;k tkuk FkA



Lor= Hkkjr dk Ifo/kku cukr le; ;g fookn dk ennk cuk jgk fd D;k Hkkjr e ikrk d ikl l kjh ie[k 'kfDr;k gk vkj dUn d ikl doy j{kk] fon'k uhfr t l fo"k; gk\ ;g fu.k; fy;k x;k fd n'k dh ,drk dk ln< dju d fy, rFkk mle Ikekftd cnyko yku d fy, Hkkjr e ,d 'kfDr'kkyh dUnh; 'kk lu dh t : jr gA l kFk&gh&l kFk ;g Hkh r; fd;k x;k fd ikrk d Lrj ij Hkh db fo"k;k ij fu.k; yu d vf/kdkj gA njvly Hkkjr dk ikrk dk leko"k ;k l?k ekuk x;kA vr% n'k e nk Lrj ij lRrk dk forj.k gvkJ l?kh; ;k dUn Lrj ij rFkk ikrh; Lrj iJA nkuk Lrj ij pu x, ifrfuf/k;k dk fu.k; dk vf/kdkj fn;k x;kA 1992 e 73o Ifo/kku l 'kk/ku }kjk ipk;rk d rh l j Lrj rd lRrk dk fodUnhdj.k fd;k x;kA

vxj gj jktufrd fu.k; dUn ljdkj gh dj rk vke ykxk dk fd l rjg dh ij'kkfu;k gkxh

;fn lkj jktufrd fu.k; ipk;r Lrj ij gk rk mldk D;k iHkko gkxk & d{kk e fopkj dJA

'kfDrk foHkktu % jkT; ;k 'kk lu d ikl tk 'kfDr;k g o rhu idkj dh gkrh g % dkuu cuku] ml ykx dju rFkk mld vulkj U;k; dju dhA fdUr ; rhuk 'kfDr;k ,d gh lLFkk ;k 0;fDr e dfUnr gk tk, rk og fujd'k 'kk l d gk l drk gA 'kfDr foHkktu dk vFk g bu 'kfDr;k dk vyx djuk vkj Lor= lLFkkuk dk lkiuk, t l fd vkiu fiNyh d{kk e i<k gkxk] ykdrkf=d Økfr;k

dk ,d e[; mnn'; 'kfDr foHkk tu FkkA bl idkj vk/kfud ljdkj d rhu vx g %
fo/kkf;dk& tk dkuu o uhfr;k cukrh g] dk;ikfydk& tk mUg fØ;kfUor djrh g rFkk
U;k;ikfydk& tk mud vulkj U;k; djrh gA

'kfDrk iFkDdj.k %'kfDr foHkk tu% fl)kUr d vulkj dk;ikfydk] fo/kkf;dk rFkk U;k;ikfydk e
l iR;d viu dk;{k=e Lor=g rFkk ml fdlh vU; ij fu;=.k dh 'kfDr ikr ugh gkrh yfdu
okLro e ;g lHko ugh gkrk D;kfd rhuk d dke ,d&nIj ij fuHkj g vkj mUg feydk pyuk gkrk
gA Hkkjr e lher 'kfDr iFkDdj.k fl)kUr dk viuk;k x;k gA ;gk llnh; ykdr=g] tgk
U;k;ikfydk dh Lor=rk rk i.k g ij fo/kkf;dk vkj dk;ikfydk ,d&nIj ij fuHkj gA bl i.kkyh
e dk;ikfydk %e=h ifj"kn% fo/kkf;dk %l lln% dk gh vx gkrh gA e=h ifj"kn d lnl; lln d
Hkh lnl; gkr g vkj mld ifr tokng gA nljh vkj dk;ikfydk ft ldk v/;{k jk"Vifr gkrk
g] lln d l=k dk cykrh g vkj vU; rjhdK l Hkh fo/kkf;dk d dk;{k=e gLr{ki dj ldrh
g ;kuh dk;ikfydk vkj fo/kkf;dk nkuk ,d&nIj d lFk xFk g, gA

vc ge io dh d{kkvk e i< dUn ljdkj vkj lln dh e[; ckrk dk ;kn dj&

- gekjh lln d nk lnuk d uke D;k gl
- bue l fdl lnu d lnl;k dk Hkkjr d lHkh o;Ld 0;fDr okV ndj pur gl
- lln e dkuu fdl idkj cuk, tkr gl

13-1-1 l?kh; fo/kkf;dk %l lln%



fp= 3-1 % lln Hkou

gekjh l?kh; fo/kkf;dk dk lln uke fn;k x;k g tk jk"Vifr vkj nk lnuk %ykd lHkk vkj jkT;&
lHkk% l feydk curh gA Hkkjr; lfo/kku dh fo'k"krk ;g g fd dk;ikfydk ;kuh ef=e.My lln
dk gh fglk g vkj lln d ifr tokng %mUkjnk;h% gA lln n'k dh jktufrd 0;oLFkk dh uho
g ftle turk dh liHkrk dk leko'k ,o lkj gA lln jk"V dh vkokt gA

Lkln e lekt d lHkh oxk vkj n'k d lHkh {k=k dk lefpr ifrfuf/kRo gkrk gA bl 0;oLFkk e
vulfpr tkfr vkj tutkfr d ifrfuf/kRo dk lfuf'pr dju d fy, vkj{k.k dh 0;oLFkk dh xb
g yfdu ;g ik;k x;k g fd lln e efgykvk dk ifrfuf/kRo vi{kk l cgr de gA bl dkj.k db



fp= 13-2 § I l n e p p k

o"kk I ,d Ifo/kku I 'kk/ku fopkjk/khu g ft l d vulkj I l n e efgykvk dk de&l&de 33
ifr'kr vkj{k.k feyA

I k l n I h/k ;k viR;{k rkj ij turk }kjk pu tkr g vkj tuifrfuf/k turk I lcf/kr leL;kvk
vkj f'kdk;rk dk I l n e 0;Dr djr gA I l n e uhfrxr ennk rFkk dkuu I lcf/kr iLrkok vkj
ef=e.My d iLrkok dk fopkj foe'k djd ikfjr fd;k tkrk gA dk;ikfydk %ef=e.My½ d
dk;dykik ij cgl gkrh g vkj mldh tokcngh dk lfuf'pr fd;k tkrk gA bl idkj Ijkdj
dh fujd'krk ij fu;=k j[ku e I l n egRoi.k Hkfedk fuHkkrh gA

Vhoh ij I l n dh xfrfof/k;k dk n[k vkj mu ij d{kk e p p k d j A

**D;k dkj.k g fd lk;lr I[;k e efgyk, puko yMdj ykdI Hkk e ugh igp ikrh
g**

ykdI Hkk vkj jkT; I Hkk

Hkkjr e nk lnuh; fo/kkf;dk dh 0;oLFkk dh xb g ; lnu g] ykdI Hkk vkj jkT; I HkkA ykdI Hkk
d l n L; ij n'k d ykxk }kjk I h/k pudj vkr g vkj jkT; I Hkk d l n L; e[; :lk I fofHkUu ikrk
dh fo/kkf;dk }kjk pu tkr gA nk lnuh dh D;k t :jr g\ doy ykdI Hkk gkrh rk D;k gkrh\ t I
geu Åij i<k] Hkkjr ,d I?kh; n'k g ft le lRrk dUn vkj iku nkuk d chp cvk gA I l n n'k
d dkuu cuku dh lokpp I LFkk g] vr% mle ikrh; fo/kkf;dkvk dh lghHkfxrk vko';d gA bl
fy, jkT; I Hkk dh 0;oLFkk g ft l iku rk dh fo/kkf;dk, l n L; pur gA

fdIh Hkh n'k e fo/kkf;dk d nk lnu gku d db ykHk gA igyk g I l n e fo'k"Kk dh
mifLFkfr % vkerkj ij fo"k; fo'k"Kk o fofHkUu fo/kkvk d ikjxrk %t l&dykdj] oKkfud] y[kd]
dkuuh fo'k"Kk vkfn% dk ykdI Hkk puko thrdj I l n e igpuk I Hko ugh gkrkA ,l ykxk dk
fo/kkf;dkvk d l n L; pudj jkT; I Hkk e Hk t ldr gA bl rjg I l n dk mud vuHko vkj fopkjk
dk Qk;nk fey ldrk gA nIjk] nk ckj dkuuk ij fopkj foe'k t l fd vkiu dkuu cuku dh
ifØ;k d ckj e ;kn fd;k gkxk] gekjk gj dkuu nkuk lnuh e fopkj foe'k d ckn ikfjr gkrk gA

vr% gj dkuu ij nk ckj ppk gkrh gA
vr% tYnckth e ;k =fVi.k dkuu cuku
l cpk tk ldrk gA

D;k nk lnu gku l dkb udlku
;k leL;k, Hkh gk ldrh g\
viu fopkj j[kA

Hkkjr d vf/kdk'k ikrk e ,d gh
lnu gA D;k ikrk e nk lnu
t:jh ugh g\ ;fn gk] rk D;k\
jkT; lHkk d dke ij lepkj i=k
e tk [kcj Nih g mUg bdVBk
dj ppk dJA

vx ge l ln d xBu dh e[; ckrk
dk rkfydk d ek/e l v/;u djxA

l?kh; 'kklu& Hkkjr jkT;k dk ,d l?k g vkj
lfo/kku }kjk fo/kk;h 'kfDr dk nk Lrjk & l?k vkj
jkT; e ckV fn;k x;k gA ; dUn ljdkj vkj jkT;
ldkj viuh&viuh lhekvk e jgr g, Lor= : i l
dk; djrh gA ;gk lkjh lRrk u dUn d ik l g] u gh
jkT; ijh rjg Lor= gA

ir;{k fuokpu& turk Lo; ernku dj d ifrfuf/k
purh gA tl& ykd lHkk d lnL; vkfnA

vir;{k fuokpu& turk }kjk pu g, ifrfuf/k;k }kjk
vU; ifrfuf/k;k dk puko] tl& jk"Vifr dk puko
gekj }kjk pu g, lkl nk vkj fo/kk;dk }kjk fd;k
tkrk gA

rkfydk 3-1 l ln dk xBu

	jkT; lHkk	ykd lHkk
lnL; l[;k	vf/kdre&250 ikr \$ l?k'kkflr in'kk dh fo/kkf;dk }kjk fuokpr&238 jk"Vifr }kjk eukuh&12	vf/kdre&552 lh/k puko l&550 jk"Vifr }kjk eukuh&2
mEehnokj dh vk;	de & l & de 30 o"k	de & l & de 25 o"k
vf/ko'ku l[;k & lky e dy l=	rhu l= ;k vf/ko'ku& 'khrdkyhu] ekulu vkj ctVA ctV vf/ko'ku nk Hkkxk e gkrk gA	rhu l= ;k vf/ko'ku& 'khrdkyhu] ekulu vkj ctVA
lHkkifr	Hkkjr d mijk"Vifr ¼inu lHkkifr½	lnL;k }kjk p;fur v/;{k & Lihdj
x.kifr ¼lnu e o/k dk;okgh d fy, U;ure mifLFkfr½	dy lnL;k dk 1@10 fgLIk	dy lnL;k dk 1@10 fgLIk

jk"Vifr % jk"Vifr gh nkuk lnuk d vf/ko'ku dk cykrk g rFkk ykd lHkk dk fof'k"V ifjLFkfr;k
e Hkx dj ldrk g] yfdu lkekU;r;k jk"Vifr ; fu.k; i/kkue=h dh lykg ij gh yrk gA

ihN nh xb rkfydk d vk/kkj ij bu i'uk d mRrj n %
 fdI lHkk d InL;k d puko d fy, 0;kid ipkjil kj vkj gj ekgYy e ernku
 gkrk gl
 ykdI Hkk vkj jkT; lHkk e InL; cuu d fy, de&l&de fdruh me gkuh pkfg; \
 nkuk Inuk d chp ;g vUrj D;k j[kk x;k gkxk \
 fdI Inu e InL;k dh l[k; vf/kd gl ;g vUrj fdI dkj.k j[kk x;k gkxk \
 lIn d dk; ,o 'kfDr;k

1- fo/kk;h dk; %& lIn ij n'k ;k n'k d fdI h Hkkx d fy, dkuu cukrh g
 yfdu okLro e dkuu cuku e vge Hkfedk ef=ifj"kn vkj ukdj 'kkgk %dk; ikfydk
 dh gkrh gA dkuu cuku okyh lokPp lLFkk gku d ckt n lIn ik; % dkuu dk
 ek= Loh—fr nu dk dke djrh gA dkb Hkh egROI.k fo/k;d %iLrkfor dkuu%
 fcuk ef=eMy dh Loh—fr d
 lIn e i'k ugh fd;k tkrkA
 lIn e vu; futh InL; Hkh
 dkb fo/k;d iLrr dj ldr g
 ij ljdkj d leFku d fcuk
 , l fo/k;dk dk ikl gkuk lHko
 ugh gA

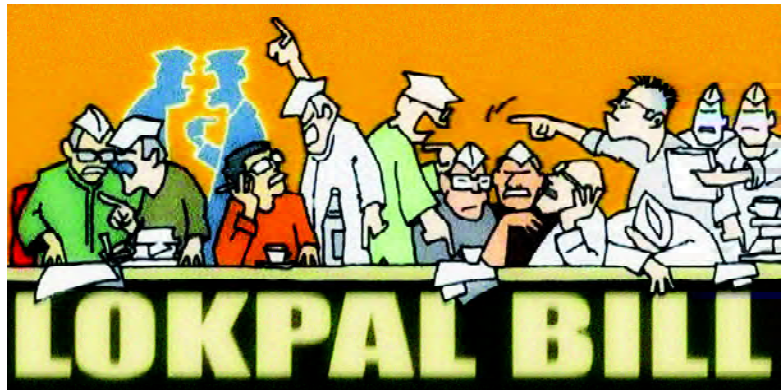
fo/k;d d iLrr fd, tku d
 ckn lIn InL;k dh mi lfevr;k
 e ml ij xgu fo'y"n.k vkj
 fopkj gkrk gA fo/k;dk ij
 fopkj&foe'k e[;r% lInh; lfevr;k e gkrk gA lfevr dh flQkfj'kk dk Inu dk Hk t fn;k tkrk
 gA bu lfevr;k e lHkh lInh; nyk dk ifrfuf/kRo iklr gkrk gA blh dkj.k bu lfevr;k dk ^y?k
 fo/kk;dk* Hkh dgr gA

bl d ckn fo/k;d nkuk Inuk e okn&fookn d ckn ikfjr gkdj Loh—fr d fy, jk"Vifr d ikl
 tkrk gA vxj ef=ifj"kn d ikl lIn e cger g rk og dkuu ikfjr gkuk ik; % fuf'pr gkrk gA

dkuu cuku dh ifØ;k e lIn dk; ikfydk ij fdI idkj fuHkj gl

**bl ckr dk iHkko dkuu ij ldkjRed gkxk ;k udkjRed **

2- dk; ikfydk ij fu;=.k rFkk mldk mRrjnkf;Ro lfuf'pr djuk %& ljdkj ;kuh
 ef=e.My lIn d ifr mRrjnk;h g vkj ik; % lHkh e=h lIn InL; Hkh gkr gA lIn InL; fdI h
 Hkh e=h l mud e=ky; l lcf/kr loky dj ldr g vkj ef=;k dk nkf;Ro g fd o mldk mfpr
 mUkj nA xyr mRrj nu ij e=h dk viu in l gVuk iM ldrk gA lkl nk vkj fo/kk;dk dk
 tuifrfuf/k;k d : i e iHkkoH vkj fuHkd : i l dke dju dh 'kfDr vkj Lor=rk gA mnkgj.k
 d fy, Inu e dN Hkh dgu d ckt n fdI h InL; d fo#) dkb dkuuh dk; okgh ugh dh tk
 ldrhA bl lInh; fo'k"kkf/kdkj dgr gA lIn e i'u vkj fVli.kh uhfr&fuek.k] dkuu ;k uhfr
 dk ykx djr le; rFkk ykx gku d ckn okyh voLFkk] ;kuh fdI h Hkh Lrj ij fd;k tk ldrk gA



fp= 13-3 % ykdiky fo/k;d ij xgu ppk

vxj ljdkj d tokc l lnu lr"V u gk rk lnu ljdkj d fo#) vfo'okl iLrko ikfjr dj ljdkj dk gVk ldrh gA

3- foRrh; dk; iR;d ljdkj dj olyh d }kjk viu [kp d fy, l l/ku tVkrh g yfdu ykdr=e l l n dj yxku rFkk /ku d mi;kx ij fu;=.k j [krh gA gj l ky ef=e. My dh vkj l foRre=h ykd l Hkk e ctV iLrr djrk g ft le l kyHkj ljdkj tk [kp djuk pgrh g mldk C;kjk gkrk g vkj bl [kp d fy, yxk, tk jg dj k dk Hkh iLrko gkrk gA ykd l Hkk bl doy m l l ky d fy, Loh—r djrh g vkj mldh Loh—fr d ckn gh ljdkj ykxk l dj oly ldrh g ;k jktdh; /ku dk 0;; dj ldrh gA l l n dh foRrh; 'kfDr;k m l ljdkj d dk;k d fy, /ku miyC/k djku ;k jkdu dk vf/kdkj nrh gA ljdkj dk viu }kjk [kp fd, x, /ku dk fooj.k Hkh l l n dk nuk iMrk gA

4- cgl dk ep l l n n'k e okn&fookn dk lokPp ep gA fopkj&foe'k dju dh mldh 'kfDr ij dkb vd'k ugh gA l n L;k dk fd l h Hkh fo'k; ij fuHkhdrk l ckyu dh Lor=rk gA bl l l n jk"V d le{k vku oky fd l h ,d ;k gj enn dk fo'y" k.k dj ikrh gA l l nh; ppk xkiuh; ugh

vkj[k 13-1 l l n dh dk;'kfDr;k

- jk"Vifr] mijk"Vifr rFkk U;k; ikfydk d U;k;k/kh'kk dk in l gVku lc/kh t kp iMrky djukA
- vkikrdky dk vueknuA

fofo/k
'kfDr;k

- dkuu fuek.k djuk
- l fo/kku dk l 'kk/ku djuk

fo/kk;h
dk;

l l n d
dk; ,o
'kfDr;k

foYkh;
'kfDr;k

- ctV dh Lohdfr

fuokpu
lc/kh
dk;

- jk"Vifr ,o mijk"Vifr dk fuokpuA

i'kk l fud
'kfDr

- dk; ikfydk ij fu;=.k djukA
- ljdkj dh uhfr;k rFkk dk;k ij fopkj&foe'k vkj mld x.k&nk"kh dh foopuk djukA

gkrh g vkj Vhoh vkj if=dkvk d ek/;e l ij n'k rd igprh g ft l l ij n'k d ykx bu ckrk dk tku ldr gA

5- Ifo/kku l'kk/ku lc/kh dk; %& l ln d ik l Ifo/kku e l'kk/ku dju dh 'kfDr gA l ln d nkuk l nuk dh lo/kkfud 'kfDr;k ,d leku gA iR;d lo/kkfud l'kk/ku dk l ln d nkuk l nuk d }kjk ,d fo'k" k cger l ikfjr gkuk t : jh gA

6- fuokpu lc/kh dk; %& l ln puko lc/kh Hkh dN dk; djrh gA ;g Hkkjr d jk"Vifr d puko e Hkkx yrh g vkj mijk"Vifr dk puko djrh gA

7- U;kf;d dk; %& jk"Vifr] mijk"Vifr rFkk mPp U;k;ky;k vkj lokPp U;k;ky; d U;k;k/kh'kk dk in l gVku d iLrkok ij fopkj dju dk dk; l ln d U;kf;d dk; d vrxx vkrk gA

Ykdr= dh jfkk d fy, bue l dku&l dk; vkidk lcl egRoI.k yxk

;fn l ln ctV u ikfjr dj rk D;k gkxk

ykd l Hkk vkj jkT; l Hkk d oreku v/;f k o mik/;f k dku gl

NRRkh lx< e ykd l Hkk dh fdruh lhV gl f'kfd dh lg;rk l {k=okj l ph cukb,A

NRRkh lx< e jkT; l Hkk dh fdruh lhV gl f'kfd dh lg;rk l irk djA

lkfj;tkuk dk; %& Lk ln d l= d nkju lepkj i=k dk bdVBk dj vkj mld dk; l lcf/kr [kck dk NkVA ; l ln d mi;Dr dk;k e l dku&dku l dk;k l lcf/kr g d{kk e ppk djA

13-12 l?kh; dk; ikfydk %jk"Vifr ,o ef=ifj"kn%

ljdj dk og vx tk fo/kkf;dk }kjk Loh—r uhfr;k vkj dkuuk dk ykx djrk g vkj i'kk/lu dk dke djrk g] dk; ikfydk dgykrk gA t l fd geu n[kk dk; ikfydk dh uhfrfuek.k vkj dkuu cuku e Hkh vge Hkfedk gA dk; ikfydk d vUrxx ge jk"Vifr vkj ef=ifj"kn rFkk i/kkue=h dk v/;u djxA



fp= 13-4 % jk"Vifr Hkou

Rkkfydk 13-2 I?kh; dk; ikfydk

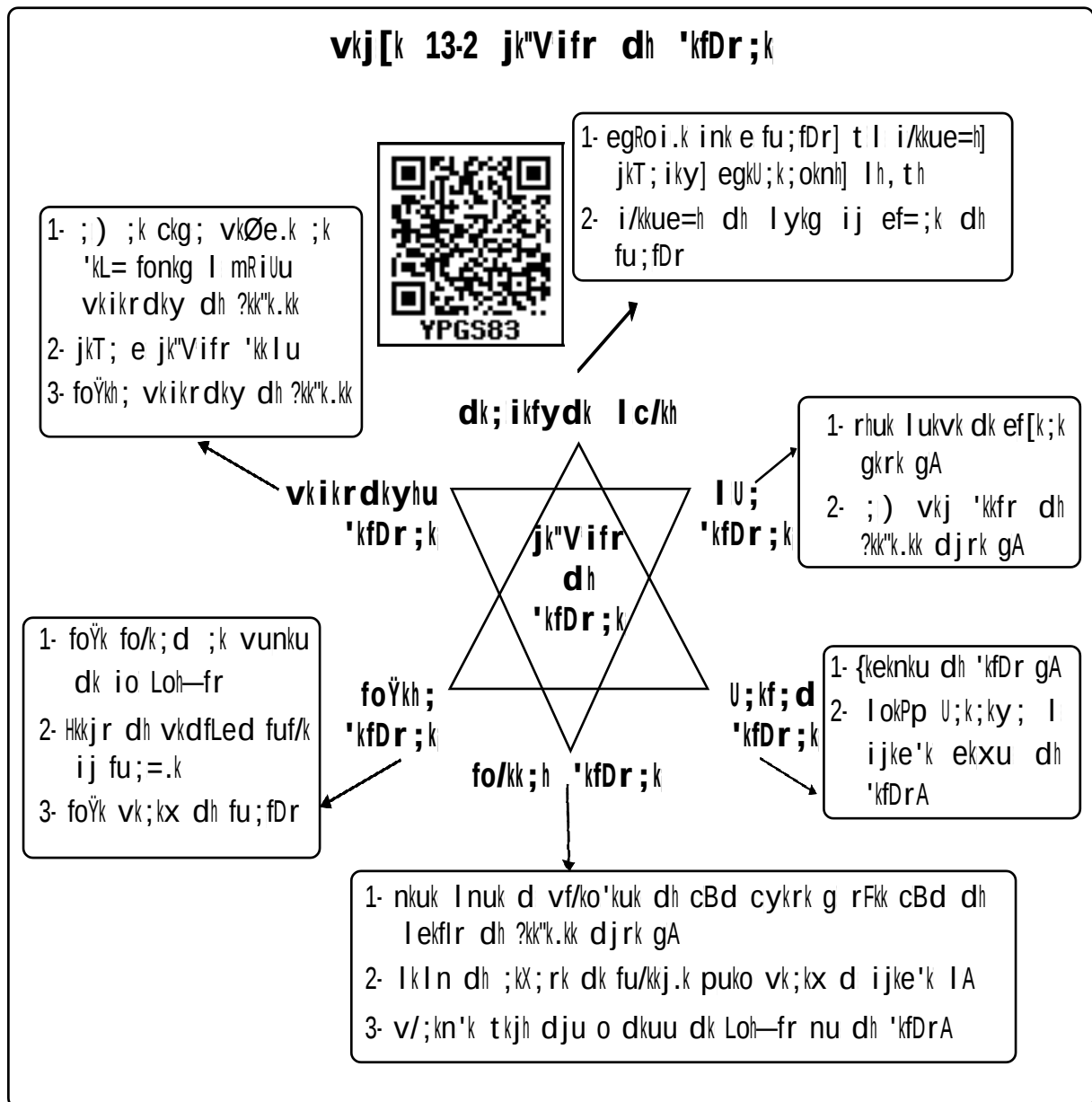
Ø-	fo"K; &oLr	jk"Vifr	mijk"Vifr	i/kkue=h
1	U; ure vk;	35 o"K	35 o"K	25 o"K
2	fuokpu ,o fu; fDr dh i)fr	viR; {k i.kkyh vkuikfrd ifrfuf/kRo dh ,dy lØe.kh; er i)fr& lln vkj jkT; k dh fo/kku lHkkvk d fuokfpr lnl; k }kjkA	viR; {k i.kkyh lln	jk"Vifr }kjk ykd lHkk e cger iklrA
3	'kf{k d ; kX; rk	fu/kkfjr ughA	fu/kkfjr ughA	fu/kkfjr ughA
4	vU; ; kX; rk	ykd lHkk lnl; gku dh ; kX; rk gkA	jkT; lHkk dk lnl; gku dh ; kX; rk gkA	ykd lHkk e cger dk leFkuA
5	'kiFk	mPpre U; k; ky; d e[; U; k; k/kh'k }kjkA	jk"Vifr }kjkA	jk"Vifr }kjkA
6	dk; dky	in xg.k dh frfFk l & 5 o"KA	in xg.k dh frfFk l & 5 o"KA	ykd lHkk dh leflr ; k ykd lHkk dk fo'ok l gku rdA
7	in l gVku dh ifØ; k	egkfHk; kx ft l lln d fd l h Hkh lnu }kjk yk; k tk l drk gA	jkT; lHkk d rRdkyhu lnl; k d cger l ft l l ykd lHkk lger gkA	ykd lHkk e cger u gku ij jk"Vifr }kjk gVku; k tk l drk gA

ukV&'k{k d mDr rkyfydk }kjk lcf/r fo|kfFk; k dh ftKklkvk ij mud l kFk ppk dja

Hkkjr d lfo/kku e vkipkfd : i l l?k dh dk; ikfyd 'kfDr; k jk"Vifr dk nh xb gA vkipkfd : i l jk"Vifr rhuk lukvk %ty] Fky ,o ok; luk% dk i/kku] iFke ukxfjd ,o lo/kkfud v/; {k gkrk gA lHkh egRoi.k fu; fDr; k m l h d }kjk dh trrh gA geu Åij n[kk fd jk"Vifr lln d vf/ko'kuk dk cykrk gA vUrjk"Vh; lf/k; k] le>kr] ;) vkj vkikrdky dh ?kk"K.kk jk"Vifr d }kjk dh trrh gA

jk"Vifr okLro e i/kkue=h d urRo e cuh ef=ifj"kn d ek/; e l bu 'kfDr; k dk i; kx djrk gA lfo/kku d vuPNn 74 e ; g Li"V fd; k x; k g fd βjk"Vifr dk lg; rk vkj lykg nu d fy , d ef=ifj"kn gkxh ft l dk i/kku] i/kkue=h gkxkA jk"Vifr viu —R; k dk i; kx dju e , l h lykg d vulkj dk; djxkAB bl dk vk'k; ; g g fd lokifj gkr g, Hkh jk"Vifr l vi{k g fd og ykxk }kjk lh/k u pu tku d dkj.k vkj lln d ifr token; u gku d dkj.k viu vf/kdk'k vf/kdkjk dk viu food l i; kx ugh djxk vkj og ef=ifj"kn dh lykg l gh djxkA bl idkj ljdkj dk okLrfod i/kku] i/kkue=h gkrk gA

vkj[k 13-2 jk"Vifr dh 'kfDr;k



egkU;k;oknh& Hkkjr ljdkj dk iFke fof/k vf/kdkjh tk ljdkj dk dkuuh lykg nrk gA

lh, th& fu;=d egky[kk ijh{k d tk n'k dh leLr foŸkh; i.kkyh ij utj j[krk g rFkk dk; ikfydk d foŸkh; vknku&inku dh mfpr rFkk vufpr dk r; djrk gA

v/;kn'k& tc l l n dk l= u py jgk gk vkj dkb dkuu cukuk vko'; d gk rk ef=ifj"kn dh vu'k l k ij jk"Vifr bl tkjh djrk gA l l n d l= ikjHk gku d N% l l rkg d vUnj vxj ;g vf/kfu;e ugh curk g rk ;g lelr gk tkrk gA

ijUr dN egRoi.k dk; jk"Vifr viuf food l r; djrK gA mnkgj.k d fy, ykd l Hkk dh cger dh vLi"Vrk dh fLFkr e i/kkue=h dk jk"Vifr Lofood l fu;Dr dj l drk gA fd l h fo/k; d dk ft l l ln u ikfjr dj fn;k gk rk jk"Vifr ml iufopkj d fy, l ln dk oki l dj l drk gA gkykfd ;fn l ln ml fQj l ikfjr dj nrh g rk jk"Vifr dk ml viuh Loh—fr nuk vko'; d gA bl h rjg i/kkue=h o ef=eMy dh flQkfj'kk dk Hkh jk"Vifr iuh fopkj d fy, ykVh l drk gA vxj ef=eMy ml fQj l ikfjr dj nrk g rk jk"Vifr dk ml viuh Loh—fr nuk vko'; d gA

vkpikfjd :lk l lokPp gku ij Hkh jk"Vifr dk 0;ogkj e cgr de 'kfDr;k D;k nh xb gkxh

i/kkue=h vkj ef=ifj"kn

jk"Vifr dk lgk;rk vkj lykg nu d fy, ef=ifj"kn gkrh g ft l dk i/kku i/kkue=h gkrk gA ykd l Hkk d cger ¼vk/k l vf/kd lnL;k dk leFku½ iklr 0;fDr dk jk"Vifr i/kkue=h d :lk e fu;Dr djrK gA i/kkue=h viuf ef=ifj"kn d lnL;k dk purk g ftUg jk"Vifr fu;Dr djrK gA i/kkue=h 0;kogkfjd : i e lokf/kd 'kfDr'kkyh gkrk gA t l k fd geu Åij i<k jk"Vifr i/kkue=h



fp= 13-5 % i/kkue=h dk;ky;

vkj ef=ifj"kn dh vu'k l k d vu: i gh viuf vf/kdk'k vf/kdkjk dk i;kx djrK gA ;fn jk"Vifr ef=ifj"kn dh lykg d fcuk dk; dj rk ;g vlo/kkfud gkxkA i/kkue=h dk ykd l Hkk e cger iklr gku d dkj.k fo/kkf; dk vkj dk; ikfydk nuk ij fu;=.k gkrk gA i/kkue=h jk"Vifr o l ln d chp l r dk dke djrK gA ykd l Hkk fo?kfVr gk t ku ij Hkh ef=ifj"kn leklr ugh gkrhA vxyh ljdkj d xBu gku rd og jk"Vifr dk ijke'k nrh jgrh gA

i/kkue=h dh fu;fDr o ljdkj xBu d fy, ykd l Hkk e cger iklr gkuk pkfg,A cger dk vFk g ykd l Hkk dh dy lnL;k e l de&l&de vk/k l vf/kd lnL;k dk leFku gkuk pkfg,A ;fn oreku ykd l Hkk e dy 543 l k ln l hV g rk mle cger d fy, de&l&de 272 l k ln dk leFku vfuok; gkxkA

ykd l Hkk d lnL; db jktufrd nyk ;k ikfV;k e cV gkr gj t l dkx l ikVh] Hkkjrh; turk ikVh] lektoknh ikVh] cgtu lekt ikVh] dE;fulV ikVh vkfnA db ikfV;k jkT; fo'k" dh Hkh gkrh g t l , vkb , Mh ,e d] r.key dkx l] f'kjkef.k vdkyh ny] vle x.k ifj"knA gjd ikVh dh viuh fopkj/kkj gkrh g vkj uhfr lcf/kr iLrko gkr g ftudk vk/kkj cukdj o puko yMr gA puko d ckn ykd l Hkk e foFkuU ikfV;k d lnL; pudj vkr gA vxj bue l fd l h ,d lkkVh d 272 ;k vf/kd l k ln gk rk mld urk dk i/kkue=h fu;Dr fd;k tkrk g yfdu ;fn fd l h Hkh ny d ikl cger u gk rk ,d l vf/kd ny xBc/ku dj l dr g vkj feydj ljdkj cuk l dr gA xBc/ku nyk d urk dkj i/kkue=h d :lk e jk"Vifr fu;Dr dj l drk gA

bue l dku lk dFku lgh g& dkj.k lfrg ppk dj %&

d- ge'kk lcl cM ny dk urk gh i/kkue=h curk gA

[k- ge'kk ftl 0;fDr dk ykdIHkk d vk/k&l&vf/kd InL; leFku nx ogh i/kkue=h cu ldrk gA

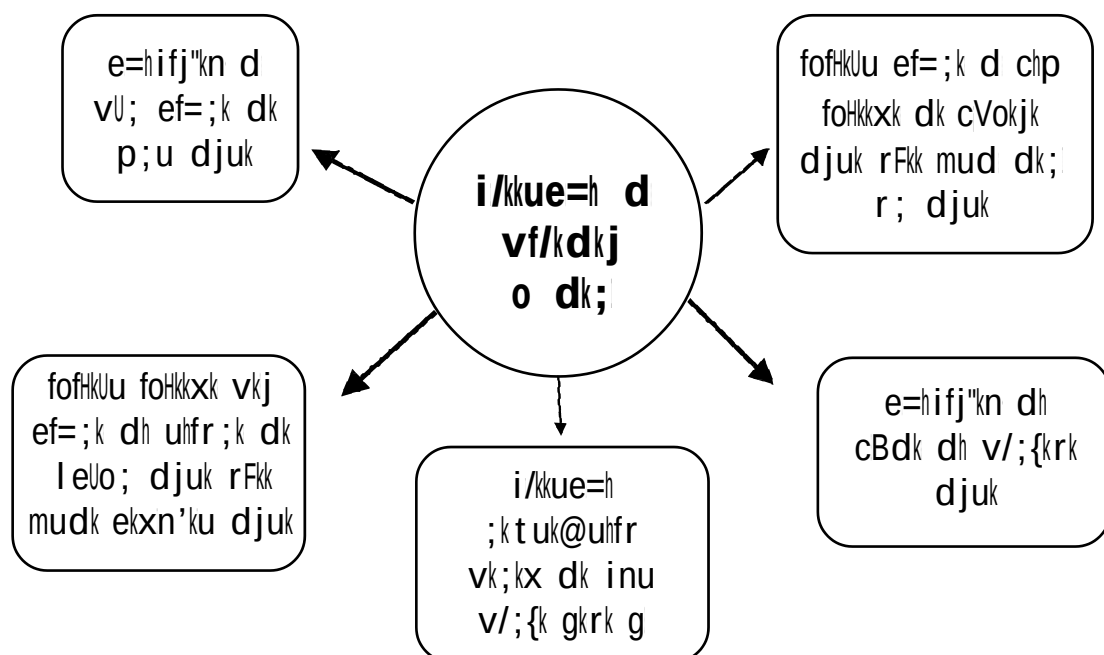
x- ge'kk ogh 0;fDr i/kkue=h cuxk ftl ykdIHkk d lkj ny leFku djxA

i/kkue=h viu ;k lg;kxh nyk d InL;k e l viu ef=ifj"kn d vU; ef=;k dk p;u djrk g vkj mudh ;kx;rk o vuHko d vu:lk mUg fofHkUu fofHkx l kirrk gA ef=eMy dk i/kkue=h d urRo e dk; djuk gkrk gA i/kkue=h ljdkj d lHkh egRo i.k fu.k;k e l fEefyr gkrk g vkj ljdkj dh uhfr;k d ckj e fu.k; yrk gA ge ;g dg ldr g fd dUnh; ljdkj d lpkyu dh /kjh i/kkue=h gkrk gA

ef=ifj"kn ykdIHkk d ifr lkefgd : i l mUkjnk;h g vFkk r tk ljdkj ykdIHkk e fo'okl [kk nrh g ml R;kxi= nuk iMrk gA lkefgd mUkjnkf;Ro dh Hkkouk ;g g fd lkj e=h ,d&nIj d dke dk leFku djx vkj lIne ;k l kotfud :lk e ,d&nIj dh vkykpuk ugh djxA ;g ekuk tkrk g fd lkj e=h ,d&nIj rFkk i/kkue=h dh lgefr l dk; djr gA ;fn fd lh ,d e=h d fo#) ykdIHkk vfo'okl 0;Dr dj rk ef=ifj"kn dk bLrhQk nuk gkrk gA

ef=eMy d InL;rk jkturk gkr g vkj o cgr lfer le; d fy, e=h gkr gA budk e[; dke uhfrxr fu.k; yuk vkj fofHkx vkj ykxk d chp dMh d :lk e dke djuk gkrk gA ef=eMy dk jktufrd dk; ikfydk dgr gA bl d vykok ljdkj ukdj] ifyl vkfn dk ,d cMk <kpk gkrk g ftl i'kk lfud dk; ikfydk dgr gA ; yc le; d fy, fu;Dr gkr g vkj lcf/kr fofHkx d dkedkt e fui.k gkr gA budh enn l ljdkj viuh dk; ikfyd ftEenkfj;k fuHkkrh gA

vkj[k 13-3 % i/kkue=h d vf/kdkj o dk;





13.1.3 न्यायपालिका

न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, यह देखना कि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया है और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य की कानूनी वैधता की जाँच करना भी है। हमारे संविधान में एक विस्तृत और स्तरीकृत न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है। ज़िले स्तर से लेकर पूरे देश के स्तर तक न्यायालय स्थापित है। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। देश में सर्वोच्च न्यायालय है जो भारतीय न्याय व्यवस्था का शिखर है।

हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को 'कानून के शासन के सिद्धांत' के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना ज़रूरी है। 'कानून के शासन' का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह 'कानून के शासन' की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनैतिक दबाव से मुक्त हो। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल आदि संबंधित प्रावधानों में देखा जा सकता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति : सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुरूप उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। पिछले कई दशकों से यह परम्परा बनी है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुरूप ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उसकी व्यक्तिगत राय न हो और वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचारों को भी प्रतिबिंबित करे इसके लिए 'कालेजियम' की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियाँ करेगा। वर्तमान में इस व्यवस्था के गुण-दोषों की विवेचना की जा रही है और इसमें सुधार लाने के प्रयास चल रहे हैं।

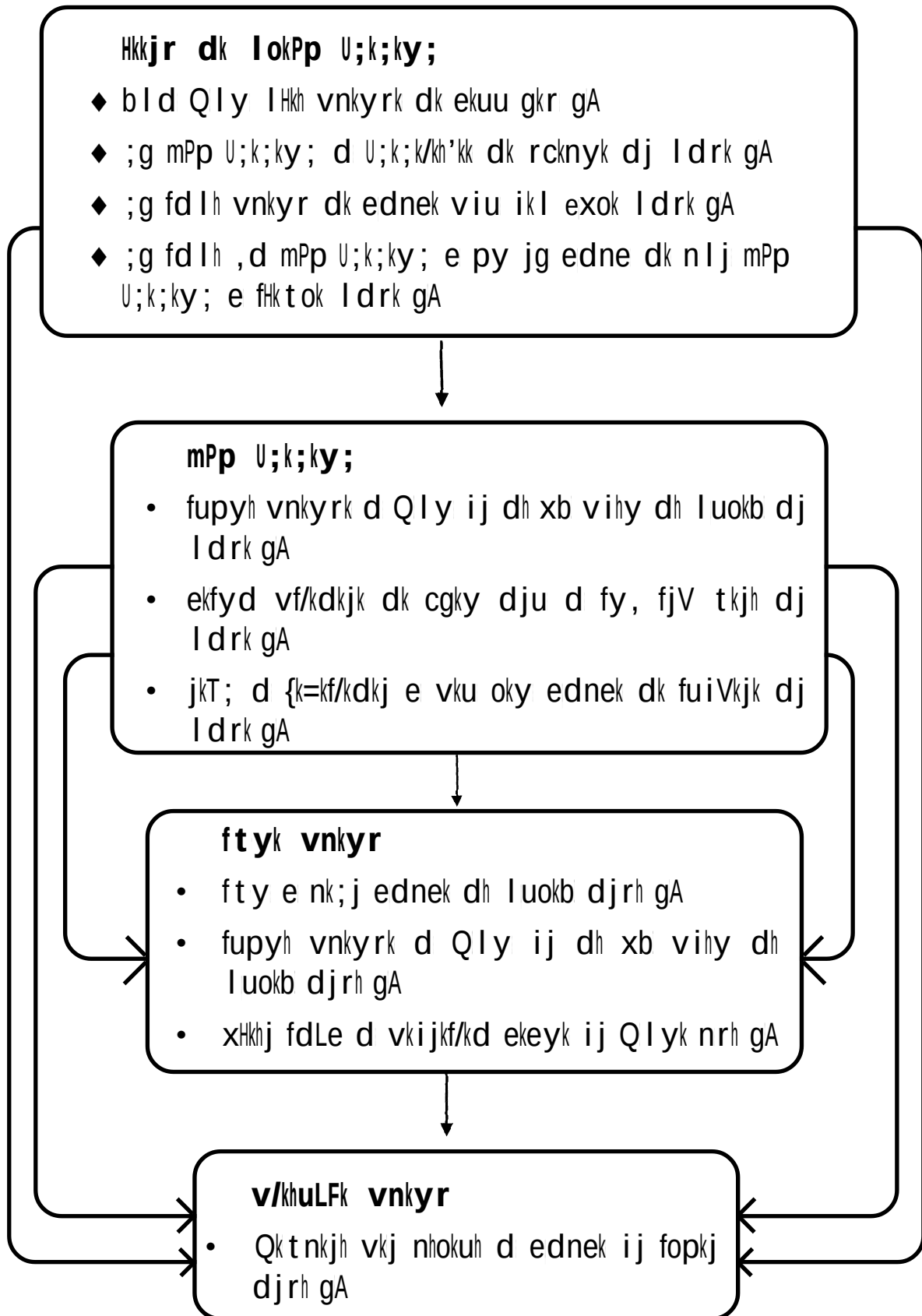
न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न उनकी नियुक्ति में, न ही उनके वेतन निर्धारण में विधायिका की कोई भूमिका है। इस कारण न्यायाधीश दलगत राजनीति व अन्य दबावों से मुक्त होकर अपना काम कर सकते हैं।

भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय है (आरेख 13.4 देखें)। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं।



चित्र 13.6 : सर्वोच्च न्यायालय

vkj[k 13-4 Hkkjr e U;k;ky; 0;oLFkk



Hkkjr dk lokPp U;k;ky;

gekj lfo/kku e lokPp U;k;ky; dk fo'k" LFkk gA vkj[k 13-4 e vki n[k ldr g fd og U;k; ikfydk dh lokPp LFkk gku d ukr fd lh Hkh U;k;ky; dk fun'k n ldrk g vkj mud fu.k;k dk iyV ldrk gA mld fu.k;k dk ntk dkuu d led{k gkrk gA

lokPp U;k;ky; d dN ie[k dke bl idkj g %

- 1- nhokuh] Qktnkj rFkk lo/kkfud lokyk l tM v/khuLFk U;k;ky; d ednek dh vihy ij luokb djukA
- 2- l?k vkj jkT;k d chp rFkk fofHku jkT;k d vki lh fooknk dk fuiVkj djukA
- 3- tufgr d ekeyk rFkk dkuu d ely ij jk"Vifr dk lykg nukA
- 4- 0;fDr d ekfyd vf/kdkjk dh j{k d fy, ;kfpdk ludj vkn'k tkjh djukA

bl idkj ge n[k ldr g fd ukxfjdk d ykdrkf=d vf/kdkjk dh j{k dju e] dkuu dh lokPprk cuk, j[ku e rFkk jkT; d fØ;kdykik dk lfo/kku d e;knkvk d vUnj cuk, j[ku e li.k U;k;r= vkj fo'k"dk lokPp U;k;ky; dh vfregroi.k Hkfedk gA

U;k;ikfydk db Lrjk e gku l D;k Qk;n gk ldr gl

fo/kkf;dk vkj dk;ikfydk d iHkko l U;k;ikfydk dk Lor= j[kuk D;k vko';d gl

U;k;k/kh'kk dh fu;fDr e ef=ifj"kn rFkk fo/kkf;dk dh Hkfedk dk fdl rjg l hfer j[kk x;k gl

U;k;k/kh'kk dh fu;fDr e dkb ,d 0;fDr gkoh ugh gk bld fy, D;k ijEijk, cukb xb gl

Ukxfjdk d ekfyd vf/kdkjk dh j{k d fy, ge fdu&fdu U;k;ky;k e tk ldr gl

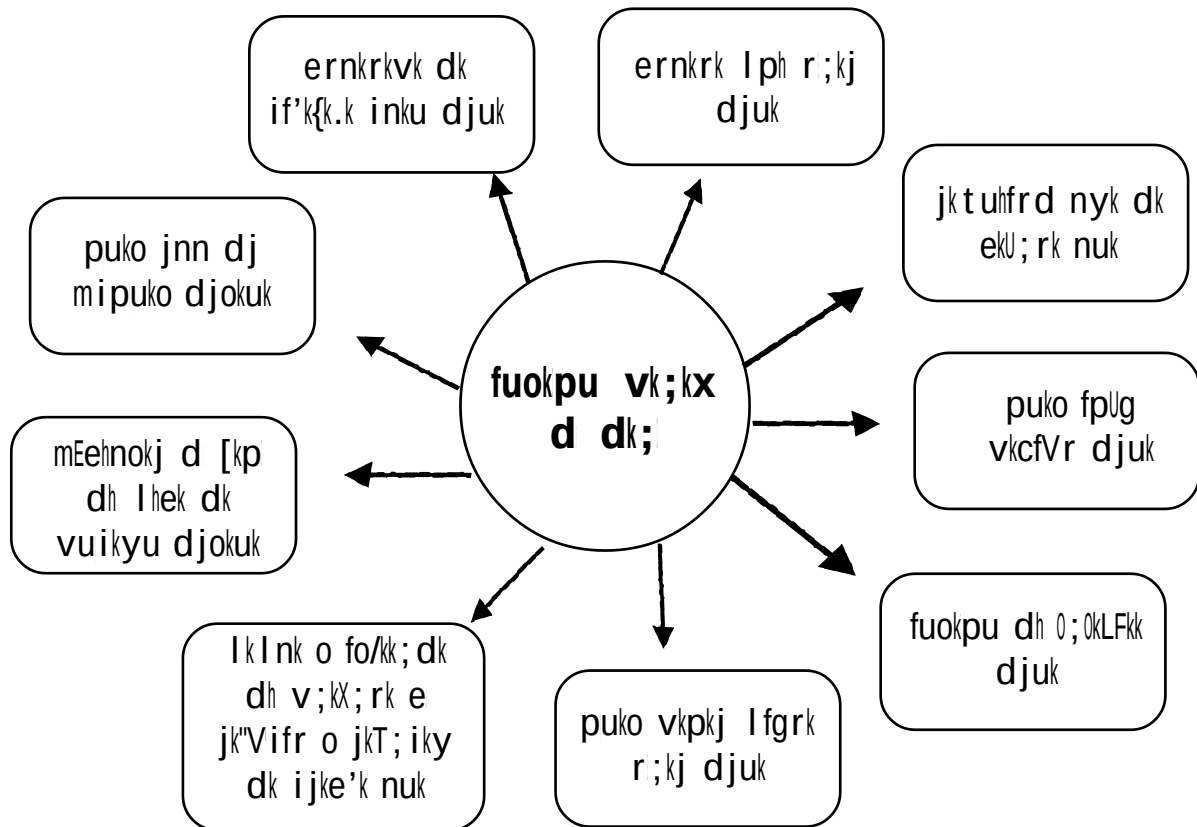
ikykoje ck/k ifj;ktuk e NRrhIx<] ryxkuk vkj vk/kin'k d chp ikuh d mi;kx dk ydj fookn ij fu.k; dku n ldrk gl

f'k{kk l lcf/r dkuu dk ydj dUn ljdkj vkj fdlh jkT; ljdkj d chp fookn g & bldh luokb fdl U;k;ky; e gkxh

fuokpu vk;kx

gekjh ykdrkf=d i.kkyh e fuokpu ;k puko cgr egroi.k gA lkl n o fo/kk;dk d vykok jk"Vifr] mijk"Vifr] jkT; lHk d lnL;k dk fuokpu fd;k tkrk gA bud fuokpu dh 0;oLFkk fuokpu vk;kx djrk g ftldk iko/kku lfo/kku e fd;k x;k gA fuokpu vk;kx e e[; fuokpu vk;Dr lfrg rhu lnL; gkr gA budh fu;fDrk i/kkue=h dh vu'klk ij jk"Vifr }kjk dh tkrh gA fuokpu vk;kx fu"i{k puko dj, bld fy, ml fo'k"k vf/kdkj fn, x, gA

iR;d jkT; dk Hkh ,d fuokpu vk;kx gkrk gA jkT; fuokpu vk;kx ipk;rk vkj uxjikfydk vkfn LFkkuh; Lo'kklh lLFkkvk dk fuokpu djokrk gA mnkgj.k d fy, ipk;rhjkt pukoA

vkj[k 13-5 % fuokpu vk;kx**13-2 Ifo/kku vkj lkekftd cnyko d volj**

Hkkjrh; Ifo/kku d fo'k"K xkufoy vkfLVu dk dguk g fd Hkkjrh; Ifo/kku e rhu ie[k rRo g tk vkil e lgrk d lFk xFk g, g& ; g jk"Vh; ,drk ykdr= vkj lkekftd ifjoru Hkkjrh e jk"Vh; ,drk dh dYiuk ykdr= o lkekftd ifjoru d cxj ugh dh tk ldrh gA blh idkj lkekftd ifjoru ,drk o ykdr= d fcuk ugh gk ldrk gA

Ifo/kku dk Ifo/kku lHkk e ilrr djr g, Mk- Hkhejko vcMdj u bl Ifo/kku d le{k nk [krjk dh vkj b'kkjk fd;ka igyk lkekftd vlekurk vkj nllk tfrok d dkj.k lekt e Hkkbpkj dk vHkkoA [^]Hkkjrh; lekt Lrjh—r vkj vlekurk d fl)krk ij vk/kkfjr g tdk dN ykxk d ik l vlhe /ku g vkj vfkdk'k vR;Ur xjhch e jgr gA 26 tuojuh 1950 dk ge fojk/kkHkk l k l Hkj thou e io'k dju tk jg gA jktuhr d ekey e gekj ;gk lekurk gkxh ij vkfFkd vkj lkekftd thou vlekurkvk l Hkj gkxkA --ge viu lkekftd vkj vkfFkd thou e dc rd lekurk dk udkjr jgx\ vxj ;g udkjuk T;knk yc le; rd pyk rk ge viu jktufrd ykdr= dk gh ldV e MkyxA ge bl fojk/kkHkk l dk tYn&l&tYn lelr djuk gkxk ojuk tk ykx bl vlekurk l =Lr g o bl jktufrd ykdr= dk <kpkj ft l bl lHkk u bruh egur l cuk; k gj dk /oLr dj nxA --Hkkjrh vHkh ,d jk"V ugh g & tk ykx g tkjk tfr; k e cV g o ,d jk"V d l gk ldr g\--- tfr; k jk"V fojk/kh g D; kfd o foHkUu tfr; k d chp vki l h b"; k vkj }"k ink djr h gA vxj ge oLro e ,d jk"V cukuk g rk bl leL; k l fuiVuk gkxkA % Ifo/kku lHkk dk;fooj.k] 24] uocj 1949% Mk- vcMdj dk dguk Fkk fd tc rd ge lekt e Lor=rkj lekurk vkj Hkkbpkj dk LFkkfir ugh djx rc rd jktufrd ykdr= vLFkj cuk jgxkA

gekj lfo/kku fuekrk bl ckr l lger Fk fd lo/kkfud rjhd l lekt e eyHkr ifjoru ykuk
g vkj lfo/kku , lk cu tk bl cnyko dk lHko cuk, vkj mldh fn'kk fu/kkfjr dJA bl ckr dk
ydyj Hkh lgefz Fkh fd vxj bl lfo/kku dk dkb iko/kku Ilekftd cnyko d vkM vkrk g rk
lfo/kku e mfpr ifØ;k l l'kk/ku fd;k tk,A

vefjdk t l n'kk d lfo/kku o;fDr d Lor=rk vkj ykdr= dk etcr dju ij tkj nr gA bl d
foijhr lfo;r : l ;k phu t l dN vkj n'k d lfo/kku Ilekftd ifjoru yku d fy, jkT; dk
etcr dju ij tkj nr gA Hkkjrh; lfo/kku fuekrkvk dk i;k l Fkk fd Hkkjr e ykdr= vkj
O;fDr;k d futh vf/kdkjk dk ln< djr g, jkT; dk Ilekftd ifjoru yku d fy, lk;klr : lk
l l'kDr cuk,A lfo/kku fuekrkvk dh dYiuk e Hkkjrh; jkT; doy dkuu O;oLFkk cuk, j[ku dk
dke ugh djxk exj lfn;k l py vk jg HknHkkok o vlekurkvk dk fevku rFkk 200 o"n dh
vkifuo'kh 'kklu l fiNMh vFkO;oLFkk dk l/kkju dk ftEek mBk,xkA bl mnn'; dk lfuf'pr
dju d fy, lfo/kku e ekfyd vf/kdkj dh foLrr lph vfdr g vkj lkFk gh mle ,d vuBk
v/;k; tkMk x;k ft l ^jkT; d ekxn'kd rRo* dgr gA lfo/kku d vuPNn 37 e dgk x;k g
fd ; ^rRo n'k d 'kklu e eyHkr g vkj fof/k cuk e bu rRok dk ykx djuk jkT; dk drO;
gkxkA** bu rRok e l dN ie[k rRo fuEufyf[kr g % &

jkT; ykddY;k.k d fy, O;oLFkk cuk,xk & lHkh {k=k e Ilekftd U;k; lfuf'pr dju rFkk
vk;] ifr"Bk vkj lfo/kkvk o voljk dh vlekurk lelr dju dk i;k l djxkA

efgykvk o i:"kk d chp lekurk yuk & lekt d Hkkfrd vkj mRiknd l lk/kuk dk
U;k; lxr cVokjk] dkj[kkuk e mfpr dke d gkyr vkj oru] cPpk d fgrk dh j{k k rFkk lcd fy,
14 lky dh vk; rd fu%kYd f'k{k dh O;oLFkk] vulfpr tkfr] tutkfr o vU; ncy oxk d
'k{kf.kd vkj vkfFkd fgrk dh vfHkof) vkfna

Ilekftd cnyko d fy, lfo/kku e l'kk/ku

lfo/kku cukr le; ;g Li"V fd;k x;k fd ukxfjdk d ekfyd vf/kdkj v l he ugh gkx vkj jk"V
dh O;kid t:jrk dk /;ku e j[kr g, jkT; ekfyd vf/kdkjk dk fu;f=r dj ldrk g yfdu
lfo/kku d cur gh lekt d o ykx tk Ilekftd cnyko d fo#) Fk mUgku U;k;ky;k dh 'kj.k
yha dN ykxk dk vulfpr tkfr;k d fy, fd, x, fo'k"n dkuuk l rk vU; dk tehnikh iFkk
mUeyu l ij'kkuh Fkh A bl ifjLFkr dk n[kr g, lfo/kku e igyk l'kk/ku 1951 e gh cgr rh[k
fookn d chp fd;k x;kA

ml le; vud ikrk e 'k{kf.kd lLFkkuk e vulfpr tkfr;k vkj vulfpr tutkfr;k d fy,
vkj{k.k dh O;oLFkk dh xb Fkh tk ,d nf"V l lerk d vf/kdkj d fo#) Fk exj ,lh tkfr;k d
fy, volj dh lekurk miyC/k djku d fy, vko'; d FkA

blh dkj.k iFke lfo/kku l'kk/ku }kjk ekfyd vf/kdkj oky v/;k; d vuPNnk e bl rjg d
iko/kku lfefyr fd, x, ^bl vuPNn --dh dkb ckr jkT; dk Ilekftd vkj 'k{kf.kd nf"V l fiNM
g, ukxfjdk d fdUgh oxk dh mUufr d fy, ;k vulfpr tkfr;k vkj vulfpr tutkfr;k d fy,
dkb fo'k"n mic/k dju l fuokfjr ugh djxhAß

1947 l gh n'k dh ljdkjk u tehnikh vkj cxkjh iFkk mUeyu d fy, dkuu cuk, vkj tehnikh

की ज़मीनों को भूमिहीनों में बाँटने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। किसान इसके लिए ज़बरदस्त दबाव डाल रहे थे और भारत के कई भागों में उनका सशस्त्र विद्रोह शुरू हो रहा था। अतः भूमि सुधार को और नहीं टाला जा सकता था लेकिन बड़े भूस्वामी न्यायालयों में जाकर इन कानूनों पर रोक लगाने में सफल हुए।

अतः प्रथम संशोधन के द्वारा यह प्रावधान रखा गया कि जिन कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में रखा जाएगा उन्हें किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकेगा। उस समय के अधिकांश भूमि सुधार कानूनों को इस अनुसूची में शामिल किया गया और न्यायालयों ने इन्हें स्वीकार किया।

ज़मींदारी प्रथा तो समाप्त की गई मगर बड़े भूस्वामियों से ज़मीन लेकर भूमिहीन कृषकों व मज़दूरों को वितरित करने में लगातार कानूनी व प्रशासनिक अड़चनें बनी रहीं जिसके चलते संविधान में कई और संशोधन किए गए। भूस्वामियों का दावा था कि संविधान के बुनियादी अधिकारों में संपत्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से सम्मिलित है अतः किसी की संपत्ति को छीनना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। इन दावों को देखते हुए 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन (44वें संविधान संशोधन) के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया।

शिक्षा का अधिकार : जैसे कि हमने पहले देखा था, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था लेकिन स्वतंत्रता के 70 साल होने पर भी हम सभी बच्चों को निशुल्क तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए। 1993 में एक महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार माना। न्यायालय का कहना था कि जीने का मौलिक अधिकार सार्थक तभी होगा जब लोगों को उचित शिक्षा मिले। इस फैसले को देखते हुए संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया। अब देश के प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बीच स्कूल में नियमित रूप से शिक्षित करना राज्य का दायित्व बन गया।



इन उदाहरणों से स्पष्ट होगा कि किस तरह हमारे संविधान में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रावधान किया गया है।

अगर समाज में आर्थिक असमानता नहीं मिटाई गई तो राष्ट्रीय एकता पर उसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा?

पिछले 60 वर्षों में हमारे देश में सामाजिक असमानता किस हद तक घटी है या बढ़ी है? इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर होगा?

आपके क्षेत्र में प्रचलित गौंटिया प्रथा के बारे में पता करें। इसे किस तरह समाप्त किया गया? क्या इसके कुछ अंश आज भी मौजूद हैं?

संपत्ति के अधिकार और सरकार द्वारा भूमि अर्जन का मामला फिर से चर्चा में रहा है। इससे संबंधित समाचारों को इकट्ठा करें और कक्षा में उनका सारांश प्रस्तुत कर चर्चा करें। 1950-1980 में जो भूमि अर्जन हो रहा था और आजकल जो भूमि अर्जन हो रहा है उनमें आपको क्या समानताएँ व अन्तर दिखाई देते हैं?

शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशक तत्व की जगह मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने से क्या अन्तर पड़ता? यह सामाजिक परिवर्तन को किस तरह मदद करता?

13.3 Ifo/kku dk fodflr gkrk gvk LOk: i

Hkkjr dk Ifo/kku yxkrkj u;k Lo: i y jgk gA bl l tM dN mnkgj.k geu vc rd n[k t l & f'kqkk d vf/kdkj dk ekfyd vf/kdkj dk ntk feyKA l i fRr d vf/kdkj dk ekfyd vf/kdkj k l gVkdj dkuuh vf/kdkj cuk fn;k x;kA Ifo/kku e cnyko dk Ifo/kku l 'kk/ku dgr gA Ifo/kku e l 'kk/ku l l n d }kjk fd, tkr gA Ifo/kku d fodflr gkr g, Lo: i dk ge fuEukfdr mnkgj.kk d ek/e l vkj Li"V : i l le> l dr g &

1976 e Ifo/kku e db cnyko fd, x,A iLrkouk e ^lektoknh* vkj iFk ^fuji{k* 'kCn t kM x,A l ektoknh 'kCn dk t kMdj ;g Li"V fd;k x;k fd l jdkj Hkkjr d yxk dh l ekrk d fy, i;k l d jrh jgxhA iFk fuji{k r k 'kCn dk t kMdj Li"V dj fn;k x;k fd j kT; /ke d vk/kkj ij fd l h idkj dk HknHkko u d j r g, i R; d 0; fDr d l kFk ,d ukxfjd d : i e 0; ogkj d j x kA gkykfd igy Hkh 'kk l u e bu eY;k dk 'kkfey fd;k x;k Fkk] 1976 d l 'kk/ku l bl Ifo/kku e LFkku n fn;k x;kA bl h idkj Ifo/kku e j kT; }kjk fu'kYd dkuuh l gk;rk dh 0; oLFk Hkh dh x bA

Iekt d vkfFkd : i l detkj ox tk U;k;ky; rd ugh tk ikr Fk] o vkt bl h cnyko d dkj.k U;k; d gdnkj gk x, g D;kfd mUg fu'kYd dkuuh l gk;rk miyC/k djoku dh ftEenkhj vc l jdkj u y y h gA bl h idkj etnj k dk 'kk" k. k eDr dju vkj Ilekt d U;k; inku dju d fy, dkj[kkuk d ic/ku e etnj k dh Hkkxhkhj l fuf'Pkr dju dh fn'kk e ,d Økfrdkjh dne jgk gA bl h idkj 1992 e Ifo/kku e ,d vkj cnyko fd;k x;kA vc rd Ifo/kku e 'kFDr;k dk forj.k dUn vkj j kT;k d gh Lrjk ij FkA 73o o 74o l 'kk/ku }kjk 'kFDr;k d forj.k d rh l j Lrj dh 0; oLFk dh x bA xkeh.k LFkkuh; 'kk l u d fy, ipk; rhj k t 0; oLFk vkj 'kgjh LFkkuh; 'kk l u d fy, 'kgjh fudk;k dh 0; oLFk dh x bA bud ckj e ge foLrkj l fiNy d {kkvk e i < dj vk, gA bl ifjoru d ifj.kkeLo: i vc i R; d xko vkj 'kgj e yxk dh Hkkxhkhj 'kk l u e c< x b gA Iekt d foHkUu oxk & vulfpr tkfr] vulfpr tutkfr vkj efgykvk dk bu l LFkvvk e vkj{k.k d ek/e l vx vku dk volj Hkh bl cnyko l c< k gA

vr% ;g dgk tk l drk g fd Hkkjr d Ifo/kku dk Lo: i fodflr gk jgk gA fd l h Hkh l ekt dh n'kk vkj fn'kk dk fu/kkjd m l dk Ifo/kku gkrk gA fo'k" k : i l ykdrkf=d l ekt k e Ifo/kku dh Hkfedk vkj Hkh egRo i.k gk tkrh gA t l k fd geu i < k fd Ifo/kku d cuu d ckn l vkt rd Ifo/kku e db cnyko g, gA geu fiNy v/;k; e iLrkouk e i < k Fk fd gekj Ifo/kku u fd l idkj d l ekt dh jpuk dk mnn'; j[kk gA Ifo/kku e g, cnyko bUgh mnn'; k dh rjQ c< u d fy, fd, x, gA l kFk gh l ekt dh cnyrh t : jrk d fy, Hkh Ifo/kku e cnyko dh t : j r iMrh g] t l & 1989 e erkf/kdkj dh vk; 21 o" k l ?kVkdj 18 o" k dh x b yfdu U;k; i.k] l erk;Dr l ekt dh jpuk d fy, l Hkh ukxfjd dk ,d l fØ; ukxfjd d : i e viuk ;kxnu nuk gkxkA

vH;k l



1-ykdr= e 'kFDr dk fodUnhdj.k vkj 'kFDr foHkktu dk D;k egRo g\ Hkkjr e 'kFDr dk fodUnhdj.k fdru Lrjk ij fd;k x;k g\

2- l l n dk U;k;fd d dke D;k g\ bl dke dk mPpre U;k;ky; dk u ndj l l n dk D;k fn;k x;k gkxk\

- 3- vkykd ekurk g fd fd lh n'k dk dkjxj ljdkj dh t : jr gkrh g tk turk dh Hkykb
dja vr% ;fn ge lh/k&lh/k viuk i/kkue=h vkj ef=x.k pu y vkj 'kk lu dk dke mu
ij NkM nj rk ge fo/kkf; dk dh Tk : jr ugh iMxhA D; k vki bli lger g\ viuh mRRkj
dk dkj.k crk,A
- 4- f}&lruh; i.kkyh d x.k&nk"kk d lnHk e bu rdk dk if<, vkj bul viuh lgefr&vlgefr
d dkj.k crkb,A
d- f}&lruh; i.kkyh l dkb mnn'; ugh l/rkA
[k- jkT; lHkk e fo'k"kk dk euku; u gkuk pkfg,A
x- ;fn dkb n'k l?kh; ugh g rk fQj n l j lnu dh Tk : jr ugh jg tkrhA
- 5- ykd lHkk dk; ikfydk ij dkjxj <x l fu;=.k j[ku dh ugh cfYd tuHkkoukvk vkj turk
dh vi{kkvk dh vfHkO; fDr dk ep gA D; k vki bli lger g\ dkj.k crk,A
- 6- uhp l ln dk T; knk dkjxj cuku d dN iLrko fy[k tk jg gA bue l iR; d d l kFk
viuh lgefr ; k vlgefr dk mYy[k dja ; g Hkh crk, fd bu l>kok dk ekuu d D; k
iHkko gx\
- d- l ln dk vi{kk—r T; knk le; rd dke djuk pkfg,A
[k- l ln d lnL; k dh lnu e ektnxh vfuok; dj nh tkuh pkfg,A
x- v/; {k dk ; g vf/kdj gkuk pkfg, fd lnu dh dk; okgh e ck/kk ink dju ij lnL;
dk nfMr dj l dA
- 7- vxj e=h gh vf/kdk'k egRoi.k fo/k; d iLrr djr g vkj cgl[; d ny vkerkj ij
ljdkjh fo/k; d dk ikfjr dj nrk g] rk fQj dkuu cuku dh ifØ; k e l ln dh Hkfedk D; k
g\
- 8- Hkkjrh; dk; ikfydk vkj l ln d chp dk D; k fj'rk g& bue l pu %
d- nkuk ,d&n l j l fcYdy Lor= gA
[k- dk; ikfydk l ln }kj k fuokfpr gA
x- l ln dk; ikfydk d : i e dke d jrh gA
?k- dk; ikfydk l ln d cger d leFku ij fuHkj gA
- 9- fuEufyf[kr lokn i< vkj crk, vki fd l rd l lger g vkj D; k\
vfer % lfo/kku d iko/kkuk dk n[ku l yxrk g fd jk"Vifr dk dke flQ Blik ekjuk gA
jek % jk"Vifr i/kkue=h dh fu; fDr d jrk gA bl dkj.k m l i/kkue=h dk gVku dk Hkh
vf/kdj gkuk pkfg,A
jk t'k % ge jk"Vifr dh Tk : jr ughA puko d ckn] l ln cBd cykdj ,d urk pu l drh
g tk i/kkue=h cuA

- 10- nk , lh ifjflFkfr;k d ckj e irk dj tc Hkkjr d jk"Vifr u l ln d fd lh fo/k; d dk iufopkj d fy, ykVk;k gkA mud ckj e irk dj fd jk"Vifr u D;k ykVk;k rFkk vUr e D;k gv\
- 11- Hkkjr h; ykdr= e i/kkue=h ,d /kj h d :lk e dke djrk gA og euekuh ugh dj vkj rkuk'kkg u cu bldk fdu&fdu rjhd l l fuf'pr fd;k x;k g\
- 12- i'kk lfud dk; ikfydk fd l d ifr token; g & jk tufd dk; ikfydk d ifr ;k l ln d ifr\
- 13- U;k; ikfydk dh Lor=rk dk lfuf'pr dju d fofHkUu rjhd dku&dku l g\ fuEufyf[kr e tk cey gk mI NkVA
 d- lokPp U;k;ky; d vU; U;k;k/kh'kk dh fu;fDr e lokPp U;k;ky; d e[; U;k;k/kh'k l lykg yh tkrh gA
 [k- U;k;k/kh'kk dk veeu vodk'k ikflr dh vk; l igy ugh gVk;k tkrkA
 x- mPp U;k;ky; d U;k;k/kh'k dk rcnyk nIj mPp U;k;ky; e ugh fd;k tk l drkA
 ?k- U;k;k/kh'kk dh fu;fDr e l ln dh n[ky ugh gA
- 14- D;k U;k; ikfydk dh Lor=rk dk vFk ;g g fd U;k; ikfydk fd lh d ifr tokcng ugh g\ viuk mRrj vf/kdre 100 'kCnk e fy[kA
- 15- U;k; ikfydk dh Lor=rk dk cuk, j[ku d fy, lfo/kku d fofHkUu iko/kku dku&dku l g\
- 16- Lkekftd cnyko yku d fy, lfo/kku e Hkkjr h; jkT; dk cgr&lh 'kfDr;k nh xb gA D;k vkidk yxr g fd bu 'kfDr;k dk mfpr mi;kx fd;k x;k g\ D;k ;g ofpr vkj xjhc rcdk d fgr e fd;k x;k g ;k iHkko'kkyh rcdk d i{k e fd;k x;k g\

ifj;k tuk dk;%&

- 1- fd lh 'kkldh; lLFkk %gkLi hVy] Mkd?kj] vkxuokMh---½ e tkdj ogk dk; dju oky ykxk dk in] dk; vkj pukfr;k dk irk yxkb,A mud dk; dk cgrj dju d fy, l>ko nhft ,A pkV d ek;/e l viuk dk; dk d{kk e iLrr dhft ,A
- 2- vkid {k= e fLFkr LFkkuh; lLFkk %xkeipk;r uxjikfydk] uxjij"kn] uxjfuxe---½ e tkdj irk dhft , fd mleefgykvk] vulfpr tkfr;k] vulfpr tutkfr;k d fdru&fdru ykx gA mud dk;k d ckj e irk dhft ,A viuk dk; dk pkV d ek;/e l d{kk e iLrr dhft ,A
- 3- mPp U;k;ky;k vkj lokPp U;k;ky; l lcf/kr fu.k;k dh [kcjk dk v[kckjk e l ,df=r dhft ,A bu g ,d pkV ij yxkdj bu ij ppk dhft ,A

14



स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली

पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान द्वारा शासन—प्रशासन को चलाने के लिए कौन—कौन से ढाँचे बनाए गए हैं? ये ढाँचे क्या—क्या कार्य करते हैं व इनके आपसी संबंध किस तरह के हैं? इस अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक राजनीति ज़मीनी स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ी है? देश की आर्थिक और विदेश नीति को किस तरह बनाया गया और चलाया गया? देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों की आवश्यकताएँ और आकांक्षाएँ क्या रही हैं? सरकारों ने उन्हें पूरा करने के लिए क्या—क्या प्रयास किए? हम इसका विश्लेषण करेंगे।

संविधान में एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया था। इन लक्ष्यों में लोकतंत्र को क्रियाशील व जीवंत बनाना, देश का राजनैतिक रूप में एकीकरण करना तथा बड़े पैमाने पर ऐसे ढाँचों को निर्मित व मज़बूत करना था जिनके द्वारा आवश्यक सामाजिक और आर्थिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित ढाँचों को बहुत कम समय में आकार देकर उन्हें क्रियाशील बनाना नवस्वतंत्र देश के लिए चुनौती भरा काम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों को यह साबित करना था कि वे अपनी एकता और अखंडता को बनाकर रखते हुए न केवल लोकतांत्रिक ढंग से काम कर सकते हैं अपितु देश में व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी ला सकते हैं। अब हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए निम्नांकित घटनाओं का विश्लेषण करेंगे।

14.1 पहला आम चुनाव 1952 — भारत के नए संविधान के अनुसार पहले आम चुनाव आयोजित करना भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सफलता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती था। हालाँकि हमारा संविधान 1950 में ही लागू हो गया था लेकिन पहला आम चुनाव 1952 में सम्पन्न हुआ। लगभग 18 करोड़ लोगों को मतदान करना था। इसके लिए बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत थी। भारत में पहली बार हर वयस्क महिला और पुरुष को चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला था। सबसे पहले सभी मतदाताओं की सूची तैयार करना था। भारत के भौगोलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं था। मतदाताओं को चुनाव की प्रक्रिया समझाना और उन्हें मतदान के लिए तैयार करना था और सुदूर अंचलों में भी



चित्र 14.1 : चुनाव केन्द्र में हर उम्मीदवार के लिए अलग पेटी।
अपने पसंद के उम्मीदवार की पेटी को खोजता एक मतदाता

मतदान केन्द्र स्थापित करके चुनाव अधिकारियों को तैनात करना था।

देश के 85 प्रतिशत लोग निरक्षर थे। वे कैसे उम्मीदवारों के नामों को पहचानकर सही तरीके से मतदान कर सकते थे? चुनाव आयोग ने ऐसे में एक नवाचार किया – मतपत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हों के द्वारा दिखाया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग बक्सा रखा गया था और मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार का वोट उस उम्मीदवार के लिए निर्धारित बक्से में डालना था।

पहला आम चुनाव करवाने के लिए सरकार को क्या-क्या तैयारियाँ करनी पड़ी होगी? शिक्षक की सहायता से आपस में चर्चा करें।

पहला आम चुनाव आज के चुनावों से किस तरह से अलग था?

पहला आम चुनाव, खास बातें :-

- ◆ पहली बार वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला।
- ◆ सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की।
- ◆ सारे राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही सम्पन्न हुए।
- ◆ इस समय कुल 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए जिनमें 85 प्रतिशत निरक्षर थे।
- ◆ लगभग 2,24,000 मतदान केन्द्र बनाए गए थे। करीब प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर एक मतदान केन्द्र बनाया गया था। लगभग 10 लाख अधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया में तैनात किया गया था।

चुनावों की व्यवस्थाएँ :-

- जिन इलाकों में पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन होता था उन इलाकों में महिलाओं के लिए अलग से मतदान केन्द्र बनाए गए थे। इन केन्द्रों पर केवल महिला कर्मचारी तैनात थे।
- अजमेर के एक मतदान केन्द्र पर पूरी तरह से ढंके हुए स्थ में बैठकर एक महिला आई। उसका सारा शरीर मखमली कपड़े से ढका हुआ था केवल एक उंगली ही दिखाई दे रही थी जोकि मतदान करने से पहले स्याही का निशान लगाने के लिए अनिवार्य थी।
- कुछ गाँवों ने एक इकाई के रूप में मतदान किया। असम के एक आदिवासी गाँव से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उस गाँव के लोग एक दिन की लंबी यात्रा करके अपने मतदान केन्द्र तक पहुँचे। उन्होंने रात अलाव के सामने नाचते-गाते हुए बिताई। सूरज निकलते ही वे एक जुलूस की शक्ल में कतारबद्ध होकर मतदान केन्द्र की तरफ बढ़े।
- चुनाव में किसका समर्थन किया जाए और किसका नहीं। एक गाँव के लोगों ने इस मसले का अलग हल निकाला। उन्होंने दोनों उम्मीदवारों की तरफ से एक-एक पहलवान को चुनकर उनके बीच कुश्ती का आयोजन किया। वे इस बात पर सहमत हो गए कि इनमें से जिस उम्मीदवार का पहलवान जीतेगा, गाँव के सारे लोग उसी को वोट देंगे।

किसी गाँव के सारे लोगों का किसी एक ही उम्मीदवार को वोट देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार सही है या गलत। चर्चा कीजिए।

क्या आपके आसपास चुनावों के समय ऐसी घटनाएँ होती हैं जैसी पहले चुनाव के वक्त हुई थी। चर्चा कीजिए।

कुल मिलाकर पहला आम चुनाव अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। मतदाता सूची में से 46 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। महिला मतदाताओं में से लगभग 40 प्रतिशत ने वोट दिया। चुनावी हिंसा नगण्य था। पहले चुनाव में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले काँग्रेस को भारी बहुमत मिला। 45 प्रतिशत मतदाताओं ने काँग्रेस पार्टी को वोट दिया और लोकसभा में लगभग 74 प्रतिशत सदस्य काँग्रेस पार्टी के ही थे। पं. जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें बनीं लेकिन गैर कांग्रेस दलों ने भी काफी जनसमर्थन पाया – इनमें कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनसंघ व क्षेत्रीय पार्टियाँ शामिल थीं। इस प्रकार स्वतंत्र भारत ने बहुदलीय लोकतंत्र की ओर पहला और प्रभावी कदम रखा। 1957 और 1962 में भी सफल आम चुनाव हुए और भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती गईं।

प्रथम लोकसभा चुनाव में गैर काँग्रेस दलों को कितना प्रतिशत वोट मिला?

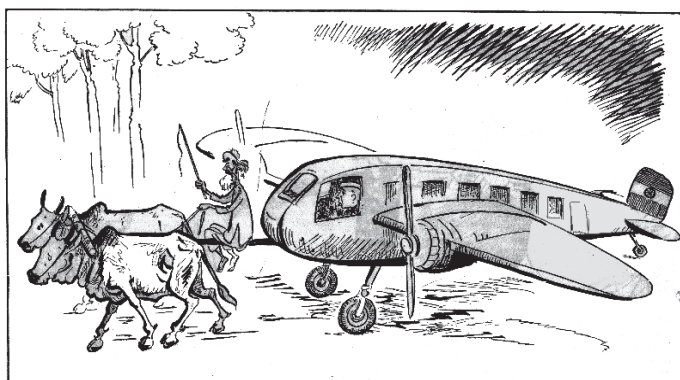
लोकसभा के कितने प्रतिशत सदस्य गैर काँग्रेस दलों के थे?

14.2 एक दल का वर्चस्व

स्वतंत्रता के बाद होने वाले प्रथम तीन आम चुनावों (1952, 1957 और 1962) में काँग्रेस का ही दबदबा रहा। कोई भी पार्टी अकेले 10 प्रतिशत से ज्यादा मत प्राप्त नहीं कर सकी। काँग्रेस ने लगातार 70 प्रतिशत से ज्यादा सीटें जीतीं जबकि उन्होंने 45 प्रतिशत मत हासिल किए थे। काँग्रेस ने देश के अधिकतर राज्यों में भी अपनी सरकार बनाई। हालाँकि इस दौरान केन्द्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन रहा लेकिन इस दल में लगभग सभी प्रमुख राजनैतिक विचारधाराओं के लोग शामिल थे। एक दल के दबदबे वाली इन परिस्थितियों में बड़ा राजनैतिक मुकाबला काँग्रेस के अपने भीतर विभिन्न गुटों के बीच होता था जिससे पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती मिली।

दूसरे राजनैतिक दल चुनाव तो लड़ते थे लेकिन काँग्रेस को उल्लेखनीय चुनौती नहीं दे पाते थे। इसके बावजूद विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रियाओं को स्थापित किया। धीरे-धीरे दूसरे राजनैतिक दलों ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया और कुछ दशकों में ही काँग्रेस को कड़ी टक्कर देने लगे। हमारे संविधान ने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की संकल्पना की थी यह उस तरफ

बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह भारतीय लोकतंत्र की विशिष्टता है कि 20–25 वर्ष तक एक पार्टी के दबदबे के बावजूद यहाँ बहुदलीय व्यवस्था पनप पाई।



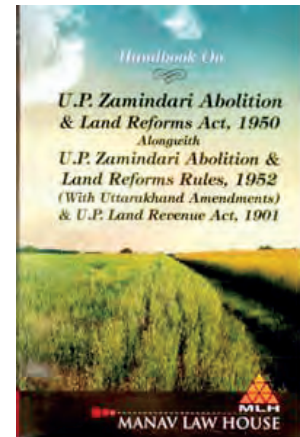
चित्र 14.2 : चुनाव लड़ने चली कांग्रेस पार्टी।
उन दिनों कांग्रेस का चुनाव चिह्न बैलों का जोड़ा था। इस कार्टून में क्या कहा जा रहा है?
(शंकरस वीकली, 15 जुलाई 1951)

ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ रही होंगी जिनकी वजह से 1947 से 1967 तक भारत में एक दल का दबदबा रहा?

आपके विचार में लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली का क्या महत्व है?

14.2.1 ज़मींदारी प्रथा का खात्मा 1949–56

अंग्रेज़ शासनकाल में देश के अधिकांश भागों में ज़मींदारी प्रथा थी। हर क्षेत्र में इनके नाम अलग थे जैसे— ज़मींदार, मालगुजार, गौंटिया, जागीरदार, आदि। वे शासन की ओर से किसानों से लगान इकट्ठा करते थे उन्हें ज़मीन का मालिक माना जाता था। वे किसानों से मनमाने लगान वसूल करते थे और न देने पर उन्हें ज़मीन से बेदखल करते थे। पूरे गाँव पर उनका दबदबा था और सबको उनके लिए बेगार करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन के समानान्तर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों का पहला काम था ज़मींदारी का खात्मा। लगभग हर राज्य में ज़मींदारी उन्मूलन, बेगारी समाप्ति और किसानों को भूमि वितरण संबंधी कानून बने। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार ज़मींदारों ने कानूनी अड़चनें पैदा की और किस प्रकार संविधान के पहले संशोधन से उसका हल निकाला गया। 1956 तक पूरे देश में ज़मींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और ज़मींदारों के ज़मीन का पुनर्वितरण शुरू हो चुका था। इससे लगभग 200 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए और अपने जोत के मालिक बने। ये प्रायः मध्यम दर्जे के किसान थे। इस तरह के प्रयासों से मध्यम किसानों के हालात तो सुधरे मगर ज़मींदारों की ज़मीन पर अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वे कई हथकण्डे अपनाकर ज़मीन पर अपना अधिकार बचाने में सफल रहे। गरीब किसान और भूमिहीन अभी भी ज़मीन से वंचित रहे।



चित्र 14.3 : सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी उन्मूलन कानून पारित हुआ था।

स्वतंत्रता के समय माना गया था कि ज़मींदारी प्रथा का खात्मा सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे समाज में क्या-क्या बदलाव हुए?

14.2.2 हिन्दू कोड बिल 1952–56

पहले आम चुनाव से भी पहले संविधान सभा में हिन्दू समाज में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने, जातिवाद को कमज़ोर करने तथा देश भर में हिन्दुओं के परिवार और संपत्ति संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिन्दू कोड बिल तैयार किया गया था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने में अहम भूमिका निभायी थी। प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू भी इसके समर्थन में थे मगर रूढ़ीवादी हिन्दुओं ने इसका कड़ा विरोध किया। अतः पहले आम चुनाव के बाद इसे उठाने का निर्णय हुआ। इससे दुखी होकर डॉ. अंबेडकर ने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया था। राजनैतिक रूप से गहरे मतभेद उत्पन्न करनेवाले इस बिल के बारे में और समझें।

अंग्रेजों के समय में पूरे देश के लिए अपराध (चोरी, हत्या आदि) संबंधित समान कानून लागू हुआ था जिसे क्रिमिनल कोड कहते हैं लेकिन जहाँ तक शादी, परिवार, संपत्ति, बच्चे गोद लेने, जैसे मामलों पर लोगों के धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था। हर धर्म में इन विषयों पर अलग-अलग मान्यताएँ थीं। अक्सर एक ही धर्म में अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएँ भी थीं। सामान्यतया सभी धर्मों में ये नियम पितृसत्तात्मक



चित्र 14.4 : 1951 में छपा एक कार्टून : यह तत्कालीन पुरुषों की मनोभावना व डर को दर्शाता है।

और पुरुष प्रधान थे और महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते थे। हिन्दू समाज में उन्नीसवीं सदी से ही महिलाओं के अधिकारों के लिए व जातिप्रथा के विरुद्ध सुधार आंदोलन चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफी संख्या में महिलाओं व तथाकथित निम्न मानी गई जातियों की भागीदारी थी और वे अपेक्षा कर रहे थे कि स्वतंत्रता मिलते ही उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनाए जाएँगे। इसी अपेक्षा को पूरा करने के लिए हिन्दू कोड बिल तैयार किया गया था। हिन्दुओं के बीच प्रचलित

विभिन्न कानूनों के एकीकरण के अलावा यह बिल हिन्दू समाज में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहता था। इनमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नानुसार थे :-

1. अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति में से उसकी पत्नि और पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हिस्से मिलेंगे। पहले केवल पुत्रों को संपत्ति मिलता था।
2. पति या पत्नि के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। पहले यह केवल महिलाओं पर लागू था।
3. पति व पत्नि दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार।
4. अंतरजातीय विवाह को कानूनी मंजूरी।
5. किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध।

परंपरावादी हिन्दुओं ने इन प्रावधानों का कड़ा विरोध यह कहते हुए किया कि यह हिन्दू धर्म से छेड़छाड़ है और यह हिन्दू सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर देगा। इनमें न केवल हिन्दू महासभा और जनसंघ जैसे परंपरावादी दल थे बल्कि काँग्रेस के शीर्षस्थ नेता जैसे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भी शामिल थे। इसके विरुद्ध सुधारवादी हिन्दुओं व महिला सांसदों का कहना था कि जातिवाद का खात्मा और महिला व पुरुषों में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता के सिद्धांत स्थापित नहीं हो सकता है। यह विवाद 1952 के आम चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना और काँग्रेस के भारी जीत के चलते इस कानून का विरोध कमजोर हुआ। कानून में भी कई बदलाव किए गए जिस कारण उनका विरोध कम हुआ। इसे एक कानून की जगह चार अलग-अलग कानूनों के रूप में पारित किया गया। देश में सामाजिक बदलाव लाने व महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था।

इस कानून के बहस के दौरान यह सवाल बार-बार उठा कि इस तरह का कानून केवल हिन्दुओं के लिए क्यों और सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं? डॉ. अंबेडकर और पं. नेहरू का कहना था कि अन्य धर्मों में सामाजिक सुधार आंदोलन के समर्थक उतने प्रबल नहीं थे और विभाजन के बाद मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिन्तित थे। ऐसे में उनपर यह नया कानून लागू करने से उनकी आशंकाओं को बल मिलेगा। इसी कारण संविधान के नीति निर्देशक तत्व में यह निर्देश रखा गया कि उचित समय पर पूरे देश में समान वैयक्तिक कानून लागू किया जाए।

अगर ये कानून पारित नहीं होते तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता? जातिवाद को तोड़ने में अन्तर्जातीय विवाहों की क्या भूमिका हो सकती है? क्या इस कानून से जाति व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ा है?

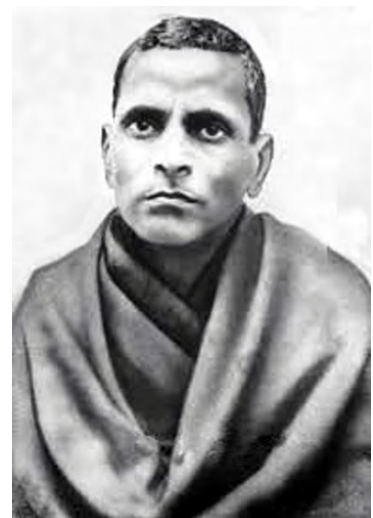
क्या आपको लगता है कि आपके परिवार की संपत्ति में भाई व बहनों को समान हिस्से मिलनी चाहिए?

14.2.3 राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग



भारत एक संघीय राज्य बनेगा और उसके तहत राज्य सरकारें होंगी, यह तो संविधान में निर्धारित किया गया था लेकिन ये राज्य किस आधार पर बनेंगे, यह प्रश्न बना हुआ था। अँग्रेजों ने अपने भारतीय साम्राज्य को कई प्रशासनिक प्रांतों में बांटा था जैसे—मद्रास, जिसके अन्तर्गत आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के भाग आते थे और मुम्बई जिसके अन्दर मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी आदि भाषाएँ बोली जाती थी। इसके अलावा कई राजाओं की रियासतें थीं। यहाँ भी कई भाषा बोलने वाले रहते थे। उदाहरण के लिए हैदराबाद के निज़ाम के राज्य में उर्दू, तेलुगू, मराठी, कन्नड़ भाषाएँ बोली जाती थीं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रमुख माँग यह रही कि राज्यों को प्रमुख क्षेत्रीय भाषा के आधार पर गठित करना चाहिए। एक भाषा बोलने वाले, जो कई राज्यों में बंटे हुए थे, वे एक राज्य बनाना चाहते थे। 1917 से ही काँग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी थी कि आज़ादी मिलने के बाद भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेगी। काँग्रेस की अपनी क्षेत्रीय इकाइयाँ भी भाषाई आधार पर ही गठित हुई थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय काँग्रेस नेताओं की सबसे प्रमुख चिन्ता देश को एक बनाये रखना था क्योंकि उस समय देश धर्म के आधार पर विभाजन से गुज़र रहा था। उनको यह लगा कि इस समय देश में एकता की भावना की ज़रूरत है न कि भाषा के आधार पर आपसी वैमनस्य। वे इस सवाल को कुछ समय के लिए टालना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे विभाजनकारी ताकतें मजबूत होगी और एक-एक करके देश कई क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों में बँट जाएगा जिनके बीच में तालमेल बनाना काफी मुश्किल काम होगा।

संविधान सभा ने 1948 में भाषायी राज्य पर एस.के. दूर के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की। दूर आयोग ने इस समय इस माँग को उठाने के खिलाफ अपनी राय दी क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा और प्रशासन को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन देश के विभिन्न इलाकों में भाषाई राज्य स्थापित करने के लिए विशेषकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन चलने लगे। 1952 में तेलुगू भाषी स्वतंत्रता सेनानी पोद्दी श्रीरामुलु ने अलग आन्ध्र राज्य के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दिया और लगातार 58 दिनों तक अपनी माँग पर डटे रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिक्रिया के रूप में तेलुगू भाषी इलाकों में व्यापक हिंसा हुई। पुलिस फायरिंग में बहुत से लोग मारे गए। इस घटना के बाद सरकार झुक गई और उसने अलग आन्ध्र प्रदेश की माँग को मान लिया। अक्टूबर 1953 में अलग आन्ध्र प्रदेश अस्तित्व में आ गया। इसके साथ ही मद्रास प्रांत का शेष इलाका तमिल भाषी राज्य बनाया गया। एक अलग राज्य के गठन के रूप में आन्ध्र प्रदेश की सफलता ने अन्य समूहों को ज़्यादा पुरजोर तरीके से अपनी माँग को पेश करने के लिए उकसाया।



चित्र 14.5 : पोद्दी श्रीरामुलु

भाषा के आधार पर राज्य बनाने में कई कठिनाइयाँ थीं। किसी भाषा का

क्षेत्र कहाँ समाप्त होता है और दूसरे का कहाँ से शुरू होता है यह तय करना आसान नहीं था। हर क्षेत्र में कई भाषाएँ बोली जाती थी। किसे राज्य बनाने का आधार बनाएँ और उसमें भाषाई अल्पसंख्यकों का क्या स्थान हो? मद्रास (आज का चेन्नई) और बंबई (आज का मुंबई) जैसे शहर थे जिसमें कई भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और दूर दराज के उद्योगपतियों ने निवेश किया था। इन महानगरों को किस राज्य का मानें या फिर क्या उन्हें स्वतंत्र नगर-राज्य बनाना चाहिए? बहुत बड़े क्षेत्र में कहने के लिए तो लोग हिन्दी बोलते थे, मगर वास्तव में लोग छत्तीसगढ़ी, बुन्देली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि भाषाएँ बोलते थे। क्या इन्हें अलग राज्य बनना चाहिए? आदिवासी अंचल जैसे झारखण्ड का क्या करें? ये प्रश्न बहुत उलझा देने वाले थे और उनको लेकर व्यापक आंदोलन भी शुरू हो रहे थे।

सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा जिसे इस तरह की माँगों की समीक्षा करके अपनी सिफारिश सौंपनी थी। आयोग ने अपनी सिफारिश 1955 में दी और उनको मोटे तौर पर मान लिया



मानचित्र 14.1 : 1961 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का नक्शा। वर्तमान भारत के राज्यों के मानचित्र से तुलना करके बताएँ कि किन राज्यों का नाम बदला है और कौन-कौन से नये राज्य बने हैं?

गया और उनके आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अंततः भारत के राज्यों को प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर गठित किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं की चिन्ताओं के विपरीत भाषाई आधार पर राज्य बनाने से भारत का विघटन नहीं हुआ बल्कि राष्ट्रीय एकता को बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वालों ने देश में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा व संस्कृतियों को विकसित करने का मौका पाया।

कल्पना कीजिए अगर भाषाई राज्य नहीं बनाए गए होते तो भारत का राजनैतिक मानचित्र कैसा होता?

क्या आप व्यक्तिगत रूप से भाषायी राज्य के विचार से सहमत हैं क्यों? साथियों के साथ चर्चा करके उनके विचारों का अंदाज़ा लगाइए।

क्या यह मुमकिन है कि किसी इलाके में सिर्फ एक ही भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर भाषाई अल्पसंख्यक हर जगह मौजूद होंगे तब क्या भाषाई राज्य में उनकी उपेक्षा नहीं होगी?

क्या भाषाई राज्य का विचार आदिवासी भाषाओं को नज़रअंदाज नहीं करता है? इस बारे में आपकी क्या राय है?

2000 के बाद भारत में कई नए राज्य गठित हुए। वे किन आधारों पर बने, शिक्षक की मदद से पता करें।

14.2.4 योजनाबद्ध विकास : नए संविधान के लागू होने के दो महीने के भीतर ही योजना आयोग का गठन किया गया जिसे भारत के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना था। पं. जवाहरलाल नेहरू योजनाबद्ध विकास के पक्षधर थे। वे मानते थे कि केन्द्र सरकार को आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव रखा और विकास के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी जिसमें शासकीय और निजी क्षेत्रों को साथ मिलकर काम करना था। पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956) में कृषि के विकास पर ज़ोर दिया गया और इसके लिए विशाल बाँधों व नहरों के निर्माण, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित किया गया। किन्तु कृषि का विकास अपेक्षा से कम रहा जिसके कई कारण थे। भूमि सुधार की धीमी गति, दूसरा महत्वपूर्ण उद्योगों का न होना जिनसे खेती के लिए उपकरण, रासायनिक खाद आदि मिले और ग्रामीण बेरोज़गारों को रोज़गार मिले इसके दो मुख्य कारण थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) में यह माना गया कि देश की प्रथम प्राथमिकता औद्योगीकरण हो जिसमें शासन की विशेष भूमिका हो। भारी उद्योग, जैसे—लोहा—इस्पात, मशीन उत्पादन, उत्खनन, बिजली, रेलवे और परिवहन आदि का विकास शासन द्वारा हो। दूसरी तरफ मंझोले तथा छोटे उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वीकार की गई थी। योजनाकारों का मानना था कि औद्योगिक विकास से कृषि क्षेत्र में रोज़गार का भार कम होगा, लोग शहरों में आकर कारखानों में काम करेंगे, औद्योगिक विकास से सेवा क्षेत्र का भी विकास होगा। योजनाबद्ध औद्योगिक विकास से देश में औद्योगीकरण के लिए ज़रूरी बुनियाद तो बनी मगर अपेक्षानुसार देश में गरीबी दूर नहीं हो पाई। इस कारण 1970 के दशक से देश में गरीबी उन्मूलन और रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। इन बातों के बारे में आप अर्थशास्त्र के अध्यायों में और विस्तार से पढ़ेंगे।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में शासन ने न केवल एक लोकतांत्रिक और विकेन्द्रीकृत राज्य का निर्माण किया बल्कि साथ-साथ सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास का बीड़ा भी उठाया। इन प्रयासों ने हमारे देश के राजनैतिक तथा शासकीय ढाँचों पर गहरा प्रभाव छोड़ा।

क्या आपको लगता है कि राज्य का समाज में समानता और आर्थिक विकास के लिए हस्तक्षेप करना उचित है? इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता? इस पर चर्चा करें।

14.2.5 विदेश नीति और पड़ोस के साथ संबंध

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति उसकी विदेश नीति कहलाती है। अक्सर प्रत्येक देश की विदेश नीति उसके आदर्शों, हितों और ज़रूरतों से तय होती है। भारत की विदेश नीति भी उसकी ज़रूरतों और हितों की सुरक्षा का नतीजा है। भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व की राजनैतिक परिस्थितियाँ कैसी थीं? दूसरे विश्वयुद्ध के बाद भारत सहित दुनिया के अन्य देश खासकर एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक ताकतों के प्रभाव से आज़ाद हो रहे थे। भारत चाहता था कि ये सारे देश एक साथ खड़े हों और एक-दूसरे को सहारा दें।



चित्र 14.6 : प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू अन्य गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं के साथ?

लगभग उसी समय दुनिया भी दो राजनैतिक सैन्य गुटों में बँट रही थी। इनमें से एक हिस्सा अमेरिका के नेतृत्व में था तो दूसरे हिस्से की अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था। भारत ने इस समय इस गुटबाजी से अलग रास्ता चुना। उस समय की परिस्थिति यह माँग कर रही थी कि भारत को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मज़बूत करने के लिए विश्व के अन्य देशों के सहयोग की ज़रूरत थी। यदि वह किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट के देशों का सहयोग उसे नहीं मिल पाता। भारतीय संविधान में शांति और सहअस्तित्व के मूल्य को स्वीकार किया गया था

इसलिए वह विश्व शांति में अपना योगदान देना चाहता था। यदि भारत भी किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो वह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सकता था। भारत के लिए यह भी ज़रूरी था कि स्वतंत्र देश में अपना राजनैतिक अस्तित्व और पहचान स्थापित करे। भारत ने कुछ और देशों के सहयोग से इन दोनों गुटों से दूर रहने की नीति बनाई और आगे इस नीति पर अमल भी किया। भारत ने उस वक्त के युगोस्लाविया (मार्शल टीटो), इंडोनेशिया (सुकर्णो) और मिस्र (मो. नासिर) के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष संगठन खड़ा किया। मार्शल टीटो, सुकर्णो, मो. नासिर और पं. नेहरू को ही इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं के रूप में देखा जाता था। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में नवस्वतंत्र राष्ट्रों को अमेरिकी और रूसी गुटों से दूर रखकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विकास तथा द्विध्रुवीय विश्व को बहुध्रुवीय बनाना था। गुटनिरपेक्ष देशों ने यह नीति भी अपनाई कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी विषय पर गुण-दोष के आधार पर अपना मत तय करेंगे केवल इस आधार पर नहीं कि वह रूस या अमेरिका द्वारा समर्थित है।

गुट निरपेक्षता की नीति के बावजूद भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर बना। इसका एक प्रमुख कारण था भारत का पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्ता और पाकिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन से मिला समर्थन। चूँकि पाकिस्तान को अमेरिका से समर्थन प्राप्त था भारत रूस के करीब होकर अपनी स्थिति मज़बूत करना चाहता था। रूस से भारत को न केवल राजनैतिक मदद मिली बल्कि अपने योजनाबद्ध औद्योगीकरण नीति में भी सहायता मिली। सोवियत संघ की ही सहायता से भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित हो पाया। इस करीबी के बावजूद भारत कभी सोवियत संघ के सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ।

भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया इसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। इस नीति के प्रमुख बिन्दु थे – 1. एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और सम्प्रभुता का सम्मान, 2. एक-दूसरे पर आक्रमण न करना, 3. एक-दूसरे के अन्दरूनी मामलों में दखल न देना 4. बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग और 5. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सैद्धांतिक रूप से इस नीति का पालन करने का प्रयास किया।

इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आज़ादी के बाद से ही संबंध तनावपूर्ण थे। भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपने देश का हिस्सा मानते हैं और इस सवाल पर 1948 और 1965 में दोनों के बीच युद्ध हुआ। आज भी यह दोनों देशों के बीच तनाव का मुद्दा बना हुआ है।

भारत और चीन का रिश्ता भी शुरुआती गर्माहट के बाद तनावपूर्ण हो गया। दोनों देशों की सीमा और तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के सवाल पर तनाव बना। 1962 में चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण किया और भारत को अत्यधिक सैनिक क्षति का सामना करना पड़ा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले दो दशकों में भारत ने गुट निरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। यह नीति प्रायः भारत को दो महागुटों में बँटे विश्व में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने तथा अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में सहायक रहा।

1947 से 1963 तक पं. जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत का सफल नेतृत्व किया और उसके बाद उनका अकस्मात निधन हो गया। उनके बाद इंदिरा गाँधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं। 1965 से 1977 तक वे लगातार इस पद पर बनी रहीं।

14.2.6 क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का उभार

1967 से 1971 के समय को क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का समय कहा जाता है। इस अवधि में बहुत से क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनैतिक पहचान स्थापित की तथा कई आंदोलन इसी दौरान उभरे। इन रुझानों की शुरुआत 1967 के चुनावों से होती है। जिन समूहों को आर्थिक नीतियों के लाभ मिलने लगे थे। उन्होंने संगठित होकर राजनैतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन चुनावों से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। इन चुनावों में उन जातियों या समूहों का उभार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जिनकी आर्थिक स्थिति भूमि सुधार या अन्य आर्थिक योजनाओं की वजह से सुधरी थी।

इन चुनावों में हालाँकि काँग्रेस को लोकसभा में 284 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त हो गया लेकिन आज़ादी के बाद के चुनावों में यह काँग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था। काँग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार झेलनी पड़ी। भारत के चुनावी राजनैतिक इतिहास में यह सबसे बड़ा राजनैतिक बदलाव था। इन चुनावों से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं तथा देश बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा



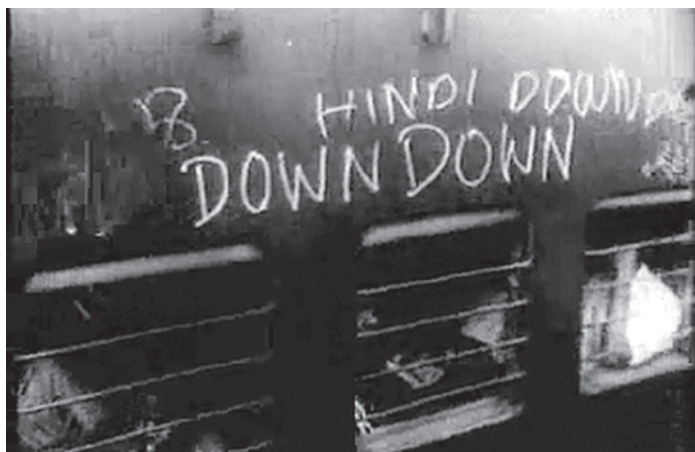
चित्र 14.7 : 1967 के आम चुनाव पर जारी डाक टिकट

है। तमिलनाडु तथा केरल में विपक्षी दलों ने अपेक्षाकृत स्थायी सरकारें बनाई जबकि अन्य राज्यों में विपक्षी दलों ने आपस में गठबंधन करके सरकारें बनाई। गठबंधन सरकारें अधिक देर तक नहीं चल सकीं तथा दल-बदल तथा भ्रष्टाचार की वजह से ये सरकारें धीरे-धीरे गिरने लगीं।

इस अवधि में देश के कई क्षेत्रों में क्षेत्रीयता की भावना का उभार हुआ। उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य की माँग पेश की गई। यह माँग मुख्य रूप से उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रारंभ की गई। उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि राज्य में विकास के लाभ कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही पहुँच पाए हैं। 1969 में असम के जनजातीय जिलों के खासी, जयन्तिया और गारो कबीलों के इलाकों को जोड़कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। हालाँकि पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हो गया था लेकिन पंजाब को राजधानी के रूप में चंडीगढ़ नहीं मिला था। 1968-69 में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की माँग को लेकर लगातार धरने और प्रदर्शन हुए। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के नेतृत्व में यह माँग की गई कि बंबई (मुंबई) केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। विशेष रूप से दक्षिण भारतीय उनके निशाने पर थे क्योंकि कुछ दलों का कहना था कि दक्षिण भारतीयों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई में काम नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार कश्मीर, नागालैंड आदि राज्यों में युवा वर्ग द्वारा पुरानी माँगें उठाई जा रही थी।

14.2.7 राजभाषा का सवाल और हिन्दी विरोधी आन्दोलन :-

संविधान सभा में लम्बी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यह भी तय हुआ कि अगले 15 साल तक अँग्रेज़ी, हिन्दी के स्थान पर राजभाषा के (प्रशासन कार्य) रूप में प्रयोग होती रहेगी। इसके अनुसार जब 1965 में हिन्दी को राजभाषा बनाया जा रहा था, गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसका विरोध शुरू हो गया। आन्दोलन का सबसे बड़ा प्रभाव तमिलनाडु में देखा गया। तमिलनाडु में इस निर्णय के खिलाफ राज्यव्यापी हिन्दी विरोधी आन्दोलन चलाया और इस दौरान धरना, प्रदर्शन और हड़ताल बड़े पैमाने पर हुए। पुलिस और आन्दोलनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं और 70 से अधिक लोग मारे गए। काँग्रेस खुद इस मुद्दे पर भीतर से बँट गई और तमिलनाडु के दो केन्द्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना उन पर हिन्दी थोपी नहीं जाएगी।



चित्र 14.8 : रेल के डिब्बों पर हिन्दी विरोधी नारे लिखे गए।

इसके बाद भी आंदोलनकारी शांत नहीं

हुए और 1967 के चुनाव में तमिलनाडु में काँग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अंततः 1967 में सरकार ने अधिनियम में कुछ बदलाव किए। इसमें हिन्दी विरोधियों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। नये प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारें अपनी राजभाषा का चुनाव खुद कर सकती हैं। यह भाषा हिन्दी, अँग्रेज़ी या इनके अलावा कोई अन्य भाषा भी हो सकती है।

14.3 भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनैतिक घटनाएँ

14.3.1 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवीपर्स की समाप्ति — आज़ादी के 20 साल में औद्योगिक विकास तो हुआ मगर देश में गरीबी की समस्या में कमी नहीं आई और कृषि अभी भी उपेक्षित रहा। इस



कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी दिख रही थी। पार्टी के अन्दर भी आपसी तनाव बढ़ रहा था। इन बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने बुनियादी नीतिगत बदलावों की योजना बनाई। अमीरों के विरुद्ध और गरीबों के पक्ष में वे लोकप्रिय नीतियाँ लागू करना चाहती थीं और साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती थीं। उदाहरण के लिए वे भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को स्वतंत्रता के समय से भारत सरकार की ओर से दिए जा रहे अनुदान को समाप्त करना चाहती थीं। साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थीं ताकि उनका उपयोग गरीबों की मदद के लिए और कृषि क्रांति के लिए किया जाए। सिंचित क्षेत्रों में किसानों को ऋण व अनुदान देकर उन्नत बीज, खाद और दवाओं के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार हुई जिसे हरित क्रांति कहा गया।

14.3.2 कांग्रेस का विभाजन — इस दौर में कांग्रेस पार्टी में मतभेद बढ़ते गए। एक ओर युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे। इंदिरा गाँधी के इन कदमों का आम लोगों ने काफी हद तक समर्थन किया लेकिन कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता उससे खुश नहीं थे। अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गाँधी ने विरोध किया तथा विपक्षी दलों के उम्मीदवार वी.वी. गिरी का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि वे सरकार की गरीबों के पक्ष में बनाई जाने वाली नीतियों को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। बहुत से कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने श्री वी.वी. गिरी के पक्ष में मतदान किया और वे चुनाव जीत गए। इस घटना के बाद कांग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस तथा के. कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस। इसी क्रम में इंदिरा गाँधी और उनकी पार्टी को 1971 के लोकसभा चुनाव तथा 1972 के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में गरीबी हटाओ के नारे की मदद से भारी जनसमर्थन मिला। कामराज कांग्रेस को उस तरह का जनसमर्थन प्राप्त नहीं हुआ और इंदिरा कांग्रेस ही कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित हुई।

कांग्रेस के विभाजन के पीछे किस तरह के कारण ज़िम्मेदार रहे होंगे? चर्चा करें।

14.3.3 बांग्लादेश युद्ध — 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था क्योंकि वहाँ पर भी मुसलमान बहुसंख्यक थे लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच तनाव बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनकी उपेक्षा और शोषण हो रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के चुने गए नेता को सत्ता न सौंपकर वहाँ बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया।

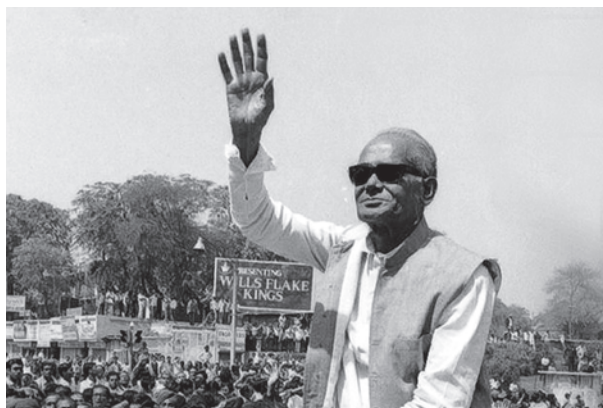


चित्र 14.9 : बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान

इस कारण पाकिस्तान के दो भागों के बीच गृह युद्ध आरम्भ हो गया जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आए। इस तनाव के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफल रहा। पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश — बांग्लादेश बना।

14.3.4 आपातकाल — भारत के संविधान में यह प्रावधान है यदि सरकार यह महसूस करे कि देश में आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण का खतरा है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल का आशय यह है कि सरकार ज़रूरत के अनुसार नागरिक स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकती है तथा संसद की शक्तियाँ भी सीमित कर सकती है। मीडिया पर भी हर तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपातकाल एक तरह की असाधारण स्थिति हो सकती है जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर सरकार कोई भी कदम उठा सकती है।

देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल केवल एक बार 1975 से 1977 तक लगाया गया था। इस आपातकाल के पीछे 1971 के बाद की अनेक परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार थीं। कुछ समस्याएँ दीर्घ कालीन बदलाव के कारण थीं जैसे — सरकार की बढ़ती शक्ति के साथ भ्रष्टाचार का बढ़ना। कुछ कारण बाहरी थे, जैसे — 1973 में अरब-इज़रायल युद्ध के चलते पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई जिसके प्रभाव से देश में महंगाई तेज़ी से बढ़ी। 1971 के लोकसभा तथा 1972 के विधानसभा चुनावों में सरकार ने लोकलुभावन वायदे किए थे मगर उन्हें पूरा करने की तरफ कोई विशेष प्रयास होता नहीं दिख रहा था। ऐसे में लोगों में भारी असंतोष फैलने लगा और मज़दूरों की हड़ताल और भ्रष्टाचार विरोध जैसे आंदोलन तीव्र होने लगे। हालात उस समय और गंभीर हो गए जब पूरे देश के रेल्वे मज़दूर 1974 में एक अभूतपूर्व हड़ताल किए जिसे सरकार को सशस्त्र बलों की सहायता से नियंत्रित करना पड़ा। दूसरी ओर बिहार और गुजरात के छात्र अपनी विभिन्न माँगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले में इंदिरा गाँधी को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुने जाने को अवैध घोषित कर दिया जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अलोकतांत्रिक मानकर हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू किया। इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। रातों-रात देश के तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और अखबारों पर सरकार द्वारा स्वीकृत खबरों व विचारों के अलावा और कुछ छापने पर प्रतिबंध (सेंसरशिप) लगाया गया। सरकार द्वारा संसद में अपने बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए। सरकारी नीतियों का विरोध करने और संगठन बनाने के अधिकार छीन लिए गए।



चित्र 14.10 श्री जयप्रकाश नारायण

सरकार का मानना था कि आन्दोलनकारी देश को अशांति और अस्थिरता की तरफ ले जा रहे थे और ऐसे में देश को बचाने के लिए आपातकाल ज़रूरी हो गया था। इसके विपरीत विरोधी दलों और अधिकांश स्वतंत्र चिन्तकों का मानना था कि उन परिस्थितियों में आपातकाल आवश्यक नहीं था और एक तरह से आपातकाल का लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा था। 1977 के चुनावों में जनता द्वारा कांग्रेस की

नीतियों को नकारना और पहली बार केन्द्र में गैर काँग्रेसी दलों को बहुमत देना इस बात की ओर इशारा करता है कि जनता आपातकाल के साथ नहीं थी।

आपातकाल के कटु अनुभवों ने देश के अधिकांश विपक्षी दलों को एक-जुट किया। वाम दलों को छोड़कर बाकी सभी दलों ने मिलकर 'जनता दल' बनाया जिसने 1977 के चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद सरकार बनाई। लेकिन अंदरूनी मतभेदों के चलते यह सरकार अपना कार्यकाल पूरी नहीं कर पाई और अंततः 1980 में फिर से चुनाव हुए जिनमें फिर से काँग्रेस को बहुमत मिल गया और इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनीं।

आपके विचार में आपातकाल लगाया जाना उचित था या नहीं? शिक्षक की सहायता से चर्चा करें।

आपातकाल लगाए जाने का आम जीवन और विरोधी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा?

14.4 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार और सत्ता का विकेन्द्रीकरण

1970 के बाद भारतीय राजनीति में अत्यधिक केन्द्रीकरण हो रहा था। केन्द्र सरकार एक ओर अपना आर्थिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ा रही थी और अर्थ व्यवस्था को नियंत्रित कर रही थी। दूसरी ओर काँग्रेस पार्टी में भी इंदिरा गाँधी अत्यधिक शक्तिशाली बनती जा रही थी और क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे में राज्यों के स्थानीय लोग अपनी आकांक्षाओं के विकास में अवरोध महसूस कर रहे थे। जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम आदि राज्यों में स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही थी। कुछ राज्यों में तो केन्द्रीकरण की नीतियों को संवैधानिक ढाँचे के अन्दर चुनौती दी गई मगर कुछ राज्यों में संविधान और भारत की एकता को ही चुनौती दी गई। इस विषम परिस्थिति का हल किस तरह निकला हम दो उदाहरणों से समझेंगे।

14.4.1 पंजाब में आन्दोलन— पंजाब के बहुसंख्यक लोग सिक्ख धर्म को मानते थे और स्वतंत्रता के बाद बहुत से सिक्खों को लग रहा था कि उनकी उपेक्षा हो रही है। पंजाब प्रांत में हरित क्रांति के चलते सिक्ख किसानों के समक्ष विकास के मौके बढ़ रहे थे मगर उन्हें लग रहा था कि राजनैतिक स्वायत्तता न होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सिक्खों का एक धार्मिक और राजनैतिक संगठन था शिरोमणि अकाली दल जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया।

पंजाब आन्दोलन की मुख्य माँगे निम्नलिखित थीं —

1. संविधान में आवश्यक संशोधन करके राज्यों के लिए अधिक अधिकार दिए जाएँ।
2. चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए।
3. सेना में सिक्खों को अधिक संख्या में भर्ती की जाए।
4. पंजाब को भाखड़ा नांगल बाँध से अधिक पानी दिया जाए।

इन माँगों पर जोर डालने के लिए अकाली दल ने 1978 में 'आनन्दपुर साहब प्रस्ताव' पारित किया। इसमें मुख्य रूप से पहली दो माँगों को ज़ोरदार ढंग से उठाया गया और साथ ही सिक्खों के वर्चस्व स्थापित करने और सिक्ख राष्ट्र की बात हुई। अकाली दल ने इन माँगों के समर्थन में 1978 के बाद समय-समय पर धरने, प्रदर्शन तथा रेल रोको आन्दोलन जैसी गतिविधियाँ शुरू कीं।

एक सिक्ख धर्मगुरु जरनैलसिंह भिंडरावाला ने अधिक तीव्रवादी विचारों का प्रचार शुरू किया। 1978 से धीरे-धीरे भिंडरावाला ने आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू की तथा स्वर्ण मंदिर के एक बड़े हिस्से को कब्जे में लेकर किले बंदी कर ली। उसने स्वतंत्र खालिस्तान की माँग की और उसके समर्थन में बहुत सारे युवा जुट

गए। पंजाब में आए दिन उदारवादी सिक्खों और अन्य धर्म के लोगों पर हमले होने लगे। सरकार का दावा था कि इन हमलावरों को पाकिस्तान से सहायता मिल रही थी। शुरू में सरकार का रवैया नरम था। लेकिन जून 1984 में इंदिरा गाँधी सरकार ने निर्णय लिया कि सेना की मदद से स्वर्ण मंदिर परिसर के किलेबंदी को तोड़कर अलगाववादियों पर काबू पाए। स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही में 500 से अधिक लोग मारे गए। इस कार्यवाही को 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' नाम दिया गया। 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' से सिक्खों की भावनाएँ गंभीर रूप से आहत हुईं क्योंकि उन्होंने माना कि सरकार ने उनके सबसे बड़े धार्मिक स्थल को अपवित्र किया। इसका सबसे गंभीर परिणाम एक सिक्ख अंगरक्षक द्वारा इंदिरा गाँधी की हत्या थी। इंदिरा गाँधी की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में देश के अनेक भागों में सिक्ख विरोधी दंगे हुए जिनमें हज़ारों लोगों की जानें गईं।

इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद राजीव गाँधी अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हुए आम चुनाव में काँग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली। राजीव गाँधी ने पंजाब में शान्ति स्थापित करने के लिए जुलाई 1985 में अकाली दल के साथ समझौता किया जिसे 'राजीव-लॉगोवाल समझौता' के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत पंजाब को चंडीगढ़ देने और अन्य मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का ठोस आश्वासन दिया गया। पंजाब में चुनाव कराए गए जिसमें अकाली दल जीतकर सरकार बना पाई। इसके बाद धीरे-धीरे पुलिस कार्यवाही द्वारा आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण किया गया।

14.4.2 असम में आन्दोलन— असम में 1970 के दशक में स्वायत्तता की माँग उठ रही थी। असम के लोगों में यह भावना बन रही थी कि उनके राज्य के संसाधनों का दोहन दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं और वे अपने ही राज्य में दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। असम के चाय बगानों पर नियंत्रण कलकत्ता (कोलकाता) की कंपनियों का था। असम से खनिज तेल निकालकर दूसरे राज्यों के शोधक कारखानों में उपयोग किया जाता

था मगर उससे असम के लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिलता था। असम में असमिया के अलावा बांग्ला भी एक प्रमुख भाषा थी। अंग्रेजी शासन के समय से ही बांग्लाभाषी लोग सरकारी पदों पर अधिक संख्या में कार्य कर रहे थे। असमिया भाषी लोग यह महसूस करते थे कि बांग्लाभाषी सरकारी कर्मचारी उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार करते हैं। बांग्लादेश से आजीविका की तलाश में आने वाले प्रवासियों ने मामले



चित्र 3.10: राजीव गाँधी असम आंदोलनकारियों के साथ

को और गंभीर बना दिया। 1975 से लोगों की यह भावना सामाजिक आन्दोलन में बदल गई। 'अखिल असम विद्यार्थी संघ' (AASU) ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। विदेशी लोगों को बाहर निकालने की माँग के साथ हड़तालें, धरने, प्रदर्शन तथा बंद आयोजित हुए। सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिकीय पहलुओं के अलावा इस आन्दोलन के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष भी थे। असम आन्दोलन की मुख्य माँगें यह थीं — विदेशी

लोगों को असम से बाहर निकाला जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाए, असम के संसाधनों का उपयोग असम के लोगों के लिए ही किया जाए।

एक प्रमुख माँग थी बांग्लादेश से आए लोगों की नागरिकता समाप्त करना और उन्हें राज्य से बाहर करना। इन माँगों ने लोगों को सांप्रदायिक आधार पर भी बाँट दिया क्योंकि अधिकतर बांग्लादेशी मुस्लिम थे। हिंसा तथा विघटन के बहुत बढ़ने से केन्द्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। आन्दोलनकारी छात्रों तथा केन्द्र सरकार के बीच तीन साल की बातचीत के बाद समझौता हुआ जिसके तहत तय हुआ कि 1961 से पहले आकर बसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी, 1961 और बांग्लादेश युद्ध से पहले आए लोगों को असम में रहने का अधिकार होगा मगर मताधिकार नहीं और 1971 मार्च के बाद आए लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। समझौते के बाद हुए चुनावों में असम गण परिषद् जो आसु (AASU) से ही निकला हुआ था, ने भारी विजय प्राप्त की।

इसी प्रकार आगे कई नए राज्य बनाने और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर आन्दोलन हुए। मिज़ोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसी तरह की माँगों के नतीजे हैं।

14.4.3 पंचायती राज और सत्ता का विकेन्द्रीकरण— राजीव गाँधी का मत था कि सरकारी योजनाओं का फायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। उनका कहना था कि गरीबों के लिए आबटित रुपये में से पंद्रह पैसे से भी कम उन तक पहुँच पाता है। इस समस्या का एक हल यह निकाला गया कि सत्ता का और विकेन्द्रीकरण हो ताकि आम लोग जिनके लिए विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे इसमें सहभागी बनें और उसका लाभ उठा पाए। इसके लिए 1986 में संविधान में एक संशोधन लाया गया जिससे पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया और उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। इससे अपेक्षा थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और गरीब और विशेषकर महिलाएँ स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय हो पाएँगी।

क्या आपको लगता है कि पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए वे केवल क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनाने के उद्देश्य से या फिर कुछ अन्य व्यापक उद्देश्यों से हुई?

1950 के बाद भारत में सत्ता का केन्द्रीकरण क्यों हुआ होगा?

क्या आप राजीव गाँधी के इस कथन से सहमत हैं कि गरीबों के लिए बनी योजनाओं का फायदा गरीबों तक नहीं पहुँचता है?

क्या पंचायती राज के लागू होने से वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है और क्या गरीबों तक अधिक योजना का लाभ पहुँच रहा है?

14.5 राजनीति में क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्म तथा गठबंधन सरकारें

पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह राज्यों के स्तर पर लोगों की आकांक्षाएँ बढ़ रही थीं और क्षेत्रीय पार्टियों का विकास होने लगा। इसी समय देशभर में कई राजनैतिक पार्टियाँ बनीं जिनका मकसद था उन जातियों के लिए राजनीति में जगह बनाना जो अभी तक उसमें सम्मिलित नहीं थे। मध्यम कृषक जातियाँ जैसे, जाट और दलित जातियों में से नई पार्टियों का गठन होने लगा। इनमें से कई ऐसी जतियाँ भी थीं जो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुधार पाए थे मगर शिक्षा और राजनीति में पिछड़े हुए थे। वे आरक्षण माँगने लगे। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने निर्णय लिया कि अन्य पिछड़ी

जातियों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उच्च जातियों के युवाओं के कड़े विरोध के बावजूद यह कानून बना और इससे इन जातियों के राजनैतिक उभार में मदद मिली। जातीय व क्षेत्रीय पहचानों के साथ-साथ राजनीति में लोगों की धार्मिक पहचान भी महत्वपूर्ण बनने लगी।

इस तरह हम देखते हैं कि 1985 के बाद भारत में संकुचित पहचान के आधार पर राजनैतिक पार्टियाँ विकसित हुईं और वे विशिष्ट समुदाय या जाति या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगीं। इसका एक व्यापक परिणाम यह हुआ कि चुनावों में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और सरकारें गठबंधन के आधार पर बनने लगीं। 1989 के आम चुनावों के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार चलाने के लिए विभिन्न दलों को गठबंधन बनाना पड़ा। कुछ गठबंधन सरकारें अस्थिर रहीं और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जहाँ शुरुआती चार दशकों तक भारत की केन्द्रीय राजनीति लगभग एक दल के इर्द-गिर्द घूम रही थी, 1990 के बाद से इसने बहुदलीय व्यवस्था के तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाए हैं। बहुदलीय व्यवस्था के प्रारंभिक दौर में हमने बहुत-सी अस्थायी गठबंधन सरकारें देखीं पर पिछले 15 सालों में स्थिर गठबंधन सरकारों ने कार्य किया है। इस प्रकार गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों ने समाज के विभिन्न मतों में प्रतिनिधित्व किया। गठबंधनों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमों और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिरता की समस्या का भी समाधान किया है।

1947 में कई विशेषज्ञों को लग रहा था कि भारत जैसे देश में सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र चल नहीं सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएँ कि क्या उनकी आशंका सही थी? वह किस हद तक सही या गलत थी?

1947 में कई विशेषज्ञों को लगता था कि भारत में धर्म के आधार पर ही राष्ट्र बन सकता है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बन सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएँ कि क्या उनकी आशंका सही थी? वह किस हद तक सही या गलत थी?

1947 में कई विशेषज्ञों को लगता था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं टिक सकता है। यह छोटे-छोटे राज्यों में बँट जाएगा या इसमें छोटे क्षेत्रों के हितों की उपेक्षा की जाएगी। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएँ कि क्या उनकी आशंका सही थी? वह किस हद तक सही या गलत थी?

1952 में कई लोगों का विश्वास था कि नए संविधान की मदद से भारत में सब लोगों के बीच समानता और भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। पिछले 60 साल के इतिहास के आधार पर बताएँ कि उनका विश्वास किस हद तक सही या गलत था?

1976 में कई लोगों को लगा कि भारत में नागरिक अधिकार नहीं बने रह सकते हैं और भारत में अधिनायक तंत्र या तानाशाही ही चल सकती है। क्या आपको लगता है कि यह विचार अनुभव के आधार पर खरा उतरा है?

आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौतियाँ हैं?



अभ्यास

प्रश्न 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

1. स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनावमें सम्पन्न हुआ।
2. 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में.....दल को प्रचण्ड बहुमत प्राप्त हुआ।
3. में ज़मींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और कृषि भूमि का स्वामित्व कृषकों को दिया गया।
4. जातिवाद को शिथिल करने एवं महिलाओं का परिवार में सशक्तिकरण करने के लिए.....हिन्दू..... कोड बिल सर्वप्रथम ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया।
5. राज्य पुनर्गठन के लिए अनशन सत्याग्रह.....ने तेलुगू भाषा के लिए किया।
6. भारत में राजभाषाओं की ..संख्या.....है।
7. वैज्ञानिक तकनीक से कृषि और अनाज उत्पादन में वृद्धि को.....क्रांति कहा गया।
8. राजा-महाराजाओं का अधिकार, पद व सुविधाओं की या विशेषाधिकारों की समाप्ति को.....की समाप्ति कहा गया।
9. आंतरिक अशांति के कारण आपातकालसेतक रहा।
10. आंतकियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने की कार्यवाही ऑपरेशन.....कहा गया।

प्रश्न 2 बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए:-

1. "आबंटित रुपये में से 15 पैसे ही जनता तक पहुँचते हैं।" इस समस्या के समाधान के लिए राजीव गाँधी सरकार ने किया -
 1. पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य किया।
 2. पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण व्यवस्था की गई।
 3. लोंगोवाल - राजीव समझौता किया।
 4. बांग्लादेशी लोगों की नागरिकता समाप्ति व देश वापसी का समझौता।
02. पंजाब आन्दोलन की मुख्य माँग नहीं थी -
 1. संविधान संशोधन कर राज्यों के अधिकारों में वृद्धि।
 2. चण्डीगढ़ पंजाब में सम्मिलित हो, खालिस्तान की माँग।
 3. सिक्खों को भारतीय सेना में अधिक भर्ती की जाए।
 4. भाखड़ा-नांगल बाँध से पंजाब को अधिक पानी दिया जाए।
03. असम के आन्दोलन की मुख्य माँग थी -
 1. विदेशी नागरिकों (बांग्लादेशी) को बाहर निकालना।
 2. स्थानीय जन को रोज़गार में प्राथमिकता।

3. संसाधनों का उपयोग असम में उद्योग व रोजगार निर्माण में करना।
4. भाषा के आधार पर असम का निर्माण।
04. हिन्दी विरोधी आंदोलन की राजनीति कहाँ नहीं हुई?
 1. महाराष्ट्र
 2. तमिलनाडु
 3. असम
 4. आंध्र प्रदेश
05. पंचशील की नीति में नहीं है —
 1. अनाक्रमण
 2. अहस्तक्षेप
 3. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
 4. गुट निरपेक्षता
06. गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं था —
 1. इन्डोनेशिया
 2. मिश्र
 3. युगोस्लाविया
 4. चीन
07. योजना आयोग के माध्यम से भारत में स्थापित की गई अर्थव्यवस्था है—
 1. समाजवादी अर्थव्यवस्था
 2. मिश्रित अर्थव्यवस्था
 3. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था
 4. मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था
08. गुट निरपेक्ष की नीति के बाद भी भारत का दृढ़ संबंध किस देश से बना ?
 1. अमेरिका
 2. सोवियत संघ
 3. चीन
 4. पाकिस्तान
09. भारत के प्रथम लोकसभा चुनावों में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन-सा नवाचार किया गया?
 1. प्रत्येक दल के लिए अलग पेंटी रखी गई।
 2. प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिह्न और पेंटी रखी गई।
 3. जनता को मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया।
 4. जनता को साक्षर करने की व्यवस्था की गई।
10. हिन्दू कोड बिल के विरोध का मुख्य कारण था —
 1. हिन्दू धर्म व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आशंका।
 2. स्त्री-पुरुष समानता की स्थापना।
 3. जातिवाद की व्यवस्था समाप्ति की आशंका।
 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।

प्रश्न 3 इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

1. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र क्यों दिया?
2. हिन्दू कोड बिल स्त्री-पुरुष समानता के कौन-कौन से अवसर देता है?

3. समान नागरिक संहिता किन आशंकाओं के कारण नहीं बनाया गया? नेहरू व अंबेडकर के विचार स्पष्ट कीजिए।
4. भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया? कारण लिखिए।
5. भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या-क्या सकारात्मक प्रभाव हुए ?
6. योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई?
7. प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार भारत शासन की आर्थिक नीति एवं उद्देश्य क्या-क्या थे ?
8. संविधान निर्माण, प्रदेश पुनर्गठन, योजना आयोग व विदेश नीति के आधारों पर प्रथम प्रधानमंत्री की भूमिका व योगदान को स्पष्ट कीजिए।
9. पं. जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन-कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए?
10. आपको पंजाब आंदोलन और असम आंदोलनों में क्या समानताएँ और असमानताएँ दिखाई देती हैं?
11. संविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्तर क्यों प्रदान नहीं किया? कारण बताइए।
12. इंदिरा गाँधी के समय काँग्रेस का विभाजन क्यों हुआ?
13. आपातकाल क्या है? 1975-77 के बीच आपातकाल में शासन ने क्या-क्या अलोकतांत्रिक कार्य किए?
14. राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर क्या क्या कदम उठाए गए?

परियोजना कार्य

1. पता कीजिए कि आपातकाल के दौरान संविधान में कौन-कौन से संशोधन किए गए और उनमें से कौन-से आपातकाल के बाद खारिज कर दिए गए। इन प्रवधानों के आधार पर एक पोस्टर प्रदर्शनी बनाइए।
2. 1990 से 2000 के बीच कौन-कौन सी गठबंधन सरकारें बनीं और उनकी मुख्य उपलब्धि व कमियाँ क्या थीं — एक पोस्टर बनाकर प्रदर्शनी लगाएँ।

15

लोकतंत्र में जनसहभागिता



पिछले अध्याय में हमने भारत की राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझा। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी दूसरी राजनैतिक व्यवस्थाओं से अधिक होती है लेकिन लोकतांत्रिक देशों में भी जनता की भागीदारी के तरीके और प्रक्रिया अलग-अलग होती है।

इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में लोग सहभागिता किस प्रकार करते हैं? जनसहभागिता के माध्यम के रूप में मतदान, दबाव समूह और मीडिया की भूमिका का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम भारत की राजनैतिक संस्थाओं में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करेंगे। हम स्वतंत्र भारत में मतदान व्यवहार को समझने का भी प्रयास करेंगे।

15.1. मतदान :- क्या और क्यों?

आजकल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें मतदान के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जिस राजनैतिक दल के पास प्रतिनिधियों का बहुमत होता है, वह सरकार बनाता है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को वोट डालने (मतदान) का अधिकार दिया जाता है। यह माना जाता है कि जितने अधिक लोग किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में मत देंगे उस चुनाव के बाद बनने वाली सरकार उतनी ही अधिक लोकतांत्रिक होगी। अधिक लोगों का सरकार बनने की प्रक्रिया में शामिल होना लोकतंत्र का एक मानदण्ड है। भारतीय संविधान में पहले कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष या इससे ऊपर थी वह अपने क्षेत्र में होने वाले स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मत दे सकता था। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया ताकि देश का युवा वर्ग चुनाव में भागीदारी कर पाये लेकिन क्या सभी योग्य मतदाता मतदान में भाग लेते हैं?



चित्र 15.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह कैसे काम करती है पता करें।

मतदान प्रक्रिया

आपने अध्याय 12, “संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार” में निर्वाचन आयोग के विषय में अध्ययन किया है और अब हम निर्वाचन संबंधी कुछ बातों का अध्ययन करते हैं।

निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से राज्य एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मनोनीत करता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियमों के अधीन होते हैं।

मतदाता सूची :- ससंद, विधानसभा, तथा स्थानीय निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी। किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत का प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष की है मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। चित्त विकृति, अपराधी, भ्रष्ट तथा अवैध आचरण के आधार पर मतदाता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

निर्वाचन प्रक्रिया :- निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लगभग 8 दिन का समय दिया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है। नामांकन में गड़बड़ी पाए जाने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है। उम्मीदवार को नाम वापसी के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा गैर मान्यता प्राप्त दलों व निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नाम वापसी की अंतिम तिथि से चुनाव प्रचार के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता सुनिश्चित (तय) करता है।

चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। मतदान के बाद मतपेटियों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। पहले से निर्धारित तिथि पर मतगणना की जाती है तथा सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है।

नोटा बटन :- निर्वाचन में पारदर्शिता लाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हैं जिसे चित्र 15.1 में दिखाया गया है। इसमें मतदाताओं के नाम चुनाव चिन्ह के साथ अब एक और बटन जोड़ा गया है जिसे नोटा बटन कहते हैं। इसका उपयोग हम किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते, तब कर सकते हैं। इसे 2013 में प्रारंभ किया गया है। यह बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे नीचे दिया जाता है।

गुप्त मतदान :- हम किस उम्मीदवार को मत दे रहे हैं यह किसी को भी पता नहीं चलता है चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हो या बैलेट पेपर द्वारा किया गया हो। उसे गुप्त मतदान कहते हैं।

अप्रत्यक्ष मतदान :- अप्रत्यक्ष मतदान के विषय में आपने राजनीति के अध्यायों में पढ़ा है।

राइट टू रिकाल :- यह स्थानीय निकायों पर लागू होता है जिसके तहत पंचायत या नगरपालिका के 50 प्रतिशत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2/3 बहुमत से किसी प्रतिनिधि – पंच, सरपंच, पार्षद आदि को पद से हटाया जा सकता है। यह नियम छत्तीसगढ़ में भी लागू है।

15.2 भारत में मतदान व्यवहार

15.2.1 कितने लोग वोट देते हैं?

आइए, अब हम 1952 से 2004 तक हुए लोकसभा चुनाव के आधार पर भारत में मतदान व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए नीचे दी गई तालिका

एक के आधार पर पता कीजिए कि भारतीय मतदाताओं ने चुनावों में कितनी सक्रियता दिखाई है। कौन से वर्ग मतदान में अधिक सक्रिय रहा है।

राजनैतिक दल किसी विचारधारा पर आधारित औपचारिक संगठन होते हैं। देश के लिए इनके निश्चित नीति और कार्यक्रम होते हैं। भारत में महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है।

तालिका-15.1 लोकसभा चुनाव – 1952 से 2004 तक मतदान में जन सहभागिता

वर्ष	पुरुष	महिला	मतदान प्रतिशत	मताधिकार का प्रयोग करोड़ में	कुल पंजीकृत मतदाता करोड़ में
1952	—	—	61.2	10.60 करोड़	17.93 करोड़
1957	—	—	62.2	12.06 करोड़	19.71 करोड़
1962	63.31	46.63	55.42	11.99 करोड़	22.03 करोड़
1967	66.73	55.48	61.33	15.27 करोड़	24.20 करोड़
1971	60.90	49.11	55.29	15.13 करोड़	26.44 करोड़
1977	65.63	54.91	60.49	19.43 करोड़	30.04 करोड़
1980	62.16	51.22	56.92	20.28 करोड़	32.52 करोड़
1984	68.18	58.60	63.56	24.12 करोड़	37.38 करोड़
1989	66.13	57.32	61.95	30.91 करोड़	47.41 करोड़
1991	61.58	51.35	56.93	28.27 करोड़	49.37 करोड़
1996	62.06	53.41	57.94	34.33 करोड़	56.20 करोड़
1998	65.72	57.88	58.97	37.54 करोड़	55.67 करोड़
1999	63.97	55.64	59.99	37.17 करोड़	56.59 करोड़
2004	61.66	53.30	57.65	38.99 करोड़	64.02 करोड़

स्रोत eci.nic.in

1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में से करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया जबकि 2004 में करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया।

किस चुनाव में सबसे अधिक और किस चुनाव में सबसे कम प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले?

1989 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अचानक क्यों बढ़ गई होगी?

तालिका -1 में महिला और पुरुष मतदान के बीच तुलना करें और बताएँ कि इस अन्तर के क्या-क्या कारण हो सकते हैं?

मतदान प्रतिशत में उतार-चढ़ाव की स्थिति के क्या कारण हो सकते हैं? पिछले अध्याय के आधार पर विश्लेषण करें।

उपर्युक्त तालिका में हम देख सकते हैं कि 1952 में मतदान प्रतिशत 61.2 प्रतिशत था जो कि 1984 में अधिकतम 63.56 प्रतिशत तथा 1971 में न्यूनतम 55.29 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार औसत मतदान प्रतिशत 59.49 रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में मतदान के प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। पुरुषों का औसत मतदान लगभग 64 प्रतिशत और महिलाओं का 54.57 प्रतिशत रहा है। संविधान द्वारा समान मताधिकार मिलने के बावजूद पुरुषों से महिलाओं का औसत मतदान प्रतिशत लगभग 10 प्रतिशत कम रहा है। यह इस ओर इशारा करता है कि महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में कम रही है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हमारे देश में औसतन 60 प्रतिशत लोग मतदान करते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएँ मतदान में कम भागीदारी करती हैं। चुनाव आयोग और अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएँ निरंतर प्रयास करती रही हैं कि अधिक मतदाता वोट डालें लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग अभी भी वोट डालने नहीं जाते हैं। अर्थात् पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तथा वास्तव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या में काफी अन्तर है। साथ में हम यह भी पाते हैं कि हर चुनाव में एक जैसी भागीदारी नहीं है और अलग-अलग चुनावों में कम या ज्यादा प्रतिशत लोग भाग लेते हैं।



चित्र 15.2 : महिलाएँ वोट डालने के बाद — इनके हाथों में मतदाता पहचान पत्र और उँगलियों पर लगे निशान पर ध्यान दें।

दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती रही है। 1952 में वोट डालने वाले लोगों की संख्या 10.60 करोड़ थी, यह 2004 में बढ़कर 38.99 करोड़ हो गई जो लगभग चार गुना अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि वोट डालने वालों की संख्या बढ़ी है।

15.2.2 कौन-कौन सी बातें मतदाताओं पर प्रभाव डालती हैं?

मतदाता, मताधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। मतदाताओं के सामने एक ओर देश के व्यापक हित और नीतिगत बातों पर राय आदि तत्व महत्व रखते हैं लेकिन साथ-साथ अक्सर संकुचित हित जैसे जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव भी मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि कई उम्मीदवार नीतिगत बातों की जगह पैसे,

शराब और अन्य तोहफों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनैतिक विश्लेषण करने वाले यह भी बताते हैं कि जहाँ मतदाताओं को लगे कि देश के कुछ व्यापक हित खतरे में



है या फिर नीतियों में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है तब इन संकुचित हितों को भुलाकर लोगों ने मतदान किया है। उदाहरण के लिए 1977 के चुनाव में जब लोकतंत्र के समक्ष आपातकाल एक खतरा बना तब भारी मतदान करते हुए मतदाताओं ने आपातकाल का विरोध किया। इसी तरह 1984 में जब इंदिरा गाँधी की हत्या हुई एक बार फिर भारी मतदान हुआ और लोगों ने काँग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत दिया। आमतौर पर यह देखा गया है कि मतदाता निवर्तमान सरकार का कामकाज, उम्मीदवारों का निजी गुण और सम्पर्क तथा दलों की घोषणाओं में दर्ज लोकहितकारी वायदे आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। वर्तमान में टीवी, सामाजिक मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से किये गए प्रचार से भी मतदाता काफी प्रभावित हो रहे हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं लेकिन अलग-अलग समय तथा क्षेत्रों में ये तत्व भिन्न हो सकते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता चुनाव में भाग लें। मतदान करने से पहले वे सभी परिस्थितियों का आकलन करें और उसके आधार पर मतदान का निर्णय लें।

ऊपर बताए गए मतदान को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कौन-से तत्व आपके क्षेत्र में मतदान को प्रभावित करते हैं। शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

जातिवाद, मतदान को कैसे प्रभावित करता है? शिक्षक की सहायता से चर्चा कीजिए।

निम्नलिखित तालिका को चर्चा के बाद पूरा करें।

स्थानीय निकाय के चुनावों को प्रभावित करने वाले तत्व।	विधानसभा के चुनावों को प्रभावित करने वाले तत्व।	लोकसभा के चुनावों को प्रभावित करने वाले तत्व।

15.3 भारत में विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व

राजनैतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी जनसहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार है। इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर समझा जा सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कितनी सहभागिता है। इससे यह भी पता चलता है कि क्या सभी वर्ग इन संस्थाओं में यथार्थ ढंग से प्रतिनिधित्व हासिल कर पा रहे हैं या नहीं।



भारतीय संविधान में शासन के तीन स्तरों की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। राज्य स्तर पर विधानसभा है और स्थानीय शासन के लिए

भी जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आइए, अब हम लोकसभा और स्थानीय निकायों में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को समझने की कोशिश करते हैं।

15.3.1 लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व— लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए।

तालिका 15.2 लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी

वर्ष	महिला उम्मीदवारों की संख्या	कुल उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत	महिला सांसदों की संख्या	महिला सांसदों का प्रतिशत
1951	—	—	—	—
1957	45	3.00	22	4.5
1962	66	3.30	31	6.30
1967	68	2.9	29	5.6
1971	61	2.2	21	5.6
1977	70	2.9	19	3.5
1980	143	3.1	28	5.3
1984	171	3.1	42	7.9
1989	198	3.2	29	5.5
1991	330	3.8	37	7.3
1996	599	4.3	40	7.4
1998	274	5.8	43	7.9
1999	284	6.1	49	9.0
2004	355	6.5	45	8.3
2009	556	6.9	59	10.9
2014	668	8.0	66	11.4

स्रोत — eci.nic.in

एक आदर्श संसद में कितने प्रतिशत महिला सदस्य होने चाहिए?

उस आदर्श के अनुरूप लोकसभा में कितनी महिला सदस्य होने चाहिए?

वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं?

1957 से लगातार महिला सदस्यों की संख्या और उनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है? पता कीजिए।

किस चुनाव में सबसे कम प्रतिशत महिलाएँ जीत पाईं? उसका क्या कारण रहा होगा?

कुल उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवार कितनी हैं? यह भी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी का एक सूचक है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में कुल दस उम्मीदवार हैं और वे सबके सब पुरुष हैं तो हम कहेंगे कि महिलाएँ

वहाँ सक्रिय नहीं हैं। अगर आधे से अधिक उम्मीदवार महिलाएँ हैं तो यह कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में महिलाओं की अच्छी भागीदारी है। वर्तमान में लगभग 8 प्रतिशत महिला उम्मीदवार हैं यानी कि 92 पुरुष जहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं वहीं केवल 8 महिलाएँ तैयार हैं। यह भी हर चुनाव में कम ज़्यादा होते रहता है।

आपके विचार में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को अधिक संख्या में खड़ा क्यों नहीं किया जाता?

इन सब बातों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण उचित होगा?

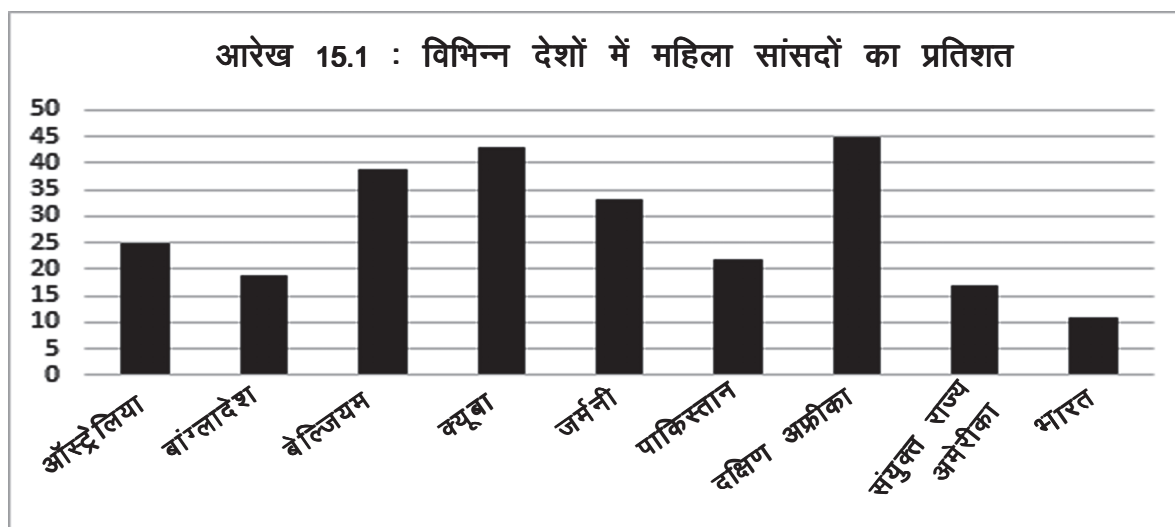
यदि महिला सांसदों की संख्या 50 प्रतिशत हो जाए तो समाज और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा?

साथ में दिए गए आरेख पढ़कर बताएँ कि किस देश की संसद में सबसे अधिक और सबसे कम महिलाएँ हैं?

दक्षिण एशिया के देशों (भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान) में से किस देश की संसद में सबसे अधिक महिलाओं की उपस्थिति है?



चित्र 15.3 महिलाओं को विधायिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग को लेकर एक रैली



15.3.2 स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

संविधान में 73 वें और 74 वें संशोधन द्वारा सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इन निकायों में प्रारंभ से ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इस प्रकार बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। कई राज्यों में यह आरक्षण 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

15.3.3 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व

हमारे संविधान में सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से समाज के वंचित वर्गों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। 16 वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी इन वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। साथ ही स्थानीय शासन अर्थात् पंचायतों और शहरी निकायों में भी इन वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है।

15.4 दबाव समूह



आइए, एक घटना के माध्यम से दबाव समूह की प्रकृति और आधुनिक लोकतंत्र में इनकी भूमिका को समझने का प्रयास करें।

1984 में कर्नाटक सरकार ने 'कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड' नाम से एक कम्पनी बनाई और उसे 30,000 हेक्टेयर ज़मीन 40 सालों के लिए दे दी। उस ज़मीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चरागाह के रूप में करते आ रहे थे। कम्पनी ने उस ज़मीन पर नीलगिरि के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज़ बनाने की लुग्दी तैयार

करने के लिए किया जाना था लेकिन पहले से 1986 से किसान और राज्य के जाने माने लेखक और पर्यावरणविदों ने मिलकर सामुदायिक जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और उनके द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले जैसी यथास्थिति बनी रहे लेकिन इसके बावजूद ज़मीन गाँववासियों को न मिलने पर 1987 में कुन्सूर नामक गाँव में सत्याग्रह शुरू किया गया जिसका नाम था 'किटिखो-हच्चिको' अर्थात् 'उखाड़ो और रोपो'। इसमें लोगों ने नीलगिरि पेड़ उखाड़कर उनकी जगह पर ऐसे पेड़ों के पौधे लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे।

आंदोलनकारियों ने विभिन्न तरीकों से विधायकों को अपना पक्ष समझाया और विभिन्न दलों के 70 से अधिक विधायकों ने सरकार पर दबाव डाला कि इस कंपनी को बंद करे। इस आंदोलन के कारण सरकार को किसानों की माँग माननी पड़ी और 1991 में कम्पनी को बंद करना पड़ा।

ऊपर दी गई घटना में किसानों व बुद्धिजीवियों के आंदोलन ने एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया। इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव डालकर उसकी नीति को बदलने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह विशेष समूहों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अपने हितों की प्राप्ति के लिए ये समूह ज्ञापन और न्यायालय में याचिका जैसे संवैधानिक साधनों के साथ-साथ प्रचार, हड़ताल, प्रदर्शन आदि भी करते हैं।

आंदोलन एक प्रकार के दबाव समूह हैं। अन्य प्रकार के भी दबाव समूह होते हैं जो नियमित संगठन का रूप लेते हैं जैसे चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ जो कि व्यापारियों व उद्योगपतियों का संगठन है जो मुख्य रूप से इनके लिए अनुकूल नीतियाँ बनवाने, अलग-अलग उद्योगों के हितों व ज़रूरतों को सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। इस तरह कई और संगठन होते हैं जो विशिष्ट व्यवसाय के लोगों के हितों के लिए काम करते हैं जैसे, डॉक्टर, वकील, आदि।

कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो किसी वर्ग विशेष के हितों की बात न करके पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रीय नीति आदि मामलों पर सरकार पर दबाव डालते हैं। वे इन मुद्दों पर पुस्तक आदि प्रकाशित करते हैं, उन पर अध्ययन करते हैं और सरकारी अफसर, मंत्री और जन प्रतिनिधियों से अपने विचारों के बारे में गहन

बातचीत करते हैं। अक्सर सरकारी नीतियों को बनाने के लिए जो समितियाँ बनती हैं उनमें ऐसे संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य बनाए जाते हैं।

इन सबके अलावा विशिष्ट मुद्दों पर सरकारी नीतियों को बदलने के उद्देश्य से कोई समूह कुछ व्यावसायिक लाबियिस्टों का भी उपयोग करते हैं जो इसके लिए प्रभावी रणनीति बनाकर काम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में विभिन्न हित समूह अपने पक्ष में नीतियाँ बनवाने और क्रियान्वयन के लिए जन आंदोलन से लेकर व्यावसायिक लाबियिस्ट तक विभिन्न प्रकार के दबाव समूह बनाते हैं।

कर्नाटक के किसानों ने अपनी माँग को मनवाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए?

आपके क्षेत्र में क्या आपने किसी दबाव समूह द्वारा सरकार के किसी कार्य का विरोध करते हुए देखा है? एक उदाहरण दीजिए।

दबाव समूह एवं राजनैतिक दल : जरा सोचिए, राजनैतिक दल भी लोगों का संगठन होता है। उसका संबंध भी सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। इस प्रकार राजनैतिक दल भी दबाव समूह होते हैं लेकिन क्या यह कहना ठीक होगा? वास्तव में ऐसा नहीं है। राजनैतिक दलों से दबाव समूह इस अर्थ में अलग होते हैं क्योंकि राजनैतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति या सरकार बनाना होता है। जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति नहीं होता है बल्कि सरकार को प्रभावित करके अपने कार्य करवाना होता है। ऊपर की गई चर्चा के आधार पर हम देख सकते हैं कि दबाव समूहों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-

1. दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं।
2. दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं।
3. दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं।
4. अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार-प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े प्रकाशित करना, लाबीइंग, आदि करते हैं।

15.4.1 लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका

ऐसा लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की पैरवी करने वाले दबाव-समूह लोकतंत्र के हित में नहीं हैं। लोकतंत्र में किसी एक तबके का नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनैतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव-समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो और इसके आधार पर अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएँ।

इन आशंकाओं के बावजूद यह माना जाता है कि दबाव-समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं।

जन-साधारण के दबाव समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की ज़रूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं।

वर्ग-विशेषी हित-समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं रख सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियाँ उस तरह से न बनाई जाएँ।

सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके के लोग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति-संतुलन करना संभव होता है।

15.4.2 लोकतंत्र और संगठन

प्रायः सभी लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार अंकित होता है। भारतीय संविधान में भी इसे मौलिक अधिकार माना गया है। नागरिक अपने विविध ज़रूरतों को पूरा करने और अपने सामूहिक हित के लिए तरह-तरह के संगठन बनाते हैं जैसे — क्लब, स्व-सहायता समूह, सहकारी समूह, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर समूह, व्यवसाय आधारित समूह जैसे — श्रमिक संगठन, अधिवक्ता या वकील संगठन, आदि। इस तरह के समूह किसी देश में कितनी मात्रा में बनते हैं और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं यह वहाँ के लोकतंत्र के स्वास्थ्य का परिचायक होता है। इनके माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को सद्गुण करते हैं। शासन की भूमिका यहाँ इतना ही है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ये संगठन कानून के दायरे में काम करें और सार्वजनिक हित को हानि न पहुँचाएँ। इस कारण इन संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान है, लेकिन ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक नहीं है जब तक वे इन्हें अनौपचारिक रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हर गली मोहल्ले में युवा लोग खेल या उत्सव समितियाँ बनाते हैं जो पंजीकृत नहीं होते लेकिन अगर वह समिति संपत्ति खरीदना चाहती है या अन्य किसी प्रकार कानून के दायरे में आना चाहती है तो उसका पंजीकरण आवश्यक है। यहाँ हम कुछ संगठन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझेंगे।

15.4.3 ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ

भारत में मजदूर संगठनों का इतिहास पुराना है। इनका निर्माण आज़ादी की लड़ाई के समय में ही किया गया था। कामगारों के वेतन, काम के घण्टे और काम के हालातों को लेकर संघर्ष करने और मालिकों से सामूहिक रूप से सौदा करने के लिए ये संघ बने। कई संगठन मजदूरों के स्व-सहायता व एक-दूसरे की सहायता के लिए भी बने। इन बिखरे हुए संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर साथ लाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनैतिक दलों ने भी इस तरह के केन्द्रीय संगठन बनाए जैसे :—

- (1) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस (All Indian Trade Union Congress)
- (2) इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (Indian National Trade Union Congress)
- (3) हिन्द मजदूर सभा (Hind Mazdoor Sabha)
- (4) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस (United Trade Union Congress)
- (5) सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियनस् (Centre of Indian Trade Unions)
- (6) भारतीय मजदूर संघ (BMS)

ये न केवल मजदूरों के हित में मालिकों से संघर्ष और समझौते करते हैं बल्कि दबाव समूह के रूप में सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

15.4.4 व्यावसायिक हित समूह

स्वतंत्रता के बाद व्यावसायिक हित समूहों की संख्या और गतिविधियों में काफी तेजी के साथ वृद्धि हुई। प्रायः सभी व्यवसायों के लोगों ने अपना अलग-अलग संगठन बना लिया। वकीलों, सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियरों आदि सभी वर्गों के संगठन भारत में पाए जाते हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् (All India Medical Council), अखिल भारतीय बार एसोसिएशन (All India Bar Association), अखिल भारतीय शिक्षक संघ (All India Teachers Federation) अखिल भारतीय डाक तार संघ (All India Post and Telegraphs Union) आदि भारत में प्रमुख व्यावसायिक संगठन हैं। यद्यपि व्यावसायिक संगठनों का उद्देश्य व्यवसाय के लोगों का कल्याण करना है फिर भी ये समुदाय राजनैतिक कार्यकलापों में काफी रुचि लेते हैं। इन समूहों के सदस्य सरकारी कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

15.4.5 जातीय एवं धार्मिक दबाव समूह

समय-समय पर विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातिगत समूह बने हैं जो अपने समुदाय के हित के लिए काम करते हैं। अक्सर ऐसे संगठन राजनैतिक रूप भी ले लेते हैं। भारत में कई साम्प्रदायिक दबाव समूहों ने राजनैतिक दल का रूप ले लिया है। इनमें रिपब्लिकन दल, मुस्लिम मजलिस, जमायते उलेमा, हिन्दू महासभा, शिरोमणि अकाली दल के नाम उल्लेखनीय हैं। धार्मिक हित समूहों में अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, अखिल भारतीय पारसी सम्मेलन, आंग्ल भारतीय समुदाय, आर्य प्रतिनिधि सभा तथा सनातन धर्म, दक्षिणी सभा के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। कई जातियों ने भी जाति-हितों की रक्षा के लिए अपना अलग-अलग संगठन बना लिया है, जैसे— मारवाड़ी संघ, ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ आदि। इनके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालयों और छात्रावासों में असंगठित जातीय संगठन पाए जाते हैं। ये जातीय संगठन भी अप्रत्यक्ष रूप से खासकर चुनावों के समय स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते हैं।

15.4.6 महिला संगठन — दबाव समूह के रूप में

भारत में अनेक महिला संगठनों ने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार जैसे— वधू को जलाने, दहेज, संपत्ति पर अधिकार, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, लिंग निर्धारण संबंधी परीक्षण, समान नागरिक संहिता के साथ-साथ राजनैतिक संस्थानों में अपने लिए आरक्षण को लेकर अनेक आंदोलन किए। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग महिला दबाव समूहों की एक प्रमुख माँग रही है। संसद द्वारा हिन्दू कोड बिल पास कराने में भी महिला दबाव समूहों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के कुछ महिला दबाव समूहों के बारे में लिखिए।

मजदूर संगठन या किसी व्यावसायिक संगठन के दफ्तर में जाकर उनके काम के बारे में पता करें और कक्षा में सबको बताएँ।

लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों ज़रूरी है, इस पर चर्चा करें।

15.5 मीडिया और जनसहभागिता

सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य-श्रव्य माध्यमों के ज़रिए सफलतापूर्वक एक दूसरे तक पहुँचाना संचार है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने वाले साधन संचार माध्यम कहलाते हैं। जैसे— अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स (फेसबुक, वाट्सअप, ट्विटर आदि), पत्रिकाएँ, सिनेमा आदि।

15.5.1 जनसहभागिता में मीडिया की भूमिका :-

संचार के माध्यम हमेशा से ही शासन में जनता की सहभागिता बढ़ाते रहे हैं लेकिन आज तकनीकी क्रांति के कारण संचार के माध्यमों का विकास तेज़ी के साथ हुआ है। साथ ही लोगों की संचार के साधनों तक पहुँच बढ़ रही है। तकनीक में सुधार के चलते आज देश-विदेश की खबरें हमारे लिए सहज उपलब्ध हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम देख सकते हैं कि समाचार चैनलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी सूचना तुरंत इन समाचार चैनलों के माध्यम से हम तक उसी वक्त पहुँच जाती है।

इन संचार के साधनों ने शासन में लोगों की भागीदारी बहुत सहज ढंग से बढ़ाई है। संचार के ये साधन केवल सूचनाओं को पहुँचाने का कार्य ही नहीं कर रहे हैं बल्कि जनमत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। अब लोग सरकार के किसी कार्य या किसी घटित घटना पर मीडिया की खबरों के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। साथ ही बहुत तेज़ी से अपनी राय लोगों तक भी पहुँचा देते हैं। हाल के ही दिनों में ऐसी अनेक घटनाएँ हमारे सामने आई हैं जिनमें मीडिया ने जनमत तैयार किया।

निर्भया काण्ड से सब लोग परिचित ही होंगे। दिल्ली में एक लड़की के साथ कुछ लड़कों ने अमानवीय हरकत की। मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब यह बात पहुँची तो लोगों ने अपनी राय एक दूसरे से साझा करना प्रारंभ कर दी। बहुत जल्द इस घटना ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। देश के अनेक हिस्सों में अपराधियों को सज़ा दिलवाने के लिए धरने-प्रदर्शन किए गए। लोगों द्वारा सरकार पर पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने का दबाव बनाया गया। इस दबाव में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मीडिया का था। लोगों का दबाव इतना अधिक था कि अंततः सरकार को पुराने कानून में बदलाव करते हुए ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सज़ा को और अधिक सख्त कर दिया गया। इस कानून के परिणाम स्वरूप अब यदि कोई 16 साल का लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा अमानवीय हरकत करता है तो उसे वयस्कों की भांति सज़ा दी जा सकेगी।

इसी प्रकार 2011 में प्रारंभ हुए जनलोकपाल बिल के आंदोलन की व्यापकता पर भी मीडिया के प्रभाव को देखा जा सकता है। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने जनलोकपाल बिल बनाने के लिए मीडिया का बेहतर ढंग से उपयोग किया था। मीडिया के माध्यम से ये लोग अपनी बात लोगों तक आसान और प्रभावी ढंग से पहुँचा पाए और इसी कारण लोगों का बड़ी संख्या में आंदोलन को सहयोग प्राप्त हो सका।

इस प्रकार बदलते हुए समाज की ज़रूरतों के अनुसार मीडिया ने लोगों को शासन में भागीदारी के नए अवसर और नए विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। शासन में जन-सहभागिता बनाने में मीडिया एवं संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

दूसरी तरफ मीडिया के कुछ खतरे भी हैं। मीडिया या तो सरकार के या बहुत धनी कंपनियों के हाथों में होती है। ये अपने निहित स्वार्थ या संकुचित हित के लिए अपने चैनल या पत्रिका का उपयोग कर सकते

हैं। आमतौर पर मीडिया में काम करने वाले पत्रकार आदि शहरी मध्यम वर्ग के होते हैं जो गरीब या ग्रामीण अंचल के लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर सकते हैं। अगर मीडिया किसी खबर को गलत ढंग से लोगों तक पहुँचाती है, तो लोग उसके प्रभाव में आ सकते हैं। राजनैतिक दल, दबाव समूह और अन्य संगठन अपने मत के प्रचार के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मीडिया को इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मीडिया की हमेशा सकारात्मक पहल होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र में उसकी भूमिका बढ़ती रहे।

चर्चा कीजिए :-

आपके क्षेत्र में घटित ऐसी घटनाओं की सूची तैयार कीजिए जिसमें मीडिया की वजह से लोगों ने सरकार से कोई माँग की हो।

मीडिया के फायदे अधिक हैं या नुकसान अधिक हैं? अपने विचार दीजिए।

आपके जीवन को मीडिया ने किस तरह से प्रभावित किया है? ऐसी कम-से-कम दो घटनाओं की पहचान कीजिए।

ऐसे प्रभाव जो मीडिया की वजह से आपके जीवन में आए हों वे क्या हैं? आप उनके लिए मीडिया को क्यों ज़िम्मेदार मानते हैं?

इस अध्याय में हमने लोकतंत्र में जन-सहभागिता के बारे में जाना। हमने देखा कि जन-सहभागिता लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है। भारत के संदर्भ में हमने यह भी देखा कि जन-सहभागिता के बहुत से तरीके संविधान में ही दे दिए गए हैं लेकिन संविधान के बाहर भी ऐसे बहुत से साधन हैं जिनसे लोग शासन में अप्रत्यक्ष ढंग से सहभागिता करते हैं। दबाव समूह और मीडिया ऐसे ही साधनों में से महत्वपूर्ण साधन हैं जिनकी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई थी। किसी लोकतांत्रिक देश के लिए यह आवश्यक है कि सरकार में लोगों की सहभागिता के नए अवसर बनते रहें ताकि लोकतंत्र और अधिक मज़बूत होता रहे।

अभ्यास

प्रश्न 1 खाली स्थान की पूर्ति कीजिए :-

1. भारत में.....लोकतंत्र को अपनाया गया है।
2. भारत में वयस्क मताधिकार.....वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है।
3. राजनैतिक दल.....आधारित औपचारिक संगठन है।
4. चुनाव के लिए राजनैतिक दलों का पंजीकरण.....संस्था में होता है।
5. भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का कार्य.....करता है।
6. राष्ट्रपति संसद में लोकसभा में.....वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं।
7. भारत में.....मतदान का अधिकार है।
8. संसद में महिला सांसदों का सर्वाधिक प्रतिशत.....देश में है।
9. राजनैतिक दलों से घनिष्ठ संबंध वाले समूह.....संगठन कहलाते हैं।
10. हिन्दू कोड बिल पारित कराने में.....दबाव समूह की भूमिका थी।



प्रश्न 2 बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए :-

1. भारत में किसी व्यक्ति का मताधिकार कब समाप्त हो सकता है?
 1. कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
 2. भारत का नागरिक हो।
 3. न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो।
 4. मतदाता सूची में नाम न हो।
2. निर्भया काण्ड के परिणामस्वरूप 16 वर्ष की अवस्था के बच्चों को वयस्कों की भाँति सज़ा का प्रावधान दिलवाने में किसकी महती भूमिका रही है?
 1. जन आंदोलन
 2. मीडिया
 3. सरकार
 4. उनके परिवार
3. मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई?
 1. 52वाँ
 2. 61वाँ
 3. 86वाँ
 4. 92वाँ
4. भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहा —
 1. सन् 1957 में
 2. सन् 1989 में
 3. सन् 1999 में
 4. सन् 2013 में
5. लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है —
 1. 84
 2. 47
 3. 48
 4. 74
6. महिलाओं को 33 से लेकर 50 प्रतिशत तक आरक्षण राजनैतिक संस्थाओं में प्राप्त हुआ है —
 1. स्थानीय निकाय
 2. विधानसभा
 3. संसद
 4. ग्राम पंचायत
7. किस प्रकरण पर मीडिया द्वारा सरकार से अत्यधिक चर्चा रूपी आंदोलन से 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वयस्कों की भाँति दण्ड का कानून बनाया गया?
 1. निर्भया काण्ड
 2. भाषा विवाद
 3. महिला आरक्षण
 4. जनलोकपाल
8. लोकतंत्र में जन-सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है —
 1. मतदान
 2. आंदोलन
 3. योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण
 4. संचार माध्यम

9. लोकतंत्र में राजनैतिक दल का मुख्य कार्य है –
 1. चुनाव
 2. आंदोलन
 3. सत्ता प्राप्त करना
 4. जनमत का निर्माण
10. व्यावसायिक हित समूह के अंतर्गत आते हैं :-
 1. डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों के वर्ग का समूह
 2. जनजाति या जातिगत समूह/समाज
 3. साम्प्रदायिक या धार्मिक समूह
 4. महिला संगठन

प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं?
2. राजनैतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
3. भारत में मतदाताओं की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है?
4. मतदान व्यवहार का आशय समझाइए।
5. मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं?
6. लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन-सहभागिता के कौन-कौन से माध्यम हैं और क्या-क्या हो सकते हैं?
7. भारत में जनप्रतिनिधित्व के कोई 6 मुख्य राजनैतिक संस्थाओं के नाम लिखिए।
8. दबाव समूह एवं राजनैतिक दल में मुख्य अंतर बताइए जिससे उनकी पहचान की जा सकती है।
9. संचार के माध्यम कौन-कौन से हैं?
10. राजनैतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार किस शर्त पर प्राप्त होता है?
11. भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण लिखिए।
12. लोकतंत्र में जनसहभागिता को समझाइए।
13. दबाव समूह एवं राजनैतिक दल में क्या अंतर है?
14. भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष क्यों की गई?
15. मतदाता किन-किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं?
16. दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वाले लोगों की संख्या में अधिक अंतर होता है, क्यों?
17. राजनैतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएँ लिखिए।
18. क्या कारण है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान प्रतिशत 100 तक भी हो जाता है जबकि विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में जन-सहभागिता 50 प्रतिशत के आसपास होती है।

21. सन् 1984 में कर्नाटक में घटित किटिखो-हच्चिको' आंदोलन ने किस प्रकार शासन को किसानों के पक्ष में निर्णय के लिए दबाव बनाया ? इस घटना के प्रभाव का उल्लेख कीजिए।
22. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न हो तब लोकतंत्र में सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी?
23. मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं?
24. किस दबाव समूह का शासन व राजनैतिक दलों में सर्वाधिक प्रभाव है? चर्चा करें।

परियोजना कार्य

अपने ज़िले या राज्य के दबाव समूह की सूची बनाइए और उनमें से किसी एक के काम के बारे में विस्तार से बताइए।

16



लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन

पिछले अध्यायों में हमने भारतीय लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आम व्यक्तियों की भागीदारी को समझने का प्रयास किया। इस अध्याय में लोकतंत्र में जन आंदोलनों की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ जन आंदोलन के अध्ययन द्वारा हम ऐसे सवालों का जवाब खोजेंगे – जन आंदोलन क्या होता है? लोकतंत्र में जन आंदोलनों की क्या भूमिका होती है?

16.1 सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा एवं परिप्रेक्ष्य

पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र में आम व्यक्ति यानी हमारी अपनी भागीदारी के बारे में जानने की कोशिश की। हमने देखा कि लोकतंत्र में अलग-अलग माध्यमों से शासन में भागीदारी की व्यवस्था की जाती है। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए वयस्क मतदान (निश्चित आयु के बाद सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार), सक्रिय दबाव समूह और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन सहभागिता के इन साधनों के अलावा भी भागीदारी के कोई अन्य प्रकार हो सकते हैं? आमतौर पर एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन द्वारा ही मतदान, अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता आदि अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं लेकिन एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि उसमें लगातार ऐसे और साधन प्रयोग किए जाते हैं जो शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाते हैं या शासन को विभिन्न सामाजिक तबकों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।



सामाजिक आंदोलन किसी देश या समाज में किसी समूह द्वारा अपनी मांगों के लिए मिल कर किया गया प्रयास होता है। यहाँ हम हमारे देश में हाल में हुए कुछ आंदोलनों के संदर्भ में यह समझने का प्रयास करेंगे कि :-

सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जनसहभागिता को कैसे प्रभावित करते हैं?

लोकतंत्र में समाज के अलग-अलग समूह राजनैतिक व्यवस्था और कानून निर्माण प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं?

6.1.1 नियमगिरी में डोंगरिया कोंडाओं का आंदोलन

छत्तीसगढ़ के पूर्व में ओडिशा राज्य है। यहाँ नियमगिरी नाम की एक पहाड़ी है जिसमें बाक्सार्ट (एल्युमिनियम अयस्क) का भण्डार है। राज्य सरकार ने इसके खनन के लिए एक कम्पनी से 2004 में करार किया था। यह एक वन्य क्षेत्र था, इसलिए यहाँ खनन के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी थी। कम्पनी

ने सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली। 27 जनवरी, 2009 का दिन था, कम्पनी की मशीनें खनन प्रारंभ करने के लिए पहुँच चुकी थी लेकिन उसी दिन सुबह से ही इस क्षेत्र में रहने वाले लोग नियमगिरी पहाड़ी के चारों ओर जुटने लगे थे। देखते-ही-देखते हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 10,000 महिला व पुरुष एकत्रित हो चुके थे। ये लोग नहीं चाहते थे, कि नियमगिरी पहाड़ी में खनन कार्य किया जाए। इन लोगों ने बुल्डोजरों से नियमगिरी को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार 17 किमी लंबी मानव श्रृंखला बनाकर पूरे नियमगिरी पहाड़ी को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों के पास जो तख्ती थी उन पर लिखा था—“वेदांत वापस जाओ, नियमगिरी में खनन बंद करो।”



चित्र 16.1 : नियमगिरी जनजातियों का एक प्रदर्शन

आइए, अब इस घटना के कारणों को समझते हैं। सरकार का मानना था कि विकास के लिए इस परियोजना की आवश्यकता थी। इस परियोजना में एक मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाली एल्युमिना रिफायनरी, 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाला बॉक्साइट खान, कालाहांडी जिले के लंजीगर में 75 मेगावाट का बिजली संयंत्र का निर्माण होना था। इन सबके लिए 4000 करोड़ रुपए का निवेश क्षेत्र में होना था जिससे वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते।

दूसरी ओर जिन लोगों ने खनन का विरोध किया था वे लोग नियमगिरी क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं। यह एक जनजातिय क्षेत्र है जहाँ डोंगरिया कोंड, डोंगरिया कूत और अन्य जनजातियाँ लंबे समय से निवास करती हैं। नियमगिरी पहाड़ी का नाम नियमराजा पेनु नामक एक राजा के नाम पर पड़ा है। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ आज भी इस पहाड़ी की पूजा नियमराजा के रूप में करती हैं। उनका मानना है कि नियमराजा उनकी रक्षा करता है। ये लोग नियमगिरी क्षेत्र में मिलने वाले वन, वन्य जीव, नदी, झरनों आदि से ही अपनी आजीविका कमाते हैं। इस प्रकार यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का आधार नियमगिरी पहाड़ी और यहाँ फैली प्राकृतिक संपदा ही है। अगर यहाँ खनन होता तो इन लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ता और उनकी आजीविका के साधन छिन जाते।

जब से सरकार और कम्पनी के बीच समझौता हुआ था तभी से ये जनजातियाँ खनन परियोजना का विरोध कर रही थीं। इसके लिए इन लोगों द्वारा एक लंबा शांतिपूर्ण संघर्ष किया गया। कुछ अन्य समाजसेवियों ने भी जनजातीय लोगों की मदद की। सरकार द्वारा जनजातियों की माँग पर परियोजना की जाँच के लिए कई समितियाँ गठित की गईं। इन समितियों ने यह पाया कि कम्पनी ने गलत तरीके से खनन की अनुमति प्राप्त की थी। जनजातीय क्षेत्र में खनन करना पीसा एक्ट (जिसके तहत जनजातिय-वनांचलों में पंचायतों को कई अधिकार दिए गए थे) का उल्लंघन था। नियमगिरी के जनजातिय लगातार जुलूस, प्रदर्शन और



चित्र 16.2 : नियमगिरी के जनजातिय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करवाए गए ग्रामसभा में उत्खनन परियोजना के विरोध में बोलते

वेदांत कंपनी के प्रवेश का विरोध करते रहे। उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय आया जिसके अनुसार पीसा एक्ट के तहत जनजातिय क्षेत्र की 12 ग्रामसभाओं को, इस बात के लिए मतदान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा या नहीं। अंततः सभी ग्रामसभाओं ने एक मत होकर खनन के विरोध में मतदान किया। इस प्रकार जनजातिय लोगों ने नियमगिरी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर अपने परंपरागत अधिकारों की लड़ाई एक लंबे समय के बाद जीती।

नियमगिरि लोगों के हितों की रक्षा करने में कानून, जन आंदोलन और न्यायालय की क्या भूमिकाएँ रही?



16.1.2 सूचना के अधिकार का संघर्ष

अभी हमने ओडिशा के जनजातियों की कहानी को समझने का प्रयास किया था। आइए, अब हम एक और जन आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं —

मध्य राजस्थान के जिले अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमन्द सूखा प्रभावित जिले हैं। यहाँ छोटे किसान और मजदूर जीवनयापन के लिए सरकार की योजना अकाल राहतकार्य और अन्य सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। इनमें से अधिकतर योजनाएँ पंचायतों द्वारा चलाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में काम के बदले न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती थी। 1987-88 में जब न्यूनतम वेतन 11 रुपए था आमतौर पर पुरुषों को 7 या 8 रुपए के हिसाब से और महिलाओं को 5 या 6 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी।



चित्र 16.3 : मजदूर किसान शक्ति समिति द्वारा आयोजित एक पदयात्रा

क्या आपके क्षेत्र में ऐसी समस्याएँ हैं? चर्चा कीजिए।

परेशान होकर यहाँ के मजदूरों द्वारा अपने कार्य की न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाने लगी। कई सरकारी कार्यालयों से शिकायत के बाद भी मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। इस पर मजदूरों ने संगठित होकर आंदोलन करने का विचार किया। इसके लिए 1 मई 1990 में मजदूरों ने 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' भी बनाया। कुछ समाजसेवियों ने इस संगठन का नेतृत्व किया।

'मजदूर किसान शक्ति संगठन' ने पूरी मजदूरी के लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर कई धरने दिए भूख हड़तालें की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मजदूरों को बताया जाता था कि उनके द्वारा काम कम किया गया है इसलिए मजदूरी भी कम मिलेगी। इस पर संगठन ने तय किया कि एक गाँव के 12 मजदूर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे। साथ ही वे अपने कार्य की नाप भी खुद ही करेंगे लेकिन ऐसा करने के बाद भी इन मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। इसके बाद क्षेत्र के मजदूर और किसानों ने 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' के साथ मिलकर आंदोलन किया। एक लंबे संघर्ष के बाद केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से इन 12 मजदूरों को पूरी मजदूरी मिली।

मजदूरों ने पूरी मजदूरी के लिए जो प्रयास किए क्या आप उनसे सहमत हैं ? हाँ तो क्यों?

क्या आपने किसी धरने या भूख हड़ताल के बारे में सुना है? चर्चा कीजिए।

इस सफलता के बाद मजदूरों ने अपने काम और उसके बदले में मिली मजदूरी का रिकार्ड रखना प्रारंभ कर दिया। सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरी का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता था, उसे मस्टर रोल कहते थे। मजदूरों ने मस्टर रोल पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। सरकारी रिकॉर्ड से मजदूरों को पता चला कि स्थानीय अधिकारियों और सरपंचों द्वारा मजदूरों को उतने वेतन का भुगतान नहीं किया गया जितना कि सरकार ने उनके कार्य के लिए दिया था। कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए।



चित्र 16.5 : एक जुलूस

जैसे ऐसे लोगों के नाम से भुगतान किया गया था जो उस गाँव में पिछले कई वर्षों से नहीं रह रहे थे। कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम पर भी मजदूरी का भुगतान किया गया था। मजदूरी कम दिन की गई और भुगतान अधिक दिन का किया गया। ऐसे भवन कागजों में बने जो कभी बने ही नहीं थे।

जनसुनवाई

अब मजदूर जान चुके थे कि सरकार तो उनकी मजदूरी पूरी देती है लेकिन जो अधिकारी और पंचायत के लोग मजदूरों को मजदूरी देते थे वे भ्रष्टाचार करते थे। मजदूरों को समझ आ गया था कि यह मामला केवल मजदूरी का ही नहीं है। अब मजदूरों ने सरकारी रिकॉर्डों को देखने की मांग की लेकिन सरकारी अफसर रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए संगठन ने तय किया कि वे क्षेत्र के गाँव में सभी लोगों को सरकारी कार्यों के भ्रष्टाचार के बारे में बताएँगे। इसके लिए संगठन ने कई जनसुनवाई की थी।

कोट किराना की जनसुनवाई

पहली जनसुनवाई 2 दिसंबर 1994 को आयोजित हुई। इसका विषय था, 1993-94 में पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति की, कोट किराना और बगदी कल्याण ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्य। इस जनसुनवाई में कई गाँव के लोगों ने भाग लिया और राजस्थान के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और समाजसेवी भी इस सुनवाई में उपस्थित रहे लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस सुनवाई में भाग नहीं लिया। इस जनसुनवाई में सैकड़ों लोगों के सामने उन 100 लोगों के नाम पढ़े गए जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में विभिन्न विकास योजनाओं में कार्य किया था और जिनको काम के बदले भुगतान किया गया था लेकिन अनेक लोगों ने इस बात को वहाँ आकर प्रमाणित किया कि न तो कभी उन्होंने इन योजनाओं में कार्य किया और न ही उनको कभी मजदूरी का भुगतान किया गया। मस्टर रॉल में ऐसे लोगों के नाम भी जुड़े हुए थे जो कई साल पहले परलोक सिधार गए। यहाँ यह भी दिखाया गया कि बिजली फिटिंग के जिन बिलों का भुगतान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था वह भवन बना ही नहीं था। ऐसी अनेक अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार की कई परतें इस पहली जनसुनवाई में खुली। इसके बाद कई जनसुनवाई और हुई इनमें भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार उजागर हुए।

क्या आपके क्षेत्र में इस प्रकार की जनसभाएँ हुई हैं? चर्चा कीजिए।

क्या आपको लगता है कि किसी मामले में आपके क्षेत्र में ऐसी जनसुनवाई की जरूरत है। चर्चा कीजिए।

सूचना के अधिकार की माँग

शुरु में आंदोलन की माँग केवल न्यूनतम मजदूरी के सही भुगतान से जुड़ी थी लेकिन पांच जनसुनवाई के बाद मजदूर विकास के कामों के सरकारी रिकॉर्ड को देखने की माँग कर रहे थे। वे माँग कर रहे थे कि लोगों की जिंदगी से जुड़े कामों के सरकारी रिकॉर्ड की सूचना सभी लोगों को मिलनी चाहिए। सरकारी अफसर रिकॉर्डों को छुपा कर रखते थे। इन छुपे हुए रिकॉर्डों में भ्रष्टाचार के मामले भी छुप जाते थे। इस बात को संगठन ने समझ

लिया था। मजदूरों का मानना था कि उनसे जुड़े कामों के रिकॉर्ड देखना उनका हक है। अब उनको यह हक कानूनी रूप से चाहिए था। आगे चलकर इसी माँग को सूचना के अधिकार की माँग के रूप में रखा गया।

सूचना के अधिकार के लिए संगठन ने बहुत प्रयास किए लेकिन जब सरकार ने उनकी माँग नहीं मानी तो 1997 में संगठन ने राजधानी जयपुर में एक बेमियादी धरना शुरू किया। इस धरने में राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों से लोगों ने हिस्सा लिया। यह धरना 26 मई 1997 से 14 जुलाई 1997 तक पूरे 53 दिन तक चला। इस धरने का अंत बड़े ही नाटकीय ढंग से 14 जुलाई 1997 को हुआ। सरकार ने बताया कि उसने एक साल पहले ही आंदोलन की माँगों के अनुसार नियम बना दिया था। इस नियम के अनुसार राजस्थान के आम आदमियों को पंचायतों से बिल, बाउचर्स, मस्टर रोल और अन्य विकास कार्य संबंधी दस्तावेजों को देखने और उनकी फोटो कॉपी लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था।

राजस्थान के साथ ही सूचना के अधिकार की माँग दूसरे राज्यों में भी चल रही थी। देश के कई राज्यों में सूचना के अधिकार को लागू किया गया। इसकी सूची इस प्रकार है —

क्र.सं.	राज्य	सन्
1	तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम 1997	5 मई, 1997
2	गोवा सूचना का अधिकार अधिनियम 1997	2 दिसंबर, 1997
4	महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2000	18 जुलाई, 2000
3	राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000	26 जनवरी, 2001
5	कर्नाटक सूचना का अधिकार अधिनियम 2000	2000
6	दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम 2001	2001



चित्र 16.5 : सूचना के अधिकार

पूरे देश में 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस प्रकार राजस्थान में चले सूचना के अधिकार आंदोलन ने एक लंबे शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की।

सूचना के अधिकार से आपको क्या लाभ हुआ है? चर्चा कीजिए।

आप सूचना के अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? चर्चा कीजिए।

16.1.3 शांति के लिए आंदोलन



ऊपर दिए गए सामाजिक आंदोलनों की तरह ही पूरी दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए हैं। इन आंदोलनों ने युद्धों को रोकवाने में और अन्तर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

आमतौर से शांति आंदोलन उन अभियानों और संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी युद्ध को खत्म करवाने, युद्धों के दौरान हो रही हिंसा को रोकवाने तथा हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है। शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य दुनिया में परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्धों को रोकवाना है। शांति आंदोलनों के तहत लोग तरह-तरह के संगठन बनाकर शांति की वकालत करते हैं। शांति शिविर लगाना, चुनाव में युद्ध का विरोध करने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करना तथा विभिन्न सरकारों की सुरक्षा एवं निःशस्त्रीकरण की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना शांति आंदोलन के मुख्य कार्य हैं।

शांति आंदोलन का क्या आशय है? उदाहरण देकर समझाइए।

शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं?

आपके विचार में देशों के बीच शांति होना क्यों जरूरी है?

परमाणु हथियारों के प्रसार विरोधी आंदोलन

जापान ने 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए दो परमाणु बम से हुए भयानक नुकसान को झेला था। इसलिए जापान में परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन काफी सक्रियता से फैला। 1954 में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया। जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ 35 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए। परमाणु हथियारों के खिलाफ यह पहला बड़ा प्रयास था।

इंग्लैण्ड में परमाणु निःशस्त्रीकरण के पक्ष में अभियान : एक केस स्टडी

जापान की तरह ही इंग्लैण्ड में भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चला। परमाणु हथियार विरोधी अभियान ने लगातार यह माँग उठाई कि इंग्लैण्ड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। अभियान ने यह माँग भी की, कि इंग्लैण्ड को हर तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन से वर्कशायर तक एलडरमास्टन यात्रा निकाली। एलडरमास्टन वर्कशायर में इंग्लैण्ड का परमाणु प्रतिष्ठान था। एलडरमास्टन यात्राएँ 60 के दशक के शुरुआती वर्षों में लगातार जारी रही।

प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टेन्ड रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 'कमेटी ऑफ 100' का गठन किया। इस समूह ने इंग्लैण्ड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इंग्लैण्ड के समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोधी

अभियान के प्रति उदासीन हो गए थे। शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों ने 'कमेटी ऑफ 100' की सदस्यता ग्रहण की और लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। लगातार धरने पर बैठने और प्रदर्शन करने की नीति तभी कामयाब हो सकती थी जब भारी संख्या में लोग इन प्रदर्शनों में शामिल होते। पुलिस की प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन, गिरफ्तारियों तथा अन्य अत्याचारों ने इस समूह के समर्थकों की गिनती को काफी कम कर दिया। रसेल को 89 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया जिसके चलते यह आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया क्योंकि 'कमेटी ऑफ 100' के ढांचे का कोई पदानुक्रम नहीं था और न ही इसकी सदस्यता औपचारिक थी। इसलिए बहुत से स्थानीय समूहों ने अपने आपको इस समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया। इससे यह आंदोलन व्यापक तो हुआ लेकिन 'कमेटी ऑफ 100' की नीतियों के बारे में काफी भ्रम पैदा होने लगे। धीरे-धीरे कमेटी के लोग परमाणु हथियारों व युद्ध के अलावा अन्य मुद्दों से जुड़ने लगे।

चर्चा कीजिए –

1. इंग्लैण्ड की संसद परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में प्रस्ताव पारित क्यों नहीं कर सकी होगी?
2. 'कमेटी ऑफ 100' द्वारा किया गया धरना, प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा आपस में चर्चा करें।

अमेरिका में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए शांति आंदोलन : एक केस स्टडी

जापान और इंग्लैण्ड की तरह अमेरिका में भी 1960 के दशक में परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण शांति आंदोलन किया गया। 1961 में जिस समय शीत युद्ध अपने शिखर पर था उस समय अमेरिकी महिलाओं ने 'शांति के लिए हड़ताल' नामक अभियान के तहत अमेरिका के 60 शहरों में यात्राएँ निकाली। इन यात्राओं में 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया तथा परमाणु हथियार रहित दुनिया बनाने और शीत युद्ध को खत्म करने के लिए एक वृहत प्रदर्शन किया। यह अमेरिका में परमाणु हथियारों के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा राजनैतिक प्रदर्शन था। 20 जून 1983 को अमेरिका के 50 से अधिक शहरों में परमाणु निःशस्त्रीकरण दिवस मनाया गया। 1986 में सैकड़ों लोगों ने परमाणु निःशस्त्रीकरण के पक्ष में लॉसएंजिल्स से वाशिंगटन तक की पद यात्रा की। अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल नवाडा में 80 व 90 के दशक में कई प्रदर्शन किए। इस तरह 1960 के दशक से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका में परमाणु अस्त्रों को रोकने तथा परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन काफी उल्लेखनीय ढंग से चला तथा उसने कुछ उपलब्धियाँ भी प्राप्त की।

अन्य देशों में शांति आंदोलन

उपर्युक्त देशों के अलावा कनाडा, जर्मनी, इजरायल तथा नार्वे जैसे अनेक देशों में शांति आंदोलन काफी सक्रियता से चले। शीत युद्ध के समय इन्होंने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध का समर्थन किया तथा हर तरह के हथियारों की दौड़ को रोकने पर जोर दिया। शीत युद्ध के बाद ये आंदोलन अमेरिका द्वारा ईराक पर किए गए आक्रमण को रोकवाने व सीमित करने में काफी सक्रिय रहे। बाद के कई अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों खासतौर पर मध्य पूर्व युद्ध, मिस्त्र, लीबिया, तथा सीरिया जैसे देशों के गृह युद्धों को रोकवाने के लिए यह आंदोलन शांति के प्रयास कर रहे हैं। यूरोप के विभिन्न देशों में सक्रिय ग्रीन पार्टी, कैंनेडियाई शांति सम्मेलन, जर्मनी शांति अभियान जैसे अनेक संगठन शांति आंदोलन को आगे बढ़ाने तथा युद्धों को रोकवाने के लिए काफी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं।

अभ्यास

प्रश्न 1 बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए -

1. नियमगिरी है -
 1. एक आंदोलन।
 2. एक पहाड़ी।
 3. बाक्साइड भण्डार।
 4. एक राजा।
2. नियमगिरी के लिए आन्दोलन किससे संबंधित नहीं था ?
 1. पर्यावरणीय आंदोलन
 2. सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन
 3. राजनैतिक आन्दोलन
 4. न्याय के लिए आन्दोलन
3. सूचना का अधिकार आन्दोलन प्रारंभ हुआ -
 1. न्यूनतम मजदूरी की माँग के लिए
 2. भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए
 3. मस्टर रोल की जानकारी के लिए
 4. उपर्युक्त सभी के लिए
4. शांति के लिए आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य है -
 1. युद्ध को रोकना
 2. निःशस्त्रीकरण
 3. परमाणु अस्त्र-शस्त्रों पर प्रतिबंध
 4. उपर्युक्त सभी
5. नियमगिरी पहाड़ी को बचाने के लिए किया गया -
 1. मानव श्रृंखला से 17 किमी तक पर्वत को घेर लिया गया।
 2. ग्रामसभाओं में पर्वत में खनन को अवैध घोषित किया गया।
 3. मतदान से जनमत संग्रह किया गया।
 4. पीसा एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया।
6. राजस्थान में किस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था -
 1. मजदूरी कम, भुगतान अधिक
 2. कागजों पर भवन बना
 3. अज्ञात लोगों का पारिश्रमिक भुगतान
 4. सूचना का अधिकार का उल्लंघन
7. नियमगिरी परियोजना में क्या व्यवस्था नहीं थी -
 1. एल्युमिना रिफायनरी
 2. बाक्साइड उत्पादन प्रतिवर्ष 3 मिलीयन टन
 3. 75 मेगावाट विद्युत उत्पादन
 4. पर्यावरण पर आधारित जनजीवन का संरक्षण
8. "मजदूर-किसान शक्ति संगठन" किस सत्याग्रह से सफल हुए -
 1. अनशन
 2. धरना
 3. सविनय अवज्ञा आन्दोलन
 4. ग्रामसभाओं में जनता न्यायालय में जनसुनवाई व भ्रष्टाचार को उजागर कर

9. निःशस्त्रीकरण के लिए शांति का आन्दोलन प्रारंभ हुआ —
 1. मध्यपूर्व के देशों के गृहयुद्ध से।
 2. साम्प्रदायिक आतंक से।
 3. नागासाकी-हिरोशिमा में परमाणु बम के विनाश से।
 4. प्रथम विश्वयुद्ध से।
10. शांति के लिए निःशस्त्रीकरण का मुख्य लक्षण है —
 1. शीतयुद्ध का अंत करना।
 2. हथियारों का उत्पादन बंद करना।
 3. रासायनिक, जैविक व परमाणु शस्त्रों का अंत।
 4. शांति व विकास कायम करना।

प्रश्न 2 खाली स्थान की पूर्ति कीजिए—

1. अमेरिकी.....ने शांति के लिए 60 अमेरिकी नगरों में हड़ताल, यात्रा व प्रदर्शन किया।
2. अमेरिका ने 20 जून 1983 को.....दिवस मनाया।
3. ब्रिटिश परमाणु प्रतिष्ठान वर्कशायर के.....में स्थित है।
4. नियमगिरी में.....अयस्क का भण्डार है।
5. अमेरिका का परमाणु परीक्षण स्थल.....है।
6. जनजाति क्षेत्रों में खनन.....एक्ट का उल्लंघन था।
7. देश में सन्.....से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ।
8. लेबर पार्टी.....देश से संबंधित है।
9.में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे।

प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए —

1. “कमेटी ऑफ 100” ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलता पूर्वक क्यों नहीं कर पाए? कारण लिखिए।
2. जापान में शांति के लिए निःशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ?
3. शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए।
4. सूचना का अधिकार का सर्वाधिक लाभ लिखिए।
5. जनसुनवाई से जनता को हुए अनुभव को लिखिए।
6. नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किनके निर्णय से हुई ?
7. नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किन जनजातियों का निवास था ?
8. नियमगिरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में क्या निर्णय दिया ?
9. सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन-यापन के लिए किन पर निर्भर होते हैं?

10. मस्टर रोल किसे कहते हैं? समझाइए।
11. सूचना का अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या-क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है?
12. परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने त्यागपत्र क्यों दिया?
13. राजस्थान के किन्हीं 4 जिलों के नाम लिखिए।
14. परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए।
15. निःशस्त्रीकरण को समझाइए।

चर्चा कीजिए –

1. क्या शांति आंदोलन किए जाने चाहिए। हाँ तो क्यों न तो क्यों? अपने तर्क दीजिए।
2. क्या आपने भारत में ऐसे किसी आंदोलन के बारे में सुना है? चर्चा कीजिए।
3. लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शांति आंदोलनों की क्या भूमिका होती है। चर्चा कीजिए।

अर्थशास्त्र





विकास की समझ

आपके विचार में विकास क्या है और उसमें क्या-क्या शामिल किया जाना चाहिए?

विकास की धारणा व्यापक है और इसके बारे में कई मतभेद होते हैं। इसका एक जैसा अर्थ निकाल पाना कठिन है क्योंकि अलग-अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग-अलग हैं। प्रायः व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति को ही अपना विकास मानता है परंतु हम चाहते हैं कि सबका जीवन बेहतर हो। वे कौन से उपाय हैं जिनसे सभी लोगों में समृद्धि आए तथा वे सुखी जीवन जी सकें? इसमें कई मतभेद सामने आते हैं। इसका हल कैसे निकालें? इस दिशा में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए? इस अध्याय में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे।

विकास – विभिन्न लोगों की दृष्टि से

नीचे की तालिका में कुछ लोगों की आकांक्षाएँ दर्शायी गई हैं। इनमें वे व्यक्तिगत विकास के बारे में क्या सोचते हैं? की कल्पना की गई है। ये उदाहरण मात्र हैं हो सकता है कि उनके और भी लक्ष्य हों। आप इस सूची में शामिल लोगों की संभावित आकांक्षाओं का अनुमान लगाते हुए तालिका को पूर्ण कीजिए –

तालिका – 17.1

क्र.	विभिन्न लोग	विकास के लक्ष्य/आकांक्षाएँ
1.	दिहाड़ी मजदूर	वर्ष भर काम, बेहतर मजदूरी, बच्चों के लिए शिक्षा,
2.	उद्योगपति	सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, सड़क-बिजली की व्यवस्था, शान्तिपूर्ण वातावरण,
3.	कॉलेज की छात्रा	शिक्षा के बेहतर अवसर, रोजगार के अवसर, लड़कों के समान स्वतंत्रता व सुरक्षा,
4.	एक शिक्षित बेरोजगार जैसे इंजीनियर	रोजगार के अवसर, आवास की सुविधा,
5.	महिला खेत मजदूर	अच्छी मजदूरी, सुरक्षा, साल भर रोजगार व स्वास्थ्य सेवाएँ

6.	आप स्वयं	-----
7.	छोटा किसान	-----
8.	शिक्षक	-----
9.	गाँव का सरपंच	-----

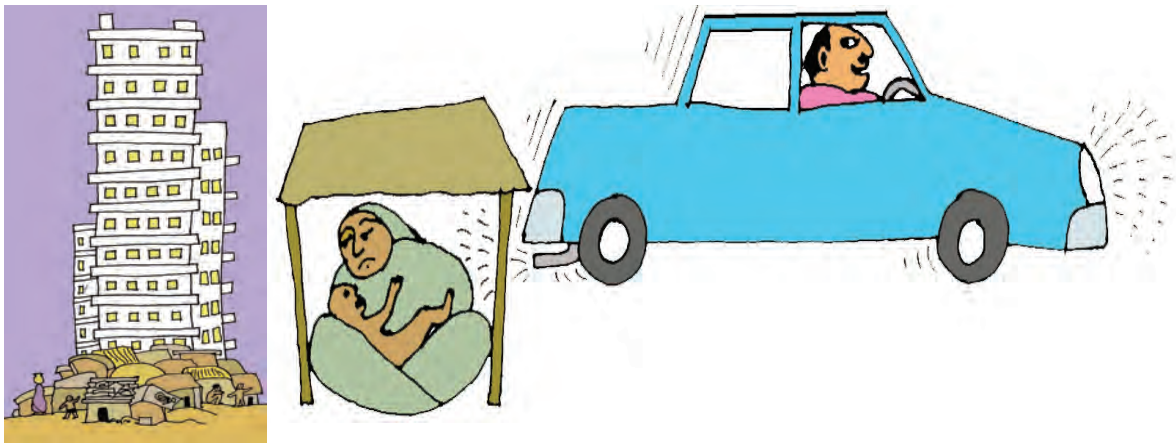


चित्र 17.1 : इनकी क्या आकांक्षाएँ हो सकती हैं, लिखिए।

तालिका 17.1 के निरीक्षण से यह पता चलता है कि प्रायः सभी लोग उन चीजों की आकांक्षा रखते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये आकांक्षाएँ कई तरह की हैं। आपने देखा कि कॉलेज की छात्रा शिक्षा के बेहतर अवसर एवं रोज़गार की सुविधाओं के अतिरिक्त स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को आवश्यक समझती है। वहीं कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। उद्योगपति अपने उत्पादन को अधिक लाभ पर बेचना चाहता है, वहीं दिहाड़ी मज़दूर सम्मानजनक मज़दूरी के साथ साल भर काम मिलने की उम्मीद करता है। वह चाहता है कि उसके बच्चों को दिहाड़ी मज़दूरी न करना पड़े।

कभी-कभी इस तरह की आकांक्षाओं में परस्पर विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे— एक लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करके अफसर बनने की उम्मीद रखती है। हो सकता है कि उसके अभिभावक को यह पसन्द न हो। इसी प्रकार एक उद्योगपति अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना चाहता है। वहीं एक उपभोक्ता की इच्छा अच्छी एवं सस्ती वस्तुएँ प्राप्त करने की होती है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने व परिवार के विकास के हितों की रक्षा हेतु कई प्रकार की आकांक्षाएँ रखता है। परन्तु क्या आप सोच सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र के सभी लोगों के विकास की बात की जाए तो यह उन लोगों के व्यक्तिगत विचारों से अलग होगी। जब हम सभी लोगों के हित या 'सार्वजनिक हित' की बात करते हैं तो हमें कुछ और विशेष ज़रूरतों पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए— विद्यालयों की स्थापना से गाँव/शहर के अधिकांश लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है जो



चित्र 17.2 शीर्षक

पहले नहीं मिल पा रहा था। इन सुविधाओं की सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएँ चलाई जाती हैं। इससे सभी लोगों तक इस सुविधा की पहुँच सुनिश्चित होती है और सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा स्वच्छता आदि शामिल हैं जो सबके हितों के लिए होते हैं।

सार्वजनिक हितों को समझने का प्रयास करें। कोई एक गाँव है। उस गाँव में आने-जाने के लिए एक पगडंडी थी। सामान्य दिनों में आवागमन में कोई खास परेशानी नहीं होती परन्तु बारिश के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील होकर बंद हो जाता था। इस कारण वहाँ के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कुछ लोगों को विचार आया कि क्यों न इस पगडंडी की जगह पक्की सड़क बना दी जाए। उस पगडंडी से लगी हुई ज़मीन के कुछ भूस्वामी पक्की सड़क बनाने हेतु अपनी ज़मीन देने को तैयार हो गए पर वहीं कुछ और लोगों ने इससे इंकार किया। जब इस मुद्दे पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और विस्तृत चर्चा की गई तो अंततः सभी भूस्वामी सार्वजनिक हित को देखते हुए अपनी भूमि देने को तैयार हो गए। इस प्रकार सड़क बनने से सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाया।

ऊपर दिए गए चित्रों के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखें।

आपके गाँव/शहर के लिए कौन-कौन से विकास के लक्ष्य होने चाहिए और क्यों? कुछ उदाहरण देते हुए समझाइए।

विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति को सार्वजनिक हित की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। चर्चा करें।

आपके यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने एवं सबके लिए उपलब्ध करवाने हेतु तीन सुझाव रखिए।

विकास की योजनाओं में विरोधाभास

क्या विकास के लिए उद्योग और खदान आवश्यक हैं? उद्योगपति लाभ कमाने के उद्देश्य से खनिजों के उत्खनन व कल कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता देते हैं। उनका तर्क है कि जब किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना होगी तो उसके आसपास के लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे एवं अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा लेकिन दूसरी ओर उद्योगों की स्थापना व खनिजों के उत्खनन हेतु अधिक मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित होते हैं। उन्हें विस्थापन हेतु मजबूर

होना पड़ता है। पुनर्वास की सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हो पातीं। उन्हें अपनी संस्कृति एवं आजीविका से बेदखल होना पड़ता है। इस प्रकार समाज में विरोधाभास एवं टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती है।

ओडिशा में कोयला, बॉक्साइट व लौह अयस्कों की अधिकता है। इस कारण राज्य में लगभग 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है। इससे वहाँ के निवासियों को अपनी भूमि से विस्थापित होने का भय सता रहा है। विगत वर्षों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना से उनकी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ ज़मीन अधिग्रहित की जा चुकी है, बड़े पैमाने पर जंगल उजड़ चुके हैं और जल स्रोत सूख रहे हैं। इन उद्योगों की स्थापना के खिलाफ लोगों ने बार-बार अपना विरोध दर्ज़ किया है। उनका तर्क है कि मुआवज़े की राशि खर्च हो जाती है और बाद में उन्हें मज़दूरी के लिए भटकना पड़ता है क्योंकि जमीन के अभाव में उनके पास नियमित रोज़गार नहीं होता। साथ ही उनकी संस्कृति और जीवन शैली प्रभावित होती है।

पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है जो वहाँ आस पास रहनेवालों के लिए हानिकारक होगा। इस कारण भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के निर्देश भी दिए हैं।

(स्रोत: चर्निंग दी अर्थ – श्रीवास्तव एवं कोठारी, पेंगुइन, 2012)

इस प्रकार के विरोधाभास उद्योग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं –

शहरों से प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरे को उठाकर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है जिससे वहाँ का वातावरण और जल प्रदूषित होता है जबकि बहुत कम खर्चे पर इस कचरे से विद्युत उत्पादन, खाद आदि उत्पन्न किए जा सकते हैं और कचरे के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है।

सिंचाई हेतु जब बाँध बनाए जाते हैं तो बाँध के निचले इलाके के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वहीं बाँध के ऊपर वाले क्षेत्र में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। अतः राज्य से अपेक्षा है कि वह सबके हित में पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करे।

ओडिशा राज्य में उद्योगों की स्थापना से क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है?

आपके मतानुसार सार्वजनिक हित को ध्यान रखते हुए इस उदाहरण में क्या कार्य किया जाना चाहिए?



चित्र 17.3 : उद्योग और उत्खनन

कोई अन्य उदाहरण दें जहाँ इस प्रकार का विरोधाभास पैदा हुआ है?

क्या सार्वजनिक हित के नज़रिए से इनके हल ढूँढे जा सकते हैं? चर्चा करें।

आय एवं अन्य लक्ष्य

आइए हम एक बार पुनः तालिका 17.1 का अवलोकन करते हैं। इसमें से अधिकांश का लक्ष्य अंततः अधिक आय प्राप्त करना ही है, जैसे कि मज़दूर बेहतर मज़दूरी, उद्योगपति अधिक लाभ, कॉलेज की छात्रा एवं बेरोज़गार इंजीनियर रोज़गार के अच्छे अवसर प्राप्त कर अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। आय प्राप्त करने से ही वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएँगे तथा उनका जीवन स्तर उठेगा। वास्तव में आय प्राप्त करने के साथ-साथ लोगों की और भी इच्छाएँ होती हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं।

तालिका 17.1 के आधार पर बताइए कि लोग आय के अतिरिक्त और किन-किन चीज़ों को अपने लिए आवश्यक मानते हैं –

1.
2.
3.

व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ वह बराबरी का व्यवहार तथा स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है। प्रायः लोग सुरक्षा को भी एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं क्योंकि असुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। यहाँ सुरक्षा से तात्पर्य भयमुक्त समाज, भेदभाव रहित व्यवहार तथा वंचित वर्गों के लिए समाज का विशेष संरक्षण एवं अवसरों की उपलब्धता है। हर व्यक्ति रोज़गार के साथ-साथ यह भी आशा रखता है कि उसके रोज़गार में स्थायित्व हो तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा, आवास, पेयजल, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा उसके बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। इसके अभाव में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तथा उसका विकास भी अवरुद्ध होता है।

आय के मापदंड और आय का वितरण

आइए अब हम चर्चा करें कि देश के लिए कौन-कौन से विकास के सूचक होने चाहिए। देश के विकास हेतु राष्ट्रीय आय को एक प्रमुख सूचक माना जा सकता है। इस आय का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति में किया जाता है। इसे खर्च करके वे वस्तु एवं सेवा खरीदते हैं। देश के कुल उत्पादन से हम समाज के आय का अंदाज़ लगा सकते हैं। इसीलिए हम प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. को एक सूचक मानते हैं। प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. एक औसत है जो देश या क्षेत्र के कुल उत्पादन में जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है।

तालिका – 17.2

चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14	
राज्य	प्रति व्यक्ति आय
महाराष्ट्र	1,14,392 रु.
केरल	1,03,820 रु.
बिहार	31,199 रु.

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, भारत सरकार, 2015

तालिका 17.2 महाराष्ट्र, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। आय से हमारा आशय राज्य के घरेलू उत्पाद से है। हम पिछली कक्षा से याद करने की कोशिश करें कि सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है – उस राज्य के किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम। इसका अर्थ है कि औसतन महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष में 1,14,392 रुपए की वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध हैं जबकि बिहार में औसतन प्रति व्यक्ति के लिए केवल 31,199 रुपए की वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध हैं। इस सूचक से हम राज्यों की तुलना कर सकते हैं एवं समय के साथ इनकी प्रगति का अंदाज़ लगा सकते हैं।

प्रति व्यक्ति आय मात्र एक संकेत है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोगों को इतना प्राप्त हो रहा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आय अलग-अलग है। कुछ लोगों की आय औसत से बहुत अधिक होती है किंतु अधिकांश लोगों की आय औसत से कम होती है। इस असमानता को समझने के लिए हमें आय का वितरण भी देखना होगा।

औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है फिर भी यह आय के वितरण की असमानताएँ छुपा देती है। मान लीजिए कि एक समूह में पाँच लोग हैं जिनकी आय अलग-अलग है। हम यह जानना चाहते हैं कि दो वर्ष के बाद इस समूह की आय में क्या परिवर्तन हुआ है। इसे तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं –

तालिका – 17.3

वर्ष	समूह की औसत आय (रुपए में)						प्रति व्यक्ति आय (औसत आय)
	A	B	C	D	E	कुल आय	
2010	2000	4000	5000	6000	3000	20,000	4000
2012	2000	8000	6000	6000	8000	30,000	6000

तालिका 17.3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2012 की औसत आय में वृद्धि हुई है अर्थात् इस समूह में विकास दिखाई दे रहा है परन्तु सभी लोगों की आय में वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक ओर B, C और E की आय में वृद्धि हुई है दूसरी ओर A और D की आय स्थिर है। अतः औसत आय को विकास के मापन का सूचक मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति के आय के वितरण को भी देखना ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि सभी लोगों को विकास का मौका मिला है या यह विकास कुछ लोगों तक ही सीमित है।

इसी प्रकार उपभोग व्यय भी विकास को मापने का एक प्रमुख संकेतक है क्योंकि इससे लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए खर्च की जानकारी मिलती है। अलग-अलग वर्गों द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है, सरकार इसकी जानकारी सर्वे द्वारा प्राप्त करती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई भी समूह उपभोग पर कितना व्यय कर रहा है। जो उपभोग पर जितना अधिक व्यय करता है, वह आर्थिक रूप से उतना ही अधिक समृद्ध माना जाता है। उपभोग व्यय से समाज में आय के वितरण का पता चलता है।

आइए तालिका 17.4 का अवलोकन करें –

तालिका – 17.4

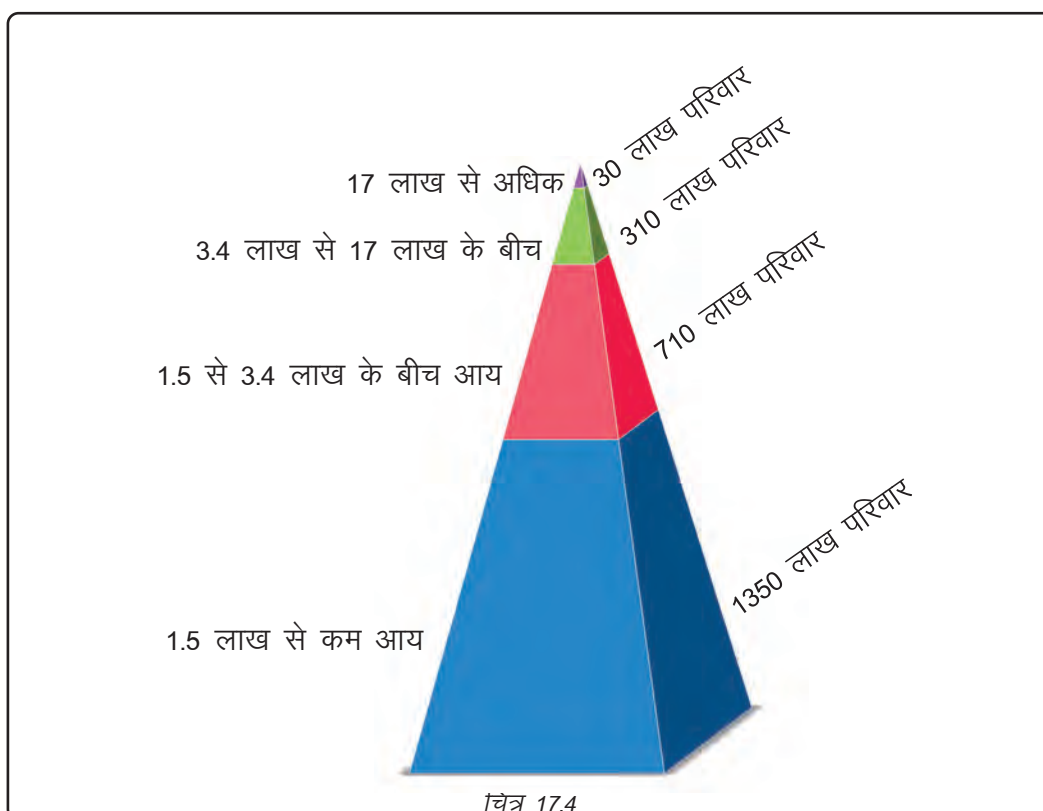
भारत के ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय (वर्ष 2011-12)

ग्रामीण समूह	कुल उपभोग व्यय
कृषक	1436 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
वेतनभोगी	2002 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
आकस्मिक खेत मज़दूर	1159 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह

स्रोत – एन एस एस ओ रिपोर्ट नं. 562, 2015. सामाजिक-आर्थिक समूहों में परिवार उपभोक्ता व्यय

उपर्युक्त तालिका का अवलोकन करने पर पता चलता है कि कृषक अपने उपभोग पर कुल 1436 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खर्च करता है। इसी प्रकार ग्रामीण वेतनभोगियों का प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कुल उपभोग व्यय 2002 रुपए हैं। कृषि क्षेत्र में आकस्मिक मज़दूरों का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1159 रुपए है। इस तरह से इस तालिका के अनुसार आकस्मिक मज़दूरों का कुल उपभोग व्यय सबसे कम है। इसका कारण यह है कि इन लोगों को नियमित काम नहीं मिल पाता है और मज़दूरी की दर भी कम रहती है। इस कारण इनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है और इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि विकास का लक्ष्य सार्वजनिक हित को सामने रखकर किया जाता है तो इनके जीवन स्तर पर प्रभाव दिखना चाहिए।

नीचे दिए गए पिरामिड में भारत में आय के आँकड़े दर्शाए गए हैं। इन्हें अपने शब्दों में समझाएँ।



छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2013-14 में 58,547 रुपये थी। इसकी तुलना अन्य राज्यों से करें।

क्या आप अपने परिवार के प्रतिव्यक्ति आय का पता लगा सकते हैं?

आय के असमान वितरण का क्या असर पड़ता है? चर्चा करें।

अपने आसपास के किन्हीं दो भिन्न परिवारों के प्रति माह व्यय का पता करें। इनमें यह अंतर क्यों है, समझाएँ।

विकास के अन्य सूचक : शिक्षा एवं स्वास्थ्य

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था का समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है एवं सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है वहाँ बाल मजदूरी की प्रथा स्वतः समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध करने में कुछ अधिक समर्थ हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर रोगों से बचाव किया जा सकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता एवं इसका प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता जिन्हें इनका लाभ मिलता है वरन् समाज के अन्य सदस्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होने से उनकी प्रतिभा का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज में बालिकाओं व महिलाओं को अपनी बात रखने के मौके मिलते हैं। समाज में महिलाओं की बात को सुनने का वातावरण उत्पन्न होने से उसकी भूमिका बदलती है। पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर स्वास्थ्य के निर्धारण हेतु अनिवार्य तत्व है। जिन देशों में इन सेवाओं की समुचित व्यवस्था है उन देशों का विकास तेजी से हो रहा है।

मानव विकास सूचकांक

विकास को मापने के लिए आय के स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है किन्तु समग्र विकास को मापने के लिए यह मापदंड पर्याप्त नहीं है। हमें अन्य मापदंडों के बारे में भी विचार करना होगा। इसकी सूची लम्बी हो सकती है पर हमें कुछ चुने हुए मापदंडों को लेना होगा। पिछले लगभग दो दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सूचकों को राष्ट्रीय आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास की माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्टों में भी विभिन्न देशों की तुलना उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है।

जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के **औसत अनुमानित जीवन काल** को दर्शाती है। यह एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। समग्र विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। साक्षरता दर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताती है। यदि हम सबके लिए स्कूलों की व्यवस्था कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी में यह साक्षरता दर बढ़नी चाहिए।

पाँच वर्ष तक की उम्र मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास होता है। यदि इस अवधि में बच्चा कुपोषित होता है तो उसका प्रभाव जीवन भर पड़ने की संभावना बनी रहती है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक

स्वस्थ जीवन जीने का मौका दें। बच्चों में कुपोषण को दो रूपों में मापा जा सकता है उम्र के अनुसार ऊँचाई तथा उम्र के अनुसार वज़न। बच्चों में ऊँचाई तथा वज़न का स्तर यदि एक सीमा से कम है तो वे बच्चे कुपोषित कहलाएँगे। इस बात की बेहतर जानकारी आप आँगनबाड़ी केन्द्र में जाकर पता कर सकते हैं। उपर्युक्त महत्वपूर्ण सूचकों के आधार पर हम निम्नांकित तालिका का अवलोकन कर सकते हैं—

तालिका - 17.5

भारत व पड़ोसी देशों के चयनित मानव विकास सूचक (वर्ष 2010)

देश	जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	साक्षरता दर 15+ (प्रतिशत)	5 वर्ष के उम्र के बच्चों में कुपोषण का स्तर	
			उम्र के अनुसार कम ऊँचाई (प्रतिशत)	उम्र के अनुसार कम वज़न (प्रतिशत)
नेपाल	69	59	49	39
भारत	65	63	48	43
चीन	73	98	10	04
श्रीलंका	75	91	17	21

* भारत का साक्षरता दर + 7 वर्ष से निर्धारित होता है

स्रोत - यूनेस्को रिपोर्ट, एचडीआर-2013, यूनिसेफ-2012

मानव विकास की दृष्टि से हमें आय व अन्य लक्ष्यों को समग्र रूप से देखना चाहिए। इसी नज़रिए से हमने मानव विकास के सूचकों को समझा है। विकास का प्रभाव मानव जीवन पर झलकना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक इसके सबसे अहम् पहलू हैं।

तालिका 17.5 को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

किन देशों में मानव विकास का स्तर बेहतर दिखाई दे रहा है?

पिछले 10 वर्षों में भारत की प्रतिव्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हुई है जो नेपाल की तुलना में अधिक है। फिर भी मानव विकास सूचकों में बहुत अंतर दिखाई नहीं देता। चर्चा कीजिए।

भारत में मानव विकास सूचकांक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए हम प्रतिव्यक्ति आय की तुलना करते हैं। देशों की अलग-अलग मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखते हैं, यानी एक डॉलर कितने रुपए के बराबर होगा या कितने युआन या कितने नेपाली रुपए के बराबर होगा। मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति के पास 100 डॉलर हैं और वह व्यक्ति भारत आता है तो उसके पास कितने रुपए होंगे? एक डॉलर = 65 रुपए बाज़ार भाव के अनुसार उसके पास लगभग 6,500 रुपए होंगे परन्तु यहाँ हम बाज़ार भाव का उपयोग नहीं करते।

यदि बाज़ार भाव नहीं लेते तो डॉलर और रुपए में अनुपात कैसे निकाला जा सकता है? विभिन्न देशों के सर्वेक्षणों के आँकड़ों द्वारा यह पता करते हैं कि एक डॉलर में समान मात्रा में कितनी वस्तु और सेवा खरीदी

जा सकती है? उपर्युक्त उदाहरण में मान लीजिए कि एक व्यक्ति 100 डॉलर खर्च करके अमेरिका में कुछ वस्तुएँ खरीदता है। जब वह भारत आता है तो उसी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे कितने पैसे खर्च करने होंगे? मान लीजिए उस व्यक्ति ने भारत में उसी सामान के लिए 3,500 रुपये खर्च किए। यानी एक डॉलर 35 रुपये के बराबर हुआ। ऐसा करने से क्रय शक्ति बराबर रखी जा सकती है। आय की तुलना इसी अनुपात से की जाती है ताकि क्रय शक्ति समता (परचेसिंग पॉवर पैरिटी) बनी रहे।

नीचे दी गई तालिका 17.6 पर चर्चा करें –

देश	प्रति व्यक्ति आय (अमेरिकी डॉलर में)
भारत	5497
नेपाल	2311
श्रीलंका	9779
चीन	12547

स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट 2015

क्रय शक्ति समता के आधार पर तुलना बेहतर क्यों है? इस तालिका को देखते हुए भारत और चीन की तुलना कीजिए।

सार्वजनिक सुविधाएँ

केवल निजी आय से ही हम अपने बेहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएँ नहीं खरीद सकते जैसे, अपनी आय से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। पैसा भी हमें संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। इस हेतु स्वच्छ वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है ताकि बीमारियों के फैलाव से बचा जा सके। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पृथक-पृथक सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए जा सकते परन्तु एक सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार हमें कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल की सार्वजनिक उपलब्धता से सभी लोगों को फायदा होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारु व्यवस्था से लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुविधाएँ कम कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं। इससे कुपोषण का स्तर कम होता है।

मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभाव लम्बे समय तक कैसे रहता है इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आज़ादी के समय हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा का स्तर बहुत कम था। 1991 में यहाँ के केवल 64 प्रतिशत लोग साक्षर थे। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पाठशालाओं का विकास करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था हालाँकि सरकार एवं जनता दोनों ही शिक्षा के लिए उत्सुक थे।

राज्य सरकार ने पाठशालाएँ शुरू कीं और निःशुल्क अथवा कम लागत पर शिक्षा सुनिश्चित किया। धीरे-धीरे इन विद्यालयों में शिक्षकों, कक्षाओं, शौचालय तथा पीने के पानी आदि की सुविधाएँ दी गईं। यह आश्चर्यजनक है कि वर्ष 2005 में जबकि पूरे देश में प्रत्येक बालक-बालिका की शिक्षा पर औसत 1049 रुपये खर्च किए जा रहे थे जबकि हिमाचल प्रदेश में यह खर्च 2005 रुपये था। इस राज्य में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। फलस्वरूप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया। यहाँ शिशु मृत्यु दर तथा लड़कियों की बाल मृत्यु दर में भी कमी आई। यहाँ की महिलाएँ कामकाजी एवं आत्मविश्वासी हैं,

खुद भी घर से बाहर काम करते हुए अपनी बेटियों से बाहर काम करने की उम्मीद रखती हैं। ग्रामीण मंडलियों में इनकी सक्रिय भागीदारी है। इस प्रकार शिक्षा ने इस प्रदेश में काफी बदलाव ला दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 83.98 प्रतिशत तक पहुँच गई है। अब इस राज्य का मानव विकास सूचकांक अन्य राज्यों से काफी बेहतर है।

इसकी एक झलक नीचे दी गई तालिका 17.7 में देख सकते हैं –

हिमाचल प्रदेश में पाँच वर्ष से अधिक स्कूली शिक्षा पाने वाले छात्र-छात्राएँ

	1993 (प्रतिशत में)	2006 (प्रतिशत में)
छात्राएँ	39%	60%
छात्र	57%	75%

(स्रोत: अ. डे. प्रोब – रीविजिटेड, ओ यू पी, 2011)

इस प्रकार हमने इस अध्याय में विकास की अवधारणा को जानने का प्रयास किया। विकास के मापन हेतु हमारे पास कई मापदंड मौजूद हैं। इन मापदंडों के आधार पर मानव विकास संकेतकों में हुई प्रगति का जब हम अनुमान लगाते हैं तब विकास का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा तथा समाज में पोषण का स्तर जैसे मानकों की कसौटी पर खरा उतरने वाला विकसित समाज की श्रेणी में रखा जाता है।



अभ्यास

1. सही विकल्प चुनिए –

- मान लीजिए एक समूह में 5 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रतिव्यक्ति औसत आय 4 हजार रुपए है। यदि अगले दो वर्षों में इन परिवारों की प्रतिव्यक्ति औसत आय 5 हजार हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि –
 - समूह का स्तर घटा है।
 - सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है।
 - समूह का स्तर बेहतर हुआ है।
 - सभी व्यक्तियों की आय घटी है।
- सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है –
 - अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए।
 - पैसे कमाने के लिए।
 - सार्वजनिक हित के लिए।
 - सरकारी कार्यालयों के लिए।

2. विकास को मापने के प्रमुख संकेतक कौन-कौन से हैं?
3. भारत की प्रतिव्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकों में लगभग बराबर होना क्या दर्शाता है?
4. भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है? एक लेख लिखिए।
5. आपके क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विकास परियोजनाओं में क्या संभावनाएँ दिखती हैं? क्या कोई विरोधाभास दिखाई देता है, संक्षिप्त में समझाइए।
6. अलग-अलग समूह के कुल उपभोग व्यय से हमें क्या पता चलता है? क्या यह महत्वपूर्ण संकेतक है?
7. महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या-क्या उपाय करना चाहिए? अपने विचार लिखिए।
8. तालिका 17.3 में हम मानकर चल रहे हैं कि इस दौरान वस्तु और सेवा के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। चर्चा करें।
9. औसत आय से आय के वितरण की असमानताएँ छिप जाती हैं? समझाएँ।
10. ऐसे उदाहरण सोचिए जहाँ वस्तुएँ और सेवाएँ व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा।
11. इस पाठ में दिए गए संकेतों के अतिरिक्त विकास के लिए और क्या संकेतक हो सकते हैं?
12. निम्नलिखित विचारों पर चर्चा करें—
 1. शिशु मृत्यु दर
 2. बीमारी पर खर्च किया गया व्यय
 3. स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत
 4. वर्ष भर में छह महीने से कम रोज़गार प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत
13. यदि आपको अपने स्कूल के विकास के लिए संकेतक बनाने हों (परीक्षाफल के अतिरिक्त) तो उसमें आप क्या-क्या रखना चाहेंगे। अपने विचार लिखिए।

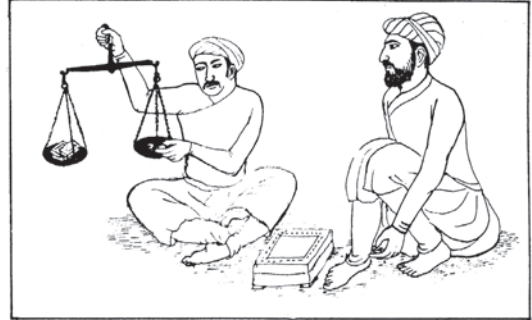


मुद्रा एवं साख

मुद्रा का बदलता स्वरूप

हमारे दैनिक जीवन में हमें रुपयों और पैसों की आवश्यकता होती है। इनसे हम लेन-देन करते हैं। जहाँ हम इन रुपयों से आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदते हैं। वहीं हम लोगों को उनकी दी गई वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुगतान भी करते हैं। यही रुपए-पैसे मुद्रा हैं। इस प्रकार मुद्रा हमारे सभी वित्तीय लेन-देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है।

मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा है। हमने इतिहास के अध्यायों में लेन-देन के लिए धातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ा है। धातुओं को सुरक्षित रखना अपने आप में एक कठिन कार्य था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमेशा चोरी का भय बना रहता था। व्यापार के लिए हर बार तौलने की सुगम व्यवस्था नहीं थी। बाद में कुछ समस्याओं का समाधान सिक्कों के चलन से हुआ। सिक्कों में तौल निश्चित होती थी और उनको प्रामाणिक करने के पीछे राजाओं की प्रतिष्ठा और पहचान होती थी। जैसे आप नीचे दिए चित्रों में देख सकते हैं।



चित्र 18.1 : टकसाल में चाँदी तौलते हुए



सिक्के काटे जा रहे हैं।



सिक्कों पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं।

चित्र 18.2 : व्यापारी टकसाल जाकर सिक्के बनवाते थे और फिर इनका उपयोग व्यापार में करते थे।

धातु के सिक्कों के रूप में मुद्रा का प्रचलन व्यापक हो गया। सिक्कों के रूप में मुद्रा के चलने पर इसमें सरलता के साथ कुछ खामियाँ भी सामने आने लगी थीं। सिक्कों की शुद्धता की जाँच करने पर हर जाँच में इसे खुरचने, छीलने और इनके भार में कमी के कारण व्यापारीगण इनकी शुद्धता और भार पर संदेह करने लगे। कुछ लोगों ने सिक्कों में मिलावटी धातुओं का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए सिक्कों के निर्माण व आकार में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने लगे जैसे — सिक्कों की बाहरी गोलाई की परतें मोटी की जाने लगी।



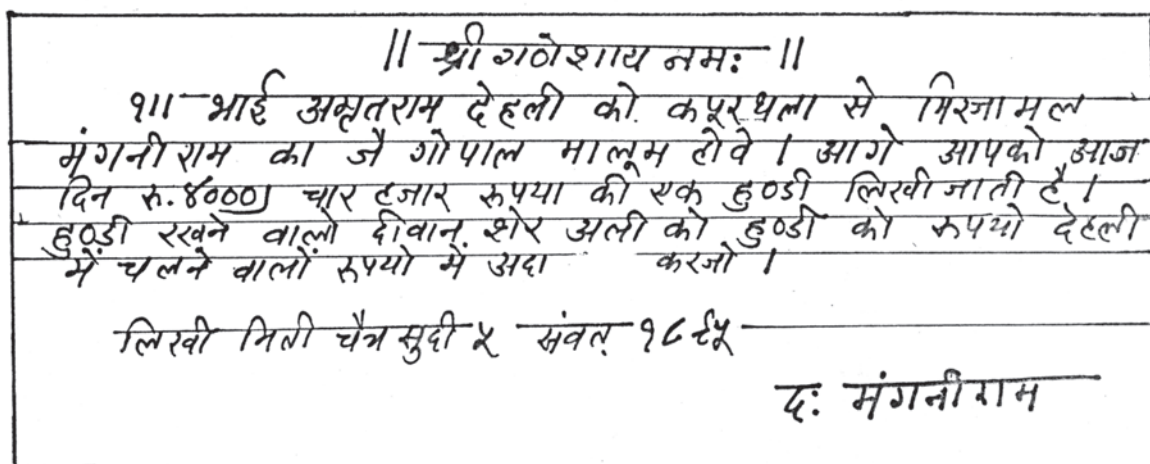
चित्र 18.3 : भारत के सोने के सिक्के



चित्र 18.4 : ब्रिटिश कालीन भारतीय सिक्का

व्यापार के बढ़ने के साथ-साथ कुछ नई समस्याएँ आने लगी। सामान खरीदने के लिए उन्हीं सिक्कों की ज़रूरत होती जो उस क्षेत्र में स्वीकार्य हों और चलते हों। हर क्षेत्र में अलग-अलग सिक्के चलते थे। व्यापारियों की लेनदेन के लिए एक तरह के सिक्कों को दूसरे में बदलने की ज़रूरत होने लगी। इस तरह एक को दूसरे में बदलना अपने-आप में एक कारोबार बन गया।

भारत में व्यापारियों ने इस समस्या का एक हल निकाला। इससे उन्हें हर बार सिक्कों के ढेर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाने पड़ते। जिस शहर में उन्हें चीजें खरीदनी होती, वे उस जगह के लिए एक हुण्डी लिखवा लेते।



चित्र 18.5 : हुण्डी

इस उदाहरण में कपूरथला के दीवान शेर अली को दिल्ली जाना था। मिरजामल मंगनीराम जो पैसों का कारोबार करते थे उनकी एक गद्दी (ऑफिस) दिल्ली में भी थी। दीवान शेर अली ने कपूरथला में मिरजामल मंगनीराम के यहाँ 4000 रु. जमा किए। मिरजामल ने दिल्ली में अपने मुनीम को पत्र लिखा कि वे दिल्ली में दीवान शेर अली को वहाँ चलने वाले पैसों में 4000 रु. अदा करें। दिल्ली में रुपए लेकर उन्होंने अपनी खरीदारी कर ली।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार बढ़ने के साथ ही मुद्रा के नए स्वरूप भी चलन में आने लगे। पत्र मुद्रा (Paper Currency) का चलन भी प्रारंभ हो गया। सराफा व्यापारी द्वारा रखे गए सोने या चाँदी की रसीदें प्रामाणिक मानी जाने लगीं, क्योंकि ये उन्हें सुरक्षित रखते और माँगने पर लोगों को उनका सोना व चाँदी वापस मिल जाता। इस प्रकार विश्वास बनता गया और व्यापारी आपसी लेन-देन के लिए सराफा व्यापारी द्वारा दिए गए वचन पत्र के आधार पर सौदों को स्वीकार करने लगे। इस तरह शुरुआती बैंक बनने लगे और उनकी स्वीकार्यता व्यापक रूप से बढ़ने लगी। साथ ही पत्र मुद्रा में विश्वास भी गहरा होता गया।

आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप

आज हम लेन-देन के लिए रुपयों और पैसों का उपयोग करते हैं। इसके पीछे सर्वस्वीकार्यता की बात है। इसका चलन है क्योंकि सभी इसे स्वीकार करते हैं। विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता देती है। यह वैधानिक होती है इसलिए लेन-देन में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता।

पुरानी परम्परा के अनुसार आज भी रुपयों पर “मैं धारक को..... रुपये अदा करने का वचन देता हूँ” लिखा रहता है। पहले इस कथन के पीछे उसी कीमत का सोना या चाँदी देने का वचन लिखा रहता था। यदि आपको बैंक द्वारा दी गई पत्र मुद्रा पर विश्वास नहीं हो तो आप उतनी ही रकम का सोना या चाँदी ले सकते थे।



चित्र 18.6

आज इस वचन के पीछे केवल सरकार का विश्वास है कि आपके हाथ में जो रुपये का नोट है वह बाज़ार में चलेगा, वह स्वीकार होगा। उतने रुपयों की वस्तु आप खरीद सकते हैं। आज सर्वस्वीकार्यता और सरकार के प्रति लोगों के विश्वास पर रुपए-पैसों का चलन टिका हुआ है। सरकार यह विश्वास कैसे बनाए रखती है? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।

वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन-देन के लिए नकद के साथ नकद रहित व्यवहार भी करते हैं। हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नकद रुपयों के अलावा चैक, डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा भी भुगतान कर देते हैं। बैंक हमें हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर चेक बुक, डेबिट कार्ड देते हैं। हम किन्हीं वस्तुओं, सेवाओं को खरीदने पर दुकानदार या विक्रेता को चेक देते हैं। वह दुकानदार उस चेक को अपने खाते में जमा करा देता है। बैंक द्वारा चेक प्रमाणित कर खाते में से उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार बैंक के खाते द्वारा लेन-देन आसान और सुगम हो जाता है। वर्तमान युग में बैंक खाते, मुद्रा का बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्वरूप है।

बैंकों में ग्राहकों के पैसे मुख्यतः बचत खातों, चालू खातों और स्थाई जमा (फिक्स डिपॉजिट) के रूप में होते हैं।

बचत खातों में हम अपनी आय का कुछ हिस्सा जमा करते हैं, इसलिए इन खातों को बचत खाता कहते हैं। वहीं चालू खाते में व्यावसायिक ग्राहक अपने रुपयों को रखते हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें अक्सर पड़ती रहती है। इन खातों में प्रतिदिन पैसे जमा किए जाते हैं और निकाले भी जाते हैं। इसलिए इन खातों को



चित्र 18.7 : कार्ड स्वाइप मशीन



चित्र 18.8 : डेबिट कार्ड

चालू खाता कहते हैं। चालू खाते एवं बचत खाते से हम जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं या किसी को भुगतान करने के लिए चेक दे सकते हैं। यह हमारा पैसा है जिसे बैंक ने सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है। बैंक यह वचन देती है कि माँगने पर हमें यह पैसे हमेशा उपलब्ध होंगे। इसलिए इन्हें माँग जमा (Demand Deposit) राशि कहा जाता है। इसी कारण यह लेन-देन को व्यावहारिक और सुगम बना देती है। इसे कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं।

डेबिट कार्ड आज भुगतान के साधन के रूप में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। बैंक हमारे खातों में जमा रुपयों के एवज में हमें एक कार्ड जारी करते हैं। इन कार्डों में हमारी खाते की जानकारी से लेकर हमारी व्यक्तिगत जानकारी होती है जैसे ही हम किसी चीज़ की खरीद पर दुकानदार को पैसे का भुगतान करने के लिए अपना कार्ड देते हैं, दुकानदार अपनी दुकान में रखी भुगतान मशीन में कार्ड डालता है। मशीन उस ग्राहक के बैंक खाते को प्रमाणित करती है। ग्राहक अपना पिन कोड डालकर उस भुगतान को स्वीकार करता है। इसके बाद उतनी रकम दुकानदार के खाते में ग्राहक के खाते से भेज दी जाती है।

आपने किसी दुकान से 15000 रु. की नकद रहित (Cash less) खरीदी की है और आपको दुकानदार को चेक से भुगतान करना है, उसे आप चेक किस प्रकार जारी करेंगे? नीचे उदाहरण के लिए एक प्रारूप दिया गया है आप इसे किस तरह भरेंगे? करके देखें।

दिनांक/Date _____	
PAY _____	
या धारक को OR BEARER	
रुपये RUPEES	₹ _____
अदा करें	
आ.सं. A/c. No. 11037434990	
भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	IFS Code: SBIN0001821
Prefix : 0438200011	
STATEBANKOFSTATEBANKOFINDIASTATEBANK STATSTATEBANKOASTATEBANKOFINDIASTATEBANK	
⑈123872⑈ 400002018⑈ 000009⑈ 13	

चित्र 18.9 : चेक

बैंक में स्थायी जमा राशियों का भी उपयोग आसानी से कर सकते हैं। स्थायी जमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें ग्राहक आमतौर पर निश्चित समय के पूर्व नहीं निकालना चाहते। बैंक अपने ग्राहकों को स्थायी जमा राशियों पर अधिक ब्याज भी देते हैं। नीचे दिए प्रश्न को हल करके समझ सकते हैं।

रेजीना के पास बैंक बचत खाते में 20000 रु. हैं और स्थायी जमा (एफ.डी.) में 100000 रु.। उसे खरीदी पर दुकानदार को चेक द्वारा 40000 रु. देने हैं। उसे चेक देने से पहले क्या करना होगा? चर्चा करें।

ये सभी व्यवहार नकद रुपयों के खर्च किए बिना संभव हो जाते हैं। इसलिए इन्हें नकद रहित भुगतान कहते हैं। इनके आधार बैंक खाते हैं। हमने जाना कि बैंक हमारी जमा राशि के आधार पर ही नकद रहित सुविधा प्रदान करते हैं। अतः हमें नकद रहित भुगतान की सुविधा बैंकों के आपसी लेन-देन व्यवहार से ही संभव हो पाता है। हमारे खाते अलग-अलग बैंक में होते हैं, पर वे आसानी से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रान्सफर हो जाते हैं। बैंक के बीच ये व्यवस्था सरकार ने बनाई है।

इनसे हमने जाना कि मुद्रा के दो स्वरूप होते हैं। एक, नकद राशि जो हमारे पास होती है दूसरी वह माँग जमा राशि जिन्हें हम बैंकों में रखते हैं और वह राशि माँगने पर बैंक हमें देती हैं।

वर्तमान में हमारे देश में पैसों के दोनों स्वरूपों की स्थिति का भण्डार इस प्रकार है :

31 मार्च वर्ष 2016 का स्टॉक	
लोगों के पास कुल नकद रुपये पैसे	13,86,000 करोड़
सभी बैंक में कुल माँग देय (बचत एवं चालू खाता)	8,91,000 करोड़
सभी बैंकों में लोगों के स्थायी जमा (फिक्स डिपॉजिट)	82,54,000 करोड़

स्रोत :- RBI 31 March 2016

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बैंक व्यवस्था द्वारा निर्मित खाते हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इन पैसों द्वारा लेन-देन होता है और बचत के रूप में भी रखा जाता है। इस बैंकिंग व्यवस्था को सुचारु रखना सरकार का काम है तभी इसमें विश्वास बना रहता है और हम सहज तरीके से इसका उपयोग करते हैं। अतः सर्वस्वीकार्यता बनी रहती है। बैंकों की देख-रेख कैसे की जाती है? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।

बचत खाता और स्थायी जमा (एफ.डी.) में क्या अन्तर है?

क्या धीरे-धीरे नकद का उपयोग कम होगा और बैंक खातों का उपयोग बढ़ेगा? चर्चा करें।

बैंक जाकर पता करें :-

यदि हमें किसी के खाते में बिना चेक लिखे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे पैसे ट्रांसफर करना है तो यह कैसे किया जाता है? (आरटीजीएस एवं निफ्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करें)

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन-देन करना, चेक की तुलना में किन मायनों में ज़्यादा सुगम है? क्या इसके कुछ खतरे भी हैं?

क्रेडिट कार्ड क्या है?

मुद्रा (पैसे एवं बैंक खाता) के विशिष्ट लक्षणों में हम पाते हैं कि ये सभी वित्तीय लेन-देन में स्वीकार्य होती हैं अतः मुद्रा की साख इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता से होती है। यह हमारे लेन-देन को सरल बना देती है।

किसी देश के अन्दर वहाँ उपयोग होने वाले पैसों के आधार पर मूल्यों का मापन किया जाता है। किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत पता करने के लिए मुद्रा ही अंकित करते हैं। मुद्रा का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति तरह-तरह की वस्तुएँ भिन्न-भिन्न कीमतों पर खरीद सकते हैं अर्थात् व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकता की वस्तुएँ जिन पर अलग-अलग कीमतें अंकित हों, उनकी माप रुपयों या मुद्रा में कर उनका भुगतान कर सकता है।

इस प्रकार प्रत्येक मुद्रा वर्तमान और भविष्य के संभावित भुगतान का आधार होता है। जैसे – हम किसी व्यक्ति से 10000 रु. दो वर्ष बाद में लौटाने की शर्त पर उधार लेते हैं तो दो वर्ष बाद हम मूलधन 10000 रु. की राशि ब्याज सहित मुद्रा में ही अदा करेंगे। उसी प्रकार आज हमारे पास पैसे हैं तो इसका उपयोग हम भविष्य में आसानी से कर सकते हैं। यही सुगमता मुद्रा को स्वीकार्यता प्रदान करती है। आज वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय वस्तुओं और सेवाओं में न होकर मुद्रा के माध्यम से होता है इससे वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ भी दूर हो गई हैं।

मुद्रा से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में समझाइए।

कई बार हम देखते हैं कि दुकानदार नकद के लिए टॉफी एवं चॉकलेट का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों? क्या यह व्यवस्था सुगम है? चर्चा करें।

अपने शब्दों में लिखिए कि मुद्रा कैसे देश में मूल्यों की मापन इकाई, भावी भुगतान का आधार होते हुए विनिमय का माध्यम बनती है?

मुद्रा का निर्गम

प्रत्येक देश अपने देश की मुद्रा का निर्गम केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा ही करता है। यह केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का भी बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। यह भारत की सभी मुद्रा को छापने, निर्गम करने के लिए अधिकृत संस्था है। सिक्कों को भारत सरकार जारी करती है। हमारे आसपास दिखने वाले सभी बैंक वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। इन्हें संचालन की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक ही देता है। यह सभी वाणिज्यिक बैंकों की नीतियों और नियमों का निर्धारण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियाँ ही वाणिज्यिक बैंकों की उधार लेन-देन, जमा राशियों पर ब्याज दर सहित उनकी सभी आर्थिक नियमावली को तय करता है।



चित्र 18.10 : (भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली)

आइए हम कुछ देशों की मुद्राओं और उन्हें जारी करने वाले बैंकों की जानकारी प्राप्त करें। हमने देखा कि सभी देश अपने-अपने केंद्रीय बैंक के माध्यमों से ही अपनी मुद्रा और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। प्रत्येक देश की मुद्रा में उसके देश की कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे—इतिहास और व्यक्तियों की जानकारियाँ हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। हम कुछ देशों की मुद्राओं से उनके विषय में रुचिकर जानकारियाँ इकट्ठा करें।

(अपने शिक्षक के साथ करके देखें)

क्र.	देश	मुद्रा	जारीकर्ता बैंक
1	भारत	रुपया	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
2	बांग्लादेश	टका	बांग्लादेश बैंक
3	रूस	रुबल	बैंक आफ रशिया
4	अफगानिस्तान	अफगानी	सेंट्रल बैंक आफ अफगानिस्तान
5	चीन		
6	संयुक्त राज्य अमेरिका		
7	जापान		

(रिक्त स्थानों में विभिन्न देशों की मुद्रा, और केंद्रीय बैंकों के नाम भरें)

गतिविधि :-

अपने शिक्षक की सहायता से विभिन्न देशों की मुद्राओं के चित्र, चार्ट संग्रह कर फाइल बनाएँ।

बैंक जाकर पता करें :- अलग-अलग खातों पर ब्याज दर के लिए उन्हें रिजर्व बैंक के किन नियमों का पालन करना होता है। एक रिपोर्ट तैयार करें।

बैंक के कार्य

हमने देखा बैंक का फर्ज बनता है कि माँगने पर खातेदारों को नकद पैसे अदा करे। बैंक के अनेक खातेदार होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे खातेदार अपने सारे पैसे निकालने बैंक आ जाएँ। मानो किसी बैंक के पास 2000 खातेदार हैं तो किसी एक दिन में 25-50 लोग नगद माँगने आएँगे। शायद महीने के शुरुआत में ज़्यादा और बाद में कम। यदि किसान खातेदार हैं तो बोनी के समय ज़्यादा नकद की माँग होगी और फसल कटने के समय पैसे जमा होंगे। हर दिन कुछ ही लोग नकद पैसे निकालने आते हैं और कुछ लोग जमा भी करते हैं। बैंकों को अपने अनुभव से पता चल जाता है कि दिन-भर में लगभग कितने नकद पैसे की ज़रूरत हो सकती है। उतने पैसे का बैंक प्रबन्ध रखती है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाए हैं कि किसी भी बैंक के पास नकद की कमी न हो। माँगने पर लोगों को अपने पैसे नकद में दिए जाएँ, इस वचन में विश्वास बनाए रखना होता है। आमतौर पर सभी लोग अपना पैसा नकद माँगने नहीं आते। वे उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर नकद निकालते हैं या फिर चेक से लेन-देन करते हैं। अतः सवाल उठता है कि बैंक इन खातों में लोगों द्वारा जमा पैसे का क्या करती है?

बैंक के दो प्रमुख कार्य हैं— लोगों के पैसे जमा करने के लिए खाते खोलना और लोगों की ज़रूरत के लिए कर्ज या ऋण देना। यह कार्य कि एक ही तराजू के दो पलड़े हैं।

आपने अक्सर सुना होगा कि दुकान लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, ट्रैक्टर या मोटर खरीदने के लिए बैंक लोगों को लोन या कर्ज देती है। लोगों को कर्जा देने के लिए बैंक के पास धन कहाँ से आता है? आपने देखा कि बहुत से लोग अपने बचत के पैसे बैंक के बचत या मियादी खातों में जमा करते हैं। बैंक में जमा पैसे से बैंक दूसरों को उधार या लोन देती है। कर्जदारों से जो ब्याज मिलता है, उसी में से पैसे जमा करने वालों को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है और बैंक को चलाने के लिए खर्च किया जाता है।



चित्र 18.11 स्रोत :- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र की पुस्तक

हमारे आसपास दिखने वाले बैंक “वाणिज्यिक बैंक” क्यों कहलाते हैं? चर्चा करें।

साख

हम अपनी आवश्यकता की अनेक वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रायः अपने पास रखे रुपयों का उपयोग करते हैं। हमें कई बार ऋण लेने की ज़रूरत होती है। हम अपने परिचित, स्वजन व्यापारी या फिर ऋण देने वाली संस्थाओं जैसे – बैंक, वित्तीय संस्थाओं से उधार प्राप्त करते हैं। बैंक, व्यक्ति या फिर अन्य संस्थाएँ



"आपको कितना ऋण चाहिए मैडम।"

चित्र 18.12

हमारी वित्तीय क्षमता का आकलन करके ऋण प्रदान करती हैं जिन्हें हम कुछ समय बाद ब्याज सहित लौटाते हैं। हमें कई बार व्यापारी पैसे चुकाने के लिए समय देते हैं या सामान खरीदने के लिए पहले पैसे देते हैं। इन्हीं सभी ऋण या ऋण जैसी परिस्थिति को हम साख कहते हैं।

साख हमारी वर्तमान और भविष्य की कई आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये हमारी तात्कालिक क्रय क्षमता अर्थात् खरीदने की क्षमता में वृद्धि करते हैं वही बैंक या फिर व्यक्ति हमें ऋण देने के एवज में ब्याज के रूप में किराया प्राप्त करते हैं। यह ब्याज हम बैंक के पैसों को उपयोग करने के बदले में किराए की तरह कुछ समय के अंतराल में मूल राशि के साथ चुकाते हैं। इस तरह किसी संस्था या व्यक्ति के उधार से जहाँ एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की चीज़ें मिल जाती हैं। वहीं दुकानदार की कुछ चीज़ें बाज़ार में ग्राहकों को ऋण सुविधा देने पर बिक जाती हैं। यह व्यवस्था ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए तात्कालिक हित साधने में सहायक होती है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें।

सुरेश एक कामकाजी व्यक्ति है, उसे मासिक नियमित आय प्राप्त होती है, वह अपनी सीमित आय से अपने लिए एक आवास नहीं बनवा पाता है। उसे आवास ऋण से अपना मकान बनाने के लिए शर्तों पर ऋण मिल जाता है। सुरेश द्वारा बैंक से ऋण लेकर मकान बनाने के कारण मकान से जुड़े लोगों जैसे – भवन निर्माण सामग्री विक्रेता, कारीगर, सभी की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री बढ़ती है इससे समग्र रूप में आय स्तर में वृद्धि होती है। सुरेश का नव निर्मित मकान बैंक या ऋण दाता के पास बंधक के रूप में रहता है। जिसे वह ऋण की राशि ब्याज सहित चुकाने पर 10 वर्ष बाद बंधक मुक्त कर पाता है। प्रायः सभी प्रकार के ऋण नकद या सम्पत्तियों को बंधक रखने पर ही प्राप्त हो पाती है। यहाँ ऋण सकारात्मक भूमिका अदा करता है।

ऋण की सुविधा एक ओर हमें अपनी आवश्यकता, आय, सम्पत्तियों में वृद्धि के अवसर प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर यह कई लोगों को ऋण के बोझ में जकड़ भी लेती है। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें—

एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूँगफली उगाती है। इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए वह साहूकार से ऋण लेती है लेकिन कीटों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। यद्यपि स्वप्ना फसल पर महँगी कीटनाशक दवाईयाँ छिड़कती है। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार को पैसा लौटाने में असफल रहती है और साल के अन्दर यह ऋण बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल, स्वप्ना खेती के लिए दुबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना ऋण वापस कर सके। वह कर्ज के जाल में फँस जाती है। उसे ऋण को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है।

स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से उसकी ऋण अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने की बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज-जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। यहाँ ऋण ने नकारात्मक भूमिका अदा की है।

1. स्वप्ना का ऋण बड़ी रकम कैसे बन जाता है?
2. यदि एक व्यक्ति ज़रूरत के समय 10000 रु. का ऋण पाँच रुपए सैकड़ा के हिसाब से ले, तो उसे एक वर्ष के बाद कितने रुपए देने होंगे?
3. स्वसहायता समूह गिरवी रखने के शर्त को कैसे सम्हाल पाते हैं? चर्चा करें।

ऋण की शर्तें

ऋण की परिस्थितियों को समझने के लिए ऋण की शर्तें समझना ज़रूरी हो जाता है। हर ऋण में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा, उधारदाता कोई भी चीज़ गिरवी रखने की माँग कर सकता है। ये ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है जैसे— भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूँजी और इसका इस्तेमाल, वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है।



चित्र 18.13

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि संस्थागत साख (बैंकों, सोसाइटी, आदि) में ऋण की शर्तें सरल, कम ब्याज और ग्राहकों के अनुकूल होती हैं जैसे कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा। किसान, छोटे व्यवसायी, कामगारों व ज़रूरतमंदों को सस्ते ऋण की उपलब्धता कराने के लिए सरकारी प्रयास जारी हैं। ये प्रयास उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता करती है, साथ ही उन्हें ऋण के लिए सार्थक वातावरण भी प्रदान करने की कोशिश करती है।

परियोजना कार्य –

अपने आसपास के लोगों से चर्चा कर पूछें कि क्या उन्होंने कभी-कभी आवश्यकता की चीज़ों के लिए अल्पकालिक/दीर्घकालिक ऋण लिया है? यह सकारात्मक रहा या नहीं इस पर एक रिपोर्ट लिखें।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक का जिक्र किस-किस संदर्भ में आया है?

हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जिक्र कई बार आया है और इस व्यवस्था को बनाने एवं उसमें विश्वास बनाए रखने में उसकी अहम भूमिका है। बैंकों की व्यवस्था के कारण ही बैंक खाते मुद्रा का स्वरूप लेते हैं। अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम नकद निकाल सकते हैं एवं चेक द्वारा लेन-देन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंकों पर कई नियम लागू करवाती है।

उदाहरण के लिए बैंकों को अपने सभी डिपोजिट का 4 प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद में रखना होता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके पास नकद की कमी न हो। खातेदारों को माँगने पर नकद दिया जा सके, इसके लिए वे अपने अनुभव अनुसार अलग से नकद रखते हैं। इसी प्रकार बैंक को हर खातेदार के लिए 1 लाख का डिपोजिट बीमा करवाना होता है। यदि बैंक किसी परिस्थिति में नहीं चल पाए तो इस बीमा का उपयोग कर सकते हैं। कई बार बैंक के प्रति अफवाहें फैलती हैं कि बैंक घाटे में जा रहा है। लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आर.बी.आई. को आगे आकर सम्हालना होता है क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाज़ार में रुपये एवं पैसों की कमी न हो। इसके लिए ज़रूरत के अनुसार वह सरकार से नोट छपवाने और सिक्के बनवाने की माँग करती है। साथ ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि बाज़ार में नकली नोट न चले इसलिए सख्त निगरानी भी रखनी पड़ती है।

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के लेनदेन पर कई नियम लागू करती है। उदाहरण

के लिए कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने मुनाफे के लिए सम्पत्ति का क्रय-विक्रय नहीं कर सकती। यदि उसके पास कोई सम्पत्ति गिरवी रखी गई है और कर्जदार ऋण अदा नहीं कर पा रहा है तब ऐसी स्थिति में बैंक उस सम्पत्ति को बेचकर अपनी रकम वसूल सकती है। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि शेयर बाज़ार में बैंक सीमित पैसे ही लगा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक को सभी बैंकों की निगरानी करने का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना कि उनके बैंकों द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित हैं और लोगों द्वारा वापस नहीं किए जाने वाले ऋण बहुत सीमित संख्या में हैं। कई बार इसके लिए सख्त कार्रवाई करने की भी ज़रूरत होती है। बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे इसके लिए इस तरह की निगरानी आवश्यक है।

दूसरी तरफ सरकार के नियमों के अनुसार कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात् ऋण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैंकों पर दबाव बनाया जाता है कि वे इन क्षेत्रों के लिए ऋण दें। वर्तमान में रिज़र्व बैंक द्वारा कृषि, शिक्षा, आवास, छोटे उद्योग, निर्यात आदि क्षेत्रों के लिए 40 प्रतिशत ऋण देने का आदेश है।

इस प्रकार सरकार की भूमिका बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखना है ताकि वह सुगम और सुरक्षित रहे। इसके साथ-साथ विकास की दृष्टि से ऋण व्यवस्था को वंचित समूह या क्षेत्रों तक पहुँचाने का अहम लक्ष्य भी है।



अभ्यास

1 सही विकल्प चुनकर लिखिए -

1. भारत सरकार का केन्द्रीय बैंक है -

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (अ) भारतीय स्टेट बैंक | (ब) भारतीय सेन्ट्रल बैंक |
| (स) राज्य सहकारी बैंक | (द) भारतीय रिज़र्व बैंक |

2. मुद्रा के स्वरूप हैं -

- | | |
|-----------------------|----------|
| (अ) सोना-चांदी | (ब) पशु |
| (स) बैंक के चालू खाते | (द) मकान |

3. संस्थागत साख में शामिल नहीं है -

- | | |
|--------------|------------------|
| (अ) बैंक | (ब) सहकारी समिति |
| (स) व्यापारी | (द) सभी |

4. ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है -

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (अ) बचत खाता | (ब) चालू खाता |
| (स) स्थाई जमा खाता | (द) इनमें से कोई नहीं |

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

- (1)हमारे लेन-देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है।
- (2) दस रुपए के पत्र मुद्रा पर के हस्ताक्षर होते हैं।

- (3) मुद्रा का निर्गमन बैंक द्वारा होता है।
 (4) ऋण में की दर निश्चित होती है।
 (5) बैंक के खाते में ब्याज की दर कम होती है।

3. साख से क्या आशय है? अपने शब्दों में समझाइए?
4. मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है?
5. माँग जमा राशि से क्या अभिप्राय है?
6. बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन-किन खातों में जमा होते हैं?
7. तीस वर्ष बाद मुद्रा के क्या नए स्वरूप हो सकते हैं अपने विचार लिखें?
8. सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या करना चाहिए?
9. ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फँसा देती है कैसे? आस-पास के उदाहरण से समझाइए।
10. ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती हैं? प्रत्येक शर्तों को समझाइए।
11. यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
12. व्यक्तिगत खर्च एवं व्यापार के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। कोई तीन उदाहरण देकर समझाइए।
13. बैंक में जमा रुपए को मुद्रा मानने के क्या आधार हैं?

- Website for Reference:

- https://www.rbi.org.in/scripts/ic_currency.aspx

- <https://paisaboltahai.rbi.org.in>

- एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र की पुस्तक

- कुरियन, दौलत और बदहाली



सरकारी बजट और कर निर्धारण

- ◆ आपके आसपास सरकार की क्या भूमिका नजर आती है? आपस में चर्चा करें
- ◆ क्या आपको मालूम है कि सार्वजनिक सुविधाएँ मुहैया करवाने और अन्य गतिविधियों के लिए सरकार पैसा कहाँ से लाती है?
- ◆ अपने क्षेत्र में आने वाले अखबारों को पढ़कर पता लगाइए कि सरकार कहाँ-कहाँ खर्च करती है। उनकी एक सूची बनाइए।

19.1 सरकार की भूमिका

आधुनिक समाज में सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। इनमें बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा करना और पुलिस के माध्यम से आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा सरकार का एक बड़ा दायित्व नागरिकों को कई तरह की सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी है। सार्वजनिक सुविधा की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसे एक बार उपलब्ध कराने के बाद इसका उपयोग सभी लोगों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में अगर बिजली की आपूर्ति की जाती है तो यह उस क्षेत्र के अनेक लोगों के लिए उपयोगी होगी। किसान अपने पंपसेट चला सकते हैं, कारखानों, कार्यालयों, दुकानों और घरों में इस बिजली का उपयोग किया जा सकता है। सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित न हो। इसके लिए इसकी कीमत अधिकांश लोगों की क्रय शक्ति के अन्दर रखनी चाहिए ताकि इस सुविधा का लाभ लेने वाले सभी व्यक्ति इसका भुगतान आसानी से कर सकें।



चित्र 19.1 : सार्वजनिक सुविधाएँ

लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने का दायित्व भी सरकार का ही है। आप लोगों ने काम करने का अधिकार और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के बारे में सुना होगा। इस कानून के तहत सरकार की यह ज़िम्मेदारी तय की गई है कि वह ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन तक का कार्य उसकी माँग पर उपलब्ध कराएगी। यह कार्य लोगों को उनके इलाकों में ही उपलब्ध कराना होगा और इसके लिए होने वाला पूँजीगत खर्च और मजदूरी का भुगतान सरकार करेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाकर मनरेगा के तहत सामाजिक उपयोग के कई कार्यों जैसे चेकडैम, वॉटर हार्वेस्टिंग संरचनाएँ, सड़कें, तालाबों आदि का निर्माण किया जा सकता है।

इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा में भी सरकार की अहम भूमिका है जहाँ उसे कई कार्य करने होते हैं। इसे हम 'खाद्य सुरक्षा' अध्याय में पढ़ेंगे।

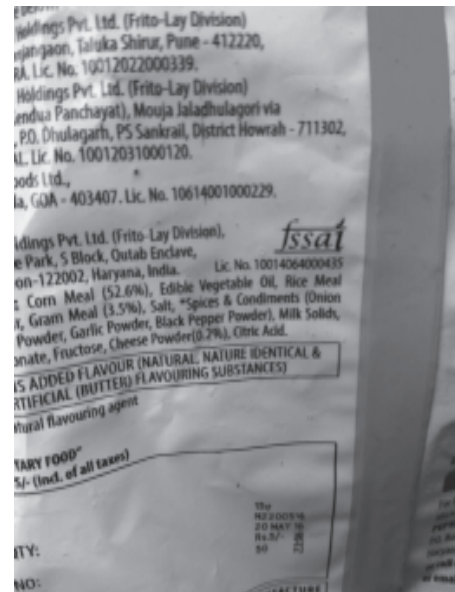
खाद्य सुरक्षा के संबंध में सरकार की भूमिका को बताइए।

सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है?

भारत सरकार ने अतीत में भी हेवी इंजीनियरिंग, विद्युत उत्पादन, इस्पात उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थों की खुदाई और उसका परिष्करण (रिफाइनिंग) जैसे भारी उद्योग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बिना औद्योगिकीकरण बहुत ही कठिन होता। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई परियोजनाओं और कृषि विस्तार कार्यों पर सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च भी कृषि उत्पाद में वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।

सरकार की एक और भूमिका नियमन (Regulatory) को लेकर है। नियमन के तहत कई तरह के कानून बनाए जाते हैं जो व्यापार के तरीकों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए आप खाने की चीजों के पैकेट्स खरीदते समय उन पर **FSSAI** का निशान देखते होंगे। इसका पूरा नाम — 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया' है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि विभिन्न दुकानों और कंपनियों द्वारा बेची जा रही खाने-पीने की सामग्री एक निश्चित सुरक्षा के मापदण्डों का पालन करें। कुल मिलाकर **FSSAI** खाद्य सामग्री को विभिन्न नियमों और निगरानी के ज़रिए सुरक्षित बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के प्रति जवाबदेह है। इसके तहत खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माण, संग्रहण, वितरण और उत्पादों की बिक्री के संबंध में नियम बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे चिप्स, नूडल्स फलों के जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले परिरक्षक (Preservative) पदार्थ के मापदंड भी **FSSAI** के द्वारा ही तय होते हैं। यह समय-समय पर इसके नमूने (Sample) भी लेता रहता है ताकि वह इस बात की जाँच कर सके कि उसके द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन हो रहा है या नहीं। यह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सील बंद खाद्य पदार्थों पर उत्पादन एवं समाप्ति की तिथि व मात्रा जैसी सूचनाएँ अवश्य हों।

ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ सरकार नियमन को लेकर अहम भूमिका निभाती है। मुद्रा और साख नामक अध्याय में आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के बारे में पढ़ा होगा। भारत में यह बैंक सभी व्यावसायिक बैंकों के क्रिया-कलापों पर नियंत्रण रखती है।



चित्र 19.2 : उत्पादित वस्तु पर **FSSAI** का निशान

ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाएँ जिनका सामूहिक रूप से उपयोग होता हो। क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति तक यह सुविधा समान रूप से पहुँचती है? चर्चा करें।

सरकार के ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं?

19.2 सरकारी बजट

सरकार की अनेक जिम्मेदारियाँ होती हैं। उसे कई कार्य करने पड़ते हैं जिनमें से कुछ की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इन कार्यों को करने के लिए सरकार को पैसे एकत्र करने और फिर खर्च करने की ज़रूरत होती है। इन कार्यों को करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है, उसे लोगों से कर (टैक्स) के रूप में एकत्र की जाती है। सरकार कई तरह के कर लगाती है जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। सरकार जो कर वसूल करती है, उसे राजस्व कहते हैं। सरकार को खर्च करने के लिए राजस्व की ज़रूरत होती है। सरकार के राजस्व और उसके खर्च का पूरा लेखा-जोखा बजट कहलाता है। बजट में इन बातों का विवरण होता है –

1. सरकार कितना पैसा खर्च करेगी।
2. अलग-अलग विभागों को खर्च करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी, इसका विवरण अर्थात् शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा आदि मदों पर कितना खर्च किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी होती है।
3. कौन-कौन से कर लगाए जाएँगे और इनसे कुल कितना राजस्व संग्रहित किया जाएगा? साथ ही किन-किन करों की दर में परिवर्तन किया जाएगा?
4. सरकार के खर्च अगर संग्रहित राजस्व से अधिक हैं तो कितनी राशि उसे उधार लेनी पड़ेगी।

हम यहाँ वर्ष 2016-17 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की कुछ मुख्य बातों की जानकारी दे रहे हैं। इससे यह अनुमान लग सकेगा कि बजट क्या होता है?

विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रस्तावित प्रावधान –

- वर्ष 2016-17 में कुल 70,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो 2015-2016 की तुलना में 6 प्रतिशत ज़्यादा हैं।
- वर्ष 2016-17 में कुल राजस्व 62,000 करोड़ रुपए संग्रहित होगा जो 2015-2016 की तुलना में 5 प्रतिशत ज़्यादा है।
- वर्ष 2016-17 के लिए शिक्षा, सड़कों व पुलों, पेंशन, दवाइयों व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। इसके विपरीत खाद्य एवं संग्रहण विभाग के लिए आवंटित राशि में काफी कटौती की गई है।
- वर्ष 2016-17 में बिक्री कर से 12,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है।



चित्र 19.3 : छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर चर्चा

सरकार अपने द्वारा किए जाने वाले कुल सार्वजनिक व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि क्यों करती है?

सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के बजट में कुछ क्षेत्रों में वृद्धि एवं कुछ क्षेत्रों में कमी क्यों की गई है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? चर्चा करें।

वर्ष 2016–17 में बिक्री कर से 12,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है। यदि यह राशि 6,000 करोड़ रुपए प्राप्त होती है तो सरकार इस परिस्थिति में क्या-क्या कर सकती है, चर्चा करें।

यद्यपि बजट सरकार द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे पारित करने में विधानमंडल की अहम भूमिका होती है। भारत के संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। राज्यों का बजट संबंधित राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। साथ ही सभी करों और व्यय की जाने वाली राशि के लिए सरकार को संसद या विधानसभा से स्वीकृति लेनी होगी।

चर्चा कीजिए

1. बजट पारित करने के लिए विधानमंडलों की मंजूरी क्यों जरूरी है?
2. सरकार को खर्च करने और कर वसूलने की पूरी स्वतंत्रता क्यों नहीं दी गई है?

बजट पर संसदीय नियंत्रण के पीछे धारणा यह है कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बजट पर नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं। वे चाहते हैं कि सरकारी राजस्व का सही उपयोग हो तथा कर संग्रहण करने की प्रणाली उचित और पारदर्शी हो। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट आम लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इसके साथ ही लोक कल्याणकारी तथा देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। चूंकि बजट सरकार की योजनाओं और विचारों का दर्पण होता है इसलिए जनप्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार विकास के मार्ग में चलती रहे और इस दिशा से भटकें नहीं।

संसद का बजट सत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बजट पारित करने से पहले उस पर कई दिनों तक लंबी चर्चा की जाती है। विपक्ष सरकार के बजट पर बहस, आलोचना और रचनात्मक सुझाव देकर अहम भूमिका निभा सकती है। सरकार की जवाबदेही को लेकर आम लोगों की ओर से भी सीधा दबाव पड़ता है। यहाँ इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है —

19.3 जनता की भागीदारी और बजट

बजट सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को अमल में लाने का एक माध्यम होता है। पर्याप्त बजटीय प्रावधान और पैसे का समुचित प्रबंधन नहीं होने पर सरकार की योजनाएँ और कार्यक्रम केवल वादे बनकर रह जाते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोजी रोटी अधिकार अभियान

"एक NGO के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) के तहत दाल या तेल को शामिल नहीं किया है, जबकि ये उसका चुनावी वादा था। कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत दाल या तेल उपलब्ध करवाया जाता है। इतना ही नहीं, शनिवार को होने वाले पब्लिक ऑडिट को भी बंद करवा दिया गया है। उचित मूल्य की दुकानों में राशन कब तक पहुँच जाएगा, इसकी सूचना देने वाले

एसएमएस अलर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार को सौंपे गए चार्टर में यह भी माँग की गई कि बच्चों को रोज़ाना मध्याह्न भोजन या आँगनबाड़ियों में अण्डे, दूध और फल दिए जाएँ। चार्टर में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिल्ली के सभी जिलों में मातृत्व अधिकारों का क्रियान्वयन बाकी है। इसमें कहा गया, “एनएफएसए के अनुच्छेद 4 के तहत गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को मातृत्व अधिकार के तहत 6 हजार रुपए मिलने चाहिए।”

(The Hindu, 24 March 2016)

बजट में अपनी माँग को शामिल करवाने के लिए जनता को कौन-कौन से उपाय करने होंगे?

19.4 कर

सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कर (Tax) होता है। सरकार कई तरह के कर से आय संग्रहित करती है। आपने इनमें से कुछ करों जैसे मूल्य संचर्जित कर (VAT), सेवा कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क आदि के बारे में सुना होगा। इन करों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है—पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर।

19.4.1.1 अप्रत्यक्ष कर

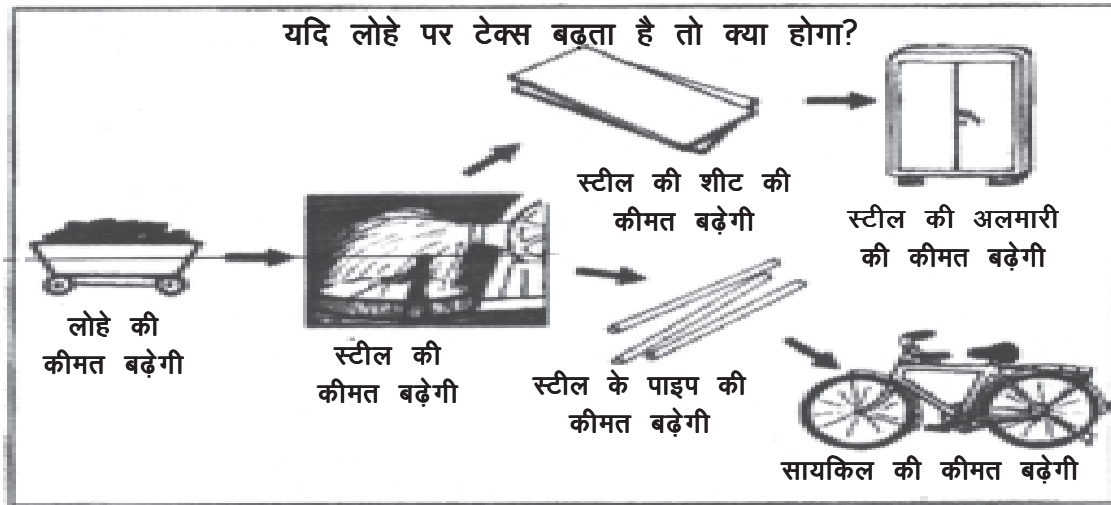
अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। आपने किसी वस्तु के पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ यह लिखा जरूर पढ़ा होगा— कर सहित। इसका सीधा-सा अर्थ है कि कीमत में कर शामिल है। इसी तरह कई प्रकार की सेवाओं जैसे टेलीफोन या मोबाइल के बिलों में कर शामिल रहता है। आइए, हम कुछ महत्वपूर्ण करों को उदाहरणों के साथ समझते हैं।

19.4.2 उत्पाद शुल्क

यह कारखानों में उत्पादित या निर्मित होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। निर्मित वस्तुओं के कारखाने के गेट से बाहर होने से पहले उस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। कारखाने का मालिक या प्रबंधक उत्पादन की मात्रा के अनुसार सरकार को यह शुल्क देता है।

उत्पाद शुल्क वैसे तो कारखानों से वसूल किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसे उपभोक्ताओं को ही देना पड़ता है। कारखाने का मालिक अपने सामान को बेचते समय उसकी कीमत में कर भी जोड़ देता है। उदाहरण के लिए एक टीवी सेट की कीमत 10 हजार रुपए है। कम्पनी इस पर 1200 रुपए का उत्पाद शुल्क देती है। तो इस शुल्क को भी टीवी की कीमत में जोड़ देती है। उपभोक्ता जब टीवी खरीदता तो उसे यह शुल्क भी चुकाना पड़ता है।

वस्तुओं पर करारोपण करने से उनकी कीमतें तो बढ़ती ही हैं, लेकिन कुछ कच्चे माल पर भी कर लगाने से उनके दाम बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल बनाने के लिए स्टील पाइप्स जरूरी हैं। स्टील कम्पनियों को लौह अयस्क और कोयले की जरूरत होती है। सरकार अगर लौह अयस्क पर कर बढ़ाती है तो इसका प्रभाव साइकिल उद्योग पर भी पड़ेगा। स्टील से बनने वाली सभी वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह केवल लौह अयस्क पर ही कर लगाने से अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया एक-दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ी रहती है। जिसके कारण इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है।



चित्र 19.4 : करों में वृद्धि का प्रभाव

पेट्रोल और डीजल का उपयोग वाहनों, मोटर पम्प, जेनरेटिंग सेट्स आदि में होता है। अगर पेट्रोल और डीजल पर कर बढ़ता है तो क्या होगा?

कोई भी वस्तु उत्पादन या निर्माण के बाद विक्रेताओं की एक पूरी श्रृंखला से गुजरती है। उत्पाद शुल्क किसी वस्तु के उत्पादन पर लगता है जबकि बिक्री कर (Sales Tax) वस्तु के विक्रय पर लिया जाता है। आप अगली बार जब कोई वस्तु खरीदें तो उसका पूरा बिल लीजिए। उस बिल में वस्तु की कीमत के साथ मूल्य संचर्द्धित कर (VAT) भी जुड़ा हुआ दिखाई देगा। आपके बिल में लिखा बिक्री कर सूचित करता है कि इस कर को वस्तु बेचने वाला सरकार को देता है। उत्पाद शुल्क की तरह ही बिक्री कर का भार भी उपभोक्ता के ऊपर डाल दिया जाता है। जिससे उपभोक्ता को क्रय की गई वस्तु के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है।

LEAD-2000 R. 2000 BLUE RAMP-1000 R. 1000 22027 1000 R. 2000 P. 1000		1,000	4,000	5.17	1,00,000.00
TOTAL ASSESSABLE VALUE					1,00,180.00
Amount of Duty Payable : Rs. 10,180.00 TWO HUNDRED TEN ONLY		Add : Central Duty 10%			10,210.00
Amount of Sales Tax Payable : Rs. 10,180.00 TWO HUNDRED TEN ONLY		Add : Education Cess 2%			204.00
Amount of S & H Case Payable Rs. 10,180.00 TWO HUNDRED TEN ONLY		Add : S & H Case 1%			102.00
Sr. Entry No. : Central Duty Account / PLA		Sub Total			1,12,514.00
Working under rule 8 of C. Ex. Rate 2000		Add : CST			0.00
Rupees : ONE LAKH TWENTY THOUSAND NINE HUNDRED TWENTYSIX ONLY		Add : Freight			2,556.00
		Add : VAT			4,807.00
		Add : Additional Tax			1,183.00
		Round Off			1.00
		Net Amount:			1,18,773.00

चित्र 19.5 : बिल का एक नमूना

आइए हम उसी टीवी का उदाहरण लेते हैं, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इससे हम जान सकेंगे कि कर के कारण किसी वस्तु की कीमतों में कितनी अधिक वृद्धि हो जाती है।

लाभ और कर का अनुपात अलग-अलग वस्तुओं और राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु चाहे कोई भी हो, उसकी कीमत में कर जुड़ा रहता है। इसी तरह कई प्रकार की सेवाओं पर भी कर लगता है। सेवा कर (Services Tax) के कुछ सामान्य उदाहरण हैं- स्पीड पोस्ट, टेलीफोन, मोबाइल सेवा, रेस्टोरेंट्स, रेलगाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बों में सफर आदि।

यहाँ सभी आँकड़े रुपयों में दिए गए हैं।

निर्माण की लागत, निर्माता के मुनाफे सहित	10,000
उत्पाद शुल्क	1,200
परिवहन, संग्रहण और रिटेलिंग की लागत	1,000
विक्रेता का लाभ	1,000
बिक्री कर	1,650
उपभोक्ता के लिए कीमत	14,850

वस्तुओं पर लगने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कर सीमा शुल्क है जो विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति विदेश से लौट रहा है और अपने साथ एक कैमरा खरीदकर ला रहा है तो उसे हमारे देश के हवाई अड्डे पर उस कैमरे पर सीमा शुल्क चुकाना होगा। अनेक कारखानों को विदेशों से मशीनें या कच्चा माल आयात करने पर भी उन्हें सीमा शुल्क देना पड़ता है।

टेलीविजन वाले उदाहरण में उपभोक्ता को टीवी की कीमत का कितना प्रतिशत कर के रूप में चुकाना पड़ा?

यदि दो व्यक्ति एक जैसा सामान बनाते हैं लेकिन इनमें से एक व्यक्ति कर देने से बच जाता है तो वह बाज़ार में किसका किस तरह से फायदा उठा सकता है?

अगर लौह अयस्क पर कर बढ़ जाता है तो किन-किन वस्तुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा? कुछ उदाहरण दीजिए।

परियोजना कार्य :

ऐसे कुछ बिल एकत्र कीजिए जिनमें कर का उल्लेख हो और इन बिलों को चिपकाकर एक पोस्टर बनाइए।

19.4.1.2 मूल्य संवर्धित कर (Value Added Tax) के रूप में अप्रत्यक्ष कर

तारा ने अपने स्कूल के कम्प्यूटर के लिए साईं राम कम्प्यूटर से दो हार्ड ड्राइव खरीदी। बगैर वैट के बिल पर इसकी कुल कीमत 5000 रुपए थी। इस पर 5 प्रतिशत वैट लगाया गया। वैट के रूप में 250 रुपए की राशि जुड़ने के बाद उन हार्ड ड्राइव की कुल कीमत 5250 रुपए हो गई।

साजिदा ने अपने घर के लिए एक इन्वर्टर बैटरी खरीदी। दुकानदार ने जो बिल दिया, वह इस तरह था —

सामान	राशि (रु. में)
बैटरी	9,165
वैट 12.5% +	1,146
कुल	10,311

प्रीति ने एलपीजी सिलेण्डर खरीदा, लेकिन बिल में वैट जीरो प्रतिशत था। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में एलपीजी पर कोई वैट (VAT) नहीं लिया जाता।

पिछले करीब एक दशक से वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को मूल्य संवर्धित कर प्रणाली में बदल दिया गया है और इसे नाम दिया गया है वैट (VAT)। यह उत्पाद और बिक्री कर दोनों के लिए किया गया है। इसे समझने के लिए हम नीचे दिए गए उदाहरण को देखते हैं –

मान लीजिए एक बिस्किट निर्माता एक विश्वसनीय व्यक्ति से कच्चा माल खरीदता है। वह व्यक्ति उस बिस्किट निर्माता को इस तरह का बिल देता है –

सामग्री	सामग्री की लागत	कर	कुल बिल
कच्ची सामग्री जैसे गेहूँ, आटा, शक्कर आदि	रु. 90	रु. 10	रु. 100

अब मान लीजिए वह बिस्किट निर्माता 450 रुपये की बिस्किट बनाता है। इसमें सभी लागत जैसे कच्ची सामग्री की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, ऑफिस और कारखाने का किराया आदि शामिल है। वह इसमें यदि अपने लाभ का 50 रुपये भी जोड़ लेता है तो अब कुल कीमत (आउटपुट) 500 रुपये हो गया। वह इस बिस्किट को एक व्यापारी को बेच देता है। याद रखिए निर्माता को बिस्किट की बिक्री पर कर चुकाना होगा। मान लीजिए कर की यह दर 10 प्रतिशत है तो उसे कितना कर चुकाना होगा?

पुरानी व्यवस्था के तहत बिस्किट निर्माता को कर के रूप में 50 रुपये चुकाने होते (500 रुपये पर 10 प्रतिशत की दर से)। इस तरह सरकार को कुल मिलाकर 60 रुपये (10 + 50 रुपये) कर के रूप में मिलते। (इसमें से 10 रुपये का कर कच्ची सामग्री के विक्रेता के द्वारा चुकाया गया है।)

लेकिन मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली (वैट) में उत्पादक केवल मूल्य संवर्द्धन पर ही कर चुकाता है। कुल उत्पादित माल (आउटपुट) 500 रुपये का है। खरीदी गई कच्ची सामग्री (इनपुट) की लागत 100 रुपये है। इस तरह मूल्य संवर्द्धन, आउटपुट और इनपुट का अंतर है। इस मामले में यह 400 रुपये है। इस तरह उस बिस्किट निर्माता को 10 प्रतिशत के हिसाब से केवल 40 रुपये कर चुकाने होंगे। इस निर्माण में जिस इनपुट का इस्तेमाल किया गया है, उस पर पहले से ही कर दिया जा चुका है। इस पर दोबारा कर नहीं लिया जाएगा। इस प्रणाली में सरकार को कुल मिलाकर $10+40 = 50$ रुपये का कर मिलेगा।

इस तरह स्पष्ट है कि मूल्य संवर्द्धन कर प्रणाली में निर्माता को कम कर चुकाना पड़ा, क्योंकि उसे इनपुट पर कर चुकाने की जरूरत नहीं है। वैट का एक और लाभ है। सभी निर्माताओं और व्यापारियों को बिक्री और खरीदी का सही रिकॉर्ड रखना होगा। इसी बिल के आधार पर वे दावा कर सकेंगे कि इनपुट पर पहले ही कर का भुगतान हो चुका है। इससे कर विभाग (कर अधिकारी) भी विक्रेता और क्रेता के बिलों का मिलान कर सकेंगे। इस तरह इस प्रणाली में कर चोरी की संभावना काफी कम होगी।

19.4.1.3 आगे की ओर..... वस्तु एवं सेवा कर (GST)

वर्तमान में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर हैं जैसे उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर आदि। इस तरह सामान और सेवाओं दोनों पर अलग-अलग कर हैं। इसके अलावा राज्यों में कर की दरें भी अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है क्योंकि दोनों राज्यों में पेट्रोल पर बिक्री कर की दरों में अन्तर है। ऐसे ही और कई उदाहरण हैं। इसी कारण से राज्यों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा

होती है और उद्योग व्यापार भी एक राज्य से दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। हाल के वर्षों में नीति-निर्धारक लोग विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकल कर 'वस्तु एवं सेवा कर' (Goods and services Tax) में बदलने पर विचार करते आ रहे हैं। यह कर भी मूल्य संवर्द्धन कर ही होगा और किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर लागेगा जितनी उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कर की दरें भी सभी राज्यों में एक समान रहेंगी।

– मूल्य संवर्द्धन कर के बारे में आपके क्या विचार हैं? चर्चा कीजिए।

रिक्त स्थान की पूर्ति करें –

तारा, साजिदा और प्रीति द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर..... (एक समान/अलग) दर से कर लगा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ?

19.4.2 प्रत्यक्ष कर

अभी हमने अप्रत्यक्ष करों के बारे में पढ़ा जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं लेकिन इसका भुगतान परोक्ष रूप से उपभोक्ताओं को ही करना पड़ता है।

लेकिन कुछ कर ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देने होते हैं। ये कर व्यक्ति की आय या कंपनियों अथवा व्यापार से होने वाली आय पर लगता है। इन करों को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है।

हमारे यहाँ दो प्रमुख प्रत्यक्ष कर हैं – आयकर और निगम कर।



चित्र 19.6 : आयकर विभाग

कारखाने या व्यापार करने वाली कंपनियों को निगम कर (Corporate Tax) चुकाना होता है। यह कर इन कंपनियों को अपने सभी खर्चों (कच्चा माल, कर्मचारियों के वेतन) को काटने के बाद अर्जित आय पर देना होता है।

आयकर (Income Tax) व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है। आय के कई स्रोत हो सकते हैं जैसे वेतन, भत्ते और पेंशन। इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी जमा राशि पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है। अपनी किसी संपत्ति को किराए पर देकर भी वह आय प्राप्त कर सकता है। इन सभी आय पर आयकर देना होता है।

आयकर एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देना होता है। आय कर कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है। जिनकी आय जितनी अधिक होती है उन्हें उतना ही अधिक आयकर का भुगतान करना होता है।

आय पर कर लेने की उचित विधि क्या है?

क्या प्रत्येक व्यक्ति से एक समान आयकर लेना उचित होगा? आइए हम इन तीनों व्यक्तियों पर विचार करते हैं –

व्यक्ति	कार्य	मासिक आय हर महीने (रुपए में)	निश्चित इनकम टैक्स (रु. में)
ज्योति	दैनिक मजदूर	1500	50
आसिफ	स्कूल शिक्षक	8000	50
जतिंदर	व्यापारी	30,000	50

ऊपर उल्लेखित तीनों व्यक्तियों से यदि एक समान आयकर लिया जाए तो क्या यह उचित होगा? ज्योति अगर अपने बच्चों को ठीक से दो वक्त का खाना भी नहीं खिला पाती है तो क्या उससे 50 रुपए का कर लेना ठीक रहेगा?

अब आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति की आय का एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में ले लिया जाए। लेकिन क्या यह भी उचित होगा? मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का 10 प्रतिशत हिस्सा आयकर के रूप में देता है। गणना कीजिए कि नीचे उल्लेखित तीनों व्यक्ति कितनी राशि कर के रूप में भुगतान करेंगे।

व्यक्ति	मासिक आय (रुपए में)	आय कर (रुपए में)
ज्योति	1500	---
आसिफ	8000	---
जतिंदर	30,000	---

उपर्युक्त तालिका को देखकर हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों से एक ही दर से कर लेना उचित नहीं है क्योंकि अभी भी ज्योति के पास अपने जीवनयापन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचेंगे। हो सकता है कि आसिफ के पास भी अपने घर की मरम्मत के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हों। लेकिन जतिंदर से 20 प्रतिशत आय कर ले लिया जाए तब भी उसके पास बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि बच जाएगी।

आयकर को और अधिक न्यायोचित बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि एक निश्चित राशि से ज्यादा कमाने वालों से ही आयकर लिया जाना चाहिए। इस मामले में मान लो हम 7000 रुपए मासिक कमाई की न्यूनतम सीमा निर्धारित करते हैं। इसी तरह हम यह भी कह सकते हैं कि अधिक आय प्राप्त करने वालों को आयकर भी अधिक दर से भुगतान करना चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं —

यदि आप इतना आय प्राप्त करते हैं	तो आप इस दर से कर देंगे
7000 रुपए से कम	0%
7001 से 15000 रुपए	10%
15,001 से 25,000 रुपए	20%
25,000 रुपए से ज्यादा	30%

गणना कीजिए कि अब प्रत्येक व्यक्ति को कितना आयकर चुकाना होगा –

व्यक्ति	मासिक कमाई	कर (रुपए में)
ज्योति	1000	
आसिफ	6000	
जतिंदर	20,000	

उपर्युक्त तालिका के अनुसार क्या अब कर दरें न्यायोचित हैं? इसकी चर्चा अपने शिक्षक के साथ करें।

हम सरकार द्वारा संग्रहित किए जाने वाले कुछ करों के बारे में पढ़ चुके हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इस टेबल को पूरा कीजिए।

आयकर 12%, निगम कर 21%, सीमा शुल्क 9%, उत्पाद शुल्क 14%, सेवा कर 10%, बिक्री कर 25% अन्य अप्रत्यक्ष कर 9%।

सरकार द्वारा संग्रहित कर

कर	कुल करों का प्रतिशत
प्रत्यक्ष कर	
1. निगम कर	21%
2.	
योग –	
अप्रत्यक्ष कर	
1	
2	
3	
4	
5	
योग –	
कुल कर	100%

सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है?

कांति की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए है और उसे इस पर 3000 रुपए आयकर के रूप

में देना पड़ता है। कमलेश की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए है और उसे आयकर के रूप में 5500 रुपए देना पड़ता है। अब बताइए कि —

- इन दोनों में से कौन अधिक आयकर का भुगतान करता है?
- किसे कर के रूप में अपनी आय का ज्यादा हिस्सा देना होगा?
- इस स्थिति में जिस व्यक्ति की आय अधिक है, वह(कम/ज्यादा/बराबर) आयकर देगा।

19.5 करारोपण में न्यायसंगतता

हमें किस कर प्रणाली को अपनाना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे समाज में रहने वाले लोगों की सोच क्या है? कई लोगों का मत है कि कुछ खास लोगों के पास तो लाखों-करोड़ों की संपत्ति है, जबकि एक बड़ा वर्ग दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पाता है। इस प्रकार आय की इतनी अधिक असमानता उचित नहीं है। इसलिए सरकार को सम्पन्न लोगों से अधिक कर लेना चाहिए और गरीबों से कोई कर नहीं लेना चाहिए या न्यूनतम कर वसूलना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो संग्रहित किए गए आय से गरीबों को बेहतर मौके उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। ज्योति, आसिफ और जतिंदर के उदाहरण की तरह ही कई देशों की सरकारें अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों से उच्च दर से कर वसूल करती हैं। आयकर के नियमों के अनुसार जिनकी आय अधिक है, कुल कर में उनका हिस्सा भी सबसे अधिक रहेगा तथा जिनकी आय कम है, कुल कर में उनका हिस्सा सबसे कम रहेगा। जहाँ तक अप्रत्यक्ष कर की बात है, किसी वस्तु को खरीदने पर अमीर और गरीब दोनों को समान दर से कर देना होगा। अगर अमीरों और गरीबों के बीच कर के मामले में अंतर करना है तो इसका एक उपाय यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाए तथा विलासिता (लग्जरी) चीजों जैसे कार, लैपटॉप, एयर-कंडीशनर, रेस्टॉरेंट्स में भोजन करने पर टैक्स लगाया जाए।

वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाते समय सरकार को एक और ज़रूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी कई वस्तुएँ और सेवाएँ हैं जिनका लोग सीधे उपभोग नहीं करते हैं जैसे डीजल, एल्युमिनियम, स्टील, मशीनें, ट्रक टायर्स आदि। लेकिन जब इन चीजों पर कर बढ़ाया जाता है तो इनके उपयोग से बननी वाली अन्य वस्तुओं या इनकी मदद से परिवहन होने वाली चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार, भले ही गरीब लोग केवल अनाज या कपड़ा खरीदते हों लेकिन डीजल या स्टील पर कर बढ़ने से उसका एक हिस्सा गरीबों को भी भुगतान करना होता है।

19.6 कर अपवंचना या कर चोरी

कई लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते बल्कि जितना कमाते हैं, उसकी तुलना में बहुत कम दर्शाते हैं। छुपाकर रखी हुई इस आय को काला धन कहा जाता है। कई कारखानों के मालिक, अमीर जमींदार, व्यापारी जितना कमाते हैं, उससे बहुत कम दिखाते हैं। जिन लोगों को एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है, उनकी आय की गणना आसानी से की जा सकती है। उनकी आय पर कर जहाँ से वे वेतन प्राप्त करते हैं वहाँ से ही सीधे काट लिया जाता है। इसलिए वेतन पर कर की चोरी करना काफी मुश्किल होता है। इन लोगों की आय के और भी अन्य स्रोत हो सकते हैं। चूँकि कृषि से अर्जित आय पर कर नहीं लिया जाता इसलिए इनमें कई लोग दूसरे स्रोतों से प्राप्त आय को कृषि से अर्जित आय बता देते हैं और आसानी से कर की चोरी कर लेते हैं।

इस प्रकार कर की चोरी करने वाले लोग कई तरह के होते हैं जो अपने पास काला धन एकत्रित करके

रखते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर कर चोरी करने वाले लोगों के ठिकानों पर छापे भी मारे जाते हैं। विभाग कर चुकाने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग कर का भुगतान आसानी से कर सकें।

दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें संग्रहित करने के स्थल अपेक्षाकृत कम होते हैं जैसे उत्पाद शुल्क कारखानों से, सीमा शुल्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों व बंदरगाहों से और बिक्री कर व्यापारियों से वसूल किया जाता है। बिक्री कर में भी कर की चोरी की जाती है जैसे—कई व्यापारी समुचित बिल जारी नहीं करके अपने अधिकारिक बही-खातों में बिक्री को बहुत कम दिखाते हैं। वैट का मकसद ही वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाली इस कर चोरी को कम करना है।

19.7 कर और व्यय – अंतर्राष्ट्रीय तुलना

कर पर मिलने वाली छूट और कर चोरी के कारण भारत में कर संग्रहण अन्य कई देशों की तुलना में काफी कम है। इसलिए भारत में कर संग्रहण के साथ-साथ सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च भी कम हैं। नीचे दी गई तालिका में भारत सरकार द्वारा संग्रहित की गई कर और खर्च की कुल राशि की तुलना अन्य देशों के साथ की गई है।

तालिका : कर संग्रहण और कुल खर्च (जीडीपी के प्रतिशत में)

देशों के नाम	कुल कर संग्रहण	कुल खर्च	मानव पूँजी पर खर्च
चीन	19.4	29.7	7.2
भारत	16.6	26.6	5.1
ब्राजील	35.6	40.2	11
कोरिया	24.3	20	8.4
वियतनाम	22.2	28	8.8
द. अफ्रीका	28.8	32	10.7
तुर्की	29.3	37.3	7.2
रूस	23	38.7	7.2
ब्रिटेन	32.9	41.4	13.4
अमेरिका	25.4	35.7	13.3

(स्रोत – आर्थिक सर्वे, 2015–16)

इस तालिका से पता चलता है कि भारत में कर संग्रहण (जीडीपी प्रतिशत में) अन्य देशों की तुलना में कम है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि भारत एक गरीब देश है जिसके कारण यहाँ के लोगों की कर देने की क्षमता काफी कम है। लेकिन यह तर्क पूरी तरह सही नहीं है।

कर संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च पर पड़ता है। जब कर का संग्रहण कम होता है तब राजस्व में भी कमी आती है। इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए धनराशि भी कम हो जाती है। ऊपर दी गई टेबल का कॉलम 3 कुल खर्च और कॉलम 4 मानव पूँजी पर होने वाले खर्च को दर्शाता है। मानव पूँजी पर होने वाले खर्च में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाला खर्च शामिल

रहता है। हम पूर्व पृष्ठ की तालिका को देखकर कह सकते हैं कि मानव पूँजी पर होने वाला खर्च भी सीधे-सीधे कुल कर संग्रहण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव पूँजी पर कम खर्च होने का सीधा प्रभाव मानव विकास के प्रदर्शन पर पड़ता है।

सारांश

सरकार देश के विकास के लिए खर्च कर सके, इसके लिए कर ज़रूरी है। सरकार आम लोगों को सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने, लोगों को उनकी आजीविका दिलवाने, देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने आदि कार्य करती है। सरकार प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है जिसमें वर्ष भर में होने वाले खर्च और उस खर्च के लिए राजस्व की व्यवस्था का लेखा-जोखा होता है। राजस्व कई प्रकार के करों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और इस तरह लगभग हर व्यक्ति परोक्ष रूप से सरकार को कर देता है। प्रत्यक्ष कर निजी तौर पर दिया जाता है। व्यक्ति अपनी आय पर और कंपनियाँ अपने लाभ पर प्रत्यक्ष कर देती हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायसंगत होते हैं लेकिन सरकार के कुल राजस्व संग्रहण में इसका हिस्सा लगभग 36 प्रतिशत ही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों से होने वाले कर संग्रहण को करों की चोरी प्रभावित करता है। अगर कर चोरी की समस्या को कम किया जा सके तो सरकार आम लोगों के हित में और भी बेहतर तरीके से काम कर सकती है।

अभ्यास



1. सही विकल्प का चयन कीजिए

1. मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है—

(क) 50 दिन (ख) 100 दिन
(ग) 150 दिन (घ) 200 दिन

2. सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है —

(क) ऋण (ख) सरकारी कंपनी का लाभ
(ग) कर (घ) इनमें से कोई नहीं

3. सरकार की आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है —

(क) राजस्व (ख) कर
(ग) लाभ (घ) बजट

4. केन्द्रीय बजट पारित किया जाता है —

(क) संसद में (ख) विधानसभा में
(ग) राज्य सभा में (घ) इनमें से कोई नहीं

5. प्रत्यक्ष कर है —

(क) मनोरंजन कर (ख) सेवा कर
(ग) बिक्री कर (घ) इनमें से कोई नहीं

6. सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण नहीं हैं —

(क) कार

(ख) बिजली

(ग) सड़क

(घ) रेल

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए —

- देश के लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है।
 - FSSAI का पूरा नाम है —
 - में सरकार की आय व्यय का विवरण होता है।
 - कारखानों में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाना वाला शुल्क शुल्क कहलाता है।
 - सिनेमाघर में चलचित्र देखने पर लगने वाला कर कर है।
 - कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है।
 - अप्रत्यक्ष कर और पर लगाया जाता है।
3. सरकार के लिए बजट क्यों ज़रूरी है? बजट में करों की चर्चा क्यों की जाती है?
4. आयकर और उत्पाद शुल्क में क्या अंतर है?
5. उचित संबंध जोड़िए —
- | | |
|--------------------------|--|
| उत्पाद शुल्क | निजी आय पर कर |
| बिक्री कर | कंपनियों और व्यापारियों द्वारा अर्जित वार्षिक मुनाफे पर कर |
| सीमा शुल्क | वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर कर |
| आयकर | वस्तुओं की बिक्री पर कर |
| निगम कर (कारपोरेट टैक्स) | विदेश से लाई गई चीजों पर कर |
6. इस्पात, माचिस, घड़ियाँ, कपड़े, लौह अयस्क आदि पर करों में वृद्धि का प्रभाव अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर होता है क्यों? इनमें से किन चीजों पर कर की वृद्धि का प्रभाव अन्य वस्तुओं की कीमतों पर सबसे अधिक पड़ेगा और क्यों?
7. सामान्य वस्तुओं जैसे अनाज, दाल, तेल आदि का उपभोग प्रायः सभी करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन पर लगाया जाने वाला कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है?
8. चार दोस्त मिलकर एक साथ एक मकान किराए पर लेते हैं। इसका मासिक किराया 2000 रुपए है। इन चारों में इसका बंटवारा कैसे होगा?
- इनमें से दो लोगों की मासिक आय 3000 रुपए है, जबकि दो अन्य लोगों की मासिक आय 7000 रुपए। क्या किराए में बंटवारे का कोई और अन्य उपाय है ताकि सभी लोगों को इसका भार एक जैसा महसूस हो?
- किराए में बंटवारे का आप कौन-सा तरीका पसंद करेंगे और क्यों?
9. आय पर कर और वस्तुओं पर कर — इन दोनों में से कौन-सा कर अमीरों को और कौन-सा कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है? कारण बताइए।
10. वैट किस तरह से कर चोरी को कम कर सकता है
11. आयात कर और निर्यात कर में अन्तर लिखिए।

खाद्य सुरक्षा



भोजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है पर कभी-कभी किसी कारणवश या तो हमें भोजन नहीं मिल पाता या हम स्वयं भोजन नहीं लेते। क्या आप भी कभी एक या दो दिन भूखे रहे हैं? इन दिनों में भूख के कारण आपको कैसा महसूस हुआ। कोई व्यक्ति लम्बे समय तक भूखा रहकर कैसे अपने प्राणों की रक्षा करता होगा? ज़रा इन बातों पर विचार कीजिए कि किन-किन कारणों से कोई व्यक्ति या उसके परिवार वालों को भूखा रहना पड़ता होगा। इन सब बातों पर आप अपने शिक्षक से चर्चा करें।

आइए, हम कुछ स्थितियों का अध्ययन करते हैं –

मध्यप्रदेश के सूखे की तस्वीर— लगभग 80 वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश के पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा उस स्थिति में लोगों ने इसका सामना कैसे किया? एक शाला के बच्चों द्वारा अपने बड़े बुजुर्गों से उनके अनुभव पूछे गए और उसका दस्तावेजीकरण किया गया। उसका एक दृश्य नीचे प्रस्तुत है।

“अकाल में कुछ नहीं पका जिसको जो मिला वह खा जाता था। पेड़ की पत्ती, छाल, किसी भी चीज़ को पीसकर खा जाते थे। अकाल के समय जंगल की भाजी भी नहीं मिलती थी। अनाज बहुत मँहगा था। पहले एक रुपए का पाँच किलो अनाज मिलता था। मगर अकाल में पाँच रुपए का एक किलो भी मिलना कठिन था। इसलिए लोग जुवार की राबड़ी पीते थे। (राबड़ी— जुवार को पानी में घोलकर उबालकर बनाई जाती है।)



चित्र 20.1 : भुखमरी से पीड़ित इंसान और जानवर

है।) अनाज की कमी के कारण यह राबड़ी इतनी पतली बनाते थे कि जब थाली में लेकर इसे पीने बैठते थे तो घर की छत के डांडों की परछाई उसमें दिखाई देती थी। पेड़ों के तनों के छिलके को बाजरे के साथ पीसकर रोटी बनाकर खाते थे। अनाज बहुत मँहगा था, एक मुट्ठी दाना और मटका भर पानी पीकर जिए। पेड़ के सभी भाग को खाया। मिट्टी भी खाई।”

बंगाल के अकाल की तस्वीर

वर्ष 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल से लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अनाजों के उत्पादन में थोड़ी सी कमी से इस अकाल की शुरुआत हुई। अनाज उत्पादन की थोड़ी कमी ने ऐसा दुश्चक्र बनाया कि भयंकर अकाल का रूप ले लिया। खराब मौसम के कारण अनाजों के उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई। विदेशों से भी अनाजों का आयात प्रभावित हुआ। अनाजों की थोड़ी कमी से व्यापारी वर्ग द्वारा जमाखोरी की जाने लगी। जिससे अनाजों की कीमतों में वृद्धि होनी शुरू हो गई। कृषक वर्ग द्वारा भी अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं एवं बचाव को देखते हुए अनाजों को बाजार में बेचना काफी कम कर दिया। जिससे पुनः अनाजों की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने लगी। वहीं सरकार द्वारा भी जमाखोरी, मूल्यवृद्धि रोकने व खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ाने पर कोई प्रयास नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप अनाजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने लगी। इन आसमान छूती कीमतों पर गरीब वर्ग का कुछ समूह जैसे— दैनिक मजदूर, मछुआरे, बड़ई, सामान ढोने वाले आदि अनाजों की पहुँच से अपनी कम आय के कारण दूर होते गए और अन्त में वृहत पैमाने पर भूख से मरने का मंज़र शुरू हो गया।



चित्र 20.2 : अकाल व भूख से ग्रसित परिवार वर्ष 1943

(संदर्भ – गरीबी और अकाल, अमर्त्य सेन)

दीर्घकालीन (अदृश्य) भूख

चित्र क्र. 20.3 के तस्वीरों को देखने से हमें ऐसा लगता है कि ये सभी लोग स्वस्थ हैं परन्तु ऐसा नहीं है। वास्तव में ये लोग भी कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे लोगों की तादात बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग शारीरिक रूप से तो लगभग सामान्य दिखते हैं परन्तु आन्तरिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। वास्तव में ये अदृश्य भूख के शिकार हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग भोजन नहीं करते अपितु अपनी अल्प आय और गरीबी के कारण हर



(स्रोत—जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी छ.ग.)

चित्र 20.3 दीर्घकालीन (अदृश्य) भूख से ग्रसित लोग

रोज़ पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले पाते। अपर्याप्त भोजन लेने की स्थिति यदि लम्बे समय तक चलती है तो दीर्घकालीन भूख की स्थिति बन जाती है। जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। यह स्थिति पोषण सर्वेक्षण से समझ में आती है जिसके बारे में आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे।

क्या आपके क्षेत्र में किसी वर्ष सूखा या अकाल पड़ा है? अपने बड़े बुजुर्गों से चर्चा करते हुए एक रिपोर्ट बनाइए कि उन्होंने इस परिस्थिति का सामना कैसे किया?

अकाल से निर्मित भूख और दीर्घकालीन भूख में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? समझाइए।

बंगाल में खाद्यान्नों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के दुश्चक्र को समझाइए।

क्या है खाद्य सुरक्षा?

उपर्युक्त दी गई तीनों घटनाएँ भूख से पीड़ित लोगों की व्यथा व्यक्त कर रही हैं। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इसी संदर्भ पर आधारित है। किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए जितनी वायु व जल की आवश्यकता होती है उतना ही उसे भोजन की भी आवश्यकता है। सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुँच और उसे प्राप्त करने की क्षमता ही खाद्य सुरक्षा है।

खाद्य सुरक्षा के तीन प्रमुख आयाम हैं—

1. भारत में खाद्य पदार्थों की **उपलब्धता**।
2. सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थों की **पहुँच**।
3. बाजार और **क्रय शक्ति**।

भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया जिसे खाद्य का अधिकार कानून भी कहा जाता है। यह कानून देश के अधिकांश लोगों पर लागू होता है जिसके अन्तर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीने रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012** पारित किया गया। जिसमें कहा गया है कि यह — राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुँच सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन—यापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं उससे संबंधित अथवा आनुशांगिक विषयों हेतु “अधिनियम” है।

(स्रोत— छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012)

भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता

खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता से ही खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। खाद्यान्नों की उपलब्धता का संबंध सभी प्रकार के अनाजों जैसे गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज आदि से है। विगत पाँच दशकों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रयासों के फलस्वरूप देश के खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। आज़ादी के समय से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 4 गुने से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। इसे हम अग्रांकित सारणी से समझ सकते हैं—

सारणी 20.1 : भारत में खाद्यान्न उत्पादन एवं उसकी उपलब्धता

वर्ष	जनसंख्या मिलियन में	खाद्यान्न का उत्पादन मिलियन टन	कुल आयात/ निर्यात मिलियन टन*	कुल उपलब्ध खाद्यान्न मिलियन टन
1951	363.2	48.1	(+) 4.8	52.9
1961	442.4	72.0	(+) 3.5	75.5
1971	551.3	94.9	(+) 2.0	96.9
1981	688.5	113.4	(+) 0.7	114.1
1991	851.7	154.3	(-) 0.1	154.2
2001	1033.2	172.2	(-) 2.9	169.3
2010	1185.8	190.8	(-) 2.2	188.6
2011	1201.9	213.9	(-) 2.9	211

नोट: यदि किसी वर्ष आयात, निर्यात से अधिक है तो इससे हमारा कुल स्टॉक बढ़ जाता है। इसे (+) चिन्ह से दिखाया गया है। इसी प्रकार यदि निर्यात आयात से अधिक है तो हमारा कुल स्टॉक कम हो जाता है। इसे (-) चिन्ह से दिखाया गया है।

* (1 मिलियन टन = 10 लाख टन, 1 टन = 1000 किलोग्राम)

(स्रोत—आर्थिक सर्वेक्षण 2015–2016)

उपर्युक्त आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि आज़ादी के समय हमारा देश गंभीर खाद्य संकट से गुज़र रहा था। उस समय खाद्य आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार को विदेशों से 4.8 मिलियन टन अनाज



चित्र 20.4 – मोटे अनाज

आयात करना पड़ा। बाद के कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि हुई। फिर भी खाद्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार को कुछ खाद्यान्न आयात करना ही पड़ा। 70 के दशक के बाद अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी और खाद्यान्नों के आयात में कमी होने लगी।

आजादी के समय सभी अनाजों जैसे गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों की कमी थी। योजनाओं के फलस्वरूप सभी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। परन्तु चावल एवं गेहूँ में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि हुई तथा मोटे अनाजों दलहन एवं तिलहनों के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। जबकि ये अनाज पोष्टिकता से भरपूर होते हैं।

तालिका क्रमांक 20.1 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हमारे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। उपलब्धता को समझने के लिए केवल उत्पादन को देखना ज़रूरी नहीं है बल्कि हमें प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता को जानना होगा। प्रतिव्यक्ति उपलब्धता हमें आत्मनिर्भरता का संकेत देती है तथा सभी लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्धता की संभावना दर्शाती है। प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता की गणना करने के लिए हम खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता को कुल जनसंख्या से भाग देकर वार्षिक उपलब्धता ज्ञात करते हैं तथा उसमें 365 दिन (1 वर्ष) का भाग देने से प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धता प्राप्त होती है।

प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता

तालिका 20.2

वर्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धता (ग्राम में)
1951	399
1991	496
2010	?
2011	481

(उपर्युक्त गणना में स्टॉक परिवर्तन सम्मिलित नहीं है)

उपर्युक्त आंकड़े तालिका 20.1 पर आधारित हैं। तालिका से पता चलता है कि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता की मात्रा थोड़ी बढ़ी है परन्तु जनसंख्या वृद्धि की तुलना में यह पर्याप्त नहीं है।

हमें केवल अनाजों के सेवन से ही पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, अपितु हम फल, सब्जी, दूध, मांस, अण्डा, आदि से भी अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इन पदार्थों का सेवन संतुलित आहार की दृष्टि से एक अच्छा संकेत है।

तालिका 20.1 के आधार पर वर्ष 2010 के प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता की गणना करें?

मोटे अनाजों के प्रति आपका क्या मत है?

किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना क्यों आवश्यक है?

खाद्य पदार्थों की पहुँच

खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के साथ-साथ सभी लोगों के बीच इनकी पहुँच सुनिश्चित करना दूसरा प्रमुख आयाम है। देश के कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ खाद्यान्नों का उत्पादन तो कर लेते हैं परन्तु अधिकांश लोग बाज़ार की खरीदी तथा सार्वजनिक आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं। भूमिहीन तथा शहरी लोग पूर्णतः बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। बहुत से व्यक्ति गरीब तथा बेरोजगार भी हैं। इनकी स्थिति को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा कुछ योजनाएँ चलाकर खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के उद्देश्य को पुनः अवलोकन करें। आइए अब हम सरकार द्वारा संचालित कुछ प्रमुख योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (MDM) आदि पर चर्चा करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अन्तर्गत देश के अधिकांश ज़रूरत मंदों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न जैसे चावल, गेहूँ, शक्कर, चना, नमक तथा मिट्टी तेल आदि उपलब्ध कराया जाता है। ये सभी वस्तुएँ पात्र परिवार को राशन कार्ड के माध्यम से प्रत्येक माह निर्धारित मात्रा में प्रदान की जाती हैं। आज हमारे देश में लगभग सभी गाँव एवं शहरों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। वर्तमान में इन दुकानों की संख्या देश में 4.63 लाख से भी अधिक है जबकि अकेले छ.ग. में ऐसी दुकानों की संख्या अक्टूबर 2014 की स्थिति में 11088 थी।

इन दुकानों में खाद्यान्नों की उपलब्धता भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। FCI अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से गेहूँ और धान (चावल) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाजों को बड़े-बड़े भण्डारों में सुरक्षित रखा जाता है। यह भण्डारण PDS की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है। FCI अनाजों का संग्रहण एक अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी करता है, वह है **बफर स्टॉक**। बफर स्टॉक के अन्तर्गत देश की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डारण किया जाता है। जिससे कि खराब मौसम या आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को बफर स्टॉक के माध्यम से दूर किया जा सके।

हमने कुछ विद्यालयों के बच्चों से उनके घरों में खाद्यान्न की उपलब्धता से सम्बन्धित कुछ जानकारियाँ ली। इसमें यह पूछा गया कि उनके घरों में खाने हेतु अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्रियाँ कहाँ-कहाँ से खरीदी जाती हैं और यह भी जाना कि क्या पीडीएस से मिलने वाला खाद्यान्न महीने भर के लिए पूरा हो पाता है या नहीं? उदाहरण के लिए दो बच्चों ने बताया उनके घरों में अनाज उचित मूल्य की राशन दुकान (कोटा) तथा बाज़ार से खरीदा जाता है। बच्चों के द्वारा दी गई जानकारी (चित्र 5) अगले पृष्ठ पर देखें :—

परियोजना कार्य —

तालिका 20.3 की तरह आप भी अपने घर में पी.डी.एस एवं बाज़ार से महीने भर के लिए खरीदी जाने वाली इन वस्तुओं की एक तालिका बनाइए तथा इसका विश्लेषण कीजिए।

नाम: साधना प सोरा			नाम: सहकारी परिवार 7		
कालाज खाद्य	घेरा से	बाजार से	अनाज अनाज	घेरा से	बाजार से
चावल	28 किगो	20 कि.	चावल	35 किगो	30 किगो
गेहूँ	0 किगो	2 कि.	गेहूँ	0	0
मूँग	0 किगो	2 कि.	चना	0	0
शामक	1 किगो	0 कि.	शामक	1 किगो	0
तेल	0 किगो	1 कि.	तेल	0	2 लीटर
दाल	0 किगो	3 कि.	दाल	0	3 किगो
मसूर	2 किगो	0 किगो	मसूर	2 किगो	0

तालिका 20.3 : कुछ बच्चों के द्वारा दी गई जानकारी

आपके क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन कैसे किया जाता है? वहाँ कौन-कौन सी वस्तुएँ बेची जाती हैं? एक रिपोर्ट बनाइए।

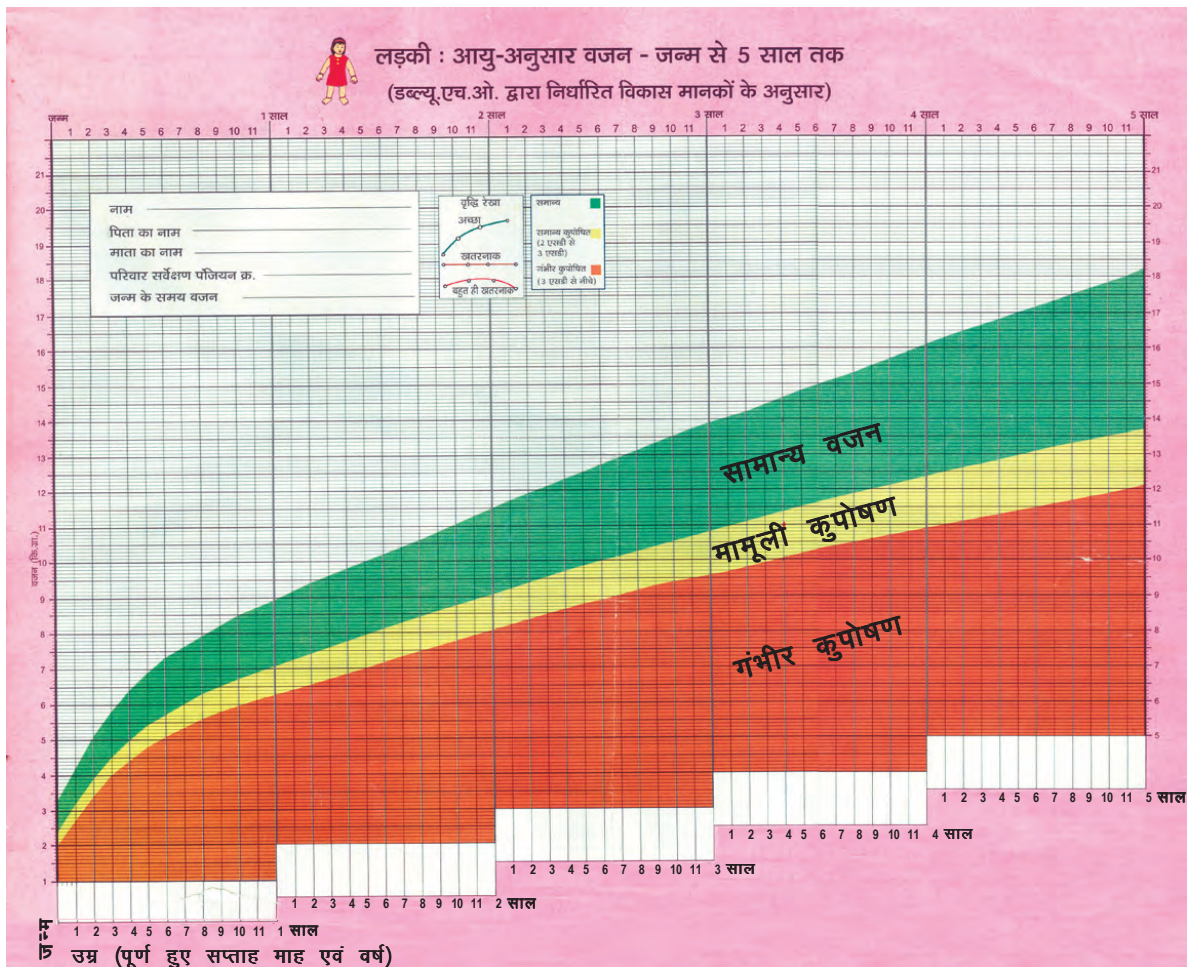
सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से क्यों आवश्यक है?

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS)

इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व शिशुवती महिलाओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पूरक पौष्टिक आहार आदि के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाता है। इन केन्द्रों में बच्चों का नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ उनकी बढ़ती आयु के अनुसार उचित पूरक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ छोटे बच्चों में विद्यालय पूर्व प्रारंभिक शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। यह उम्र बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस उम्र (पाँच वर्ष तक) में बच्चों का लगभग 90 प्रतिशत तक मानसिक विकास हो जाता है। यदि इस उम्र के बच्चों की उचित देखभाल न की जाए तो बच्चे बीमारी एवं कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद (NIN) के एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में इस आयु वर्ग के लगभग 43 प्रतिशत बच्चों का उम्र के अनुसार वजन कम है। यह ICDS कार्यक्रम के लिए एक बड़ी चुनौती है। **विकास की समझ** अध्याय के तालिका क्रमांक 17.5 में आपने पढ़ा है कि इस उम्र के बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत अधिक है।

जन्म के बाद बच्चों का सही तरीके से शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं इसे जाँचने लिए आयु के अनुसार वजन सारणी का प्रयोग करते हैं। इस सारणी को हम किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र में जाकर देख सकते हैं।

आरेख क्र. 20.1 देखें लड़के एवं लड़कियों के लिए यह पृथक-पृथक होती है। इस सारणी में जन्म से 60 माह (पाँच वर्ष) तक के उम्र के बच्चों का वजन दर्ज किया जाता है। यदि बच्चे का अंकित वजन सामान्य वजन के संकेतक में आता है तो उसका वजन सामान्य होता है। मामूली कुपोषण के संकेतक में उम्र के अनुसार वजन कम (सामान्य कुपोषित) तथा गंभीर कुपोषण के संकेतक में होने की स्थिति में बच्चे का वजन अत्यन्त कम (गंभीर कुपोषित) होता है। ऐसी स्थिति में बच्चे की पर्याप्त देखभाल व उनके लिए अतिरिक्त



आरेख 20.1

WHO द्वारा निर्धारित विकास के मानकों के अनुसार आयु-अनुसार वजन सारणी
(लड़कियों के लिए) जन्म से पाँच वर्ष

पोषक आहार की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य रूप से जन्म से 6 माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध एवं 6 माह के पश्चात् अन्य पोषक आहार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में थोड़े-थोड़े समय के अन्तराल पर देते रहना चाहिए।

तीन वर्ष चार माह समान उम्र के दो लड़कियों संतोषी और रामबाई का वजन क्रमशः 10.5 किग्रा तथा 13 किग्रा है। आरेख क्र. 20.1 के आधार पर बताइए कि उनके वजन के अनुसार पोषण का स्तर क्या है?

छः माह पश्चात् संतोषी का वजन 10.5 कि.ग्रा. तथा रामबाई का वजन 14 कि.ग्रा. हो जाता है। आरेख क्र. 20.1 में वृद्धि रेखा का अवलोकन करते हुए इनके वजन एवं पोषण स्तर की तुलना कीजिए।

छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (MDM)

ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बिना भोजन किए अथवा बहुत कम खाकर स्कूल जाते हैं। जिसके कारण अध्ययन

करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती। इससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। विद्यालयीन बच्चों में इस समस्या को दूर करने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण योजना चलायी जा रही है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भारत के समस्त राज्यों के सरकारी विद्यालयों (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक) में चलाया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ मध्याह्न भोजन भी (दोपहर का भोजन) दिया जाता है। शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार इन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार दिया जाता है।



चित्र 20.5 : मध्याह्न भोजन करते स्कूली बच्चे

क्या खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय में MDM की आवश्यकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए?

बाज़ार एवं क्रय शक्ति

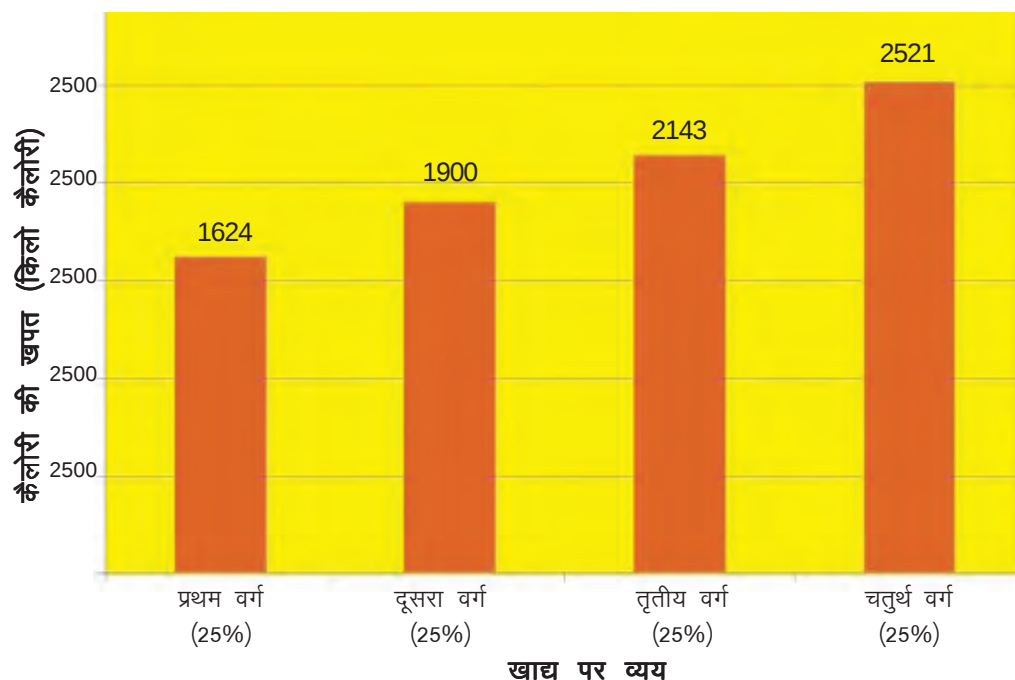
अधिकांश व्यक्ति अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। कृषक वर्ग स्वयं के लिए कई अनाजों का उत्पादन कर लेते हैं तथा कुछ अनाजों की पूर्ति हेतु बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। गैर कृषक वर्ग जैसे— मज़दूर, व्यापारी, नौकरी पेशा आदि लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए ज्यादातर बाज़ार पर निर्भर होते हैं। जिन लोगों की क्रय शक्ति अच्छी होती है वे बाज़ार से पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ खरीद लेते हैं। जिनकी क्रय शक्ति कमजोर होती है, वे सरकार की विभिन्न खाद्य योजनाओं के साथ-साथ बाज़ारों से भी खाद्य वस्तुएँ खरीदते हैं पर इनकी क्रय शक्ति कमजोर होने के कारण ये लोग पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार नहीं खरीद पाते हैं। लम्बे समय तक पोषक आहार की कमी से शरीर कई बीमारियों व कुपोषण जैसी स्थिति से ग्रसित हो जाता है।

हमारे शरीर को भोज्य पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा का मापन कैलोरी से किया जाता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 2100 किलो कैलोरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत मेहनतकश लोगों को प्रत्येक दिन में 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

हमारे देश में NSSO के एक सर्वे में बताया गया कि दोनों ही क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर औसत कैलोरी का स्तर आवश्यकता से कम है।

वर्ष 2004 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके समस्त खर्चों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक वर्ग के लिए भोज्य पदार्थों में किए गए खर्च के जो आंकड़े प्राप्त हुए वे आरेख 20.2 पर प्रदर्शित है।

आरेख 20.2 : ग्रामीण भारत में कैलोरी की मात्रा प्रति व्यक्ति



आरेख 20.2 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रथम वर्ग के लोगों में अपनी प्रतिदिन आवश्यक 2400 कैलोरी की तुलना में बहुत कम (1624 कैलोरी) है। यही स्थिति दूसरा वर्ग एवं तृतीय वर्ग के लोगों में भी है जिन्हें आवश्यकता से कम कैलोरी प्राप्त हो रही है इन मेहनतकश लोगों के न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख कारण इनकी क्रय शक्ति का कमजोर होना है।

खाद्यान्नों के लिए बाज़ार पर पूर्णतः निर्भर कौन-कौन रहता है?

आपकी समझ से ऐसे क्या संभावित कारण हो सकते हैं कि गरीब वर्ग अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं पर बहुत कम रुपये खर्च कर पाते हैं? इससे इनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

पोषण स्थिति

सभी लोगों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने खाद्य की उपलब्धता, उसकी पहुँच व लोगों की क्रय शक्ति पर चर्चा की। विभिन्न योजनाओं से हमने यह भी जाना कि गरीब वर्ग को ये योजनाएँ कैसे मदद पहुँचा रही हैं वास्तव में क्या लोगों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है? इसे जानने का सबसे आसान तरीका है कि उनकी पोषण स्थिति का चिकित्सकीय या कुछ वैज्ञानिक पद्धति से जाँच करना। वैज्ञानिक पद्धति व्यक्तियों के उम्र एवं लम्बाई तथा वजन के अनुसार होती है। वैज्ञानिक पद्धति में सबसे प्रमुख है **BMI** (Body Mass Index अर्थात् शरीर द्रव्यमान सूचक)। BMI आँकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) द्वारा प्रमाणित है।

हम सामान्यतः कुपोषित व्यक्तियों को देखकर ही पहचान सकते हैं जैसे अत्यन्त कमजोर, बहुत कम वजन, एवं अत्यधिक मोटापा, परन्तु कुछ कुपोषितों को साधारण रूप से देखकर हम पहचान नहीं सकते। ऐसे लोग हमारे देश में 30-40 प्रतिशत हैं। कुपोषित लोगों की इतनी बड़ी आबादी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त चिन्ता का विषय है। जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए WHO द्वारा निर्धारित सारणी के बारे में हमने

ICDS खण्ड में पढ़ा है। 5 से 19 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के कुपोषण दर को जानने के लिए BMI का सहारा लेते हैं। इसमें हम लम्बाई व उम्र के अनुसार वजन का पता लगाकर BMI ज्ञात करते हैं।

हमने कुछ ग्रामीण स्कूलों के बच्चों का BMI ज्ञात किया। BMI का विश्लेषण करने पर हमने पाया कि कुछ बच्चों का शारीरिक व पोषण स्तर ठीक नहीं है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हमने बच्चों से उनके खान-पान व पोषक आहार पर विस्तृत चर्चा की। आइए, उदाहरण के माध्यम से एक बच्चे का BMI ज्ञात करने का प्रयास करें –

नाम	–	रानी (महिला)
आयु	–	15 वर्ष 6 माह
लम्बाई	–	1 मीटर, 34 सेंटीमीटर (1.34 मीटर)
वजन	–	26 किलोग्राम

$$\text{BMI} = \text{शरीर का वजन (किलोग्राम में)} / \text{लम्बाई} \times \text{लम्बाई (मीटर में)}$$

$$\text{रानी का BMI} = 26 / 1.34 \times 1.34$$

$$= 26 / 1.79 = 14.52$$

अब हम रानी के BMI का WHO द्वारा प्रमाणित सारणी में अवलोकन करते हैं जो कि पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर है। यह सारणी 5 से 19 वर्ष तक के बच्चों (लड़का एवं लड़की के लिए अलग-अलग) के लिए उपलब्ध है। BMI विश्लेषण सारणी के अनुसार रानी का BMI कुपोषित संकेतक के खण्ड में है। यह स्थिति रानी के कुपोषित (कमजोर) होने का संकेतक है। ऐसी अवस्था में रानी को अतिरिक्त पोषक आहार की आवश्यकता है।

BMI एवं विश्लेषण सारणी के माध्यम से आप अपने शारीरिक व पोषण स्थिति की जाँच करें।

उपर्युक्त BMI की गणना के आधार पर आपका शारीरिक व पोषण स्थिति क्या है? अपने खान-पान पर शिक्षक एवं अभिभावक से विस्तृत चर्चा करें।

सामान्यतः 19 वर्ष के पश्चात् व्यक्तियों की लम्बाई का बढ़ना लगभग स्थिर हो जाता है। इसलिए 19 वर्ष से अधिक अर्थात् वयस्कों के लिए एक अलग पैमाना बनाया गया है। वयस्कों का BMI ज्ञात कर निम्नांकित सारणी से पोषण स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है –

तालिका क्रमांक 20.4 वयस्कों का BMI विश्लेषण तालिका

क्रं.	BMI	शारीरिक स्थिति	विशेष
1.	18.5 से कम	वजन कम	पोषक खान-पान की आवश्यकता
2.	18.5 से 24.9	सामान्य	स्वस्थ शरीर
3.	25.0 से 29.9	मोटापे की शुरुआत	खान-पान में संतुलन एवं व्यायाम की आवश्यकता
4.	30.0 से अधिक	अत्यधिक मोटापा	खान-पान में संतुलन, व्यायाम के साथ-साथ विशेष उपचार की आवश्यकता

NIN के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 35 प्रतिशत व्यस्कों का BMI 18.5 से कम है जबकि 10 से 13 प्रतिशत व्यस्कों का BMI 25.0 से ज्यादा है।

हमारे देश में जो बच्चे कुपोषित दिखाई देते हैं उनके संभावित कारणों में से एक है कि उनकी माताओं को उचित पोषण आहार का न मिल पाना। महिलाओं की शारीरिक स्थिति का बच्चों के पोषण से सीधा संबंध रहता है। आज भी कई महिलाओं को पौष्टिक भोजन और अन्य ज़रूरी चीज़ें (खासकर गर्भावस्था के दौरान) प्राप्त नहीं हो पाती। इससे गर्भ में बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता। बच्चा कम वजन का पैदा होता है और वह जन्म से ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। ये बच्चे अपनी बढ़ती हुई आयु में भी कुपोषण से प्रभावित रहते हैं। जो इनके व्यस्क होने पर भी बना रह सकता है, ऐसी स्थिति में इनके स्वयं माता-पिता बनने पर इनकी आगे की पीढ़ी पुनः कुपोषण से प्रभावित हो सकती है और यह क्रम निरन्तर जारी भी रह सकता है। हमें इस क्रम को तोड़कर इन लोगों को कुपोषण से बचाना होगा तभी खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य पूरा होगा।

अभ्यास



प्रश्न 1. सही विकल्प का चयन करें –

- छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
अ. 2011 ब. 2012 स. 2013 द. 2014
- 90 प्रतिशत तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है?
अ. 2 वर्ष ब. 3 वर्ष स. 4 वर्ष द. 5 वर्ष
- BMI का पूरा नाम है –
अ. Body Measurement ब. Index Body Measurement Indicator
स. Body Mass Indicator द. Body Mass Index
- FCI द्वारा किसानों के अनाजों की खरीदी की जाती है –
अ. स्थानीय मूल्य पर ब. थोक मूल्य पर
स. अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर द. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर

प्रश्न 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को क्रमशः.....एवं.....कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- मोटा अनाज मुख्यतःभागों में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है।
- आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम मेंसेतक की आयु के बच्चों के पोषण स्तर की नियमित जाँच होती है।
- पी.डी.एस. के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीनेमूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
- जन्म से छः माह तक के बच्चों को आहार के रूप मेंदेना चाहिए।

6. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम.....एवंविद्यालयों में चलाया जाता है।
7. सबसे ज्यादा कुपोषित होने की संभावनावर्ग में होती है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य
 2. बफर स्टॉक
 3. उचित मूल्य की दुकान
 4. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता
- प्रश्न 4. खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य बताइए?
- प्रश्न 5. कौन-कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक प्रभावित हो सकते हैं?
- प्रश्न 6. क्या हड़ताल, बाज़ार बंदी, कर्फ्यू आदि जैसे अल्पकालीन आपदाओं से दैनिक मजदूर प्रभावित हो सकते हैं? अपने विचार व्यक्त करें।
- प्रश्न 7. ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि 70 के दशक के बाद अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी?
- प्रश्न 8. जब कोई दीर्घकालीन आपदा आती है तो खाद्य आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
- प्रश्न 9. खाद्य सुरक्षा की पहुँच बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? किन्हीं तीन योजनाओं को समझाइए।
- प्रश्न 10. पी.डी.एस. के संचालन के लिए एफ.सी.आई. कैसे मदद करता है।
- प्रश्न 11. सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है।
- प्रश्न 12. दीर्घ कालीन भूख से स्वास्थ्य पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है?
- प्रश्न 13. 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल से कौन-कौन से लोग अधिक प्रभावित हुए और क्यों?
- प्रश्न 14. क्या अदृश्य भूख देश के विकास में बाधक है? अपने विचार लिखिए?
- प्रश्न 15. खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम क्या-क्या हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा करें?
- प्रश्न 16. संतुलित आहार क्या है? हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता क्यों है?
- प्रश्न 17. विकास की समझ अध्याय के तालिका क्रमांक 17.5 को देखकर यह बताने का प्रयास कीजिए कि हमारे देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए उम्र के अनुसार कम ऊँचाई तथा कम वजन होने के क्या संभावित कारण हो सकते हैं?

परियोजना कार्य :-

- प्रश्न 18. आप अपने छोटे/बड़े या पड़ोस के भाई-बहन की पोषण स्थिति का पता करें?

BMI-for-age BOYS

14 to 18 years

World Health Organization

के आधार पर सारणी

वर्ष : माह	कुपोषित (कमजोर)	सामान्य	कुपोषित (मोटापा)
14 : 0	15.5 से कम	15.5 से 25.9	25.9 से अधिक
14 : 1	15.5 से कम	15.5 से 26.0	26.0 से अधिक
14 : 2	15.6 से कम	15.6 से 26.1	26.1 से अधिक
14 : 3	15.6 से कम	15.6 से 26.2	26.2 से अधिक
14 : 4	15.7 से कम	15.7 से 26.3	26.3 से अधिक
14 : 5	15.7 से कम	15.7 से 26.4	26.4 से अधिक
14 : 6	15.7 से कम	15.7 से 26.5	26.5 से अधिक
14 : 7	15.8 से कम	15.8 से 26.5	26.5 से अधिक
14 : 8	15.8 से कम	15.8 से 26.6	26.6 से अधिक
14 : 9	15.9 से कम	15.9 से 26.7	26.7 से अधिक
14 : 10	15.9 से कम	15.9 से 26.8	26.8 से अधिक
14 : 11	16.0 से कम	16.0 से 26.9	26.9 से अधिक
15 : 0	16.0 से कम	16.0 से 27.0	27.0 से अधिक
15 : 1	16.1 से कम	16.1 से 27.1	27.1 से अधिक
15 : 2	16.1 से कम	16.1 से 27.1	27.1 से अधिक
15 : 3	16.1 से कम	16.1 से 27.2	27.2 से अधिक
15 : 4	16.2 से कम	16.2 से 27.3	27.3 से अधिक
15 : 5	16.2 से कम	16.2 से 27.4	27.4 से अधिक
15 : 6	16.3 से कम	16.3 से 27.4	27.4 से अधिक
15 : 7	16.3 से कम	16.3 से 27.5	27.5 से अधिक
15 : 8	16.3 से कम	16.3 से 27.6	27.6 से अधिक
15 : 9	16.4 से कम	16.4 से 27.7	27.7 से अधिक
15 : 10	16.4 से कम	16.4 से 27.7	27.7 से अधिक
15 : 11	16.5 से कम	16.5 से 27.8	27.8 से अधिक
16 : 0	16.5 से कम	16.5 से 27.9	27.9 से अधिक
16 : 1	16.5 से कम	16.5 से 27.9	27.9 से अधिक
16 : 2	16.6 से कम	16.6 से 28.0	28.0 से अधिक
16 : 3	16.6 से कम	16.6 से 28.1	28.1 से अधिक
16 : 4	16.7 से कम	16.7 से 28.1	28.1 से अधिक
16 : 5	16.7 से कम	16.7 से 28.2	28.2 से अधिक
16 : 6	16.7 से कम	16.7 से 28.3	28.3 से अधिक
16 : 7	16.8 से कम	16.8 से 28.3	28.3 से अधिक
16 : 8	16.8 से कम	16.8 से 28.4	28.4 से अधिक
16 : 9	16.8 से कम	16.8 से 28.5	28.5 से अधिक
16 : 10	16.9 से कम	16.9 से 28.5	28.5 से अधिक
16 : 11	16.9 से कम	16.9 से 28.6	28.6 से अधिक
17 : 0	16.9 से कम	16.9 से 28.6	28.6 से अधिक
17 : 1	17.0 से कम	17.0 से 28.7	28.7 से अधिक
17 : 2	17.0 से कम	17.0 से 28.7	28.7 से अधिक
17 : 3	17.0 से कम	17.0 से 28.8	28.8 से अधिक
17 : 4	17.1 से कम	17.1 से 28.9	28.9 से अधिक
17 : 5	17.1 से कम	17.1 से 28.9	28.9 से अधिक
17 : 6	17.1 से कम	17.1 से 29.0	29.0 से अधिक
17 : 7	17.1 से कम	17.1 से 29.0	29.0 से अधिक
17 : 8	17.2 से कम	17.2 से 29.1	29.1 से अधिक
17 : 9	17.2 से कम	17.2 से 29.1	29.1 से अधिक
17 : 10	17.2 से कम	17.2 से 29.2	29.2 से अधिक
17 : 11	17.3 से कम	17.3 से 29.2	29.2 से अधिक
18 : 0	17.3 से कम	17.3 से 29.2	29.2 से अधिक

BMI-for-age GIRLS
14 to 18 years

World Health Organization
के आधार पर सारणी

वर्ष : माह	कुपोषित (कमजोर)	सामान्य	कुपोषित (मोटापा)
14 : 0	15.4 से कम	15.4 से 27.3	27.3 से अधिक
14 : 1	15.5 से कम	15.5 से 27.4	27.4 से अधिक
14 : 2	15.5 से कम	15.5 से 27.5	27.5 से अधिक
14 : 3	15.6 से कम	15.6 से 27.6	27.6 से अधिक
14 : 4	15.6 से कम	15.6 से 27.7	27.7 से अधिक
14 : 5	15.6 से कम	15.6 से 27.7	27.7 से अधिक
14 : 6	15.7 से कम	15.7 से 27.8	27.8 से अधिक
14 : 7	15.7 से कम	15.7 से 27.9	27.9 से अधिक
14 : 8	15.7 से कम	15.7 से 28.0	28.0 से अधिक
14 : 9	15.8 से कम	15.8 से 28.0	28.0 से अधिक
14 : 10	15.8 से कम	15.8 से 28.1	28.1 से अधिक
14 : 11	15.8 से कम	15.8 से 28.2	28.2 से अधिक
15 : 0	15.9 से कम	15.9 से 28.2	28.2 से अधिक
15 : 1	15.9 से कम	15.9 से 28.3	28.3 से अधिक
15 : 2	15.9 से कम	15.9 से 28.4	28.4 से अधिक
15 : 3	16.0 से कम	16.0 से 28.4	28.4 से अधिक
15 : 4	16.0 से कम	16.0 से 28.5	28.5 से अधिक
15 : 5	16.0 से कम	16.0 से 28.5	28.5 से अधिक
15 : 6	16.0 से कम	16.0 से 28.6	28.6 से अधिक
15 : 7	16.1 से कम	16.1 से 28.6	28.6 से अधिक
15 : 8	16.1 से कम	16.1 से 28.7	28.7 से अधिक
15 : 9	16.1 से कम	16.1 से 28.7	28.7 से अधिक
15 : 10	16.1 से कम	16.1 से 28.8	28.8 से अधिक
15 : 11	16.2 से कम	16.2 से 28.8	28.8 से अधिक
16 : 0	16.2 से कम	16.2 से 28.9	28.9 से अधिक
16 : 1	16.2 से कम	16.2 से 28.9	28.9 से अधिक
16 : 2	16.2 से कम	16.2 से 29.0	29.0 से अधिक
16 : 3	16.2 से कम	16.2 से 29.0	29.0 से अधिक
16 : 4	16.2 से कम	16.2 से 29.0	29.0 से अधिक
16 : 5	16.3 से कम	16.3 से 29.1	29.1 से अधिक
16 : 6	16.3 से कम	16.3 से 29.1	29.1 से अधिक
16 : 7	16.3 से कम	16.3 से 29.1	29.1 से अधिक
16 : 8	16.3 से कम	16.3 से 29.2	29.2 से अधिक
16 : 9	16.3 से कम	16.3 से 29.2	29.2 से अधिक
16 : 10	16.3 से कम	16.3 से 29.2	29.2 से अधिक
16 : 11	16.3 से कम	16.3 से 29.3	29.3 से अधिक
17 : 0	16.4 से कम	16.4 से 29.3	29.3 से अधिक
17 : 1	16.4 से कम	16.4 से 29.3	29.3 से अधिक
17 : 2	16.4 से कम	16.4 से 29.3	29.3 से अधिक
17 : 3	16.4 से कम	16.4 से 29.4	29.4 से अधिक
17 : 4	16.4 से कम	16.4 से 29.4	29.4 से अधिक
17 : 5	16.4 से कम	16.4 से 29.4	29.4 से अधिक
17 : 6	16.4 से कम	16.4 से 29.4	29.4 से अधिक
17 : 7	16.4 से कम	16.4 से 29.4	29.4 से अधिक
17 : 8	16.4 से कम	16.4 से 29.5	29.5 से अधिक
17 : 9	16.4 से कम	16.4 से 29.5	29.5 से अधिक
17 : 10	16.4 से कम	16.4 से 29.5	29.5 से अधिक
17 : 11	16.4 से कम	16.4 से 29.5	29.5 से अधिक
18 : 0	16.4 से कम	16.4 से 29.5	29.5 से अधिक



वैश्वीकरण

चर्चा करें

आपके आसपास ऐसी कौन-कौन सी चीजें उपलब्ध हैं जो हमें दूसरे देशों से जोड़ती हैं?

- ♦ आपने अपने घरों में या आसपास चीन में बने खिलौने देखे होंगे। बाजार में चाइनीज मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक सामान भी काफी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। चीनी खिलौने भारत में बड़ी मात्रा में आयात किए जा रहे हैं।



चित्र 21.1 : रायपुर बाजार

- ♦ टी.वी. के माध्यम से आप विश्व भर में हो रही गतिविधियों व घटनाओं का सीधे त्वरित प्रसारण देख पाते हैं। आजकल तो इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की चीजों के बारे में तुरंत पता चल जाता है।
- ♦ हमारे खानपान में कुछ दूसरे देशों के व्यंजनों का समावेश होने लगा है जैसे पिज्जा बर्गर, नूडल्स, चाउमीन आदि। हम इन खाद्य पदार्थों के विज्ञापन टी.वी. पर भी देखते हैं।
- ♦ बहुत से देशों के मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ तुलनात्मक रूप से बेहतर और सस्ता इलाज संभव है।
- ♦ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे देशों की शिक्षा संस्थानों या विश्व विद्यालयों में अध्ययन हेतु जाना-आना करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पढ़ाई के लिए भारत से प्रति वर्ष विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2.5 से 3 लाख बताई जाती है।

- ◆ लोग पर्यटन के सिलसिले में विभिन्न यात्राएँ करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात इतना रमणीक है कि वहाँ अक्सर विदेशी पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। कुटुम्बसर की गुफा, कवर्धा का भोरमदेव मंदिर आदि ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहाँ लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इसी प्रकार हमारे देश के लोग पर्यटन के सिलसिले में इंडोनेशिया, मलाया, थाइलैंड आदि देशों की यात्राएँ करते हैं।



चित्र 21.2 : कुछ दर्शनीय स्थल

- ◆ विगत कुछ वर्षों में लोगों में अंग्रेजी भाषा सीखने की इच्छा काफी बढ़ी है क्योंकि ज्यादातर नौकरियाँ ऐसी होती हैं जिनके प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा पर पकड़ होना आवश्यक माना जाता है अतः लोग सोचते हैं कि यदि वे अंग्रेजी भाषा सीख लेंगे तो उन्हें नौकरी हासिल हो जाएगी। इसी अपेक्षा में वे अन्य नई भाषाएँ जैसे चीनी आदि भी सीख रहे हैं।



चित्र 21.3 चीनी भाषा सिखाने वाली संस्था

- ◆ इसके अलावा आपने कुछ विदेशी संगीत भी सुना होगा जो युवाओं में अधिक लोकप्रिय है। क्या आपने कभी कोई विदेशी फिल्म देखी है?

उपर्युक्त सभी उदाहरण हमें यह संकेत देते हैं कि विश्व के देशों और लोगों के बीच अन्तर्संबंध है और इन संबंधों के कई आयाम हैं। यह भी स्पष्ट है कि पिछले कुछ दशकों में इस तरह की प्रक्रियाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। विश्व के देशों के बीच दूरियाँ कम हो रही हैं और उनके मध्य अन्तर्संबंध बढ़ा है— लोगों को वस्तुओं व सेवाओं के रूप में दूसरे देशों की चीजें उपलब्ध हैं। अपनी आवश्यकताओं हेतु लोगों का विश्व स्तर पर आवागमन हो रहा है तथा साँस्कृतिक रूप से देशों में जुड़ाव होने लगा है। इस पाठ में हम इन प्रक्रियाओं के कुछ आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं को समझेंगे। साथ ही इनके कारक और प्रभावों को भी देखेंगे।

21.1 अन्तरदेशीय उत्पादन

आज से कुछ दशक पूर्व हमें अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति हेतु ज्यादातर देशी उत्पादों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इन उत्पादों के भी सीमित विकल्प थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज बाजारों में हमें विदेशी वस्तुओं की बहुतायत तो दिखाई देती ही है साथ ही उनके कई विकल्प भी मौजूद हैं



चित्र 21.4 एक बाजार

जैसे मोबाइल के ढेरों किस्म, जूते, कमीज, कैमरे व इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि के विभिन्न ब्रांड। इसी प्रकार सड़कों पर आपको नये-नये मॉडल की देशी एवं विदेशी कारें, मोटर सायकल, ट्रकें आदि दौड़ती नजर आती हैं। शहरों में ऐसी दुकानों और मॉलों का चलन भी बढ़ा है जो इन उत्पादों से भरे पड़े हैं। इन सबके पीछे अन्तरदेशीय उत्पादन की परिघटना का हाथ है। वस्तुओं का अन्तरदेशीय उत्पादन हो रहा है, उत्पादन की प्रक्रिया अनेक देशों में विभाजित है तथा उत्पादित वस्तुओं की विश्व स्तर पर बिक्री भी हो रही है।

आइए इस अन्तरदेशीय उत्पादन को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर गौर करें—

1. 1960 के दशक में और उसके बाद एक कार के रूप में फोर्ड एस्काट यूके और जर्मनी में जोड़कर तैयार की जाती थी मगर उसके पुर्जे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम और यहाँ तक की जापान सहित दर्जन भर से अधिक देशों में बनाए जाते थे।

इस रणनीति के तहत फोर्ड एस्काट उन देशों में कार उत्पादन को प्राथमिकता देती है जहाँ उसे कम मजदूरी में श्रमिक उपलब्ध होते हैं तथा करों की दर कम होती है। साथ ही सरकारों द्वारा भी उन्हें कुछ रियायतें दी जाती हैं। आज इस प्रकार की कई कंपनियाँ भारत में हैं और वे दुनिया भर से सामान मंगवाती हैं।

संदर्भ— दौलत और बदहाली (कुरियन)

2. चित्र क्रमांक 21.5 को देखिए जिसमें दो महिलाएँ बंगलुरु में एक स्थानीय कंपनी के एक कॉल सेंटर में काम कर रही हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जो विश्व की कुछ बड़ी कंपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, डेल कम्प्यूटर, अमेरिका ऑनलाइन और ब्रिटिश एयरवेज द्वारा प्रदत्त 800 कस्टमर केयर नंबरों पर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराती हैं। भारत की ये कंपनियाँ बड़ी कंपनियों के लिए कम लागत पर आउट सोर्सिंग के रूप में काम करती हैं। जब कोई कंपनी अपने उत्पाद या सेवाएँ किसी बाहरी



चित्र 21.5 कॉल सेंटर

स्रोत के जरिए उपलब्ध कराती हैं तो उस प्रक्रिया को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। स्थानीय कंपनी इन कॉलसेंटर्स पर काम करने हेतु अंग्रेजी जानने वाली महिलाओं को अमेरिकन अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण देती हैं, उन्हें फिल्में दिखाती हैं तथा उन्हें अमेरिकन लोगों के समान बातचीत व व्यवहार का तरीका सिखाया जाता है। इससे ग्राहकों को यह महसूस ही नहीं होता कि वे दूसरे देश के अभिकर्ता से बात कर रहे हैं बल्कि उन्हें लगता है कि ये सेवाएँ उन्हें अपने देश से ही संबंधित कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

बड़ी कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग के रूप में स्थानीय कंपनी की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु इस तरह के जिन केन्द्रों की मदद ली जाती है उन्हें बी.पी.ओ. (Business Process Outsourcing) कहते हैं। इनसे बड़ी कंपनियों को कम लागत पर सेवाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। ये सेंटर उन देशों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ संचार साधनों जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा चुका हो।

उपर्युक्त उदाहरण में आपने देखा कि कैसे वस्तुओं और सेवाओं का अन्तरदेशीय उत्पादन किया जा रहा है। अब आइए देखें कि वास्तव में ये कंपनियाँ कौन-सी हैं और ये कैसे काम करती हैं?

21.2 बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNC: Multinational corporation) ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो एक से अधिक देशों में वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती हैं। इनके द्वारा उत्पादन के लिए कच्चे माल की तलाश पूरे विश्व में की जाती है तथा प्राप्त उत्पाद की विश्व स्तर पर बिक्री की जाती है। प्रायः बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन देशों में अपनी इकाइयाँ लगाने को प्राथमिकता देती हैं जहाँ उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा सस्ती दरों पर प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। अपनी इकाई लगाने के पूर्व ये कंपनियाँ सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं। जिन देशों की सरकारी नीतियाँ लचीली होती हैं तथा करों की दर कम होती है वहाँ इकाइयाँ लगाने इन कंपनियों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। ये कंपनियाँ चाहती हैं कि सरकारी नीतियाँ उनके निर्णयों के अनुकूल हों।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास विशाल पूँजी होती है। जब भी ये किसी देश में पूँजी निवेश करते हैं तो अपने साथ नवीन तकनीक भी लाते हैं। इन तकनीकों की मदद से उनकी उत्पादन शक्ति बहुत अधिक होती है और वे वस्तुओं के नवीनतम मॉडल बाजार में प्रस्तुत करते हैं। अपने उत्पादों की गुणवत्ता और छवि को लेकर उनमें एक सजगता दिखाई देती है।

कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्थानीय कंपनियों को अधिग्रहित कर उत्पादन गतिविधियों का प्रसार करती हैं। उदाहरण के लिए लाफार्ज फ्रांस की प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय सीमेंट कंपनी है जिसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन व यूगांडा जैसे कई देशों में अपने कारखाने स्थापित किए हैं। कंपनी का मुख्य उत्पादन सीमेंट व कांक्रीट है। कंपनी ने भारत में वर्ष 1999 में टाटा स्टील सीमेंट और 2001 में रेमण्ड सीमेंट की फैक्ट्रियों का अधिग्रहण (खरीद) कर उत्पादन कार्य शुरू किया। ये दोनों फैक्ट्रियाँ छत्तीसगढ़ में थीं। यहाँ इस उद्योग के लिए कच्चा माल (limestone) खनिज पदार्थ एवं सस्ती मजदूरी उपलब्ध है। साथ ही भारत का व्यापक बाजार भी उपलब्ध है।

कुछ अन्य क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटे-छोटे उत्पादकों की मदद भी लेती हैं जैसे कपड़े, जूते, खेल सामग्री तथा खिलौनों आदि के उत्पादन का काम छोटे उत्पादकों को दे दिया जाता है तथा निर्मित वस्तुएँ उनसे खरीदकर अपने ब्रांड नाम से बाजार में बेच दिया जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब प्रांत के लुधियाना में कई घरों में महिलाएँ बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दिए गए फुटबॉल के निर्माण का कार्य करती हैं। इन वस्तुओं का



चित्र 21.6 : घरों में खेल सामग्री का निर्माण

विवरण और डिज़ाइन बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ही तैयार करती हैं और ठेकेदारों के जरिए कारीगरों तक पहुँचाती हैं। सस्ती दरों में कारीगरों द्वारा तैयार इन वस्तुओं को दुनिया के बाजारों में निर्यात किया जाता है, जहाँ बड़ी दुकानों और मॉल में इन्हें बड़ी मार्जिन के साथ बेचा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कभी-कभी स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम भी चलाया जाता है जैसे 1995 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स के द्वारा भारतीय कंपनी महिन्द्रा के साथ संयुक्त उपक्रम चलाकर कारों का उत्पादन करने लगीं हैं। ये कारें न केवल भारत में बिकती हैं बल्कि दूसरे देशों में भी उनका निर्यात किया जाता है।

इन सभी उदाहरणों के जरिए हमने अन्तरदेशीय उत्पादन करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जाना।

इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली इतनी विस्तृत हो जाती है कि उनकी उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ती जाती है और वे प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं। छोटी कंपनियों या उत्पादकों के अधिग्रहण से उनकी उत्पादन प्रक्रिया केन्द्रीकृत होने लगती है और वे अधिक मजबूत होती जाती हैं।

दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं?

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

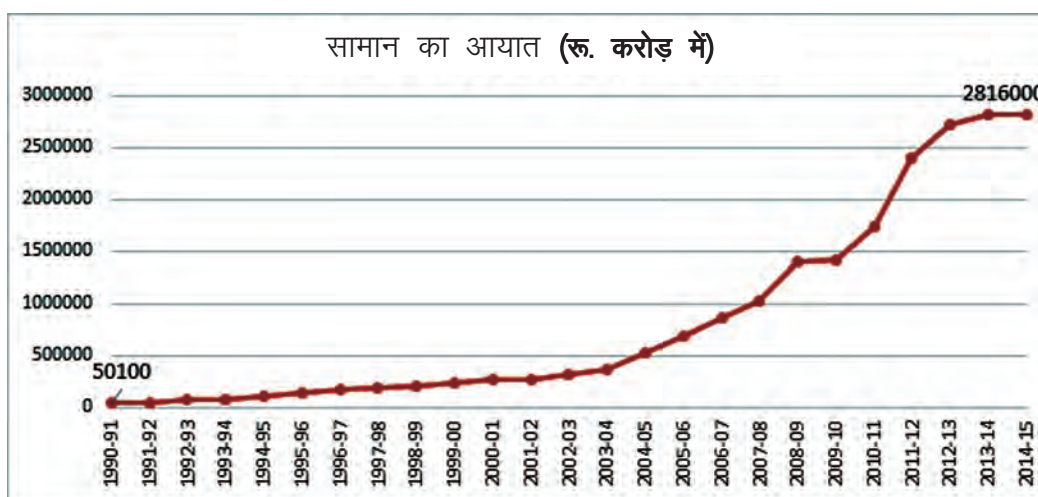
तीन दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीददारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं। ये कंपनियाँ भारत में कर रही हैं क्योंकि

21.3 वैश्वीकरण

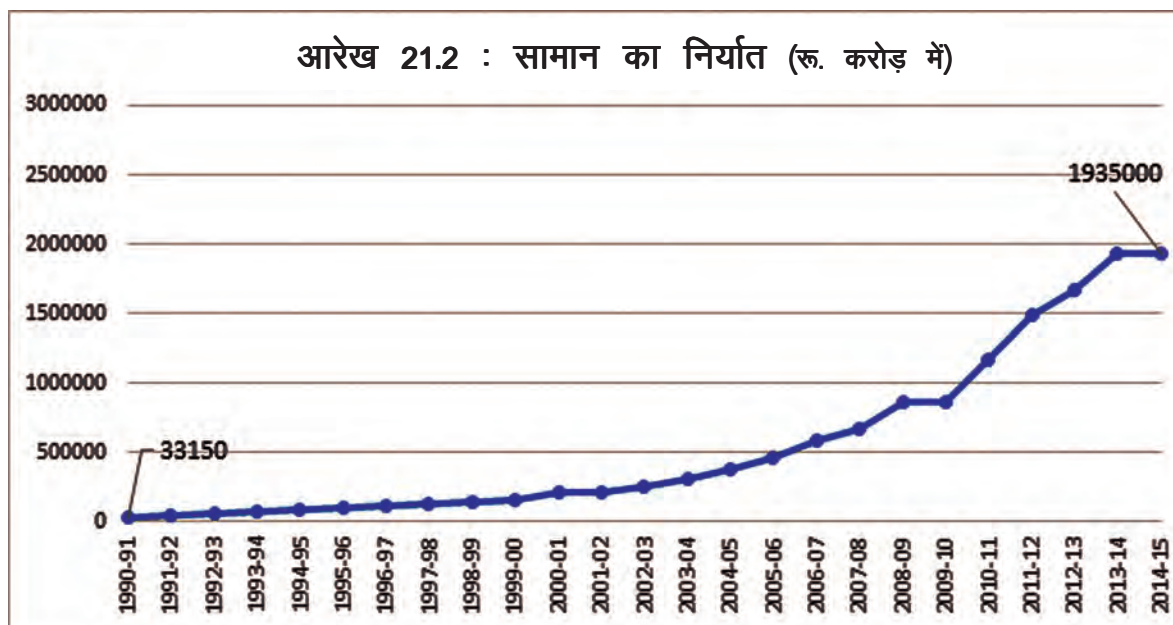
विगत दो तीन दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजार और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर सम्बन्ध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। अधिक-से-अधिक वस्तुएँ, सेवाएँ, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान हो रहा है।

भारत में बढ़ते विदेशी व्यापार से सम्बन्धित आयात एवं निर्यात के आँकड़े रेखाचित्र द्वारा में प्रदर्शित किए गए हैं। 1990-91 और 2014-15 के बीच विदेशी व्यापार कई गुना बढ़ गया है। भारत ने वर्ष 1990-91 में कुल 33,150 करोड़ रुपये की सामग्री का निर्यात किया। वर्ष 2014-15 में यह राशि बढ़कर 1935,000 करोड़ रुपये हो गई।

आरेख 21.1 : भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि



नीचे दिए आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाइए कि विगत 25 वर्षों में निर्यात में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तथा किस वर्ष से निर्यात में वृद्धि की दर तेजी से बढ़ने लगी?



Source: RBI Handbook of Statistics on the Indian Economy, Table 144 : Key Components of India's Balance of Payments in Rupees

पिछले पेज पर दिए गए आयात के आंकड़ों को गौर से देखिए। आयात में भी अधिक वृद्धि दिखती है। क्या आप बता सकते हैं आयात और निर्यात में से किसमें अधिक वृद्धि हुई है?

अभी हमने वस्तुओं के आयात-निर्यात के आंकड़े देखे। सेवाओं के आयात-निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई है। सेवाओं के निर्यात में भारत शीर्ष देशों में से एक है। सेवाओं का निर्यात, सेवाओं के आयात से कहीं ज्यादा है। इस दौरान भारत में विदेशी निवेश भी कई गुना बढ़ा है।

वैश्वीकरण के कारक

प्रौद्योगिकी

वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT, Information and communication technology) के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप जानते हैं कि आज के युग में कम्प्यूटर नेटवर्क, मोबाइल, ईमेल, ईकामर्स, व्हाट्सएप आदि की सुविधाएँ हमारे जीवन का प्रमुख अंग बन गई हैं। संचार उपग्रहों के विकास ने इस सूचना तंत्र को काफी आसान बना दिया है। हमने पहले बंगलुरु के एक कॉल सेंटर का उदाहरण लिया था वह काम इस तकनीकी के कारण ही संभव हो पाता है। अनेकों कंपनियाँ इसी तंत्र का फायदा उठाकर अपना कारोबार को फैला रही हैं। उन्हें उत्पादन से संबंधित त्वरित सूचनाएँ उपलब्ध हो जाती हैं जिनका विश्लेषण करना और उसके आधार पर निर्णय लेना काफी आसान हो जाता है। उत्पादन की पूरी व्यवस्था को एक ही स्थान से नियंत्रित किया जा सकता है। बैंकों की कार्य प्रणाली में भी काफी बदलाव आया है तथा RTGS के माध्यम से लेनदेन करना अब काफी आसान है।



चित्र 21.7 माल वाहक जहाज़

परिवहन के साधनों का अत्यधिक विकास होना भी वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण है। आज विदेशों में माल भेजने हेतु बंदरगाहों पर बड़े-बड़े कंटेनरों में वस्तुएँ पैक कर दी जाती हैं। ये कंटेनर समान आकार के बने होते हैं तथा इनके द्वारा माल का जहाजों पर लदान व उतारना आसान है। आजकल तो वातानुकूलित कंटेनर भी आ गए हैं जिनसे सामान लम्बे समय तक सुरक्षित रहता है। पूरे विश्व में लगभग 360 मिलियन कंटेनर डिब्बे आजकल मॉल परिवहन हेतु

इधर-से-उधर पहुँचाए जा रहे हैं। विश्व व्यापार का 90 प्रतिशत हिस्सा कंटेनरों द्वारा लाया ले जाया जाता है। पिछले 60 वर्षों में माल को समुद्री मार्ग से लाना ले जाना सस्ता हो गया है।

परिवहन और संचार के खर्चों में गिरावट

पिछली एक सदी में परिवहन और संचार के खर्चों में तेजी से गिरावट आई है। खास कर बीते पचास वर्षों में तो और भी ज्यादा। वर्ष 1970 की तुलना में सन् 2000 तक रेल भाड़ा लगभग आधा हो गया है। इसी समय में सड़क परिवहन में भी 40 फीसदी की कमी हुई है। वैश्विक स्तर पर हवाई परिवहन को देखें तो वर्ष 1955 की तुलना में उसकी दरें मात्र छह फीसदी रह गई हैं। वहीं दूरसंचार की बात करें तो 1931 में जहाँ लंदन से न्यूयार्क में तीन मिनट की बातचीत के लिए 3000 डॉलर खर्च करने पड़ते थे जबकि आज इतनी ही बात के लिए चंद सिक्के काफी हैं।

क्या आप अपने आस-पास सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कुछ उदाहरण ढूँढ सकते हैं? इसने लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है।

परिवहन और संचार के खर्चों में गिरावट से विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश किस तरह से प्रभावित होता है इसके बारे में चर्चा कीजिए।

21.4 विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण

प्रारंभ में हमने अन्तरदेशीय व्यापार के बारे में बात की और यह भी देखा कि यह व्यापार इस दौर में बहुत बढ़ा है। इसके क्या कारण हैं? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार चीनी खिलौनों पर आयात कर लगा देती है तब क्या होगा? इससे यह होगा कि जो भारतीय कंपनियाँ इन खिलौनों का आयात करना चाहती हैं उन्हें इन पर टैक्स देना होगा इसके कारण उपभोक्ताओं को चीनी खिलौनों की खरीद पर अधिक कीमतें चुकानी पड़ेगी अर्थात् भारत के बाजारों में अब चीनी खिलौने मंहगे हो जाएँगे जिससे उपभोक्ता उन्हें खरीद पाने में असमर्थ हो जाएँगे और आयात स्वतः कम हो जाएगा। इसका लाभ भारतीय खिलौना निर्माताओं को होगा क्योंकि अब वे अधिक मात्रा में सामान बेच पाएँगे।

आयात पर लगाया जाने वाला कर व्यापार के मार्ग में एक अवरोधक है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। प्रायः सरकारें इस अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने हेतु करती हैं। देश में किस प्रकार की वस्तुओं का कितनी मात्रा में आयात हो? इसका निर्णय इस कर के जरिए किया जाता है।

आजादी के बाद भारत सरकार ने देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने हेतु विदेशी व्यापार तथा निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। 1950 एवं 1960 के दशकों में भारतीय उद्योगों का उदय हो रहा था और आयात में खुली छूट से इस प्रक्रिया को नुकसान हो सकता था। भारत ने केवल अनिवार्य चीजें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी थी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के आरंभिक चरणों में घरेलू उत्पादों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है।

परन्तु व्यापार प्रक्रिया में विश्व स्तर पर हो रहे बदलाव व वैश्वीकरण के प्रभाव से भारत सरकार ने वर्ष 1991 में आर्थिक नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किया। कुछ लोगों का यह मानना था कि बदलते वैश्विक परिवेश में भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया।

अतः विदेशी व्यापार व निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। अवरोधकों को हटाने से आयात-निर्यात सुगम हुआ। कई क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को न केवल निवेश की अनुमति मिली बल्कि उन्हें कई तरह के प्रोत्साहन भी मिले। परिणामस्वरूप अब विदेशी कंपनियाँ भी भारत में अपने कार्यालय व उत्पादन की इकाई स्थापित कर सकती थीं। सरकार द्वारा अवरोधों व प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। इससे उत्पादकों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है इसीलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है।

क्या भारत सरकार द्वारा आजादी के बाद विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में अवरोधकों का लगाया जाना सही फैसला था? चर्चा कीजिए।

अपने शब्दों में उदारीकरण को समझाइए।

विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए।

21.5 भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण का भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर समान प्रभाव नहीं पड़ा है। वैश्वीकरण से उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनन्द ले रहे हैं।

वहीं अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियाँ बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन-मानकों को ऊँचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है जो विश्व स्तर पर अपने क्रिया-कलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नये अवसरों का सृजन किया है।

वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए चुनौतियाँ खड़ी की हैं। बैटरी, प्लास्टिक,

खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाईयाँ बंद हो गईं जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक (2 करोड़) नियोजित हैं।

21.5.1 प्रतिस्पर्धा और रोजगार की अनिश्चितता

वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है।



चित्र 21.8 : निर्यात के लिए गार्मेंट फैक्ट्री

अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएँ खोजती हैं। इन बड़े आर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं चूंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं।

35 वर्षीय सुशीला ने वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष कार्य किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगुनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई। तो छह माह तक रोजगार तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 कि.मी. दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के सातों दिन सुबह 7.30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफी अस्थिर आर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन भी देती हैं।

1. वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है?
2. वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ग क्या कर सकता है?

(क) सरकार

(ख) निर्यातक फैक्ट्रियों के नियोक्ता

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ

(घ) श्रमिक

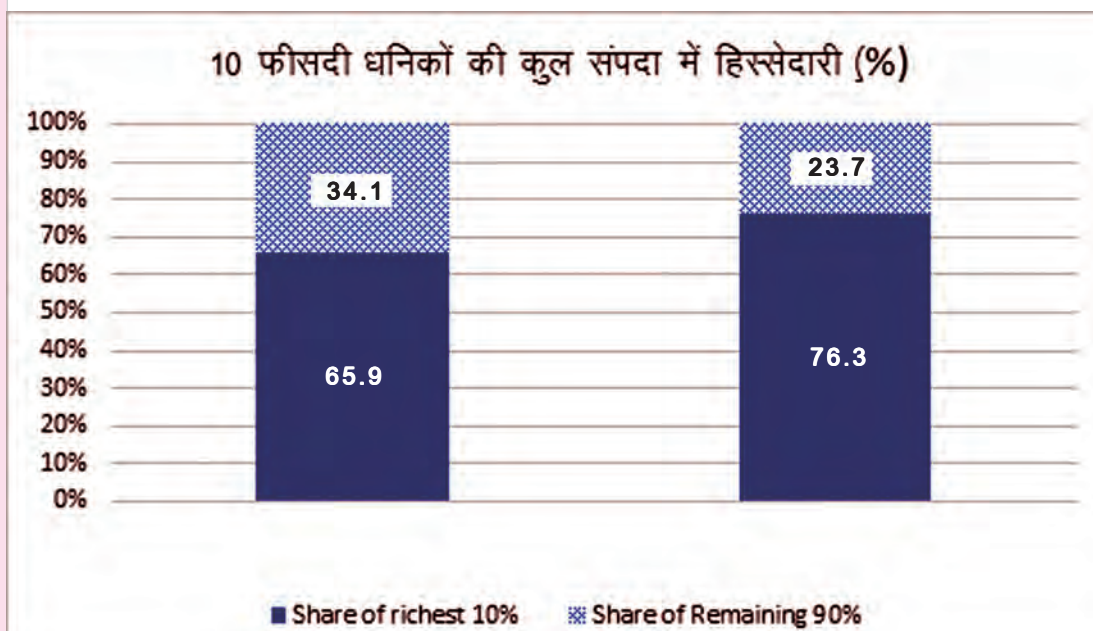
3. वर्तमान समय में भारत में बहस है कि क्या कंपनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाना चाहिए। इस अध्याय के आधार पर नियोक्ताओं और श्रमिकों के पक्षों का संक्षिप्त विवरण दें।

बढ़ती असमानता

संपत्ति के वितरण संबंधी आंकड़े वैश्वीकरण की दो तरह की तस्वीरों को आमने-सामने रखते हैं। एक तरफ जहाँ धनवानों की स्थितियाँ और भी मजबूत हुई हैं वहीं ज्यादातर लोगों को अभी भी रोजगार और आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

वर्ष 2000 में देश की कुल संपत्ति का 66 प्रतिशत, देश के 10 फीसदी धनिकों के कब्जे में था। यह अपने आप में गैरबराबरी की स्थिति थी। लेकिन 2015 में इन्हीं धनिकों के हाथ में 76 फीसदी संपत्ति आ गई। 90 प्रतिशत लोगों को वर्ष 2000 की तुलना में 34 की बजाय महज 24 फीसदी में ही सिमटना पड़ा (आरेख क्रमांक 21.3 देखिए)। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा विकास पद्धति में लाभ का बड़ा हिस्सा धनिकों के पास ही जा रहा है। बड़ी आबादी को अभी भी न्यून और अनिश्चित रोजगार के अवसरों पर ही संतोष करना पड़ रहा है, जैसा कि हमने नवीं कक्षा में सेवा क्षेत्र पर चर्चा की और सुशीला की कहानी में भी देखा था कि संगठित क्षेत्र में रोजगार की कितनी कमी है। लिहाजा अधिकांश मजदूरों को असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने को मजबूर होना पड़ता है।

आरेख 21.3



किसी व्यक्ति की परिसंपत्ति ;जैसे शेयर, बांड, बैंक में जमा पूँजी और रीयल एस्टेट आदि में से कर्ज को घटा कर संपत्ति को मापा जाता है।

Source: Credit Suisse Wealth Report.

21.5.2 पर्यावरण पर प्रभाव

वैश्वीकरण की कुछ दशकों की इस परिघटना से कई क्षेत्रों में भले ही लाभ हुआ हो लेकिन इसने नई चिंताएँ भी पैदा की हैं। तेज गति की इस वृद्धि से उपभोक्तावाद तो बढ़ा है लेकिन पर्यावरण के लिहाज से सवाल भी खड़े हुए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन के मुताबिक दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक है। उसने अपने अध्ययन में पाया कि दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 नामक कण का स्तर 122 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इसका सामान्य स्तर 10 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 2008 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने अध्ययन में पाया कि दिल्ली में स्कूल जाने वाले 40 फीसदी बच्चों के फेफड़े प्रदूषण के कारण क्षतिग्रस्त हैं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता।

इन समस्याओं की डोर सड़कों पर बढ़ते परिवहन से जुड़ती है। वैश्वीकरण के इस दौर में भारत में जिन क्षेत्रों में तेजी से बढ़त हुई है उनमें से एक वाहनों का बाज़ार है। मारुति उद्योग द्वारा भारत में उद्योग शुरू करने के बाद 1988 तक भी कुल उत्पादन सिर्फ एक लाख 78 हजार नग ही था। एक दशक बाद 1999 में उत्पादन बढ़कर 5 लाख 33 हजार नग हो गया था। 2000 के बाद के शुरुआती सालों में ऑटोमोबाइल उद्योगों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। वर्ष 2004 में सिर्फ कारों का उत्पादन करीब-करीब फिर से दोगुना हो गया तबसे लेकर उत्पादन ने ऊँची छलौंगे लगाना शुरू कर दिया। एक आँकड़े के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही प्रतिदिन 1400 के हिसाब से वाहन बढ़ रहे हैं।

उत्पादन और वृद्धि के लिहाज से देखें तो ये आँकड़े सुखद लग सकते हैं परंतु जीवन स्तर पर होनेवाले इनके असर को देखें तो तस्वीर दुखद लगती है क्योंकि वाहनों के लिए सड़क चाहिए और सड़क के लिए ज़मीन। शहर सड़कों के जाल व कांक्रीट के जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। पेड़ कट रहे हैं। जमीन में वर्षा जल को अवशोषित करने की क्षमता कमजोर होने से जलसंकट गहराता जा रहा है। इसका प्रभाव सभी पर पड़ रहा है।



चित्र 21.9 : मोटर कार उद्योग का पर्यावरण पर प्रभाव

विकास के पाठ में हमने देखा कि एक का विकास दूसरे के लिए कैसे विध्वंसक हो सकता है। बढ़ते वाहनों की संख्या के संदर्भ में इसे समझाइए।

21.6 न्यायसंगत वैश्वीकरण की ओर

इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकतर विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक-से-अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभायी है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है।

जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं परन्तु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। समाज में असमानता बढ़ी है। धनिकों के पास संपत्ति का केन्द्रीकरण हुआ है। पर्यावरण पर लगातार क्षति पहुँची है जिसका असर व्यापक रूप से सभी पर पड़ा है।

चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है तो वैश्वीकरण को अधिक 'न्यायसंगत' कैसे बनाया जा सकता है? न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। विकास टिकाऊ और उसमें बराबरी हो यह तभी संभव है जब इस प्रक्रिया में सरकार, जनसंगठन और आम लोगों की सक्रिय भूमिका हो।

अभ्यास

- निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

(क) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटे उत्पादकों से सस्ती दरों पर खरीदती हैं।	(अ) मोटर गाड़ियों
(ख) आयात पर कर का उपयोग, व्यापार नियमन	(ब) कपड़ा, जूते-चप्पल, खेल के सामान के लिए किया जाता है।
(ग) विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियाँ	(स) कॉल सेंटर
(घ) आई. सी. टी. ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है।	(द) टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी
(च) अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है।	(इ) व्यापार अवरोधक



- वैश्वीकरण को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
- वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन चीजों का प्रवाह देखा जाता है?
- भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी?

5. श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा?
6. 'वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है'। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
7. व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचाती है?
8. वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। कल्पना कीजिए कि आज से बीस वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए।
9. मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुँचाई है दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे?
10. भारत में बढ़ती असमानता को आंकड़ों एवं उदाहरणों के जरिए समझाइए।
11. वैश्वीकरण ने पर्यावरण को किस तरह प्रभावित किया है? चर्चा कीजिए।
12. आपको किसी ब्रिटिश कंपनी हेतु कॉल सेंटर में काम करना है इसके लिए आपमें कौन-कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए।
13. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किसी देश में उत्पादन की इकाई लगाने के पूर्व किन-किन बातों का विशेष ख्याल रखती हैं?
14. बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन करने के कौन-कौन से तरीके हैं?
15. वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार ने 1991 में क्या प्रमुख बदलाव किए?
16. वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को कौन-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
17. वैश्वीकरण ने श्रमिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है?
18. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ संयुक्त उपक्रम क्यों चलाती है?